एमएपीएसटी - 05

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पुलिस और सुरक्षा

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

अध्यक्ष

प्रो. विनय कुमार पाठक

कुलपति

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

संयोजक/ समन्वयक एवं सदस्य

संयोजक

प्रो. करण सिंह

आचार्य, राजनीति विज्ञान

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

सह संयोजक

डा. अकबर अली

सहायक आचार्य, लोक प्रशासन

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

सदस्य

1. **श्री ओ.पी. माथुर (आई.पी.एस)**
   कुलपति
   रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, (गुजरात)
2. **श्री एम.एल. कुमावत (आई.पी.एस)**
   कुलपति
   सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर
3. **श्री भूपेन्द्र सिंह (आई.पी.एस)**
   निदेशक
   राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
4. **श्री बी.एन. राय (आई.पी.एस)**
   निदेशक
   सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद
5. **श्री रिषिराज सिंह (आई.पी.एस)**
   निदेशक
   केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुम्बई
6. **श्री राजीव त्रिवेदी (आई.पी.एस)**
   निदेशक
   आंध्र प्रदेश पुलिस अकादमी, हैदराबाद
7. **श्री निखिल जे. गुप्ता (आई.पी.एस)**
   उपनिदेशक
   महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक
8. **प्रो. पी.डी. शर्मा**
   सेवानिवृत्त आचार्य
   राजनीति विज्ञान विभाग
   राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
9. **प्रो. लीलाराम गुर्जर**
   आचार्य, राजनीति विज्ञान
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

संपादन एवं पाठ्यक्रम लेखन

संपादक

प्रो. करण सिंह

आचार्य, राजनीति विज्ञान

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

सह संपादक

डा. अकबर अली

सहायक आचार्य, लोक प्रशासन

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

भाषा संपादक

डॉ. मीता शर्मा

सहायक आचार्य, हिन्दी

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठ्यक्रम लेखन

1 **डॉ. कीर्ति सिंह** (1,2,6,9,14)
सहायक आचार्य, शिक्षा
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

2 **डॉ. मिनाक्षी विजय** (3,15,19,20)
व्याख्याता, लोक प्रशासन, जयपुर

3 **डॉ. एन एल गुर्जर** (4,8,10,11,17,18,21)
प्राचार्य, शहीद केप्टन रिपुडमान निधि कॉलेज
सवाई माधोपुर

4 **डॉ. कुमकुम चतुर्वेदी** (5,7,13,16)
A.P. (Applied Service Deptt.)
एन.आई.टी., मेरठ

5 **डॉ. प्रीती सिंह** (12,22)
शिक्षा विद्यापीठ, जे.एन.यू. जयपुर

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रो. (डॉ.) विनय कुमार पाठक
कुलपति
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो. लीलाराम गुर्जर
निदेशक (अकादमिक)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो. (डॉ.) करण सिंह
निदेशक,
पाठ्यसामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

डॉ. अनिल कुमार जैन
अतिरिक्त निदेशक,
पाठ्यसामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठ्यक्रम उत्पादन

योगेन्द्र गोयल
सहायक उत्पादन अधिकारी
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

उत्पादन : फरवरी, 2014 ISBN No. : 13/978-81-8496-430-1

इस सामग्री के किसी भी अंश भी अंश को व.वि.खु.म., कोटा की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में अन्यत्र पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

व.वि.खु.म., कोटा के लिए कुलसचिव को व.वि.खु.म., कोटा द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित (.राज)
मैसर्स दी डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर द्वारा मुद्रित प्रतियाँ 300

एमएपीएसटी - 05

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अनुक्रमणिका

इकाई सं.	इकाई का नाम	पेज न.
इकाई -1	विश्व सुरक्षा परिदृश्य और आतंकवाद	1
इकाई -2	भारत में आन्तरिक सुरक्षा का परिदृश्य	12
इकाई -3	भारत के पड़ौसी राष्ट्र : आन्तरिक व बाह्य सुरक्षा के सन्दर्भ में	23
इकाई -4	भारतीय संदर्भ में आतंकवाद	41
इकाई -5	कश्मीर की समस्या	70
इकाई -6	पूर्वोत्तर परिप्रेक्ष्य	82
इकाई -7	नक्सलवादी आंदोलन	96
इकाई -8	साम्प्रदायिकतावाद और दूसरे उपद्रव आंतरिक सुरक्षा के प्रति धमकियाँ	107
इकाई -9	विभिन्न पुलिस संगठन और सरकारी संगठनों की सुरक्षा में भूमिका	139
इकाई -10	जासूसी, विध्वंसक तथा तोड़-फोड़ गतिविधियाँ एवं कार्यकलाप	156
इकाई -11	सुरक्षा कार्यो के लिए तकनीक	183
इकाई -12	सीमा सुरक्षा : भूमिका और प्रासंगिकता	222
इकाई - 13	तटीय सुरक्षा	233
इकाई -14	क्रियाशील संयंत्रों की सुरक्षा : विभिन्न अभिकरणों की भूमिका	246
इकाई -15	व्यक्तिगत (VIP) सुरक्षा :मापदंड और रूप	257
इकाई -16	साइबर अपराध	274
इकाई -17	आदेश प्रबन्धन-संदर्भ	284
इकाई -18	वित्तीय धोखाधड़ियों में सुरक्षा दिक्कतें	318
इकाई -19	निजी सुरक्षा अभिकरणों तथा निजी सुरक्षा कानून की भूमिका	346
इकाई - 20	आपदा प्रबन्धन	368
इकाई - 21	सड़क सुरक्षा तथा यातायात प्रबन्धन	388
इकाई - 22	रासायनिक, जीव वैज्ञानिक, रेडियोलोजिकल तथा नाभिकीय अस्त्र	423

इकाई -1

विश्व सुरक्षा परिदृश्य और आतंकवाद

इकाई की रूपरेखा

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 आतंकवाद के उद्देश्य

1.3 स्थितियां जो आतंकवाद को जन्म देती हैं

1.4 आतंकवाद के संदर्भ में विश्व सुरक्षा व्यवस्थाएं तथा वैश्वीकरण

1.5 आतंकवाद के तरीके और कार्यनीतियां

1.6 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा कार्यनीतियां

1.7 सारांश

1.9 अभ्यास प्रश्न

1.10 संदर्भ ग्रंथ

1.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- विश्व के विभिन्न भागों के संदर्भ में आतंकवाद को परिभाषित कर सकेंगे;
- आतंकवाद के उद्देश्यों और लक्ष्यों के जान सकेंगे;
- उन स्थितियों को समझ सकेंगे जो आतंकवाद को जन्म देती हैं और उन कारणों को जान पाएंगें कि लोग क्यों आतंकवादी बनते हैं;
- विश्व सुरक्षा व्यवस्थाओं और वैश्वीकरण पर आतंकवाद के संदर्भ में चर्चा कर सकेंगे;
- आतंकवादियों के तरीकों और कार्यनीतियों को समझ पाऐंगे
- अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा कार्यनीतियों पर चर्चा कर सकेंगे।

1.2 प्रस्तावना

वैश्वीकरण के युग में सुरक्षा इतनी जटिल और बहुआयामी हो गई है कि पांरपरिक राष्ट्रीय सीमा प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की सोच से राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार के नए खतरों की पहचान करना संभव नहीं हैं। इस संदर्भ में, आतंकवाद अपनी अत्यधिक जटिल विशेषताओं

के साथ मुख्य सरोकार के विषयों में से एक बन गया है। वैश्विक जगत को आतंकवाद के तात्कालिक खतरे का सामना करना है। ये समस्या सिर्फ एक देश की ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा बन गई है, क्योंकि विभिन्न देश अधिकाधिक संबन्धित और परस्पर निर्भर बन गए हैं।

अनेक देश आतंकवाद की पीड़ा को जानते है। ये अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद से अनेक अन्य राष्ट्रों के सरोकार का भी विषय बन गया है।

आतंकवाद के खतरों को देखने के लिए ये सभी देशों के लिए एक संधिकाल है। विश्वभर में आतंकवाद से होने वाली क्षतियों के कारण एक नई जागरूकता देखी जा सकती है क्योंकि असंख्य जन इसके कारण मर गए अथवा चोटिल हो गए हैं, जबकि आतंकवादी इसे अपनी सफलता मानते हैं। आतंकवाद विश्व सुरक्षा के परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है। अनेक देशों और सुरक्षा संस्थाओं के लिए आतंकवाद उनके मुख्य कार्यक्रमों का प्रमुख विषय बन गया है। वैश्वीकरण के दौर में आतंकवाद अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है अत: आतंकवाद के विरूद्ध जंग सभी देशों की पहली प्राथमिकता बन गई है। इससे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। सुरक्षा की पारंपरिक सोच राष्ट्रीय सीमाओं के पार के नए खतरों को पहचानने में सक्षम नहीं है।

आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है जिसे कभी न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। वैश्विक सुरक्षा के लिए एक ऐसी नई सोच की आवश्यकता है जो आतंकवाद का सामना और मानवाधिकारों का सम्मान कर सके तथा बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त कर सके।

सर्जी ओर्ड जी होरी किडजे अंडर सेक्रेटरी जनरल एवं डायरेक्टर जनरल, संयुक्त राष्ट्र ''आतंकवाद जैसी अंतरराष्ट्रीय समस्या को अंतरराष्ट्रीय सहयोग के द्वारा ही हराया/खत्म किया जा सकता है''

- एल्मार ब्रोक

- सदस्य, यूरोपियन संसद

बुद्धिजीवियों द्वारा आतंकवाद को कम ही परिभाषित किया गया है लेकिन उन परिभाषाओं के अनुसार - आतंकवाद हिंसा के द्वारा जानबूझकर भय उत्पन्न करना और उसका दोहन है अथवा राजनैतिक परिवर्तन के प्रयास में हिंसा की आशंका है।

आतंकवाद एक पुनरावर्ती रूप से उग्र व्यवहार को उत्तेजित करने वाला तरीका है जिसे (अर्ध) गुप्त वैयक्तिक समूह द्वारा अथवा राष्ट्र नेताओं द्वारा स्वभावगत् अपराधी अथवा राजनीतिक कारणों के लिए किया जाता है।

विभिन्न प्रजातांत्रिक राष्ट्रों के नियमों में भी आतंकवाद की परिभाषाएं दी गई हैं, जिन्हें अपराध करने के दोषी अथवा कुछ आपराधिक कृत्यों की योजना बनाने वाले अभियुक्तों को दंडित करने के उद्देश्य से बनाया गया हैं। यहां तीन राष्ट्रों की परिभाषाएं दी गई हैं।

1- जर्मन फेडरल रिपब्लिक : आतंकवाद राजनैतिक लक्ष्यों के लिए दीर्घकालिक रूप से किया गया संघर्ष है, जिन्हें अन्य जनों के जीवन और संपत्ति पर प्रहार करके विशेषरूप से दंड संहिता की धारा 129 ए में वर्णित गंभीर अपराधों को करने के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
2- यूनाइटेड किंगडम : कानून के उद्देश्य से आतंकवाद राजनैतिक लाभ के लिए हिंसा का प्रयोग है और इसमें जनता अथवा जनता के किसी वर्ग को भयभीत करने के लिए हिंसा का उपयोग किया जाता है।
3- संयुक्त राज्य अमेरिका **:** उपराष्ट्रीय समूहों अथवा गुप्त कर्मकों द्वारा देखना है लक्ष्यों के विरूद्ध पूर्व मध्यास्थ, राजनैतिक रूप से प्रेरित हिंसा जिसका उद्देश्य सामान्यत: जनता को प्रभावित्त करना होता है।

1.3 आतंकवाद का उद्देश्य/प्रयोजन

जैसा कि वी आई लेनिन ने कहा है सबसे पहले तो आतंकवाद का उद्देश्य आतंकित करना है। आतंकवादी कृत्यों को करने वाले सामान्यत: जनता में उत्तेजना और डर का सामान्य बोध पैदा करना चाहतें हैं इसी कारण जैसा की जैसिका स्टर्न ने कहा है कि आतंकवादियों के हाथ में रासायनिक और जैविक हथियार हमें इतने डरावने लगते है। किसी गुप्त शत्रु संगठन द्वारा हवा में अनहोनी करने अथवा सूक्ष्मजीवों को छोडे जाने की संभावना से अधिक भयावह और कुछ नहीं है। यदि लोग भयभीत हो जाते हैं तो वो जड़ हो जाते हैं जिससें वो उन खतरों पर संगत प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं जो उनके सामने आते हैं। वे जन सुरक्षा के खतरे को दूर करने में अपनी सरकार की अक्षमता के लिए उस पर आरोप लगा सकते हैं। आतंकवादी हमले करने वाले आतंकियों को प्रेरित करने वाला दूसरा उद्देश्य उस कारण पर जनता का ध्यान आकर्षित करना या प्रचार पाना है, जिसका दावा वो करते हैं।

तीसरा उद्देश्य जो अनिवार्य रूप से परस्पर विशिष्ट नहीं है वह अधिकारियों द्वारा प्रतिक्रिया को प्ररित करना है। अधिकारियों द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया से आतंकवादी समूह को प्रचार पाने और नए लोगों की भर्ती में सहायता मिल सकती है।

1.4 आतंकवाद के उद्देश्य

आतंकवाद अपनी बात मनवाने का एक तरीका/हथकंडा है। यह अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। आतंकवाद के विभिन्न लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

1- **क्रांति** : 1989 में सोवियत (रूसी) साम्राज्य के ढहने और उसके बाद सोवियत संघ के 1991 में विघटन के पहले विश्व में ऐसे समूहों की भरमार थी जो आतंकवाद का उपयोग क्रांतिकारी सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन लाने के लिए करना चाहते थे। मार्क्स, ट्रोट्की, माओ उनके आदर्श थे और लेटिन अमेरिका उनका सबसे पंसदीदा स्थान था। अर्जेन्टीना, ब्राजील, उरूग्वे, कोंलंबिया

तथा पेरू के पास काफी संख्या में ''शहरी गुरिल्ला'' समूह थे जो मजदूरों और किसानों के आर्थिक शोषिण का अंत करके विद्यमान राजनैतिक व्यवस्था को एक ऐसी व्यवस्था से विस्थापित करना चाहते थे जो उनके सामाजवादी आदर्शों के अधिक अनुरूप हो। जापान और अत्यधिक औद्योगिककृत पश्चिमी प्रजातंत्रों में भी इस विचारधारा वाले संगठनों की काफी संख्या थी।

2- **राष्ट्रवाद/अलगाववाद** : ऐसे मामलों में आतंकवादी समूहों के उद्देश्य राष्ट्र की स्वतंत्रता, उन क्षेत्रों में से स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण जो पहले किसी अन्य देश/राज्य के नियत्रंण में थे, आदि होते हैं। राष्ट्रवादी/अलगाववादी कारणों का समर्थन करने वाले समूह सामान्यत: अपने सामाजिक क्रांतिकारी साथियों की अपेक्षा अधिक सशक्त होते हैं।

3- **प्रतिक्रिया :** विशेषरूप से शिक्षाविदों, लेखकों, कलाकारों और पत्रकारों की ऐसे व्यक्तियों/समूहों के प्रति प्रतिक्रिया समान ही होती है जो आतंकवादी हिंसा का प्रयोग कुछ मायनों में ''प्रगतिशील'' कारकों के प्रवर्तक के रूप में करते हैं।

4- **धर्म** : सामान्य रूप से धर्म नहीं बल्कि ऐसे समूह जो इस्लाम धर्म के प्रति अपनी निष्ठा का दावा करते हैं वो व्यापक रूप से भंयकर आतंकवादी हमलों से संबन्धित होते हैं जैसे कि अलकायदा संगठन द्वारा 11 सिंतबर 2001 को न्यूयोर्क सिटी में वल्ड ट्रेड सेन्टर टावर्स पर हमला विश्वभर में ओसामा बिन लादेन के प्रसंशकों और समर्थकों द्वारा किए जाने वाले हमलों की गंभीरता और संख्या को देखते हुए मुस्लिम कट्टरपंथियों अथवा इस्लामी समूहों के प्रति पूर्वाग्रह पूरी तरह से समझ में आता है। यद्यपि, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अन्य धार्मिक परंपराओं से जुडे लोग भी हाल के वर्षों में बडी संख्या में आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार रहे हैं।

जापान में एक उदारवादी 'नए धर्म' ऑम शिनरिकियो (परम सत्य) के सदस्यों ने जिसकी अध्यक्षता एक आंशिक रूप से अंधे संत शोको असाहारा ने की थी। उन लोगों ने टोकियो के भीड़भाड़ वाले उपमार्ग पर सेरीन गैस का कनस्तर खोल दिया था जिससे 12 राहगीर मर गए और अनेक अन्य बीमार हो गए थे।

ये लोग ये मानते हैं कि वे ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं और ईश्वर के शत्रुओं के विरोधी हैं उन्हें धर्मनिरपेक्ष सरोकारों से प्रेरित आतंकवादियों की अपेक्षा बड़ी संख्या में लोगो को मारने में कम झिझक होती है।

5- **एकल मुद्दे :** अमेरिका में महिलाओं को लाइसेन्स धारी डाक्टर से गर्भपात कराने के कानूनी अधिकार पर तीखी प्रतिक्रिया हुई :- इसके फलस्वरूप जीने का अधिकार आंदोलन शुरू हुआ जो इस प्रथा को बंद करने के लिए हुआ है। इस आंदोलन के तहत् व्यक्ति अकेले अथवा छोटे समूहों में ऐसे डॉक्टर और नर्सो की हत्या कर देते हैं और उनके क्लीनिक पर बम फेंक देते हैं जिससे गर्भपात करवाने और करने वाले व्यक्ति इतने भयभीत हो जाएं कि वो इस प्रथा को बंद कर दें।

आंतकवादी और आंतकवादी संगठन में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों (दोनों आवश्यक रूप से एक जैसे नहीं होते हैं) का व्यक्तित्व ऐसा होता है जो उन्हें असहाय अथवा असंदिग्ध लोगों को मारने के लिए तैयार कर देता है।

इसी कारण आतंकवादियों को कभी-कभी मानसिक रूप से बीमार माना जाता है जिससे वो उस संगठन के गुणों को अधिक अपना लेते हैं जिससे वो जुडे होते हैं और उनकी अपनी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है।

अक्सर व्यक्ति आतंकवादी समूहों से इसलिए जुड़ते हैं क्योकि ऐसा करने से उन्हे इन गतिविधियों में जुड़ने का अवसर मिलता है। आतंकवादी समूह अकसर व्यक्तियों को कार्य का अवसर प्रदान करने के लिए धन का लालच भी देते हैं। उनको दिया जाने वाला यह एक अतिरिक्त लाभ होता है। सतही तौर पर आतंकवादी समूह में सदस्यता से किसी के ओहदे अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं होती है।

उन लोगों को भौतिक लाभ भी मिल सकते है जो आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होते है। आतंकवादी समूह जितने अधिक समय तक चलते है, उनका महत्व बढ़ने के साथ उनके मौजूदा सदस्यों और नए जुड़े सदस्यों को भौतिक लाभों के मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

आतंकवाद में संलिप्त समूहों से जुड़ने का एक सशक्त कारण अपने पुराने कष्टों और बेइज्जती का बदला लेने का अवसर मिल जाना भी हो सकता है।

1.5 आंतकवाद के संदर्भ में विश्व सुरक्षा व्यवस्थाएं और वैश्वीकरण

राष्ट्रीय सुरक्षा सैन्य खतरों के संदर्भ में व्यक्ति के अपने देश की सीमाओं से परे उत्पन्न हो रही है। पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सैन्य बल की प्राप्ति, परिनियोजन और उपयोग के रूप में माना जाता है।

सुरक्षा की पुनर्सकल्पना में विस्तार अर्थात् गैर सैन्य सुरक्षा खतरों जैसे पर्यावरण की क्षति और निम्नीकरण, रोगों का फैलना, जनसंख्या वृद्धि, शरणार्थी आंदोलन, आतंकवाद और उनकी गहनता, अर्थात व्यक्तियो और समूहों की सुरक्षा पर विचार करना है। बजाय इसके कि राष्ट्र/राज्य के बाहरी खतरें जैसे जातीय संघर्ष, गृहयुद्ध, पर्यावरणीय संकटों और व्यक्तियों की उत्तरजीविता पर विचार किया जाए। शीतयुद्ध के काल में हम पारंपरिक सुरक्षा को देखते हैं यद्यपि जैसा कि एईडिन द्वारा उल्लेख किया गया है 70 और 80 के दशक में आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं और 90 के दशक में पहचान और 'पराराष्ट्रीय अपराधों' के सरोकार तथा 2000 के दशक में ऊर्जा, साइबर तथा सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आतंकवाद के सरोकारों ने सुरक्षा के मायने को व्यापक कर दिया है।

वैश्वीकरण ने सुरक्षा के दायरे को व्यापक कर दिया है। रूपांतरण, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने कुछ खतरों जैसे भूमंडलीय तापन (ग्लोबल वार्मिंग) ओजोन परत के निम्नीकरण, अम्ल वर्षा, जैसा पर्यावरणीय समस्याओं आदि के साथ ही आतंकवाद को भी बढ़ा दिया है। आतंकवाद के खतरे को 11 सितंबर के आतंकवादी हमले में स्पष्ट रूप से देखा गया था। ये दर्शाता है कि जहां वैश्वीकरण के खतरों का दायरा बढ़ रहा है वहॉं लक्ष्य भी राष्ट्र/राज्य की बजाय वैयक्तिक होते जा रहे हैं।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कुछ प्रभाव अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेन्डा पर भी होते हैं यद्यपि ये माना जाता है कि ये निष्कर्ष निकालना कठिन है कि वैश्वीकरण से सुरक्षा के स्तर में कैसे वृद्धि अथवा कमी हो सकती है।

आज न सिर्फ पारंपरिक सुरक्षा में राष्ट्र की क्षमता कम हो रही है बल्कि राष्ट्र के भीतर भी परिवर्तन हो रहे हैं। अत: राष्ट्रों की व्यवस्था में ही नहीं बल्कि मूल प्रकृति में भी परिवर्तन हो रहें हैं। गुहेनों के अनुसार 'खतरों की प्रकृति' भी परिवर्तित हो रही है और 'खतरा सिर्फ प्रतिस्पर्धी समुदाय का ही नहीं, बल्कि समुदाओं के भीतर की टूटन/दुर्बलता का भी है'। इस संदर्भ में सबसे पहले हमें गृह युद्धों पर ध्यान देना होगा क्योंकि गृह/अतरराष्ट्रीय युद्धों के बीच अन्तर कम रह गया है। उदाहरण के लिए गृहयुद्धों जैसे कि यूगोस्लाविया और अफ्रीका के युद्धों से समूचे विश्व को गंभीर खतरा हो गया था।

दूसरा खतरा आतंकवाद के विशेषरूप से डब्लू एम डी आतंकवाद के विकास का है। इस खतरे के लिए पारंपरिक डराने धमकाने द्वारा रोकने की युद्धनीति अपनाना संभव नहीं है क्योंकि इसकी प्रकृति गैर क्षेत्रीय होती है, इसलिए पूर्व-क्रय अथवा प्रतिरोध की नीति को अधिक पसंद किया जाता है।

सबसे पहले तो वैश्वीकरण यह प्रदर्शित करता है कि राष्ट्र-राज्य, गैर-भौतिक सुरक्षा आयामों जैसे कि सूचना और प्रौद्योगिकी की संपदाओं के संरक्षण पर नियंत्रण नही कर सकते हैं। के के अनुसार आप अपनी सूचना और प्रौद्योगिकी का जितना संरक्षण करते हैं आप उतने की अधिक सशक्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए भले ही आपके पास विशाल सैन्य शक्ति हो लेकिन अपनी सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा के बिना ये अर्थहीन है। यद्यपि वैश्वीकरण द्वारा आरोपित एक चुनौती यह है कि व्यक्तिगत राष्ट्र अब प्रौद्योगिकी और सूचना के आंदोलन पर नियंत्रण नहीं कर सकते है। यही नहीं चूंकि शस्त्र उद्योग पर अधिकतर निजी क्षेत्र का कब्जा है, इससे सुरक्षा उत्पादन का पराराष्ट्रीकरण हो जाता है और इन उत्पादनों पर राष्ट्र का नियंत्रण कम हो जाता है।

दूसरे वैश्वीकरण के युग में सूचना आधारित अर्थ व्यवस्थाओं के उदभव से राष्ट्रीय उद्योगों का महत्व कम हो गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि से घरेलू अर्थ व्यवस्था में राष्ट्र का नियंत्रण कम हो जाता है और वो

अंतरराष्ट्रीय संकट और हस्तक्षेप के लिए अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, जो आर्थिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।

तीसरे संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने कुछ सक्रियताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। कोसोवो संघर्ष के काल में दूरदर्शन प्रसारणों पर व्यापक स्तर पर विस्थापन और मृत्यु के समाचारों के प्रसारित होने पर हस्तक्षेप के लिए अंतरराष्ट्रीय जन दबाव को नजरअंदाज करना असंभव हो गया था।

चौथे युद्ध की प्रकृति और नीति बदल गई है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से सुरक्षा खतरों को भांपना, उनकी निगरानी करना अथवा उनका समाधान करना अधिक कठिन हो गया है। खतरे के कारक राष्ट्र के ही नहीं बल्कि वे गैर राष्ट्रीय समूह और व्यक्ति जैसे जातीय सैन्यबल, पंथ संगठित अपराध और आतंकवाद भी हो सकते हैं।

पांचवे वैश्वीकरण ने राष्ट्रों के लिए जन संहार के हथियारों तथा अन्य प्रौद्योगिकियों तक पहुंच आसान कर दी है। अत: राष्ट्र ऐसा खतरा उत्पन्न कर सकते है जो उनके कद के अनुरूप या अनुपात में न हो। असीमित शक्ति छोटे अथवा निर्बल राष्ट्रों को अधिक शक्तिशाली राष्ट्रों को चुनौती देने का विकल्प प्रदान करती है। यही नहीं वैश्वीकरण की तकनीकी सक्रियता/गतिकी जैसे डब्लूएमडी का प्रवर्धन असममित शक्तियों को अधिक खतरनाक बना देता है।

अंत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने आतंकवाद के समर्थन को बढ़ा दिया है। चूंकि वैश्वीकरण ने नकारात्मक परिणाम और कुछ समूहों के सीमान्तीकरण तथा वैश्विक, सामाजिक और आर्थिक असमताएं निर्मित की हैं अत: आतंकवाद को भिन्न देशों के अनेक सीमांत समूहों से अधिक समर्थन मिला है और ये अधिक वैश्विक हो गया है। जैसा कि क्रोनिन ने कहा है कि कुंठित जनता अमेरिका आधारित वैश्वीकरण के विरूद्ध हैं। विशेषरूप से सामाजिक और आर्थिक वर्ग के निचले सिरों पर स्थित लोगों ने ये महसूस किया कि वैश्विक जगत में उनकी समान हिस्सेदारी नहीं हो सकती है। उनकी मांगों को सशक्त देशों द्वारा नहीं माना जाएगा। अत: उन्होंने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। ये प्रतिक्रियाएं गंभीर बन गई क्योंकि इन्होंने वैश्वीकरण के विरूद्ध आतंकवाद को समर्थन देना आरंभ कर दिया। यही नहीं आतंकवादी समूहों को वैश्वीकरण के विरूद्ध लड़ने के साथ ही उसके परिणामों का लाभ भी मिला। संप्रेषण में हुए प्रौद्योगिकीय विकासों का उपयोग करके ये समूह आसानी से संपर्क और संचालन कर सकते हैं।

1.6 आतंकवादियों के कार्य करने के तरीके और कार्यनीतियां

1970 के दशक में विमान अपहरण, अपहरण, बम विस्फोट, बंधक बनाना आदि आतंकवादियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे प्रचलित तरीके थे। 1980 के दशक में इन तरीकों के अतिरिक्त रासायनिक हथियारों का प्रयोग भी आरंभ हो गया। 90 के दशक में इन पारंपरिक तरीकों के अतिरिक्त दो अन्य खतरे भी देखे गये। पहला ये कि आतंकवादियों

ने डब्लू एम डी अर्जित करना शुरू कर दिया और दूसरे इन्टरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ 'सूचना युद्ध' आरंभ हो गया। आतंकवादियों द्वारा डब्लू एम डी के प्रयोग से उनकी संभावित्त हानि/क्षति बढ़ गई। आतंकवादियों ने सूचना क्रांति और प्रौद्योगिकीय परिवर्तन द्वारा विध्वंसक प्रौद्योगिकी तक पहुंच बना ली। अत: नया वैश्विक आतंक संप्रेषण में प्रौद्योगिकी और ज्ञान आधारित प्रोद्यौगिकीय विकासों जैसे दूरदर्शन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट और सेटलाइट/उपग्रह का उपयोग करता है। यहाँ तक की इनमें से कुछ के अपने दूरदर्शन और रेडियो चैनल भी हैं। साथ ही ये समूह अपने धन को आसानी से अतंरराष्ट्रीय बैंको में सुरक्षित रूप से रख सकते हैं और उसे दुनिया भर में स्थानांतरित कर सकते है। अत: जैसे जैसे प्रौद्योगिकी के विकास के साथ इनकी विनाश की क्षमता बढ़ रही है, वैश्विक आतंकवाद अधिक खतरनाक होता जा रहा है। यद्यपि 1990 के दशक के अंतिम वर्षो से हमलो की संख्या में कमी आई है।

आतंकवादी समूहों की कार्यनीतियों को देखें तो आतंकवादी समूह की राजनीतिक और आतंकवादी शाखाएं दोनो होती हैं। इससे उनके पास कुछ भी गलत हो जाने पर राजनीतिक नेतृत्व के आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त जनो से अलग हो जाने का विकल्प बना रहता है। उनके प्रचालनों ने उनके लक्ष्यों को भी बदल दिया है। उनके लक्षियत समूह देश के राजनीतिक और आर्थिक संभ्रान्त जनों से विस्तारित होकर वित्तीय केन्द्र, मीडिया, ऊर्जा क्षेत्र की आधार भूत संरचनाएं आदि हो गई हैं। किसी विशिष्ट लक्ष्य पर हमला करने की बजाय वैश्विक आंतकवादियों ने नागरिको का अंधाधुध कत्लेआम शुरू कर दिया है। आज आंतकवादियों का पता लगाना कठिन है। यही नही आतंकवादी प्रचार और हिंसा में अधिक दिलचस्पी रखते हैं।

1.7 अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा कार्यनीतियां

जनसंहार के अस्त्रों के विरूद्ध राष्ट्रीय कार्यनीति (दिसंबर 2002) एन एस एस के गठन के कुछ समय बाद ही जारी की गई थी। इसके तीन आधार स्तम्भ हैं। पहला जनसंहार में प्रयोग किए जाने वाले अस्त्रों के विरूद्ध प्रति प्रवर्धन है जो तीन तरीके से कार्य करने की मांग करता है : निषेधादेश, डराना, धमकाना और सुरक्षा। लेकिन इसमें पूर्वक्रम उपायों के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के विरूद्ध डब्लू एम डी के उपयोग की प्रतिक्रिया के अधिकार सुरक्षित हैं। दूसरा 'डब्लू एम डी के प्रवर्धन के विरूद्ध अप्रसार को सशक्त करना है' जिसमें कूटनीति व बहुपाश्विक क्षेत्रों के तत्व, भय कम करने के कार्यक्रम तथा निर्यात और नाभिकीय सामग्रियों पर नियंत्रण के घटक सम्मिलित हैं । तीसरा डब्लू एम डी के उपयोग का प्रतिक्रियास्वरूप परिणाम प्रबंधन है।

यूरोपीय संघ ने आतंकवाद को दूर करने के लिए सात उद्देश्य निर्धारित किए हैं। ये उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :

1- आतंकवाद से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहमति को बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ाना।

2- वित्तीय और आर्थिक संसाधनों तक आंतकवादियों की पहुंच को कम करना।

3- आतंकवादियों की पहचान करने, उनसे पूछताछ करने और सजा देने और आतंकवादी हमलो को रोकने के लिए यूरोपीय संघ की संस्थाओं और सदस्य देशों के दायरे में क्षमता को बढ़ाना।

4- अन्तरराष्ट्रीय परिवहन की सुरक्षा का संरक्षण और सीमा नियंत्रण के प्रभावी तंत्रों को सुनिश्चित करना।

5- आतंकवादी हमलों के परिणामों से निबटने के लिए यूरोपीय संघ और सदस्य देशों की सदस्यता को बढ़ाना।

6- उन कारकों को संबोधित करना जो आतंकवाद को समर्थन देने और ऐसे संगठनों में नियुक्ति में योगदान देते हैं।

7- यूरोपीय संघ के बाहरी मामलों के तहत कार्यों को प्राथमिकता से लक्ष्यित करना। तीसरी दुनिया के देश जहां प्रति-आतंकवादी क्षमता अथवा आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्धता को बढ़ाने की आवश्यकता हो।

आतंकवाद से निपटने के लिए अभिसूचना (इन्टेलीजेन्स), पुलिस और न्यायपालिका, सैन्यबल तथा अन्य साधनों पर आधारित व्यापक अधिगम अर्जित करने की आवश्यकता हो सकती है। यूरोप को निरोधक युद्धों के लिए तैयार रहना चाहिए। निरोधक संलिप्तता से भविष्य में अधिक गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। अब हम वैश्विक आतंकवाद पर प्रतिक्रिया के रूप में हाल में ही लिए गए उपायों की तुलना करके अपनी बात खत्म करते हैं। राष्ट्रों ने आतंकवादियों और उनके समर्थकों के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। आतंकवाद से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया है।

आतंकवाद से लड़ने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। यद्यपि जैसा कि कुछ विश्लेषकों ने बताया है कि अमेरिका की एकपाश्विक प्रवृत्ति वाली नीतियों के कारण आंतक के विरूद्ध युद्ध के लिए समर्थन घट रहा है। यही नहीं देश में सुरक्षा बलों का महत्व बढ़ा हैं साथ ही आतंकवाद का खतरा भी बढा है। देश की सुरक्षा के लिए असममित चुनौतियों (मुख्य रूप से अतंरराष्ट्रीय आतंकवाद) के विरूद्ध सुरक्षा के लिए राष्ट्र-राज्य महत्वपूर्ण है। राष्ट्र विदेशों में आतंकवाद से लड़ने को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अपने देश में उसका सामना नहीं करते हैं। वे सीमाओं के नियंत्रण और परिवहन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अत: व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कीमत पर सुरक्षा दी जा रही है।

आतंकवाद के नए गुणों और वैश्वीकरण से इसके संबन्ध के कारण आतंकवादियों की धमकियों के लिए पराराष्ट्रीय सहयोग की जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता है। जैसे कि चा और बेक ने बताया है सहयोग न सिर्फ पारंपरिक सहयोगियों के बीच

बल्कि अनेक देशों जैसे कि रूस, नाटो और यूरोपीय संघ के मध्य भी आवश्यक है। आज आतंकवादी अपने कार्यों के लिए वैश्वीकरण के सकारात्मक पहलुओं का भी उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए वे मीडिया के द्वारा आसानी से विश्वभर में डर फैला सकते हैं। वे रूपांतरण, संप्रेषण, सूचना, प्रोद्यौगिकी और वित्तीय सहायता के वैश्वीकरण का उपयोग कर सकते हैं। वैश्विक आतंक तथा अन्य जोखिमों के लिए पराराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्र प्रभुतासंपन्न साधनों से इन खतरों से नहीं निबट सकता है। नए खतरों से पुराने तरीकों से नहीं निबटा जा सकता है।

पारंपरिक सुरक्षा अप्रासंगिक नहीं है लेकिन इसका विस्तार होना चाहिए। हमे नए अभिगमों पर विचार करना चाहिए जो नव यथार्थवाद के तर्क से परे हों । नए सुरक्षा खतरों से अकेले राजनीतिक समुदाय द्वारा नहीं निबटा जा सकता है और इन्हें अन्य का कृत्य भी नहीं माना जा सकता है। नई सुरक्षा राजनीति में ये माना जाना चाहिए कि वैश्वीकरण के युग में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय के बीच पृथककरण का कोई अर्थ नहीं है।

1.8 सारांश

इस पूरी इकाई में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इक्कीसवीं शताब्दी में आतंकवाद और अन्य जोखिमों के लिए वैश्विक सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।

1.9 अभ्यास प्रश्न

1. विश्व के विभिन्न भागों के संदर्भ में आप आतंकवाद को कैसे परिभाषित करेंगें?
2. लोग आतंकवादी क्यों बनते हैं?
3. कौन सी स्थितियां हैं जो आतंकवाद को अधिकार प्रदान करती हैं?
4. आतंकवाद के संदर्भ में विश्व सुरक्षा व्यवस्थाओं और वैश्वीकरण के परिदृश्य को समझाइए।
5. आतंकवादियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीके और कार्यनीतियां क्या हैं?
6. विभिन्न एजेन्सियां अंतरराष्ट्रीय आंतकवाद से किस प्रकार निबटती हैं, उनकी सुरक्षा कार्यनीतियां क्या हैं?

1.10 संदर्भ ग्रंथ

1. वाल्टर लैकर 'नो एन्ड टु वार, टेररिस्म इन द ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी' (न्यूयॉर्क एन्ड लंदन) (2003)।

2. जैसिका स्टर्न 'द अल्टीमेंट टेररिस्टस' कैम्ब्रिज एम.ए. एण्ड लंदन, हार्वड यूनिवर्सिटी प्रैस (1999)।

3. वॉल्टर रेश 'ओरिजिन्स ऑफ टेररिस्म कैम्ब्रिज एन्ड न्यूयोर्क, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रैस (1990)।

4. 'इंटरनेशनल टैररिस्म' द फलैश अहैड।

5. द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ द युनाइटेड स्टेट्स 'इशूड बाई द बुश एडमिनिसट्रेशन, सितंबर 2002 । web page http://www.whitehouse.govt/nsc/nss.html से

6. द यूरोपियन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 'इश्यूड बाई यूरोपियन सिक्योरिटी काउन्सिल ब्रुसेल्स (2003) www.http://www.ue.eu.int/vedocs/cms से

7. वर्मा. एन. एम (2001) 'डाइनेमिक्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इसेन्शियल डायमेन्शन्स एन्ड पर्सपेक्टिव्स जेयको पब्लिशिंग हाउस, मुंबई।

8. माथुर के. एम. (1989) इन्टरनल सिक्योरिटी चैलेन्जेस एन्ड पुलिस इन अ डवलपिंग सोसायटी' अनुज प्रिन्टर्स, जयपुर।

9. वीनबर्ग लियोनार्ड (2006) 'ग्लोबल टैररिस्म ए बिगनर्स गाइड' ऑक्सफोर्ड इंगलैन्ड।

10. मैनन सुधा (2007) ह्यूमन सिक्योरिटी ग्लोबल पर्सपैक्टिव्स द इक्फाई युनिवर्सिटी प्रैस, त्रिपुरा।

इकाई- 2

भारत में आन्तरिक सुरक्षा का परिदृश्य

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 आन्तरिक सुरक्षा के सिद्धान्त

2.3 भारत जैसे विकासशील देशों में आन्तरिक सुरक्षा

2.4 आन्तरिक सुरक्षा समस्याओं के कारण

2.5 आन्तरिक सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण

2.5.1 आन्तरिक सुरक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य

2.5.2 आन्तरिक सुरक्षा के सही परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता

2.6 अभ्यास प्रश्न

2.7 सारांश

2.8 संदर्भ ग्रंथ

2.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद:

- विद्यार्थी आन्तरिक सुरक्षा के सिद्धान्तों को समझा सकेंगे।
- विद्यार्थी भारत में आनतरिक सुरक्षा की चर्चा कर सकेंगे।
- विद्यार्थी आन्तरिक सुरक्षा में आने वाली समस्याओं पर चर्चा कर सकेंगे।
- विद्यार्थी आन्तरिक सुरक्षा के सही परिप्रेक्ष्य को और प्रशिक्षण की आवश्यकता को समझ सकेंगे।

2.1 प्रस्तावना

आन्तरिक सुरक्षा का अर्थ कानून और व्यवस्था का होना और सरकार द्वारा विधिक तरीके से शांति को बनाए रखना है। आन्तरिक सुरक्षा उत्तरजीविता के खतरों से मुक्ति, राष्ट्र-राज्य तंत्र का परिरक्षण और संरक्षण तथा नागरिकों के बीच सरकार की साख को दर्शाती है। आन्तरिक सुरक्षा आन्तरिक हिंसा, जन असंतोष तथा आन्तरिक अव्यवस्थाओं से सुरक्षा और संरक्षण की स्थिति को बताती है। इसमें सभी संभव आन्तरिक खतरों जैसे राजनीतिक

आंदोलनों, हड़तालों, दंगों, तोड़फोड़, गुप्तचरी, सशस्त्र विद्रोहों तथा अलगाववादी आंदोलनों के विरूद्ध कदम उठाना सम्मिलित है। आन्तरिक सुरक्षा को व्यापक रूप से निम्न में श्रेणीकृत किया जा सकते है -

(1) आन्तरिक खतरों से जनता की सुरक्षा;

(2) क्षेत्र/राष्ट्र की आन्तरिक खतरेां से सुरक्षा;

(3) सरकार की सुरक्षा जिसमें देश की एकता और अखंडता सम्मिलत है, तथा

(4) संप्रभुता की सुरक्षा और सभी प्रकार के आंतरिक खतरों से एक संप्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य का संरक्षण।

ये नोट किया जा सकता है कि भारत में पुलिस एवं अर्ध सैनिक बल केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को प्राथमिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं जबकि निजी क्षेत्र की भूमिका इसमें बहुत कम है। इसके लिए विशाल वित्तीय और बुनियादी ढॉचागत् आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोरपोरेट के लिए आंतरिक सुरक्षा में भूमिका निभाने के लिए अपार संभावनाएं हैं। वे देश विशिष्ट की चुनौतियों के लिए विशेष प्रोद्यौगिकी विकसित कर सकते हैं। परिष्कृत उपकरणों की आपूर्ति कर सकते हैं और विभिन्न सुरक्षा समाधानों के समय से क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर सकते हैं।

2.2 आन्तरिक सुरक्षा के सिद्धान्त

आन्तरिक सुरक्षा निम्न सिद्धान्तों पर आधारित है :

1- आन्तरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा निकट रूप से सम्बन्धित हैं और परस्पर निर्भर होती है

2- दोनों के लिए निंरतर निगरानी की जरूरत होती है क्योंकि आन्तरिक सुरक्षा को खतरा हो जाता है यदि बाहरी सुरक्षा नहीं होती है अथवा आन्तरिक सुरक्षा के नहीं होने पर बाहरी सुरक्षा को खतरा हो जाता है।

3- आन्तरिक सुरक्षा का रखरखाव एक विशिष्ट कार्य है जिसके लिए प्रत्येक कार्य विशेष के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।

4- आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निबटने के लिए सिविल पुलिस और नियमित सशस्त्र बलों के बीच एक तीसरे बल की आवश्यकता होती है।

5- अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा के आन्तरिक सुरक्षा पर गहरे जटिल निहितार्थ होते है।

6- आन्तरिक सुरक्षा सिर्फ अकेले सरकार का ही काम नहीं है बल्कि इसके लिए समाज के सभी वर्गों के सहयोग की आवश्यकता होती है।

7- समाज विरोधी तत्व तथा गुंडा प्रकृति के व्यक्ति न सिर्फ कानून और व्यवस्था के लिए बल्कि देश की आन्तकरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा होते है।

8- आन्तरिक सुरक्षा के लिए 'सरकार की साख' और स्थानीय प्रशासन में लोगो का भरोसा होना चाहिए।

9- आन्तरिक सुरक्षा राज्य और केन्द्र की संयुक्त जिम्मेदारी होती है।

10- देश की सुरक्षा अविभाज्य होती है और आप कुछ स्थानों पर सुरक्षा और अन्यत्र अराजकता नहीं रहने दे सकते हैं।

11- आन्तरिक सुरक्षा प्रबंधन एक राष्ट्रीय कार्य है, ये सिर्फ पुलिस का दायित्व नहीं है।

12- खुफिया/अभिसूचना विभाग आन्तरिक सुरक्षा का आधार है।

13- आन्तरिक सुरक्षा के दायित्व जटिल होते हैं और इनके उचित निर्वहन के लिए व्यावसायिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। गुप्तचरी और प्रति गुप्तचरी, ओद्यौगिक सुरक्षा, बंदरगाह सुरक्षा, विशिष्ट जन सुरक्षा, आतंकवादियों के विरूद्ध आपरेशन आदि सभी सुरक्षा कार्य के विशिष्ट पहलू हैं जिनके लिए विशिष्ट प्रशिक्षण और लगन की आवश्यकता होती है।

14- आंतरिक सुरक्षा की संकल्पना के लिए अनुभूति की स्पष्टता और कानून और व्यवस्था की समस्या से और जनता की व्यवस्था से इसका स्पष्टत विभेदन होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी आन्तरिक सुरक्षा को (1) मानव जीवन (2) सरकारी और निजी सम्पत्ति (3) शांति और सौहार्द (4) सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तंत्र की देखभाल तथा (5) एक संप्रभु इकाई के रूप से राष्ट्र और उसके क्षेत्र के संरक्षण के लिए खतरे के रूप में देखते हैं।

2.3 भारत जैसे विकासशील देश में आन्तरिक सुरक्षा

व्यापक हिंसा के माहौल से हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अनियोजित शहरों में जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा तंत्र में मात्रात्मक विस्तार, जनता में अपनी जड़ों के खो देने का तीक्ष्ण बोध, बढ़ती महगाई, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का क्षरण, धार्मिक कट्टरवाद आदि के कारण भारतीय समाज में कुंठा, क्रोध और हिंसा बढ़ी हैं। सोच समझकर संगठित और क्रूरता से की गई हिंसा वर्तमान भारतीय परिदृश्य का सबसे अधिक परेशानी पैदा करने वाला गुण है। भले ही विभिन्न परि स्थितियोंमें हिंसा की उत्पत्ति भिन्न कारणों से हो लेकिन अब इसके कुछ व्यापक कारक प्रतिरूप/पैटर्न देखे जा सकते हैं। ये धार्मिक कट्टरवाद और सम्प्रदायवाद है।

भारत जैसे विकासशील देशों में आन्तरिक सुरक्षा काफी चुनौतीपूर्ण है। कुछ विचारकों को प्रत्येक हिंसा और आंतरिक सुरक्षा की समस्या के पीछे किसी अदृश्य हाथ का होना दिखता है। वे अन्तरराष्ट्रीय बलों, विदेशी एजेन्सियों, साम्राज्यवादियों, साम्यवादियों तथा अन्य ऐसी अन्तरराष्ट्रीय ताकतों को सभी दंगों और आन्तरिक गड़बडियों के लिए जिम्मेदार मानते हैं। राजनैतिक विचारक राजनीतिक दलों, राजनीतिक तंत्र और राजनीतिक व्यक्तियों पर आरोप लगाते हैं कि वो सभी प्रकार की आन्तरिक सुरक्षा समस्याओं के लिए उत्तरदायी हैं।

मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और अपराधविज्ञानी सभी समस्या को अपने भेदभाव भरे नजरिए से देखते हैं। आर्थिक और सामाजिक स्थिति, अफवाहें, जातिगत्, मनमुटाव, राजनैतिक विचार, मत और संवेदनाएं, समाजिक उप संस्कृति तथा प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता का स्तर आदि कुछ सेसी परिघटनाएं हैं जो दंगों के वायरस के लक्षणों को इंगित करते हैं। डा0 एच. साथरलैन्ड का विभेदी सहयोग सिद्धान्त (Differential Association Theory) एमिल दुखेन का सामाजिक तंत्र सिद्धान्त, कैसेर लोम्ब्रोसो और जोसेफ गॉल का जैतिक सिद्धान्त, मार्विन वोलगैंग और कोहर का उपसंस्कृति सिद्धान्त सिर्फ आंशिक रूप से ये समझाते हैं कि हिंसा तथा आन्तरिक अव्यवस्था क्यों होते हैं।

विकासशील देशों में आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियां होती ही हैं क्योंकि वे विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन की गतिक समस्याओं को झेल रहे हैं। विकसित देश और विकासशील देश एक दूसरे के साथ टकराव की स्थिति में आ ही जाते है लेकिन विरोध की अपेक्षा राष्ट्रीय सहयोग की राजनीति से ही इस समस्या का समाधान संभव है। लम्बे समय तक सहयोगी माहौल बनाए रखने के लिए सक्रिय नेतृत्व और राजनीतिक समझ की समस्याएं और चुनौतियां विकासशील समाज में स्वाभाविक हैं। नए आन्तरिक सुरक्षा विभाग का गठन सही दिशा में लिया गया ठोस कदम है। राज्य सरकारों को भी इनका अनुसरण करते हुए अपने राज्यों में इनका गठन करना चाहिए। इसमें ऐसा समूह होना चाहिए जो अपना पूरा समय आंकडे एकत्रित करने और ऐसे उपायों की योजना बनाने में लगा सके जो पुलिस को पुनर्जीवन दे सके। एक राष्ट्रीय उद्देश्य प्रत्येक पुलिए कर्मी को बेहतर बनाना होना चाहिए ना कि उनकी संख्या बढ़ाना और इसका अर्थ है बेहतर प्रशिक्षण, बेहतर जीने की सुविधाएं, बेहतर परिवहन, बेहतर शक्ति और हर तरीके से बेहतर छवि। अब तक हो चुकी क्षति की पूर्ति के लिए पुलिस को बहुत महत्वपूर्ण आन्तरिक सुरक्षा का काम करना है। के.एफ. रूस्तम जी का कहना है कि ‘आन्तरिक सुरक्षा मंत्री का पहला काम पिछले कुछ दशकों में पुलिस की छवि में हुई क्षति की पूर्ति करना होना चाहिए। लेकिन तथ्य ये है कि हम अभी तक ये भी तय नहीं कर सके हैं कि इन वर्षों में क्या गलत हुआ है। हम मेलमिलाप की बजाय भ्रमित होकर लगभग विघटन के कगार पर पहुंच गए हैं। आन्तरिक सुरक्षा मूलरूप से राज्य और केन्द्र सरकार का संयुक्त दायित्व है। राज्य की पुलिस राज्य की आन्तरिक सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है और उसे आन्तरिक सुरक्षा प्रचालनों के लिए ढ़ांचागत आधार प्रदान करना चाहिए। संविधान के अंतर्गत कानून व्यवस्था राज्य का दायित्व है। राज्य का गृहमंत्री राज्य में कैबिनेट की मंजूरी के बाद नीति बनाने के लिए निर्णायक अधिकारी होता है। गृहमंत्री के सहायक गृह सचिव और डायरेक्टर जनरल (डी.जी.)/इंस्पैक्टर जनरल पुलिस (आई. जी. पी.) कानून व्यवस्था होते हैं। जिला स्तर पर डी. एम. (जिलाधिकारी) कानून व्यवस्था के लिए और एस.पी. (पुलिस आयुक्त) कानून व्यवस्था के रखरखाव के प्रचालन कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। राज्यों में डायरेक्टर जनरल के अनेक पदो के होने अथवा आई.जी. पुलिस के पद बढ़ाने से राज्य पुलिस संगठन की गरिमा कम होती है। शीर्ष स्तर पर संगठन में

अधिक लोगों के होने से पुलिस का स्तर कम होता है क्यों कि एकीकृत पुलिस बल के लिए भिन्न स्तरों पर नहीं बल्कि एकीकृत नियंत्रण और निर्देशन की आवश्यकता होती है। आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियां आने वाले दशकों में और अधिक जटिल हो जाएंगी। जब भी आप आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियों पर विचार करते हैं तो आप यही सोचते हैं कि सिर्फ पुलिस बल ही पर इसका दायित्व है जबकि कुछ अन्य एजेन्सियां और संस्थाएं जैसे न्यायालय, कारागार, जिला नगर अधिकारी, मजिस्ट्रेट, संचार माध्यम और जनमत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यद्यपि सेना को आन्तरिक सुरक्षा की समस्या से निबटने के लिए सबसे अंतिम विकल्प रखा जाता है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को प्राथमिक रूप से आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निबटने के लिए प्रशिक्षित और तैयार किया जाता है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने सांप्रदायिक हिंसा, अतिवाद, नक्सली आंदोलन, विद्रोह, आंतकवाद और अन्य गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्याओं से निबटने के लिए पर्याप्त अनुभव और व्यावसायिक विशेषज्ञता विकसित कर ली है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस (सी.आर.पी.) की 1947 में एक बटालियन से क्रमिक विस्तार होते होते औसतन 1000 से अधिक बटालियन हो गई हैं, इसके बावजूद भी सभी राज्यों में अधिक सी आर पी की मांग बनी रहती है और राज्यों में से सी आर पी की बटालियनों को नियुक्त करवाना कठिन हो जाता है भले ही वे लोग सफलतापूर्वक अपना निर्धारित कार्य पूरा कर चुके हों। राज्य उपचुनाव करवाने के लिए भी सी आर पी एफ की सहायता लेते हैं। इसके फलस्वरूप केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बलों का निरंतर विस्तार हो रहा है। कहीं पर भी अचानक आवश्यकता पड़ने पर बहुत कम बटालियन ही सहायता के लिए उपलब्ध हो पाती हैं।

आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियों को लम्बी अवधि के लिए स्थायी आधार पर सुलझाने की आवश्यकता है और 'प्रमुख प्रशासनिक सुधारों के लिए ये सही समय है'। बाहय सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा और आर्थिक विकास की एक पैकेज डील के रूप में योजना बनाने का ये अनुकूल समय है। योजना आयोग, विश्वविद्यालय, राजनीतिक नेता, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और जनमत नेता सभी को इस पैकेज डील को बनाने में भागीदारी करनी चाहिए।

आन्तरिक सुरक्षा का कार्य अक्सर बहुत चुनौतीपूर्ण, जटिल और कठिन होता है, क्योंकि आन्तरिक सुरक्षा को देश के कानून के अनुरूप बनाया जाता है। आन्तरिक सुरक्षा और शांति अविभाज्य है क्योंकि आप किसी एक स्थान पर अराजकता और अन्य पर पूर्णत: व्यवस्था और स्थायित्व नहीं कर सकते हैं। आन्तरिक सुरक्षा को प्रभावी तरीके से बनाए रखने के लिए समाज का स्वैच्छिक सहयोग अत्यधिक आवश्यक है। कानून और व्यवस्था स्थितियों से प्रभावी रूप से निबटने के लिए ये आवश्यक है कि पुलिस की छवि अच्छी हो और उसकी प्रतिष्ठा एक भेदभाव रहित कानून लागू करने वाली मशीनरी के रूप में हो। आन्तरिक सुरक्षा एजेन्सियों तथा जनता के बीच अत्यधिक संवादहीनता की स्थिति पाई जाती है। आन्तरिक सुरक्षा के रखरखाव में प्रचार और जनता के सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है। आज प्रैस, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्मों के व्यापक उपयोग द्वारा आन्तरिक सुरक्षा पर राष्ट्रव्यापी जन

शिक्षा अभियान चलाने के लिए यह उपयुक्त समय है। आन्तरिक सुरक्षा को देशभर के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की पाठ्यचर्या में अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

भारत में आज जन व्यवस्था को बनाए रखना और आन्तरिक सुरक्षा का परिरक्षण सबसे विशिष्ट समस्याओं में से है। ऐसा एक तो अनेक प्रकार की चुनौतियों के कारण और दूसरे उनके पुनरावर्ती रूप से बार बार सर उठाने के कारण है। भारतीय समाज इस समय परिर्वतन के दौर में है और भारतीय सामज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का फलक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के कुछ पहलुओं में आमूल पुनर्विन्सास की मांग करता है। आर्थिक और समाजिक विसंगतियां और असमानताएं, बढ़ती मंहगाई, समाज के कमजोर वर्गों का संरक्षण, शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती संख्या, व्यक्तिगत और समाजिक मूल्यों का क्षरण और दूषित होना, कार्य औार व्यवहार के बीच अन्तर से साख में कमी आदि सभी मुद्दे भारतीय समाज में सब तरफ कुंठा और सामूहिक हिंसा को जन्म दे रहे हैं।

2.4 आन्तरिक सुरक्षा समस्याओं के कारण

आन्तरिक सुरक्षा संबन्धी समस्याओं के निम्न कारण हैं :

1- सांप्रदायिक उपद्रव : भारत में सांप्रदायिक उपद्रव आन्तरिक सुरक्षा का प्रमुख कारण प्रतीत होते हैं। समान्यत: सांप्रदायिकता की घटनाएं तभी उत्पन्न होती है जब धर्म का उपयोग राजनीतिक आवश्यकता के लिए किया जाता है। पिछडी और अशिक्षित जनता सांप्रदायिक तनाव और उपद्रवों में संलिप्त होती अथवा उन्हें जन्म देती है।

2- आतंकवाद की समस्या : आंतकवाद की समस्या आन्तरिक सुरक्षा के लिए एक अन्य बडा खतरा है । आतंकवाद की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे यहां आतंकवादियों की योजनाओं के बारे में जानने के लिए यथार्थ और सही अभिसूचना की कमी है। उचित रूप से प्रशिक्षित और अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त पुलिस बल नही है और आतंकवादी के डर से जन सहयोग और जनता का सक्रिय समर्थन भी नहीं मिल पाता है।

3- समाज के निर्बल वर्गों का संरक्षण : समाज के निर्बल वर्गों को किसी भी अधिकारिक दस्तावेज में स्पष्ट रूप से चिह्ननित नहीं किया गया है। जब भी समाज के किसी निर्बल वर्ग के साथ दुर्व्यवहार गाली गलौज, हमला, महिलाओं का यौन उत्पीड़न, हरिजन बस्तियों को जलाने, सामाजिक भेदभाव, हत्या आदि जैसे सामाजिक अन्याय किए जाते हैं तो इससे आन्तरिक सुरक्षा की समस्याएं पैदा होती है।

4- युवा असन्तोष तथा कैम्पस असंतोष : आन्तरिक सुरक्षा के संदर्भ में विद्यार्थी अनुशासनहीनता की समस्याएं काफी समय से विचारकों को परेशान करती रही हैं।

युवा असंतोष मौजूदा व्यवस्था और अन्याय के विरूद्ध युवाओं की क्षोभ, क्रोध और कुंठा आदि आंतरिक असुरक्षा को जन्म देते हैं।

5- भूमि संबन्धी तनाव : भूमि संबन्धी/कृषक वर्ग के तनाव वे हैं जो भूमि के वित्तरण और उससे होने वाले लाभों में असमानता और अन्याय के कारण और निर्धन और भूमिहीन वर्गों के मध्य राजनीतिक जागरूकता के प्रसार के कारण होने वाली उम्मीदों के पूरा नहीं होने के कारण होते हैं।

6- जनजातीय अंसतोंष तथा उत्तर पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह : नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम पिछले पांच दशकों से वहां पर विद्यमान विद्रोह की स्थितियों के कारण अत्यधिक सरोकार के मुद्दे रहे हैं। जनजातीय संस्कृति और पंरपराओं के आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण की राष्ट्रीय चाह के बीच विरोध तथा आधुनिकीकरण और सामाजिक विकास की बढ़ती लहर से उनकी पहचान का संकट असंतोष और विद्रोह के प्रमुख मुद्दे है।

7- श्रमिक अंसतोष तथा ओद्योगिक विरोध : भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण के होने से ओद्यौगिक विवाद और श्रमिक असंतोष की घटनाएं व्यापक स्तर पर होने लगी हैं।

8- जन हिंसा और आंतरिक सुरक्षा : डी. एच. बेबाई ने अपने वैचारिक प्रतिपादन/व्याख्या में जन हिंसा की तीन व्यापक श्रेणियों को विभेदित किया था जो निम्न हैं : प्रतिवाद/विरोध स्वरूप हिंसा, टकराव स्वरूप हिंसा तथा कुंठा/अवसाद के कारण हिंसा उपयुक्त श्रेणियों की जन हिंसा भारत में काफी प्रचलित है और अक्सर देश के सभी भागों में व्यापक रूप से व्याप्त है।

2.5 आन्तरिक सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण

वैज्ञानिक तरीके से आन्तरिक सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण के लिए तंत्रबद्ध अभिगम की आवश्यकता है। इसमें वांछित कौशल और तकनीकें प्रदान करने, ज्ञान को बढ़ाने और प्रशिक्षुओं में वांछित सोच संबन्धी परिर्वतन लाने की आवश्यकता है। आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण में निम्न बातों को सपष्ट किया जाना चाहिए :

1- प्रत्येक श्रेणी के प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना - नीति निर्माता वरिष्ठ प्रशासन, मध्य क्रम के मुखिया तथा क्षेत्र स्तर के अफसर और व्यक्ति।

2- प्रत्येक श्रेणी के प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण के उद्देश्यों की रचना करना।

3- प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना।

4- अनुकूल परिवेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और निष्पादन तथा नवीनतम प्रशिक्षण तकनीकों और सहायता सामग्रियों/उपकरणों का उपयोग।

5- प्रशिक्षण के सभी पहलुओं का वैज्ञानिक मूल्यांकन और प्रशिक्षुओं/प्रशिक्षकों से उसके बारे में जानकारी लेना।

2.5.1 **आन्तरिक सुरक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य**

आन्तरिक सुरक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्यों को व्यापक रूप से निम्न प्रकार से बताया जा सकता है।

1- आन्तरिक सुरक्षा कर्मचारियों को आन्तरिक सुरक्षा कर्तव्यों की अपनी निर्धारित भूमिका के प्रभावी निर्वहन के लिए सज्जित करना।

2- जनता के प्रति सही सोच और व्यवहार को विकसित करना तथा सबसे प्रतिकूल या विरोधी स्थितियों में भी मानवीय व्यवहार को बनाए रखना।

3- आन्तरिक सुरक्षा की समस्याओं की प्रकृति की पहचान और उनका विश्लेषण। जन विरोध के पैटर्न/तरीकों को जानना और उनका प्रबंधन। विभिन्न आन्तरिक सुरक्षा के प्रचालनों में विभिन्न जोखिमों का सामना करने के बावजूद भी भागीदारी करने की क्षमता।

4- अनुरूप प्रबंधन तकनीकों और सिद्धान्तों के प्रयोग द्वारा नागरिक असंतोष, प्रबंधन प्रचालनों की योजना बनाना और उनका संचालन करना।

5- शांति और युद्ध दोनों ही कालों में आन्तरिक सुरक्षा प्रचालनों, नागरिक सुरक्षा प्रचालनों तथा संकट प्रंबधन प्रचालनों की पूर्ति के लिए आधुनिक प्रंबधन तकनीकों और नियंत्रण की युक्ति के प्रभावी अनुप्रयोग के लिए क्षमता विकसित करना।

6- ये जानकारी प्रदान करना कि किस प्रकार अन्य प्रजातांत्रिक देश नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों संबन्धी विवादों का समाधान और शांति, कानून व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने का काम करते हैं। जन कानून को लागू करने में क्या तरीके अपनाए जाते हैं। अंसतोष के शमन के लिए वास्तव में कौन से साधन अपनाए जाते हैं और ऐसे मामलों में जन अधिकारियों का क्या सामान्य नजरिया होता है।

उपयुक्त उद्देश्य सिर्फ तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब आन्तरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण अत्यधिक लगनशील, प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के द्वारा प्रदान किया जाए। आन्तरिक सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण पाठय सामग्री पहले ही बना लेनी चाहिए, जिससे प्रशिक्षण के लिए आवश्यक आधार प्रदान किया जा सके। अचित प्रशिक्षण परिवेश, सही प्रशिक्षक प्रशिक्षु अनुपात और वांछित प्रशिक्षण सहायक सामग्री और तकनीकों की उपलब्धता भी प्रभावी प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य है। अनुभवी क्षेत्र अधिकारियों से प्रशिक्षुओं की परस्पर बातचीत प्रशिक्षण को वास्तविक रूप देने में काफी सहायक हो सकती है।

2.5.2 आंतरिक सुरक्षा के लिए सही परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता

भारतीय समाज में काफी तेज गति से आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है। पुराने नैतिक मूल्य बदल रहे हैं। नई इच्छाएं और नई आवश्यकताएं सामने आ रही हैं। भारत सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का साक्षी बन रहा है। पुराने राष्ट्रीय नेतृत्व और पुराने दमनकारी सामाजिक संबन्ध धीरे धीरे परिवर्तित हो रहे हैं। पुराने मूल्यों जैसे जातिवाद, सम्प्रदायवाद, भाषावाद तथा क्षेत्रवाद से आधुनिक धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र और समाजवाद में रूपांतरण की प्रक्रिया में अनेक तनाव रहे हैं।

सामाजिक राजनीतिक तंत्र की शक्ति आन्तरिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कारक है लेकिन तंत्र को परिवर्तन स्वीकार करने के लिए लचीला और नम्य होना चाहिए। आन्तरिक सुरक्षा का मूल आधार अच्छे और प्रभावी पुलिस तंत्र का होना है। इसलिए पहला काम उस समस्त क्षति की पूर्ति करना है जो पुलिसबल की हुई है। ऐसा उसे आधुनिक शस्त्रों तथा अन्य सामग्रीयों से सुसज्जित करके तथा पुलिस बल का आधुनिकीकरण करके उसके बुनियादी ढांचे का पुर्ननिर्माण करके और सभी स्तरों पर उसके नेतृत्व को सशक्त करके किया जाना चाहिए। 'पुलिस तंत्र के प्रति गलत धारणाओं को बदलने की जरूरत है। एक देश के रूप में हमने खराब पुलिस व्यवस्था के कारण काफी क्षति उठाई है और इसे सुधारना हमारी सार्मथ्य के दायरे में है। आन्तरिक सुरक्षा का सही और संतुलित परिप्रेक्ष्य प्रशासन, नीति निर्माताओं, जिला प्रशासन तथा कानून लागू कराने वाली संस्थाओं के लिए आवश्यक है यद्यपि हरेक राज्य के पास कानूनों, नियमावलियों, नियमों नियमनों सरकारी आदेशों और कानून लागू करने वाली संस्थाओं के लिए दिशा निर्देशों के रूप में निर्देशों के व्यापक संग्रह होते हैं। फिर भी आन्तरिक सुरक्षा की सही नीति बनाने की आवश्यकता है। आन्तरिक सुरक्षा के लिए नीति धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय नियोजित आर्थिक विकास तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में बनाई जानी चाहिए। आन्तरिक सुरक्षा के लिए नीति निम्न आधारों पर निर्मित की जानी चाहिए।

1- आन्तरिक सुरक्षा को 'स्वस्थ प्रजातंत्रिक प्रतिरोध' करने देना चाहिए लेकिन राजनीतिक तंत्र को लिखित संविधान के दायरे में काम करने देना चाहिए।
2- आन्तरिक सुरक्षा नीति को नियोजित आर्थिक विकास तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की अनुमति देनी चाहिए लेकिन साथ ही व्यवस्थित विवाद प्रबंधन सुनिश्चित करके सामाजिक आर्थिक तनावों को कम करना चाहिए।
3- आन्तरिक सुरक्षा की समस्याओं का देश के कानूनों तथा विधि के नियमों के अनुरूप समाधान करना चाहिए।
4- आन्तरिक सुरक्षा न सिर्फ आर्थिक संपन्नता तथा देश की अखंडता के लिए अपरिहार्य है बल्कि ये संघीय नीति के सभ्य जीवन का मूल आधार है।
5- आन्तरिक सुरक्षा का उद्देश्य मानव जीवन तथा संपत्ति की क्षति द्वारा देश को होने वाली हानि को कम करना और सामजिक अनुशासन के बोध को प्रबल करना है

जिससे प्रजातांत्रिक साहचर्य और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनुकुल स्थितियां निर्मित हो सकें।

6- आन्तरिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रयास तथा समाज के सभी वर्गों के सदस्यों के स्वैच्छिक सहयोग तथा समर्थन की आवश्यकता हैं।

7- आन्तरिक सुरक्षा तथा बाहय सुरक्षा को कई बार अलग से विभेदित नहीं किया जा सकता है क्यों कि उनकी प्रकृति पूरक होती है और देश के लिए शाश्वत निगरानी और निरंतर उद्यम की आवश्यकता होती है।

आन्तरिक सुरक्षा के कर्तव्य बहुत जटिल, चुनौतीपूर्ण और आवश्यक होते हैं। कानून लागू करने वाली संस्थाएं जैसे पुलिस और अर्ध सैनिक संगठनों को प्रशिक्षित, सज्जित और अपने कर्तव्यों को प्रभावी तरीके से करने के लिए उचित रूप से प्रेरित होना चाहिए।

2.6 अभ्यास प्रश्न

1- आन्तरिक सुरक्षा के विभिन्न सिद्धान्त क्या हैं?

2- भारत जैसे विकासशील देशों में आन्तरिक सुरक्षा के परिदृश्य पर चर्चा कीजिए।

3- उन विभिन्न कारणों का समझाइए जिनके कारण आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

4- आन्तरिक सुरक्षा की समस्याओं से कैसे निबटा जा सकता है?

5- आन्तरिक सुरक्षा का कार्यक्रम किन उद्देश्यों पर आधारित है?

2.7 सारांश

आन्तरिक सुरक्षा का सही और संतुलित परिप्रेक्ष्य प्रशासन, नीति निर्माताओं, जिला प्रशासन तथा कानून लागू कराने वाली संस्थाओं के लिए आवश्यक है यद्यपि हरेक राज्य के पास कानूनों, नियमावलियों, नियमों नियमनों सरकारी आदेशों और कानून लागू करने वाली संस्थाओं के लिए दिशा निर्देशों के रूप में निर्देशों के व्यापक संग्रह होते हैं। फिर भी आन्तरिक सुरक्षा की सही नीति बनाने की आवश्यकता है। आन्तरिक सुरक्षा के लिए नीति धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय नियोजित आर्थिक विकास तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में बनाई जानी चाहिए। आन्तरिक सुरक्षा के लिए नीति निम्न आधारों पर निर्मित की जानी चाहिए।

2.8 संदर्भ ग्रंथ

1- सल्दाना जे. एस. (1976) 'ए प्लान फॉर नेशनल इन्टरनल सिक्योरिटी सम कटेन्ट इश्यूज' (सं)।

2- लियोनार्ड वीनबर्ग (2006) 'ग्लोबल टेररिस्म फर्स्ट साउथ एशियन एडीशन, इंगलैण्ड

3- शर्मा. पी. डी. 'इन्टरनल सिक्योरिटी कंसेप्चुअलाइजड पेपर, मांउटआबू में आंतरिक सुरक्षा पर सेमीनार में प्रस्तुत'।
4- माथुर के. एम. (1989) इन्टरनल सिक्योरिटी चैलेन्जेंज एन्ड पुलिस इन डवलपिंग सोसायटी, अनुज प्रिन्टर्स, जयपुर।
5- मुखर्जी मोहन- 'फॉरवर्ड टु द इन्टरनल सिक्योरिटी - सम करेन्ट इश्यूज एच. एम. माथुर द्वारा संपादित। द एच. सी एम. इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जयपुर।
6- के. सुब्रमण्यम (1982) 'इंडियन सिक्योरिटी पर्सपैक्टिवस - एबीसी पब्लिशिंग हाउस, जयपुर।
7- एस. एम. डायज -'न्यू डायमेन्शन्स इन पुलिस रोल एण्ड फंक्शन्स इन इंडिया'।

इकाई - 3

भारत के पड़ौसी राष्ट्र : आन्तरिक व बाह्य सुरक्षा के सन्दर्भ में

इकाई की रूपरेखा

3.1 उद्देश्य

3.2 प्रस्तावना

3.3 बाह्य सुरक्षा व्यवस्था : हमारे पड़ौसी राष्ट्र

3.3.1 पाकिस्तान

3.3.2 बांग्लादेश

3.3.3 चीन

3.4 बाह्य सुरक्षा व्यवस्था : केन्द्रीय संगठन

3.4.1 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

3.4.2 सीमा सुरक्षा बल

3.4.3 भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस

3.4.4 राष्ट्रीय अनुसंधान एजेन्सी

3.4.5 सशस्त्र सीमा बल

3.5 आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था

3.5.1 आतंकवाद

3.5.2 साम्प्रदायिकता

3.5.3 जातीयता

3.5.4 क्षेत्रीयता

3.5.5 भाषावाद

3.5.6 नक्सलवाद

3.5.7 अन्य खतरे

3.6 सारांश

3.7 अभ्यास प्रश्न

3.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आप -

- भारत के पड़ौसी राष्ट्रों के साथ सम्बन्धों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- भारत को मिल रही बाहरी व आन्तरिक चुनौतियों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे।
- देश के प्रमुख केन्द्रीय पुलिस संगठनों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

3.2 प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र को अपनी राष्ट्रीय अखण्डता, सम्प्रभुता, एकता व सार्वभौमिकता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का आन्तरिक व बाह्य दृष्टि से अध्ययन व मूल्यांकन करना अनिवार्य होता है। किसी भी राष्ट्र को खतरा बाह्य व आन्तरिक अर्थात् दोनों से हो सकते हैं। पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में कोई भी राष्ट्र अपनी अखण्डता व सम्प्रभुता को स्थापित रखते हुए शान्तिपूर्ण ढंग से चहुँमुखी विकास नहीं कर सकता है। पर्याप्त सुरक्षा हेतु जहाँ बाह्य खतरों से सचेत रहना होगा, वहीं राष्ट्रीय अखण्डता हेतु राष्ट्र की आन्तरिक खतरों से अवमुक्त होना आवश्यक है, तभी राष्ट्र को सुरक्षित कहा जा सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा काफी व्यापक है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की आन्तरिक मान्यताओं को सुरक्षित करना है। यह सुरक्षा मूलत: सामरिक क्षमता के अतिरिक्त आर्थिक, राजनैतिक, कूटनीतिक, मनोवैज्ञानिक एवं भौगोलिक व औद्योगिक प्रयासों द्वारा प्रदान की जाती है, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु सैनिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। इसके द्वारा केवल बाह्य हस्तक्षेप को रोकना ही नहीं है, बल्कि आन्तरिक एकता को सुरक्षा प्रदान करना भी आवश्यक है, वैसे भी प्रत्येक देश की सैन्य शक्ति के बिना न तो कोई राष्ट्र शान्तिपूर्ण ढ़ंग से चौमुखी विकास कर सकता है और न ही वे अपनी किसी भी क्षेत्र, स्थान व संसाधनों की रक्षा कर सकता है।

भारत एक विशाल देश है, जहाँ यह माना जाता है कि कोस-कोस पर पानी और चार कोस पर वाणी अर्थात् बोली, यहाँ पर विभिन्न जातियों, धर्मों, तथा भाषाओं को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। भारत गत 65 वर्षों से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कई युद्धों एवं आन्तरिक उपद्रवों के शमन के लिए संघर्ष करता रहा है।

3.3 देश की सुरक्षा व्यवस्था को मोटे तौर पर दो रूपों में विभक्त किया जा सकता है

1. बाह्य सुरक्षा व्यवस्था

2. आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था

1. बाह्य सुरक्षा व्यवस्था-

एक राष्ट्र को उसके बाह्य पड़ौसी व दुश्मन राष्ट्रों द्वारा जो खतरा उत्पन्न होता है एवं बाहरी सीमाओं पर जो सुरक्षा व्यवस्था इसकी हिफाजत के लिए प्रयोग में लायी जाती है, वह बाह्य सुरक्षा व्यवस्था कहलाती है। इसके लिए हमारे पास राष्ट्र की तीनों सेनाओं (जल,थल, वायु) का समान रूप से दायित्व निर्धारित है। साथ ही साथ बी.एस.एफ. एवं आई.टी.बी.पी. जैसे केन्द्रीय संगठन भी पूरी सहायता करते हैं तथा व्यापक गुप्तचर व्यवस्था भी रखी जाती है।

भारतीय उपमहाद्वीप में शान्ति, सुरक्षा व विकास का वातावरण तभी सम्भव है, जब सहमति व सहयोग के वातावरण को छोटे, मझौले व विकासरत सभी राष्ट्र विकसित करने व सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दें। जब तक सभी देशों के मध्य आपसी सहयोग व मित्रता के द्वार पूर्णत: नहीं खुलते, हमें सतत् प्रयत्नशील रहना होगा तथा मित्रता के बन्द द्वार को खटखटाते रहना होगा। इसी सिद्धान्त के तहत् भारत ने पड़ोसियों व महाशक्तियों से अपने मधुर सम्बन्ध बनाए रखने का यथासम्भव प्रयास किया है, किन्तु फिर भी कुछ देशों के साथ हमारे सम्बन्ध कटु होते जा रहे हैं, जैसे-

3.3.1 पाकिस्तान- 1947 को भारत के नीलाम्बर पर स्वतन्त्रतारूपी नक्षत्र अपनी ज्योति से राष्ट्र के नागरिकों को नई आशाओं, उमंगों का सन्देश दे रहा था, उसी समय साम्प्रदायिकता रूपी बिजली कड़की जिसके परिणामस्वरूप इन नक्षत्रों के दो टुकड़े हो गए। एक का नाम भारत तथा दूसरे का नाम पाकिस्तान पड़ा। टूटने के साथ ही यह नक्षत्र भारत की आँखों में चुभने वाले कांटे के रूप में प्रकाश में आया। शुरूआत से ही इन दोनों के मध्य सम्बन्ध मधुर नहीं रहे। इन दोनों के बीच मतभेद के कई कारण रहे हैं, जैसे अल्पसंख्यकों की समस्या, सीमा सम्बन्धी विवाद देशी राज्यों की संवैधानिक स्थिति आदि। भारत-पाक सम्बन्धों में तनाव के कई बुनियादी कारणों में कश्मीर का प्रश्न प्रमुख है। इसलिए यह कहा गया है कि कश्मीर समस्या भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव का कारण नहीं अपितु इसका परिणाम है। पाकिस्तान बार-बार कश्मीर को मसला बना कर किसी न किसी तरीके से भारत पर आक्रमण करता रहा है। किन्तु उसने हर बार मुँह की खाई है। वर्ष 1999 में कारगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ को लेकर छिड़ी जंग में हारने के बावजूद वर्ष 2008 में पाकिस्तान की शह पर इण्डियन एयरलाइन्स के विमान का अपहरण और उसके यात्रियों को छोड़ने के लिए खूँखार पाकिस्तानी आतंकवादियों की रिहाई ने

यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की भारत के प्रति सोच में आज भी कोई बदलाव नहीं आया है। अभी हाल ही में पाकिस्तान द्वारा भारतीय सैनिक के सिर काटने की घटना से सभी स्तब्ध हैं। अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेन्सी 'इण्टर सर्विस इण्टेलीजेन्स' (आई.एस.आई.) आतंक व दहशत का पर्याय बन चुकी है। अधिकांश राष्ट्र ऐसे हैं, जो पाकिस्तान को अपना खुला समर्थन दे रहे हैं और इस समर्थन से आई.एस.आई. के एजेन्टों का दुस्साहस बढ़ रहा है, जो पाकिस्तानी एजेन्ट भारत में सक्रिय है उन्हें दुबई का भी समर्थन मिलता है, बहरीन का भी और सऊदी अरब का भी। इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, यह एक उलझा हुआ सवाल है। लेकिन इस सवाल का समाधान तो खोजना ही होगा।

3.3.2 बांग्लोदश-बांग्लादेशीय घुसपैठियों की निरन्तर बढ़ती बाढ़ के कारण पूर्वोत्तर राज्यों सहित पश्चिम बंगाल व बिहार का जनसंख्या अनुपात असन्तुलित तरीके से ही नहीं बढ़ा हैं, बल्कि भौगोलिक स्थिति बदलती नजर आने लगी है। भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में बांग्लादेशीय घुसपैठियों की उपस्थिति देखी जा सकती है। यह सुनना आश्चर्यजनक अवश्य लगेगा कि इस समय लगभग 5 करोड़ अवैध अप्रवासी भारत के विभिन्न प्रान्तों में रह रहे है। बांग्लादेश की धरती पर दशहत गर्दी की विषबेल पूरी तरह से फल-फूल रही है। इसका सबसे बड़ा आतंकवादी जेहादी-अल-इस्लाम है, जिसे संक्षिप्त में हूजी पुकारा जाता है। यह पाकिस्तान के खूँखार इस्लामी संगठन जेश-ए-मोहम्मद व लश्कर-ए-तोयबा का मिला-जुला रूप है। बांग्लादेश ने अपने आपको इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई. के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं, ताकि वह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में गड़बड़ी फैला सके। यह खुले तौर पर आई.एस.आई. को सारी सुविधायें दे रहा है। इसके साथ ही भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय उग्रवादी संगठन भी बांग्लादेश की छत्र छाया में पनप रहे है। भारत में अभी भी उत्तर-पूर्व की समस्या को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। कश्मीर में भी घुसपैठ है और आतंकवाद भी हैं, पर उत्तर-पूर्व में घुसपैठ की समस्या उससे कम बड़ी नहीं है। वहाँ जिस तरह से सामाजिक संरचना, जनसंख्या अनुपात और भारत की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने की साजिश चल रही है उसे रोकना बहुत जरूरी है। अभी उत्तर-पूर्व के राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड आदि में घुसपैठ नहीं हो रही है, इसलिए असम में घुसपैठ काफी ज्यादा हो गई है। इससे सीमा की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। बांग्लादेश पूर्वोत्तर राज्यों के अलगाववादी संगठनों का जहाँ सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है, वहाँ भारत-विरोधी तत्वों को शरण देकर समूचे दक्षिण एशिया के वातावरण को अशान्त बनाए रखने की रणनीतिक चाल चल रहा है। यह आतंकवादियों को अत्याधुनिक छोटे हथियारों की आपूर्ति का

एक बड़ा केन्द्र बन चुका है। भस्मासुर बने बांग्लादेश के द्वारा जो यह कदम उठाया जा रहा है, नि:संदेह भारत विरोधी है, किन्तु इस बात से कदापि नकारा नहीं जा सकता है कि यह उसके स्वयं के लिए भी इससे भी अधिक आत्मघाती सिद्ध होगा। बांग्लादेश से आता आतंकवाद एवं अवैध हथियारों की आपूर्ति राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील सामरिक व सामयिक चुनौती है, इसकी उपेक्षा करना उचित नहीं होगा, बल्कि इस पर समय रहते नकेल डालने की भी जरूरत है।

3.3.3 **चीन-**भारत एवं चीन दोनों पड़ौसी देश होने के साथ दो प्राचीन व जीवित्त आवश्यकताओं के पुरावशेष भी हैं। प्राचीन काल से ही दोनों देशों के मध्य पारस्परिक सांस्कृतिक व आर्थिक सम्बन्ध स्पष्ट परिलक्षित होते रहे हैं। स्वतन्त्रता के बाद भारत व चीन के सम्बन्धों की कहानी भारतीय नेताओं की आदर्शवादिता, स्वप्नदर्शिता व अदूरदर्शिता तथा चीनी विश्वासघात की कहानी है। चीन की हमेशा से यही इच्छा रही है कि भारत को हिमालय के दक्षिण में ही बांधकर रखा जाए, जिससे कि वह प्रतिद्वन्द्वी के रूप में खड़ा न हो सके, इसके अन्तर्गत पाक को भारत के समकक्ष खड़ा करना, म्यांमार को कूटनीतिक वैद्यशाला के रूप में इस्तेमाल करना तथा भारत के अन्य पड़ौसी देशों बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में अपनी जड़े मजबूत करना चीन की अहम रणनीति में शामिल है। इसके अलावा चीन भूटान में भी अपनी दिलचस्पी लेने लगा है। चीन द्वारा भारत के शत्रुओं को सैन्य तकनीक का गोपनीय रूप से हस्तान्तरण और उसकी क्षेत्रीय गतिविधियाँ दर्शाती है कि सीमा पर शान्ति एक दिवास्वप्न के अलावा कुछ नहीं है। भारत व चीन के मध्य तनाव का एक अन्य मुद्दा चीन द्वारा पाकिस्तान को परमाणु हथियार विकसित करने में मदद भी है। इसके अलावा चीन पाक को सामरिक मामलों में भी मदद करता आ रहा है जो कि भारत के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान इन हथियारों का प्रयोग कश्मीर में आतंकवादियों को पाकिस्तान क्षेत्र से चीन में निर्मित आधुनिक हथियारों की सप्लाई तथा भारत के पूर्वी असम में उल्फा विघटनकारी शक्तियों से चीनी शस्त्रों का मिलना चिन्ता का विषय है। साथ ही चीन, वर्मा से अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है और बर्मा की सेना को आधुनिकतम हथियारों से लैस कर रहा है।

उपरोक्त तथ्यों से निष्कर्ष निकलता है कि चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और परमाणु अस्त्रों के आधुनिकीकरण से भारतीय सुरक्षा प्रभावित्त हो रही है। फलत: भारत को चीन से सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि एक तरफ वह चीन से सम्बन्ध सुधारे वहीं दूसरी तरफ अपनी सैन्य शक्ति को बढ़कार चीन के समकक्ष सन्तुलित बनाए रखें।

3.4 बाह्य सुरक्षा व्यवस्था : केन्द्रीय संगठन

भारत को उपरोक्त पड़ौसी देशों से जो खतरा उत्पन्न होता रहता है, इनसे सुरक्षा के लिए हमारे पास राष्ट्र की तीनों सेनाओं (जल, थल, वायु) का समान रूप से दायित्व निर्धारित है। इसके अतिरिक्त निम्न प्रमुख केन्द्रीय संगठन भी पूरी सहायता करते हैं -

3.4.1 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल :- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन अर्ध-सैनिक बल के समान किया गया है। इसे पंजाब, नागालैण्ड, भारत और पाकिस्तानी सीमा और बांग्लादेश की सीमा पर भी लगाया गया है। इसके अलावा देश में कहीं भी गड़बड़ होने पर यह बल प्रदेश की पुलिस की सहायता के लिए तुरन्त भेजी जाती है। इस प्रकार इस बल के निम्न कार्य है -

(1) सीमाओं की रक्षा करना,

(2) प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ने पर सहायता करना,

(3) उग्रपंथियों के विरूद्ध कार्यवाही करना।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सबसे पुराना अर्द्ध-सैनिक बल है, जिसने सीमा सुरक्षा, आतंरिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, राजद्रोह - संघर्ष, उग्रवाद और आतंकवाद विनाशकारी घटनाओं से निपटना तथा सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु से लोहा लेना जैसे विविध सेना भार उठाए। कार्यक्षमता से जन उत्तदायित्वों का क्षेत्र बढ़ा, तब सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जैसे विशेष बलों का निर्माण हुआ और उनके कार्यक्षेत्र बांटे तथा सुनिश्चित किए गए। संगठन की परम्परा, संस्कृति और प्रशिक्षण में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सिविल पुलिस के सबसे अधिक निकट है और देश की सुरक्षा में इसे महत्वपूर्ण स्थान मिलने का गौरव प्राप्त है।

त्वरित कार्य बल -सन् 1992 में साम्प्रदायिक दंगों तथा अन्य कानून व्यवस्था के बिगड़ते ही बिना समय लगाए घटनास्थल पर पहुँचकर दंगों को उत्तेजित होने से पूर्व ही दबाने को ध्यान में रखकर आर.ए.एफ. का गठन किया गया था। आर.ए.एफ. की 10 बटालियन स्थापित की गयी, जो सीधे आई.जी.पी. के अधीन कार्यरत है तथा इस दल को त्वरित कार्यवाही करने के प्रशिक्षण एवं आधुनिक गाड़ी, अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया गया है।

3.4.2 सीमा सुरक्षा बल :- सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में संसद में एक विधेयक पास करके संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए की गयी थी। सीमा सुरक्षा बल देश की पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा बर्मा के साथ लगने वाली सीमा तथा जम्मू व कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात है और 7219 किलोमीटर लम्बी सीमा की देखभाल करता है। सीमा सुरक्षा बल के मुख्य रूप में निम्न कार्य हैं-

शांति के समय-

1- सीमा क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों में सुरक्षा की भावना बनाए रखना।

2- सीमा के आस-पास होने वाले अपराधों की रोकथाम तथा भारत में अवैध रूप से आने व जाने वाले व्यक्तियों को रोकना।

3- सीमा पर तस्करी तथा घुसपैठ को रोकना।

युद्ध के समय-

1- कम खतरे वाले क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करना।

2- सीमित अग्रघोषीत युद्ध में भाग लेना।

3- शत्रु के क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखना।

4- अनुरक्षा प्रदान करना।

5- युद्ध कैदियों पर पहरा देना।

6- कमांडों आक्रमण तथा छोटे-छोटे हमलों जैसे विशेष कार्य करना।

7- घुसपैठियों के विरूद्ध कार्यवाही करना।

आंतरिक सुरक्षा-सीमा सुरक्षा बल को कई बार कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविल प्रशासन की मदद के लिए बुलाया गया है। गुजरात में हुए दंगों, जम्मू-कश्मीर में साम्प्रदायिक दंगों, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के इलाके में तथा असम, नागालैण्ड व मिजोरम में भी सीमा सुरक्षा बल ने कठिन परिस्थितियों में नागरिक प्रशासन का साथ दिया और अपने कार्य से जनता का विश्वास अर्जित किया और अधिकारियों से प्रशंसा पायी।

बल की अनेक कंपनियाँ पंजाब में आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी में लगी हुई है और सिविल प्रशासन को उग्रवादियों की गतिविधियों से पैदा हुई स्थिति से निपटाने में सहायता दे रही है। सीमा सुरक्षा बल ने कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सक्रिय सहायता दी है और कई कार्यवाहियाँ की हैं जिसमें उग्रवादियों के छिपने के ठिकानों पर छापे मारना, शक की जगहों की तलाशी लेना व मोटर गाड़ियों की जाँच करना शामिल है। ये काम स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर किए गए हैं, जिससे बहुत से उग्रवादियों को पकड़ने में सफलता मिली, खतरनाक आतंकवादी मारे गए और बहुत बड़ी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद तथा आतंकवादियों की गतिविधियों में मदद करने वाली बहुत सी दूसरी चीजें बरामद की गई।

सीमा की चौकसी-सीमा सुरक्षा बल को सीमा के आर-पार होने वाले अपराधों की रोकथाम की अपनी ड्यूटी के दौरान आमतौर पर अवैध वस्तुओं की तस्करी और ज्यादातर बांग्लादेश पर अवैध व्यक्तियों व वस्तुओं की तस्करी और म्यांमार के नागरिकों की घुसपैठ की रोकथाम करनी होती है। जब से पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा उग्रवादियों की

घुसपैठ के कारण नाजुक हुई है, पंजाब की सीमा पर एक नई स्थिति का सामना सीमा सुरक्षा बल को करना पड़ा है। पंजाब में धर्मपरक राजनीतिक आतंकवाद पनपने, भारत में आतंकवाद बढ़ाने के पाकिस्तान के रवैए तथा हथियारों व तस्करी के सामान को लाने ले जाने और प्रशिक्षित उग्रवादियों की चोरी छिपे घुसपैठ से सीमा सुरक्षा बल की सीमा की चौकसी की जिम्मेदारियाँ और समस्याएँ बढ़ गई हैं।

3.4.3. भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस-भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना सन् 1962 में की गयी। इसका मुख्यालय आर.के.पुरम नई दिल्ली में स्थित है। अन्य अर्द्ध सैनिक बलों की भाँति भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल केवल भारतीय सीमाओं की सुरक्षा ही नहीं करता, अपितु आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पुलिस बल द्वारा निम्न कार्य सम्पन्न किए जाते हैं-

(1) भारतीय तिब्बत सीमा की सुरक्षा व निगरानी रखना तथा अवैध घुसपैठ की रोकथाम करना।

(2) अवैध व्यापार एवं तस्करी करने वालों की निगरानी एवं रोकथाम करना।

(3) आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने में केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों की सहायता करना।

(4) प्रजातांत्रिक प्रणाली के अन्तर्गत राजनैतिक चुनावों को शांतिपूर्ण एवं वैध तरीके से सम्पन्न कराने में सहायता करना।

(5) प्राकृतिक विपदाओं जैसे-बाढ़, भूकम्प एवं महामारी के दौरान जनता की सहायता करना और उनकी जान व माल की सुरक्षा करना।

(6) आपातकाल के दौरान कानून व शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सरकार की सहायता करना।

(7) आपातकाल के दौरान कानून व शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सरकार की सहायता करना। कर्त्तव्य को सर्वोपरि मानकर साहस, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से अपना कर्त्तव्य पालन करना ही भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का प्रमुख ध्येय है।

3.4.4. राष्ट्रीय अनुसंधानएजेन्सी

राष्ट्रीय अनुसंधान एजेन्सी का विधिवत् गठन सन् 2009 में हुआ है। इसका गठन विशेषकर देश में आतंकवाद से लड़ने एवं उसकी रोकथाम हेतु किया गया है। आतंकवादी से सम्बन्धित सभी प्रकार के अपराधों का अनुसंधान इस एजेन्सी द्वारा किया जाएगा। एन.आई.ए. का कार्यक्षेत्र समस्त भारत होगा। इसे किसी भी राज्य में आतंकवाद हमलों, देश की एकता व अखण्डता को खतरा पहुँचाने वालों, बम ब्लास्ट, हाईजेकिंग व नाभिकीय संस्थानों पर हमलों आदि में जाँच करने व अनुसंधान करने की शक्ति प्राप्त है। एन.आई.एस.

का मुख्य कार्य आतंकवाद को खत्म करना है। इसके साथ साथ यह जाली मुद्रा के मामलों, ह्यूमन ट्रेरफिकिंग, नारकोटिक्स एवं ड्रग्स, संगठित अपराध, हाईजकिंग आदि के मामलों में भी जाँच व अनुसंधान करती है।

3.4.5. सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) -

सशस्त्र सीमा बल भी एक केन्द्रीय पुलिस संगठन है। इस बल को उसके आधार पर 'स्पेशल सर्विस ब्यूरो' के नाम से भी जाना जाता है। एस.एस.बी. का गठन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सन् 1963 में किया गया था। यह एक अर्द्धसैनिक पुलिस संगठन है। प्रारम्भ में इसका कार्य क्षेत्र चीन, नेफा आदि नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र रखा गया था। बाद में धीरे-धीरे उसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर पूरा नॉर्थ, ईस्ट, जम्मू-कश्मीर, गुजरात व राजस्थान तक कर दिया गया।

एस.एस.बी. का मुख्य कार्य सीमा क्षेत्र के लोगों में देशभक्ति की भावना व लगाव पैदा करना है, एस.एस.बी. के कार्यी लगातार सीमाक्षेत्र के लोगों के सम्पर्क में रहते है एवं उन्हें अभिप्रेरित करना, प्रशिक्षण देना और उनके विकास व कल्याण का कार्य करते है।

उपरोक्त प्रमुख केन्द्रीय संगठनों के अतिरिक्त राज्य पुलिस बल व सैन्य बल भी राष्ट्र सुरक्षा व्यवस्था में अपना पूर्ण योगदान देते है। चूँकि रक्षा का साधन व साध्य बहुआयामी होता है। अत: देश के सम्पूर्ण रक्षा साधन अपनी पूरी क्षमता, योग्यता व राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण से कार्य करते है।

3.5 आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था

किसी भी देश में कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु जो सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, ऐसे उपाय किए जाते हैं, जहाँ किसी देश की बाह्य सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है, वहीं किसी भी राज्य के लिए उसके आन्तरिक भागों में कानून व व्यवस्था, लोक व्यवस्था, जन-जीवन को अस्त-व्यस्त न होने के लिए जो कार्य किए जाते है, उन्हें उस देश की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कहते है। देश में शासन करने वाली सरकार का यह दायित्व है कि वह उस देश में ऐसी व्यवस्था करें कि आम व्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक अपना जीवन यापन कर सके, उसे असुरक्षा की भावना न सताए।

भारत गत 65 वर्षों से स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कई युद्धों व आन्तरिक उपद्रवों के शमन के लिए संघर्ष करता रहा हैं, इसमें साम्प्रदायिकता, जातियता, क्षेत्रीयता, भाषावाद, आतंकवाद एवं नक्सलवाद आदि सभी ऐसे भयानक तत्व है, जो देश की एकता व अखण्डता की आधारशिला में दीमक की तरह कार्य कर रहे है। वर्तमान समय में हमारे पड़ौसी देश हम पर नजर गड़ाए हुए हैं तथा हमारे देश में आतंक फैलाकर हमारी आन्तरिक सुरक्षा को अस्थिर करना चाहते है। इस अध्याय में हम भारतीय सुरक्षा की आन्तरिक चुनौतियाँ जो कि बाधक

बनकर उभरती रहती है तथा इनके क्या संभावित्त समाधान हो सकते है का विशेष रूप से उल्लेख करेंगे, वे निम्नांकित है -

3.5.1 आतंकवाद :- आज हमारे सम्मुख सबसे महत्वपूर्ण समस्या व चुनौती है - आतंकवाद। आतंकवाद उस दशा को कहते है , जिसमें कुछ तत्व अपनी मांगे चाहे वह उचित हो या अनुचित, को मनवाने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करते है। जिसमें अपहरण, हत्या, निर्दोष जनता पर बम प्रहार, विमानों का अपहरण इत्यादि अपराध, जिन्हें घृणित रूप में देखा जा सकता है, एक पाश्विकता की सीमा तक किए जाते है।

कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों में जिस प्रकार आतंकवाद अपनी जड़े मजबूत कर रहा है और आए दिन आतंकवादी घटनाएं घटित हो रही है, वह आज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भी आतंकवादियों के हौसलें पस्त होने के बजाए और बुलन्द हो रहे है। पाकिस्तान की जमीन से चलाए जा रहे आतंकी गतिविधियों का सीधा सम्बन्ध भारत से है। इन आतंकवादियों का नेटवर्क सारी दुनिया में फैला हुआ है और पाकिस्तान इनकी शरण स्थली बन चुका है। भारत स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से ही पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों से आहत होता रहा है। भारत में चल रही आतंकवादी गतिविधियों में बाह्म शक्तियों की संलिप्तता यह पुष्ट करती है कि वे भारत की आर्थिक प्रगति, सम्प्रभुता व अखण्डता पर चोट करके एक महाशक्ति के रूप में उसके प्रभाव को शिथिल करना चाहते है। आई.एस.आई. कश्मीर व पूर्वोत्तर भारत में प्रायोजित आतंकवाद का मुख्य सूत्रधार है, जो सन् 1950 के दशक से ही भारत की आन्तरिक सुरक्षा को छिन्न-भिन्न करके उसकी अखण्डता को क्षति पहुँचाने की सुनियोजित कार्यवाहियों में संलिप्त है। बांग्लादेश में आई.एस.आई. का निरन्तर बढ़ता जंजाल तथा बांग्लादेश एवं भारत-नेपाल की खुली सीमा के रास्ते पाक पोषित आतंकवादियों के भारत में निष्कंटक प्रवेश से भारत की आन्तरिक सुरक्षा के आयाम जटिल होते जा रहे है। बांग्लादेश के शरणार्थियों की भारत में निरन्तर बढ़ रही घुसपैठ तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय 'मुल्फा' मुल्टा, पल्क, सिमि व जेहाद कौंसिल जैसे उग्रवादी संगठनों को अलकायदा व आई.एस.आई. द्वारा मिल रहा प्रोत्साहन व समर्थन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अति चिन्ताजनक है। सीमा पार आतंकवादी शिविरों में प्रशिक्षण-तकनीक में हो रहे परिवर्तन तथा उनकी घुसपैठ के नवीन मार्गों (नेपाल व बांग्लादेश द्वारा) से भारत की सुरक्षा चिन्तायें बढ़ गयी है। कार बमों व फिदायनी हमलों की तकनीक बदलते हुए आतंकवादियों ने भारत के अन्दरूनी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत आसान लक्ष्यों को भेदने हेतु छोटे व संगठित स्थानीय नियन्त्रको को मोहरा बनाने की जो रणनीति बनाई है, उससे सुरक्षा बलों को उनसे निपटने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्

सचिवालय तथा सेनाओं में आंतकवादियों की घुसपैठ ने भारत को और चिन्तित कर दिया हैं, अतएवं आतंकवाद के उन्मूलन हेतु भारत को अविलम्ब निम्नांकित कदम उठाने चाहिए-

(1) भारत के सीमावर्ती प्रान्तों व क्षेत्रों में आतंकवादियों को मिल रहे बाह्य सहयोग व स्थानीय समर्थन की पृष्ठभूमि में इन क्षेत्रों की जनांकिकी प्रमुख कारक है। अतएव पूर्वोत्तर क्षेत्र, पंजाब व कश्मीर क्षेत्र के नागरिकों को राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करने हेतु एक राष्ट्रीय नीति निर्मित करनी चाहिए।

(2) आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर प्रभावी प्रहार हेतु राष्ट्रीय सहमति विकसित करना अति आवश्यक है तथा इस मुद्दे पर भारत के सभी राजनैतिक दलों को दलगत व वोट राजनीति से ऊपर उठकर संविधान व सम्प्रभुता की परिधि में रहकर कार्य करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर राजनीतिक दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए।

(3) राज्य प्रायोजित आतंकवाद के उन्मूलन हेतु राजनैतिक व सैनिक दोनों ही मोचोर् पर सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है।

(4) पुलिस बल व खुफिया तंत्र का आधुनिकीकरण पुनर्गठन एवं इनके मध्य उचित सामंजस्य में सुधार तो आवश्यक हैं ही साथ ही उन्हें जनता के साथ मित्रवत् जनसहयोग प्राप्ति हेतु अपनी छवि को सुधारने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

(5) आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत की जाने वाली विभिन्न संक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता है।

(6) अपने खुफिया तन्त्र को अत्यधिक चुस्त करते हुए रॉ, आई.बी., रक्षा खुफिया एजेन्सी तथा पुलिस व अर्ध सैनिक एजेन्सियों के मध्य सहयोग, समन्वय व साझेदारी में सुधार की आवश्यकता है।

(7) आतंकवाद विरोधी अभियानों को प्रभावी बनाने हेतु उत्तम शासन तन्त्र का विकास आवश्यक है।

(8) आतंकवादियों के आर्थिक स्त्रोतों का पता लगाकर उस तन्त्र पर प्रभावी प्रहार आवश्यक है।

(9) सरकार द्वारा आतंकवाद से सम्बन्धित क्षेत्रों में विकास योजनाओं को प्राथमिक स्तर पर सम्पादित करके क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक व शैक्षणिक विकास कार्यक्रमों को त्वरित गति देनी होगी, जिससे क्षेत्र की जनता का विश्वास अर्जित किया जा सके।

(10) मीडिया प्रबन्धन में सुधार आवश्यक है। आतंक के उन्मूलन में जनता, सरकार तथा मीडिया के मध्य सकारात्मक सम्बन्ध सूचना तकनीक के इस युग में अनिवार्य है।

भारत को अब इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई उसे स्वयं ही लड़नी होगी। यह विडम्बना ही है कि भारत को राष्ट्र के बाहर व भीतर दोनों ही मोर्चों पर आतंकवाद से लड़ना पड़ रहा है। सच तो यह है कि अभी तक भारत आतंकवाद से लड़ने हेतु स्पष्ट नीति व कार्ययोजना तय ही नहीं कर पाया है। राष्ट्रीय अखण्डता के सुरक्षार्थ अब भारत को अविलम्ब ध्यान केन्द्रित करके आतंकवाद के उन्मुलन हेतु एक दीर्घकालीन रणनीति बनानी ही होगी तथा साथ ही उसे अब आक्रामक राजनीतिक अभियान के अतिरिक्त बढ़ते आतंकवाद व नक्सवादी समूहों को निष्क्रिय करने हेतु कठोर कदम उठाने होंगे।

3.5.2 साम्प्रदायिकता :- देश की आन्तरिक सुरक्षा को प्रभावित्त करने वाले पहलुओं में साम्प्रदायिकता प्रमुख है। भारतीय इतिहास इस बात का गवाह है कि देश ने दो बार विभाजन को साम्प्रदायिकता के कारण झेला है। किसी भी देश के इतिहास में एक सदी का काल कोई बहुत अधिक नहीं होता है और इस अवधि में एक कारण के चलते उस देश का दो बार विभाजन हो तो इससे वस्तुस्थिति की गम्भीरता का अन्दाजा स्वत: ही लगाया जा सकता है।

वर्तमान समय में भारत की एकता, अखण्डता व राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा साम्प्रदायिकता से उत्पन्न धार्मिक उन्माद से है। साम्प्रदायिकता के आधार पर लड़ाई-झगड़े का इतिहास भारत में सौ साल पुराना है। इसके बीच उपनिवेशवादियों ने अपनी ‘फूट डालो व राज करो’ की नीति के तहत बीज बोए ताकि उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके तथा भारतीय मुक्ति संघर्ष को कमजोर करना। इस नीति का सबसे भयानक पक्ष भारत में रह रहे बहुसंख्यकों को एक-दूसरे के खिलाफ व तनाव उत्पन्न करके इसे देश के विभिन्न भागों में दंगों की शक्ल देना था। जिस तरह 27 फरवरी, 2002 को अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बों को बंद करके आग लगा दी गयी, जिसमें सैकड़ों रामभक्त जलकर भस्म हो गए। इस साम्प्रदायिक हिंसा के बाद अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, गोधरा आदि गुजरात के अधिकांश शहर आग की लपेट में जलते रहे, जिसमें करीब 600-700 हिन्दू व मुस्लिम मारे गए। यह एक अनोखी साम्प्रदायिक हिंसा थी। इसके बाद से एकाएक आतंकवादी घटनाएं घटित हो रही है। वर्तमान में भारत की सुरक्षा को साम्प्रदायिकता ने डस लिया है तथा हमारी सुरक्षा इसके कारण खतरे में पड़ चुकी है। आज साम्प्रदायिकता की भावना राष्ट्रीय एकता, अखण्डता के लिए अभिशाप बन चुकी है। जब तक इस प्रकार की साम्प्रदायिक हिंसा पर शिंकजा नहीं कसा जाता है, स्वाभाविक ही है कि राष्ट्र की सुरक्षा का अस्तित्व खतरे में पड़ता रहेगा।

3.5.3 जातीयता :- भारत की आन्तरिक सुरक्षा को जिस प्रकार की चुनौतियाँ मिल रही है, उनमें जातीयता की चुनौती भी अपनी अहम् भूमिका रखती है। आज जाति आधारित निजी सेनाएँ तक गठित हो रही है। वर्तमान समय में जातीयता आज हमारे समाज पर इतनी बुरी तरह से हावी है कि आज प्रत्येक दल जातीय आधार

पर ही चुनाव में टिकट देते है और कुछ राजनीतिक दल तो जातीय समीकरण के अनुसार जातीयता का खुला प्रदर्शन चुनाव के दौरान करने से भी बाज नहीं आते है।

स्वतन्त्रता से पूर्व हमारे पूर्वजों ने समानता, सर्वधर्म समभाव, विश्वबन्धुत्व की भावना को लेकर एक स्वतन्त्र भारत का सपना देखा था। जातीयता हमारे समाज पर लगा एक ऐसा धब्बा है, जिसके रहते स्वस्थ समाज एवं आजाद राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। जातीयता रूपी दानव को हमने समय रहते मारा नहीं तो यह हमारे देश की आन्तरिक सुरक्षा को निगल देगा और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

3.5.4 क्षेत्रीयता :- भारत में आज जिस गति से क्षेत्रीयता की भावना उभर कर सामने आ रही है, उसके कारण राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अखण्डता खतरे में दिखाई पड़ रही है। क्षेत्रीयता का सम्बन्ध उन प्रवृत्तियों से है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न भाषायी, जातीय, क्षेत्रीय समुदाय राजनैतिक, प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से स्वायत्तता की मांग करते है। जिस तेजी से आज देश में क्षेत्रीयता के नारे बुलन्द किए जा रहे है, वे राष्ट्र की एकता व अखण्डता के लिए चुनौती सिद्ध हो रही है। वैसे क्षेत्रीयता मूलत: एक भू-भागीय सीमा को परिभाषित करती है। यदि इसका आधार प्रशासनिक सुविधा ही तो यह राष्ट्र निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रकार यदि क्षेत्रीयवाद सांस्कृतिक पहचान की चेतना से सम्बन्धित है, तो इसका प्रभाव भी सकारात्मक सिद्ध होगा। परन्तु आज परिस्थितियाँ भिन्न है, सर्वप्रथम भारत में नागा विद्रोहियों ने अलग राज्य की स्थापना हेतु तथा उसके बाद मद्रास, मध्यप्रदेश में विशाल आन्ध्र आन्दोलन आदि क्षेत्रीयवाद का प्रमुख उदाहरण है। क्षेत्रीयवाद को भाषावाद, क्षेत्रीयवाद, आर्थिक असन्तुलन एवं वोट की राजनीति आदि पहलू प्रोत्साहित करते रहते है, जो अन्ततोवत्वा राष्ट्रीय विघटन के कारण बन जाते है।

3.5.5 भाषावाद :- देश की सुरक्षा के सन्दर्भ में आन्तरिक खतरे के रूप में भाषावाद का स्थान भी आता है। भारत वर्ष की जनता बहुभाषी हैं। यदि मानव के पास भाषा या वाणी की शक्ति न होती तो सम्भवत: उसके अधिकारों का विचार व प्रसार सीमित हो जाता। भाषा और समाज एक-दूसरे के अनिवार्य अंग है। समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाली इसी भाषा को लेकर आज हमारे देश में जो तनाव की स्थिति यदा-कदा उठती रहती है, उसे भूल पाना सम्भव नहीं। समय-समय पर भाषा प्रेमियों ने विद्रोह व संघर्ष का रूप धारण करके विभिन्न राज्यों के मध्य ईष्या तथा घृणा की भावना को जन्म दिया है। भाषा व मातृभूमि दो ऐसी चीजें है, जिनसे मनुष्य का जन्मजात प्रेम होता है और वह इन दोनों को किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रीय अखण्डता के नाम पर उन पर किसी दूसरी भाषा को लादने का प्रयास किया जाए तो स्वभावत: वह इस प्रयास का कड़ा विरोध करेगा। भारत में हिन्दी, मराठी, मणिपुरी, बिहारी, तेलगू, कोंकणी,

कन्नड़, मलयालम आदि 18 भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है, जिनमें हिन्दी एक ऐसी भाषा है, जो स्वत: बोली व समझी जाती है। लेकिन जब केन्द्र सरकार ने पूरे देश में सरकारी काम-काज के लिए हिन्दी प्रयोग करने का आदेश जारी किया, तो दक्षिण भारत में इसका कड़ा विरोध हुआ। तोड़-फोड़, आगजनी के साथ ही कुछ हिन्दी प्रेमियों को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया गया। इसी समस्या ने पूरे भारत को दो भागों में विभाजित किया - उत्तरी व दक्षिणी भारत में भाषा के आधार पर ही 1958 में देश के प्रान्तो का पुनर्गठन किया गया । सन् 1953 में आन्ध्रप्रदेश का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। दुर्भाग्यवश भाषावाद देश की अखण्डता व एकता के लिए खतरा माना जा रहा है, जबकि इसे सामाजिक एकीकरण तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रभावशाली ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है।

3.5.6 नक्सलवाद :- नक्सलवाद भारत की आन्तरिक सुरक्षा, विकास और सामाजिक सद्भाव के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है, और सम्पूर्ण विश्व को शान्ति व सह-अस्तित्व का जीवन दर्शन बाँटने वाले भारत देश को हिंसा दर हिंसा से लहूलुहान कर रहा है। नक्सलवाद की चपेट में आने वाले भारतीय प्रदेशों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनकी कार्यवाहियों से देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा गम्भीर आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित्त है। नक्सलवादी मुख्यत: माओं के दर्शन में विश्वास करते है। नक्सलवादी यह अच्छी तरह से जानते है कि लोगों को सही तरीके से संगठित करके ही अपने लक्ष्य को कारगर ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है। आरम्भ में नक्सलवादियों का एकमात्र ध्येय शोषितों एवं वंचितों को बड़े भू-स्वामियों और जमींदारों के शोषण से मुक्त कराना था, लेकिन धीरे-धीरे यह आन्दोलन अराजक एवं हिंसक होता गया और अब तो वह आतंकवाद के रूप में तब्दील हो चुका है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी सभा के दौरान हुई नक्सली हिंसा से देश की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिह्न लग गया है। ये लोग माउत्से तंत्र को आदर्श मानते हैं और कहते है कि सत्ता तक केवल हिंसा के रास्ते ही पहुँचा जा सकता है। वर्तमान में नक्सलियों से तीन बड़े खतरे है, जो निम्न है -

1 नक्सलियों के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री तक कह चुके है कि यह देश की आन्तरिक सुरक्षा पर सबसे बड़ा खतरा है। नक्सली अपने घोषणा पत्र, अपने साहित्य और अपने भाषणों में साफ तौर पर इस बात का जिक्र करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र व उसके संविधान में उनका विश्वास नहीं है। वो इस देश में वन पार्टी रूल बैलेट के द्वारा नहीं, बल्कि बुलेट के द्वारा लाना चाहते है। दुनिया का कोई भी प्रजातंत्र इस तरीके को स्वीकार नहीं करेगा। भारत के पास आज जो कुछ भी है, वह सब कुछ

प्रजातंत्र की ही देन है। जिस लोकतंत्र की वजह से हम खुली हवा में सांस ले पा रहे है, अगर वह लोकतंत्र ही समाप्त हो जाएगा तो यह देश भी समाप्त हो जाएगा।

2 नक्सली अन्य अलगाववादी तत्वों का न केवल समर्थन करते है, बल्कि उनसे साठगांठ भी करने में लगे है। ये मणिपुर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को, कश्मीर में लश्कर ए तौयबा को और देश के बाकी हिस्सों में सक्रिय साझा प्रशिक्षण भी करने लगे है।

3 आज समूचे मध्य भारत पर नक्सलियों की काली छाया है। देश का 90 प्रतिशत से अधिक कोयला मध्य भारत से आता है, जिसे ब्लैक कोरीडोर कहा जाता है। रेड कोरीडोर ने ब्लैक कोरोडोर पर कब्जा कर लिया, तो जिस भारत को आज दुनिया की थर्ड इकॉनोमी कहा जा रहा है, वह थर्ड रेट इकॉनोमी हो जायेगा तथा देश का विकास अवरूद्ध हो जायेगा।

नक्सलवाद एक ऐसा बारूद का ढेर है, जिसके विस्फोट से भारतीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जब यह एक छोटी चिंगारी के रूप में जेलों पर आक्रमण करके हमारी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दे रहे है, तो अपने विशाल रूप से यह भारतीय सुरक्षा की नींव ही हिला देगा। जिस प्रकार पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी गतिविधियों के चलते अलगाववाद की भावना व्याप्त है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आतंकवादी गतिविधियों का सहारा भी ले रहा है, उनकी हिंसात्मक गतिविधियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि यही स्थिति रही तो नक्सलवाद जम्मू कश्मीर के आतंकवाद और पूर्वोत्तर के अलगाववाद से भी बड़ी गम्भीर समस्या का रूप ले सकता है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान न किया गया तो भारतीय सुरक्षा को खतरे में डाल अलगांववाद की भावनाओं के बीच बो देगा।

नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने हेतु त्रि-आयामी सूत्र महत्वपूर्ण हो सकते है, यह तीन आयाम है -

1 रक्षा :- रक्षा का साधन और साध्य बहुआयामी होता है। रक्षा का दायित्व राज्य पुलिस बल, केन्द्रीय बल और सैन्य बलों के कन्धों पर होता है। राज्य पुलिस के दोनों अंग नियमित पुलिस बल और सशस्त्र पुलिस बल दोनों का अपना अलग महत्व होता है। नियमित पुलिस बल क्षेत्र के कानून व व्यवस्था को स्थापित करें, वहीं सशस्त्र बल का मुख्य काम नक्सलियों के विरूद्ध छापा मारना, घात लगाना, खोजबीन करना, गश्त लगाना आदि होना चाहिए। बढ़ते नक्सली दबाव को कम करने के लिए केन्द्रीय बलों (सी.आर.पी.एफ., आई.टी.बी.पी., बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. आदि) की मदद की आवश्यकता होती है। केन्द्रीय बल राज्य के पुलिस बलों की अपेक्षा प्रशिक्षित तथा अनुभवी होती है। छत्तीसगढ़ में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल के साथ गुजरात के सशस्त्र बल तथा नागालैण्ड के नागा

बटालियन को तैनात किया गया है। सुरक्षा का तीसरा तथा अन्तिम विकल्प सैन्य बलों की पदस्थापना होती है, इसमें सेना के तीनों अंग सम्मिलित है।

2 विकास :- विकास के तात्कालिक तथा दीर्घकालिक लक्ष्य बनाकर प्राथमिकता तय करनी चाहिए। संचार, परिवहन, सिंचाई, शिक्षा तथा सशक्तिकरण की तीव्र गति युक्त योजना तथा उस पर क्रियान्वयन होना चाहिए। योजनाओं का क्रियान्वयन ईमानदार नागरिक प्रशासन तथा अप्रशासकीय संगठनों के माध्यम द्वारा जनभागीदारी से होना चाहिए। छोटे-छोटे लक्ष्य पूरा कर नक्सलियों की पकड़ को कमजोर नहीं किया जा सकता। नक्सली विचारधारा को बड़े व दीर्घावधि के लक्ष्य पूरा कर चुनौती दी जा सकती है।

3 लोकतन्त्र :- लोकतन्त्र के सभी स्तम्भ मजबूत है। लोकतन्त्र की सभी संस्थाएं यथा संसदीय प्रणाली, विधानसभा, पंचायतीय प्रणाली तथा विभिन्न समितियों के ईमानदारी पूर्ण चुनाव हो तथा ईमानदारी पूर्ण अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सभी राजनीतिक दल अपने कर्त्तव्यों को ठीक ढंग से अमल में लावें, तो नक्सली विचारों पर अंकुश लगाया जा सकता है।

(7) अन्य खतरे :- भारत की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाले मुख्य सम्भावित्त खतरों के अलावा कुछ अन्य आन्तरिक खतरे भी है जो असुरक्षा निम्न है -

1 बाहरी आक्रमण - दुश्मन राष्ट्रों द्वारा हमारे देश पर आक्रमण करना एवं अपने एजेन्ट्स भेजकर आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पहुँचाने वाले कार्य जैसे - आतंकवाद, बम विस्फोट जैसी गतिविधियों के द्वारा छदमयुद्ध आदि बाहरी आक्रमण में शामिल है।

2 आर्थिक कारण :- कृषक असंतोष, औद्योगिक श्रमिक आन्दोलन, आर्थिक अपराध, बैंक धोखाधड़ी, स्मगलिग व फर्जी नोटों का प्रचलन

3 राजनैतिक कारण :- क्षेत्रीय आन्दोलन, भाषायी आन्दोलन, आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना, हड़ताल।

4 सामाजिक कारण :- शासकीय सेवाओं में भ्रष्टाचार, जातिवाद, नस्लवाद एवं रंग भेद

5 साम्प्रदायिक असंतोष

उपर्युक्त कारणों से होने वाले असन्तोष से कभी देश को दो-चार होना पड़ सकता है। भारत पर आज साम्राज्यवादी शक्तियों के दबाव में आर्थिक गुलामी का शिंकजा भी कसता जा रहा है। भारत द्वारा आई.एम.एफ. व विश्व बैंक से लिए ऋणों द्वारा इस कर्ज की एवज में विश्व व्यापार संगठन में साम्राज्यवादी देशों के दबाव में शामिल होने के कारण भारत पर आज एक बहुत बड़ा खतरा मँडरा रहा है, जो आन्तरिक रूप से देश को खोखला कर रहा है। आज

बाहरी खतरों का सामना करने के लिए आन्तरिक खतरों से निपटने तथा देश को अन्दर से मजबूत करने की जरूरत है। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें आन्तरिक समस्याओं पर काबू पाना जरूरी है। राष्ट्र के अन्दर आपसी मनमुटाव, वैमनस्य, तनाव, देश की आन्तरिक सुरक्षा को बाधित करने की प्रथम कड़ी होती है। इसके लिए गम्भीरतापूर्वक राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा समाधान खोजने की प्राथमिकता पर बल देना आवश्यक है।

उपर्युक्त वर्णित आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था की चुनौतियों से स्पष्ट है कि ये सभी हमारे देश के लिए अत्यन्त विस्फोटक परिस्थितियाँ है, तथा इनका समाधान करने हेतु केन्द्रीय स्तर पर एवं राज्य स्तर पर शासित सरकारों का यह दायित्व है कि वह अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था करें कि आम व्यक्ति स्वतंत्रापूर्वक अपना जीवन यापन कर सके एवं उसे सुरक्षा की भावना न सताएं। किन्तु वर्तमान में जो हालात है वो इस बात की ओर संकेत कर रहे है कि देश बाह्य खतरों की अपेक्षा आन्तरिक चुनौतियों से अधिक त्रस्त है तथा इस सम्बन्ध में हमारी कोई स्पष्ट व ठोस रणनीति भी नहीं है। आज बढ़ता आतंकवाद, साम्प्रदायिक आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रीय जासूसी व गुप्तचरी, धर्म व भाषावाद देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देश की सुरक्षा व्यवस्था का उन सभी छोटे-बड़े तत्वों क्षेत्रों आदि से गहरा सम्बन्ध है, जो मिलकर एक राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करते है। कट्टर धार्मिकता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिक असन्तोष, बढ़ता आतंकवाद, पूर्वोत्तर का असंतोष, शहरी औद्योगीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च व निम्न वर्गों व जातियों के मध्य असमानता के कारण उत्पन्न समस्याएँ राजनैतिक अंसतोष सामाजिक असंतोष आदि मुख्य तत्व है, वहीं आतंरिक सुरक्षा के लिए खुली चुनौतियाँ भी है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए समय - समय पर देश में गृह व रक्षा मंत्रालय द्वारा अनेक आयोग, समितियाँ नियुक्त कर आतंरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने हेतु उपाय किए जाते है।

3.6 सारांश

भारत के पड़ौसी राष्ट्र व आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित प्रस्तुत अध्याय में भारत के पड़ौसी राष्ट्रों के साथ सम्बन्धों पर प्रकाश डाला गया है। भारत के पड़ौसी राष्ट्र किस तरह से मित्रवत व्यवहार करते हुए हमारे साथ विश्वासघात कर रहे है, उनकी रणनीतियाँ क्या हैं, वे हमें किस प्रकार हानि पहुँचा रहे है, इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही वर्तमान में हमें किस प्रकार की आन्तरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में हमारा देश बाह्य व आन्तरिक दोनों मोर्चों पर विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ एक ओर पाकिस्तान द्वारा भारतीय सैनिकों का सिर काटकर ले जाने की निदंनीय व वीभत्स कृत्य किए गए है वहीं दूसरी ओर चीन के सैनिकों की भी हमारी सीमा में लगातार दाखिल होने की कोशिश की जा रही है, इससे उनके नापाक इरादे पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुके है, निश्चित रूप से भारत को कड़ी

कार्यवाही करने हेतु कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। वही देश को नक्सलवाद की बढ़ती घटनाओं ने पूरी तरह झकझोंर कर रख दिया है। इतने गम्भीर हालातों में भी न केवल राजनीतिक दलों के बीच अपितु सरकार में शामिल व उनको समर्थन दे रहे दलों के अन्दर भी राजनीति चल रही है। निश्चित ही हिंसा के इन उद्गम स्रोतों को सन्तुलित विकास व शिक्षा के आलोक में प्रशासनिक चुस्ती के द्वारा बांधा जा सकता है। इसके लिए हमें राजनीतिक दूरदृष्टि एवं दृढ़ इच्छा शक्ति लानी होगी, तभी वर्तमान समस्याओं को बेलगाम होने से रोका जा सकता है।

वर्तमान समय में भारत को राष्ट्र के बाहर व भीतर दोनों ही मोर्चों पर विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि हम देश की बाह्य सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उसका सामना करने के लिए हमारे पास तीनों सेनायें (जल, थल, वायु) उपलब्ध है, साथ ही साथ बी.एस.एफ., आई.टी.बी.पी., सी.आर.पी.एफ. जैसे केन्द्रीय संगठन भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण योगदान करते हैं तथा व्यापक गुप्तचर व्यवस्था भी रखी जाती है। बाह्य सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना भी केन्द्रीय सरकार का ही दायित्व है। प्रस्तुत अध्याय का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट है कि हमारे देश को आन्तरिक खतरों (आतंकवाद, नक्सलवाद, साम्प्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता) से जूझना पड़ रहा है, जो कि समय व परिस्थितियों के अनुसार अनेक रूप धारण कर लेते है। आन्तरिक समस्याओं ने अत्यधिक विकराल रूप धारण कर लिया है तथा इस समय हमें इनसे छुटकारा पाना अत्यधिक आवश्यक हो गया है। इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेगें तथा राष्ट्रीय अखण्डता के सुरक्षार्थ अब भारत को अविलम्ब एक दीर्घकालीन रणनीति बनानी ही होगी। आज बाहरी खतरों का सामना करने के लिए आन्तरिक खतरों से निपटने और देश का अन्दर से मजबूत करने की जरूरत है। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें आन्तरिक समस्याओं पर काबू पाना जरूरी है। राष्ट्र के अन्दर आपसी मनमुटाव, वैमनस्य, तनाव, देश की आन्तरिक सुरक्षा को बाधित करने की प्रथम कड़ी होती है। इसके लिए गम्भीरतापूर्वक राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा समाधान खोजने की प्राथमिकता पर बल देना आवश्यक है।

3.7 अभ्यास प्रश्न

1 भारत को हानि पहुँचाने वाले पड़ौसी देशों के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन कीजिए।

2 भारत की आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए।

3 भारत की बाह्य सुरक्षा व्यवस्था हेतु कार्यरत केन्द्रीय संगठनों पर प्रकाश डालिए।

इकाई - 4

भारतीय संदर्भ में आतंकवाद

इकाई की रूपरेखा

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 आतंकवाद की अवधारणा एवं आयाम

4.2.1 आतंकवाद का अर्थ एवं परिभाषा

4.2.2. आतंकवाद के लक्षण, क्षेत्र, गतिविधियां

4.2.3 आतंकवाद के परिक्षेत्र

4.3.4 आतंकवाद गतिविधियॉं

4.3.5 भारत में आतंकवाद की प्रमुख घटित घटनाऍं

4.3. आतंकवाद के विभिन्न प्रकार

4.4. आतंकवाद के व्युत्पत्ति के कारक

4.5 आतंकवाद के विविध परिप्रेक्ष्य

4.5.1. धार्मिक

4.5.2. ऐतिहासिक

4.5.3. आर्थिक

4.5.4. राजनैतिक

4.5.5. समाजशास्त्रीय

4.5.6. वैधानिक

4.6 आतंकवाद के बदलते विविध स्वरूप एवं आयाम

4.7 राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन

4.8 भारत में आतंकवाद की स्थिति एवं वास्तविकताएं

4.9 भारतीय संदर्भ में आतंकवादी समस्याएं एवं चुनौतियाँ

4.10 आतंकवाद के परिणाम और मानवधिकारों का उल्लघंन एवं संरक्षण

4.11 आतंकवाद के निवारण हेतु किए गए वैश्विकरण के विविध आयाम

4.12 भारत में आतंकवाद के मुकाबले हेतु प्रयुक्त मॉडल

4.12.1 इजराईली मॉडल

4.12.2 अमेरिकन मॉडल

4.12.3 भारतीय मॉडल

4.13 आतंकवाद: निवारण एवं समाधान

4.14 सारांश

4.15 प्रयुक्त शब्दावली

4.16 अभ्यासार्थ प्रश्न

4.17 संदर्भ ग्रंथ

4.0. उद्देश्य

इस इकाई के आद्योपांत अध्ययन करने के पश्चात आप -

- भारतीय संदर्भ में आतंकवाद के विभिन्न उद्देश्य एवं प्रस्तावना को भलीभांति समझ सकेंगे।
- आतंकवाद की अवधारणा, तात्पर्य, लक्षण, क्षेत्र तथा विभिन्न आतंकवादी गतिविधियां एवं हादसों के बारे में समझ सकेंगे।
- आतंकवाद की व्युत्पति एवं विकास, उत्पन्न होने के विविध कारणों तथा इसके स्वरूप /प्रकारों एवं वर्गीकरण की जानकारी हासिल कर सकेंगे ।
- आतंकवाद के अनेक परिप्रेक्ष्यों समर्थित देशों और प्रदेशों के बारे में अवगत हो सकेगें।
- आतंकवाद के स्वरूपों, आयामों, विभिन्न प्रकारों, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों से सुपरिचित हो सकेगें। आतंकवाद पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों और घोषणाओं को गहन रूप में समझेगें।
- भारतीय संदर्भ में आतंकवाद एवं मानवाधिकारों के उल्लंघन सम्बन्धी क्रिया कलापों से सुविज्ञ हो सकेंगे।
- आतंकवाद के मुकाबले हेतु प्रयुक्त मॉडल एवं इसकी ज्वलंत समस्याओं, चुनौतियों और समाधान के कारगार उपायों एंव सुझावों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे।

4.1 प्रस्तावना

मानवजाति के इतिहास में आतंकवादी गतिविधियों प्रारम्भ से ही जुड़ी हुई है। आज सम्पूर्ण दुनियां आतंकवाद के आगोश में गिरफ्त हो चुकी है। इसके कारण समूचा विश्व आतंकवाद जैसी भंयकर एवं ज्वलंत समस्या से त्रस्त होकर इसकी ज्वाला के चपेट में आकर धूँ धूँ जल उठा है। वर्तमान आतंकवाद कोढ की भांति विकासशील और विकसित देशों में तीव्रतम गति से फैल रहा है। उग्रवादी चरमपंथी, अलगाववादी, बहुपक्षी और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हिंसा, आगजनी, तोड़-फोड़ विध्वंसकता नित्य नवीन तकनीकों का सहारा लेकर मानवता से उन्मुख होकर दानवता का वरण करने में प्रयत्नशील दिखाई दे रहे हैं। आतंकवादी संगठनों ने पिछले कुछ वर्षो से अत्यधिक संवेदनशील हथियारों और सुरक्षित, विश्वसनीय और तेजगति के आधुनिकतम संचार-साधनों का प्रयोग को अमल में ला रहे है। ये आतकंवाद समर्थक चरमपांथियों और उग्रवादियों, नक्सलवादियों से भी सहायता लेते है। उनके पास विश्वसनीय आसूचना तथा संचार साधनों के अलावा भारी मात्रा में धन-भुज और शक्ति बल उपलब्ध है। वे चरम पंथी सरकारों के विभिन्न आतंकवाद समर्थक देशों की सहायता लेकर आतंकवादियों के लिए प्रशिक्षण और छिपने के स्थान चुनते है।

प्राचीनकाल में ही मानव-संस्कृति के इतिहास में विभन्न रूपों में आतंकवाद की पुनरावृति होती रही है। विरोधियों को आतंकित करके समर्पण के लिए विवश किया जाता है। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो भारत दुनियाभर में आतंकवाद से सर्वाधिक त्रस्त देशों में से एक है।आधुनिक आतंकवाद ने वैश्विकरण के आयामों को अर्जित करके पूरी दुनियां के लिए नासूर की तरह चुनौती बना हुआ है। वर्तमान युग में आतंकवाद ने व्यक्ति, सम्पति (जानमाल), स्थान, संचार एवं संचरण को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। व्यक्ति की इंसानियत को झकझोर करके उसकी आजादी, गरिमा और समता को एक तरफ लकवाग्रसित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस वसुधा पर शांति, सुरक्षा, अमन-चैन एंव खुशहाली को विक्षुब्ध कर दिया है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विभिन्न निहित स्वार्थों एवं हितों की प्रतिपूर्ति के लिए अनेक आतंकवादी संगठनों ने दुनियां के सुदुर कोने-कोने में संजाल स्थापित कर लिए है। आजकल आतकंवाद का साया दुनिया के प्रमुख देशों अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, अफगानिस्तान, ईराक, ईरान, सउदी अरब, अमीरात, श्रीलंका, पाकिस्तान, ब्लूचिस्तान, नेपाल, रोमानियां, फ्रांस, इटली, नार्वे, जापान, रूस, आयरलैण्ड, फिनलैण्ड व आरमीनियां इत्यादि में फैल गया है। सन् 1947 के भारत-विभाजन के पश्चात से ही देश के मुकुटमणि जम्मू-कश्मीर को शेष भारत से पृथक करने का षडयंत्र पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को सरेआम पनाह देकर शुरू किया गया था। जो सन् 1947, 1965 और 1971 को भारत-पाक के बीच छिड़े युद्धों से यह मंशा बिलकुल स्पष्ट हो जाती है। घाटी के मुटठीभर मुसलमान भाइयों को बहकाकर उन्हें सब्ज-बाग दिखाकर इस्लामिक कट्टर पंथियों ने इसके हाथों में हथियार थमाकर, राज्य की जनता, विशेषकर अल्पसंख्यक हिन्दु समाज पर अत्याचार करने के लिए तैयार किया। बीसवीं सदी के अस्सी के दशक में पंजाब प्रदेश

उग्रवाद, अलगाववाद एवं आतंकवाद से त्रस्त रहा था। बब्बर खालसा एंव अन्य समूह इस आतंकवादी-मंजूर के जनक रहे थे। सन् 1984 में तत्कालिन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमति इंदिरा गांधी ने सिक्खों को 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' संचालित करवा करके सैनिक कार्यवाही द्वारा आतंकियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकलवाने की कार्यवाही शुरू की थी। देश के प्रमुख शहरों मुम्बई, हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, लुधियाना, अहमदाबाद, मानव बम श्रृंखला, रेलगाड़ियों में बम विस्फोट आतंकवाद के बढ़ते स्वरूपों के परिचायक है। भारत में आतंकवाद से सर्वाधिक त्रस्त एंव प्रभावित राज्यों में से जम्मू-कश्मीर है।
भारत में नक्सलवाद भी आतंकवाद का ही नवीन स्वरूप ले चुका है। हमारे देश में नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य जैसे पश्चिम बंगाल,उड़ीसा, बिहार, आन्ध्रप्रदेश, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र का पूरक बनकर देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। आतंकवाद ने आजकल लोगों के जीवन को भयभीत एवं असुरक्षित बना दिया है। आतंकवाद एक ऐसी ज्वंलत समस्या है। जिसका भारत में हम तीन दशकों से को आधे समय से सामना कर रहे है। आतंकवाद अभित्रास, भयाकांत करने की एक संगठित पद्वति है। आतंकवाद विद्रोह, उप्लव, गृह-युद्व क्रांति, गुरिल्ला युद्व, अभित्रास, उग्रवाद, अलगाव, चरमपंथवाद, जैसे शब्द बहु परस्पर प्रयोग किए जाते है। भावकवाद के प्रमुख कारण आधुनिक सभ्यता की प्रकृति में ही है और आधुनिक औद्योगिक प्रणाली में निहित है। आतंक के अनेक स्वरूप, आयाम प्रकार और ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक और वैद्यानिक परिप्रेक्ष्य दृष्टिगोचर हो रहे है। पंजाब में खालिस्तान उम्मुखी आतंकवाद, कश्मीर में उग्रवादियों का आतंकवाद, बंगाल, बिहार व आन्ध्रप्रदेश में नक्सलवादी आतंकवाद और असम में उल्का और बोड़ो आतंकवाद का माजरा दिखाई दिया। आतंकवादियों से निपटने हेतु भारतीय संसद ने टोड़ा और पोटा कानून बनाए गये थे। आतंकवादी गतिविधियों और क्रियाकलापों का सामना करने के लिए भारतीय, अमेरिकन और इजराइली प्रारूप तैयार किए गए है। हमें अब आतंकियों को आंतकित करने वाले आतंककारियों के आतंक से मुक्त करना होगा। आतंकवाद की अनेक चुनौतियों और समस्याओं का मुकाबला उपयुक्त समाधान के तरीके अपनाकर इसे उन्मूलित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को सजक और जागरूक बनाकर आतंकवाद से मुकाबला करने की रणनीति अपनाई जानी चाहिए।

4.2 आतंकवाद की अवधारणा एंव आयाम

आज विश्व के बहुत कम राष्ट्र आतंकवाद से अछुते बचे हैं। प्राचीनकाल में विरोधी को आतंकित करके उसे समर्पण के लिए विवश किया जाता था। मध्यकाल के आरम्भ में विशेषकर 5वीं से 11वीं शताब्दी तक आतंकवाद का प्रयोग शत्रुओं को आतंकित और भयभीत करने के लिए किया जाता था। आदिकाल से ही आतंकवादी कृत्य होते रहे है। लेकिन समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप आतंकवाद का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। आतंकवाद मुख्यत: विकृत सामाजिक व्यवस्था का ऐसा उत्पाद है। जिसने सम्पूर्ण विश्व की

सुरक्षा व्यवस्था को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। आतंकवाद व्यक्तियों के बीच लड़ाई नहीं है, अपितु यह सामाजिक समूहों एवं राजनैतिक शक्तियों के मध्य के संघर्ष का बिगुल है। राजनीति में आतंकवाद, भयादोहन, जबरदस्ती और अल्पसंख्यकों के संकल्प को बहुसंख्यकों के निर्माण के विरूद्ध और उसके उपर लागू करने का हथियार है। आतंकवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग अमेरिकन युद्ध की आजादी और फ्रांस क्रांति के मुश्किल समय में सन् 1795 में किया गया था। आतंकवाद 20वीं शताब्दी को अंतिम दो दशकों में भयंकर रूप ले बैठा था। आतंकवादियों ने आयुधों, संपर्क सूत्रों, धन समाहित करने के साथ-साथ और नवीन गतिविधियों में उंची छलांग लगाई है। कट्टरपंथियों ने भारत और विश्व में आतंक का साम्राज्य स्थापित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। 11 सितम्बर 2001 को अमेरिका पर इस्लाम के चरमपंथियों के हमले के अलावा इंडोनेशिया, भारत, स्पेन, जर्मनी, इंग्लैड और फ्रांस जैसे देशों पर भी बर्बर आतंकवादी हमले 21वीं सदी में अनवरत हुए है।

4.2.1 आतंकवाद का अर्थ तथा परिभाषा

आतंकवाद शब्द लैटिन शब्द ''टेरर (आतंक) से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य भय एवं खोपनाक स्थिति पैदा करने से है। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद तब होता है, जब एक से अधिक राज्यों या राष्ट्रों का हित प्रभावित होता है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से ही है। जब एक ही राष्ट्र के विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों के भीतर या उसकी सीमाओं के अन्तर्गत सीमित रहता है तो इसे ही हम राष्ट्रीय आतंकवाद कहते है। आतंकवाद के शाब्दिक अर्थ के अुनसार आसे आगजनी, तंसे तंग करना, क से कत्लेआम, वासे वारदात को अंजाम देना तथा दसे दहशत फैलाकर अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए लोगों के मन में भय उत्पन्न करना, डरा-धमका करके जुल्म ढहाना है। आतंकवाद की आज तक कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं दी जा सकी है। वी. लेक्वियर के अनुसार सन् 1936 से 1981 के बीच आतंकवाद की लगभग 109 परिभाषाएं दी जा चुकी है। इसका प्रमुख कारण यह माना जाता है कि कई बार आतंकवाद को स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्णय के अधिकार से जोड़े दिया जाता है। इससे आतंकवाद के वैध-अवैध होने का प्रश्न रह जाता है। सामान्यत: ऐसी धारणा बन चुकी है। ''किसी एक व्यक्ति के लिए जो आतंकवादी है, वह दूसरे व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता सेनानी होता है''। सामान्य रूप से राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई नियमित और अवैध हिंसा, भयाक्रांत करना ही आतंकवाद कहलाता है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेजामिन नेतानयाहू के अनुसार'' राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए भय पैदा करने हेतु जानबूझकर क्रमबद्व रूप से निर्दोषों को धमकी देना, डराना, उनका अंगभंग कर देना, उनकी हत्या कर देना आतकंवाद कहलाता है। सन् 1978 में येरूशलम में आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय में इस परिभाषा को मान्यता प्रदान की गई थी। अब आतंकवाद के कारण या उद्देश्य की बजाए कार्यकलापों की प्रकृति के आधार पर पारिभाषित किया जाना चाहिए।

सन् 2001में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा था कि आतंकवाद को पारिभाषित करने का सबसे कठिन मुद्दा है। सयुंक्त राष्ट्र संघ ने अपने प्रस्ताव संख्या 1373 के माध्यम से आतंकवाद को आपराधिक गतिविधि बताया है। सर्वप्रथम सन् 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा कई आतंकवाद के नवाचारों अभिसमयों और संकल्पों के प्रस्तावों में आतंकवादी की ज्वंलत समस्या को उठाया गया था। सन् 1999 में सुरक्षा परिषद ने आतंकवाद से पूरा मुकाबला करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद ने आतंकवाद से पूरा मुकाबला करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा मजबूती प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को भूमिका निभाने के बिन्दु पर जोर दिया था।

1- व्यक्ति या गुट द्वारा हिंसा का प्रयोग अथवा हिंसा की धमकी जिसका उद्देश्य राजनीतिक मांगे मनवाने के लिए शक्ति गुट या सरकार को विवश करना ही आतंकवाद कहलाता है।
2- भारतीय दृष्टि में आतंकवाद एक असामाजिक, सांस्कृतिक, असवैंधानिक, अनैतिक एवं अवांछित कार्य पद्वति है। आतंकवाद का उद्देश्य निरपराधी लोगों की हत्या करके आमजन में आतंक एवं दहशत फैलाना, अपने राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकार को विवश करना है।।
3- अमरी की दृष्टि में ''आतंकवाद का तात्पर्य हिंसा अथवा धमकी से सम्बन्धित उन सभी कार्यो से है जिनका उद्देश्य किसी राज्य अथवा संगठनों के हितों की क्षति पहुंचाना अथवा उससे किसी प्रकार की रियासत पाना हो''

4.2.2. **आतंकवाद की विशेषताएं क्षेत्र और गतिविधियाँ**:

4.2.2.1 आतंकवाद अनियमित और उत्पीड़न, जोर-जबरदस्ती या जानमाल के नुकसान की तकनीक है। इसका प्रयोग ऐसे उपराष्ट्रीय समूहों द्वारा किया जाता है जो तनाव की भिन्न-भिन्न स्थितियों में काम करते हुए वास्तविक अथवा भ्रांतिमूलक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। वर्तमान परिदृश्यों में आतंकवाद की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार व्यक्ति की जा सकती है।

1- आतंकवाद प्रथमत: राज्य या समाज के विरूद्ध होता है। 2. आतंकवाद फैलाने का राजनैतिक उद्देश्य होना चाहिए। 3. आतंकवादी गतिविधियां और क्रियाकलाप अवैध (गैर-कानूनी) होता है। 4. आमजन को डराने-धमकाने की चेष्टा के साथ पीड़ित या शिकार व्यक्ति को अवपीड़ित एवं वश में करना होता है। 5. आतंकवादी विध्वंसक गतिविधियों के कारण जनसाधारण में बेबसी और लाचारी की भावना उत्पन्न होती है। 6. आतंकवाद के क्रिया कलाप बुद्विसंगत विचारों को समाप्त कर देते हैं। 7. आतंकवाद से मुकाबला करने पर इससे लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया होती है। 8. आतंकवादियों उग्रवादियों, चरमपंथियो, अलगावादियों और नक्सलवादियों द्वारा कारित की गई हिंसा में मनमानी की जाती हैं। 9. आतंकवाद

गतिविधियों के अन्तर्गत, अपनाए गए तरीकों का चयन और अन्धाधुंध तरह से होता है। 10. आतंकवाद उत्तेजित मोड़ व सामूहिक हिंसा, विद्रोह एवं उपलव से अलग होता है। 11. आतंकवाद राज्य का गुट, अपराध नार्को, एवं विवाद प्रेरित एवं प्रायोजित हो सकता है। 12. आतंकवाद क्रियाकलापों में विरोधियों और मुखबिरों को समाप्त करके, अपने अनुयायियों के अनुसरण को सुनिश्चित करना होता है। 13. आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य जन समर्थन हासिल करना, शासन की सैन्य तथा मनौवैज्ञानिक शक्ति को विधठित एवं विध्वसित करना, आन्तरिक स्थिरता की तोड़फोड़ और विकास को रोकन्ना, सामान्य आतंकवादियों के मनोबल को बढ़ाना, सरकार को भड़काना और अपने आन्दोलन का आतंकवादी प्रचार करते है। 14. इसमें निर्बल राष्ट्रों की शक्तिशाली राष्ट्रों को अशक्त या कमजोर करने की इच्छा भी पाई जाती है।15. आंतकवाद में जनसाधारण, सरकार और स्वयं आतंकवादी संगठनों को आतंकवादियों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों शातिर चालों के वहत इन समूहों को निशाना बनाते है।

4.2.2.2. **आतंकवाद की उत्पति और विकास के विविध आयान**:

सन् 1973 की फ्रांसीसी क्रांति के दरमियान राजनैतिक आतंकवाद सत्ता के उपकरण के रूप में विकसित हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध अर्थात् सन् 1939 के बाद राजनैतिक आतंकवाद अन्तर्राष्ट्रीय परदे पर पुन: प्रकट हुआ था। भारत के अलावा इसका प्रयोग नाईजीरिया और केन्या में राजनैतिक स्वतंत्रता हेतु ऐसी गतिविधियों द्वारा किया गया जिनमें उत्पीड़न, तोड़फोड़, अपहरण और हत्याएं करना सम्मिलित था। आतंकवादियों बड़े राजनैतिक कार्यक्षेत्र के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने की चेष्टा की और सन् 1969 से 1975 के बीच करीब चालीस से अधिक देश आतंकवादी गतिविधियों से त्रस्त रहे थे। डॉ. एलेग्जैंडर और फिन्गार ने सन् 1977 में आतंकवाद की उत्पति और विकास हेतु निम्नांकित कुछ कारणों को स्पष्ट किया गया है।

1- आज के युग में जटिल प्रौद्योगिकी समाज आतंकवाद के अकल्पित और बेरहमी आक्रमणों का आसानी से शिकार हुआ है। इसमें परिवहन केन्द्रों, संचार, सुविधाएं कारखानों और कृषि मैदानों को आतंकवादी के बेतरकीब आक्रमणों से नहीं बचाया जा सकता है।
2- अत्यधिक परिष्कृत हथियारों जैसे प्रेक्षपणास्त्रों राडारों और सुदुर नियंत्रण शस्त्रों को प्राप्त करना आतंकवाद संगठनों द्वारा आसान हो गया है। भविष्य में रासायनिक, एन्थ्रेक्स, अणुशस्त्रों मृत्यु और विनाश के उपकरणों तक आंतकवादियों की पहुंच हो जायेगी।
3- श्रीलंका में लिटटे, भारत में खालिस्तान कमांडो, हिजबुल मुजाहिद्दी और इजराइल में पीएलओ, शक्तिशाली उप-राष्ट्रीय समूहों आधुनिक युद्ध क्षमताओं के साथ शक्तिहीन, आतंकवादी समूह उपराष्ट्रीय समूहों में परिवर्तित हो गये है।

इनकी इतनी भयानक शक्ति हो गई है कि वे राज्यों के अंदर पृथक राज्य बनाने की मांग करने के योग्य हो गये है। जिसके फलस्वरूप वैध सरकारों के शासन करने या बने रहने की शक्ति कमजोर हो गई है।

4- सुविकसित संचार और परिवहन के साधनों के अधुनातन विकास और सुविधाओं ने आतंकवादी संगठनों के जाल को केन्द्रिय संगठनात्मक संरचना के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक विकसित कर दिया है। समान राजनैतिक स्वार्थो वाले और सैद्वान्तिक रूप से जुड़े समूहों के बीच वितीय सहायता प्रशिक्षण, सैन्य सामग्रियों की आपूर्ति संगठनात्मक सहायता और संयुक्त आक्रमण आदि पर परस्पर सहयोग बढ़ा है। मित्रता का यह प्रतिरूप अन्तर्राष्ट्रीय हिंसा के क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है।

5- संचार माध्यमों में आई क्रांति के द्वारा आतंकवादी केवल तात्कालिन पीड़ितों को ही अपनी हिंसा का निशाना नहीं बना पाते परन्तु उसकी दिशा को अधिक व्यक्तियों की ओर भी मनौवैज्ञानिक उत्पीड़न और भयादोहन के लिए मोड़ सकते हैं।

6- निर्बल राष्ट्रों को सशक्त करने की इच्छा के कारण आतंकवाद हमारे देश और दुनिया में फैल गया है।

7- आतंकवादियों द्वारा तस्करी और मादक पदार्थो के व्यापार के तरीकों के उपयोग से आधुनिक हथियारों को खरीदने में धनराशि अर्जित हुई है।

8- पूर्व-पश्चिम और वामपंथी विचारधाराओं के बीच संघर्ष ने आतंकवाद को पनपाने में योगदान दिया है।

9- समस्त दुनिया के समूहों में भाषाई, धार्मिक, प्रजातीय और राष्ट्रीय चेतना के संचरण के कारण आतंकवादी क्रियाकलाप बढ़े है।

10- अल्पसंख्यकों द्वारा अपने हकों, आजादी और आत्मनिर्णय के लिए संघर्षरत लोगों में वंचना और कुण्ठा की भावनाएं बढ़ी है। नागरिकों द्वारा देशों में सत्तारूढ़ दमनात्मक सरकारों और तानाशाहों के विरोध में वृद्वि के कारण आतंकवाद विकसित हुआ है।

4.2.3. **आतंकवाद के परिक्षेत्र**

आतंकवादी गतिविधियां भारत के अनेक्र प्रदेशों और विश्व के अनेक राष्ट्रों की सीमाओं के अंदर और बाहरी क्षेत्रों में घठित हो रही है। आतंकवादियों के क्रियाकलापों के परिक्षेत्र निम्नानुसार हो सकते हैं -

(1) स्थानीय आतंकवाद

(2) अन्तरराज्यीय आतंकवाद

(3) राष्ट्रीय आतंकवाद और

(4) अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य में व्याप्त होता है।

4.2.4. **आतंकवादी गतिविधियां**:

आतंकवाद के अन्तर्गत हम निम्लखित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है -

1- मानवजाति को भय और हिंसा के अधीन रखा जाता है।

2- इसमें सामूहिक नरसंहार किया जाता है।

3- सार्वजनिक और निजी सम्पति को विनष्ट कर दिया जाता है।

4- निर्दोष व्याक्तियों को विकलांग, अपाहिज या दुर्बल बना दिया जाता है।

5- महिलाओ के साथ यौन दुराचार और अनैतिक व्यवहार किए जाते है।

6- सामाजिक पर्यावरण को प्रदूषित किया जाता है।

7- वायुयानों आदि का अपहरण किया जाता है।

8- अपहरण, फिरौती लेने की घटनाएं सामान्यत: कारित होती रहती है।

9- आतंकवाद में बालकों एवं महिलाओं से दुराचार किया जाता है।

10- आतंकवादी क्रियाकलापों को अंजाम देने हेतु हथियारों का जखीरा संग्रहित एवं प्रयोग में लिया जाता है।

4.2.5. **भारत में आतंकवादी की प्रमुख घटित घटनाएं**

पंजाब में खालिस्तान उन्मुखी आतंकवाद, कश्मीर में उग्रवादियों का आतंकवाद, बंगाल, बिहार, आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादी, आतंकवाद और असम में उल्का और आतंकवाद, इससे पूर्व हमने नागालैण्ड (1951) मिजोरम (1966) मणिपुर (1976) त्रिपुरा (1980) और गोरखालैण्ड का बंगाल में इस समस्या का सामना किया था। पंजाब में आतंकवाद का 1984-85 में एक खतरनाक स्थिति में पदार्पण हुआ था। मई 1985 में देहली, हरियाणा और उत्तरप्रदेश में कई इलाकों में ट्रांजिस्टर बम विस्फोट हुए। राजनैतिक नेताओं, पत्रकारों, फौज और पुलिस अफसरों और निर्दोष व्यक्तियों की 1984 और 1992 के बीच हत्याएं, 114 हिन्दु रेल यात्रियों का लुधियाना के पास रेलवे स्टेशन पर जून 1991 में जान से मार देना, पंजाब और उसके बाहर दोनो स्थानों पर बैंको को लूटना, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को मार देना, सन् 1991 में केन्द्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री रूबिया का अपहरण, दिसम्बर 1999 में 155 यात्रियों से भरे बोइंग विमान का अपहरण करके कंधार ले जाने पर तीन उग्रवादियों को रिहा कर देना, अगस्त 2000 के प्रथम सप्ताह में उग्रवादियों द्वारा 30 अमरनाथ यात्रियों सहित 110 व्यक्तियों को मार देना, इत्यादि कई वारदातों को आतंकवादियों ने बेहरमी एवं सरेआम अन्जाम देकर देश की शांति और सुरक्षा के माहौल को बदनुमा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी।

कुछ प्रमुख घटनाएं निम्नानुसार आतंकवादी संगठनों के सदस्यों द्वारा कारित निम्नलिखित घटनाओं ने वसुन्धरा को रक्तरंजित कर दिया।

1.सन् 1984 में आतंकवादियों द्वारा सिक्खों के धार्मिक स्थल अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में अनाधिकृत प्रवेश किया गया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वं. इंदिरा गांधी ने सैनिक कार्यवाही 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' चलाकर आतंकियों को मंदिर से बाहर निकालकर सफलता हासिल की थी। 2. 12 मार्च 1993 को मुम्बई में आतंकवादियों द्वारा 257 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके लिए श्रृंखलाबद्व बम विस्फोटो का प्रयोग किया गया था। उसके दोषी पाए जाने वाले अब्दूल कसाब को फांसी की सजा दे दी गई है। 3. 13 दिसम्बर 2001 को नई दिल्ली में आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर अंधाधुध गोलियां चलाकर हमला बोल दिया। इसमें 9 लोग मारे गये थे, इसके दोषी पाए गए अफजल गुरू को भी फांसी की सजा दे दी गई। 4. 7 मार्च 2006 को वाराणसी में हुए बम धमाकों में 100 से अधिक लोग मारे गये थे। 5. 11 जुलाई 2006 को मुम्बई की उपनगरीय रेल में बम विस्फोट किए गए इसमें कई लोग मारे गये और हताहत भी हुए थे। 6. 19 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस में बम हादसा होने से कई लोग मारे गये थे। 7. 13 मई 2008 को गुलाबी नगरी जयपुर में कई जगह श्रृंखलाबद्व साईकिल बम्बों के विस्फोट के कारण कई जाने चली गई। इसका कारण पर्यटकों को भयभीत करना था। 8. 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में किए गए विस्फोट में कई लोग हताहत होकर मारे गये थे। 9. 26 नवम्बर 2008 को फिर मुम्बई में आतंकी हमला होने से ताज होटल में 172 लोग मारे गये थे। 10. 20 सितम्बर 2013 को सीरिया में महिला आतंकवादी गिरोह ने कई निर्मम और निहत्थे लोगों की हत्या कर दी।

4.3 आतंकवाद के विभिन्न प्रकार

आज पूरी दुनिया में आतंकवाद का जबरदस्त कहर बरस रहा है। आतंकवाद आज के समय की सर्वाधिक अवांछित किंतु सर्वाधिक व्याप्त परिघटना है। आज आतंकवाद के कई तरह के स्वरूप देखे जा सकते हैं। आतंकवाद ने भारत में युवाओं को अधिक आकर्षित एवं प्रभावित किया है। इसमें बेरोजगार विभ्रान्त और आदर्शवादी युवक इसके ज्यादा चपेट के घेरे में आते दखे गये है।

1.राजनीतिक आतंकवाद: इस तरह का आतकंवाद राजनैतिक कारणों से फैलता है। श्रीलंका, अफगानिस्तान व भारत में जम्मू-कश्मीर, आसाम राज्यों में राजनैतिक आतंक को बढ़ावा मिला है। 2. धार्मिक आतंकवाद परस्पर विभिन्न धर्मो में कट्टरता फैलने के कारण विभिन्न धर्मो में फैलाना है। इसमें अलकायदा, लश्कर-ए-तैयाब, जैश-ए-मोहम्मद आदि आतंकी संगठन धार्मिक कट्टरता की भावना फैलाकर विभिन्न आपराधिक कृत्यों को अंजाम देते है। 3. सामाजिक आतंकवाद : अपनी सामाजिक स्थिति या अन्य कारणों से उत्पन्न सामाजिक क्रांतिकारी विद्रोह को गैर-राजनीतिक आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में नक्सलवाद इसका ज्वलंत उदाहरण है। 4. इसके अतिरिक्त आतंकवाद के निम्न प्रकार दृष्टिगोचरित हो रहे है। 5. जैविकीय आतंकवाद 6. रासायनिक आतंकवाद 7. घरेलू आतंकवाद 8. वैचार कीय आतंकवाद 9. आपराधिक आतंकवाद 10. सांस्कृतिक

आतंकवाद 11. नारको आतंकवाद 12. तकनीकी आतंकवाद 13. आणविक आतंकवाद 14. नक्सलवादी आतंकवाद 15. सीमा पर आतंकवाद 16. कश्मीरी आतंकवाद 17. साइबर आतंकवाद 18. मुकाबला आतंकवाद 19. टैरीविजन आतंकवाद 20. सरकारी आतंकवाद 21. निहितार्थ आतंकवाद 22. छदमी आतंकवाद 23. संवेदनशील आतंकवाद 24. असंवादनीय आतंकवाद 25. माओवादी आतंकवाद 26. उग्रवादी आतंकवाद 27. पृथकवादी आतंकवाद 28. क्रांतिकारी आतंकवाद 29. मौलिक आतंकवाद 30. अलगाववादी आतंकवाद 31. राष्ट्रीय आतंकवाद 32. अन्तर्राष्ट्रीय 33. गुट/समूह द्वारा प्रयोजित आतंकवाद 34. राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद 35. विवाद प्रेरित आतंकवाद 36. खालिस्तानी आतंकवाद 37. स्थानीय आतंकवाद 38. क्षेत्रीय आतंकवाद 39. कट्टरपंथी आतंकवाद

4.4 आतंकवाद व्युत्पत्ति के विविध कारक/घटक

भारत तथा दुनिया में आतंकवाद को कई तरह से जन्म होता है। आतंकवाद व्युत्पत्ति के अनेक कारण निम्नानुसार परिगणित किए जा सकते है।

1. उपनिवेशवाद
2. साम्प्रदायिकतावाद
3. धार्मिक उन्माद
4. नक्सलवाद
5. राजनीतिक विद्वेषता
6. आर्थिक विषमता
7. तकनीकी विकास
8. जटिल संचार के साधन
9. संप्रेषण का अंतराल
10. नैतिकता का पतन
11. निर्धनता
12. बेराजेगारी
13. एकाकीपन
14. विरोध या संघर्ष का संकट
15. मानवीय मूल्यों में गिरावट
16. अनुचित निशाने पर लेना

17. हिंसात्मक क्रांति का बढ़ना

18. विदेशी निवेश

19. हथियारों की तस्करी

20. मानव दुर्व्यवहार

21. परमाणु परीक्षण

22. उग्रवादियों

23. पृथकतावाद

24. अहंग्रस्तता

25. समाजिक मनोवैज्ञानिक

26. छापामार मिथक

27. आधुनिकरण की प्रवतियां

28.मानवाधिकारों का उल्लंघन

4.5. आतंकवाद के विविध परिप्रेक्ष्य

4.5.1 धार्मिक परिप्रेक्ष्य:

इसके अन्तर्गत एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच उत्पन्न की गई कट्टर पंथ की देन कही जा सकती है। एक धर्म से दूसरे धर्म से लड़ा दिया जाता है। धार्मिक विभिन्नता की पूर्णतया जिम्मेदार है।

4.5.2. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य :

इसका केन्द्र बिन्दु है आतंकवाद की उत्पति, विकास और उसकी विभिन्न अवस्थाओं में गुणात्मक परिवर्तन आदि को उतरदायी बताया गया है।

4.5.3 राजनैतिक परिप्रेक्ष्य :

इसमें (जैम्स मुलर) राजनैतिक आतंकवाद को राजनैतिक हिंसात्मक आन्दोलन माना जाता है। जो राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक समूह द्वारा संगठित किया जाता है। इसमें युद्ध और मंदता तीव्रता का संघर्ष में घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्त किया गया है।

4.5.4 सामाजिक परिप्रेक्ष्य :

इसमें आतंकवाद के विश्लेषण हेतु जॉर्डन पाइन्ट एलैक्जेण्डर और फिन्गर ने 1977 इनको केन्द्र बिन्दु बना सकता है (i)प्रकार्य (ii) भाग लेने वाले सहभागी (iii) आतंकवाद में आतंकवादियों उनके निशाने, शिकार आदि के रूप में लिप्त सहभागियों के प्रकार (iv) भाग लेने वाले उद्देश्य (v) वास्तविक अन्तर क्रिया की स्थितियां (vi) प्रत्येक प्रकार के भागीदार

के पास संसाधनों के प्रकार (vii) आतंक के लिए उपयोग में लाई गई रणनीतियां/हत्यायें, अपहरण, बम विस्फोट, लूट विमान-हरण (viii) आतंकवादी प्रक्रिया का परिणाम में मृत्यु न जानमाल का विनाश इत्यादि शामिल किए गये है।

4.5.5 वैधानिक परिप्रेक्ष्य :

इसमें मानव दुर्व्यावार एवं औषधि व्यापार लिप्त रहने के कारण मानव-औषधियों और हथियारों का आयात-निर्यात किया जाता है। इसके फलस्वरूप आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है।

4.6 आतंकवाद के बदलते विविध स्वरूप एवं आयाम

आतंकवाद के बदलते हुए विविध स्वरूपों के अन्तर्गत निम्नानुसार तरीके अपनाए जाते है:- (i)भीड़भाड़ वाले स्थानों, मेला-प्रदर्शनी, हाट बाजार, रैली तथा सार्वजनिक स्थलों पर घटना कारित करना (ii) रेले-बस विमानों में बम विस्फोटक पदार्थो का उपयोग करना (iii) मानव बम व साईकिल बम का प्रयोग करना (iv) मानव तथा वायुयानों का अपहरण करना (v) रेल पटरियों को उखाड़ देना (vi) निर्दोषियों और राजनीतिकों को बंदी बना लेना (vi) आणविक, जैविकीय, रासायनिक, एन्थ्रेक्स, नारको औषधियों का प्रयोग करना (viii) गोलाबारी, हाथगोले फैंकने के लिए बच्चों का उपयोग करना (ix) अत्याचार, अमानवता पूरक व्यवहार करना (x) विध्वंसक आर्ट तोड़फोड़ करना (xi) आगजनी करना (xii) तंग करना (xiii) कत्लेआम करना (xiv) अफवाहों ओर प्रभावशस्त्रों मिसाईलों का प्रयोग करना (xv) आमजन का सफाया करना (xvi) चरमपंथ, अलगाववाद, पृथकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद का उपयोग करना (xvii) महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जानमाल को खतरा या विनाश करना (xviii) सामूहिक जन संहार को बढ़ावा देना (xix) आतंकवादी प्रशिक्षित दस्ते तैयार करना।

4.7. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन

भारत में फैले हुए प्रमुख आतंकवादी संगठन: भारत के सुदुर कोने-कोने में फैले हुए आतंकवादी संगठनों को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तैयार की गई सूची में निम्न प्रकार से दर्शाया गया है:-(1) अन्तर्राष्ट्रीय बब्बर खालसा (2) खालिस्तान कमाण्डों बल (3) खालिस्तान जिन्दाबाद दल (4) अन्तर्राष्ट्रीय सिख युवा परि संघ (5) हल्का करें लश्कर-ए-तौयबा/पास्बान-ई-अहलेहादिस (6) जैश-ई-मौहम्मद/तहरीक-ए-फूरकान(7)

हरकल-उल-मुजाहिद्वीन/हरकत-तल-अंसार/कारकात-उल-जेहाद-ई-इस्लाम

(8) हिज्ब-मुजाहिद्वीन/हिज्ब उल्मू जाहिद्वीन परिपंजाल वाहनी (9) अल-उमर-मुजाहिद्वीन (10) जम्मू-कश्मीर इस्लामिक फ्रंट (11) आसाम का संयुक्त मुक्ति मंच (12) बंधुआ का राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक मंच (13) जनता मुक्ति सेना (14) संयुक्त राष्ट्रीय मुक्ति मंच (15) कंगली पाल्क की लोक क्रांतिकारी दल (16) कंगली पाल्क साम्यवादी दल (17) कंगली-ई-

पाभोल कंबालूप (18) मणिपुर जन मुक्ति मंच (19) अखिल त्रिपुरा टाइगर बल (20) त्रिपुरा की राष्ट्रीय मुक्ति मंच (21) तमिल संघ का मुक्ति चीता (22) भारतीय छात्र इस्लामिक आन्दोलन (23) दीनधार अन्जूमन (24) भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स लेन) जनेवर तथा इसके समस्त स्वरूपों और अग्रिम संगठन (25) माइस्ट साम्यवादी केन्द्र और इसके संघ-मंच और संगठन (26) आई.एस.आई

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख आतंकवादी संगठन:

अमेरिका ने सन्1997 में आतंकवादी समूहों और संगठनों की निम्न सूची प्रकाशित की है:- 1. आबू निदाल संगठन 2. आबू स्याक समूह 3. अलबक्स मार्टर ब्रीज 4. अल-गामा-अलअसमिया (इस्लामिक समूह) 5. आर्मड इस्लामिक समूह 6. असबात्-अल-अंसार 7. उन शिनरिक्यों 8. असक्यू फादरलैण्ड और लिबट्री (ई.टी.ए) 9. पूर्वी तर्कीस्थान इस्लामिक मूवमेन्ट 10. हम्मास 11. हरकत-उल-जिहाद 12. हिजबालाह 13. अल-जिहाद 14. कहाने चाई 15. कुर्विस्तान वर्करस 16. लश्कर-ए-लैयाब 17. लिबरेशन टाइगर आफ तमिल ईलम 18. लश्कर-ए-जहांबवी 19. नेशनल लिब्रेशन आर्मी 20. पेलेस्टीन इस्लामिक जिहाद 21. पेलीस्तीन लिब्रेशन फ्रंट 22. मोरो इस्लामिक लिब्रेशन 23. मुदाहेद्वीन-ए- खाल्फ संगठन 24. पेलीस्तान मुक्ति के लिए लोकप्रिय मंच 25. पी.एफ.एल.पी. सामान्य कमाण्डों 26. अलकायदा 27. रियल भाई आई.आर.ए 28. कोलम्बिया की क्रांतिकारी सशक्त बल 29. न्यूलाई क्रांतिकारी 30. क्रांतिकारी संगठन 31. क्रांतिकारी लोक मुक्ति मंच 32. मुकाबला और बुलाओं के लिए साला फिस्ट समूह 33. साईनिंग पथ 34. विशेष उद्देश्य हेतु इस्लाम वाहनी 35. कोलाम्बिया की संयुक्त स्वंय बचाव दल 36. फिलीस्तान साम्यवादी पार्टी 37. न्यू प्यूपिल्स आर्मी यह सूची 27 मार्च 2002 को तैयार की गई थी।

भारत विरोधी रवैया अपनाए हुए कुछ संगठन :

निम्नलिखत आतंकवादी संगठन भारत के सख्त-विरोधी रूख अपनाए हुए है।

1.जमायते-इस्लामी 2. हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी 3. इस्लामी ओकिया जोत 4. बांगलादेश खिलाफन मजलिस 5. जैश-ए-मुस्तफा 6. अहले-हदीस 7. हिज्बुल ताहरी 8. बांग्लादेश इस्लामी जेहाद आन्दोलन जमायतुल-मुजाहिदीन 9. जातीय इस्लामिक मंच 10. विश्व इस्लामी ओकिया 11. हिज्बूल तौहीद 12. इस्लामिक यूनिवर्सिटी कुश्तियां 13. इस्लामिक छात्र-शिविर 14.इस्लामो छात्र संगठन 15. वल्ड मुस्लिम सिक्योंरिटभ् काउसिल एण्ड आर्गेनाइजेशन 16. इस्लामी परिषद बांग्लादेश 17. तब्लीक जमात 18. मुस्लिम लोग 19. इस्लामी शासन तत्र आन्दोलन 20. निजाम-ए-इस्लाम पार्टी 21. मुस्लिम उत्महा संगति परिषद 22. बांग्लादेश इस्लामिक मोर्चा 23. इस्लामिक सौलिडे रिटी 24.इस्लाम प्रचार समिति 25. अल मरकज-उल-इस्लाम तथा तौहीद इस्ट आदि हिन्दुस्तान विरोधी संगठन सक्रिय है।

आई.एस.आई द्वारा स्थापित आतंकवाद प्रशिक्षण केन्द्र :

पाकिस्तान की आई.एस.आई तथा वहां पर सक्रिय कट्टरपंथी इस्लाम के संगठनों ने निम्न स्थानों पर आतंकवादियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर दिए है। पाकिस्तान में बहरहाली, गुजरखान, झंग, झलक, कोहाट, मीराशाह, मनशेरा (उगी) मरी, ओझेरी कैंप, पेशावर, रहीमयाखान, शकर गढ़, सिक्यारीत तथा क्वेय में आतंकवादियों का प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र स्थापित किए गये है। इसी तरह पाक अधिकृत कश्मीर के आतियाबाद, भिंबर, बाघ, चकोटी, दुधनियाल, गोर्जाफोर्ट, गारीदुपट, कोटली केल मुजफफराबाद, निकयाल, पलैदरी, रावलकाटे, सेंसा, ताजियान, बरसाला एवं गढ़ी हबी बुल्लाह में 18 केन्द्र बनाए गये है। इन क्षेत्रों में बढ़िया प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित किया गया है। इस प्रकार के प्रशिक्षित और सशक्त्र उग्रवादियों को निम्नलिखित लौचिंग पैड़ा से वास्तविक नियंत्रण रेखा पार करके भारत में आंतक फैलाने के लिए लांचिग पैड़ निम्न स्थलों से किया जाता है।

निकियाल, खुरिअट्टा, डाबसी, चीलर्टकरी ठंडी कस्सी, पंजनी, नयी तरूटी, डाडोर, बड़िया, मादरयुर, गोई, सेहरा, जैडराट, मेघड़, कोपड़ा, केकेढेरी, कोट कोटेरा, द्रचियां, किरनी, कोचीं मोहरी, कहरा फारवर्ड, टेटेरिनोट, मंथर, सोकार, पोलास, वालनवाली ढोक और काफर मोहरी क्षेत्रों में लाचिंग पैड़ किया जाता है।

4.8 भारत में आतंकवाद की स्थितियां और वास्तविकताएं

आतंकवाद की समस्या भारत में ही नहीं अपितु विश्व भर के देशों की ज्वलंत समस्या बन गई है। आज समूचा विश्व आतंकवाद रूपी नासूर से त्रस्त एवं भयाक्रांत है। जम्मू कश्मीर, पंजाब राज्य भारत के शिरोमणी राज्य है। इस राज्य में सन् 1972-73 के लगभग अकाली दल का सूत्रपात हुआ। इस राज्य में धर्म, जाति, सम्प्रदाय के नाम पर विषैला वातावरण उत्पन्न हो गया है। हमारा देश अनेक धर्मों और जातियों भाषाओं का देश है। इसमें अनेकता में एकता पाई जाती है। पंजाब से हरियाणा को पृथक करते ही राज्य में हिंसात्मक घटनाओं का होना शुरू हो गया। भाषा के नाम पर पंजाबी राज्य को अलग-अलग करवाया गया था। इसी भाषायी आधार पर सन् 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन कानून का सहारा लेकर विभाजन करवा दिया गया था। पंजाब समस्या सुलझने की बजाए ज्यादा उलझती गई। पंजाब को खालिस्तान बनवाने की मांग जोरों पर उठाई गई। शिरोमणी गुरूद्वारा समिति के अध्यक्ष की बजाए अकाली दल के अध्यक्षों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था। इसमें संत हरचंद सिंह लोगोंवाल उनके प्रधान थे। पंजाब में खालिस्तान उन्मुखी आतंकवाद, कश्मीर में उग्रवादियों का आतंकवाद, बंगाल, बिहार, आन्ध्रप्रदेश नक्सलवादी आतंकवाद असम में अलगावादी उल्फा और बोड़ो के आतंकवाद ने देश में विध्वंसात्मक एवं खण्डता के मंजर दिखाए है।

आतंकवादियो ने योजनाबद्ध ढंग से कश्मीर में अपने कई प्रशिक्षण एवं शरण के अड्डे स्थातिप कर लिए है। ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में इनकी टोलियां सक्रिय हो गई है। दीवारों पर

भारत विरोधी नारों एवं पत्रकों की भरमार हो गई है। कश्मीर के जगंलो और दूर सुदुर क्षेत्रों में आतंकवादियों ने अपने हथियारों के जखीरे जमा करके प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर लिए हैं। इन अड्डों में पाकिस्तानी, अफगानी, सूड़ानी कश्मीर एवं स्थानीय आतंकवादियों आकर जमा हो गए है। हिन्दुओं के पवित्र धार्मिक स्थलों मंदिरों में बम विस्फोट के शुरू कर दिये है। देश विरोधी प्रदर्शन कर मुस्लिम समाज के लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह किया गया और कुछ लोगों को बंदूक की नोंक पर डरा धमकाकर अपने पक्ष में कर लेते है। कई जगह बम विस्फोट करने की घटनाएं घटित हुई। लूटपाट, आगजनी, तोड़-फोड़ जलाने की घटनांए व्यापक और वीभत्स हो गई। सरकारी भवनों को जलाकर राख करने और पुलिस चौकियों से शस्त्र लूटने की घटनाएं भी होती रही है। अपहरण, फायरिंग और अन्य आंतकी वारदातों को रूकने का नाम नहीं ले रहा था। सामूहिक नर संहार में किश्त कांड, बसयाती कांड, बरशाला कांड, दोसा पानी, हत्या कांड, कलमाड़ी हत्याकांड, रामबन का सामूहिक नर संहार, भगवा का शव यात्रा हत्या कांड, चापनाड़ी बराते हत्याकांड, ठाठरी नरसंहार कांड, हत्याओं के क्रूरतम रूप जैसे गला रेत कर हत्या, शव को फांसी पर लटकाना, आंखे निकालकर शरीर को काट डालना, बलात्कार के बाद हत्या, चेहरों पर खाल काट-काटकर निकाल देना, होली के पर्व पर रक्त रंजित कर देना, छाती को गोलियों से छलनी करना, हत्या करने बाद बोरी में बांधकर नदी में फेंकना, महिला के यौन अंगो को काटकर हत्या कर देना, जम्मू, उधम, लद्दाख राजौरी पूंछ में सामूहिक नर संहार काडं कारित किए गये। अपहरण खून पीकर प्यास बुझाने की हैवानियत की मिशालें पेश करना, कार बम विस्फोट, साईकिल बम, मानव बम, बम विस्फोट श्रृंखला को काम में लिया गया था। बसों रेलों में निर्दोष गैर सिख यात्रियों की हत्या कर देना, एयर इंडिया बोंईग कनिष्क का विस्फोट, रूबिया अपहरण कांड, 300 निर्दोष भारतीयों की नीहत्ये मार देना।, नेताओं, पत्रकारों, पुलिस अफसरों को मारा गया। बैंकों में डकेती डालकर लूटपाट करना, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की हत्या करना आम बात हो गई। नक्सवाद आतंकवाद का बंगाल में प्रादुर्भाव 1967 में हुआ था। भारत में आतंकवाद के दो प्रमुख पहलू रहे है। 1. राजनैतिक आतंकवाद 2. इस्लामी

शक्तियों का आतंकवाद ‘इस्लामी धमेन्दु सउदी अरब में इंडोनेशिया तक फैला हुआ है। पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था आई.एस.आई ने बोड़ो, उग्रवादियों को भड़का कर देश में आगजनी, तोड़-फोड़, कत्लेआम, करने की चेष्टा की है। आतंकवाद और आतंकवादियों से निपटने के लिए भारतीय संसद ने आतंकवादी एवं विध्वसंहक गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1985 में बनाया था। टाडा कानून को सन् 1987 1989 और 1993 में संशोधित किया गया था। सन् 1994 में टाडा कानून को 22 राज्यों और 7 केन्द्रों शासित राज्यों में लगाया गया था। सन् 1985 से 1995 तक कुल 70411 व्यक्तियों टाडा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। अब केन्द्र सरकार 1 मार्च 2012 से राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र स्थापित करने के प्रयासों में प्रयत्नशील है। संयुक्त राष्ट्र में 28 सितम्बर 2013 अपने सम्बोधन में कहा कि पाक आंतक कारखाने बंद करे और आतंकवाद को हथियार, प्रशिक्षण

और पनाह देने वाले देशों को बक्सा नहीं जाए। कश्मीर के मुद्दे का हल शिमला समझौते के तहत ही किया जाए।

व्यापार, वाणिज्य, उद्योगों और राजनयिक मामलों की तरह अन्तर्राष्ट्रीय आयाम होते हैं। वैसी आतंकवादी संगठनों का जाल दुनियाभर में फैला होता है। समर्थन, सहयोग, हथियार और सुरिक्षत अड्डे बनाने के लिए ये संगठन विदेशों में अनुकुल स्त्रोत तलाश लेते है। आतंकवादी संगठनां का कारोबार उद्योग के रूप् में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल रहा है।

4.9 भारतीय संदर्भ में आतंकवादी समस्याएं एवं चुनौतियां

15 अगस्त 1947 से आज तक भारत को आतंकवाद के अनेक मुखौटे देखने को मिले है। देश के बंटवारे के समय कट्टर पंथियों की खून की होली ने लाखों परिवारों को त्रस्त किया। देश पाकिस्तानी सैनिक कबाइलियों के वेश में आकर कश्मीर के निहत्थे लोगों की हत्या की। भारतीय सुरक्षा के समक्षी आतंकवाद की सबसे बड़ी समस्या एवं चुनौती बन गया है। भारतीय सामाजिक ज्वलंत समस्याएं भी आतंकवाद को बढाने में सहयोग दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में नागालैण्ड और मिजोरम में अलगाववादी बहुत सक्रिय हुए है। विदेशी उकसावे में आई.एस.आई. की अहम भूमिका रही है। जो असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय व अरूणाचल प्रदेश तक फैल गई हैं। आज भी विदेशों से आयुध खरीदने, जलमार्गों से कोक्स बाजार, चट्टर गांव, बंदरबन आदि समुद्रतटीय क्षेत्रों में पहुंचकर दुर्गम स्थानो में छिपने और शखस्थली बनाने में बांग्लादेशी भारत-विरोधी तत्व आतंकवादियों की सहायता दे रहे है। पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से डेढ़ करोड़ से भी अधिक लोग पलायन करके भारत में आ बसे है। गरीबी, अभावो और अशिक्षा से ग्रस्त इन सहधर्मियों की कट्टर पंथी, सहज ही फुसला लेते है। पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रोंमें मस्जिदों और मदरसों की संख्या में असाधारण वृद्वि हुई है। अनेक भारतीय प्रदेशों, बागलादेश, अफगानिस्तान और कश्मीर में जेहाद के लिए स्थानीय युवकों की भर्ती हुई थी। इस्लाम की कट्टरपंथी आधुनिकता, पाश्चात्य सभ्यता एवं आधुनिक रहन-सहन के खानपान एवं शिक्षा पद्वति के विरोधी है। तालिबान के शासन के दौरान महिलाओं के पति युद्व में मरने पर महिलाओं को व्यापार एवं नौकरी करने से रोका गया। भारतीय कश्मीर में महिलाओं के लिए बुर्का पहनवाना अनिवार्य कर दिया और खुलेआम घूमना निषेध कर दिया था। आदेशों का उल्लघंन करने वाली महिलाओं पर गोलियों चली, छुरी से वार हुए और उनके चेहरों पर तेजाब फेंका गया। भारतीय परिदृश्य में इस्लामी चरमपंथी ऐसे भयंकर खतरे के रूप में उभरे है जो देश के विघटन और अलगाव के लिए प्रयत्नशील है। आतंकवाद ने उग्रवाद, चरमपंथवाद, पृथकतावाद, कट्टरपंथवाद, नक्सलवाद जैसी भंयकर समस्याओं को वैद्य किया है। आणविक आतंकवाद के भयभीत करने का खतरा मंडराने लगा है। जनविनाश के हथियारों या आणविक हथियारों के प्रयोग करने को वकालत की जाने लगी है। अब कभी भी आवणिक शक्ति संयत्रों और रिएक्टर केन्द्रों पर बमबारी की जा सकती है।

आतंकवादी हमेशा अपने शिकार और निशाने को चुनते हैं।

स्वायक औषधियों के एवं मानव दुव्यापर के माध्यम से विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करते है। नवीन तकनीकी के विकास के फलस्वरूप समाज एवं समुदाय कई महत्वपूर्ण समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहे है। मीडिया आतंकवादियों की गतिविधियों की खबरें देकर उनका हितैषी बनकर राष्ट्र और संवेदनशीलता को धोखा दे रहा है। बेरोजगार युवक धनार्जन करने के लोभ व लालच में आकर उग्रवादी लड़ाकों को सहयोग कर रहे है। भारत के उतरदक्षिणी राज्यों पंजाब, जम्मू-कश्मीर के सीमा पर इलाकों में युवक आतंकी गतिविधियों में शरीक होने में तनिक भी नहीं हिचक रहे है। सगंठित अपराधी, आतंकवादी, श्वतपोश अपराधी, दुर्वव्यवहार और भ्रष्टाचार परस्पर एक ही परिघटना के अंग बन रहे है। देश की एकता ओर खण्डता को भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। राष्ट्रीय ओर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कारण भी अनके समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तकनीकी साधनों व दूर संचार प्रणाली के कारण भी चुनौती सामने आ रही है। आतंकवादी गिरोह सीमा पार करके तस्करी के व्यापार को भी बढ़ावा देकर चुनौती बन गये है। आतंकवाद शांति को छीनकर मानव की अन्तर्रात्मा को परेशानी में लाकर खड़ा कर देता है। आतंकवाद राज्य शक्ति तंत्र को लकवाग्रस्त कर देता है। मिजोरम, मणिपुर भारत के उतरी-पूर्वी राज्य ओर नेपाल की खुली सीमाओं पर औषधि दुर्व्यापार के केन्द्र चुनौती बन गये है। भारत के विभिन्न हिस्सों में फैंले आतंकवाद को पाकिस्तान की गुप्तचर एजेन्सी आई.एस.आई बढ़ावा देकर चुनौती बनी हुई है। समूचा भारत आज हिंसक आतंकवाद की गिरफ्त में आकर चुनौती बन गया हे। इसके कारण हमारी राष्ट्रीय एकता को खतरा बनी हुई है। भारतीय आतंकवाद सीमापार से पोषित और संचालित हो रहा है। असम के अलगावादी संगठन उल्का को म्यांमार से आर्थिक सहायता हथियार और प्रशिक्षक चुनौती का विषय बना हुआ है। आतंकवादियों द्वारा जेल से फरार होने तथा आतंक द्वारा सरकार से समझौता करने की चुनौती भी उभरकर सकते है। भारत की आन्तरिक सुरक्षा तंत्र की कमियॉं, कानून और न्यायव्यवस्था में विलम्ब होना, राज्यों की क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की दोहरी और संकीर्ण राजनीतिक आदि भूमिका के रूप में उभर कर आ रहे हैं।

4.10 आतंकवाद के परिणाम और मानवधिकारों का उल्लंघन एवं सरक्षण

आतंकवाद के परिणाम अत्यन्त घातक होते है। यह सम्पूर्ण मानवजाति के लिए अभिशाप एंव भयंकर पीड़ाकारी बन चुका होता है। इसका अंतिम परिणाम विनाश करना होता है। आतंकवादी कार्य अनैतिक एवं अमानवीय होने के फलस्वरूप निर्दोष व्यक्तियों की स्वतंत्रता को प्रतिकूल प्रभावित करता है। इन आतंकी कार्यकलापों को कारित करने के फलस्वरूप निर्दोष व्यक्तियों के मूलाधिकारों एवं मानवाधिकारों की स्पष्टत: अवहेलना होती है।व्यक्तियों की स्वतत्रंता के सारे अधिकार घूमिल हो जाते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार

मृत प्राय: हो जाते हैं। आतंकवाद के अन्तर्गत मानव की न्याय समानता, जीवन, स्वतंत्रता, गरिमा और भाईचारे पर प्रश्न चिह्न लग जाते हैं। अब यह प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है कि क्या आतंकवादी मानवधिकारों को हासिल कराने के लिए हकदार है। अर्थात् क्या आतंकवादियों को मानवधिकार दिए जाने चाहिए? इस विषय पर दो भिन्न-भिन्न मत है। पहले मत के अनुसार मानवाधिकार तो सभी मानव प्राणियों में निहित रहते हैं। ये अधिकार तो जन्मत: उत्पन्न हो जाते हैं। राज्य का यह दायित्व बनता है कि वह सभी लोगों के मानवधिकारों के संरक्षण की रक्षा करें तथा उन्हें आवश्यक मानवधिकारों, प्रदान करें। इस सम्बन्ध में उनके कृत्यों एंव आचरण पर विचार नहीं किया जाए। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अनुच्छेद- 1 में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि सभी मानव-प्राणी गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतन्त्र एवं समान पैदा होते हैं। अनुच्छेद-2 में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति घोषणा में वर्णित सभी अधिकारों को मूलवंश, रंग, लिंग,भाषा, धर्म, राजनीति अथवा अन्य विचार अथवा सामाजिक उद्भव, सम्पति, जन्म अथवा प्रास्थिति जैसे किसी भी प्रकार का अपवाद नही होगा। अत: यह यहॉ स्पष्ट हो जाता है कि आतकवादियों को भी मानवाधिकारों का हकदार मानता है। जबकि दूसरे मत के अनुसार आतंकवादी मानवाधिकारों को हासिल करने के हकदार नहीं मानते है जो; व्यक्ति स्वयं मानवाधिकारों का उल्लघंन करे उन्हें दण्डित किया जाए। आतंकवादी सही मायने में मानवाधिकारों का उल्लधन करने वाले व्यक्ति सहानुभूति के पात्र नहीं है। इस प्रकार दोनों मत परस्पर विपरीत हैं इनके औचित्य का अध्ययन करते समय आतंकवाद से पीड़ित व्यक्तियों, समाज और राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करना, सम्पति को विनष्ट, भय और आतंक का वातावरण बनाए रखना न केवल पीड़ित व्यक्ति के लिए अपितु समाज एवं राज्य के लिए भी संकट उत्पन्न हो जाता है। अत: ऐसे खूंखार आतंकवादियों के लिए मानवाधिकारों को प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित है। आतंकवादियों को दण्डित किए जाने की परिपाटी लम्बे समय से चली आ रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनेक आतंकवादी विराधी अभियानों की स्वीकार किया गया है। जैसे (क) वायुयान अपहरण (ख) बंधक बनाना (ग) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध कार्य करना आदि। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय अभिसमय अधिकृत किए गये है; जो आतंकवाद विरोधी है। इतना ही नहीं प्रत्यर्पण या अभियोजन के सिद्धान्त को भी स्वीकार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त न्यूयार्क के निदेशक बेकर ने 28 सितम्बर 2001 के सम्बोधन में भी ऐसा ही मत प्रकट किया गया था निष्कर्ष यही है कि सभी आतंकवादियों के साथ न तो एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए और न ही उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन करना चाहिए। आज जरूरत इस बात की है आतंकवाद के निराकरण एवं मानवधिकारों के संरक्षण के उपायों पर सार्थक विचार और सतत् प्रयास किए जाए।

4.11 आतंकवाद के निवारण हेतु किए गए वैश्विकरण के विविध आयाम

आतंकवाद के उन्मूलन के लिए यद्यपि भारत सरकार भी आतंकवाद के सफाये के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मापदंडों को अपना रही है। कानून और व्यवस्था की स्थिति में आन्तरिक एवं बाहरी सुरक्षा के लिए सुधार करने के केन्द्र एवं राज्यों की सरकारें पूर्णतया प्रत्यत्नशील रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के मार्गदर्शन में विश्वव्यापी आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए निम्नानुसार कई त्वरित उपाय जैसे कार्य-योजना सैन्य बलों का इंतजाम, अभिसमयों, तथा नवाचारों के द्वारा इसे रोकने हेतु कई कार्यक्रम आयोजित किए गए है। 1. आतंकवाद के मुकाबले के मुद्दें पर घोषणा-2003 2. आतंकवाद के मुकाबले के मुद्दें पर घोषणा-2001 इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा कार्य प्रस्ताव या अभिसमयों को अपना करके नया अंजाम दिया है। 3. अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद उन्मूलन के उपायों पर महासभा के प्रस्ताव 51/120 4. अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद उन्मूलन के उपायों पर महासभा का प्रस्ताव 49/60 5. आक्रामकताओं के कार्यों और शांतिभंग की धमकी के सम्बन्ध में कार्यवाही 6. परिचारिकाओं के लेने के विरूद्ध अभिसमय 12/79 7. आतंकवाद के वित्तपोषणके दमन के लिए अभिसमय (1999) 8. आतंककारी बमबारी के निवारणार्थ अभिसमय (1997) 9. अवैधानिक कार्यो के दबाव हेतु अभिसमय 9/71 10. हवाई जहाजों के अवैध समपहरण दबाव हेतु अधिनियम 12/70 11. पहचान के उद्देश्य हेतु विस्फोटक कचकड़ों के चिह्न पर अभिसमय 3/91 12. वायुयान पर कारित 114 कार्य-अपराधों पर टोकियों अभिसमय 1963 13. परमाणु सामग्री के भौतिक संरक्षण या अभिसमय 10/79 14. अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षित व्यक्तियों के विरूद अपराधी के दण्ड़ एवं निवारण पर अधिसमय 1977 15. समुद्री नौवाहन की सुरक्षा के विरूद्ध अवैध कार्यो के दबाव के लिए नवाचार (3/88)16. अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन हवाई अड्डा सेवा पर अवैध कार्यों के उल्लंघन के दबाव के लिए नवाचार (2/88)17. महाद्वीपीय छोर पर स्थाई स्थित प्लेट फार्म की सुरक्षा के विरूद्ध अवैधानिक कार्यों के लिए नवाचार 18. बंधन बनाने के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अधिसमय 1979. 19. संयुक्त राष्ट्र और सहयुक्त कर्मचारियों के बचाव तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अभिसयम 1994 20. आतंकवाद का निवारण तथा दण्ड अभिसमय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दाण्डिक न्यायालय सृजन अभिसमय 1945 इसके अलावा आतंकवाद के दमनार्थ एवं निवारणार्थ निम्नलिखित क्षेत्रीय अभिसमय समयानुसार एवं परिस्थति के अनुसार आयोजित किए गए है। 21. अरब राज्यों के संघ 1998 द्वारा आतंकवाद के दमन हेतु अरब अभिसमय (1999) 22. अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुकाबले पर इस्लामिक सम्मेलन संगठन का अधिसमय 1999 23. आतंकवाद के दमन पर यूरोपिय अभिसमय 1977 24. अन्तर्राष्ट्रीय महत्व से सम्बन्धित उद्घापन और व्यक्ति के खिलाफ अपराधों के स्वरूप तथा आतंकवाद कार्यो के दण्ड तथा रोकथाम पर अभिसमय संयुक्त राज्यों का संगठन 1971 25. आतंकवाद के खिलाफ अन्तर अमेरिकन अभिसमय

26. आतंकवाद के विरूद्ध अन्तर अमेरिकन अभिसमय तथ आतंकवाद के विरूद्ध अन्तर अमेरिकन अभिसमय (ए.जी. प्रस्ताव 1840), इत्यादि।

4.12 भारत में आतंकवाद के मुकाबले हेतु प्रयुक्त मॉडल (नमूना)

आतंकवाद इतनी गंभीर वैश्विक समस्या है कि उसे मात्र राजनीतिज्ञों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता है। जनता में भी आतंकवाद के उन्मूलन हेतु सार्वजनिक जागरूकता एवं व्याक्तियों पर संगठित करके ही इसका एक मात्र निदान हो सकता है। आतंकवाद उस नासूर बीमारी की तरह है जो कभी शांत तो कभी उग्र रूप धारण कर लेता है। भारतीय संदर्भ में आतंकवाद को उन्मूलित करने या सफाया या खात्मा के लिए मूलत: आतंकवाद का सामना करने के लिए तीन प्रकार के मॉडल निम्नलिखित प्रयोग में लिए जा सकते है।

4.12.1 इजराईली मॉडल 4.12.2 अमेरिकन मॉडल तथा 4.12.3 भारतीय मॉडल

प्रो.राम आहूजा ने अपनी पुस्तक सामाजिक समस्या के द्वितीय संस्करण 2006 में तीन तरह के मॉडल आतंकवाद से मुकाबला करने हेतु व्यक्ति किए है।

4.12.1 इजराईल मॉडल : इजराइल में आतंकवाद पिछले चार दशकों से चलकर कार्य 1994 की सीधे के बाद समाप्त हआ था। प्रांरम्भ में डेढ़ दशक सन् 1953 से 1967 तक फिलिस्तानी जो जार्डन के पश्चिम और राजाक की पट्टी में रह रहे थे। ये अपना विरोध इजराइल में चुपचाप घुसकर सीमा पर आक्रमण करके प्रदर्शित करते थे। इजराइल इस जवाबी हमला हवाई हमलों और ठेको से जोड़ने में प्रवेश करके और फिलिस्तानी शिविरों को विध्वसं करके देता था। इस हमले में जार्डनी सेना और सम्पति का बड़े पैमाने पर नुकसान होता रहा। इसलिए जार्डन में जनमत पेलिस्तान मुक्ति संघठन (पी.एल.ओ.) को समर्थन देने के विरोध हो गया। जार्डन व अरब देशों ने भी अपनी भूमि से पी.एल.ओ. को उसकी गतिविधियों करेन से रोक दिया। जार्डन ने सितम्बर 1970 में फिलिस्तिनियों के विरूद्ध परिष्करण अभियान छेड़ दिया और उनके 15000 लोगों को जान से मार दिया जब इजराइल ने 1982 मे लेबनान पर आक्रमण किया तब लेबनान में भी पी.एल.ओ. का अड्डा समाप्त कर दिया। इसके बाद फिलिस्तिनियों ने इजरायली गैर-सैनिक वायुयानों व नागरिकों के अपहरण करके उनको इजराइल में उनके बंदियों को मुक्त करने की मांग करने की युक्तियां अपनाई गई। इजराईली सरकार इस तरह की आतंकी अमेरिकियों के आगे झुकी नहीं और बदले के रूप में फिलिस्तिनी शिविरों पर हमला बोल दिया। इजराइल अपने स्थान से नही डिगा। इस प्रकार आतंकवादी हिंसा से निपटने के लिए इजरायली रणनीति के चार मूल घटक अपनाएं गए थे। (1) आतंकवादियों से वार्ता करने से इंकार करना। (2) आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रतिकारात्मक हमले करना। (3) कड़े सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करना (4) फिलिस्तिनियों निर्दोषो को जो आंतकवादियों से सम्बन्ध थे और फिलिस्तिनियों से हम दर्दी रखने वालों के विरूद्ध अप्रत्यक हिंसा का प्रयोग करना। इसके प्रकार आतंकवाद का सामना

करने के लिए इजरायली नमूना निष्क्रिय सुरक्षात्मक उपायों के स्थान पर प्रतिआतंक और आतंक-विरोध पर आधारित कार्यवाही थी।

12.1.2 अमेरिकन नमूना : अमेरिका की धाक हमेशा दुनियां के सभी देशों पर रहे और संयुक्त राज्य अमेरिका का इसमें विश्वव्यापी की आर्थिक स्वार्थ है। आतंकवाद के प्रति असुरक्षित है।अमेरिका ने ओसामा-बिन-लादेन को सिर पर चढ़ा रखा था। जिसका परिणाम व्हाइट हाउस के पीटागन अहालिका के वायुयानों से 11 सितम्बर 2011 को ध्वस्त के रूप में सामने आया। अमेरिका का आतंकवाद से लड़ने का सबसे शक्तिशाली अस्त्र उसका आर्थिक प्रभाव को कायम रखना रहा है। व्यापार और प्रौद्योगिक निर्यात को समाप्त कर देना रहा है। जब यह असफल हो जाता है तो अमेरिका उस शत्रु देश पर जो कि आतंकवादियों का समर्थन करने वाले देश पर बमबारी करता है। यह तरीका सन् 1962 में क्यूबा ओर सन् 1986 में लीबिया पर अपनाया गया था। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में उसने कम्बोडिया पर उसके वियतनाम को आश्रय देने पर आक्रमण किया था। अमेरिका ने इराक-इरान को लड़वाकर इराक में सैनिक अड्डे स्थापित करके प्रति स्थापित करके तेल के कुंओ में आग लगवा दी ताकि तेल व्यापार पर उसका एकाधिकार का साम्राज्य रहे। इस प्रकार आतंकवाद का सामना करने के लिए अमेरिकन नमूना प्रतिदर्श प्रति आतंक अभियान और जवाबी आक्रमण का रहा है।

12.1.3 भारतीय नमूना (मॉडल) : भारत सन् 1960 के दशक में ही हिंसा और आतंक की गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। सन् 1960-70 में सरकार द्वारा विद्रोह का सामना राजनैतिक पैतरेबाजी से किया गया था। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का स्वरूप विद्रोह की श्रेणी में अधिक आता है। पंजाब और असम में केन्द्र सरकार द्वारा चलाए गए सेना के क्रमश ऑपरेशन ब्लू स्टार एवं ऑपरेशन ब्लैक थण्डर 6 जून 1984 को आतंकवादियों के विरूद्ध किए गये पूर्णतया असफल रहे। यह सैन्य और पुलिस द्वारा सम्पन्न करवाई गई कार्यवाही आतंक विरोधी उपाय में आती है। यह प्रति आतंक उपाय में नहीं आती है। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नाम पर प्रतिवर्ष 200 करोड़ रूपये खर्च हो जाते है। अभी उन देशों में आतंककारियोंको हथियारों की आपूर्ति, आश्रय और वित्तीय सहायता प्रदान करते है। इसका अभी स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है। यहां सीमा पर तारबंदी और सरकार अधिकतर आतंकवादियों की मांगो के आगे झुक जाती है। भारत में आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए सैन्य और पुलिस दल प्रतिआक्रमण करते हैं। उनके हथियारों और आश्रय के ठिकानों को नष्ट किया जाना चाहिए। आतंकवादियों के हथियारों और आधुनिक तकनीक और दूरसंचार प्रणाली के आगे सैन्य और पुलिस बल के साधन बौने पड़ जाते हैं।

इस तरह आतंकवाद से लड़ने के लिए इजराइली अमेरिकन और भारतीय मॉडल विचार और प्रकृति में भिन्न है। अमेरिकन मॉडल प्रतिआतंक का नमूना है जो कि आतंकवादी विरोधी ढांचा है। जबकि इजरायली मॉडल प्रतिआंतक और आंतकवादी विरोधी उपायों का

सम्मिश्रण है। पुलिस, सैनिक के साथ-साथ हमें सामाजिक-राजनीतिक विषयों को भी अपने हाथों में लेकर हमारे देश को आतंकवादियों से निपटने के लिए स्वंय के तरीके ढूंढने होंगे।

4.13 आतंकवाद : निवारण एवं समाधान

आतंकवाद कानून बनाने के साथ ही हमें आतंक को रोकने के लिए कुछ तन्त्रों की रचना करना आवश्यक है। आतंकवाद और राजनैतिक हिंसा आज भारतीय समाज के लिए अभिशाप बन गये हैं, ये दोनों ही देश अराजकता और अस्तव्यस्तता की ओर ले जा रहे है। आतंकवादी धर्म, क्षेत्र, भाषा और संस्कृति के नाम पर हत्याएं करते है। आतंकवाद के खूनी पंजे से देश के सभी राज्यों और खासकर कश्मीर घाटी, डोडा, उधमपुरा, राजौरी व पूंछ इत्यादि सभी जिलों की पवित्र भूमि लहुलुहान हो चुकी है। जिसके कारण पूरे भारत की सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक अनेक हिन्दू परिवार आतंकवाद से खासे पीड़ित है। आतंकी दुख: सहने के बाद भी अपनी जन्म भूमि से विस्थापित होने को तैयार नहीं है। बल्कि बलिदान देने को तत्पर हो जाते हैं। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सरकार को एक साथ कई तरह के कदम एक साथ उठाने होगें। कारगार एवं व्यापक नीति बनाकर देश की एकता और अण्डता को सुरक्षित रखना चाहिए और आमजन और नागरिकों की जानमाल और गरिमा की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। आतंकवाद से हमारी मातृभूमि की रक्षा करने की जरूरत है। भारत के लिए सीमा पार आतंकवांद सर्वाधिक खतरे की घंटी बना हुआ है। आतंकवाद के सभी प्रकारों को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय और सुझावों पर अमल त्वरित गति अपनाकर करना होगा।

(1) हमारे देश की सीमा पर सशस्त्र सुरक्षा बलों की चौकियों स्थापित की जाएं (2) देश की सीमा पर पुलिस गश्त बढ़ाने और चारों ओर तारबंदी की जाए। (3) सैनिक और अर्द्धसैनिक बलों को आतंकवाद पर अंकुश लगाने हेतु सशक्त और अधिकार प्रदान किए जाए। (4) प्रशासन और सुरक्षा बलों के मध्य आपस में समन्वय होना चाहिए (5) प्रत्येक राज्य में देश द्रोही और देश भक्त की पहचान सुनिश्चित की जाए। (6) देश में घुसपेठियों को आधार कार्ड और राशन और निर्वाचन कार्ड बनवाने पर रोक लगाई जाए। (7) आतंकवादी गतिविधियों पर कारगर नियत्रंण के लिए प्रशासन और सुरक्षा बलों को विशेष प्रशिक्षण देना सुनिश्चित किया जाए। (8) ग्रामीण सुरक्षा समितियों का गठन चुनाव केन्द्र स्तर पर अधिकाधिक किया जाए। (9) आतंकवादियों और घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय युवकों को सेना में ज्यादा से ज्यादा भर्ती किया। (10) भयावहक संवेदनशील क्षेत्रो में सैनिक छावनियों को स्थायी रूप से स्थापित किया जाए। (11) आतंकवादियों से डटकर मुकाबले करने वाले युवकों का मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्हें राष्ट्र-सपूत शहीद का पुरस्कार दिया जाए। (12) आतंकवाद से पीड़ितों के लिए शहीद परिवार शिक्षा संस्थान और विस्थापन केन्द्रों को स्थापित किया जाए। (13) आतंकवाद से पीड़ित परिवार को शहीद परिवार सम्मान से विभूषित किया जाना चाहिए। (14) युवाओं में संस्कारों पैदा करने के लिए

भारतीय और राष्ट्रीय चेतना केन्द्रों को स्थापना की जाए। (15) आतंकवादी समर्थकों को कड़ी चेतावनी के साथ उनको सुविधाओं से वंचित रखा जाए (16) देश में अलगाववाद, उग्रवाद, चरमपंथवाद, पृथकतावाद को मिटाया जाए (17) अल्पसंख्यकों और सभी लोगों की समझ, सहयोग, दया, मित्रता, करूणा और मानवता के मूल्यों को पोषित एवं विकसित किया जाए। (18) सभी व्यक्ति देश मे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करें और इनकी विधियता का भी समादर करें। (19) युवकों में व्याप्त अंसतोष, चिंता, तनाव, अवसाद और दबाव पर नियंत्रण लाने हेतु योग और प्रक्षाध्यान केन्द्रों की स्थापना की जाए। (20) सत्य, अहिंसा, और शांतिपूर्ण साधनों को जीवन में आजमाए जाए। (21) युवकों में चिरस्थादी की खुशी आनंद, और शांति स्थापना के लिए आध्यात्मिक पर जोर दिया जाए। (22) मीडिया मानवता, समाज, समुदाय और राष्ट्रीय अस्मिता को बरकरार रखने पर बल, देवें और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। (23) आतंकवादियों द्वारा व्यक्तियों एवं वायुयानों के अपहरण, बंधक बनाने, बमबारी करने, वितपोषित करने सहायता आश्रय देने वाली प्रवृत्तियों पर अंकुश सुनिश्चित किया जाए। (24) आतंकवादियों को दमित करने के लिए अपहरण, हत्याएं, फिरौतियों, सीमा पार औषधि, हथियारों और मानव, दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जांए। (25) आतंकवादी निरोधक केन्द्रों को स्थापित किया जांए। (26) सभी नागरिक, प्रशासक और शासक और नेतागण आतंकवादियों और इनको संगठनों से नहीं जुड़े रहे और सहायता और संपर्क रखना भी बंद कर देवें। (27) सभी नागरिक, प्रशासक, और शासक नेतागण, आतंकवादियों और इनको संगठनों से नहीं जुड़े रहे। सहायता और संपर्क रखना भी बंद कर देवें। (28) भारत की आतंरिक सुरक्षा तंत्र में व्याप्त कमियों के निवारण करने के बाद व्यापक सुरक्षा सुधार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पुलिस और सैन्यबल के प्रहरियों की ड्यूटी केवल 3 घंटे की ही निश्चित की जाए। (29) दोषी पाए जाने वाले आतंककारियों की न्यायालय द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। (30) सैनिक सुरक्षा, पुलिस बलों और अर्द्धसैनिक को बलों को आपुनिकतम तकनीकी और सर्वोतम संचार व्यवस्थाओं और अधिकतम सुसब्जित और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण हथियार उपलब्ध करवाए जांए।

4.15 सारांश

आतंकवाद एक ऐसा दीमक है जो धीरे-धीरे आतंरिक रूप से राष्ट्र की जड़ो को खोखला कर देती है। अलगाववर्धन विचारों से आतंकवाद बढ़ने के कारण देश के अंदर ही देश के विरूद्ध एक सशस्त्र सेना खड़ी हो जाती है। फलत: राष्ट्र की शक्ति को क्षीण करने लगती है। आतंकवाद के कारण समाज भयग्रहस्त जीवन जीता हुआ मानसिक रूप से अविकसित रह जाता है। आतंकवाद से व्याप्त अत्याचार, व्याभिचार और हिंसा श्रृंखला प्रतिदिन बढती जा रही हैं। आतंकवादी आज सुरसहा की तरह बड़ी-बड़ी बाहें फैलाकर और मुंह का जबड़ा खोलकर निर्दोष और निहत्ये लोगों को काल कवलित कर रहे है। पाकिस्तान द्वारा जम्मू-

कश्मीर में प्रायोजित आतंकवाद इसकी गुप्तचर ऐजेन्सी (आई.एस.आई) के कारनामों से जगजाहिर हो चुका है। भाड़े के विदेशी आतंकी-लड़ाकों का खुल्लेआम उपयोग लिया जा रहा है। सम्प्रदाय के नाम पर गुमराह किए गए नवयुवकों के हाथों में हथगोले और बंदूक थमाकर नरसंहार कर तांडव करने से भी जब पाकिस्तान का मसूबा पूरा नहीं हुआ तो कारगिल युद्ध को अंजाम देकर बुरी तरह मात खा चुका है। हाल ही वर्षो में विश्व समुदाय कश्मीर समस्या पर जिस मुखरता और प्रखरता के साथ हमारे साथ खड़े हैं। वह हमारी विजय का परिचायक है। कारगिल युद्ध ने पाकिस्तान के खतरनाक इरादे और छदम युद्ध की नीति को बेनकाब कर दिया।

आतंकवाद के कारण कश्मीर का हिन्दू समाज पूरी तरह तहस-नहस हो गया है। प्रशासन पंगु हो गया। घाटी के अल्पसंख्यक हिन्दू समाज का जनजीवन पूरी तरह असुरक्षित हो गया है। आतंकवादी सबको मौत के घाट उतारकर फरार हो जाते है। आतंकवाद ने सामाजिक प्रभाव में शिक्षा, सरकारी तंत्र, व्यापार, व्यवसाय, भाई-चारे, निर्माण कार्यों, विकास कार्यो, उत्सवों, समारोहों व सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रभावित करके हिन्दुओं को विस्थापन और पलायन के लिए मजबूर कर दिया। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों, प्रशासन और पुलिस की भूमिका नगण्य कहीं जा सकती है। भारत के प्रदेशों में आतंकवाद फैलाने बढ़ाने में केन्द्र सरकार एंव राज्य सरकारों की गलत नीतियां दोषी रही है। सुरक्षा बलों में आतंकवादियों को मारने की बजाए आत्म सम्पर्ण करवाने की प्रवृत्ति अधिकतर देखी गई है। हमारे जवान दिन-ब-दिन शहीद होते गये और आतंकवादियों का इससे मनोबल बढ़ने लग गया। जम्मू-कश्मीर के सामाजिक संगठनों ने आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष का बिगुल बजाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। हिन्दु रक्षा समिति, बलिदान स्मारक समिति, राष्ट्रीय स्वयं संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर अपने देशभक्ति के परचम को लहराया दिया है। इस अध्याय के शुरू में भारतीय संदर्भ में आतंकवाद के उद्देश्यों को विवेचित किया गया है। इसके बाद मानवजाति के इतिहास में आतंकवाद की ज्वलंत समस्या पर चर्चा की गई है। आतंकवाद की अवधारणा के अन्तर्गत प्राचीन काल से वर्तमान काल तक के आतंकवादी कृत्यों, उत्पति और विकास की चरणों को रेखांकित किया गया है। आतंक के अर्थ और परिभाषा को व्यक्त करने के साथ इसकी विशेषताएं परिक्षेत्रों, आतंकवादी गतिविधियों, इसकी प्रमुख ज्वलत घटनाओं पर प्रकाश डाला है। आतंकवाद के विभिन्न 40 प्रकारों को समाहित करके इनकी स्पष्ट विवेचना की गई। आतंकवाद उत्पन्न होने वाले कारकों/घटकों/कारणों को स्पष्ट करने के पश्चात आतंकवाद के धार्मिक, राजनैतिक समाजशास्त्रीय, वैद्यानिक और आर्थिक परिपेक्ष्यों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। आतंकवाद के विविध बदलते स्वरूपों और विमाओं के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों और इनके प्रशिक्षण केन्द्रों के बारे में विवेचना की गई है। आतंकवाद की वास्तविक स्थितियों को उजागर किया गया है। इसके बाद आतंकवादी समस्याओं और चुनौतियों की व्यवस्थाएं की गया है। आतंकवाद के परिणामों और इसके संदर्भ में मानवाधिकारों के उल्लंघन और संरक्षण के प्रभावों को स्पष्ट

किया गया है। आतंकवाद के निवारण हेतु किए गये वैश्विकरण हमे आयामों के परिदृश्यों के विवेचित किया गया है। भारत में आतंकवाद का सामना करने के लिए प्रयुक्त होने वाले इजरायली, अमेरिकन और भारतीय मॉडल को प्रस्तुत कर इनके परस्पर भेद को रेखांकित किया गया है। अंत में, आतंकवाद के निवारण और समाधान करने के विभिन्न उपायों और अमूल्य सुझावों को भली प्रकार से बताया गया है। हाल ही में सितम्बर 2013 में सीरिया में आतंकवाद के आधुनिक स्वरूपों में शामिल हुए महिला आतंकवादी गिरोह भी संगठित होकर अन्तर्राष्ट्रीय दृश्यों में मुखरित हो रहे इससे भी एक नवीन वैश्विक आंतकवाद को नया रूप उभर कर आया है और भविष्य में भी अनेक स्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं।

4.14 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. आतंकवाद की अवधारणा से आप क्या समझते है? आतंकवाद के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में स्पष्ट उल्लेख कीजिए।
2. आतंकवाद समाज के लिए एक बदनुमा कंलक हो गया है। आप आतंवाद के परिक्षेत्रों, गतिविधियों और प्रमुख कारित की गई घटनाओं पर प्रकाश डालिए।
3. आतंकवाद आजकल की व्युत्पति, विकास, और इसके उत्पन्न होने वाले विभिन्न कारणों की स्पष्ट विवेचना कीजिए।
4. आतंकवाद के विभिन्न परिप्रश्यों और प्रकारों के बारे में स्पष्ट व्याख्या कीजिए।
5. आतंकवाद के वर्तमान परिदृश्यों में बदलते विधि स्वरूपों और इसके विभिन्न आयामों को सविस्तार समझाइए।
6. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रमुख आतंकवादी संगठनों और इनके द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों के बारे में आप समीक्षा कीजिए।

7 भारत में आतंकवाद की वास्तविकताओं और स्थितियों के बारे में निबन्ध लिखिए।

8. आतंकवाद के निवारण से आप क्या समझते है? इसके निवारण और दमन हेतु किए गये वैश्विकरण के विभिन्न आयामों को सुस्पष्ट कीजिए।
9. महिला आतंकवाद से क्या अभिप्राय है? आतंकवाद फैलने के कारण किस सीमा तक मानवाधिकारों का उल्लंघन और संरक्षण हुआ है, इनकी स्पष्ट विवेचना कीजिए।
10. आतंकवाद की भारतीय और प्रदेशीय समस्याओं और उभर रही नवीन चुनौतियों पर आप प्रकाश डालिए।

11 भारतीय संदर्भ में आतंकवादी गतिविधियों का सामना करने के लिए कौन-कौन से मॉडल प्रयुक्त किये जा सकते हैं। स्पष्ट किजिए।

12 आतंकवाद के निवारणार्थ और समाधानार्थ विभिन्न उपायों और अमूल्य सुझावों को स्पष्ट रेखांकित कीजिए।

13 भारतीय संदर्भ में आतंकवाद के विभिन्न निहित उद्देश्यों और बनाए गये कानूनों की स्पष्ट विवेचना कीजिए।

14 आतंकवाद आज एक विश्वव्यापी जटिल समस्या बन चुका है। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों, नवाचारों और घोषणाओं में दिए गए मन्तव्यों एवं नियमों के बारे में विवेचना कीजिए।

15. आतंकवाद एक दुमुही दम्बी है? आतंकवादियों के विभिन्न समर्थित और विरोधी देशों और प्रदेशों में पनप रही आतंकवादी प्रवृत्तियों के बारे में गहनतापूर्वक बताइए।

16. आतंकवाद दमन करने हेतु टाडा और पोटा कानूनों में दिए गये विभिन्न प्रावधानों को सुस्पष्ट कीजिए।

4.14 प्रयुक्त शब्दावली

1- **संहिता** से तात्पर्य यहां दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 से अभिप्रेत है।

2- **पदाभिहित** प्राधिकारी से अभिप्रेत केन्द्र सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न पद का अधिकारी नहीं शामिल है।

3- **आतंकवाद** की कार्यवाही इसमें आतंकारियों द्वारा हासिल की गई सभी प्रकार की सम्पतियाँ चाहे नगद हो या वस्तु हो, आतंककारी गतिविधियों में शामिल कार्यवाही में सम्मिलित होती है।

4- **सम्पति :** इसमें चल-अचल, भौतिक, अभौतिक, मूर्त और अमूर्त और बैंक खाते में रखी सम्पतियां और हक प्रदत करने वाले लेख और सम्पति में होने वाले हित भी शामिल है।

5- **लोक अभियोजक :** इस कानून की धारा 24 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया कोई भी लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक और वह व्यक्ति जो लोक अभियोजक के निर्देशानुसार कार्य से अभिप्रेत है।

6- **विशेष न्यायालय :** आतंकवादी निवारण अधिनियम 2002 की धारा 23 के अन्तर्गत केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित न्यायालय से अभिप्रेत है।

7 **आतंककारी कार्य :** इस कानून की धारा 3 (1) के अनुसार वह व्यक्ति जो आतंकवादी कार्यकलापों और गतिविधियों के कार्य जो अपराध में शामिल हो वह आतंकवादी कार्य कहलाता है।

8- **राज्य सरकार** से अभिप्रेत केन्द्र शासित प्रदेश के सम्बन्ध में प्रशासक से तात्पर्य है।

9- **अवधारणा** से तात्पर्य मन में बनाई गई समझ की उपधारणा या संप्रत्यय से मतलब है।

10-**घटना** से तात्पर्य आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त अपराध के घटित होने वाले वाक्यात से है।

11-**विरोधाभासी:** वे वाक्य या शब्द जो किन्हीं दो कानूनों में दिए गये प्रावधानों में दिए गये भाव से परस्पर प्रतिकूल या विपरित हो।

12-**वैधानिक** से अभिप्रेत कानूनी प्रावधानों के अनुसार पालना होने से है।

13-**नारको** से तात्पर्य स्वापक औषधियों से है।

14-**तकनीकी** से अभिप्रेत जिसमें शिल्पीकारिता या प्रौद्योगिक उत्पाद शामिल है।

15-**घरेलू** से तात्पर्य घर से सम्बन्धित व्यक्ति या वस्तु से है।

16-**टैरोविजन** से तात्पर्य किसी व्यक्ति को भयाक्रांत करने के दृष्टिकोण से है।

17-**अलगाव** से अभिप्रेत पृथक करने के कार्य से है।

18-**प्रायोजित** से तात्पर्य वह कार्यक्रम जो दूसरे के सानिध्य या तात्वाधान में आयोजित किया जाता है।

19-**उल्लंघन** से तात्पर्य कानून में बनाए गये प्रावधानों के अतिलंघित या अवहेलना करने से है।

20-**संरक्षण** से अभिप्रेत कानून के किसी उपबंध में बचाव करने से है।

4.16. संदर्भ ग्रंथ सूची

1. वीरेन्द कुमार गौड, विश्व में आतकंवाद सामायिक प्रकाशन दरियागंज नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2004
2. प्रो. राम आहूजा सामाजिक समस्याऐं पुर्नमुद्धण रावत पब्लिकेशन जवाहर नबर जयपुर राज.(भारत) प्रथम संस्करण, 2006,
3. डाँ श्याम किशोर कपूर, मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्टीय विधि सेन्टल लाँ एजेन्सी,30डी।मोती लाल नेहरू रोड इलाहाबाद-2 उतरप्रदेश (भारत) 27वां संस्करण, 2009
4. अन्तराष्टीय विधि एवं मानव अधिकार प्रो. एच. ओ. अग्रवाल 2010 11वाँ संस्करण,सेन्टल लाँ पब्लिकेशन्स,107 दरभंगा कैसल,इलाहाबाद 211002 उतरप्रदेश (भारत)
5. श्रीमति सुधा अवस्थी एडवाकेट, महिलाओं के प्रति अत्याचार एवम मानवाधिकार अशोका लाँ हाउस ए-252 शिवालिक नई दिल्ली 110017(भारत) प्रथम संस्करण , 2007
6. रवीन्द्र जुगरान, रक्तरंजित जम्मू-कश्मीर- ज्ञानगंगा 205-सी चावडी बाजार दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2009

7. आतंकवादी निवारण अधिनियम, 2002 बेयर एक्टविनोद पब्लिकेशन्स प्रा.लि. 1561 चर्च रोड़, कश्मीरी गेट दिल्ली- प्रथम संस्करण, 2002

8. आतकंवाद : अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल भाग-1-61977-83

9. ''राजनीतिक आतंकवाद'' विल्कीशन पॉल मैकमिलन एण्ड कम्पनी, लन्दन ब्रिटेन, 1974

10. प्रो. नौनीहाल सिंह गुर्जर, ''विश्व का आतंकवाद'' प्रथम सं. दक्षिणी एशियाई प्रकाशक नई दिल्ली (भारत), 1989

11. डॉ. नाथूलाल गुर्जर, श्रीमती धीरज चौधरी तथा डॉ. सुगलराम रैगर, भूमण्डलीय के परिदृश्यों में सभ्य समाज, अपराधिकरण तथा आतंकवाद के बदलते स्वरूपों में मानवाधिकारों के नवाचार-एक सिंहावलोकन -आलेखक राष्ट्रीय सम्मेलन अलवर में प्रकाशित लेख से उद्धरित।

इकाई - 5

कश्मीर की समस्या

इकाई की रूपरेखा

5.1 उद्देश्य

5.2 प्रस्तावना

5.3 कश्मीर का संक्षिप्त परिचय

5.4 कश्मीर विवाद की पृष्ठभूमि

5.5 मुख्य विवाद

5.6 भारत का पक्ष

5.7 पाकिस्तानी पक्ष

5.8 चीन का पक्ष

5.9 सीमा संबंधी विवाद

5.10 कश्मीर में आतंकवाद के प्रमुख कारण

5.11 अन्य कारण

5.12 कश्मीर के प्रमुख आतंकवादी समूह

5.13 अभ्यास प्रश्न

5.14 सारांश

5.15 संदर्भ ग्रंथ

5.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप -

- कश्मीर विवाद क्या है इसके विषय में जान सकेंगे;
- कश्मीर विवाद पर भारत और पाकिस्तान सरकार का पक्ष जान सकेंगें;
- कश्मीर में बढते आतंकवाद के कारणों को समझ सकेंगें; और
- कश्मीर में आतंकवाद की समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के विषय में जान सकेंगें।

5.2 प्रस्तावना

कश्मीर विवाद भारत सरकार, पाकिस्तानी सरकार और कश्मीरी उग्रवादी दलों के मध्य कश्मीर क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही से चला आ रहा क्षेत्रीय विवाद है। यद्यपि कश्मीर का सीमा विवाद भले ही 1947 से ही भारत और पाकिस्तान के बीच जारी रहा है। लेकिन कश्मीरी उग्रवादियों (पाकिस्तान समर्थित) और भारत सरकार के बीच कश्मीर की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए विवाद और कश्मीर में उग्रवाद का दौर पिछले दो दशकों में अधिक उग्र हो गया है।

जम्मू और कश्मीर भारत का सबसे उत्तर में स्थित राज्य है। पाकिस्तान इसके उत्तरी इलाके (पाक अधिकृत कश्मीर) या तथाकथित ''आजाद कश्मीर'' के हिस्सों पर काबिज है, जबकि चीन ने अक्साई चिन पर कब्जा किया हुआ है। भारत इन कब्जों को गैरकानूनी मानता है जबकि पाकिस्तान भारतीय जम्मू और कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र मानता है। राज्य की आधिकारिक भाषा उर्दू है।

भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर पर विजय पाने के लिए युद्ध किए हैं जिनमें 1947, 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध प्रमुख हैं। यहीं नहीं 1984 से दोनों देश सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण के लिए अक्सर लड़ते रहे हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान के हारने के बाद 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था।

जम्मू और कश्मीर में जम्मू (पूंछ सहित), कश्मीर, लद्दाख एवं सियाचीन के क्षेत्र सम्मिलित है। यहाँ के निवासियों में अधिकांश मुसलमान हैं किंतु उनके रहन-सहन रीति-रिवाज एवं संस्कृति पर हिंदू धर्म की पर्याप्त छाप है। कश्मीर के सीमांत क्षेत्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिक्यांग तथा तिब्बत से मिले हुए हैं। कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। कुछ राजनैतिक कारणों और पड़ोसी राष्ट्रों की कुटिल चालों के कारण कश्मीर में उग्रवाद की समस्या ने गंभीर रूप ले लिया है। इस इकाई में हम कश्मीर समस्या के मुख्य कारणों और इस समस्या पर भारत और पाकिस्तानी सरकार के पक्ष को जानेंगे।

5.3 कश्मीर का संक्षिप्त परिचय

भारतीय जम्मू और कश्मीर के तीन मुख्य अंचल है। जम्मू (हिन्दू बहुल), कश्मीर (मुस्लिम बहुल) और लद्दाख (बौद्ध बहुल)। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू तवी है। कश्मीर प्रदेश को दुनिया का स्वर्ग माना गया है। अधिकांश राज्य हिमालय पर्वत से ढका हुआ है। मुख्य नदियाँ सिन्धु, झेलम और चेनाब हैं। यहाँ कई खूबसूरत झीलें जैसे डल, बुलर और नागिन झील हैं।

कश्मीर के अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय है। केवल दक्षिण पश्चिम में पंजाब के मैदानों का क्रम चला आया है। कश्मीर क्षेत्र की प्रधानतया दो विशाल पर्वतश्रेणियां हैं। सुदूर उत्तर में काराकोरम तथा दक्षिण में हिमालय जास्कर श्रेणियाँ, जिनके मध्य सिंधु नदी की संकरी घाटी

समाविष्ट है। हिमालय की प्रमुख श्रेणी की दक्षिणी ढाल की ओर संसारप्रसिद्ध कश्मीर की घाटी है जो दूसरी ओर पीर पंजाल की पर्वतश्रेणी से घिरी हुई है। पीर पंजाल पर्वत का क्रम दक्षिण में पंजाब की सीमावर्ती नीची तथा अत्यधिक विदीर्ण तृतीय युगीन पहाड़ियों तक चला गया है।

प्राकृतिक दृष्टि से कश्मीर को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1- जम्मू क्षेत्र की बाह्य पहाड़ियां तथा मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियां
2- कश्मीर घाटी
3- सुदूर बृहत् मध्य पर्वत श्रेणियां जिनमें लददाख, बलूस्तान एवं गिलगित के क्षेत्र सम्मिलित हैं।

झेलम या बिहत, वैदिक काल में वितस्ता तथा यूनानी इतिहासकारें एवं भूगोलवेत्ताओं के ग्रंथों में हाईडसपीस के नाम से प्रसिद्ध है। यह नदी वेरनाग से निकलकर कश्मीरघाटी से होती हुई बारामूला तक का 75 मील का प्रवाहमार्ग पूरा करती है। इसके तट पर अनंतनाग, श्रीनगर तथा बारामूला जैसे प्रसिद्ध नगर स्थित हैं। राजतरंगिणी के वर्णन से पता चलता है कि प्राचीन काल में कश्मीर एक बृहत झील था जिसे ब्रहमासुत मारीचि के पुत्र कश्यप श्रृषि ने बारामूला की निकटवर्ती पहाडियों को काटकर प्रवाहित कर दिया था। इस क्षेत्र के निवासी नागा, गांधारी, खासा तथा द्रादी कहलाते थे। खासा जाति के नाम पर ही कश्मीर का नामकरण हुआ है, पीरपंजाल तथा हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित क्षेत्र को कश्मीर घाटी कहते हैं। यह लगभग 85 मील लंबा तथा 25 मील चौडा बृहत क्षेत्र है। इस घाटी में चबूतरे के समान कुछ ऊँचे समतल क्षेत्र मिलते हैं जिन्हें करेवा कहते हैं। धरातलीय दृष्टि से ये क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कश्मीर घाटी में जल की बहुलता है। अनेक नदी नालों और सरोवरों के अतिरिक्त कई झीलें है। वुलर झील मीठे पानी की एक विशाल झील है। कश्मीर में सर्वाधिक मछलियां इसी झील से प्राप्त होती हैं। स्वच्छ जल से परिपूर्ण डल झील तैराकी तथा नौकाविहार के लिए अत्यंत रमणीक है। तैरते हुए छोटे छोटे खत सब्जियां उगाने के व्यवसाय में बडा महत्व रखते हैं। कश्मीर अपनी अनुपम सुषमा के कारण नंदनवन कहलाता है। भारतीय कवियों ने सदा इसकी सुंदरता का बखान किया है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जलवायु तथा वनस्पतियाँ भी पर्वतीय है।

कश्मीर घाटी की प्रसिद्ध फसल चावल है जो यहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन है। मक्का, गेहूँ जौ और जई भी क्रमानुसार मुख्य फसल हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न फल एवं सब्जियाँ यहाँ उगाई जाती है। अखरोट, बादाम, नाशपाती, सेब, केसर तथा मधु आदि का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। कश्मीर केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। शिवालिक तथा मरी क्षेत्र में कृषि कम होती है। दून क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अच्छी कृषि होती है। जनवरी और फरवरी में कोई कृषि कार्य नहीं होता है। यहां की झीलों का बड़ा महत्व है। उनसे मछली, हरी खाद, सिंघाडे, कमल एवं मृणाल तथा तैरते हुए बगीचों से सब्जियां उपलब्ध होती है। कश्मीर की मदिरा मुगल बादशाह बाबर तथा जहांगीर को बडी प्रिय थी कितु अब उसकी इतनी प्रसिद्धि

नहीं रही। कृषि के अतिरिक्त, रेशम के कीड़े तथा भेड बकरी पालने का धंधा भी यहाँ पर होता है।

इस राज्य में प्रचुर खनिज साधन हैं किंतु अधिकांश अविकसित हैं। कोयला, जस्ता , तांबा, सीसा बॉक्साइट, सज्जी, चूना पत्थर, खडिया मिटटी, स्लेट, चीनी मिटटी, अदह (ऐसबेस्टस) आदि तथा बहुमूल्य पदार्थों में सोना, नीलम आदि यहाँ के प्रमुख खनिज हैं।

श्रीनगर का प्रमुख उद्योग कश्मीरी शाल की बुनाई है जो बाबर के समय से ही चली आ रही है। कश्मीरी कालीन भी प्रसिद्ध औद्योगिक उत्पादन है। किंतु आजकल रेशम उद्योग एक प्रमुख प्रगतिशील धंधा हो गया है। चाँदी का काम, लकडी की नक्काशी तथा पेपर माशे यहाँ के प्रमुख उद्योग है। पर्यटन उद्योग कश्मीर का प्रमुख धंधा है जिससे राज्य को बडी आय होती है। लगभग एक दर्जन औद्योगिक संस्थान स्थापित हुए हैं परंतु प्रचुर औद्योगिक क्षमता के होते हुए भी कुछ राजनैतिक कारणों और उग्रवाद के कारण बडे उद्योंगों का विकास अभी तक नहीं हो पाया है।

समुद्रतल से 5200 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्रीनगर जम्मू-कश्मीर की राजधानी तथा राज्य का सबसे बडा नगर है। इस नगर की स्थापना सम्राट अशोकवर्धन ने की थी। यह झेलम नदी के दोनों तट पर बसा हुआ है। डल झील तथा शालीमार, निशात आदि रमणीक बागों के कारण इस नगर की शोभा अति रमणीक है। अत: इसकी गणना एशिया के सर्वाधिक सुंदर नगरों में होती है। अग्निकाण्ड बाढ तथा भूकंप आदि से इस नगर को अपार क्षति उठानी पडती है। यहाँ के उद्योग धंधे राजकीय है। कश्मीर घाटी तथा श्रीनगर का महत्व इसलिए भी अधिक है कि हिमालय के पार जानेवाले रास्तों केलिए ये प्रमुख पड़ाव है।

जम्मू नगर जम्मू प्रांत का सबसे बडा नगर तथा जम्मू-कश्मीर राज्य की जाड़े की राजधानी है। रूसी प्रभावक्षेत्र से भारत को दूर रखने के हेतु अंग्रेजी सरकार ने कश्मीर के उत्तर में एक संकरा क्षेत्र अफगानिस्तान के अधिकार में छोड दिया था। गिलगित तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम है। गिलगित में चारों ओर पर्वतीय मार्ग जाते हैं। यहां पर्वतक्षेत्रीय फसलें तथा सब्जियां उत्पन्न की जाती है। बृहत् हिमालय तथा जास्कर पर्वत-श्रेणीयों के क्षेत्र में जनसंख्या कम हैं। 15000 फुट ऊंचाई पर स्थित कोर्जोक नामक स्थान संसार का उच्चतम कृषकग्राम माना जाता है। इन क्षेत्रों का जीवन बड़ा कठोर है। कराकोरम क्षेत्र में श्योक से हुंजा तक के छोटे से भाग में 24000 फुट से ऊंचे 33 पर्वतशिखर है। अनेक कठिनाइयों से भरे इन क्षेत्रों से किसी समय तीर्थयात्रा के प्रमुख मार्ग गुजरते थे।

जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन रहा है। गत वर्षों से जारी आतंकवाद ने यहां की अर्थव्यवस्था की कमर तोड दी थी। अब हालात में कुछ सुधार हुआ है। दस्तकारी की चीजें, कालीन, गर्म कपड़े तथा केसर आदि मूल्यवान मसालों का भी यहां की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है।

5.4 कश्मीर विवाद की पृष्ठ भूमि

प्राचीनकाल में कश्मीर (महर्षि कश्यप के नाम पर) हिन्दू और बौद्ध संस्कृतियों का पालना रहा है। मध्ययुग में मुस्लिम आक्रान्ता कश्मीर पर काबिज हो गये। कुछ मुसलमान शाह और राज्यपाल हिन्दुओं से अच्छा व्यवहार करते थे। 1947 ई में कश्मीर का भारत में विलय हुआ। पाकिस्तान अथवा तथाकथित 'आजाद कश्मीर सरकार' जो पाकिस्तान की प्रत्यक्ष सहायता तथा अपेक्षा से स्थापित हुई आक्रामक के रूप में पश्चिमी तथा उत्तरपश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों पर आधिपत्य किए हुए है। भारत ने यह मामला 1 जनवरी 1948 को ही राष्ट्रसंघ में पेश किया था किंतु अभी तक निर्णय नहीं हो सका है। उधर लद्दाख में चीन ने भी लगभग 12000 वर्गमील क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया है।

आजादी के समय पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ करके वहां कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। बचा हिस्सा भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर का अंग बना। हिन्दू और मुस्लिम संगठनों ने साम्प्रदायिक गठबंधन बनाने शुरू किये। यहां पर साम्प्रदायिक दंगे अक्सर होते रहे थे। नेशनल कांफ्रेस जैसी पार्टियों ने राज्य में मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर जोर दिया और उन्होंने जम्मू और लददाख क्षेत्रों की अनदेखी की। स्वतंत्रता के पांच साल बाद जनसंघ से जुडे संगठन 'प्रजा परिषद' ने उस समय के नेता शेख अब्दुल्ला की आलोचना की। शेख अब्दुल्ला ने अपने एक भाषण में कहा कि प्रजा परिषद भारत में एक धार्मिक शासन लाना चाहता है। जहां मुस्लमानों के धार्मिक हित कुचल दिये जायेंगें। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि यदि जम्मू के लोग एक अलग डोगरा राज्य चाहतें हैं तो वे कश्मीरियों की तरफ से ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें इसपर कोई एतराज नहीं है। जमात-ए-इस्लामी से राजनैतिक टक्कर लेने के लिए शेख अब्दुल्ला ने खुद को मुसलमानों के हितैषी के रूप में पेश किया । उन्होंने जमात-ए-इसलामी पर यह आरोप लगाया कि उसने जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाया है जिसके हाथ अभी भी मुस्लिमों के खून से रंगे है। 1977 से कश्मीर और जम्मू के बीच दूरी बढ़ती गई।

1984 के चुनावों से लोगें खासकर राजनेताओं को ये सीख मिली कि मुस्लिम वोट एक बडी कुंजी है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जम्मू दौरों के बाद फारूख अब्दुल्ला तथा उनके नए साथी मौलवी मोहम्मद फारूख (मीरवाइज उमर फारूख के पिता) ने कश्मीर में अपनी मुस्लिम नेता की छवि बनाई। मार्च 1987 में स्थिति यहाँ तक आ गई कि श्रीनगर में हुई एक रैली में मुस्लिम युनाईटेड फ्रंट ने ये घोषणा की कि कश्मीर की मुस्लिम पहचान एक धर्मनिरपेक्ष देश में बची नहीं रह सकती। इधर जम्मू के लोगों ने भी क्षेत्रवाद को धार्मिक रूप देने का काम आरंभ किया। भारत सरकार ने भी अधिकांश कश्मीरी राजनीतिक अधिकारों के लिए सम्मान के अभाव को प्रदर्शित किया है। एक सरकारी रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि कश्मीरी पंचायत राज के लगभग आधे पद खाली है और ऐसा संघर्ष के अस्थिर प्रभाव के कारण है। पंचायत राज, ग्राम स्तरीय निर्वाचित शासन की प्रणाली हे जिसे भारतीय

संविधान में 73 वे संशोधन के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद से राज्य में इस्लामिक जिहाद तथा साम्प्रादायिक हिंसा में कई लोग मारे जा चुके हैं।

यद्यपि हाल के दिनों में कुछ संकेत मिले हैं कि भारत सरकार ने कश्मीरी राजनीतिक विचारों को अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। खासकर चुनावों के माध्यम से इसे व्यक्त किया गया। 2008 में जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा के चुनाव के दौरान राष्ट्रीय सत्ताधारी पार्टी ने फैसला किया कि वह सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाली पार्टी के साथ गठबंधन करेंगी।

5.5 मुख्य विवाद

भारत की स्वतन्त्रता के समय राजा हरि सिंह यहाँ के शशासक थे जो अपनी रियासत को स्वतंत्र राज्य रखना चाहते थे। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में मुस्लिम कॉन्फ्रेस (बाद में नेशनल कॉन्फ्रेसं) कश्मीर की मुख्य राजनैतिक पार्टी थी। कश्मीरी पंडित शेख अब्दुल्ला और राज्य के ज्यादातर मुसलमान कश्मीर का भारत में ही विलय चाहते थे (क्यों कि भारत धर्म निरपेक्ष है) पर पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई मुस्लिम बहुमत प्रान्त भारत में रहे। इसलिए 1947 -48 में पाकिस्तान ने कबाइली और अपनी छद्म सेना से कश्मीर में आक्रमण करवाया और काफी हिस्सा हथिया लिया। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना से इस विवाद को जनमत संग्रह से सुलझाने की पेशकश की जिसे जिन्ना ने तब ठुकरा दिया क्यों कि उनको अपनी सैनिक कार्यवाही पर पूरा भरोसा था। महाराजा ने शेख अब्दुल्ला की सहमति से भारत में कुछ शर्तों के तहत विलय कर दिया। भारतीय सेना ने जब राज्य का काफी हिस्सा बचा लिया था, तब भारत इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र में ले गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दोनों पक्ष के लिए दो करार पारित किये।

- पाकिस्तान तुरन्त अपनी सेना काबिज हिस्से से खाली करे।
- शान्ति होने के बाद दोनों देश कश्मीर के भविष्य का निर्धारण वहां की जनता की इच्छा से करें।

5.6 भारत का पक्ष

- पाकिस्तान ने अपना अधिकृत कश्मीरी भूभाग खाली नहीं किया है, बल्कि कुटिलतापूर्वक वहां कबाइलियों को बसा दिया है।
- जम्मू और कश्मीर की लोकतान्त्रिक और निर्वाचित संविधान सभा ने 1957 में एकमत से महाराजा द्वारा कश्मीर के भारत में विलय के निर्णय को स्वीकृति दे दी और राज्य का ऐसा संविधान स्वीकार किया जिसमें कश्मीर के भारत में स्थायी विलय को मान्यता दी गयी थी।

- भारतीय संविधान के अन्तर्गत आज तक जम्मू कश्मीर में सम्पन्न अनेक चुनावों में कश्मीरी जनता ने वोट डालकर एक प्रकार से भारत में अपने स्थायी विलय को ही मान्यता दी है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनैतिक दल भी पाकिस्तान के धर्माधारित दो राष्ट्र सिद्धान्त को नहीं मानते।
- 2008 के चुनावों में उग्रवादियों द्वारा बहिष्कार के आह्वान के बावजूद जनता ने बड़ी संख्या में मतदान किया और नेशनल कॉफ्रेन्स सत्ता में आई जो भारत सरकार का समर्थन करती है।
- कश्मीर का भारत में विलय ब्रिटिश भारतीय स्वातन्त्र्य अधिनियम के तहत कानूनी तौर पर सही था।
- पाकिस्तान अपनी भूमि पर आतंकवादी शिविर चला रहा है (खास तौर पर 1989 से) और कश्मीरी युवकों को भारत के खिलाफ भडका रहा है। ज्यादातर आतंकवादी स्वयं पाकिस्तानी नागरिक या तालिबानी अफगान ही हैं। ये लोग और कुछ दिग्भ्रमित कश्मीरी युवक मिलकर इस्लाम के नाम पर भारत के खिलाफ जिहाद छेडे हुए हैं। धर्म के नाम पर ये उग्रवादी निर्दोष कश्मीरी (हिन्दू) नागरिकों की निर्मम हत्याएँ (और हिन्दू औरतों का बलात्कार) कर रहे हैं। लगभग सभी कश्मीरी पंडितों को आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी से बाहर निकाल दिया है।
- राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत स्वायत्तता प्रदान की गई है।
- कश्मीर के भारत से अलग होने के बाद भारत की उत्तरी सीमा सुरक्षित नहीं रहेगी।

5.7 पाकिस्तान का पक्ष

पाकिस्तान का मानना है कि कश्मीर पाकिस्तान का भाग है ओर वर्तमान विवादित क्षेत्र का निर्धारण कश्मीर की जनता द्वारा किया जाना चाहिए।

- पाकिस्तान का मानना है कि महाराजा कश्मीर के प्रचलित नेता नहीं थे और अधिकांश कश्मीरी जनता मानती है कि उन्होंने जनता की भावना को दबाकर भारत में विलय किया।
- पाकिस्तान का मानना है कि कश्मीर में विद्रोह से प्रदर्शित होता है कि कश्मीरी जनता भारत के साथ नहीं रहना चाहती है। इसका अर्थ है कि वह या तो पाकिस्तान के साथ अथवा स्वतन्त्र रूप से रहना चाहती है।
- दो राष्ट्र सिद्धान्त के अनुसार जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय दिया गया था, कश्मीर पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि वहां बहुसंख्य मुसलमान है।

- पाकिस्तान का मानना है कि भारत के अधिकार क्षेत्र वाले कश्मीर में भारतीय रक्षा बलों द्वारा अनेक नागरिकों को आतंकवादी बताकर मुठभेड़ में मार दिया गया। मानवाधिकार संगठनों ने भी इसकी निंदा की।

5.8 चीन का पक्ष

- चीन का मानना है कि अक्साई चिन चीन का हिस्सा है और वह अक्साई चिन को कश्मीर राज्य का हिस्सा नहीं मानता है।
- चीन जम्मू और कश्मीर की रियासत का ब्रिटिश राज्य द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र यानी अकसाई चिन और काराकोरम की उत्तरी सीमाओं को स्वीकार नहीं करता है।
- चीन ने पाकिस्तान के साथ काराकोरम दर्रे के परे के विवाद को 1963 में सुलझा लिया था, लेकिन भारत के साथ विवाद अबतक जारी है।

5.9 सीमा संबन्धी विवाद

भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा और नियंत्रण रेखा (Line of Control) कुछ अत्यधिक दुर्गम क्षेत्रों से होकर जाती है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्धस्थल सियाचिन इस कठिन सुरक्षा चौकसी सीमा का हिस्सा है। भारत ने आतंकवादियों की सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए यहां बाड़ लगायी जिस का पाकिस्तान यह कहकर विरोध करता है कि ऐसा करके भारत ने शिमला समझौते का उल्लंघन किया है।

इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दा एक प्रमुख समस्या है और यदि दोनों देशों की सरकारें और जनता मधुर संबंध चाहती हैं तो कश्मीर समस्या का समाधान करना आवश्यक है।

यहां तक कि 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इस समस्या का हल करने के लिए दोनों पक्षों से बातचीत करने की पेशकश की थी। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक दोनो ही देश इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं कर पाए हैं। कश्मीर में सीमापार से आतंकवादियों की घुसपैठ और सीमा पर गोलाबारी का दौर आज भी जारी है।

5.10 कश्मीर में आतंकवाद के प्रमुख कारण

उग्रवाद के प्रमुख रूप से निम्न कारण माने जा सकते हैं :

मानवीय शोषण : कुछ विश्लेषकों का कहना है कि जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना की संख्या करीब 600,000 हैं (हालांकि अनुमान भिन्न हो सकते है) और भारत सरकार सैनिकों और सैन्य सरकारी अधिकारियों को वापस बुलाने से इनकार करती रही है। ये सैनिक विपरीत परिस्थितियों में रहने और निरंतर आतंकवादी गतिविधियों के होते रहने के कारण

कई बार अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए मानवीय शोषण करने लगते है। इससे भी आतंकवाद के समर्थन को प्रेरणा मिलती है।

जम्मू और कश्मीर में सैन्य बल केंन्द्र सरकार द्वारा उन्हें प्रदान की गई आपात शक्तियों के अंतगर्त कार्य करते हैं। ये शक्ति सैन्य बलों को नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करने की अनुमति देती है, जिससे विरोध अधिक प्रखर हो जाता है। इससे कई बार कश्मीर की जनता इसे मानवाधिकारों का हनन मानते हुए इसका विरोध करती है।

यद्यपि विद्रोहियों ने भी मानव अधिकारों का दुरूपयोग किया है और काफी हद तक सैनिकों और उग्रवादियों दोनों से लोगों को बचाने में सरकार की अक्षमता उग्रवाद को और अधिक प्रोत्साहित कर रही है।

आईएसआई की भूमिका : पाकिस्तानी 'इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस' ने शुरू से ही इस बगावत को प्रोत्साहित किया और समर्थन दिया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इससे कश्मीर में भारतीय शासन की वैधता को विवादित किया जा सके। भारतीय सैन्य बलों को विचलित करने और भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा करवाने के लिए बगावत को आसान तरीका मान लिया गया।

भारतीय राष्ट्रीय जनगणना से पता चलता है कि अन्य राज्यों की तुलना में कश्मीर सामाजिक विकास संकेतकों जैसे कि साक्षरता दर में सबसे पिछड़ा हुआ है और वहां असामान्य रूप से अत्यधिक बेरोजगारी है। सरकार विरोधी भावना के कारण वहां विकास दर भी कम रही है। साथ ही आतंकवाद के चलते वहां के मुख्य व्यवसाय अर्थात पर्यटन पर भी काफी बुरा असर पड़ा है। कहा जा सकता है कि अशिक्षा और बेरोजगारी के कारण बहुत से युवा आक्रोशित और भ्रमित होकर आतंकवादी घटनाओं की ओर अग्रसर हो जाते हैं।

समय के साथ भारत सरकार ने कश्मीर में अपने उददेश्यों को पूरा करने के लिए सैन्य उपस्थिति और नागरिक स्वतंत्रता को कम करने जैसे काम किए। सैन्य बलों ने बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन किया है। उग्रवाद के अधिकांश इतिहास में अगर देखा जाए तो सरकार ने कश्मीरी लोगों के राजनैतिक विचारों पर बहुत कम ध्यान दिया है। सरकार ने अक्सर विधानसभाओं को भंग किया है, निर्वाचित नेताओं की गिरफ्तारी और राष्ट्रपति शासन लागू किए हैं। सरकार ने 1987 में चुनावी हेरफेर भी की लेकिन अब सरकार का रूख बदला है। अब सरकार ने कश्मीर में विकास और सहायता की है और वर्तमान में कश्मीर प्रति व्यक्ति सबसे अधिक संधीय सहायता प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है।

पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार ने भी मूल रूप से कश्मीर में बगावत के लिए आतंकवादी गुटों का समर्थन किया और उन्हें प्रशिक्षित किया। लेकिन कश्मीरी बगावत से संबंधित कुछ समूहों द्वारा राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की दो बार हत्या करने की कोशिश के बाद मुशर्रफ ने ऐसे समूहों का सर्मथन न करने का निर्णय लिया। उनके उत्तराधिकारी आसिफ अली जरदारी ने भी इस नीति को जारी रखा और कश्मीर के विद्रोहियों को आतंकवादी कहा।

यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का नेतृत्व सरकार कर रही हैं कि नहीं और उसने कश्मीर में विद्रोहियों को अपना समर्थन देना समाप्त किया है कि नहीं। हालांकि पाकिस्तानी सरकार दावा करती रहती है कि उग्रवादियों को पाकिस्तान ने अपना सर्मथन देना प्रतिबंधित कर दिया है।

सन् 2000 के बाद से विद्रोही कम हिंसक हुए हैं और उसके बदले में मार्च और प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ समूहों ने अपने हथियार डाल दिए हैं और संघर्ष का शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

कश्मीर में विभिन्न उग्रवादी समूहों के विभिन्न उददेश्य हैं। कुछ पाकिस्तान और भारत दोनों से पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। कुछ अन्य समूह पाकिस्तान के साथ एकीकरण करना चाहते हैं और कुछ भारतीय सरकार से अधिक स्वायत्तता चाहते हैं। 2010 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि जम्मू और कश्मीर में 43 प्रतिशत जनता पूरे क्षेत्र में फैले स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सहायता के साथ स्वतंत्रता का सर्मथन करती है।

5.11 अन्य कारण

शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू ओर कश्मीर के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। फारूक अब्दुल्ला के केन्द्र सरकार के साथ अच्छे संबन्ध नहीं रहे और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। एक साल बाद फारूख अब्दुल्ला ने 1987 के चुनावों के लिए सत्तारूढ कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने की घोषणा की। इस चुनाव में फारूक अब्दुल्ला के पक्ष में धांधली किए जाने के काफी आरोप लगे। इसके बाद जिन नेताओं को चुनाव में अन्यायपूर्ण ढंग से हार मिली थी वे आंशिक रूप से सशस्त्र विद्रोह की ओर अग्रसर हो गए। उनके विद्रोह को पाकिस्तान ने और भड़काया। सैन्य सहायता, हथियार, भर्ती और प्रशिक्षण आदि के द्वारा 1987-2004 तक के काल में कश्मीर में उग्रवाद चरम पर था।

2004 से पाकिस्तान ने कश्मीर में विद्रोहियों के लिए अपने समर्थन को कुछ कम किया क्योंकि कश्मीर से जुडे एक आतंकवादी समूह ने दो बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हत्या करने की कोशिश की । उसके बाद उनके उत्तराधिकारी आसिफ अली जरदारी ने विरोध नीति को जारी रखा और कश्मीर में आतंकवादियों को विद्रोही कहा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी 'इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस' (आई एस आई) को उग्रवाद को नियंत्रित करने और समर्थन करने वाली एजेंसी समझा जाता था। बाद में कश्मीर में उग्रवाद को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी प्रतिबद्धता का दावा किया। लेकिन कश्मीर में घरेलू आंदोलन को प्रेरित करने के लिए मुख्य रूप से बाहरी ताकतों द्वारा समर्थित उग्रवाद की प्रकृति में परिवर्तन के बावजूद भारत सरकार भारतीय सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों को भेजती रही है। जिसकी वजह से यहां पर भारतीय शासन के खिलाफ व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं।

5.12 कश्मीर के प्रमुख आतंकवादी समूह

कश्मीर में प्रमुख रूप से लश्कर ए तैयबा गुट आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय रहा है। पिछले दो वर्षों से आतंकवादी गुट लश्कर ए तैयबा दो भागों में विभाजित हो गया है। अल मंसुरिन और अल नासिरिन एक और नए समूह के उदय होने की सूचना है जिसका नाम सेव कश्मीर मूवमेंट है।

अन्य कम चर्चित समूहों में फ्रीडम फोर्स और फर्जान्दन-इ-मिलात शामिल हैं। एक छोटा समूह अल-बदर कश्मीर कई वर्षों से सक्रिय है और माना जाता है कि वर्तमान में भी यह कार्य कर रहा है। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नामक एक संगठन है जो कश्मीर के अधिकारों के लिए एक मध्यम प्रकार के प्रैस का इस्तेमाल करती है। इसे अक्सर नई दिल्ली और विद्रोही समूह के बीच मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है।

अल-कायदा की भुमिका :

- ओसामा बिन लादेन द्वारा 2002 में अमेरिका को लिखे पत्र 'Letter of American People' में कहा गया कि उसका अमेरिका से युद्ध करने का एक कारण अमेरिका द्वारा कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन करना है। यद्यपि जम्मू और कश्मीर में अल कायदा की उपस्थिति स्पष्ट नहीं है। अल कायदा का यह दावा है कि जम्मू और कश्मीर में इसका आधार स्थापित है। लेकिन इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। भारतीय सेना भी ये दावा करती है कि जम्मू और कश्मीर में अल कायदा की उपस्थिति का कोई सबूत नहीं हैं। लेकिन अलकायदा ने अपने आधार को पाकिस्तान द्वारा प्रशासित कश्मीर में स्थापित किया हुआ है। पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मौहम्मद गुटों के साथ अलकायदा के मजबूत रिश्ते हैं। 2010 में अमेरिका रक्षा सचिव रॉबर्ट गेट्स ने कहा कि अलकायदा भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु हमले की योजना बना रहा है।

  भारत द्वारा पाकिस्तान के इंटर इंटेलिजेंस सर्विसेज को जम्मू और कश्मीर में लड़ने के लिए मुजाहिद्दीन का समर्थन करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए दोषी ठहराया जाता रहा है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा (भारत सरकार द्वारा नियंत्रित) में जारी सरकारी आंकडों के अनुसार यहां लगभग 3400 ऐसे मामले थे जो लापता लोगों से संबन्धित थे और संघर्ष के कारण जुलाई 2009 तक 47000 लोग मारे गए। पाकिस्तान और भारत के बीच शांति प्रक्रिया तेजी से बढने से राज्य में उग्रवाद से संबंन्धितमौतों की संख्या में थोडी कमी हुई थी। लेकिन पिछले कुछ समय से पुन: विवाद गहरा गया है। ऐसा पाकिस्तान द्वारा केरन क्षेत्र में घुसपैठ के कारण हुआ है। सितंबर 2013 के अंतिम और अक्टूबर के पहले सप्ताह में इस क्षेत्र में लगभग दो सप्ताह तक अनाधिकृत घुसपैठ के साथ ही हिंसक वारदात होती रही। वर्तमान में भी सीमा पर विवाद बढ़ रहा है।

5.13 सारांश

1987 के चुनावों के लिए सत्तारूढ कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने की घोषणा की। इस चुनाव में फारूक अब्दुल्ला के पक्ष में धांधली किए जाने के काफी आरोप लगे। इसके बाद जिन नेताओं को चुनाव में अन्यायपूर्ण ढंग से हार मिली थी वे आंशिक रूप से सशस्त्र विद्रोह की ओर अग्रसर हो गए। उनके विद्रोह को पाकिस्तान ने और भड़काया। सैन्य सहायता, हथियार, भर्ती और प्रशिक्षण आदि के द्वारा 1987-2004 तक के काल में कश्मीर में उग्रवाद चरम पर था

5.14 अभ्यास प्रश्न

1- कश्मीर विवाद से आपका क्या तात्पर्य है?
2- कश्मीर में उग्रवाद के प्रमुख कारण क्या है?
3- कश्मीर विवाद पर भारत के पक्ष को स्पष्ट करें।
4- कश्मीर विवाद पर पाकिस्तान और चीन के पक्ष को समझाऐं।

5.15 संदर्भ ग्रंथ

- विकीपीडिया
- Kashmir (region, India Subcontinent)
- The Kashmir Problem Encyclopedia Britannica (1911) Kashmir

इकाई -6

पूर्वोत्तर परिप्रेक्ष्य

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 भारत के पूर्वोत्तर राज्य

6.3 उत्तर-पूर्वी राज्यों की सामान्य समस्याएं

6.4 स्त्रातजिक उद्देश्यों द्वारा समस्याओं का समाधान

6.5 सारांश

6.6 अभ्यास प्रश्न

6.7 सन्दर्भ ग्रन्थ

6.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान सकेंगे-

- भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को वणन स्त्रेवन, उग्रवादी संगठन।
- उत्तर पूर्वी राज्यों की सामान्य समस्याओं का वर्णन।
- स्त्रॉतजिक उद्दश्यों द्वारा समस्याओंका समाधान।

6.1 प्रस्तावना

1- विश्व मानचित्र में भारत की बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। यह दुनिया का एक ऐसा विशाल देश है, जिसमें भिन्न-भिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग निवास करते हैं। इस देश की भाषा के साथ-साथ भोगोलिक परिस्थितियां रहन-सहन में भी स्पष्ट विविधता दृष्टिगोचर होती है।

2- पूर्वोत्तर भारत में विप्लव की समस्या ने सम्पूर्ण राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को सर्वाधिक छिन्न-भिन्न करने की चेष्टा की है। असम में उल्फा, बोडोलेण्ड समस्या और नक्सलवादी गतिविधियों से भारत की सुरक्षा व्यवस्था का आन्तरिक ढांचा निरन्तर शिथिल होता जा रहा है। यह तथ्य स्पष्ट है कि इस क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याएं एक नहीं, बल्कि अनेक हैं। भारतीय सीमाएं सात देशों को छूती है। उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान उत्तर में चीन,

नेपाल तथा भूटान, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। विडम्बना यह है कि करीब-करीब हर देश के साथ सीमा सम्बन्धी विवाद है। कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान द्वारा हड़प लेने से भारत का वर्तमान में अफगानिस्तान से कोई सीधा सम्पर्क नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान का छोटा पमीर एक गलियारे के रूप में पाक अधिकृत कश्मीर से मिलता है।

3- आज राष्ट्र की सुरक्षा कर्त्तव्यपरायणता, नवीन, उत्साह एवं सहयोग, दृढ़ संकल्प की भावना और उच्चानुशासन द्वारा ही संभव हैं आज किसी देश की सुरक्षा का अर्थ केवल उसकी सेनाओं तक न सिमटकर आर्थिक, औद्योगिक, भौगोलिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सोपानों तक विस्तृत है किन्तु एक तरफ भावी युद्ध की भयंकरता के कारण राष्ट्र की सुरक्षा समस्यायें जटिल हो गयी हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत का हर वर्ग अपनी-अपनी ढपली और अपना-अपना राग अलाप रहा है जिससे समाज और राष्ट्र विघटन की ओर उन्मुख दृश्टिगत हो रहा है।

आज किसी देश की सुरक्षा कभी भी उसकी एकमात्र सशस्त्र सेनाओं पर निर्भर नहीं करती अपितु उसके लिए देश के प्रत्येक वर्ग को क्रियाशील होकर तत्पर होना पड़ता है। अत: देश की सुरक्षा जितनी युद्ध सीमा पर सैनिक सुरक्षा पर है उतनी ही आन्तरिक सुरक्षा पर निर्भर करती है। जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गृह सीमा की सुरक्षा करती है। भारत दुनिया का एक ऐस विशिश्ट एवं विस्तृत देश है, जिसमें भिन्न-भिन्न धर्मों जाजियों के लोगा निवास करते हैं। यहा भाषा की विविधता के साथ भौगोलिक परिस्थितियों एवं रहन-सहन में भी अनेंकता दृष्टिगोचर होती है। किन्तु आज भारत के समक्ष नक्लवाद, भाषावाद आतंकवाद के साथ एक और गंम्भीर समस्या है क्षेत्रवाद। भारत में जो 28 राज्य गठित हुये उसमें क्षेत्रवाद प्रमुख कारण रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के साथ आज भारत महाराष्ट्र भी क्षेत्रवाद और भाषावाद झेल रहा है, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, झारखण्ड का निर्माण भी क्षेत्रवाद के कारण हुआ और अब तेलंगाना, विदर्भ, हरित प्रदेश, बुंदेलखण्ड भी इसी क्षेणी में आ गये हैं। जिसके कारण भारत को दिन प्रतिदिन नई आन्तरिक समस्यायें उत्पन्न हो रही है।

''पूर्वोत्तर में आतंकवाद या उग्रवाद की शुरूआत की निश्चित तारीख किसी के लिए बताना मुश्किल है किन्तु इतिहास में झांके तो 1826 में इसकी शुरूवात हो गयी थी।'' पूर्वोत्तर भारत के अन्तर्गत असम मेघालय मिजोरम मणिपुर नागालैण्ड त्रिपुरा और अरूणाचल प्रदेश के राज्य आते हैं। यहां छोटे-छोटे राज्य तो गठित कर दिये गये लेकिन इनको केन्द्र द्वारा विकसित नहीं किया गया जिसके कारण वहां पर आतंकवाद शुरू हुआ। पूर्वोत्तर में क्षेत्र के कारण उत्पन्न उग्रवाद-

राज्य	वर्ष
नागालैण्ड	1947
मणिपुर	1960
आसाम	1979
त्रिपुरा	1960
मिजोरम	नहीं
मेघालय	1990
अरूणाचल प्रदेश (काफी कम)	1980

भारत के पूर्वोत्तर राज्य-

अब हम एक नजर में पूर्वोत्तर के सातों राज्यों की विद्रोही स्थितियों का उल्लेख करते हैं-

असम- असम में हिंसक संघर्ष की शुरूआत यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के 1979 में स्थापना के साथ हुई थी। इस संगठन पर 1990 में प्रतिबंध लगा। नेशनल डेमोक्रेटिक फंरर्ट ऑफ बोडोलैण्ड पर, जिसका नाम पहले बोडो सिक्यूरिटी फोर्स था, 1992 में प्रतिबंध लगाकर इसके अलावा असम में असम टाइगर फोर्स है, जिसे उल्फा का ही हिस्सा माना जाता है। वहां बांग्लाभाषी हिन्दुओं की रक्षा के लिए एक संगठन बंगाल टाइगर्स फोर्स भी गठित है। इस से ज्यादा संगठन ऐसे भी हैं, जो मुस्लिम हितों की रक्षा का दावा करते हैं, जिन्हें बाग्लादेश व आई.एस.आई. का समर्थन प्राप्त है। मुस्लिम झुकाव वाले संगठन असम की आग में घी डालने का काम करते हैं। ज्यादातर हिंसक गुट अपहरण, उगाही और डकैतों से पैसा जुटाते हैं और उससे हथियार खरीदते हैं। कई ताकतवर गुट तो अवैध टैक्स या रंगदारी भी वसूलते हैं।

उग्रवादी संगठन	स्थापना	प्रभाव क्षेत्र	मुख्य मांग
अल्फा	1979	बह्मपुत्र घाटी	स्वाधीन राज्य
एन.डी.एफ.बी.	1998	बोडो बहुल जिले	स्वतंत्र बोडोलैण्ड
यू.पी.डी.एस.	1999	कार्बी आंग्लाग जिले	कार्बी राज्य
के.एल. ओ.	1995	लोअर असम/उत्तर बंगाल	कामतापुर राज्य
डिमा हालेम डाउगा	1995	पहाड़ी जिले/बराक घटी	डिमासा राज्य
मल्टा	1996	लोअर/मध्य असम	

मुस्लिमों को एक जुट करना

नागालैंड- नगा नेशनल काउंसिल ने नागालैण्ड में उग्रवाद की शुरूआज की थी। उससे जनवरी 1980 में अलग हुआ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड भी वर्ष 1988 में दो गुटों में बंट गया- एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) ओर एन.एस.सी.एन.. (खपलांग)। अप्रेल 1990 में लंदन में नगा आंदोलन के जनक ए.जेड. फिजो के देहानत के बाद एन.एन.सी. के कुछ लोगों ने फिजो की बेटी एडिना को मुखिया घोषित कर दिया, जिससे नाराज होकर कुछ नगा जनरलों ने अपना अलग एन.एन.सी. बना लिया। इस तरह से नगा आंदोलन चार टुकड़ों में बंट गया । फिलहाल, एन.एस.सी.एन. ओर उन.एस.सी.एन. (खपलांग) ही ज्यादा चर्चा में है। ये दोनों प्रतिबंधित संगठन हैं और उनके और भारत सरकार के बीच 1997 से ही संघर्ष विराम जारी है। हांलांकियह संघर्ष विराम मणिपुर, असम और अरूणाचल प्रदेश में लागू नहीं है। एन.एच.सी.एन. (आई.एम.) के नेता मुइवा ओर इसाक धीरे-धीरे शान्ति के पक्षधर होते जा रहे हैं दुखद यह कि इस नगा गुट को खूनी लड़ाई खपलांग गुट से चलती रहती है।

उग्रवादी संगठन	स्थापना	प्रभाव क्षेत्र	मुख्य मांग
एन.एन.सी.एनत्र (आई.एम.)	**1980**	**नगलैण्ड, मणिपुर, असम के पडाड़ी**	**वृहत्तर नगालैण्ड जिले**
एन.एस.सी.एन.(खपलांग)	**1980**	**नगालैण्ड, म्यांमार**	**वृहत्तर नगालैण्ड**

मणिपुर- मणिपुर में करीब 17 हिंसक संगठन ज्यादा सक्रिय हैं। यह एक जटिल राज्य रहा है। सबसे पहला आतंकी गुट यू.एन.एल.एफ. था, जो 1964 में अस्तित्व में आया। 1977 में एक अन्य गुट प्रोपक बना और 1978 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अस्तित्व में आई। मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के अलावा कई अन्य संगठन भी यहां सक्रिय हैं। इसकी सीमा म्यांमार से लगती है, इसलिए मणिपुर में हमेशा शांति खतरे मे पड़ती रहती है। मणिपुर में भी मुस्लिम उग्रपंथी गुट सक्रिय हो चुके हैं।

उग्रवादी संगठन	स्थापना	प्रभाव क्षेत्र	मुख्य मांग
कंगलइपक कम्यूनिस्टर पार्टी	1980	घाटी क्षेत्र	गैर मणिपुरी को राज्य से भगाना
यू.एन.एल.एफ.	1964	जीबरम/ आजाद मणिपुर	

			बराक घाटी
प्रीपाक	1979	मणिपुर घाटी	बाहरी भाग
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी	1978	मणिपुर घाटी	सभी संगठनों को एकजुट करना
के.वाई.के.एल.	1994	इंफाल व आसपास	मणिपुर का नवनिर्माण

त्रिपुरा- यह राज्य बांग्लादेश की ओर से होने वाली घुसपैठ से परेशान रहा है। त्रिपुरा में आतंक की शुरूआत तब हुई, जब जनजातीय पहचान को बरकरार रखने के लिए 1967 में त्रिपुरा उपजाति जुबा समिति नामक एक राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ। ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स लिबरेशन ऑर्गनाईजेशन, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (1989 में गठित) ज्यादा सक्रिय हैं। करीब तीन हिंसक संगठन बांग्लाभाशियों के हैं।

उग्रवादी संगठन	**स्थापना**	**प्रभाव क्षेत्र**	**मुख्य मांग**
टाल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स	1990	उत्तर व दक्षिण त्रिपुरा	आदिवासी राज्य
टाइगर्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा	1989	त्रिपुरा-बांग्लादेश सीमाक्षेत्र	स्वतंत्र त्रिपुरा

(बोक नेशनल काउंसिल आफ त्रिपुरा, यू.बी.एल.एफ., आमरा बंगाली जैसे संगठन अब सक्रिय नहीं हैं।)

अरूणाचल प्रदेश- अरूणाचल ड्रैगन फोर्स अरूणाचल में परेशानी का कारण रहा है। इसके अलावा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ अरूणाचल, यूनाइटेड पीपुल्स वालंटियस ऑफ अरूणाचल भी सक्रिय है। यह प्रदेश उल्फा और एन.एस.सी.एन. के लड़ाकों की आवाजाही के लिए इस्तेमाल होता है। इन संगठनों के उग्रवादी म्यांमार जाने के लिए इस प्रदेश का इस्तेमाल करते हैं। यहां आतंककियों के शिविर भी समय-समय पर उजागर होते रहे हैं।

मेघालय- यहां आतंकवाद की शुरूआत एच.एल.सी. द्वारा स्वशासन की मांग के साथ 1992 में हुई। इस संगठन में 1996 में जनजाति स्तर पर विभाजन हो गया, एच.एल.सी. (खासी) और ए.एन.वी.एस. (गारो)। इन दोनों ही संगठनों पर दिसम्बर 2000 में प्रतिबंध लगा है। इसके अलावा पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ मेघालय भी सक्रिय है। इस राज्य का इस्तेमाल बांग्लादेश की आवाजाही के लिए आतंकवादी करते हैं।

उग्रवादी संगठन	स्थापना	प्रभाव क्षेत्र	मुख्य मांग
अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल का गठन	1995	गारो पहाड़ी	गारोलैण्ड राज्य
एच.एन.एन.सी. स्थापना	1992	खासी पहाड़ी	खासी राज्य की

मिजोरम- वर्ष 1950 में नगा आंदोलन के उभरने के बाद मिजोरम में अकाल और उपेक्षा के कारण 1960 में आंदोलन पनपा। हिंसक संघर्ष हुए। अंतत: इस राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ 1986 में सरकार का ऐतिहासिक समझौता हुआ, जो बहुत हद तक सफल रहा। मिजो नेशनल फ्रंट के नेता लालडेंगा मुख्यधारा में लौटकर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उससे काफी हद तक मिजोरम में शान्ति आ गई। यह राज्य एक बेहतर उदाहरण बना। इस राज्य के उत्तर में ह्यार पीपुल्स कन्वेशन डेमोक्रेटिक और पश्चिम में ब्रु नेशनल लिबरेशन फ्रंट सक्रिय है।

6,3 उत्तर पूर्वी राज्यों की समस्याएं

उत्तर-पूर्वी राज्यों की कुछ सामान्य समस्याएं हैं, जो निरन्तर विप्लवी संकट को बढ़ाने में मदद करती रही है। ये समस्याएं निम्न है'':

1. **विषम विकास (Uneven Development)** - इस क्षेत्र के विषम विकास ने अधिकांश समूहों में उपेक्षा एवं वंचित करने की भावना के विचार में व्यापक रूप से योगदान दिया है। इस तरह के समूह जारी आन्दोलनों को निरन्तर समर्थन दे रहे हैं।

2. **अल्प विकास (Under Development)-** अल्प विकास ने उत्तर-पूर्व की दशाओं को और विस्फोटक बनाने में मदद की है। सरकार द्वारा, अधिकांश क्षेत्रों विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं से सम्बन्धित न्यून स्तर पर ही विकास प्रक्रिया संचालित की गई है। ये जनजातीय लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। फलत: यहां के लोगों के लिए रोजगार के अवसर कम उपलब्ध हैं। शिक्षित नौजवान उच्च आकांक्षाओं के साथ विभिन्न संगठनों एवं आन्दोलनों को अपनी सेवायें प्रदान कर रहा है।

3 **राजनीति (Politics)-** राजनीतिक प्रक्रम में विकृत तथा राजनीतिज्ञों के निहित स्वार्थ ने अशांति को बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र के बार में एक सुविदित तथ्य यह है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों एवं नेताओं ने भिन्न-भिन्न आतंकवादी एवं विप्लवी समूहों को अपने राजनीतिक हितों एवं विपक्षियों को पराजित करने के लिए समर्थन एवं पोषित किया।

4 **केन्द्र सरकार की नीतियां (Policies of Central Government)-** उत्तर-पूर्व में अशान्ति की वजह दिन-प्रतिदिन मामलों के नियन्त्रण में नेताओं की अनिच्छा है। उत्तर-पूर्व की अस्तित्वरत स्थितियों में कोई दृढ़ नीतियां या दिशा निर्देश स्पष्टत: रेखांकित नहीं किये गये हैं। इस समस्या को हल करने के लिए प्रशासनिक इच्छा का अभाव भी दिखाई देता है, यद्यपि काफी समय तक इस उत्तर-पूर्व क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। एक दृढ़ एवं दीर्घकालिक नीति के स्थान पर अस्थायी रूप से इस क्षेत्र की समस्या को हल करने की कोशिश की गई, जिससे उत्तर-पूर्व में विप्लव निरन्तर जारी है।

5 **सरकारी अधिकारियों का कार्य (Performance of Government Officials)-** उन सरकारी अधिकारियों, जिनकी नियक्ति उत्तर-पूर्व में की जाती है वे उसे दंड स्वरूप लेते हैं। इन अधिकारियों में स्थानीय नागरिकों के प्रति वचनबद्धता, ईमानदारी एवं समर्पण का अभाव देखा जाता है। इस कारण से क्षेत्र की जनता एवं सरकार के मध्य सूचना अन्तराल की वजह से विप्लव या पृथकतावादी समूह राष्ट्रविरोधी गतिविधियों हेतु निरंतर दुष्प्रचार में लगे रहते हैं। सकरकार तंत्र भी अच्छे खुफिया तंत्र की अनुपस्थिति तथा राजनीतिक अवरोधों के कारण असहाय रहा है।

6 **पहचान की समस्या (Crisis of Identity)-** इस क्षेत्र के चारों ओर स्थित विभिन्न देशों से शरणार्थी के विशाल पैमाने पर आवागमन तथा भारत के अन्य राज्यों से आयी जनसंख्या के कारण क्षेत्र की जनांकिकीय प्रकृति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इससे स्थानीय जनसंख्या, अल्पसंख्यक हो गई है। परिणामस्वरूप अपने पहचान एवं अस्तित्व के लिए संघर्षरत हैं। इसके अतिरिक्त विशाल पैमाने पर आव्रजन के कारण इस क्षेत्र में श्रमिक बल में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से स्थानीय नागरिकों को काम के न्यून अवसर उपलब्ध हो पाते हैं, साथ ही इस क्षेत्र में व्यवसाय बाहरी लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें शोशणकर्ता के रूप में देखा जाता है।

7. ऐतिहासिक पृथक्करण (Historical Insulation)- अंग्रेजों ने ईसाई निशनरियों को उत्तर-पूर्व मे सामाजिक एवं शिक्षा तथा संस्कृति के प्रसार हेतु प्रोत्साहित किया था। इन मिशनरियों ने स्थानीय जनता के ईसाई धर्म में परिवर्तन के साथ ही साथ भारतीय क्षेत्र के अन्य राज्यों की जनता से अपने पहचान को कायम रखने के लिए इनकी दूरी में भी सहयोग दिया। यह प्रवृत्ति अभी भी यथावत है, तथा आदिवासी क्षेत्रों की जनता, मैदानी क्षेत्रों की जनता से अपने सामंजस्य के विलय हेतु तैयार नहीं है।

8. बाह्य आयाम (External Dimension)- संसाधनों एवं नैतिक दोनों रूपों में बाह्य समर्थन, उत्तर-पूर्व के इन सीमावर्ती क्षेत्रों में विप्लवी गतिविधियों के फलने-फूलने की एक मुख्य वजह है। अपने भू-क्षेत्रीय बनावट के कारण इस क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में विप्लवी संगठनों द्वारा बाधा रहित आन्दोलन का प्रभावी संचालन संभव हो।

- सभी विप्लवी समूह, कुशल नेतृत्व क्षमता से युक्त तथा अपने कार्यो के प्रति समर्पित हैं। यद्यपि इनमें से अधिकांश बाह्य देशों में आश्रय लिये हुए हैं। प्रमुख समूह अपनी क्षमता में वृद्धि करते हुए विद्रोही गतिविधियों में व्यापक पैमाने पर संलिप्त है। ऐसी स्थिति में सैनिक संक्रियाओं को इस प्रकार से निर्मित किया जाना चाहिए जिससे उनकी गतिविधियों को रोककर इन्हें समस्या के निस्तारण हेतु प्रेरित किया जा सके।
- इस क्षेत्र की जनता बिना किसी स्पष्ट उपलब्धि के टकराव, रक्तपात और विद्रोही समूहों को करों की अदायगी से तंग आ चुकी है। यद्यपि यहां के लोगों में आधारभूत कारणों के प्रति अभी भी पर्याप्त सहानुभूति है। लोगों की सहानुभूति को सकारात्मक रूप से सरकार की तरफ मोड़ने की जरूरत है। पृथक्कतावाद एवं हस्तान्तरण को रोकने के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक स्तर पर संयुक्तरूप से प्रभावी अभियान की आवश्यकता है।
- सूक्ष्म संचार व्यवस्था, आर्थिक पिछड़ेपन, भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक पृथक्कता की जड़ है।
- अक्षुण्ण अवैध प्रव्रजन, मुस्लिम उग्रवाद का प्रारम्भ तथा ISI के बढ़ते विस्तृत जाल ने इस क्षेत्र में नये हानिकारक मोर्चे को उत्पन्न किया है।

- म्यांमार में चीन की बढ़ती हुई दखलंदाजी, बांग्लादेश, नेपाल एवं पाकिस्तान के इस क्षेत्र में बढ़ती हुई रूचि ने, भारत की सुरक्षा के प्रति नई चिन्ताएं उपस्थित की है।

6.4 स्त्रॉतजिक उद्देश्य द्वारा समस्याओ का समाधान

स्त्रॉतजिक उद्देश्य (Strategic Objectives) - इस क्षेत्र में विप्लव विरोधी कार्यवाहियों के सफल संचालन हेतु प्रस्तावित स्त्रातजिक उद्देश्यों को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत निरूपित किया जा सकता है।

राजनीतिक (Political)- प्रमुख विप्लवी समूहों के साथ, संविधान के ढ़ांचे के अधीन समस्या के निस्तारण हेतु वार्ता के माध्यम से प्रयास करना। व्यापक उद्देश्य वृहत्तर राष्ट्रीय गतिविधियों के वातारण में जनता की एकता से सम्बन्धित होना चाहिए।

आर्थिक (Economic)- अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना तथा उसके स्थायित्व को कायम रखना। सार्वजनिक मुद्रा के परिव्यय में सावधानी बरतना।

सैनिक (Military)- एक स्थयी सैनिक बल कायम रखते हुये विद्रोहियों को समस्या के निस्तारण हेतु प्रोत्साहित करना।

कूटनीतिक (Diplomatic)- सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा पर्यावरणीय समस्याओं से उत्पन्न सामान्य खतरों को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी देशों के साथ सामूहिक रूप से मिलकर वार्ता के जरिये समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रयास करना।

राजनीतिक उपाय (political Measures)

समन्वित दृष्टिकोण (Integrated Approach)- इस क्षेत्र के प्रमुख विद्रोही समूह उत्तरोत्तर समन्वय की ओर बढ़ रहे हैं। NSCN विभिन्न नृजातीय समूहों के सहायोग से विप्लवी गतिविधियों को निरन्तर बढ़ाने हेतु प्रयासरत है। इस विप्लव स्रातजी के रूप में वह उस क्षेत्र में छोटी-छोटी उग्रवादी इकाईयों को प्रोत्साहित कर रहा है। अत: इस क्षेत्र में संचालित विप्लव विरोधी प्रयासों समन्वित किये जाने की आवश्यकता है। प्रभावित क्षेत्रों मे पड़ोसी राज्यों में स्थित आश्रय स्थलों को ध्यान में रखते हुये सन्तुलित रूप से सैन्य संक्रियाओं को संचालित करने की आवश्यकता है। उत्तर-पूर्व परिषद को भी उपयुक्त तरीके से मजबूती प्रदान कर क्षेत्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों में सहायकता ली जा सकती है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के एक भाग के रूप में उत्तर-पूर्व के लिए मंत्रालय का सृजन कर एकता से सम्बन्धित प्रयासों को सुदृढ़ किया जा सकता है।

अग्रिम विभाजन नहीं (No future Bulkanisation)- सात राज्यों के सृजन के पश्चात भी उत्तर-पूर्व में नृजातीय आकांक्षाओं को स्थापित करने हेतु विप्लवी गतिविधियां निरन्तर जारी है। क्षेत्र की विविध जनांकिकी को ध्यान में रखते हुए इस आधार पर राज्यो का विभाजन समस्या का हल नहीं है। लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाकर ही इन विविध नृ-जातीय आकांक्षाओं की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है।

लोकतांत्रिक सहभागिता (participatory Democracy)- जिला परिषदों एवं ग्राम पंचायतों/ग्राम परिषदों को मजबूती प्रदान करके अत्यधिक स्वायत्तता देना लाभप्रद होगा। समय पर चुनाव कराना आवश्यक है। ग्रामीण विकास पर नियन्त्रण, प्रारम्भिक शिक्षा, प्राथमिक स्वस्थ्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित व्यवस्थाएं, शासन द्वारा स्थानीय निकायों तक पहुंचनी चाहिए। ऋणों का आवंटन एवं उनकी अदायगी आदि भी ग्राम परिशदों के माध्यम से संचालित की जानी चाहिए। इससे जनता की सहभागिता एवं जिम्मेदारी तथा पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

संसदीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि (Increased Representation in parliament)- लोक सभा की कुल 545 सीटों में से उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सातों राज्यों को मिलाकर कुल 24 सीटें हैं, जो समस्त उपस्थिति का केवल 4 प्रतिशत है। मिजोरम राज्य से तो केवल एक लोक सभा सदस्य का प्रतिनिधित्व है। व्यवस्था के अनुसार पांच वर्ष में उसे केवल एक ही बार अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त होता है। अत: सम्पूर्ण

मिजोरम के साथ न्याय नहीं हो पाता। इस मुद्दे को ध्यान में रखे हुए संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता है।

आर्थिक उपाय (Economic Measures)

अध: संरचना का विकास (Development of Infrastructure)- तुच्छ संचार व्यवस्था की वजह से उत्तर-पूर्व के बाजार एवं उत्पाद आर्थिक रूप से अव्यवहार्य साबित हुए हैं। संचार सम्बद्धता आर्थिक पुनरूत्थान के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसके तहत सड़क एवं रेल जाल तन्त्र में सुधार, ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित पुलों का निर्माण कार्य समय से पूर्ण होना तथा अन्त: स्थलीय जल परिवहन प्रणाली का पुनरूद्धार शामिल है। इस क्षेत्र में जल की प्रचुरता के बावजूद, विद्युत ऊर्जा की स्थिति जटिल बनी हुई है। विभिन्न प्रवाहित नदियों से प्रचुर मात्रा में विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है तथा बाढ़ के दौरान आपदा को भी कम किया जा सकता है।

सीमापार व्यापार (Cross Border Trade)- म्यांमार के साथ इस दिशा में कुछ प्रगति की गई है। सीमा पार व्यापार को विविध रूप से संचालित करने के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था का पुररूत्थान होगा, तथा तस्करों एवं बिचौलियों की भूमिका महत्वहीन साबित होगी। पारस्परिक व्यापार मार्गों पर स्थित सामान्य बाजारों को आवश्यक सुविधाओं के साथ पुन: पुनरूज्जीवित करने की आवश्यकता है।

प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबन्धन (Harnessing Natural Rezsources)

इस क्षेत्र की सम्पूर्ण जनसंख्या का 70 से 80 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है। परन्तु कृषि योग्य तकनीक अति प्राचीन है। कृषि उत्पादन स्पष्टत: जीवन निर्वाह स्तर तक सीमित है। मूलभूत समस्या बार-बार बाढों का आना है। नई कृषि योग्य तकनीकी सिंचाई एवं जल निकास, नवीन फसल पद्धति तथा बाढ़ प्रबन्धन के द्वारा उत्पादन के स्तर में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। यहां पर बागवानी एवं मत्स्य पालन की असीम संभावनाएं है। संचार संधनों वं अन्य संचारतंत्रीयसुविधाओं के विकास के साथ इस क्षेत्र में उपलब्ध विशाल प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रयोग के द्वारा क्षेत्र के खोये हुये आर्थिक स्तर को प्राप्त किया जा सकता है।

सैनिक विधियां (Militsry Measures)

सेना की भूमिका (Role of Army)- वर्तमान गत्यावरोध एवं विप्लवी गतिविधियों में आपराधिक विकृति को देखते हुए यह प्रश्न अहम हो गया है कि आने वाले समय में सेना किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करेगी ? अतीत का अनुभव यह सिद्ध कर चुका है कि शान्ति व्यवस्था को स्थापित किये बिना, जब-जब सेना को इस क्षेत्र से हटाया गया, तब-तब उसका परिणाम विद्रोही कार्यवाहियों में असीमित वृद्धि के रूप में सामने आया। इस विप्लव संक्रिया प्रभावित क्षेत्र में सेना की मुख्य भूमिका किसी भी कीमत पर निर्णायक प्रहार क्षमता के द्वारा विद्रोहियों को शान्ति वार्ता हेतु बाध्य करना है। इस कार्य हेतु एक प्रभावी खुफिया

तन्त्र एवं पर्याप्त मात्रा में सैन्य बलों की उपस्थिति आवश्यक है ताकि आवश्यकतानुसार सैन्य बलों को प्रयुक्त किया जा सके। नियमित सुरक्षा कार्यवाही अभियान राज्य पुलिस और असम साईफल्स/केन्द्रीय पुलिस संगठन द्वारा संचालित की जानी चाहिए।

पुलिस को मजबूत बनाना (Strengthening the Police)- प्रारम्भिक या शैशवावस्था में ही सीभी सभी विद्रोही समूहों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में पुलिस की निश्क्रियता ही इनके शक्तिशाली होने का अहम कारण है। पुलिस व्यवस्था में इस तरह से सुधार किया जाना चाहिए ताकि वह एक विद्रोही संगठन को प्रारम्भिक अवस्था में उभरते समय ही पहचान कर प्रभावी हस्तक्षेप के द्वारा उसे समाज की मुख्य धारा में समाहित कर दे। साथ ही पुलिस जनता के विश्वास एवं अपेक्षाओं के अनुकूल भी हो। इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव निम्नवत हैं-

- राज्य पुलिस को पेशेवर जांचों एवं सूचनाओं को एकत्र करने हेतु संगठित किया जाना चाहिए। राज्य पुलिस के खुफिया विभाग को आधुनिकीकृत करने की आवश्यकता है। दैनिक अभिलेख, मानव स्मृति एवं सहजबोध निर्णय जैसे पारम्परिक तरीकों पर आधारित कार्यवाहियों के स्थान पर इस क्षेत्र में उपयुक्त संचार प्रणाली से युक्त व्यवस्था को प्रयुक्त किया जाना चाहिए।
- राज्य सशस्त्र बल से सम्बद्ध एक द्रुतगामी बल सभी पुलिस स्टेशनों एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात की जानी चाहिए। इस सैन्य बल के शेश बचे हुए भाग को आरक्षित रखा जाना चाहिए। इस द्रुतगामी बल को आधुनिक शस्त्रास्त्रों, परिवहन एवं संचार साधनों से सज्जित करना चाहिए। पुलिस बल के पास तकनीकी रूप से उन्नतिशील किस्म के शस्त्रास्त्र निगरानी व्यवस्था, संचार साधन, गतिशीलता एवं व्यक्तिगत सुरक्षा से सम्बन्धित साधनों का होना अति आवश्यक है। उचित प्रशिक्षण के साथ इस तरह की तकनीकी उन्नति पुलिस बल की दक्षता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि लायेगी।
- पुलिस संगठन में सुधार करते समय विभिन्न बलों जैसे केन्द्रीय पुलिस अर्द्धसैनिक बल की अतिरिक्त संख्या को बढ़ाने एवं राज्य पुलिस में सुधार के मध्य सन्तुलन के दृष्टिकोण को अपनाना उचित होगा।

क्षेत्रीय कूटनीति (Regional Diplomacy)

क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ सामान्य कारणों पर वार्ता (Common cause with Regional Neighbours)- उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सन्दर्भ में बहुत सारी समस्याएं हमारे पड़ोसियों के साथ सम्बद्ध है। जनसंख्या विस्थापन, पर्यावरण क्षरण, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से संबंधित आधारभूत कारणों को केवल पड़ोसियों के साथ वार्ता के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है।

बाढ़ प्रबन्धन एवं शक्ति उत्पादन (Flood Management And Power Generation)- उच्च लागत एवं हिमालय क्षेत्र में भूकम्प के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में विशाल संख्या में मौजूद छोटे बांधों को बाढ़ प्रबन्धन एवं शक्ति उत्पादन दोनों कार्यों हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश के मध्य सहयोग बाढ़ प्रबन्धन में सहायक सिद्ध हो सकता है। बाढ़ में कमी के परिणामस्वरूप बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कृषि कार्य सुचारू रूप से संचालित कर जनसंख्या आव्रजन के दबाव को हल किया जा सकता है।

मादक द्रव्यों की तस्करी, एड्स और तोप गर्जन (Drug Trafficking, AIDS And Gun Running)- मादक द्रव्यों की तस्करी, मादक पदार्थों का दुरूपयोग एवं एड्स घनिष्ठ रूप से एक-दूसरे से सम्बन्धित है। मादक पदार्थों पर नियन्त्रण एवं उनका प्रसार विप्लवी समूहों का एक प्रतिष्ठित व्यवसाय है। नागा-कुकी संघर्ष का प्रारम्भ भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित Moreh (Manipur) में मादक व्यापार पर नियन्त्रण स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ। इस मुद्दे पर म्यांमार सरकार का सहयोग लाभदायक सिद्ध हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से भी इस तरह के प्रयासों में समर्थन हासिल किया जा सकता है।

क्षेत्रीय सहयोग हेतु फोरम (Forum for Co-operation)-सार्क संगठन के बैठकों में पड़ोसी देशों के मध्य आपसी मतभेदों को उठाने का प्रावधान नहीं है। भारत एवं उसके पूर्वी पड़ोसियों के मध्य क्षेत्रीय सहयोग हेतु एक संगठन का निर्माण कर उत्तर-पूर्वी पड़ोसियों के मध्य क्षेत्रीय सहयोग हेतु एक संगठन का निर्माण कर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की समस्याओं को हल किया जा सकता है।

अवैध प्रव्रजन (Illigal Migration)- विदेशियों, विशेष रूप से बांग्लादेशी शरणार्थियों के आव्रजन को रोकने हेतु सम्पूर्ण क्षेत्र पर व्यापक रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है निरोधक उपायों के तहत प्रकाश प्रबन्धों एवं अवलोकन मीनारों के साथ सम्पूर्ण सीमा, चहारदीवारी से युक्त होनी चाहिए तथा इस पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया जाना चाहिए। प्रभावित क्षेत्रों की जनता के पास फोटोयुक्त पहचान पत्र होना चाहिए। अवैध प्रवासियों का निर्वासन अति आवश्यक है। लेकिन राजनीतिक जटिलता के कारण निर्वासन कठिन है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि एक पक्षीय निर्वासन की इजाजत नहीं देती, तथा बांग्लोदेशी प्रधान मंत्रियों विशेष रूप से शेख हसीना ने यह वक्तव्य जारी किया कि भारत में कोई भी बांग्लोदेशी अवैध रूप से नहीं रह रहा है। अत: तथ्यों के उचित प्रस्तुतिकरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से विधि सम्मत तरीके से इस समस्या का समाधान किये जाने की आवश्यकता है।

पहचान का संकट (Identity Crisis)- इस क्षेत्र में चारों ओर स्थित पड़ोसी राष्ट्रों से विशाल संख्या में शरणार्थियों के आगमन से क्षेत्रीय जनता के समक्ष पहचान का संकट उपस्थित हो गया है। भारतीय संवैधानिक ढ़ाचे के अन्तर्गत विभिन्न विद्रोही संगठनों को

जीवन की मुख्य धारा से जोड़ते हुए, भारतीयता का एहसास कराना आवश्यक है। साथ ही इनके पहचान को कायम रखने के लिए अवैध शरणार्थियों का निर्वासन आवश्यक है, जिससे इन्हें रहने और कार्य करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके।

उपर्युक्त विप्लिव विरोधी संक्रियाओं को कुशल रूप से प्रयुक्त करने पर निश्चय ही इस क्षेत्र से विद्रोही गतिविधियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उत्तर-पूर्व के अशान्तिमय वातावरण को शान्ति एवं विकास की प्रक्रिया में परिवर्तित किया जा सकेगा।

6.5 सांराश

पूर्वोत्तर की समस्याएं तो उसी बीमारी के समान है जो दवाइयों की देख-रेख में लगातार बढ़ रही है। पूर्वोत्तर के सम्बन्ध में एक सकारात्मक जनमत तैयार करने की आवश्यकता है जिससे कि उस क्षेत्र में एक सशक्त, प्रभावी एवं ईमानदार प्रशासन नृजातीय समस्याओं को पूर्ण समधान के उद्देश्य से तैयार हो सके और देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इस जनमत को तैयार करने में सरकारी संगठनों के साथ सामाजिक संगठनो, शिक्षण संस्थाओं और एन.जी.ओ. इत्यादि को अहम भूमिका निभानी होगी।

इसके अतिरिक्त जनसंख्या में हो रही अनियंत्रित वृद्धि, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसे कारक भारत के आन्तरिक व्यवस्था को लगातार कमजोर करते जा रहे है। आर्थिक समृद्धि हेतु सरकार द्वारा लागू आर्थिक उदारीकरण नीति के परिणाम स्वरूप बन्द हो रहे कुटीर उद्योगों, बेरोजगारी समस्या को और भी बढ़ा रहे है। यह आर्थिक क्रांति गरीबों को और गरीब तथा अमीरों को और अमीर बनाकर एक बड़े हिस्से में अराजकता, असंतोष एवं कुण्ठा को बढ़ावा दे रहे है जो कि सुरक्षा के लिए एक खतरा है।

6.6 अभ्यास प्रश्न

1 उत्तर पूर्वी राज्यों की सामान्य समस्याओं का वर्णन कीजिए।

2 आपके अनुसार किस प्रकार उत्तर-पूर्वी राज्यों की समस्याओं का निवारण किया जा सकता है?

3 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

(अ) असम में उग्रवादी संगठन।

(ब) नगालैण्ड में उग्रवादी संगठन।

4 भारत सरकार के द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों की समस्या को सुलझाया गया है। इस कथन से आप सहमत हैं या नहीं। विस्तार से बताइए।

6.7 सन्दर्भ ग्रन्थ

1 आनन्द कुमार सिंह, ''इथनिसिटी एण्ड इन्सरजेन्सी इन नार्थ-ईस्ट : ए केस स्टडी ऑफ नागालैण्ड, इण्डियन जर्नल ऑफ स्ट्राटेजिक स्टडीज, रक्षा एवं स्त्रांतजिक अध्ययन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय''

2 धरेन्द्र द्विवेदी, द्वारा पत्र वाचन : ' पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में विप्लव : समस्याएं एवं समाधान'

3 संजय हजारिका ' द नार्थ-ईस्ट : सिक्योरिटी', इग्लिश रिसर्च प्रेस, नई दिल्ली, 2002

4 बी.जी. वगीज़ , ' इण्डियाज नार्थ ईस्ट रिसर्जेंट, कोणार्क पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 2007

5 भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में विप्लव विरोधी उपायो से सम्बन्धित सुझावों हेतु ले. कर्नल राजेश कुमार द्वारा लिखित लेख ' इन्सरजेन्सी इन नार्थ-ईस्ट : ए. ब्रीफ ओवर न्यू' , इण्डियन जर्नल ऑफ स्ट्राटेजिक स्टडीज, रक्षा एवं स्त्रॉत्राजिक अध्ययन विभाग द्वारा प्रकाशित वाल्यूम 24, 25003

6 स्पिपोपदा , ' इललेंगल माइग्रेशन एण्ड नार्थ-ईस्ट, अनामिका पब्लिकेशर्स, नई दिल्ली, 2005

7 डा. उल.एस. यादव, पत्र वाचन- पूर्वोत्तर राज्यों में नृजातीय हिंसा''' , 1998

इकाई - 7

नक्सलवादी आंदोलन

इकाई की रूपरेखा

7.1 उद्देश्य
7.2 प्रस्तावना
7.3 नक्सलवाद की पृष्ठभूमि
7.4 नक्सलवाद का विस्तार
7.5 नक्सलवादी आंदोलन के प्रमुख कारण
7.6 नक्सलवादी समस्या के समाधान के उपाय
7.7 सारांश
7.8 अभ्यास प्रश्न
7.9 संदर्भ ग्रंथ

7.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद विद्यार्थी

- नक्सलवादी आंदोलन क्या है, इसे समझ पाऐंगे
- नक्सलवाद की पृष्ठभूमि और इसके विस्तार के विषय में जान सकेंगे
- नक्सलवाद के प्रमुख कारणों को समझ सकेंगे तथा
- नक्सलवाद की समस्या के समाधान के लिए सरकारी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

7.2 प्रस्तावना

नक्सलवादी या नक्सल शब्द का प्रयोग भारत के विभिन्न विद्रोही कम्यूनिस्ट दलों के लिए होता है। नक्सलवादी हिंसा के द्वारा सरकार और पूंजीपति वर्ग को विस्थापित करने के लिए काम करते हैं। भारत सरकार का घरेलू मामलों का मंत्रालय नक्सलवादियों को एक ऐसे दल के रूप में मानता है जिसका उद्देश्य राष्ट्र की न्याय व्यवस्था को नष्ट करके हिंसा के द्वारा राजनैतिक सत्ता को हथियाना है। इन्हें भारत के गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) विधेयक, 1967 के अंतर्गत एक आतंकवादी संगठन माना गया है। आंदोलन की शुरूआत 1967, में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाडी गाँव में हुई, जिसकी वजह से इसका नाम नक्सवाद पड़ा,

लेकिन तबसे ये अनेक राज्यों में फैल गया है और विशेष रूप से भारत के मध्य और पूर्वी भाग के ग्रामीण इलाकों में इसका व्यापक विस्तार हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने नक्सलवादियों को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा माना है। आरम्भ में यह आंदोलन पश्चिम बंगाल में केन्द्रित था जो सीपीआईएम की गतिविधियों से धीरे धीरे भारत के दक्षिण पूर्वी राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रप्रदेश में फैल गया। पिछले दस वर्षों में ये अधिकतर विस्थापित आदिवासियों और वहां के स्थानीय ग्रामीणें का आंदोलन बन गया है जो प्रमुख भारतीय संगठनों और स्थानीय अधिकारियों के द्वारा शोषण के विरूद्ध लड़ रहे है, जिन्हें वो भ्रष्ट समझते हैं।

2006 में भारत की खुफिया एजेन्सी रॉ (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) ने आकलन किया कि 50,000 नियमित कॉडरो के साथ ही 20,000 सशस्त्र कॉडर के नक्सली भारत में सक्रिय हैं। 2009 के फरवरी माह में केन्द्र सरकार ने नक्सलवादी समस्या से प्रभावित सभी राज्यों में इससे निबटने के लिए 'समेकित कार्य योजना' के नाम से एक व्यापक समन्वित कार्य योजना की शुरूआत की। ये महत्वपूर्ण है कि इस योजना में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की आर्थिक विकास की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के साथ ही इसमें इन क्षेत्रों से नक्सलवाद के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष रूप से पुलिस बल को भी अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

7.3 नक्सल आंदोलन की पृष्ठभूमि

नक्सल आंदोलन की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि को समझने के लिए आपको इस भारत में कम्यूनिस्ट आंदोलन के साथ जोड़कर देखना होगा। नक्सलियों को वामपंथी (सीपीआईएम) विचारधारा से प्रेरित माना जाता है। इस आंदोलन की शुरूआत पश्चिम बंगाल के एक सुदूरवर्ती गांव नक्सलबाड़ी में हुई थी और इसी गांव के नाम पर इसका नाम नक्सलवाद पड़ा है। वहां के एक जनजातीय युवा विमल किशन ने मार्च 1967 में जब सरकारी आदेश प्राप्त करके अपने खेत में हल चलाना आरंभ किया तो स्थानीय जमींदारों ने अपने बाहुबलियों से हमला करवा दिया। क्षेत्र के जनजातीय जनों ने इस पर विद्रोह किया और बलपूर्वक अपनी जमीनें लेनी शुरू कर दी। इस आंदोंलन को जमींदारों ने स्थानीय पुलिस की मदद से बर्बरतापूर्वक कुचल दिया, जिसमें नौ जनजातीय जनों समेत एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की मृत्यु हो गई। दो माह की अल्प अवधि में ही इस घटना ने एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले लिया जिसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक की सीपीआई (एम) की राज्य इकाईयों के क्रांतिकारियों से जबर्दस्त समर्थन मिला।

यद्यपि पश्चिम बंगाल की सीपीआई (एम) की अगुआई वाली यूनाईटेड फ्रंट सरकार ने 72 घंटे में ही इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन विभिन्न राज्यों की इकाईयों ने नवंबर 1967 में एक औपचारिक बैठक की और मई 1968 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ

कम्यूनिस्ट रिव्योल्यूशनरीज (एआईसीसीसीआर) यानी अखिल भारतीय कम्यूनिस्ट क्रांतिकारी समन्वयन समिति का गठन किया। इस समिति के दो प्रमुख निर्णय थे

- सशस्त्र संघर्ष
- चुनावों में भागीदारी न करना

चारू मजूमदार नक्सलवादी आंदोलन के जनक थे और उन्होनें अपने सहयोगियों कानू सान्यिल ओर जघाल सान्याल के संगठनात्मक कौशलों के द्वारा आंदोलन को देश के विभिन्न कोनों में फैलाया। यद्यपि बाद में इस दल में काफी विघटन हुए और 1972 में चारू मजूमदार की मृत्यु के बाद नक्सलवादी माओवादी विचारधारा के बारे में वैयक्तिक और संकीर्ण सोच अपनाकर समर्पित रूप से सशस्त्र संर्घष के पथ पर अग्रसर हो गए।

इस प्रकार हम देखते हैं नक्सलवादी आंदोलन का नैतृत्व प्राथमिक रूप से माओवादी दल यानी सीपीआई (माओवादी) द्वारा किया गया था और इसकी विचारधारा चीन के माओत्से तुंग के विचारो से प्रेरित थी जो राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए किसानों के सशस्त्र विद्रोह के प्रर्वतक थे। भारतीय माओवादी/नक्सलवादी भी प्राथमिक रूप से किसानों की सशस्त्र क्रांति के द्वारा भारत में राजनैतिक सत्ता हथियाना चाहते थे। धीरे धीरे नक्सलवाद ने भारत में विभिन्न राज्यों के अविकसित या अल्पविकसित क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमा ली। इन क्षेत्रों में नक्सलवाद के विस्तार के सबसे प्रमुख कारण अत्यधिक गरीबी, बेरोजगारी और राजकीय ढांचे का शिथिल होना है। सरकार इन क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में विफल रही हैं। (देखें चित्र 7.1)

7.4 नक्सलवाद का विस्तार

भारत में नक्सलवाद का तेजी से विस्तार हुआ है ओर 2007 के एक आकलन के अनुसार नक्सलवादी भारत के 28 में से आधे से अधिक राज्यों मे सक्रिय थे जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लागभग 40 प्रतिशत भाग है। ये क्षेत्र 'रेड कॉरीडोर' () कहलाता है। एक आकलन के अनुसार यहां पर इनका 92000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा है। 2009 में नक्सलवादी भारत के 10 राज्यों के लगभग 180 जिलों में सक्रिय थे। नक्सल बहुल इलाके सामान्यत: वे राज्य हैं जहां प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला एव खनिज आदि प्रचुर मात्रा में हैं। नक्सलियों का मानना है कि सरकार उनके संसाधनों का दोहन और मजदूरों का शोषण करती है, इसीलिए इन राज्यों में भरपूर संसाधन होते हुए भी इनका उचित विकास नहीं हो पाया है। नक्सलवादी लक्षित क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढाने से पहले वहां का व्यापक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करते हैं। वर्तमान में नक्सलवाद से प्रभावित नौ राज्यों और उनके प्रभावित जिलों की सूची नीचे सारणी 7.1 में दी गई है।

सारणी 7.1 **नक्सलवाद से प्रभावित राज्य और उनके जिले**

राज्य	कुल जिले	प्रभावित जिले	प्रभावित जिलों के नाम
आंध्रप्रदेश	23	16	वारंगल, करीमनगर, आदिलबाद, खम्मन, मेंढक, नालगोंडा, मेहबूबनगर, गुंटूर, प्रकाशन, अनंतपुर, कुरनूल, विजयनगरम, गोदावरी, श्रीकाकुलम, निजामाबाद, विशाखापटनम
बिहार	38	15	औरंगाबाद, गया, रोहतास, जेहानाबाद, नालंदा, पटना, भोजपुर, कैमूर, पूर्वीचपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढी, मुंगेर, अरवाल, नवादा, जमुई
झारखंड	24	18	हजारीबाग, लोहारडागा, पलामू, छतरा, गढवा, रांची, गुगंला, सिम्डेगा, लातेहर, गिरीडीह, कोडरमा, बुकारो, धनबाद, पूर्वी और पश्चिमी सिंघभूम, सरायकेला, खुर्द, खर्सवान, रामगढ
छत्तीसगढ़	27	9	बस्तर, बीजापुर, दांतेवाड़ा, कांकेर, राजनंदगांव, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, नारायणपुर, सुकमा
महाराष्ट्र	35	3	गडचिरोली, चंद्रपुर, गोंदिया
उड़ीसा	30	9	मल्कानगिरि, गंजम, कोरपुट, गजपति, रायगढ, मयूरभंज, सुंदरगढ, देवगढ, कंधमाल
उत्तरप्रदेश	72	3	सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली
पश्चिम बंगाल	19	3	बांकरा, पश्चिमी मिदनापुर, पुरूलिया
मध्यप्रदेश	50	1	बालाघाट
कुल	318	77	

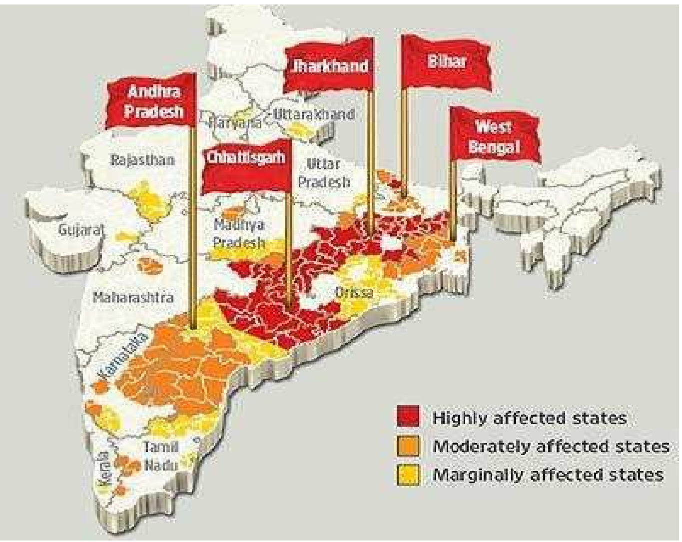

चित्र 7.1 नक्सलवाद से प्रभावित विभिन्न राज्य

7.5 नक्सलवाद आन्दोलन के प्रमुख कारण

नक्सलवाद के विकास के अनेक कारण हैं। कुछ लोगों का मानना है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच प्राकृतिक संसाधनों के लाभों का अनुचित बंटवारा नक्सलवाद के उभरने का एक प्रमुख कारण है। लेकिन सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों में स्थानीय समूहों को उचित हिस्सा नहीं मिल पाना ही इसका कारण नहीं है क्योकि यदि ऐसा होता तो नक्सलवाद की समस्या झारखंड और आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब आदि जैसे अन्य प्रदेशों में भी होती। प्राकृतिक संसाधन नक्सल समस्या का मुख्य कारण नहीं हो सकते है। क्योकि प्राकृतिक संसाधनों जैसे पर्वतों, वनों, नदियों, खनिजों, कोयला आदि का नियंत्रण राज्य और केन्द्र की सरकारों के हाथ में होता है। व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के समूहों का इस मामले में कोई दखल नहीं होता है। व्यक्ति /समूह अपने हितों के लिए राज्य का शोषण करते हैं लेकिन समस्या व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि राज्य के शासन की असफलता में निहित है।

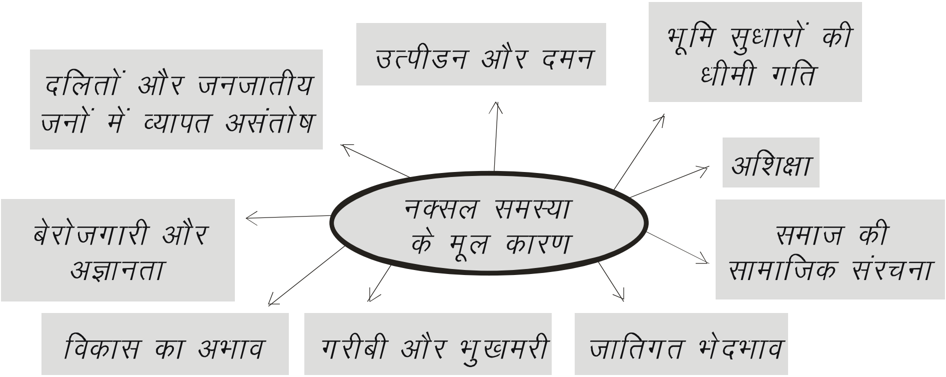

चित्र 7.2 नक्सलवाद के मूल कारण

नक्सलवाद की समस्या के कुछ प्रमुख कारण निम्न माने जा सकते हैं:

- भूमि सुधारों की धीमी गति नक्सलवाद का प्रमुख कारण हो सकता है। भूस्वामी अक्सर इन सुधारों के क्रियान्वयन में विलंब के लिए अदालती कार्यवाही करते हैं। वे अक्सर स्थानीय राजनेताओं और नौकरशाहों के साथ सांठगांठ करके भूमि सुधार की प्रक्रिया को जटिल और धीमी कर देते हैं और अंतत: इन सुधारों का आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल पाता है।
- नक्सलवाद से पीड़ित राज्यों में स्थानीय समाज की सामाजिक संरचना भी इस समस्या का एक कारण हो सकती है। क्योंकि जहां कहीं भी नक्सलवाद की समस्या है वहां समाज में कुछ इतने गरीब वर्ग भी हैं जिनके पास अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई संसाधन नहीं है। निर्धन वर्ग में किसी एक जाति अथवा जनजाति के नहीं बल्कि विभिन्न जातियों /जनजातियों के व्यक्ति सम्मिलित हैं। उनकी गरीबी और धन की कमी के कारण अपनी स्थिति को सुधारने की अक्षमता, शिक्षा का अभाव सरकारी अनदेखी आदि प्रमुख कारक हैं जिसकी वजह से वे लोग नक्सलवाद का सर्मथन करते हैं और उसे बढावा देते हैं।
- निर्धनता के कारण इन क्षेत्रों के युवाओं को नक्सलवाद में ही बेहतर भविष्य दिखाई देता है। जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषरूप से बडी संख्या में युवाओं का नक्सलवाद की ओर रूझान बढा है। ये युवा पीढी शहरी क्षेत्रों जैसी सुख सुविधाएं चाहती है, लेकिन स्कूलों के होने के बावजूद भी उनकी शिक्षा का स्तर ऐसा नहीं है कि वे वैसी सुख सुविधाएं अर्जित कर सके जो शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध हैं।
- इन क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच न होना अथवा कम होना भी इस समस्या के बढने का एक प्रमुख कारण है। इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से कुछ में शासन व्यवस्था बहुत खराब या नगण्य है। प्रचलित सरकारी योजनाएं बनने में ही लंबा समय लगता है और उनके क्रियान्वयन में तो उससे भी अधिक समय लग जाता है। यहां तक कि योजनाओं के क्रियान्वयन में भी लाभ उन लोगों को मिलता है जो पहले से ही समृद्ध हैं जबकि जिन लोगों के लिए वास्तव में ये योजनाएं बनाई जाती हैं वे वंचित रह जाते हैं। सही लोगों को लक्षित करते हुए सही समय पर सही योजनाएं नहीं बन पाना अथवा उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाना एक मुख्य समस्या है। नक्सल समस्या के उभरने के बावजूद राज्य वांछित आर्थिक और राजनैतिक उपाय प्रदान करके इसका प्रभावी समाधान करने में असफल रहे हैं। अत: हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में राज्यों द्वारा अपने दायित्वों का उचित निर्वहन नहीं किए जाने और सही शासन की कमी समस्या का एक प्रमुख कारण है। यही नहीं राजनैतिक हस्तक्षेप भी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका

निभाता है। राजनेता अक्सर विरोधी दलों के नेताओं द्वारा प्रोत्साहित की गई परियोजनाओं में विलंब का प्रयास करते हैं।

इसके विपरीत नक्सलवादी समूह स्थानीय जनता से कर वसूल करते हैं। ये लोग अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कामकाज को सुचारू तरीके से चलाने के लिए व्यक्तियों दलों और सरकारी अधिकारियों तक से धन एकत्रित करते हैं। इस धन से ही ये अस्त्र शस्त्र खरीदते और नए सदस्यों की भर्ती करते हैं जोकि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवा होते हैं। चूंकि नक्सली इन्हें मासिक वेतन और अन्य सुविधाएं आदि भी देते हैं इसलिए अधिकतर युवा इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। अत: हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद का विकास अनेक कारणों से हो रहा है महज प्राकृतिक संसाधनों में उचित हिस्सा नहीं मिल पाना ही इसका कारण नहीं है। नक्सलवाद के विस्तार और विकास में निम्नलिखित कारकों की प्रमुख भूमिका है।

1- संस्कृति : जनजातीय जनों की संस्कृति हमारी संस्कृति से काफी भिन्न होती है। ये प्रकृति के काफी नजदीक रहते है। इनके यहां पितृ सत्तामक की बजाय मातृसत्तामक समाज होता है और इनके रीतिरिवाज, आचार-व्यवहार, मनोरंजन आदि भी हम लोगों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इन्हीं सब बातों के कारण आदिवासी बाहरी जनों को अपनी संस्कृति के लिए ऐसा खतरा समझते हैं जो उनकी जीवनशैली को परिर्वतित कर सकते हैं। यदि उनके क्षेत्र में कुछ करवाया जाए तो वो इसके लिए विद्रोह कर सकते हैं।

2- वन नीति : नक्सली संघर्ष की पृष्ठ भूमि में भारत के संविधान की पांचवी और नौवी अनुसूची का क्रियान्वित नहीं हो पाना भी एक कारक है। सैद्धान्तिक रूप से इन अनुसूचियों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के संदर्भ में जनजातियों को सीमित स्वायत्तता दी गई है और भूमि अधिग्रहण कानूनों में भी भूस्वामियों के अधिकार को सीमित किया गया है और भूमिहीन किसानों और मजदूरों को भूमि देने की बात कही गई है। इन कानूनों का ठीक से पालन नहीं हो पाना भी जनजातीय जनों में असंतोष का एक कारण है।

3- भूमि सुधार : शहरीकरण के नाम पर सरकार उनकी जमीनों को ले रही है। समृद्ध वर्ग द्वारा अधिक भूमि अधिग्रहण, नक्सलवाद को बढावा दे रहा है।

4- आर्थिक कारण : सरकार उनकी भूमि के बदले में स्थानीय जनों को मिलने वाले विभिन्न लाभों को उन तक पहुंचाने में असफल रहीं हैं। जीविकोपार्जन के साधनों के नहीं रहने और आर्थिक लाभ नहीं मिलने से भी उनमें विरोध उपजता है।

5- शासन व्यवस्था : जैसा कि पहले कहा गया है ये सामाजिक आर्थिक रूप से पिछडे लोग अपने अनेक अधिकारों से वंचित हैं क्योंकि इनमें से अधिकांश अशिक्षित हैं और उन्हें लाभकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी नहीं होती है। इस प्रकार अशिक्षा और जागरूकता का अभाव भी इनके विद्रोह का एक कारण हैं और

दुर्भाग्य से शासन और सरकारी तंत्र द्वारा इसे दूर करने के निष्कपट प्रयास भी नहीं होते हैं।

6- नक्सली माओवादी विद्रोह : ये माओवादी नक्सली समूहों और भारत सरकार के बीच जारी संघर्ष है। अपने वर्तमान स्वरूप में ये संघर्ष 2004 में सीपीआई माओवादी दल के गठन के बाद शुरू हुआ जोकि पीपल्स वार ग्रुप (पीडब्लूजी) और एमसीसी (मोआवादी कम्यूनिस्ट सेन्टर) से बना एक विद्रोही समूह है। नक्सली माओवादियों की सशस्त्र टुकड़ी पीएलजीए (पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) कहलाती है और एक आकलन के अनुसार इसमें 6500 से 9500 कैडर हैं जो अधिकतर छोटे श्शस्त्रों से सज्जित हैं। समूचे बिहार, झारखंड और आंध्रप्रदेश के क्षेत्र नक्सलियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में इन्हें ग्रामीण जनों विशेष रूप से आदिवासियों का पूरा सर्मथन और सहयोग मिल रहा है। यहां नक्सली अक्सर पुलिस और सरकारी अधिकारियों पर हमला करते हैं; और उनका कहना है कि ये लडाई बेहतर भूमि अधिकारों गरीब खेत मजदूरों के लिए अधिक रोजगारों और निर्धनों के हकों के लिए हैं। नक्सलवाद की समस्या को समझने के लिए नक्सलवादियों एवं सरकार दोनों के ही पक्षों पर विचार करने की आवश्यकता है।

नक्सलवादियों का पक्ष :

ये सामाजिक आर्थिक रूप से पिछडे लोग हैं। ये जीविका के छोटे-मोटे साधनों द्वारा अपना काम चलाते हैं। एक तरफ तो भारत में अपेक्षाकृत तेजी से आर्थिक विकास हुआ है जिससे राष्ट्रीय संपदा में वृद्धि हुई है। दूसरी रतफ ये आर्थिक वृद्धि भिन्न क्षेत्रों में असमान है और इसने अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को और गहरा किया है। आर्थिक प्रगति और वन भूमि अधिकारों के बीच संघर्ष नक्सलवादी गतिविधियों को बढावा देता है। इनके सबसे सशक्त आधार भारत के सबसे गरीब राज्यों में है। दूसरे सामाजिक, जातीय और क्षेत्रीय अलगाव और भेदभाव के कारण माओवादीयों ने इन क्षेत्रों में अपनी घुसपैठ बना कर जनता को शासन के विरूद्ध लामबंद किया है। इस लडाई को भारत के सबसे अधिक वंचित जनों और सबसे सशक्त उद्योगपतियों के बीच युद्ध के रूप मे भी देखा जा सकता है।

आर्थिक रूप से देखा जाए तो आदिवासी भारतीय समाज का सबसे वंचित और र्निधन वर्ग है। इनमें से मात्र 23 प्रतिशत शिक्षित हैं और 50 प्रतिशत से अधिक गरीबी रेखा के नीचे गुजरबसर करते हैं। राज्य उन को उचित शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाएं देने में असफल रहे हैं, बल्कि ये अधिक सक्रिय रूप से उन्हें उनके संसाधनों और भूमि से बेदखल करने का काम करते रहे हैं। इनमें शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है। इस सामाजिक आर्थिक अलगाव और वचन के कारण नक्सली विचारधारा आसानी से ग्रामीण निर्धन वर्ग और आदिवासी समूहों में प्रचलित हो गई और ये लोग माओवादी गुरिल्लाओं को अपना रक्षक मानने लगे हैं। आदिवासी ये नहीं समझते हैं कि वो अपने कष्टों के विरूद्ध कानूनी रूप से आवाज उठाने के

लिए अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि उन्हें ये वैकल्पिक गैरकानूनी नक्सलवादी राह अधिक आकर्षक लगती है। नक्सली मानते हैं कि अधिकार बंदूक की गोली से मिलते हैं और उनका उद्देश्य एक वर्गहीन समाज का निर्माण करना है।

सरकार का पक्ष :

सरकार का मानना है कि नक्सलवाद भारत के भविष्य और इसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बडा खतरा है। यही नहीं माओवादी आंदोलन भारत की आंतरिक दुर्बलताओं को प्रदर्शित करता है जो भारत को बाहरी खतरों के लिए भी संवेदनशील बनाता है। भूमंडलीकरण के दौर में नक्सलवाद जैसे खतरे सिर्फ आन्तरिक ही नहीं बल्कि बाहरी सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती हैं। जहां तक नक्सली आंदोलन के लिए धन उपलब्ध कराने की बात है, तो कुछ बाहरी लोग भी इन्हें अस्त्र शस्त्र और काला धन दिलाने में सम्मिलित हो सकते हैं। सरकार इन क्षेत्रों में अपनी योजनाएं चलाने में असफल रही है। ये एक बडी दुविधापूर्ण स्थिति है कि यदि सरकार उनके निर्णयों को मान लेती है तो जनता में यह संदेश जाएगा कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसा के तरीके को अपनाना उपयोगी है और यदि वो उनकी मांगों को नहीं मानती है तो अनेक मासूम जनों की जान को खतरा बना रहता है। पुलिस स्टेशन जला दिए जाते हैं। पुलिस बल और सरकारी अधिकारियों को बंधक बनाने या उनकी हत्या कर देने की खबरें हम अक्सर पढते/सुनते रहते है। अब तो स्थिति इतनी नियंत्रण के बाहर हो गई है कि इन इलाकों में सीआरपीएफ की टुकड़ियां भेजी जा रही हैं।

एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार आई एस आई (पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी) नक्सल नेटवर्क का उपयोग भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी और भारतीय बाजारों में नकली नोटों की आपूर्ति के लिए कर रही है और इसके बदले में नक्सलियों को पाकिस्तान से हथियार और विस्फोटक प्राप्त हो रहे हैं।

7.6 नक्सली समस्या के सामाधान के उपाय

भारत को इस समस्या के समाधान के लिए तीन बिदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। (1) सामाजिक और आर्थिक विकास (2) बहुपार्श्विक संवाद (3) सैन्यबलों की तैनाती।

(1) सामाजिक और आर्थिक विकास **:** राष्ट्रीय व्यय का अधिक हिस्सा इन गरीब क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में स्वस्थय, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और ग्रामीण तथा शहरी विकास के लिए अधिक गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। इन जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी सेवा वितरण प्रणाली को बेहतर बनाया जाना चाहिए। राज्य और केन्द्र सरकार दोनों को ही ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इन क्षेत्रों में वैधानिक न्यूनतम दैनिक वेतन, भूमि ओर जल स्रोतों तक पहुंच जैसे प्रयासों को क्रियान्वित किया जाए।

राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए कार्यनीतियां बनाते समय सरकार को भारत जैसे विशाल और विविध देश में सभी सामाजिक आर्थिक समूहों के लिए त्वरित विकास के संभावित प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि इन वंचित समूहों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को संबोधित किया जाएगा तो ऐसा कोई असंतोष नहीं पनप पाएगा जिससे नक्सली आंदोलन को हवा मिले। साथ ही नक्सलियों, स्थानीय जनों और सरकार और राज्य नेताओं को विरोध के मुददों पर साथ बैठकर परस्पर संवाद करना चाहिए जिससे लोकतांत्रिक तरीके से समस्याओं का निराकरण किया जा सके।

(2) बहुपार्श्विक संवाद शुरू करने से सरकार विद्रोहियों को मुख्यधारा में मिलाने का अवसर दे सकती है और उन्हें बता सकती है कि समस्याओं का समाधान हिंसा से नहीं बल्कि सरकार के साथ हाथ मिलाकर किया जा सकता है।

(3) सैन्यबलों की तैनाती : हमारे सन्य बल किसी भी गैर कानूनी आंदोलन के विरूद्ध लडने के लिए सक्षम और उचित रूप से प्रशिक्षित होने चाहिए, जिससे वो आंदोलन पर नियंत्रण कर सके। इसके लिए अच्छे अधिकारियों को समस्या से निबटने के लिए वहां भेजा जाना चाहिए। वर्तमान में भारत सरकार ने नक्सलवाद से लडने के लिए तीन शाखीय कार्यनीति बनाई है जो निम्न है :

1 अधिक कल्याणकारी कार्यो को करके स्थानीय जनों का भरोसा अर्जित करना

2 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं निर्मित करके रोजगार सृजन करना; और

3 वामपंथी चरमपंथियों को दूर करने के लिए पडोसी राज्यों के साथ मिलकर संयुक्त सुरक्षा ऑपरेशन का प्रचालन करना।

उम्मीद है कि सरकार की इन पहलों के कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेंगे।

7.7 सारांश

अंत में हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद की समस्या भारतीय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक ढांचे की ऐसी निहित कमजोरियों को परिलक्षित करती है जिससे कारण भारत को बाहरी बलों से कहीं अधिक खतरा हो सकता है। यद्यपि नक्सली आंदोलन

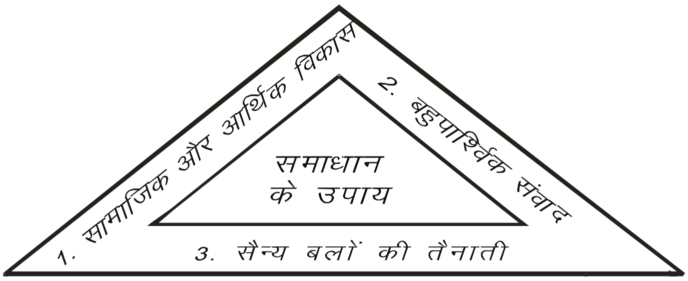

चित्र 7.3 नक्सलवाद के समाधान के उपाय

मुख्य रूप से भारत के लिए एक आंतरिक खतरा है; लेकिन भूमंडलीकरण के इस दौर में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के खतरे परस्पर जटिल रूप से जुडे हुए हैं जिन्हें अलग करना कठिन है। नक्सलवाद के मुददे को सुलझाने के लिए जटिल और बहु आयामी अभिगम भी ये दर्शाता है कि ये एक गंभीर समस्या है, जिसका यदि उचित रूप से समय रहते निस्तारण नहीं किया गया तो ये आज ही नहीं बल्कि भविष्य में भी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बडा खतरा बना रहेगा।

7.8 अभ्यास प्रश्न

1 नक्सली समस्या के मुख्य कारण बताइए।
2 नक्सली समस्या के समाधान के लिए सरकार की कोशिशों पर टिप्पणी कीजिए।
3 भारत में नक्सलवाद के विकास और विस्तार पर चर्चा कीजिए।
4 नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बडा खतरा है। टिप्पणी कीजिए।

7.9 संदर्भ ग्रंथ

1 www.indiafutureofchange.com
2 www.naxalwatch
3 http://opsc-civilservices_ias_blogspot.in/2013/07/naxalism-ideology-or-biggest-threat
4 Html#sthash.mwmn25j6.dpuf

इकाई - 8

साम्प्रदायिकतावाद और दूसरे उपद्रव आंतरिक सुरक्षा के प्रति धमकियाँ

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 साम्प्रदायिकतावाद की अवधारणा

8.3 भारत में साम्प्रदायिकतावाद का अर्थ,परिभाषा,विशेषता एवं प्रभाव क्षेत्र

8.4 भारत में साम्प्रदायिकतावाद की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

8.5 साम्प्रदायिकतावाद के स्वरूप

8.5.1 फूट डालना एवं तनाव
8.5.2 अतीत के वैमनस्य के मुद्दें
8.5.3 सांमतवादी निरंकुशता
8.5.4 धार्मिक कट्टरता एवं अंधविश्वास
8.5.5 राजवंशीय महत्वाकांक्षा
8.5.6 साम्राज्य विस्तार
8.5.7 विजय अभियान
8.5.8 बर्बरता अत्याचार एवं विषमता
8.5.9 राज्य-हड़पने की मंशा
8.5.10 समुदायों में विद्वैषता पनपाना

8.6 साम्प्रदायिकतावादी विचारधाराओं के विभिन्न प्रकार और आयाम

8.6.1 आत्मासातीकरणवादी विचारधारा
8.6.2 कल्याकारी विचारधारा
8.6.3 पलायनवादी विचारधारा
8.6.4 प्रतिशोधवादी विचारधारा
8.6.5 अलगाववादी विचारधारा
8.6.6 पार्थक्यवादी

8.7 साम्प्रदायिकतावाद के विभिन्न चरण/अवस्थाएँ

8.8 साम्प्रदायिक हिंसा एवं दंगो के प्रति उत्तरदायी विभिन्न सिद्धान्त
8.8.1 कुंठा आक्रमण का सिद्धान्त
8.8.2 हिंसात्मक आचरण का सिद्धान्त
8.8.3 विकृति का सिद्धान्त
8.8.4 अभिप्राय आरोपण का सिद्धान्त
8.8.5 आत्म-मनोवृति का सिद्धान्त
8.8.6 व्यवस्था तनाव सिद्धान्त
8.8.7 व्याधिकी सिद्धान्त
8.8.8 हिंसा की उपसंस्कृति सिद्धान्त
8.8.9 सामाजिक सीख का सिद्धान्त
8.8.10 सामाजिक बंधन का सिद्धान्त
8.8.11 ध्रुवीकरण और गुच्छ समूह के दबाब का सिद्धान्त
8.9 भारत में साम्प्रदायिकतावाद तथा साम्प्रदायिक दंगे और हिंसा
8.10 साम्प्रदायिक दगों की विशेषताएँ एंव प्रभावित क्षेत्र
8.11 साम्प्रदायिकतावाद के फैलाने वाले प्रमुख उतरदायी कारक
8.12 साम्प्रदायिक हिंसा एंव दंगो से निपटने के कारगर उपाय
8.13 राष्ट्रीय एकता भारतीय आंतरिक सुरक्षा की बाधाएँ, समस्याएँ और चुनोतियाँ
8.14 प्रयुक्त-शब्दावली
8.15 सारांश
8.16 अभ्यासार्थ प्रश्न
8.17 संदर्भ ग्रंथ

8.0 **उद्देश्य**

इस इकाई के आद्योपांत अध्ययन करलेने के बाद आप –

- साम्प्रदायिकतावाद की अवधारणा इसके, तात्पर्य ,परिभाषा, विशेषताऐं , और प्रभाव क्षेत्रो के बारे मे समुचित जानकारी हासिल करेंगे।
- भारत मे साम्प्रदायिकता वाद के उदय एवं विकास के प्रक्रमो की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अपने जहन में उतार सकेंगे
- साम्प्रदायिकता के अनेक प्रकारो आयामो और बढ रहे चरणो के बारे मे भलीप्रकार से अवगत हो सकेगे।

- साम्प्रदायिकता से ओत प्रोत हिंसा और दंगो के बारे मे प्रचलित सिद्धान्तों तथा साम्प्रदायिकता के फैलने वाले प्रमुख उतरदायी कारणों एवं कारको से सम्बन्धित जानकारी आप जुटा सकेंगे।
- साम्प्रदायिक दंगों ओर हिंसा के उन्मूलन के कारगर उपायो से सुविधा हो संकेगे।
- भारतीय सम्प्रदायिकवाद के कारण आंतरिक सुरक्षा की उत्पन्न बाधाओं, समस्याओं और चुनौतियों के बारे में अवगत हो सकेगे।
- राष्टीय एवं कौमी एकता आन्दोलन तथा साम्प्रदायिकता वादी संघर्षो पर प्रभावी नियंत्रण और अनेकता में एकता से परिचित हो सकेंगें।
- साम्प्रदायिकतावाद को नेस्ताबूद करने में योगदान या भूमिका निभाने वाले साम्प्रदायिक दलोबलो एवं संगठनो ,पुलिस ,मीडिया ,विधायिका एवं न्यायापालिका की भूमिका के बारे में जान सकेंगें।

8.1 प्रस्तावना

किसी देश की प्रगति वहां के सदचरित्रवान,ईमानदार कर्मठ एवं देश भक्त नागरिकों पर निर्भर करती है। भारत में अनेक प्रकार की पनप रही ज्वलतं समस्याओंमें से साम्प्रदायिकतावाद की समस्या भी है। विश्व के महान देशों में भारत की गणना की जाती है। यद्यपि भौतिक समृद्धि में कई अन्य देश भारत से बहुत आगे है। हमारा देश अनेक जातियों,धर्मो,भाषाओं,और सम्प्रदाओं की रखते हुए अनेकता में एकता कि विशेषताएं रखने वाला देश है। ऐसे देश में प्राय: एकता एवं अखण्डता का पाठ सीखना कठिन है। कभी भी, किसी भी बात पर दंगे भडक सकते है और फिर देश की एकता को खतरा हो सकता है। भारत में साम्प्रदायिकता का जहर निरन्तर बढता ही जा रहा है। इस समय हमारा देश स्वाधीन है। इसकी सत्ता जनता के हाथों में है। ऐसी स्थितिमें हमारे राष्ट की एकता तथा अखण्डता को अक्षुण्ता बचाने रखना जरूरी हो गया है। जिस देश में एकता कायम नही रह पाती है वहां का जनजीवन अस्त-व्यस्त होकर त्राही-त्राहीमान होकर हमेशा भयाकांतता के आगोस में रहता है। वहां के निवासी अचानक होने वाली किसी दुर्घटना की आंशका से भयभीत रहते है। कई बार धर्मान्धिता के नाम पर समुदायिक एवं जातीय दंगे भडक उठते है तो लोग मदोन्मत होकर हिंसा करने पर नागवार उतारू हो जाते है। दूसरो के खून के प्यासे होकर अपने क्षेत्र में रक्तरंजित माहौल उत्पन्न कर देते है।

स्वाधीनता के समय जब देश का विभाजन जातीय आधार पर हुआ तो सारा देश दंगो के चनटे में आकर पीडित हो गये है। जहां जिस जाति के लोग अल्प संख्या में थे वहां उन्हे सत्ताया गया था।या तो मौत के घाट उतार दिया गया या प्राण बचाकर भागने पर मजबूर किया गया। यह स्थिति हमारे देश के इतिहास में भयानक थी स्वतंत्रता संगा्रम मे देश की सभी जातीयो और धमाै के लोग शामिल थे साम्प्रदायिकतावाद की एक विचार धारा है जो

हमे यह बताती है कि समाज अनेक धार्मिक समुदायो मे विभाजित है जिनके हित एक दूसरे से भिन्न है और कभी कभी उनमे पारस्परिक उग्र विरोध भी होता है यही हितो का संघर्ष प्रारंभ होकर समूहो या समुदायो के आपसी संघर्ष मे परिवर्तित हो जाता है साम्प्रदायिक संगठनो का उद्देश्य शासको के उपर दबाव डालकर अपने सदस्यो के लिए सत्ता प्रतिष्ठा तथा राजनेतिक अधिकार प्राप्त करना होता है भारत मे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त का पालन किया गया है जिसके अनुसार राज्य के लिए सभी धर्म समान है हिंदू मुसलमान व ईसाईयो के लिए अलग अलग प्रकार के सामाजिक विधानो की व्यवस्था की गई है उनके परिवार विवाह उतराधिकार सामाजिक एव जातीय परम्पराओ के नियमो में भेद पाया जाता है यधपि इस प्रकार के भेद का उद्देश्य सभी सम्प्रदायो को स्वतंत्र विकास के बने रहने का भवसर पदान करना है किन्तू सम्पूर्ण भारत के लिए समान विधान के अभाव मे सामाजिक एंव सांस्कृतिक दूरी बनी रहती है और वे परस्पर एक नही हो पाते है धर्मनिरपेक्षता का अनुचित लाभ उठाकर कई बार एक धार्मिक समूह ने दूसरे धार्मिक समूह पर अपने आपको थोपने की कई बार कोशिश की जा रही है जिसके परिणामस्व रूप् तनाव समाज धर्म और जातियो के मघ्य संघर्ष जारी है 1984 के साम्प्रदायिक दंगे तथा 2002 को गोधारा कोड ने साम्प्रदायिकता को निकृष्ठ पैमाने पर प्रदार्शित किया है इस साम्प्रदायिकता की बढती हुई प्रवृत्ति और उसके साथ जुडी हुई हिंसा व दंगो ने धार्मिक अल्प संख्या को और नृजातीय समूहो मे असुरक्षा की भावना जागृत कर दी है सन 1960 से1990 के मध्य कश्मीर पंजाब उतर प्रदेश बिहार गुजरात असम और आन्धप्रदेश मे हुई घटनाएं साम्प्रदायिक विष के विविध रूपो का प्रचुर प्रभाव देती है और उसके विनाशकारी परिणाम का अनुभव कराती है मुसलमानो सिखो और दूसरे धार्मिक अल्प सख्य को भारत का संविधान संरक्षण प्रदान करता है और उसमे पूर्णन्याय सहिष्णुता समानता स्वतंत्रता और भाई चारा बनाये रखने के प्रावधान सुनिश्चित किए गये है परन्तु इस काल मे जब धार्मिक रूठिवाद धमन्धिता असहिष्णुता और संकीर्णता की चरम सीमा पर पहुंचने वाला है। तब मुसलमानो को रामराज्य की परिकल्पना हिन्दू राज्य के रूप मे प्रतीत होने लगती है साम्प्रदायिक व्यक्ति वे है जो राजनीति को धर्म के माध्यम से चलाते है। नेताओ मे वें धार्मिक नेता साम्प्रदायिक है। जो अपने धार्मिक समुदायो को व्यापरिक उधम और संस्थाएं मानते है वे हिन्दुत्व इस्लाम या इसाई धर्म खतरे मे पड गया है के गगन भेदी नारे लगवाते है भारत के मुरादागबाद, मेरठ, भलोगढ, आगरा, वाराणसी, औरंगाबाद, अहमदाबाद, कोलकता, भोपाल, क्षीनगर, कटक, हैदराबाद, जमशेदपुर, पटना, सिलचर व गौहार्य - 16 शहर हिन्दू मुस्लिम दंगो के लिए अति संवेदनशील घोषित है। इस इकाई में आपको साम्प्रदायिकतावाद के स्वरूपों, प्रकारों, सिद्धान्तों उतरदायी कारकों ,चरणों, निवारण के उपायों, समस्याओं चुनोतियों,राजनीतिक नें दलो की भुमिका और प्रभावी नियत्रण आदि के बारे मे अध्ययन किया जायेगा।

8.2. साम्प्रदायिकतावाद की अवधारणा

साम्प्रदायिकतावाद को एक विचारधारा माना जा सकता है,जो कि हमें यह इंगित करती है कि समाज धार्मिक समुदायों में बंटा हुआ है,जिनके स्वार्थ एवं हित परस्पर भिन्न-भिन्न हैं और कभी-कभी उनमें पारस्परिक विरोध भी होता है। एक समुदाय के सदस्यों और धर्म के विरूद प्रतिरोध करते हैं उन्हे साम्प्रदायिक कहा जा सकता है। साम्प्रदायिकता के इस सम्प्रत्यय को अपने अपने धर्म की कट्टवादिता और धर्मान्धता की भावना में बदल लेते है। तो इसे ही हम साम्प्रदायिकता वाद कहते है यह साम्प्रदायिकता का विरोध किसी जाति धर्म या समुदाय को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप मे अति पहुचाना किसी विशेष समुदाय पर झूठे दोषा रोपण करना और जान बूझ कर अपमानित करने का रूप धारण करना लूटपाट करना, असहाय निर्बल और बेसहारा व गरीब व्यक्तियो के घरो व दूकानो को आग लगाना, उन की स्त्रियों को अपमानित करना और आदमी और औरतो कों जान सें मार देने कका भय रूप भी साकार कर लेता है। सच्चे मायने में एक साम्प्रदायिक व्यक्ति उन राजनैतिक दलो सें जुडे हुए व्यक्ति होते है जो राजनीति में धर्मन्धता और अंधविश्वासो का जहर घोलकर आपस में धर्म कें नाम पर राजनीति को चलातें है यदि एक हिन्दू है गोरव से यह व्यक्त करता है कि वह धर्म व जन्मत हिन्दू है तो क्या वह साम्प्रदायिकता में आता है यदि एक मुस्लिम भाई यह बोलता है कि उसे मुसलमान धर्म में होने का गर्व है और एक अच्छे मुस्लिम बने रहने के लिए जान भी गंवा देगा तो क्या वह साम्प्रदायिकता मानी जायेगी जब एक अल्प संख्यक समुदाय को से यह आभाक्त होता है कि उस का अपने में अन्याय और जुल्म से दमन हुआ है, यदि वह आकांश मे आकर अपनी प्रतिक्रिया या तीव्र विरोध प्रकार्शित करता है और इ समे हिंसात्मक रूप् से भी तहस नहस में कर अपने विरोध को दिखाता है तो क्या इसे भी हम साम्प्रदायिकता कहेगे यदि इसके अलावा कोई पारसी बौद्व व ईसाई अपने निजी जीवन अपनी इच्छानुसार व्यतीत करते हैं अपने विश्वासों और धार्मिक मतो के अनुसार जीवन व्यतीत करते है तो क्या वे साम्प्रदायिक कहलाएगे ? ऐसे अनेक यक्ष प्रश्न है जो हमे साम्प्रदायिकता की सुस्पष्ट परिभाषा दूंढने के लिए विवश करते है ।

साम्प्रदायिकता की विचारधारा मूलत धार्मिक भावना से जुडी होती है धर्म के साथ मेल करके ही साम्प्रदायिकता की विचारधारा पल्लालवित होती है। साम्प्रदायिक व्यक्ति एक धार्मिक व्यक्ति नही होता परन्तु वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो राजनीति को धर्म के साथ जोडकर राजनीति रूपी श्शतरंज की चाल खेलता है उसके लिए सिर्फ धर्म केवल उपकरण मात्र है जिन का उपयोग वह समाज मे विभासिता पूर्ण जीवन जी ने और व्यक्तिगत लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए करता है। भारत मे हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिकता के संदर्भ मे हम देखते है कि भारत पर मुसलमानो की आगम लगभग दसवी शताब्दी के शुरू मे हो गये थे परन्तु महमूद गजनवी और मुहम्मद गोरी जैसे मुस्लिम आक्रमण कारी धार्मिक आधिपत्य स्थापित करने की अपेक्षा आर्थिक संसाधनो को लूटने में अधिक रूचि रखते थे। किन्तु कुतुबुद्दीन ऐबक के आगमन एवं इसके दिल्ली का पहला शासक बनने के पश्चात ही से इस्लाम धर्म ने शरत में

अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे।इसके बाद मुगलों ने अपने साम्राज्य को संगठित करने की प्रकिया में इस्लाम को मुख्य माहरा बनाकर धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास किए और हिन्दू-मुस्लिम समुदायों के बीच साम्प्रदायिक झगडों को भडकाने का प्रयास भरसक किया जब अंग्रेजों नें ईस्ट इण्डिया कम्पनी के माध्यम से भारत पर अपना अधिपत्य जमाना,शरू में उन्होनें हिन्दुओं को संरक्षण देने की नीति अपनाई, परन्तु सन 1857 ई.के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात अंगेजो ने भारतीय जनएकता को खण्डित कराने के लिए खुलकर फुट डालो और राजकरो की कुटिलता भरी नीति अपनाई। जिसके फलस्वरूप झगडों को अत्यधिक प्रोत्साहित किया गया था। हिन्दुओ और मुसलमानो के बीच के सम्बन्ध तब और तनावपूर्ण हो गऐ,जब स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान शक्ति-राजनीति का बेजा प्रयोग होने लगा।हम यह कह सकते है कि हिन्दुओं और मुसलमानो के मध्य में पारस्परिक विरोध बहुत पुराना मुद्दा है,लेकिन हिन्दु-मुस्लिम साम्प्रदायिकता स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन की विरासत के रूप में मिली दुष्प्रेरित-साजिश का भाग है।

8.3 भारत में साम्प्रदायिकता का अर्थ परिभाषाएँ, विशेषताएँ एवं क्षेत्र

8.3.1 साम्प्रदायिकता का अर्थ

साम्प्रदायिकता एक ऐसा भाव है जो एकाधिक पंथों अथवा सम्प्रदायो के मन में अपने सम्प्रदायों के हितों व्यक्तिगत स्वार्थो धार्मिक अथवा सम्प्रदायों के लोगों के मन के अपने सम्पदायों के हितों व्यक्तिगत स्वार्था,धार्मिक प्रतिष्ठाओं एवं राजनैतिक सत्ता संघर्षो को लेकर दंगे के रूप में बदल जाता है।

साम्प्रदायिकता के अन्तगर्त वे सभी भावनाएँ व क्रियाकलाप जाते हैं,जिनमें किसी धर्म अथवा भाषा के आधार पर मिली विशेष समूहों के हितों पर बल दिया जाए और उन हितों को राष्टीय हितों के ऊपर भी प्राथमिता दी जाए तथा उस समूह में पृथकता की भावना उत्पन्न की जाए या उनको प्रोत्साहन दिया जाए।आज साम्प्रदायिकवाद की भावना दो विभिन्न समुदायों के मध्य कटुता एवं पारस्परिक विरोध उत्पन्न करने के साथ-साथ दूसरे धर्मो का शोषण करती है,जिसका उद्देश्य धार्मिक न होकर राजनैतिक होता है। साम्प्रदायिकता भारत में महामारी की तरह फैल रही है। शायद ही ऐसा कोई राज्य है जहां साम्पदायिकता का तांडव लोगों का संहार न कर रहा हो।एक समुदाय के जो दूसरे समुदाय के सदस्यों और धर्म के विरूद्ध प्रतिरोध करते हैं उन्हें साम्प्रदायिकता कहते है।यह विराध किसी विशेष समुदाय पर मिथ्या आरोप लगाने,अति पहुचाने अपना नित करने तथा कभी-कभी जान से मार देने तक का वीभत्स रूप ले लेता है। भारत में इसका एक घिनोना रूप देखन को मिलता है।साम्प्रदायिकता आज भी राष्टीय एकता की समस्या बनी हुई है।साम्प्रदायिकता एक समाज विरोधी द्रष्टिकोण है,क्योकि वह अपने समूह के सेकीर्ण हितों की पूर्ति के लिए भारत संघर्ष कर रहा है।।जिसका सीधा-सीधा प्रभाव हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड रहा है।

साम्प्रदायिकता का शाब्दिक अर्थ कम्यूनलिज्म अपने मूल शब्द कम्यून से उत्पन्न है जिसका सामान्य शाब्दिक का अर्थ भाईचारे के साथ मिल जुलकर रहना है लेकिन इतिहास का कुछ उन विशिष्ठ अवधारणाओ में साम्प्रदायिकता वाद भी शामिल है जो अपना वास्तविक अर्थ अपने मूल अर्थ से भिन्नता रखती है

8.3.2 सम्प्रदायिकता वाद की परिभाषाएं और कथन

1 विसेट स्मिथ के शब्दो मे एक साम्प्रदायिक व्यक्ति या व्यक्ति समूह वह है जो कि प्रत्येक धार्मिक अथवा भाषायी समूह को एक ऐसी पृथक सामाजिक तथा राजनीतिक इकाई मानता है जिनके हित अन्य समूहो से पृथक उपर तथा प्रथम होते है और उनके विरोधी भी हो सकते है ऐसे ही व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहो की विचारधारा को साम्प्रदायिकता वाद या साम्प्रदायिकता कहा जायेगा ।

2 इसी तरह श्री कृष्णदता यह के अनुसार साम्प्रदायवाद का अर्थ है मेरा सम्प्रदाय मेरा पंथ मेरा मत ही सबसे अच्छा है उसी महत्व सर्वोपरि होना चाहिए उसी को सत्ता मिलनी चाहिए अन्य सम्प्रदाय हेय है उन्हे या तो पूर्णतया समाप्त कर दिया जाना चाहिए या फिर वे रहेतो भी मेरे ही मातहत रहे मेरे आदर्शो का सतत पालन करे मेरी मर्जी पर आश्रित रहे वे पुन: लिखते है अपने धार्मिक सम्प्रदाय से भिन्न अन्य सम्प्रदाय अथवा सम्प्रदायो के प्रति उदासीनता उपेक्षा दयादृष्टि घृणा विराध और आक्रमण की आशका हैं। उक्त सम्प्रदाय हमारे अपने सम्प्रदाय और संस्कृति को नष्ट कर देने या हमें जान माल की हानि पहुंचाने के लिए कटिबह है

एक साम्प्रदयिकता समाप्त नही होती। एक दूसरे को बढावा देती है और दोनो ही पनपती है जवाहर लाल नेहरू हमारे देश कें पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री साम्प्रदायिकता को भारत का श्शत्रु सख्या एक मानते थे फरवरी 1948 में उन्होने गांधीजी की हत्या पर अपने रेडियो प्रसारण मे कहा था कि हम सबको साम्प्रदायिकता नष्ट करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए जिसने हमारे युग के महानतम व्यक्ति की हत्या कर दी है 27 फरवरी 1957को अपने एक भाषण में उन्होने कहा कि साम्प्रदायिकता के मुद्दे पर कोई समझोता नही हो सकता फिर व चाहे हिन्दू साम्प्रदायिकता हो चाहे मुस्लिम साम्प्रदायिकता क्यो कि यह भारतीय राष्ट्रत्व और भारतीय राषट्रीयता के विरूद्ध एक चुनौती है सा म्प्रदायिकता के कारण ही 1947 मे देश के टुकडे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अनेक स्थानो पर उपद्रव एंव दंगे हुए। अलीगढ, रांची, मेरठ भिवण्डी, जलगांव, कलक व औरगांबाद, अहमदाबाद, बिहार, शरीफ, जमशेदपुर और सन 1985 मे अहमदाबाद में दंगे 1992 का साम्प्रदायिक मंदिर मस्जिद दंगा और 2002 की गोधरा गुजरात की घटनाओ ने साम्प्रदायिकता को निकृष्ठ पैमाने पर प्रदर्शित किया है।

8.3.3 सम्प्रदायिकता वाद की प्रमुख विशेषताए

1- साम्प्रदायिकतावाद के अन्तर्गत देश में स्थित प्रान्तों के विभिन्न धर्म जाति समुदायों के बीच में किसी हित था स्वार्थ को लेकर विरोधाभास होने के कारण दो धर्मों भाषा जाति और समुदायों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है

2- इसमे एक समुदाय धर्म से दूसरे धर्म या समुदाय के बीच मे वेमनस्यता और कहर पंथिता के कारण विरोध होता है

3- साम्प्रदायिकता भारतीय राजनीति का अभिशाप रही है। सम्प्रदायिक दल और संगठन आज के राजनैतिक वातावरण के बिलकुल एक अंग बन गये है। चुनावी लाभबंदी के लिए बड़े पैमाने पर सम्प्रदायिक अपील का उपयोग किया जाता है।

4- साम्प्रदायिक एक ऐसी विचारधारा है जो इस विश्वास पर आधारित है कि भारतीय समाज ऐसे धार्मिक समुदायों में बंटा हुआ है जिसके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हित अलग-अलग होते है।

5- साम्प्रदायिक एक विचारधारा के रूप में यह नस्लवाद, साम्यवाद -विरोधवाद और फांसीवाद से मिलती जुलती है।

6- साम्प्रदायिक के अन्तर्गत वे सभी भावनाएँ व क्रियाकलाप आ जाते है। जिनमें किसी धर्म, भाषा के आधार पर, किसी समूह विशेष के हितों पर बल दिया जाए और उन हितों को राष्ट्रीय हितों के उपर प्राथमिकता दी जानी है। साम्प्रदायिकता का दृष्टिकोण समाज विरोध होता है। उनको समाज विराधी इसलिए कहा जा सकता है। क्योंकि वह अपने समूह के सकीर्ष हितों को पूरा करने के लिए अन्य समूहों और सम्पूर्ण देश के भी हितों की अवहेलना करने के पीछे नहीं हटता है।

7- साम्प्रदायिक संगठनों का उद्देश्य शासकों के उपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता प्रतिष्ठा तथा राजनैतिक अधिकार प्राप्त करने होते है।

8- साम्प्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है। इसकी पहल असामाजिक तत्वों द्वारा की जाती है, राजनीति में सक्रिय व्यक्ति इसे समर्थन देते है, निहित स्वार्थी तत्व इसे वितिय सहायता प्रदान करते है और पुलिस एवं प्रशासकों की निर्दयता के कारण यह तेजी से फैलता है।

9- धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्यों को अंजाम दिया जाता है।

10 राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यान जो बोल कर, लिखकर, शब्दों, संकतों या दृश्यरूपणों द्वारा धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के हो सकते है जो भारत की एकता और अखण्डता की मर्यादा का उल्लंघन कर सकते है।

8.3.4. साम्प्रदायिकतावाद का क्षेत्र विस्तार:

साम्प्रदायिकता एक विश्वव्यापी ज्वलंत सामाजिक एवं राजनीतिक समस्या बनती जा रही है। जवाहर लाल नेहरू ने साम्प्रदायिकता के बारे में कहा था कि ‘‘ यह फासीवाद का भारतीय रूपान्तरण है। उन्होनें कहा कि यद्यपि हर प्रकार की साम्प्रदायिकता भय से उत्पन्न होती है, जबकि बहुसंख्यक साम्प्रादायिकता राजनीतिक प्रतिक्रियावाद का रूप धारण कर लेती है लेकिन इसके आगे उन्होनें कहा था कि’’ साम्प्रदायिकता के विषय में किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है, चाहे वह हिन्दु सम्प्रदायिकता हो अथवा मुस्लिम साम्प्रदायिकता क्योंकि यह भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीयता के लिए चुनौती बन रही है। साम्प्रदायिकता का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र प्रभावित होते है। साम्प्रदायिकता का उन्माद निरन्तर रूप से किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह ऐसा उद्देश्य होता है जो या तो सीधे रास्ते से नहीं किया जा सकता है या किया भी जा सकता है तो बहुत समय लगता है। वर्तमान समय में 1990 के बाद साम्प्रदायिकता का जहां निरंतर सत्ता प्राप्ति के लिए साधन के रूप में ही किया जा रहा है। भाजपा, बजरंग दल, शिव सेना आदि संगठनों ने सत्ता की प्राप्ति इसी साम्प्रदायिकता की आड़ में की थी। साम्प्रदायिकता के कारण ही जनमत गुमराह होता है। फलता राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। राजनीतिक साझेदारी की सरकारें अस्तित्व में आती है। परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार की कालाबाजारी और बढ़ जाती है। जिसकी मार समूचे लोकतंत्र को झेलनी पड़ती है। राजनीतिक दलों को भी सरकार की आलोचना करने का मौका मिलता है। वे अपनी आलोचनाओं के द्वारा और आर्थिक तनावों को जन्म देते है। शक्ति स्थापित करने के लिए न्याय और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। उनमें असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो जाता है। साम्प्रदायिक दंगों और उपद्रवों के वजह से हजारों लोगों की जाने साम्प्रदायिकता का सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र प्रभावित होते है। साम्प्रदायिकता का उन्माद निम्न रूप से किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह ऐसा उद्देश्य होता है जो या तो सीधे रास्ते से नही किया जा सकता है या फिर किया भी जा सकता है तो बहुत समय लगता है। वर्तमान समय में 1990 के बाद साम्प्रदायिकता का जहां निरंतर सत्ता प्राप्ति के हित साधन के रूप में ही किया जा रहा है। राजनीतिक साझेदारी की सरकारें अस्तित्व में आती है। जिसकी मार समूचे लोकतंत्र को झेलनी पड़ती है। राजनीतिक दलों को भी सरकार की आलोचना करने का मौका मिलता है। वे अपनी आलोचनाओं के द्वारा और आर्थिक तनावों को जन्म देते है। शक्ति स्थापित करने के लिए न्याय व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। उनमें असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो जाता है। साम्प्रदायिक दंगो और उपद्रवों की वजह से हजारों लोगो की जान चली जाती है। मकान-दुकान, सरकारी कार्यालय, स्कूल भवन, डाक-तार कार्यालयों में आग लगा दी जाती है। जिसके कारण रूपयों की सम्पति खाख बनकर स्वाहा हो जाती है। विकास अवरूद्ध हो जाता है। साम्प्रदायिक संघर्षो और उपद्रवों के समय

आसामाजिक तत्वों को खुलकर खेलने का मौका मिलता है। प्रशासन की ढिलाईका वे पूरा-पूरा लाभ उठाते है। इस प्रकार के अवसर की ताक में रहते है कि साम्प्रदायिकता की आग भड़के जिससे कि वे लूटपाट कर सके। पैसा एकत्रित कर सके और जिन लोगों से उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है उनसे बदला ले सके। समाज द्वारा इन पर कोई नियंत्रण नहीं किया जाता है तो उप्रदवों के बाद भी अपराधी एवं आसामाजिक एवं सांस्कृतिक विधटन पैदा होता है। विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों एवं संस्कृतियों के लोग परस्पर मिल नहीं पाते है। एकीकरण की प्रक्रिया अवरूद्व हो जाती है और पृथकता के भाव बने रहते है। समाज में अविश्वास, भय, शंका तथा घृणा का वातारण पैदा हो जाता है।

8.4. भारत में साम्प्रदायिकतावाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश शासन की समकालीन है। अंग्रेजों ने भारत में ‘‘फूट डालो और राज करो’’ की नीति अपनाई ताकि वे हिन्दुओं और मुसलमानों को लड़ाते रहे और भारत पर अपनी हुकुमत चलाते रहें। सदियों से भारत एक बहुधर्मी ओर बहुजातीय देश रहा है और इसलिए इसे ‘विश्व धर्मो का संग्रहालय कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना इस देश के मुसलमानों की स्थिति पर एक गहरा कुठारा घात था। अंग्रेजों से पूर्व मुसलमान ही इस देश के शासक थे। लेकिन अंग्रेजी शासन के कायम होने से उनकी गौरवपूर्ण स्थिति खत्म हो गई। अंग्रेज उनसे डरते थे फलत: उन्होंने हिन्दुओं की सहायता और सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न किया। प्लासी के युद्व के बाद जब अंग्रेजों के हाथ में शासन की बाग डोर आने लगी तो उन्होंने मुसलमानों के प्रति सौतेला व्यवहार किया और हिन्दुओं को नौकरियों में प्रोत्साहन देकर मुसलमानों के प्रति अपेक्षा की नीति अपनाई गई। वहां भी आन्दोलन के रूप में मुस्लिम अंसतोष व्यक्त हुआ था। सन् 1857 की क्रांति में हिन्दुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजो का विरोध किया गया था। अंग्रेज इसे मुस्लिम विद्रोह मानते थे जिसके माध्यम से मुसलमानों ने मुगलशासन की स्थापना की चेष्टा की थी। उन्होनें मुसलमानों के प्रति दमनकारी नीति अपनाई। इस समय राजनीति में सर सैयद अहमद खां का पदार्पण हुआ। जिन्होनें अलीगढ़ आन्दोलन का सूत्रपात करके भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता के विष का समावेश किया। अहमद खां शुरू से हिन्दु-मुस्लिम एकता के कट्टर समर्थक थे। परन्तु कालान्तर में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कट्टर विरोधी और अंग्रजी साम्राज्य के समर्थक बन गये थे। अलीगढ़ आन्दोलन ने मुसलमानों के मन में ब्रिटिश सिंहासन के प्रति राजभक्ति की भावना भरी और उन्हें भारतीय राजनैतिक जीवन से दूर रहने की प्रेरणा दी। इसके फलस्वरूप मुहम्मद एंग्लो ओरियण्टल डिफेन्स संघ की स्थापना हुई। मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विकास में हिन्दुओं की धार्मिकता भी जिम्मेदार है। आगे चलकर तिलक और अरविन्द घोष जैसे उग्रवादी हिन्दु नेताओं के प्रचार ने मुसलमानों में साम्प्रदायिकता भावना की जड़ को और भी मजबूत कर दिया। हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव को प्रोत्साहित करने हेतु सन् 1905 में लार्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के हितो के संरक्षित करवाने के लिए 30 दिसम्बर 1906 को अखिल भारतीय

मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। सन् 1909के अधिनियम ने मुसलमानो को पृथक् प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दिया। गांधी के अनुसार मार्ले-मिन्टो सुधारों ने हमारा बहुत नुकसान किया था। उस समय पृथक निर्वाचन की पद्वति को लागू न किया गया होता तो हम आपस में मतभेदों को दूर कर सकते थे। सन् 1913 में मुस्लिम लीग उदारवादी मुस्लिम नेताओं के यथा मौलाना मुहम्मद अली, मौलाना मजहा-उल- हक, सैयद वजीर हुसैन, हजरत हमाम और मुहम्मद अली जिन्ना आदि के असर में आ गई। सन् 1932 के साम्प्रदायिक निर्णय ने हिन्दू और मुसलमानों के बीच खाई और चौड़ीकर दी थी। सन् 1935 के भारत सरकार के कानून द्वारा साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्वति का विस्तार किया था। सन् 1940 के लाहौर में सम्पन्न अधिवेशन में जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। महुम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक माना जाता हैं। भारत में अग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियां, साम्प्रादायिक संस्थाओं के बनने और विकसित होने का स्वर्ण अवसर अलग-अलग धर्मो की रक्षा हेतु हिन्दू महासभा, मुस्लिमलीग, अकालीदल और दलित वर्ग संघ की भूमिका अपनी-अपनी जाति, संस्कृति और सीयता के संरक्षण के साथ-साथ मुस्लिमलीग पहली साम्प्रदायिक संस्था बनकर इसने साम्प्रदायिक के जहर को सर्वत्र फैला दिया था। सन् 1942 में क्रिप्स मिशन और वेवेल योजना (1945) ने भी साम्प्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया और मुस्लिम लीग ने बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मुम्बई, सिंघ तथा उत्तर- पश्चिमी सीमा प्रान्तों में साम्प्रदायिक दंगे जमकर भडकाए। सन् 1947 लार्ड वेवेल के स्थान पर लार्ड माउण्ट बेटेन को भारत का वायसराय बनाया गया। तब भारत का सम्पूर्ण वातावरण साम्प्रदायिकता की भावना से विषाक्त हो गया था। अंग्रेजी संसद ने भारतीय स्वतंत्रता का कानून पारित किया गया और 15 अगस्त 1947 से ही भारत के स्वतंत्र राज्य भारत और पाकिस्तान में बंट गये थे। भारत में इस विभाजन को एक महान घटना कहा जाता है। इसे अंग्रेजी की प्राचीन नीति 'बाटो और राज करो' तथा मुस्लिमलीग की साम्प्रदायिकता तथा पृथकता का अंतिम चरण माना जाता है।

भारत में साम्प्रदायिकता उन अल्प संख्यकों की विकट समस्या है जो अपने को धर्म, संस्कृति, जाति, सभ्यता, लिपि, भाषा, इतिहास, वेशभूषा, रीति-रिवाज, खानपान,आचार-विचारों और परम्पराओं से बिलकुल पृथक् मानते है। साम्प्रदायिकता आज हमारे समाज के लिए बहुत बडा अभिशाप । राम की जन्मस्थली अयोध्या भूमि और बाबरी मस्जिद, मथुरा मंदिर-मस्जिद, के प्रश्नों पर हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदाय संघर्षरत और टकरावों से मुकाबला करने में मशगुल है। साम्प्रदायिकता को दूर करने हेतु कांग्रेस महासमिति ने एक प्रस्ताव परित करके गहन चिंता जाहिर की थी। इसके अलावा गांधीजी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य विनोबा भावे ने भी अमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए थे। देश में साम्प्रदायिक सौहार्द्र स्थापित करने के लिए 28 नवम्बर 1976 को एक सात सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया और सरकार ने अगस्त 1991 में उपासना स्थल अधिनियम पारित करके प्रशंषनीय कार्य किया था। जनता

में अभी तक साम्प्रदायिक विचारधारा को किसी महत्वपूर्ण रूप में अंगीकार नहीं किया गया है। भारतीय लोग अभी भी मूलत: धर्म निरपेक्ष है और साम्प्रदायिक विचारधारा की बजाए कौमी एकता में विश्वास रखने वाले लोग ज्यादातर संस्था में मौजूद है। हमें जन मानस में साम्प्रदायिकता के विरोध में सोच को सुविकसित करके भारत की राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की सुरक्षित रखना होगा। इसके लिए कौमी एकता अर्थात जातीय एंव समुदाय एकता किसी भी स्वाधीन देश की जरूरत है देश में रहने वाली सभी जातियों, धर्मो और समुदायों और वर्गो के लोगो को एकजुट होकर रहना होगा। सभी एकता में रहकर सुसंगठित रहें सबका सामान्य हित एक हो अलग-अलग धर्मो का पालन करते हुए। राष्ट्रीय हित के लिए सब एकजुट होकर रहे। तभी इसी को हम कौमी एकता की सार्थकता कह सकते है। हमें कभी भी धर्म, सम्प्रदाय और जाति भेद की भावना को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। हमें कोमी एकता के द्वारा राष्ट्रीय एकता की सुदृढ़ता के लिए संजीदगी के साथ प्रयत्न करना चाहिए।

8.5 भारत में साम्प्रदायिकतावाद के विविध स्वरूप

साम्प्रदायिकता का आचरण हमारे देश में कई प्रकार से किया जाता है। भारत में साम्प्रदायिकता का वर्तमान स्वरूप क्या है? वर्तमान में विवादों को निपटाने के लिए किसी दूसरे समुदाय के विरूद्ध अतीत के मुद्दे उठाना भी साम्प्रदायिकता हो सकती है। पुरानी पीढ़ी का वास्तविक या काल्पनिक गलतियों के लिए वर्तमान पीढ़ी को दण्डित करना साम्प्रदायिकता है। मध्य कालीन घटनाओं को उकसाकर अंतर-साम्प्रदायिक शत्रुता उत्पन्न करना भी साम्प्रदायिकता है। साम्प्रदायवादी अंतर समुदायों में फूट और तनाव को बढ़वा देने हेतु अतीत को वर्तमान की एक कड़ी के रूप में प्रयोग करना चाहते है। साम्प्रदायिकता के अनेक स्वरूप या नजारे भारत में प्रलक्षित हो रहें है। भारत में राजनैतिक, धर्मिक, आर्थिक, और सामाजिक साम्प्रदायिकताओं के विविध रूप घटित होते दिखाई देते है।

8.5.1 फूट डालकर तनाव उत्पन्न करना: भारतीय परिदृश्यों के अन्तर्गत अंग्रेजों ने फूट डालो और राजकरो की कुटिल रणनीति का उपयोग किया था तथा लोगों में भ्रांतियां फैलाकर चिंता ग्रस्तता और तनाव ग्रस्तता का शिकारी बना दिया जाता है।

8.5.2. अतीतिय वैमनस्य के मुद्दों को उटाना:- पूर्वजो के बीच चले लड़ाई- झगडो की वैमनस्यता का प्रयोग वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच साम्प्रदायिकता का जहर घोल दिया जाता है। हमें मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना को शाश्वत कथन को दृष्टिगत रखना चाहिए। आज देश के प्रत्येक नागरिक को धर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ज्ञान से ही धार्मिक कलह समाप्त की जा सकती है।

8.5.3. सांमतवादी निंरकुशता:- इसके कारण भी साम्प्रदायिकता का असली स्वरूप दिखाई देता है। सांमतवादी व्यवस्था मालिक और नौकर में अन्तर विरोध पैदा करती है।

8.5.4. धार्मिक कार पंथिता एंव अन्धविश्वास:-

भारत में धार्मिक कट्टरता के स्वरूप दिखई देते है। धर्म भी अनेकों पंथो और विचारधाराओं या शाखाओ के स्वरूपों में बंट जाता है। हिन्दू धर्म कई सम्प्रदायों में बंटे हुए है। जैसे आर्यसमाजी, ,शैव, सनातनी, और वैष्णव, इसी तरह जहां एक ओर मुसलमान शिया और सुन्नी में बंटे हुए हैं। वहीं उनमें अशरफ(कुलीन) और अजलफ (जुलाहे, कसाई, खाती, तेली) और अरजल भी सम्मिलित है । अंधविश्वास के प्रचलन के कारण भी रूढ़िवादी परम्पराओं को बल मिलता है।।

8.5.5. राजवंशीय महत्वाकांक्षा:- आज हमारे देश में प्रजातांत्रिक शासन की व्यवस्था चल रही है। प्राचीन समय में राजा का उत्तराधिकारी ही राजा की गद्दी पर बैठाया जाता था। आजकल प्रत्येक राजनेता की यही प्रवृत्ति पाई जाती है कि उसी का वंश आगे राजकाज का सुशोभित करेगा। इस राजवंशीय महत्वाकांक्षा के कारण भी साम्प्रदायिकता का स्वरूप परिलक्षित हो रहा है।

8.5.6. साम्राज्य विस्तार की इच्छा शक्ति:- प्राचीन समय में एक राजा दूसरे राजा से आक्रमण करके उसके क्षेत्र को जीत लेता था। इस प्रकार छोटी-छोटी रियासतों को मिलाकर बड़ा राज्य बनाया जाता था। और कई राज्यों को जीतकर साम्राज्य स्थापित किया जाता था। इस राज्य विस्तार की बढ़ती इच्छा के कारण धर्म, जाति तथा समुदाय में साम्प्रदायिक स्वरूप दृष्टिगोचर हो सकते थे।

8.5.7. विजय-अभियान:- यह भी साम्प्रदायिकता फैलाने के स्वरूपों में परिगणित किया जाता है। कोई विजय हासिल करनें के लिए धर्म या समुदाय विशेष के विरूद्ध धावा बोलकर आक्रमण किया जाता था। विजय अभियान भी साम्प्रदायिक स्वरूपों में से एक स्वरूप प्रचलन में था।

8.5.8. बर्बरता, अत्याचार और विषमता:- बर्बरता पूर्वक नृशंष हत्या कर देना भी साम्प्रदायिकता का स्वरूप है। समाज और जाति के अन्तर्गत जुल्म ढ़हाना और असमानता का बर्ताव करना भी साम्प्रदायिक रंग के रंगों में गिना जा सकता है।

8.5.9. राज्य-हड़पना:- प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान काल तक में राज्य हड़पने की सातिर चालें भी साम्प्रदायिकता के स्वरूप में शामिल कर सकते है। राज्य अतिक्रमण या अवैध तरीके से छीना जाता हो उस स्थिति में भी समुदाय, धर्म या जाति विशेष के बीच में साम्प्रदायिकता की आग फैल जाती थी।

8.5.10. समुदायों (धर्मो)जातियों में विद्वेषता एंव वैमनस्यता:- जब एक जाति, धर्म या समुदाय, दूसरी जाति, धर्म या समुदाय से परस्पर विरोध रखने के कारण विद्वेष की भावना फैल जाती थी और इस कारण परस्पर दुश्मनी हो जाती थी। वर्ग, जाति या समुदायों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता था। इस तरह की साम्प्रदायिकता का जहर बुरी तरह फैल जाता था। यह विशेष भाषा, संस्कृति, क्षेत्र और नस्ल के आधार पर हो सकता है।

विभिन्न रूचि वाले लोगों में परस्पर यदा कदा टकराव होता है चाहे वे एक ही परिवार के सदस्य हों, उसी प्रकार विभिन्न जातियों, धर्मावलम्बियों व भाषा बोलने वालों में भी टकराव होना स्वाभाविक बात ळें टकराव जब विकराल रूप धारण कर लेता है वह हिंसा का रूप ले लेता है।किसी भी देश में उत्पन्न हिंसा चिंता का कारण बन जाती है। ऐसे में कौमी एकता का बड़ा महत्व है। इन राजवंशियों, साम्राज्य निर्भताओं, और अधिपतियों की प्रथा अपने ही समुदाय में झूठी मान्यता व प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए मिथ्याभिमानी कार्यों में अधिक रूचि थी। उन्होने अपनी जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए धार्मिक उद्देश्यों एंव आदेशों के आवरण में सेना, राज्य कर्मचारियों एंव धर्माचायों की भावना का खिलवाड़ करके शोषण किया। किसी समुदाय के कुछ पूर्व सदस्यों के कृत्यों या मूलों के कारण वर्तमान में उस समुदाय के निर्दोष व्यक्तियों को दंडित करना घोर साम्प्रदायिकता का रूप है।

धार्मिक फैलाए गये उन्मादों, उपद्रवों और दंगो के उन्माद में किसी किसी पर धावा बोल कर कि वह अन्य समुदाय का सदस्य है हत्या कर देना भी साम्प्रदायिकता का निकृष्टतम स्वरूप है।

अपने व्यवसाय, और समाज के किसी अन्य क्षेत्र में विशेष राजनेता या पत्रकार के रूप में अपने पद का दुरूपयोग करते हुए लिखित या मौखिक शब्दों के द्वारा साम्प्रदायिकता वैमनस्यत एंव घृणा उत्पन्न करता है तो उसका यह कार्य दुष्टतापूर्ण एवं खुली साम्प्रदायिकता का स्वरूप है। भारत में साम्प्रदायिकता1940 से 2002 तक अपनी पूर्ण पराकाष्टापर थी। 1947 के देश में विभाजन के बाद नौआखाली में हुए भंयकर दंगों में लाखों लोग मारे गये। इसके बाद 1984 में जब इन्दिरा गांधी की हत्या हुई, तब हजारों की संख्या मे सिक्ख ढूंढकर मार दिए गये इस प्रकार साम्पदायिकता ने समेय समय पर भारत की राष्ट्रीयता एकता अखण्डता को कलांकित कर दिया है बाबरी मस्जिद और राममंदिर के मुदे को लेकर 1992 मे जो दरों हुए तथा साम्प्रदायिकता का जहर फैलाया गया उसमे बहुत से निर्दोषी लागो को बलि चढाया गया था साम्प्रदायिकता का असली वीभत्सता का चेहरा गोधरा हत्या कांड मे और भी स्पष्ट हो जाता है कोई भी मजहब मत पंथ, धर्म में क्षमा दान अस्तेय शौच, इन्दिय, निग्रह, तत्व ज्ञान, आत्माज्ञान, सत्य और अक्रोध धर्म के दस लक्षय बताए गये है लेकिन साम्प्रदायितावाद मे इन सब गुणों का नाश हो जाता है।

8.6 साम्प्रदायिकतावाद विचार धारा प्रकार अथवा आयाम

हमारा देश बहुभाषा भाषी और बहु संस्कृति वाला देश है यहा की विभिन्न इकाइयों मे समन्वय बनाये रखने की नितान्त आवश्यकता है। देश मे फैली विघटनकारी शक्तियों पर कडी निगरानी रखी जानी चाहिए ये शक्तियां अलगाकरववादी वातावरण बनाने का कार्य करती है। क्षेत्रीयता की भावना आर्थिक विषमता धार्मिक उन्मादता कहरपांथिता और संकीर्व धार्मिक विचार कौमी एकता के बाधक तत्व बनकर देश मे साम्प्रदायिकता की विचारधारा या शाखा के कई प्रकार आयाम पाए जाते है धार्मिक संकीर्णता के कारण समाज अनेक

खण्डों मे विभाजित हो जाता है धर्म के साथ अनेक रूढियॉं, कुरूतियों एंव पाखण्डीपन के क्रियाकलापों को सम्बन्धित कर के समाज के अदंर कई विभाजन कर दिए गये हैं मनुष्यता के लक्ष्य को भूलाकर निहित स्वार्थी तत्वों ने अपने लाभ के लिए मानव मानव के बीच भेदभाव के गहरे बीज बो दिए है जबकि कोई धर्म मनुष्य मनुष्य के बीच भेद करना नही सिखाता है साम्प्रदायिकता के अनेक प्रकार या आयाम हमें निम्न लिखित दष्टि गोचर हो रहे है; टी.के ऊमन 1989 ने साम्प्रदायिकतावाद के छ प्रकार या आयामों को इगिंत किया है

8.6.1 आत्मसातीकरणवादी साम्प्रदायिकता: यह साम्प्रदायिकतावाद वह है जिसमे छोटे छोटे धार्मिक समूहों का बडे धार्मिक समूह मे समावेश एकीकरण कर दिया जाता है इस प्रकार की साम्प्रदायिकता यह दावा करती है कि सब जनजातियां हिन्दू है और जैन सिख बौद्ध हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत आते है सभी धर्मो को अपने मे समेटे रखना है

8.6.2 कल्याणकारी साम्प्रदायिकता: इस तरह की साम्प्रदायिकता का लक्ष्य किसी विशेष समुदाय का कल्याण करना होता है जिसके अन्र्तगत जीवन स्तर मे सुधार करना शिक्षा एंव स्वास्थ प्रबंध आदि शामिल है उदाहरण के लिए ईसाई संस्थाएं ईसाईयों के लिए पार सी समुदाय पारसियों के उत्थान मे कार्यरत रहती है मुस्लिम वक्फ जनकल्याण को दष्टिगत रखती है।

8.6.3 पलायनवादी सम्प्रदायिकता: यह साम्प्रदायिकता वह है जिसके एक छोटा धार्मिक समुदाय अपने आपको किसी भी तरह की राजननीति से अलग रखता है जैसे बहाई समुदाय जिसने अपने सदस्यों के लिए राजनीति मे भाग लेना अवैध घोषित किया हुआ है इसमे अलग से हटकर रहते हुए अपने समाज के हित के लिए अच्छा कार्य किया जाता है

8.6.4 प्रतिशोधवादी साम्प्रदायिकता: से तात्पर्य दुसरे धार्मिक समुदायों के सदस्यों को हानि और चोट पहुचाने का प्रयत्न करती है इसमे एक धर्म या समुदाय वर्ग या जाति के लोगो पर दूसरे धर्म जाति समुदाय या वर्ग के लोगो द्रारा बदले की भावना से प्रतिक्रिया या अन्तरविरोध किया जाता है

8.6.5 अलगांववादी साम्प्रदायिकता या पृथकतावादी साम्प्रदायिकता: वह है जिसमे एक धार्मिक समुदाय अपनी संस्कृति की विशेषता बनाए रखना चाहता है और देश मे एक अलग राज्य की मांग करते है उदाहरणार्थ उतर पूर्वी भारत मे कुछ मिजों और नागाओं की मांग असम मे बोडों की मांग बिहार मे झाडंखड के जनजातियों की मांग उतरप्रदेश मे उत्तराचल तथा मध्यप्रदेश मे छत्तीसगड की मांग प्रमुख है

8.6.6. पार्थक्यवादी साम्प्रदायिकता: जिसमें एक धार्मिक समुदाय अपनी अलग राजनीतिक पहचान चाहता है और एक स्वतंत्र देश की मांग करता है। खालिस्तान की मांग कर रहा सिखों का एक बहुत की छोटा उग्रवादी भाग इस प्रकार की साम्प्रदायिकता को अपना रहा है। इन छ: प्रकारों या आयामों की साम्प्रदायिकता में से पिछले तीन रूप समस्या

ये खड़ी करते है और जिनके कारण आन्दोलन, साम्प्रदायिक झगड़े, आतंकवाद, अलगाव पृथकता, उग्रवाद, परमपंथवाद, इत्यादि बगावतें उत्पन्न होते है।

भारत में अनेकतावादी समुदाय है और अनेक धर्मावलंकीवी निवास करते है। ये धार्मिक समुदाय भी कई उपवर्गो मे विभक्त है, जैसे हिन्दु आर्य समाजी, शैव, वीरशैव, लिंगायत, सनातनी और वैष्णव में मुसलमान शियाव व सुन्नी में, ईसाई कैथोलिक एवं प्रोटेरूट्रेन्ट में भारत में साम्प्रदायिकता का जो स्वरूप है वह मुख्यत: हिन्दु-मुस्लिम साम्प्रदायिकता का है। इसकी शुरूआत स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान हुई। यह अंग्रेजो की 'फूट डालो-शासन करो' की नीति की उपज थी। उस समय राजनीतिक फायदे के लिए अपनाये गये तरीकों ने गंभीर रूप ले लिया है तथा आज साम्प्रदायिकता परिवर्तित सामाजिक एवं राजनैतिक वातावरण में चली रही है। ''साम्प्रदायिकता की भावरा से प्रेरित होकर जो हिसात्मक कार्य संचालित किए जाते है वे साम्प्रदायिक दंगे या हिंसा कहलाते है। साम्प्रदायिक हिंसा एक सामूहिक हिंसा है। जब समुदाय के लोगों का एक बड़ा भाग अपने सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल हो जाता है तो उनमें कुण्ठा और मोहभंग की भावनांए जाग्रत होकर बलवती हो जाती है। यह सामूहिक कुण्ठा जिसे फायदेबेंडस और नेस बोल्ड़ नियमित कुण्ठा कहते है। सामूहिक हिंसा की जन्मदात्री होती है। विद्वानों के साम्प्रदायिकता के विविध प्रकारों या आयामों को बतलाने के बाद साम्प्रदायिक हिंसा के लिए उत्तरदायी विभिन्न सिद्धान्तों की व्याख्या की है।

8.7. साम्प्रदायिक के विभिन्न चरण या अवस्थाएँ

प्रसिद्व इतिहास नेता प्रो. विपिन चन्द्र के साम्प्रदायिकता को स्पष्ट हुए इसके तीन प्रमुख चरण अथवा अवस्थाओं की व्याख्या प्रस्तुत की है। उनका मानना था कि साम्प्रदायिकता की तीन चरण (अवस्था) प्रक्रिया हेतु सुनिश्चित की गई है।

1- प्रथम चरण/अवस्था : इस चरण के अन्तर्गत किसी समुदाय या समूह विशेष के सदस्य अपने समूह से सम्बन्धित हितों की पहचान करते है। एक समुदाय अपने समान हितों को अच्छी तरह समझकर इसकी सुस्थापित करते हैं। इसको सचमुच में साम्प्रदायिकता नहीं कहा जा सकता है।

2- द्वितीय चरण या अवस्था : इसके अगले चरण अर्थात दूसरे चरण में वह न केवल अपने समूह के सदस्यों के हितों की पहचान करता है बल्कि उसे अन्य समूहों के सदस्यों के हितों से भिन्न मानता है। प्रो. विपिन चन्द का यह मानना है कि यह साम्प्रदायिकता है, जहां उसके हित समाज के अन्य समूहों के सदस्यों के हितों से भिन्न लगते है। लेकिन यह भिन्नता उग्र रूप तब धारण कर लेती है। जब किसी समूह या समुदाय विशेष के सदस्यों को अपने हित अन्य समूहों या समुदाओं के सदस्यों की तुलना में न केवल भिन्न लगते है, बल्कि विपरीत भी लगते है।

8.8 साम्प्रदायिक हिंसा और दंगों के फैलाने वाले उत्तरदायी सिद्धांत

साम्प्रदायिकता हिंसा और दंगों की यदि सामाजिक स्वरूप की व्याख्या की जाए तो यह कहा जा सकता है कि लोग हिंसा का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वे असुरक्षा एवं चिंता से ग्रसित होते हैं। इन भावनाओं और चिन्ताओं की उत्पति उन सामाजिक व्यवस्थाओं और सत्ताधारी अभिजनों द्वारा उत्पन्न किए जाते है। इन भावनाओं की उत्पत्ति उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि एवं लालन-पालन से भी संबंधितहोती है। इसलिए हमें यहां साम्प्रदायिकतावाद की हिंसा के सिद्धान्तों को दो भागों या श्रेणियों में बांटसकते है:- (1) सामाजिक-मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के स्तर पर (2) सामाजिक-सांस्कृतिक या समाज वैज्ञानिक विश्लेषण के स्तर पर बांटा गया है। (क) श्रेणी के अन्तर्गत कुण्ठा आक्रमण सिद्धान्त (ख) विकृति सिद्धान्त (ग) अभिप्राय आरोपण सिद्धान्त (घ) आत्ममनोवृत्ति सिद्धान्तों इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। जबकि दूसरी श्रेणी में (क) व्यवस्था तनाव सिद्धान्त (ख) व्याधिकी सिद्धान्त (ग) हिंसा की उपसंस्कृति का सिद्धान्त (घ) सामाजिक सीख सिद्धान्त (ड़) ध्रुवीकरण गुच्छ-समूह के दबाव का सिद्धान्त इत्यादि सभी सिद्धान्त साम्प्रदायिक दंगोंकी सामूहिक हिंसा के तथ्य को समझाने में विफल रहते है। अब हमें इन सभी सिद्धान्तों के बारे में निम्नानुसार व्याख्या करनी जरूरी समझते है।

8.8.1 कुंठा आक्रमण का सिद्धान्त: साम्प्रदायिक हिंसा एक सामूहिक हिंसा है। जब समुदाय के लोगों का बड़ा भाग अपने सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल हो जाता है या यह अनुभवित करता है कि उनके विरूद्ध भेदभाव हो रहा है और उन्हें समान अवसरों से वंचितया अपेक्षित किया जा रहा है तो उस समुदाय, वर्ग अथवा धर्म के व्यक्ति में यह कुण्ठा उत्पन्न होकर इस तरह सामूहिक हिंसा को जन्म दे देती है। इस कुण्ठा से ग्रसित व्यक्ति असन्तुष्टी बन जाते है।

8.8.2 हिंसात्मक आचरण का सिद्धान्त: एक दल अहिंसात्मक होता है और दूसरा समूह संघर्षकी सफलता के लिए हिंसा को आत्यावश्यक उपयोगी समझता है। यही समूह अपनी विचारधारा की शक्ति की पुष्टि करने हेतु प्रत्येक अविचारित अवसर पर हिंसा को अपने आचरण द्वारा अपनाकर प्रयोग करने के लिए दुरूपयोग करता है। यह उप-समूह जिसका हिंसात्मक आचरण होता है। समस्त समुदाय या असन्तुष्ट व्यक्तियों के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इस उप-समूह के आचरण का अधिकांशतथा समय के बाकी व्यक्ति साफ-साफ तरीके से समर्थन नहीं करता है। इस प्रकार हमारा दावा हिंसात्मक दंगाई आचरण के पुराने सिद्धान्त के बहुत समीप आ जाता है। इसको यह मानना है कि व्यक्तियों में अधिकांशइस उपसमूह के हिंसात्मक विचलित व्यवहार को अस्वीकार करके उसका विरोध करते हैं। इसको दायित्वहीन आचरण मानते है। अब यह सवाल उठता है कि कुछ व्यक्तियों का समूह किसी कारणवश हिंसात्मक क्यों हो जाता है? सामूहिक हिंसा पर महत्वपूर्ण

सैद्वान्तिक प्रस्तावों में से दो ये है। (1) यह उतेजना के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। (2) यह उन नियमाचारों से सामंजस्य रहता है जो इसके उपयोग को समर्थन देते है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रचलित सिद्धान्तों का विश्लेषण करना यहां जरूरी समझते है।

8.8.3 विकृति का सिद्धान्त: इस सिद्धान्त के अन्तर्गत मुख्यतया साम्प्रदायिकता फैलाने का मुख्य कारण विकृत अवस्था को दायित्वाधीन किया जा सकता है। मन में दूषित विचार के घर करते ही कोई न कोई शरीर में खोट इस तरह की उत्पन्न् हो जाती है। सम्प्रदायिकता मनुष्य की दूषित भावना या अपराधिकता दुराशय या मन: स्थिति के कारण फैल सकती है।

8.8.4 अभिप्राय आरोपण का सिद्धान्त: साम्प्रदायिकता हिंसा या दंगा फैलाने के कारणों के लिए यह सिद्धान्त भी दायित्वाधीन है। व्यक्ति जब कोई अपराध करने के कार्य के आशय को मन में रहता है। साम्प्रदायिक हिंसा या दंगा करने का उद्देश्य क्या हो सकता है। इसके बारे में आरोप लगाया जाता है। साम्प्रदायिक हिंसा या दंगा करने के ध्येय का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। यह विदित रहे कि बिना उद्देश्य के कोई हिंसा या दंगा नहीं हो सकता है। ध्येय का आरोप लगाया जाता है। इसी कारण इसे अभिप्राय आरोपण सिद्धान्त कहते है।

8.8.5 आत्म-मनोवृति का सिद्धान्त: इस सिद्धान्त के अन्तर्गत स्वयं मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृति जिम्मेदार मानी गई है। स्वयं की मन की वृति पर यह निर्भर करता है कि व्यक्ति आखिर साम्प्रदायिकता हिंसा या दंगे क्यों फैला रहा है। यदि मन की दूषितवृतियों पर हमने काबू पा लिया है तो मुनष्य को प्रथमत: स्वयं की मनोवृति ही इस तरह काफी प्रभावित करती है। किसी तरह की गंदी या दूषित प्रवृत्ति रखनेवाला व्यक्ति ही साम्प्रदायिक हिंसा करने या दंगे फैलाने के लिए दायित्वाधीन माना जाता है। जब हम दूसरी-श्रेणी अर्थात् सामाजिक सांस्कृतिक या समाज वैज्ञानिक विश्लेषण के स्तर के सिद्धान्तों की विश्लेषण करेगें।

8.8.6 व्यवस्था तनाव सिद्धान्त: इस सिद्धान्त के अनुसार साम्प्रदायिक दंगे या हिंसा उत्पन्न होने का प्रमुख कारण विधि व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच में बेवजह तनाव उत्पन्न होना ही है। कोई भी व्यक्ति या वर्ग बिना तनाव के चिंता से ग्रसित नहीं हो सकते है। इसके लिए व्यवस्था सम्बन्धी गड़बड़ी या अव्यवस्था होने पर ही तनाव पैदा होता है। कई बार धार्मिक/जातीय सामुदाय के समूह के लोगों मे अव्यवस्था को लेकर भारी विरोध या तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो सकता है। शासन द्वारा न्याय व्यवस्था की सुव्यवस्था होने की अवस्था में कोई तनाव किसी तरह का उत्पन्न नहीं होता है।

8.8.7 व्याधिकी सिद्धान्त: किसी प्रकार की बिमारी अर्थात् व्याधि से ग्रसित व्यक्ति ही साम्प्रदायिक हिंसा या दंगा कराने के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। इसमें सापेक्षिक वचन के लिए समूह की अपेक्षाओं और उसकी क्षमताओं के बीच अनुभव की गई विसंगतियों व्याधि से पीड़ित व्यक्ति मनोविकार से ग्रसित हो सकता है। स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति का सोचविचार दूषित नहीं हो सकती है। एक साम्प्रदायिक आक्रमणों को सहन

करने वाले व्यक्ति के विचार सकारात्मक हो सकते है। व्यक्ति द्वारा अपने मन में मलिनता रखने के कारण ही साम्प्रदायिकता फैलाने के लिए यह भी उत्तरदायी कारक हो सकता है।

8.8.8 हिंसा की उप-संस्कृति सिद्धान्त: इस सिद्धान्त अर्थात् हिंसा की उप-संस्कृति के सिद्धान्त के कारण भी साम्प्रदायिक हिंसा या दंगे फैल सकते हैं। कई बार किसी धर्म/समुदाय/जाति की अनेक घटनाएँ इस उप-संस्कृति के सिद्धान्त के कारण गई थी। जैसे 1978 में अलीगढ़, 1979 में जमशेदपुर, 1980 में मुरादाबाद, 1981 में हैदराबाद, 1987 में मेरठ, 1984 में भिवाड़ी और दिल्ली, 1985 में अहमदाबाद, 1990 में जयपुर, 1991 में वाराणसी व 1992 में मुम्बई एवं यह ज्ञातव्य रहे कि 1950 से 1995 के बीच हुए दंगों में 7173 लोगों की मृत्यु हो गई थी।

8.8.9 सामाजिक सीख का सिद्धान्त : भारत में साम्प्रदायिकता सन् 1940 से 1998 तक अपनी तीव्र पराकाष्ठा पर पहुंच गयी थी। दंगे और हिंसा पनपाने में विभिन्न समाजों की सामाजिक सीख भी उत्तरदायी मानी गई है। कहा जाता है कि जैसा कार्य सास करेगी उन्हीं कार्यों को अंजाम बहू रानी भी दिया करती है। अलग-अलग घर, परिवार या समाज की पृष्ठभूमि में रहते हुए व्यक्ति को जैसे-जैसे सिखाया जाता है। उन्हीं नियमों और परम्पराओं का वह निर्वहन के रूप में अनुकरण करता है। लड़ने-झगड़ने में कई कारणों में से सामाजिक सिद्धान्त का भी हिंसा व दंगे कराने के लिए उतरदायी माना गया है।

8.8.10 सामाजिक व्यवस्था का सिद्धान्त: प्रो.राम आहूजा ने इस सिद्धान्त को बेहतर रूप से स्पष्ट किया है। जिन परिस्थितियों के कारण सामूहिक हिंसा उत्पन्न होती है। इनमें तनाव, पद की कुण्ठा और अनेक तरह की संकटापन्न स्थितियां भी सांम्प्रदायिकता फैलाने में अपनी निर्णायक भूमिका को निभाती है। आक्रमण हिंसा का उपयोग अपने में व्याप्त हुई असुरक्षा और चिंताग्रस्त होने के कारण करते है। इन भावनाओं और चितांओं की उत्पत्ति जिन सामाजिक अवरोधों से होती है जो दमनात्मक सामाजिक व्यवस्थाएं और सत्ताधारी अभिजनों द्वारा उत्पन्न किए जाते है। इस सामाजिक आक्रमकता के लिए 1. समायोजन 2. लगाव 3. वचनबद्वता ये तीन कारक जिम्मेदार माने गये है।

8.8.11 ध्रुवीकरण और गुच्छ समूह के प्रभाव का सिद्धान्त: इस सिद्धान्त का सृजन लगभग एक दशक पहले एक नई अवधारणात्मक तालिका की जरूरत भारत में अंतर और अन्दरूनी सामूहिक हिंसा को समझाने के लिए किया गया था। वह नवप्रयोग उतर प्रदेश में सन् 1990 में हुए साम्प्रदायिक दंगों के आनुभाविक अध्ययन पर आधारित है। यह तालिका तीन धारणाओं पर आधारित की गई थी। 1. ध्रुवता 2. फूट 3. गुच्छ-समूह। घ्रुवता से तात्पर्य सादृश्यता, संबद्धता, संलग्नता, सरोकार और अभिन्नता के ऐसे भाव से है जो व्यक्ति किसी विशेष समस्या का सामना करते समय एक-दूसरे के प्रति रखते हैं। यह समस्या धार्मिक, सैद्वान्तिक, राजनैतिक या आर्थिक हो सकती है। फूट ऐसी परिघटना है जिसके द्वारा एक विशेष स्थान पर जनसंख्या दो विभिन्न घ्रुवों में बंट जाती है। जिनके परस्पर विरोधी, विषमता वाले या प्रतिकूल सिद्धान्त या प्रवृत्तियां पाई जाती है। गुच्छ-समूह एक ध्रुव वाले

व्यक्तियों के निवास स्थान के स्वरूप को बतलाता है। जो कि एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष समय पर समानता प्रदर्शित करते है। व्यक्ति अकेलेपन में कमजोर और असुरक्षित महसूस करता है। शक्ति संग्रहण सम्मेलन जमाव सामूहिकता और समूहों में होती है। एक व्यक्ति अपने निहित लाभ और सुरक्षा के लिए उसमें मिल जाता है। समाज में हर समय विभिन्न घ्रुवताएं विद्यमान रहती है। यह ध्रुवताएं दो प्रकार की होती है। (1) स्थाई और अस्थाई/पहली श्रेणी अर्थात् स्थाई घ्रवता में धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र, और लिंग आते है। ये घ्रुवताएं व्यक्ति की मूल पहचान बताती है जो व्यक्ति के अन्तिम समय तक रहती है। दूसरी श्रेणी अर्थात अस्थाई घ्रुवता के अन्तर्गत व्यवसाय पेशा और वे कार्य आते हैं जो निहित स्वार्थो पर आधारित हैं। गुच्छ-समूह में रहने की सामाजिक गति की यह होती है कि गुच्छ समूह दंगा-प्रवृत स्थिति के उभारने में अति प्रेरक सिद्व होते हैं। क्योंकि अन्तर व्यक्तिगत सम्बन्ध बिगड़ जाते हैं और ऐसी उतेजनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। जिन्हें एक का दूसरे के प्रति जानबूझकर किया गया अपमान, वंचना, उपेक्षित और घाटे का समझा जाता है।

ध्रुवता के प्रभुत्व की प्रवृत्ति इन पांच कारकों पर निर्भर रहती है:- (1) समय व स्थान (कालावाधि, क्षेत्र, स्थान, स्थिति या भौगोलिक सीमाएं) (2) सामाजिक संरचना (जाति, समुदाय या समूह) 3. शिक्षा (हित के प्रति जागरूकता) आर्थिक स्वार्थ तथा नेतृत्व (भावनात्मक भाषण, वायदे और नेताओं की नीतियां) वी.पी. सिंह ने सन् 1990 में दंगा-प्रवृत साम्प्रदायिक संरचना के निम्नांकित आधार बताए है: 1. अभिज्ञेय गुच्छ-समूहों में द्वि-ध्रुवता वाली जनसंख्या 2. अतिसामान्य 3. सामान्य स्वार्थ और उसके फलस्वरूप वैरभाव 4. ध्रुवित हुई जनसंख्या की शक्ति, शक्ति संख्यात्मक बल, आर्थिक सपन्नता, हथियारों को रखने की स्थिति, नेतृत्व की किस्म, कार्यक्रम शक्ति 5. जिले की पुलिस और सरकारी प्रशासन की प्रशासनिक स्वार्थ परकाष्ठता और अकुशलता आदि संरचना के आधार व्यक्त किए थें।

8.9 भारत में साम्प्रदायिकतावाद तथा साम्प्रदायिक दंगें और हिंसा का वृतांत

भारत के अनेकतावादी समाज में मात्र धार्मिक समुदाय ही विद्यमान नहीं है, बल्कि हिन्दू (88.62), मुसलमान (11.368), ईसाई (2.436), सिख (1.968) बौद्व (0.718), और जैन (0.488) इत्यादि धर्मावलम्बियों की जनसंख्या सब जगह फैली हुई है। हिन्दु एवं मुसलमान धर्म कई सम्प्रदायों और शाखाओं में बंटा हुआ है। हिन्दुओं और मुस्लिमों के पारस्परिक सम्बन्ध साम्प्रदायिकता के जहर ने खराब कर तनावपूर्ण स्थिति में जीनें को मजबूर कर दिया है। भारत में साम्प्रदायिकता 1940 से 2002 तक अपनी परकाष्ठा में बलवत रूप रही है। सन् 1984 से 1990 का काल विशेषरूप से साम्प्रदायिक दंगों/हिंसा प्रभावित काल रहा। भारत में हिन्दु-मुस्लिम साम्प्रदायिकता के वीभत्स नजारे अयोध्या में बाबरी-मजिस्द, श्रीराम मंदिर, इंदिरा गांधी की हत्या के समय सिखों पर आक्रमण, गोधरा हत्याकांड में हजारों लोगों की

निर्मम हत्याएं हुई जो कि इसके प्रमाण साबित हो चुके है। अंग्रेजी द्वारा अपनायी ''फूट डालो और राजकारों की कुटिल नीति के कारण भी साम्प्रदायिक झगड़ों को प्रोत्साहन मिलने से उनका आधिपत्य कायम हुआ है। यह हिन्दु-मुस्लिम साम्प्रदायिकता स्वतंत्रता संग्राम के दरम्यान अंग्रेजी शासन की विरासत में मिली है। साम्प्रदायिक स्वार्थ की साम्प्रदायिक द्वेष की आग को भड़काने में अहम भूमिका रही है। पाकिस्तान को अलग करो का नारा मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम लाहौर में सम्पन्न हुए कांग्रेस महाधिवेशन में सन् 1940 में दिया। लगभग 12 करोड़ मुसलमान हमारे देश के सभी प्रदेशों के अनेक भागों में फैले हुए है। हिन्दु-मुस्लिम विद्वेष पनपाने के अनेक जटिल कारण निम्न रहे हैं: (1) मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा मंदिरों के साथ मस्जिद बनाने की प्रवृत्ति 2. अंग्रेजी शासन के दौरान मुस्लिम अलगावाद को प्रोत्साहन 3. मुसलमानों के प्रति देशभक्ति परसंदेह 4. मुस्लिम राजनीतिक दलों में आक्रमकता के चलते धर्मनिरपेक्ष आदर्श को कंलकित करना 5. मुस्लिम कट्टवादिता मुस्लिम एकता की प्रमुख बाधक 6. सरकार भी मुसलमानों की अपेक्षा करने के लिए जिम्मेदार आदि कारक उत्तरदायी ठहराये जा सकते है।

8.9.2. भारत में साम्प्रदायिकतावाद हिंसा और दंगे (दशा एवं दिशा): भारत वर्ष में साम्प्रदायिक दशा एवं दिशा इस समय बड़ी भयावह स्थिति में है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्मावलम्बियों के जानी दुश्मन बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में हिन्दुस्तान का भविष्य बहुत ही अंधकारमय नजर आता है। हमारे देश में हुए साम्प्रदायिक हिंसा व दंगों ने पूरे संसार में भारत को कंलकित कर दिया है। हमारे देश में कई बार जाति, धर्म और भाषा के नाम पर संघर्ष उत्पन्न हो जाते है। यह संघर्ष बाद में हिंसा के रूप में बदलकर दंगों का भयावह रूप धारण कर लेती है। दो सम्प्रदायों के बीच कई बार धर्म के नाम पर तनाव उत्पन्न हो जाते है। साम्प्रदायिकता की इस विनाशकारी विचारधारा के मूल में अविवेकीय, धार्मिक संकीर्णता, राजनीतिक विद्वेषता के कारण अधिक होते हैं। एक व्यक्ति एक स्थान का बदला, दूसरी जगह निकालता है। इस स्वार्थ परायणता के कारण मनुष्य अधम से अधम मनोवृति अपना लेता है।किसी एक छोटी सी जगह पर उत्पन्न संघर्ष धीरे-धीरे सारे कस्बे व नगर में दुष्प्रचार के साथ फैल जाता है। परस्पर प्रेमपूर्वक शत्रु बनकर खून के प्यासे हो जाते है। वास्तव में साम्प्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टवादियों द्वारा भड़काई गई मनोवृति का कुण्डित स्वरूप सबसे पहले असामाजिक तत्वों द्वारा की जाती है। राजनीति में सक्रिय व्यक्ति इसे समर्थन एवं बल प्रदान करते है। निहित स्वार्थी तत्व इनको वितीय सहायता देते हैं। पुलिस और प्रशासन की निर्दयता एवं संवेदनहीनता के कारण यह तेजी से फैलाता है। भारत स्वतंत्रता का इतिहास पूरी तरह से साम्प्रदायिक हिंसा एवं दंगों से भरा रहा हैं। प्रो. वाष्र्णेय के अनुसार भारत में 1950 से 1995 के बीच 1283 दंगे हुए, जिनमें कुल 7173 लोगों की जानें चली गई। सर्वाधिक दंगा प्रभावित शहर अहमदाबाद, मुम्बई, अलीगढ़, हैदराबाद, मेरठ, बड़ोदरा, कोलकता और दिल्ली में रहे। 1990 के दिसम्बर माह में उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात में वीभत्स स्थिति का संकेत देते हैं। आन्ध्रा में 8 अलीगढ़ में 100, कानपूर 27, ऐंटा

में 13 लोग 11 दिसम्बर 1990 को मारे गयें। सन् 1991 में सिक्ख दंगे 1992 में अयोध्या बाबरी मस्जिद श्रीराम मंदिर दंगों में 1500 मारे गये थे। सन् 1992 में बिहार की सीतामढ़ी में 50 लोग मारे व 10 घायल हुए थे। मुम्बई में अप्रेल 1993 में बम विस्फोटों व कोलकत्ता में हुए बम विस्फोटों में 200 से अधिक लोग मारे गये। बिहार में 84, पश्चिम बंगाल में 74, मध्यप्रदेश में 43, राजस्थान में 19 असम में 8 लोग साम्प्रदायिक दंगों में मारे गये थे। हाल ही के वर्षों में गुजरात प्रदेश सभी तरह के दंगों में 1986 में 142 दंगे, 1987-146 दंगे, 1988 में 69 दंगे तथा 2002 गोधरा में लगभग सैकड़ों दंगों में हजारों व्यक्ति कालकवलित हो गये थे। हिन्दू-मुस्लिम झगड़ों और तनाव में कई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अस्मिता को खतरे उत्पन्न हो गये हैं। सामुदायिक हिंसा की कुछ घटनाएं उंची और नीची जातियों में तनाव के कारण हुई। इन दंगों एवं हिंसा में हत्या, बलात्कार, मारपीट, लूटने एवं आगजनी की घटनाएं ज्यादा घटित हुई। साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से गौर करे तो सन् 1961 में भारत के 350 जिलों में से 61 जिले संवेदनशील माने गये। सन् 1979 में 216, 1986,1987 में 254 और 189 में 186 जिले संवेदनशील जिलों के दायरे में आए। सन् 1983 से 1986 के बीच 14 करोड़ माल का नुकसान हुआ था। 1986 से 1988 के बीच 3 वर्षों में साम्प्रदायिक दंगों की 2086 घटनाओं में 1024 व्यक्ति मारे गये और 12352 जख्मी हुए थे।

8.10. साम्प्रदायिक दंगों की विशेषताऐं एवं प्रभावित क्षेत्र

8.10.1. साम्प्रदायिक दंगों की विशेषताऐं**:** प्रो.राम आहूजा ने अपनी पुस्तक ''सामाजिक समस्याएं के अन्तर्गत कहा कि पिछले 53 वर्षों में देश में हुए बड़े साम्प्रदायिक दंगों के अध्ययनों ने यह उद्घाटित किया है कि: (1) साम्प्रदायिक दंगे धर्म की तुलना में राजनीति से अधिक प्रेरित होते है। (2) राजनीतिक स्वार्थों के अतिरिक्त अधिक स्वार्थ भी साम्प्रदायिक झगड़ों को भड़काने में प्रबल भूमिका निभाते हैं। (3) साम्प्रदायिक दंगे दक्षिण और पूर्वी भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में अधिक प्रभावित रहे हैं। (4) ऐसे शहरों जिनमें साम्प्रदायिक दंगे एकाधबार हो चुके है में इनके पुन: होने की सम्भावना ऐसे 'शहरों की अपेक्षा में जहां कभी दंगे नहीं हुए में अधिक प्रबलता होती हैं। (5) ज्यादातर साम्प्रदायिक दंगे धार्मिक त्योहारों एवं उत्सवों के अवसरों पर घटित होते हैं। (6) साम्प्रदायिक हिंसा का रूप घातक और दंगों में हथियारों का ज्यादा उपयोग बढ़ रहा है।(7) साम्प्रदायिक दंगें शहरों में 90.03 तथा गांवों में सिर्फ 3.56 घटित हुए हैं। (8) ये दंगे जाति, धर्म, सम्प्रदाय, समुदाय व वर्ग विद्वेषता के कारण ज्यादा घटित हुए हैं।

8.10.2. साम्प्रदायिक दगों के प्रभाव क्षेत्र:- भारत में साम्प्रदायिक उन्माद 1946-98 दौरन अपनी पूर्ण परकाष्ठा पर पहुंच गया था। साम्प्रदायिक दंगों के लिए सन् 1950-1963 के समय को श्शान्तिकाल कहा जा सकता है। देश में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता ने साम्प्रदायिक दंगों की स्थिति को सुधारने में अपना महत्वपूर्ण

योगदान दिया था। सन् 1963 के बाद से ही दंगो के प्रभावित -क्षेत्र कायम बढ़ गये है। भारत के पूर्वी भागों के कोलकत्ता, जमशेदपुर, राऊरकेला और रांची में सन् 1964 में वीभत्स दंगो ने अपने चपेट में लोगों को ले लिया था। साम्प्रदायिक हिंसा की लहर 1968 से 1971 के दौरान जब केन्द्र और राज्यों में राजनैतिक नेतृत्व कमजोर हो गया था, तब सारे देश में दंगो का विस्तार हो गया था। कांग्रेस दल के 1969 में विभजन के बाद राज्यों में गढ़बधन की सरकारों का प्रभाव कायम रहा। देश में 1954-55से 1988 -89 के दौरान साम्प्रदायिक दंगो का विवरण निम्नानुसार है: 1955-55:125, 1956-57:100, 1958-59:60, 1960-61:100, 1962-63:100, 1964-65:675, 1966-67:310, 1968-69:800, 1970-71:775, 1972-73:425,1974-75:400, 1976-77:315, 1978-79:400, 1980-81:710, 1981-82:830,1982-83: 950, 1983-84:1090, 1984-85’1200,1985-86:1300,1986-87:764, 1987-88:711,1988-89:611। (शंकर सुरोलिया, 1987-60 और दी हिन्दुस्तान टाइम्स, 2 अप्र्रेल 1990)। सन् 1998 में देंश में 626 दंगे हुए थे। जिनमें 207 व्यक्ति मारे गये और 2065 लोग घायल हुए थे। द हिन्दुस्तान टाइम्स 11 मार्च 1999) भारत में अहमदाबाद, मुम्बई, अलीगढ़, हैदराबाद, मेरठ, बडौदरा, कोलकत्ता एंव दिल्ली (वही मार्च 2000) आदि श्शहरों अधिक दंगे हुए थें। सन् 1990 में उत्तर प्रदेश आन्धप्रदेश और गुजरात में साम्प्रदायिक अनर्थकारी रहै। बेलगांव व कर्नाटक में अप्रेल 1992 में हुए दंगे मे 9 व्यक्ति मरे। सन् 1992 में दिल्ली, बनारस (1991), हापुड(1992), सीलमपुर व नासिक (1992), में दंगे हुए। 6 दिसम्बर 1992 के अयोध्या में मस्जिद-विध्वंस के दंगों में 1062 व्यक्ति मारे गये। अप्रेल 1993 में मुम्बई और कोलकत्ता में हुए बम विस्फोटों में 200 व्यक्ति अयाध्या के मस्जिद-मंन्दिर के दंगो में इस साम्प्रदायिक हिंसा के बाद केन्द्र सरकार ने इस्लामिक सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वंयसेवक, बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद, जमाइते इस्लामिक हिन्द जैसे संगठनो की समस्त गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा, दिया था। इन सब बातों को साम्प्रदायिकता के प्रभाव क्षेत्र में उल्लेखित कर दिया है।

8.11 भारत में साम्प्रदायिकता हिंसा/दंगे फैलाने वाले उत्तरदायी कारक/घटक

सांप्रदायिक हिंसा की समस्या को समढझने के लिए दो उपागमों का उपयोग किया जा सकता है: (क) ढांचों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करना और (ख) उसके उद्भव की क्रिया के कारण मालूम करना। पहले प्रकरण में साम्प्रदायिक हिंसा को सामाजिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली या ढांचों के अध्ययन से समझा जा सकता है। जबकि दूसरे प्रकरण में नियाजित अनियोजित या चेतन अचेतन के तरीके महत्वपूर्ण होते है जो कि साम्प्रदायिकता को जीवित रखते है। भारत की स्वतन्त्रता एंव विभाजन साम्प्रदायिकता की नीव पर आधारित रहा था। भारत का इतिहास जन्म से ही साम्प्रदायिक दंगो से परिपोषित रहा है। साम्प्रदायिक हिंसा मुसलमानों पर परस्पर अत्याचार रहा है।

साम्प्रदायिक हिंसा की समस्या का विभिन्न विद्वानों ने अपने विभिन्न परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया है और उसके उदय होने के विभिन्न कारण (घटक/कारक) बताये गये है। मार्क्सवादी विचारधारा साम्प्रदायिकता का सम्बन्ध आर्थिक वंचन और बाजार की ताकतों पर एकाधिकार नियन्त्रण को प्राप्त करने के लिए धनवान और निर्धन (सम्पन्न और विपन्न) के बीच वर्ग संघर्ष को उतरदायी कारक बतलाती है। समाजशास्त्र इसे सामाजिक तनावों और सपेक्ष वंचनो से उत्पन्न हुई घटना को जिम्मेदार मानते है। भारत में साम्प्रदायिकतवाद में पनप रही हिंसा और दंगो के उदय होने वाले निम्न कारण गिनाए जा सकते है -

8.11.1. असामाजिक कारक: सम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने में समाज विरोधी, असामाजिक तत्वों एंव निहित स्वार्थ वालो का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। समाज में कुछ लोग ऐसे होते है। जो तनाव व संघर्ष की स्थिति पैदा करते है, जिससे उन्हें लूटपात करने एंव यौन दुष्कर्म करने का अवसर हासिल हो और वे अपने व्यक्तिगत झगडों को बदला ले सके। ऐसे लोग दीपावली, होली, मुहर्रम व ईद आदि को अवसरों पर रास्ते में चलते जुलुसों पर पत्थर फैकनें, रगड़नें या भाग लगा देने का कार्य करते है। साम्प्रदायिकता को और कुत्सिव करने के लिए वे लोग कभी हिन्दू मंन्दिरों के भागे गाय मारकर डाल देते है उसका मांस-हड्डियो मंदिरों में रख देते है तो कभी ये लोग मस्र्जिद के आगे सुंअर आदि मारकर डाल देते है ताकि असामाजिकता को अरऔर हवा दी जा सके। सामाजिक कारणों में सामाजिक परम्पराएं, जाति एंव वर्ग अहम् असमानता और धर्म पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण शामिल किए गये है।

8.11.2.धार्मिक कारक: में धार्मिक संकीर्णता, मदान्धता राजनीतिक लाभों के लिए धर्म का दुरपयोग करना और धार्मिक नेताओं की साम्प्रदायिक एंव फासिस्ट विचारधारा सम्मिलित है। राजनीति में धार्मिक भगवाकरण के अपनाने पर बल देना भी आता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में प्रत्येक धर्म,पंथ एंव सम्प्रदाय को विकसित करने और उसे पल्लतिव करने का हमारी संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 25 से 28 तक में धर्म निरपेक्षता की अवधारणा को सुस्पष्ट किया गया है। कोई भी धर्म 'राजधर्म' के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। राज्य के लिए सभी धर्म समान है। तथा राज्य धर्मो के मामलों में तटस्थ रहेगा। हिन्दू, मुसलमान,ईसाई, और बाहों के लिए अलग-अलग प्रकार के सामाजिक विधानों की व्यवस्था की गई है। उनके परिवार विवाह,अतराधिकार, गोद, संरक्षकता, भरण पोषण के नियमों में भेद पाया जाता है। य़द्यपि इस तरह के भेद का उद्देश्य सभी धर्मो,सम्प्रदायों को स्वतन्त्र विकास के बने रहने का अवसर प्रदान करना है। किन्तु सम्पूर्ण भारत के लिए समान विधान के अभाव में जनता में सामाजिक और सांस्कृतिक दूरी बनी रहती है। और वे परस्पर एक नहीं हो पाते है। धर्म निरपेक्षता का अनुचित लाभ उठाकर कई बार एक धार्मिक समूह ने दूसरे पर अपने आप पर थोपने की, जिसके कारण तनाव एंव संघर्ष साम्प्रदायिक हिंसा और दंगो के रूप में परिणित हो जाता है। जिसके लोगो को कई दुष्प्रभावों को भोगना पडता है।

8.11.3. आर्थिक कारक: में आर्थिक विषमताएं व्याप्त होने के कारण अमीर -गरीब लोगो का शोषण करते है। प्रभाव व पूर्ण आर्थिक सम्पन्नता और विपन्नता में किया जाता है। असन्तुलित आर्थिक विकास प्रतिस्पर्धा के बाजार में गलाकाट होड़ के कारण असमान आर्थिक नीतियों का असमानता पूर्वक नियोजन भी साम्प्रदायिक उत्पन्न होने के कारकों को बढावा देते है। श्रमिको के विस्थापन श्रमिक कल्याण नीति में भी भेदभाव तनाव व संघर्ष को जन्म देता है। गरीब व्यक्ति निर्धनता की विवशता में साम्प्रदायिक तत्वों को साथ देने लगतें है।

8.11.4. सांस्कृतिक कारक: संस्कृति हमेशा से ही विवाद एंव विभाजन का कारण रही है। हिन्दू एंव मुसलमानों में सदैव से ही सांस्कृतिक भिन्नता पाई गई है। जहॉ मुसलमान एक तरफ एकेश्ववादी एंव भाईचारे में बराबर है वही दूसरी और हिन्दू बहुदेववादी एंव मूर्तिपूजक है। हिन्दूओं में विवाह एक ही मान्य और वैध होता है जबकि मुसलमान एक साथ चार पत्नियां रखकर बहुविवाहवादी प्रथा को प्रचलित किए हुए है। हिन्दू चोटी रखने और मुस्लिम दाढी रखने के परस्परवादी बने रहते है। इस प्रकार दैनिक जीवन में छोटी-छोटी क्रियाओं से लेकर जीवन पथ के संस्कारों में अन्तर पाया जाता है। यह सांस्कृतिक भेदभाव तनाव और मनमुटाव उत्पन्न करते है। और दोनो में अलगांव की स्थिति बनी रहती है। यह अलगांव और विभेद कुण्टा को जन्म देता है।

8.11.5. ऐतिहासिक कारक: इतिहास में इस तरह के प्रमाण मौजूद है कि मुसलमान बाहर से आये और उन्होने भारत में अपने धर्म प्रचार के लिए तलवार और जोर जबरदस्ती का सहारा लिया।औरगजेब तथा कई मुस्लिम शशासकों ने लोगों को जबरदस्ती करकें मुसलमान धर्म को स्वीकार करके संपरिवर्तन कर लिया था। इसी कारण से हिन्दूओं के मन में उनके प्रति घृणा पैदा हो गई थी। हिन्दू और मुस्लिम लम्बे समय से संघर्षरत रहे है और परस्पर उनके पूर्वाग्रहों ने भय और आशंकाओं को जन्म दिया। विभाजन में दोनों और से होने वाले दंगों से हुई हानियों को कई लोग अभी तक नही भूला पाए है। कुछ राजनीतिक अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए साम्प्रदायिकता का सहारा लेते है। और समय-समय पर हिन्दू एंव मुसलमानों को लड़ातें है।

8.11.6.मनोवैज्ञानिक कारक: साम्प्रदायिकता का एक कारक मनोवैज्ञानिक भी है। हिन्दू-मुस्लिम दोनों में ही परस्पर घृणा,द्वेष, प्रतिकार, विरोध एंव पृथक्करण के मनोभाव स्वीकार कर सकते है। इस तरह की मनोवृति का कारण प्राचीन काल से चली आ रही भ्राातियां एंव पूर्वाग्रह है। हिन्दू-मुसलमानों की राष्ट्रीय वफादारी में शंका उत्पन्न करते है। यद्यापि हिन्दुस्तान एंव पाकिस्तान युद्धों जैसे 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई एंव कारगिल युद्ध आदि सभी मुसनमान सैनिकों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए है। पारस्परिक अंधविश्वास और धार्मिक कट्टर पंथ और धर्मान्धिता ने भी साम्प्रदायिकता को अनवरंत रूप से प्रोत्साहन दिया है। आपराधिक दुराशय एंव कृत्य के संयोग ने भी मनोवैज्ञानिक रूप से साम्प्रदायिकता पनपने के लिए मजबूर कर दिया।

8.11.7. कानूनी कारक: कानूनी कारकों के अन्तर्गत हम समान आचार सहिता, संविधान में कुछ समुदायों के लिए विशेष प्रावधान और रियासतें आरक्षण नीति और विभिन्न समुदायों के लिए विशेष कानून आदि भी शामिल हैं। साम्प्रदायिक झगड़ों का नासूर सारे भारत में व्याप्त है। कई शहर विगत कई वर्षों से साम्प्रदायिक बारूद के पीपे बने हुए है। अस्सी के दशक में करीब 4000 व्यक्ति साम्प्रदायिक दंगों में मारे गये। इसके लिए निर्धारणात्मक और आदेशात्मक कानून बनाने की जरूरत अनुभावित की गई है। साम्प्रदायिक हिंसा और दंगों में हथियार और विस्फोटकों विध्वंसक पदार्थो का प्रयोग करने पर नियंत्रण लगाने हेतु 1. आयुध आधिनियम 1959 2. भारतीय विस्फोटक अधिनियम 18854 3. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 4. आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 5. विष अधिनियम 1919 6. लोक सम्पति को नुकसानी का निवारण 1984 7. विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1967 8.राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम,1980 9. पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम, 1922 10.राजद्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम,1911 11.भारतीय दंड़ संहिता 1860की धारा,153. राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्रख्यान, धारा153 क धर्म, मूलवंश,जन्मस्थान, निवासस्थान भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच श्शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने तथा पूजा स्थान आदि में किए गये अपराधों के निवारण के बारे में व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 106 से 124 में परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति लेने की कार्यवाही सुनिश्चित की गई ह। दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अध्याय-10 में धारा 129 से 148 तक में लोक व्यवस्था और प्रशान्ति बनाए रखने अध्याय 11 की धारा 455 से 459 तक में सम्पति व्ययन की कार्यवाही के बारे में बताया गया है। इसलिए कानूनी कारक भी साम्प्रदायिकता फैलाने का निवारण करनें में असफल हो गये है।

8.11.8. स्थानीय कारक: साम्प्रदायिक दंगे और हिंसा फैलाने के लिए उक्त कारकों के अलावा भी अन्य कई स्थानीय कारक जिम्मेदार है। इनमें 1.धार्मिक जुलुस 2.नारेबाजी 3. अपवाहें फैलाना 4. जमीन के झगडे 5. स्थानीय असामाजिक तत्वों 6.गुटों में प्रतिद्वंदिता 7.आपसी द्वेषभाव 8. राजनैतिक अस्थिरता 9. राजनीतिक एंव धार्मिक दलों के दुष्कृत्य 10.धार्मिक गुटों का दबाव 11. धर्म और भाषा के आधार पर पृथक राज्य बनाने की मांगे 12.साम्प्रदायिक हित 13. व्यक्तिगत निहित स्वार्थ 14. राजनीतिक सत्ता संघर्ष 15. धार्मिक कट्टवादिता एंव धर्मान्धता 16. निर्धनता 17. अज्ञानता 18. राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वता 19. जातिगत उन्माद 20. पृथकतावादी दृष्टिकोण 21. धार्मिक स्वतंत्रता का हनन 22.धर्म निरपेक्षत में धार्मिक भेदभाव 23. आरक्षण और विशेषाधिकार 24. धार्मिक शिक्षा का दोषपूर्ण होना तथा25. राष्ट्र को कम धर्म को आधिक महत्व देने वाली प्रकृतियां पूर्णतया जिम्मेदार है।

8.11.9. अन्तर्राष्ट्रीय कारक: में दूसरे देशो द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण, प्रश्रय एंव शारण देना तथा वितीय सहायता देना आदिकारण साम्प्रदायिकता फैलाने के लिए उत्तर दायी है। धार्मिक कट्टरवादिता और उन्माद का कार्य आंतकी संगठनों और कुछ राजनैतिक दलों और संगठनों के सहयोग से प्रखरता से दुष्प्रचारित किया जा रहा है।

8.11.10. राजनीतिक कारण: साम्प्रदायिक हिंसा और दंगे बढाने में राजनीति में धर्म का भगरा करण भी जिम्मेदार है। इसमें राजनैतिक अस्थिरता राजनीतिक और धार्मिक दलों व संगठनों के दुष्कृत्य, धर्मव भाषा पर पृथक राज्य की रजनैतिक मांग, राजनैतिक सत्ता संघर्ष, राजनीतिक प्रतिद्वन्दता तथा राजनैतिक गुटबाजी व गठबंधन आदि सम्मिलित है।

8.12 साम्प्रदायिक हिंसा एंव दंगों से निपटने के कारगर उपाय

हमारा देश एशिया का बहुत सफल लोकतांत्रिक शासन व्यवसथा वाला राष्ट्र है। यहॉं के नागरिकों में पारस्परिक एकता परम आवश्यक है। देश में समय-समय पर उत्पन्न होने वाली हिंसा में साम्प्रदायिक दंगों को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कौमी एकता के लिए प्रयास किये जाए। यदि यहॉं रहने वाले लोगजातीय और धार्मिक झगड़ो में उलझे रह तो देश कमजोर पड़ जायेगा। विदेशी शक्तियों को बाधा डालने का अधिक अवसर मिलेगा। इस समय आंतक फैलाने और हिंसा करने वाले लोग पड़ोसी देशों से समर्थन पा रहे है। सिर फिरे कतिपय आंतक कारी और साम्प्रदायिक दंगाकारी निरन्तर निरपराध लोगो की धार्मिक उन्माद के नाम पर हत्याएं कर रहे है। यह कार्य अमानवीय व जघन्य कृत्य कहलाता है। इसे दूर करने के लिए कौमी एकता कार्यक्रमों में समन्वय बनाए रखने की सख्त जरूरत है। इस के लिए सरकारी स्तर पर भी प्रयत्न किये जाने चाहिए। आपराधिक दुराशय एंव कृत्य के सयोग ने भी मनोवैज्ञानिक रूप से साम्प्रदायिकता पनपने के लिए मजबूर का दिया।

8.13 राष्ट्रीय एकता आन्दोलन और साम्प्रदायिक संघर्षों पर नियंत्रण

राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना जून 1962 में राष्ट्रीय एकता और अखण्डता लाने के लिए की गई थी। इसमें 1.क्षेत्रवाद और 2. साम्प्रदायिकता के निवारण के लिए दो समीतियॉं गठित की गई थी। भारत के विरूद्ध चीन आक्रमण नें राष्ट्रीय एकता के कार्य को सीमित कर दिया था। भारत में साम्प्रदायिक हिंसा ने बलवत रूप पुन: धारण करने के कारण फिर से सन् 1968 में राष्ट्रीय एकता परिषद् की पुनर्रचना की गई।इस बार 1. साम्प्रदायिकतावाद 2. क्षेत्रवाद और 3. शिक्षण सम्बन्धी समस्यों के लिए से तीन समितियां बनाई गयी थी। सन् 1970 तक ये समितियां निरूपयोगी हो गई। सन् 1973 में कर्णधार समिति को पुनरूजीवित करने का प्रयास किया गया था। परन्तु यह असफल रहा। इस परिषद् ने सन् 1980 तथा 1984 में कार्य किया पर अधिक सफलता नहीं मिली। सन् 1986 में पंजाब समस्या पर नियंत्रण के लिए पांच व्यक्तियों की उप- समिति बनाकर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षार्थ

एंव साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने की कोशिश की गई। सन् 1990के फरवरी माह में पंजाब कश्मीर और अयोध्या मसलों पर राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में नये उपाय अपनाने पर वार्ता शुरू की गई परन्तु भारतीय जनता पार्टी के बहिष्कार करने के कारण सफलता नहीं मिल सकी थी। नवम्बर 1991 में अयोध्या मसले पर चर्चा करने के लिए एकता परिषद् की बैठक बुलाई गयी। इसकी दूसरी बैठक दिसम्बर 1991 में कश्मीर व पंजाब मसले पर की गई। 18 जुलाई 1993 को आहत की गई। बैठक निष्फल रही कर सकी थी। देश में समय-समय पर होने वाले दंगों और हिंसा को देखते हुए कौमी एकता के प्रयास शुरू किए गये और देश के विभिन्न भागों में कौमी एकता जैसे कार्यक्रमों का चलाया गया था। देश में साम्प्रदायिकतावाद के साथ- साथ इसके दूसरे उपद्रव आंतरिक सुरक्षा, एकता एंव अखण्डता को धमकियां दे रहे है। भारत पिछले तीन दशक से भी आधिक समय से आतंकवाद नक्सलवाद आरक्षणवाद अलगाववाद पृथकतावाद चरम पंथ वाद उग्रवाद भष्टा्रचार क्षेत्रवाद भाषावाद, जातिवाद, नस्लवाद भिन्न संस्कृति वाद एवं धर्मवाद जैसी ज्वलंत आंतरिक सुरक्षा की समस्याओ सें जूझ रहा है। भारत मे पिछले एक दशक से नक्सली हिंसा में तीव्र वृद्वि हुई है यह देश कें 16 राज्यो के 180 जिलो मे फैल चुका है। मुम्बई में हुए 26।11 कें हमले के बाद के सरकार द्वारा देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत तथा चुस्त दुस्त बनाने के लिए कई ठोस कदम उपाय किए गये है संसद ने पहला कदम उठाते हुए राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम 2008 पारित किया था इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आतंवाद निरोधक केन्द्र सशस्त्रबल न्यायाधिकरण अधिनियम 2008 पारित किए गये थे तटीय सुरक्षा तंत्र के संचालन के लिए चार संयुक्त संचालन केन्द्र मुम्बई विशाखापट्नम कोच्यि तथा पोष्ब्लेयर मे खोले गये है इसके अतिरिक्त तटीय धार्मिक उन्माद को रोकने के लिए करवार रत्नागिरी वाडीनार गोयालपुर मिनिकाय एंडोथ कराइकल हटवे तथा निजाम पटनाम में नौ अतिरिक्त तटरक्षक बल स्टेशनो की स्थापना की गई है। 7 फरवरी 2010 को नई दिल्ली में आंतरिक सुरक्षा पर देश के मुख्य मंत्रियो का एक सम्मेलन भाइत किया जाकर इसमे राष्ट्रीय आतंकरोधी केन्द्र के गठन का प्रस्ताव किया था दिल्ली मुम्बई बंगलूर चेन्नई हेदराबाद अहमदाबाद और कोलकत्ता 7 मेगासिटी पुलिसिगं व्यवस्था के लिए 6 करोड रूपये की कार्ययोजना का खुलासा गृहमंत्री ने किया आतंरिक सुरक्षा सम्बन्धी अपराधो की सुनवाई करने हेतु त्वरित न्यायालय स्थापित किए गये है। हमे देश के सूचना एवं सुरभा तंत्र को मजबूत बनाना होगा। राष्ट्रीय आंतरिक एजेन्सी भी सुरभा की नवीन तकनाको और उपायो को अंजाम देगी महाराष्ट्र व गुजरात सरकारे संगठित अपराध नियंत्रण कानून क्रमश 1999व 2003 मे पारित कर चुकी है। साम्प्रदायिक झगडो का नासूर समस्त भारत मे व्याप्त है। कई शहर विगत कई वर्षो से साम्प्रदायिक बारूद के पीपे बने हुए है। साम्प्रदायिक राजनीति अपनी चरम सीमा पर है पुलिस कानून और शांति की व्यवस्था बनाये रखने की भुमिका को राजनीतिज्ञो प्रशासनिक अधिकारियो न्यायपालिका विधानपालिका और कुल मिला का जनता के सक्रिय सहयोग के बिना अदा नही कर सकती है। हमारे देश मे प्रशासनिक अधिकारी कर्मकाण्डी होते है राजनेता निहित स्वार्थो के वशीभूत

होकर कार्य करते है। न्यायपालिका के दण्डनायक एंव न्यायाधीश परम्परावादी होते है और जनता को पुलिस पर विश्वास नही होने की समस्या व्याप्त है। साम्प्रदायिकवाद की अनेक चुनौतियॉ से हमे निम्नानुसार सामना करना पड रहा है। 1 राजनीति मे धर्मन्धिता का उन्माद बढ रहा है। 2 देश की सुरक्षा एकता व अखण्डता को खतरा मेडरा रहा है। 3 पलायनवाद प्रतिशोधवाद अलगाववाद और पार्थक्यवाद की चुनौतियॉ मुहखोले खडी है। 4 गुच्छ समूहो के दबाव के कारण सरकार विवशता मे प्रशासन चला रही है। 5 देश मे साम्प्रदायिकता का हलाहल जहर सर्वत्र फैल रहा है। 6 साम्प्रदायिक दंगे फसाद देश को घुन की तरह खा का कमजोर कर रहे है।

8.14 सारांश

साम्प्रदायिकता निश्चित रूप से समाज के लिए व सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं विकास के लिए अभाशाप है साम्प्रदायिकता से छुटकारा पाने हेतु यह नितान्त आवश्यक है कि व्यक्ति के जीवन को इस तरह से संस्कारित किया जाये कि उसमे प्रखर राष्ट्रीयता जाग्रत हो सके राष्ट्रभक्ति के भाव संजो सके और अपने संकीर्ण स्वार्थो से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता अखण्डता और सुरक्षा को अक्षुण बनाये रखे यह सब कुछ उसी समय संभव है जब व्यक्तियो का सामाजीकरण प्रारभ से ही इस तरह का हो कि वे अपने आप को भारत देश योग्य नागरिक बन सके। बीसवीं सदी के प्रारम्भ में अग्रेजों ने पहली बार तटस्थता का त्याग कर फूट डालो- और शासन करों की कुटीर नीति को अपनाया था। इसके फलास्वरूप भारतीय समाज में साम्प्रदायिकतावाद के विनाशकारी तत्वों का बीजारोपण हुआ। सन् 1931 की प्रस्तावना के अनुरूप भारत को धर्मनिपेक्ष देश घोषित किया गया तथा हमारे संविधान के 42 वें सशोधन को सन् 1976 में लाया जाकर पंथ निरपेक्ष शब्द को रखा गया था। हमारे संविधान की प्रस्तावना के अनुच्छेद 15,16,25 में 28,29(2),30(1), तथा 325 के अन्तर्गत धर्म निरपेक्षता की भावना को संजोया गया है। ऐसी अपेक्षा की जाती थी कि भारत की राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप बंद हो जायेगा। इस अपेक्षा को गहरा आघात लगा, क्योकि स्वतंत्रता के पश्चात् राजनीति में जातिवाद, साम्प्रदायिकवाद, धार्मिकता को समावेशित किया गया था। राजनैतिक लाभ के लिए धर्म और जाति का इस्तेमाल होने लगा। साम्प्रदायिकता का राजनीति पर जैसा दबाव है उसको देखते हुए सही अर्थो में एक धर्मनिपेक्ष राज्य का निर्माण दुष्कर प्रतीत हो रहा है। पंडित नेहरू कहते थे कि धर्म निरपेक्षता की सफलता बहुसंख्यकों की सोच पर नहीं, अपितु अल्पसंख्यकों की अनुभूति पर निर्भर करता है। इस इकाई के अन्तर्गत साम्प्रदायिकतावाद की अवधारणा,अर्थ, परिभाषा, विशेषता, क्षेत्र, तथा इसी ऐतिहासिक उदय की चर्चा की गई है। इसके बाद साम्प्रदायिकता के विविध स्वरूपों, प्रकारों, आयामों चरणों, सिद्धान्तों तथा इसके उत्तरदायी कारणों की स्पष्ट विवेचना की गई है।

अंत में, भारत में साम्प्रदायिक दंगों और हिंसा इसके निवारण के लिए विभिन्न कारगर उपायों, राष्ट्रीय एकता-आन्दोलन और इसके साम्प्रदायिक संघर्षों के नियंत्रण और विभिन्न आने वाली बाधाओं, समस्याओं और चुनौतियों के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। कोई भी मजहब किसी को वैमन्स्य नहीं सिखता है। धर्म के आधार पर विभाजित करने का कार्य सिर्फ निजी स्वार्थो की पूर्ति करने वाले असामाजिक एंव निकृष्ट कोटि के लोग ही करते है। हमें स्वंय को इतना सुदृढ़ एवं विवकेशील बनाना होगा कि उचित- अनुचित, नैतिक - अनैतिक, तार्किक- अतार्किक, सही और गलत इत्यादि के बीच भेद की पहचान सुनिश्चित की जा सके। जिससे हम राष्ट्रीय सुरक्षा,एकता एंव मानवीयता की गरिमा को बरकरार रख सकेगे।

8.15 अभ्यासार्थ- प्रश्न

1 साम्प्रदायिकता की अवधारणा से आप क्या समझते है? भारत में साम्प्रदायिकता के अर्थ, परिभाषा, लक्षण और प्रभाव क्षेत्र को बताइये।

2 साम्प्रदायिकतावाद के विविध स्वरूपों के बारे में प्रकाश डालिए।

3 साम्प्रदायिकतावादी विचारधारा के विभिन्न प्रकारों या विधाओं की स्पष्ट विवेचना कीजिए।

4 साम्प्रदायिक हिंसा और दंगों के प्रति अवजनित विभिन्न सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।

5 भारत में साम्प्रदायिकतावाद को एक सामाजिक अभिशाप क्यों कहा जाता है? घटिते हुए साम्प्रदायिक हिंसा और दंगों के वृतांन्त को बताइये।

6 साम्प्रदायिकता को फैलाने वाले प्रमुख उत्तरदायी कारकों (घटकों) के बारे में स्पष्ट विवेचना कीजिए।

7 भारतीय आंतरिक सुरक्षा के बारे में आप क्या जानते है? साम्प्रदायिकता के अलावा कौन-कौन से उपद्रव आंतरिक सुरक्षा को भयावंशित कर रहे है। स्पष्ट कीजिए।

8 भारत में साम्प्रदायिकतावाद की विभिन्न समस्याओं एंव चुनौतियों के बारे में स्पष्ट विवेचना कीजिए।

9 भारत में साम्प्रदायिकता मिटाने के लिए कौमी- एकता कार्यक्रमों की महत्ता एंव आवश्यकता पर एक निबन्ध लिखिए।

10 निम्नलिखित के बारे में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए।

(अ) धर्मनिरपेक्ष या पंथ-निरपेक्ष

(ब) साम्प्रदायिक दंगों में हिंसा के लक्षण

(स) साम्प्रदायिकता के कानूनी कारक

(द) कुण्ठा- आक्रमण- सिद्धान्त

11 साम्प्रदायिकतावाद के अलावा अन्य अशांतियां हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को धमकी दे रहे है। इस कथन की स्पष्ट विवेचना कीजिए।

8.16 प्रयुक्त कठिन शब्दावली

1- **साम्प्रदायिकता** से अभिप्रेत एक समुदाय के सदस्य का दूसरे समुदाय के सदस्यों और धर्म के विरूद्ध प्रतिरोध से है।

2- **अवधारणा** से तात्पर्य किसी विचारधारा के संप्रत्यय से है।

3- **साम्प्रदायिक व्यक्ति** वे है जो राजनीति को धर्मनुसार चलाते है।

4- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि** से साम्प्रदायिकता के उत्पति एंव विकास से है।

5- वैमनस्यता से तात्पर्य दुश्मनी से है।

6- **साम्प्रदायिक हिंसा** एक धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय या वर्ग के बीच में नफरत के कारण उत्पन्न दंगों से है।

7- **आत्मसाती करणवादी** साम्प्रदायिकता वह है जिसमें घाटे धार्मिक समूहों का बड़े धार्मिक समूह में एकीकरण से है।

8- **पलायनवादी साम्प्रदायिकता** वह है जिसमें एक छोटा धार्मिक समुदाय अपने को राजनीति से अलग रखने से है।

9- **धार्मिक- समुदाय** से आशय एक धर्म में कई समाजों कें वर्ग से है।

10. **उत्पीड़ित** से अभिप्रत पीड़ित या शिकार व्यथित व्यक्ति से है।

11. **कारक** से तात्पर्य कारणों या घटकों से है।

12. **सामूहिक कुण्ठा** को नियमित कुण्ठा भी कहतें है।

13. **कुसमायोजन** से तात्पर्य गलत प्रकार के समायोजन से है।

14. **विरक्ति** से अभिप्रेत अलगांव से है।

15. **सापेक्षिक वंचना** से तात्पर्य अनिरपेक्ष छोड़ देने से है।

16. **तनाव- प्रबन्ध** से अभिप्रेत है। चिंताग्रस्तता के इतजाम करने से है।

17. **प्रतीकात्मक कार्य** से तात्पर्य संकेतीय कृत्य से है।

8.17 संदर्भ ग्रंथ

1- प्रो0 राम आहुजा, सामाजिक समस्याऐं- रावत पब्लिकेशन्स सेक्टर-3 जवाहर नगर जयपुर राज0 द्वितीय संस्करण, 2006

2- एन. एन. ओझा संपादक, भारत की सामाजिक समस्याएं. क्रांनिकल बुक्स बी-7 एक्स-114 ए. सफरदरजंग एक्लेप. दिल्ली 110029 (भारत), प्रथम संस्करण, 2005

3- रावत, चतुर्वेदी एंव जैन, भारतीय लोकतंत्र: समसामयिक, वास्तविकताएं एंव चुनौतियॉं- अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स 807 व्यास बिल्ड़ग चौड़ा रास्ता, जयपुर 302003 (राज0), प्रथम संस्करण, 2013

4- संजय चराटे , विविध अपराध अधिनियम: वाघवा एण्ड कम्पनी इन्दौर (मध्यप्रदेश), द्विभाषी- संस्करण 2005

5- डॉ. एस.एस.श्रीनिवास्तव, भारतीय दंड संहिता यूनिवर्सिटी बुक हाऊस (प्रा.) लि. 79 चौडा रास्ता जयपुर- 302003(राज0), प्रथम संस्करण, 2003

6- आर.सी.खेड़ा, दण्ड प्रक्रिया संहिता, ऐलाइड बुक कम्पनी (पब्लिकेशन्स) एफ-4 गोखले बाजार दिल्ली 110054(भारत) प्रथम संस्करण, 2006

7- प्रो0 विपनचन्द्र, आधुनिक भारत में साम्प्रदायिकतावाद विकास प्रकाशन नई दिल्ली (भारत), प्र.सं. 1984

8- मुश्री खल हसन, राष्ट्रीयवाद और भारत में साम्प्रदायिकता की राजनीति मनोहर पब्लिशर्स, नई दिल्ली (भारत), प्रथम संस्करण, 1991

9- वी.वी.सिंह, साम्प्रदायिक दंगे: रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर (राज0), प्रथम संस्करण, 1993

10- तेज सिंह, साम्प्रदायिक राजनीति व भारत विभाजन: विश्वीभारती पब्लिकेशन्स नई दिल्ली (भारत) पृ.14, प्रथम संस्करण, 2005

11- प्रतिमा चतुर्वेदी, भारत की सामाजिक समस्याएं:, वाइ किग बुक्स जयपुर राज0 पृ.94-101 प्रथम संस्करण, 2011

12- एम.एम लवानिया, भारत की सामाजिक समस्याए, रिसर्च पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2004

13- डी.डी.बसु, भारत का संविधान: वाघवा एण्ड कम्पनी ऑफ इंडिया नई दिल्ली, 5 वां संस्करण, 2002

14- अरूण चतुर्वेदी एंव संजय लोढा, समकालीन राजनीति के प्रमुख आयाम. पंचशील प्रकाशन जयपुर राज0, प्रथम संस्करण, 2008

इकाई - 9

विभिन्न पुलिस संगठन और सरकारी संगठनों की सुरक्षा में भूमिका

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 प्रमुख आन्तरिक समस्याएँ

9.3 केन्द्र सरकार के अंतर्गत पुलिस संगठन

9.3.1 केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल

9.3.2 असैनिक पुलिस संगठन

9.4 राज्य सरकार के अन्तर्गत पुलिस संगठन

9.5 सारांश

9.6 अभ्यास प्रश्न

9.7 संदर्भ ग्रंथ

9.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययनके बाद आप जान सकेंगे -

- सुरक्षा का अर्थ और इसको प्रभावित करने वाले कारक।
- प्रमुख आन्तरिक समस्याएँ और उनका राष्ट्र पर प्रभावा
- केन्द्रीय पुलिस संगठनों की जानकारी एवं उनकी सुरक्षा में भूमिका ।
- राज्य के विभिन्न पुलिस संगठनों की जानकारी एवं उनकी सुरक्षा में भूमिका ।

9.1 प्रस्तावना

सिक्योरिटी शब्द अंग्रेजी भाषा के 'सिक्योर' से बना है तथा इस सिक्योर की रचना लैटिन के दो शब्दों'साइन एवं क्यूरा' से की गई है। 'साइन' का अर्थ विदाऊट' (बैगर) तथा क्यूरा का अर्थ केयर (परवाह) से है। इन दोनों को मिलाकर सुरक्षा से अर्थ निकाला गया। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय सम्पत्ति को तीन भागों में बांटा गया है - सूचना, सम्पत्ति, व्यक्ति।

''राष्ट्रीय सुरक्षा से आशय बाह्य आक्रमणों से प्रावेशिक अखण्डता एवं राजनीतिक प्रभुसत्ता की सुरक्षा की व्यवस्था करने के अतिरिक्त राष्ट्रीय और आंतरिक मान्यताओं की रक्षा करने

से है। इस प्रकार की सुरक्षा एवं रक्षा केवल राजनीतिक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक आर्थिक तथा सैनिक तंत्रों के द्वारा सम्भव हैं।

9.2 प्रमुख आन्तरिक समस्याएँ

आज के समय में किसी भी देश के सुरक्षा ढांचे को अनेक समस्याएं प्रभावित करती है। जिनको हम प्रमुख रूप से दो प्रकार की सुरक्षा समस्याओं में विभाजित कर सकते है। एक बाह्य समस्याऐं व दूसरी आंतरिक समस्याएं। आंतरिक सुरक्षा से आशय हिंसात्मक अराजकता तथा विघटनकारी ताकतों से देश के अस्तित्व, स्थिरता तथा स्थायित्व की रक्षा करने से है। आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में सामाजिक एकता, आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक जागरूकता तथा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक का अपना विशेष महत्व है। आंतरिक सुरक्षा हेतु देश में सैनिक शक्ति तथा अन्य प्रकार के साधन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए।

प्रादेशिकता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता, भाषावाद, आर्थिक विषमता, उग्रवाद, आंतकवाद एवं नक्सलवाद इत्यादि जैसी अनेक ज्वलन्त समस्याएं विद्यमान हैं। आज भारत के पड़ोसी राष्ट्र भी हमारे आन्तरिक मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय भागीदारी ले रहे है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये विभिन्न पुलिस संगठन केन्द्र और राज्य स्तर पर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे है।

इस पाठ में हम सभी प्रकार की सरकारी संगठनों के बारे में पढ़गे जो राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण है।

9.3 केन्द्र सरकार के अंतर्गत पुलिस संगठन

9.3.1 केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल

असम राइफल्स

असम राइफल्स की नींव 1835 में ब्रिटिश शासन के दौरान रखी गयी थी, तब इसे काचर लेवी नाम दिया गया था; तब से लेकर असम राइफल्स को कई अलग-अलग नाम दिए गए; आखिरकार 1917 में इसे असम राइफल्स नाम मिला। असम राइफल्स और इसकी सहायक इकाइयों ने पूर्व में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ अदा की हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप और मध्य-पूर्वी एशिया में अपनी सेवाएँ दी तो द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा में ब्रिटिश हुकूमत की ओर से युद्ध लड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद असम राइफल्स की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई।वर्तमान में देश के गृह मंत्रालय के अधीन असम राइफल्स की 46 बटालियनें हैं, जो सेना के नियंत्रण में आन्तरिक सुरक्षा, आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक अधिकारों की रक्षा, दूरस्थ इलाकों में चिकित्सा सुविधाऐं और शिक्षा मुहैया करवाने और सीमा सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण कामों को अंजाम दे रही है, युद्ध काल में जरूरत पड़ने पर असम राइफल्स की सहायता भी ली जा सकती है।

सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.)

सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसम्बर, 1965 को हुई। शांतिकाल में सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा और सीमा-पार से होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल की है, यह एक केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल है, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.)

15 जून, 1983 को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, आर्थिक उदारीकरण और वैश्विकरण को देखते हुए देश के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इनकी सुरक्षा भी जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया गया। हालांकि सी.आई.एस.एफ. सार्वजनिक उपक्रमों पर केन्द्रित संगठन नहीं है, यह देश की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है, जो विभिन्न आधारभूत संगठनों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। वर्तमान में न्यूक्लियर प्लांट्स, रॉकेट प्रक्षेपण केन्द्रों, एयरपोट्र्स, बंदरगाहों, महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों और ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी (सी.आई.एस.एफ.) निभा रहा है। हाल ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की सुरक्षा, वी.आई.पी. सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और यू.एन. की ओर से हैती में पुलिस यूनिट की स्थापना जैसे अहम कार्य (सी.आई.एस.एफ.) को सौंपे गए हैं।

सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सी.आर.पी.एफ.)

मुख्य रूप से सी.आर.पी.एफ. का काम राज्य/केन्द्र शासित प्रदेषों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता करना है। 27 जुलाई, 1939 को क्राउन रिप्रजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में सी.आर.पी.एफअस्तित्व में आई। देश के स्वतंत्र होने के बाद 28 दिसम्बर, 1949 को सी.आर.पी.एफ. एक्ट के अंतर्गत सी.आरपी.ए फ. का गठन किया गया।

रैपिड ऐक्सन फोर्स

क्षेत्रीय हिंसा से निपटने के मकसद से सी.आर.पी.एफ. की एक टुकड़ी को खास तौर से प्रशिक्षित किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स देश की दंगा-निरोधक पुलिस है।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.)

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का गठन 24 अक्टबू र, 1962 को हुआ। यह एक भारतीय अर्द्ध सैनिकबल है, जिसकी स्थापना चीन के कब्जे वाले तिब्बत से सटी 2,115 किमी लम्बी भारतीय सीमा की सरु क्षा के लिए की गई।

राष्ट्रीय सुरक्षा दस्ता (एन.एस.जी.)

एन.एस.जी. भारतीय सेना के श्रेष्ठ कमांडोज का संगठन है। इन कमांडोज का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए किया जाता है। एन.एस.जी. का गठन 1986 में संसद द्वारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत किया गया। एन.एस.जी. गृह मंत्रालय के अधीन है और इसका ने नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी. एस.) का डायरेक्टर जनरल करता है।

जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और भारतीय सशस्त्र बलों में से होती है। एन.एस.जी. कमांडोज को ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। वी.आई.पी. सिक्योरिटी, बंधकों को छुड़वाने, आतंकवादी चुनौतियों से निपटने और विमान अपहरण की घटनाओं को रोकने में भी एन.एस.जी. की मदद ली जाती है। अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एन.एस.जी. के स्पेशल रेंजर्स ग्रुप नियुक्त किए जाते हैं।

3.2.2 असैनिक पुलिस संगठन

पुलिस अनुसंधान और विकास संगठन (बी.पी.आर. एण्ड डी.)

पुलिस का आधुनिकीकरण करने के मकसद से भारत सरकार ने 28 अगस्त, 1970 को इसका गठन किया। यह एक नीति निर्माता संगठन है। वर्तमान में इसके 4 डिवीजन हैं-रिसर्च, डवलपमेंट, ट्रेनिंग और करेक्षनल एडमिनिस्ट्रेशन। बी.पी.आर. एण्ड डी. के द्वारा दो फैलोशिप का संचालन किया जाता है, इनमें से एक का प्रषासन रिसर्च डिवीजन, जबकि दूसरी का प्रशासनिक दायित्व फोरेंसिक साइंस डिवीजन को सौंपा गया है।

समाज विज्ञान के छात्रों में पुलिस समस्याओं से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देने के मकसद से रिसर्च डिवीजन पोस्ट-ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पी.एच.डी. वर्क के लिए छः छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस में पी.एच.डी. वर्क के लिए हर साल 12 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। इन छात्रवृत्तियों का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार होता है। बी.पी.आर. एण्ड डी. के कार्यों की समीक्षा और मार्गदर्षन करने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में 'पुलिस रिसर्च एण्ड डवलपमेंट एडवाइजरी काउंसिल' का गठन किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक डिवीजन का मूल्यांकन करने के लिए स्टैंडिंग कमेटियाँ बनाई गई हैं।

केन्द्रीय अनुसंधान एजेंसी (सी.बी.आई.)

आज जिसे हम सी.बी.आई. के नाम से जानते हैं, मूलत: उसका गठन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध एवं आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों में घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करने के लिए'स्पेशल पुलिस एस्टेबिलशमेंट' के रूप में किया गया था। युद्ध समाप्ति के बाद भी सरकारी कर्मचारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने के लिए इस एजेंसी की जरूरत महसूस हुई, 1946 में 'दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेबिलशमेंट' एक्ट पारित कर इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद इस एजेंसी को भारत सरकार के समस्त विभागों में भ्रष्टाचार की जाँच का अधिकार मिल गया। धीरे-धीरे एस.पी.ई. की भूमिका का और विस्तार होता चला गया। 1963 तक इसे भारतीय दंड संहिता की 97 धाराओं, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और 16 दूसरे केन्द्रीय अधिनियमों में पारिभाषित गैर-कानूनी कार्यों की जाँच के लिए अधिकृत कर दिया गया। 1963 में भारत सरकार ने सी.बी.आई. की स्थापना की। 1 अप्रेल, 1963 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 4/31/61-टी के तहत सी.बी.आई. को संवैधानिक दर्जा मिला। सी.बी.आई. ने 'दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेबिलशमेंट' के कार्यों के अलावा केन्द्रीय वित्तीय अनियमितता,

केन्द्र सरकार के विभागों में घोटालों, जाली पासपोर्ट और समुद्री जहाजों और विमानों में होने वाले अपराधों, संगठित क्षेत्र के अपराधियों से जुड़े मामलों में भी छानबीन करती है। इसके साथ ही इसे आपराधिक रिकॉर्ड रखने और अपराधों से जुड़ी विशेष जानकारियाँ इकट्ठी करनी होती है। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन (इंटरपोल) के लिए सी.बी.आई. नेशनल क्राइम ब्यूरो के रूप में कार्य कर रहा है। वर्तमान में सी.बी.आई. की निम्नलिखित विभाग कार्यरत हैं-

- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
- आर्थिक अपराध शाखा
- विशिष्ट अपराधा शाखा
- कानून विभाग
- समन्वय विभाग
- प्रशासनिक शाखा
- नीति और संगठन विभाग
- तकनीकी विभाग
- केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला

सी.बी.आई. को अनुसंधान करने की कानूनी रूप से इजाजत 'दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेबिलशमेंट एक्ट', 1946 (डी.पी.एस.ई.) के तहत मिली। इस एक्ट के मुताबिक सी.बी.आई. डी.पी.एस.ई. एक्ट की धारा 3 में उल्लेखित आपराधिक मामलों में ही जाँच करने का अधिकार रखती है। सी.बी.आई. के सदस्यों को भी दूसरे पुलिस विभागों के समान अधिकार, दायित्व और वरीयता मिलती है। केन्द्र सरकार चाहे तो सी.बी.आई. के अधिकार क्षेत्र और शक्तियो का विस्तार कर सकती है। हालांकि देश के ज्यादातर सरकारी सगंठनो की तरह सी.बीकआई. भी अंगेज्रों के जमाने के दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेबिलशमेंट एक्ट, 1946 के आधार पर कार्य करती है, दिसम्बर, 1997 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से हवाला मामले में सुनाया गया फैसला सी.बी.आई. के इतिहास में एक अहम पडाव माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सी.बी.आई. को किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से दूर रहकर काम करना चाहिए। सी.बी.आई. एक स्वतंत्र और निश्पक्ष जाँच एजेंसी के रूप में कार्य कर सके इसके लिए केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (सी.वी.सी.) का पद सृजित किया जाए जो सी.बी.आई. के प्रमुख के रूप में कार्य करेगा और इसे संवैधानिक मान्यता मिले। हालांकि आज तक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लागू नहीं हो पाया, क्योंकि संसद में सी.वी.सी. बिल पास नहीं हो पाया।

अभियोजन और पुलिस बेतार निदेशक (डी.सी.पी.डब्ल्यू.)

1946 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को देश में स्वतंत्र और विश्वसनीय सूचनातंत्र की आवश्यकता महसूस हुई और गृह मंत्रालय ने वायरलेस निरीक्षक की स्थापना की। इस विभाग की संगठनात्मक संरचना काफी व्यापक और विस्तृत है। यह विभाग पूरे देश में पुलिस सूचना तंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। डीसी. पी.डब्ल्यू. देश का प्रमुख पुलिस सूचना तंत्र है, जो राज्यों और केन्द्र पुलिस संगठनों के बीच कानून व्यवस्था और दूसरे विषयों से संबंधितअहम सूचनाओं का आदान-प्रदान करता है।

गुप्तचर विभाग (आई.बी.)

आई.बी. दुनिया की सबसे पुरानी और विश्वसनीय गुप्तचर एजेंसियों में से एक है; 23 दिसम्बर, 1887 में लंदन में भारत के गवर्नर जनरल ने एक आदेश पारित कर सेंट्रल स्पेशल ब्रांच का गठन किया; 1902-03 में इंडियन पुलिस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर सेंट्रल स्पेशल ब्रांच का नाम बदलकर सेंट्रल क्रिमिनल इटंलीजेंस डिपाटर्म टें रख दिया गया; धीरे धीरे इस विभाग में आपराधिक सुरक्षा आरै अनसुधांन संबंधितधत कार्यो का दबाव बढने लगा। इसे देखते हुए 1918 मे इसके नाम से क्रिमिनल शब्द हटा दिया गया। 1920 मे इसका वर्तमान नाम आई.बी. अस्तित्व मे आया। आई.बी. की भूमिका बहुत विस्तृत आरै व्यापक है। इसे बहतुसारी समस्याओं और चुनौतियों से निपटना होता है जैसे-आतंकवाद और आन्तरिक सुरक्षा के अलावा विदेशी ताकतों के द्वारा देश में अषांति फैलाने के मंसूबों को नाकाम कर लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखना भी आईबी.की जिम्मेदारी है। इसका प्रमुख कार्य आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखना और उनकी योजनाओं से संबंधित जानकारियाँ जुटा कर संबंधित विभागों को प्रदान करना है, ताकि समय रहते आतंकवादियों से निपटने की रणनीति बनाई जा सके।

राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.)

एन.सी.आर.बी. के कार्य:

- राज्यों में होने वाले अपराध, अंतर्राष्ट्रीय अपराध और अपराधियों से जुड़ी जानकारियाँ इकट्ठी करना।
- अपराध से जुड़े आंकड़ों को जुटाना और प्रकाशित करना।
- राज्यों में अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों का आधुनिकीकरण करना।
- पुलिस संगठनों के लिए कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था विकसित करना और इसके लिए जरूरी प्रशिक्षण देना।
- फिंगर प्रिंट रिकॉर्ड्स के स्टोर हाउस के रूप में कार्य करना।

9.4 राष्ट्रीय अपराध शस्त्र एवं विधिक प्रयोगशाला (एन.आई.सी.एफ.एस.)

भारत सरकार ने 1973 में राष्ट्रीय अपराध शस्त्र एवं विधिक प्रयोगशाला का गठन मूल रूप से बी.पीआर. एण्ड डी. के एक हिस्से के रूप में किया था। जिन चार इकाइयों को मिलाकर नेशनल क्राइम रिकॉर्डस ब्यूरो का गठन किया गया वो हैं-डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ पुलिस कम्प्यूटर्स, सी.बी.आई. का क्राइम रिकॉर्ड्स सेक्शन, सी.बी.आई. का सेंट्रल फिंगर प्रिंट ब्यूरो और बी.पी.आर. एण्ड डी. का सांख्यिकी विभाग।

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एन.पी.ए.)

राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नाम देश के पहले उप-प्रधानमंत्री सरदार बल्लभभाई पटेल (1947-1950) के नाम पर रखा गया है। सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र है। यहाँ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आई.पी.एस. अधिकारियो को सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय ट्रेनिंग पुलिस अकादमी में प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। इन्डोर और आउटडोर ट्रेनिंग के लिए 44 हफ्तों का शैड्यूल तय होता है। अकादमी में आई.पी.एस. अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण में एस.पी., डी.आई.जी. और आई.जी. रैंक के पुलिस अधिकारियों के लिए 'मैनेजमेंट डवलपमेंटप्रोग्राम' भी शामिल होता है। इसके अलावा अन्य सभी स्तर के पुलिस अधिकारियो के लिए 'प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स' पर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है।

राज्य सरकार के अंतर्गत पुलिस संगठन

वर्तमान मे भारत मे 28 राज्य आरै 7 केन्द्र शासित प्रदेश हां प्रत्येक राज्य आरै केन्द्र शासित प्रदेश में पुलिस इकाइयों का बहुत विस्तशत स्वरूप है। इसलिए विभिन्न राज्यों में कुछ विशिष्ट पुलिस इकाइयों और पुलिस को रोल मॉडल बनाया गया है। राज्यों में पुलिस संगठन को मोटे तौर पर निम्नलिखित इकाइयों में बांटा गया है -

राज्य खुफिया विभाग

राज्य खुफिया विभाग राज्य में खुफिया सूचनाओं को इकट्ठा करता है। राजनीतिक, सुरक्षा, सांप्रदायिक, मजदूर गतिविधियाँ, सुरक्षा मामलों और न्याय व्यवस्था से संबंधित अहम सूचनाओं का संग्रहण, विष्लेशण और आदान-प्रदान करता है।

आपराधिक अनुसंधानविभाग

देश के महानगरों में आपराधिक अनुसंधान विभाग (सी.आई.डी.) के मुख्यालय हैं। सी.आई.डी. का प्रमुख एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। सी.आई.डी. सरकार द्वारा सौंपे गए अहम मामलों की छानबीन करती है। इसके अलावा राज्यों में अपराध से संबंधितआंकड़े तैयार करने का काम भी सी.आईडी. करती है।

आतंकवाद निरोधक दस्ता (A.T.S.) (ए.टी.एस)

आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के मकसद से सरकार द्वारा आतंकवाद निरोधक दस्ते का गठन किया गया। राज्य में राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने और उनसे संबंधित जानकारियाँ जुटाने का काम करता है। आतंकवाद निरोधक दस्ता, यह आई.बी. और रॉ जैसी केन्द्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। ए.टी.एस. दूसरे राज्यों की खुफिया एजेंसियों से भी सम्पर्क में रहता है। आतंकवादी संगठनों, माफियाओं और दूसरे आपराधिक संगठनों को खोजना और उनका खात्मा करना इसका मकसद है, साथ ही यह नशीलें पदार्थों की तस्करी और जाली नोटों के कारोबार पर भी नजर रखता है।

राजमार्ग पुलिस

राष्ट्रीय राजमार्ग पुलिस को पहले राज्य यातायात शाखा कहा जाता था। इस इकाई में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नेतृत्व में ट्रेफिक इंजीनियरिंग यूनिट काम करती है, इसका मुख्य काम सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाना और भविश्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव देना है।

स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स

स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स या एस.आर.पी.एफ. राज्य का विशेष सशस्त्र पुलिस बल है, इसके दायित्व हैं-

- शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना
- आपदा प्रबंधन
- आतंकवादी विरोधी अभियान
- प्रमुख संस्थाओं की सुरक्षा
- प्रशिक्षण संस्थानों का विकास

प्रशिक्षण निदेशक

पुलिस प्रशिक्षण में औपचारिक प्रशिक्षण के तहत सेवा शुरू करने से पहले का प्रशिक्षण, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग और सेवा काल के दौरान काम आने वाला प्रशिक्षण दिया जाता है। जबकि अनौपचारिक प्रशिक्षण के अंतर्गत साहित्य, विभागीय नियमों और आदेशों के अलावा प्रशिक्षक बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय

पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों पर प्रशिक्षण निदेशक की निगरानी और नियंत्रण रहता है। राज्य पुलिस सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए तीन चरण बनाए गए हैं-पुलिस कांस्टेबल्स, पुलिस सब-इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिन्टेंडेड ऑफ पुलिस, पुलिस सब-इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिन्टेंडेड पुलिस अकादमी से ट्रेनिंग लेते हैं, जबकि कांस्टेबल्स को पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

राज्य पुलिस की नागरिक अधिकार सुरक्षा शाखा

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्पीड़न संबंधी मामलों से निपटने के लिए सरकार ने एक विशेष शाखा का गठन किया गया है। जिसे नागरिक अधिकार सुरक्षा शाखा कहते हैं, आमतौर पर नागरिक अधिकार सुरक्षा शाखा का प्रमुख पुलिस का एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक का अधिकारी होता है। राज्य में पी.सी.आर. एक्ट 1955 और ए.सी. एस.टी. एक्ट 1989 के नियमन के अलावा जिला स्तर पर गठित विभिन्न नागरिक अधिकार सुरक्षा शाखाओं की निगरानी का काम नागरिक अधिकार सुरक्षा शाखा करती है। जिला स्तर पर गठित नागरिक अधिकार सुरक्षा शाखाओं का प्रमुख सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस होता है।

पुलिस मोटर परिवहन विभाग

पुलिस की परिवहन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पुलिस मोटर परिवहन विभाग की स्थापना की गई है। प्रत्येक जिला इकाई और एस.आर.पी.एफ. बटालियन के लिए काम में आने वाले वाहनों के रख-रखाव के लिए एक मोटर परिवहन विभाग होता है। वाहनों की मरम्मत का काम भी यहीं पर होता है।

राज्य पुलिस के प्रभावी प्रदर्शन में परिवहन की अहम भूमिका होती है। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने, वी.वी.आई.पी. बंदोबस्त और सामान्य पुलिस कार्यों के लिए तकनीकी रूप से विश्वसनीय और मजबूत वाहनों की जरूरत होती है। इस अहम् काम को अंजाम देता है मोटर परिवहन विभाग।

पुलिस वायरलेस निदेशक

पुलिस विभाग के दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु पुलिस वायरलेस एक महत्वपूर्ण सेवा है। इसी उद्देश्यसे सन् 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् सभी राज्यों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों द्वारा स्वयं की पुलिस वायरलेस प्रणाली प्रारम्भ की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उपयोग में लिए गए एच.एफ. सेटों के साथ 31मार्च, 1949 को राजस्थान पुलिस वायरलेस संगठन अस्तित्व में आया था। पुलिस वायरलेस निदेशक इसका प्रमुख होता है। इसके प्रमुख कार्य राज्य पुलिस को चौबीस घंटे बाधारहित संचार उपलब्ध करवाना है।

आर्थिक अपराधा शाखा

पिछले दो दशकों के दौरान देश के कई राज्य व्यावसायिक और औद्योगिक केन्द्रों के रूप में उभरे हैं।

इनमें से कुछ तो व्यावसायिक गतिविधियों के केन्द्र बिन्दु बन गए हैं। जहाँ महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों, कॉरपोरेट ऑफिस, निजी कंपनियों, बैंकिंग और वित्त संस्थानों की मौजूदगी के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों से लाखों लोग रोजगार की तलाश में आते हैं। इस वजह से इन जगहों पर आर्थिक अपराधों की संख्या भी बढ़ी है। देश के प्रमुख शहरों में आर्थिक अपराधों की रोकथाम और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए एक विशेष

शाखा का गठन किया गया है। वर्तमान में आर्थिक अपराध शाखा गबन, धोखाधड़ी, फर्जीवाडा और नकली लॉटरियों से संबंधितमामलों को देखती है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को मिटाने के लिए संविधान में राज्य सरकारों के अधीन एक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र में राज्य आते हैं।

साइबर अपराध शाखा

साइबर अपराध अनुसंधान शाखा पुलिस की इकाई है, जो साइबर अपराधों से निपटती है और देश के सूचना प्रौद्योगिकी कानून-सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का पालन सुनिश्चित करती है। भारतीय दंड संहिता सहित विभिन्न आपराधिक कानूनों में साइबर अपराधों से संबंधितमामलों को भी साइबर अपराध शाखा देखती है।

जिला विशेष शाखा

जिला पुलिस बल की संरचना में जिला विशेष शाखा की अहम भूमिका होती है। जिला विशेष शाखा चुनावों, परीक्षाओं, अति-महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरे के समय सुरक्षा की योजना बनाती है और संबंधित पुलिस स्टेशनों को आदेश जारी करती है। यह शाखा विभिन्न संगठनों की गतिविधियों, राजनीतिक दलो के आदोलनों और गतिविधियों से संबंधितजानकारियाँ जुटाती हैं। इन जानकारियों का विश्लेषण करने के बाद राज्य खुफिया विभाग और संबंधितपुलिस स्टेशनों को आगाह किया जाता है।

ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्यवाही करने के अलावा यह शाखा बीयर बार और शराब की दुकानों केअलावा विभिन्न लाइसेंसों के लिए अनुमति प्रदान करता है।

स्थानीय अपराध शाखा

शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय अपराध शाखा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

यह शाखा जिले के सभी पुलिस स्टेशनों में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण रखती है। स्थानीय अपराध शाखा फिंगर प्रिंटर्स और अपराधियों से जुड़ी दूसरी अहम जानकारियाँ जेल विभाग के प्रमुख को उपलब्ध करवाती है।

यह संस्थान लटू, चोरी, गैर कानूनी हथियारो,मोटर वाहन चोरी, नशीले पदार्थों की तस्करी, अपहरण, बैंक धोखाधड़ी और जाली नोटों से संबंधितजानकारियाँ उच्च स्तर तक पहुँचाता है।

स्थानीय अपराध शाखा महिला अधिकारों की सुरक्षा, महिला सामाजिक सुरक्षा समितियों पर भी काम करती है। पुलिस स्टेशनों से भागे अपराधियों और गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश संबंधितथाने या राज्यों को सुपुर्द करने का काम भी करती हैं।

यातायात शाखा

यातायात शाखा यातायात और निम्नलिखित अपराधों पर नियंत्रण करती है-

- बगैर लाइसेंस वाहन चलाना।
- किसी ऐसे व्यक्ति को वाहन चलाने के लिए देना, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस न हो।
- बीमा/अनुमति/फिटनेस के बिना वाहन चलाना।
- निर्धारित गति सीमा से ज्यादा वाहन चलाना।
- लापरवाही से वाहन चलाना।
- शराब पीकर वाहन चलाना।
- खतरनाक तरीके से लेन कटिंग।
- वन-वे का उल्लंघन।
- हेडलाइट्स का अनुचित उपयोग।
- स्टॉप लाइन का पालन नहीं करना।
- व्यावसायिक उद्देश्य के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल।
- वहन की क्षमता से ज्यादा सवारियाँ बैठाना या माल ढोना।
- VDS सी चालकों का यूनिफामर् नही पहनना आरै सवारियों से निर्धारित दरों से ज्यादा किराया वसलू ना।

जिला सुरक्षा शाखा

जिला सुरक्षा शाखा के प्रमुख दायित्व इस प्रकार हैं-

- ईसी एक्ट, कॉटन एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट जैसी अहम जानकारियों से संबंधितमासिक,त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक और वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध करवाना।
- सुरक्षा की दृष्टि से शहर के 37 संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी।
- विस्फोटकों और कारतूसों के गोदामों की जाँच।
- इंडियन सीक्रेट एक्ट, 1923 सी-8(1) के अनुसार शहर के प्रतिबंधित क्षेत्रों से कब्जा हटवाकर सरकार को सुपुर्द करना।
- बाढ़ योजना, आपातकालीन योजना, जलदाय विभाग, कर्मचारियों की हड़ताल योजना, एम.एस.ई.डीसी. कर्मचारियों की हड़ताल आदि योजनाओं को पुन: निर्धारण और इनकी पालना।

- बाढ़, भूकम्प, पेट्रोल, डीजल और बम विस्फोट जैसी आपदाओं पर फैक्स या रिपोर्ट भेजना।
- वी.आई.पी., वी.वी.आई.पीज और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा की योजना बनाना।

दूरसंचारशाखा

दूरसंचार शाखा के प्रमुख कार्य हैं-

- पुलिस अधिकारियों, पुलिस स्टॉफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, पुलिस हॉस्पिटल आदि की सर्विस बुकऔर रजिस्टर्स तैयार करना।
- हथियारों और होटल्स के लिए लाइसेंस प्रदान करना।
- इमारतों का पुनर्निर्माण, पुलिस स्टेशनों, पुलिस क्वाटर्स आदि की मरम्मत और सार-संभाल।
- निर्माण सुविधा, ऋण सुविधा और पुलिस कल्याण योजना के तहत दूसरी महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन।
- पुलिस विभाग की पुलिस मुख्यालय और पुलिस स्टेशन जैसी महत्वपूर्ण इमारतों के बिजली बिल, टेलिफोन बिल, दवाइयाँ, पानी का बिल आदि लेखा विभाग को भिजवाना।
- झंडा दिवस कोष, दृष्टिहीनों का कोष, कार्यक्रमों के टिकट आदि के लिए धन इकट्ठा करने के साथ ही यह विभाग यातायात संकेतक उपकरणों की सार-संभाल करता है।

लेखा विभाग

यह विभाग कार्य आवश्यकतानुसार बजट प्लान करना और अकाउंट्स मेंटेन करके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को सबमिट करता है।

आयोजना विभाग

आयोजना विभाग पुलिस स्टॉफ से संबंधितपुलिस भर्ती, तबादला, पदौन्नति, अवकाश, स्वैच्छिक सेवानिवृति जैसे कार्यों को संपन्न करता है।

पासपोर्ट विभाग

पासपोर्ट बनाने और पासपोर्ट को सत्यापित करने का काम करता है।

प्रशासनिक विभाग दायित्व:

- कार्यालय प्रशासन का आधुनिकीकरण
- भर्ती

- पदोन्नति
- स्वास्थ्य
- सेवानिवृत्ति प्रबंधन
- आवास
- कम्प्यूटरीकरण
- शस्त्र एवं गोला-बारूद
- प्रशिक्षण
- नियमावली

स्थानीय सशस्त्र (एल.ए.) पुलिस इकाईयाँ

इन इकाईयों को निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है-

अस्थायी अधिकारी प्रशिक्षण, रिफ्रेषर कोर्स, रिवॉल्वर कोर्स, ऑटोमैटिक और सेमी-ऑटोमैटिक हथियारों सहित सभी हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण, पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रशिक्षण, वेपन डग्रल और लेथी डग्रल गैस मास्क और ग्रेनेड का इस्तेमाल करना आदि।

दंगा नियंत्रक पुलिस

दंगा नियंत्रक पुलिस (आर.सी.पी.) का आपातकालीन स्थितियों में दंगों से निपटने के लिए किया गया है। इस विशेष पुलिस बल में विशेष तौर से प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी होते हैं। दंगा नियंत्रक पुलिस को दंगों से निपटने में विशेषज्ञता हासिल होती है।

आर.सी.पी. में नौजवान, सख्त और प्रषिक्षित अधिकारी होते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में काम करने में सक्षम होते हैं। इन्हें भीड को हटाने के कई तरीके आते हैं और इनके पास अभियानो को अजांम देने के लिए विशेष उपकरण मौजूद होते हैं, इन्हें प्राथमिक उपचार का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

किसी भी आपातकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए आर.सी.पी. की एक टुकड़ी को खास तौर से प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसे त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यू.आर.टी.) कहते हैं।

आग बुझाने और बचाव कार्यों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। आर.सी.पी. की तीन कंपनियों के नाम हैं-अल्फा, ब्रावो और चार्ली।

पुलिस सर्जन

पुलिस सर्जन सभी पुलिस अस्पतालों और मोबाइल अस्पतालों का प्रभारी होता है और पुलिसकर्मियों को चिकित्सकीय सुविधाएँ प्रदान करवाता है।

वायरलेस

वायरलेस कम्युनिकेशन ग्रिड की सार-संभाल करना और पुलिस को चौबीस घंटे सूचनाएँ प्रदान करना।

डी.सी.पी.-मुख्यालय 1

कार्य:

- होटल, थिएटर,शस्त्र एवं बारूद शाखाओं के प्रदर्शन पर नजर रखना
- नागरिक सेवा केन्द्रों की मॉनीटरिंग

डी.सी.पी.-मुख्यालय 2

कार्य:

- पुलिसकर्मियों का स्थानान्तरण, नियुक्ति और समस्याओं का समाधान
- पुलिस की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर निगरानी

डी.सी.पी.-(एम.टी.)

कार्य:

- पुलिस के समस्त वाहनों का प्रभारी, सभी वाहनों की देखभाल की जिम्मेदारी
- वी.आई.पी. विजिट के दौरान पायलट, एस्कोर्ट और दूसरे वाहन उपलब्ध करवाना

डी.सी.पी.-(अनुसंधान)

- अनुसंधान अपराध शाखा का सर्वोच्च अधिकारी
- गंभीर अपराधों के अनुसंधान पर निगरानी रखना और संगठित अपराधों को खत्म करने के लिए नई रणनीतियाँ बनाना

समाज सेवा शाखा

इसकी तीन शाखाएँ होती हैं-एंटी ट्रेफिकिंग सेल, सोशल काउंसलिंग सेल, कॉपीराइट वायलेशन एण्ड

एंटी-गेम्बलिंग सेल

एंटी ट्रेफिकिंग सेल

- पी.आई.टी.ए. एक्ट के अंतर्गत होटल, गेस्ट हाउस और ब्यूटी पार्लर में वेश्यावृति के खिलाफ कार्यवाही करना।
- सोशल काउंसलिंग सेल विवाहित जोड़ों की समस्याओं को सुलझाना, खास तौर से घरेलू उत्पीड़न से संबंधितमामले।
- कॉपीराइट वायलेशन एण्ड एंटी-गेम्बलिंग सेल यह शाखा कॉपीराइट एक्ट और ऑडियो-विडियो कैसेट्स, सी.डी. आदि की पायरेसी से संबंधितमामले देखती है

इसके साथ ही यह गैर-कानूनी लॉटरियों, घुड़दौड़, क्रिकेट सट्टा, अश्ललीता आदि पर लगाम लगाती है।

सी.बी. कन्ट्रोल

यह शाखा केन्द्र और राज्य सरकार के आदेशों की अवमानना से संबंधितमामलों को देखती है, यह निम्नलिखित मामलों में छानबीन और आवश्यक कार्यवाही करती है-

- आवश्यक वस्तु अधिनियम
- कॉपीराइट एक्ट
  ट्रेडमार्क एक्ट
- खाद्य सामग्री आरै पेट्रोलयिम सबंधित मामलें यू:एस. 407, 408, 379, 420, 411, 482, 486 आइऱ्. पी.सी.
- दवाई और सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम

बाल सुधार गृह शाखा (जे.ए.पी.यू.)

यह शाखा कम उम्र में अपराध कर बैठने वाले लड़के और लड़कियों को बाल अपचारी न्याय अधिनियम 2000 के तहत न्यायिक हिरासत में लेते हैं और बाल सुधार गृह भेजते हैं। इसके बाद चेयरमैन, बाल अपराधी कल्याण बोर्ड के आदेशानुसार बाल अपचारियों को उनके घर भेजा जाता है।

विक्रय कर विभाग

यह इकाई विक्रय कर विभाग को छापे मारने में सहयोग करती है, इसके अलावा यह विक्रय कर प्रवंचना की शिकायतों पर छानबीन भी करती है।

एंटी-नारकोटिक्स शाखा

यह शाखा गैर-कानूनी रूप से हेरोइन, हशीश, एम. टेबलेट्स, मैथोक्यूलीन, अफीम, गांजा, कोकीन,चरस, एसिटिक एसिड, एल.एस.डी. एस.टी.आर./ई.सी.ए., भांग बेचने और रखने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कार्यवाही करती है।

लूट-खसोट निरोधक शाखा

यह क्राइम ब्रांच की विशेष शाखा होती है, जो माफियाओं की ओर से किए जाने वाली जबरन वसूली या धमकाने के मामलों में कार्यवाही करती है।

निवारण शाखा

कार्य:

- एम.पी.डी.ए. प्रस्तावों की समीक्षा करना, वारंट जारी करना और सी.पी. की अनुमति लेना और उसे
- वापस अनुसंधान के लिए पुलिस स्टेशन भेजना

- हिरासत में लेने संबंधीआदेशों की रिपोर्ट तैयार कर सरकार से अनुमति लेना
- सलाहकार समिति के समक्ष हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पेश करना और शपथ पत्र तैयार करना
- केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी सी.ओ.एफ.ई.पी.ओ.एस.ए. आदेशों की पालना

कार्य प्रणाली

- यह शाखा हिरासत में लिए गए व्यक्तियों और मुजरिमों का रिकॉर्ड रखती है, ये रिकॉर्ड अपराध और
- अपराधियों की प्रकाशन के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं।
- अपराधियों की तस्वीर पीड़ित और गवाहों को दिखाई जाती है। अगर कोई अपराधी रिकॉर्ड में नहीं है तो पुलिस आर्टिस्ट और कम्प्यूटर शाखा से उसका स्कैच बनवाया जाता है।

गुमशुदा तलाश शाखा

यह शाखा गुमशुदा व्यक्तियों को तलाशने का काम करती है। इस शाखा से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी गुमशुदा व्यक्तियों को तलाशने में उनके परिजनों की मदद करते हैं। यूँ तो इस शाखा का काम हर गुमशुदा व्यक्ति को ढूँढना है, लेकिन गुमशुदा बच्चों और महिलाओं पर ज्यादा जोर दिया जाता है।

गुमशुदा व्यक्तियों को तलाश करने के जो प्रयास मुख्य रूप से किए जाते हैं, वे हैं-

- सभी पुलिस थानों में लापता व्यक्ति का फोटो और विवरण पहुँचाया जाता है, पुलिस नोटिस में लापता व्यक्ति का विवरण दिया जाता है और वायरलेस के जरिए मैसेज दिया जाता है।
- लापता व्यक्ति का एक 10 × 12 आकार का फोटो दूरदर्शन केन्द्र भेजा जाता है।
- धर्मशालाओं, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट, बस स्टेण्ड, सिनेमाघरों और बगीचों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जाकर तलाश की जाती है।
- रेलवे गुमशुदा तलाश केन्द्र से पूछताछ की जाती है।
- परिजनों की सहमति से गुमशुदा व्यक्ति की तस्वीर और उसका संक्षिप्त विवरण अखबारों में प्रकाशित किया जाता है, स्थानीय टी.वी. चैनलों और इंटरनेट पर भी गुमशुदा व्यक्ति की तस्वीर और उसका संक्षिप्त विवरण प्रसारित किया जाता है।

9.5 सारांश

राष्ट्रीयता की भावना एवं एकता ही राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दो प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है।

बाह्य- जो विदेशी राष्ट्रों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। दूसरा आन्तरिक। आंतकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, सम्प्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद एवं पृथकतावाद जैसे अनेकों तत्व स्वतंत्र भारत की प्रजातांत्रिकता व्यवस्था में स्पष्ट रूप से विद्यमान है और आन्तरिक सुरक्षा के लिए चुनोती है इसी चुनोती को पूर्ण करने के लिए विभिन्न पुलिस संगठन और सरकारी संगठन कार्य करते है। पुलिस विभाग के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयां आती है। पुलिस की कार्यशैली को समझने के लिये इनमें से प्रत्येक की भूमिका और आन्तरिक संबंधों को समझना जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये केन्द्र सरकार द्वारा और राज्य स्तर पर विभिन्न पुलिस संगठन आते हैं। जो विविध प्रकार के दायित्व निभाते हैं।

9.6 अभ्यास प्रश्न

1 राष्ट्रीय सुरक्षा से आप क्या समझते है।

2 केन्द्र सुरक्षा के अन्तर्गत विभिन्न पुलिस संगठनों के बारे में लिखिए।

3 आपके जिले की सहायक पुलिस इकाइयों का प्रमुख कौन है।

इकाई - 10

जासूसी, विध्वंसक तथा तोड़-फोड़ गतिविधियाँ एवं कार्यकलाप

इकाई की रूपरेखा

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 जासूसी/खुफियापन की अवधारणात्मक पहलु

10.2.1 जासूसी का अर्थ

10.2.2 जासूसी की परिभाषाएँ

10.2.3 जासूसी के लक्षण

10.2.4 जासूसी के उद्देश्य

10.2.5 जासूसी की आवश्यकता

10.2.6 जासूसी के प्रकार एवं सीमाएँ

10.2.7 जासूसी का महत्व

10.2.8 जासूसी का क्षेत्र

10.3 विध्वंसक एवं तोड़फोड़ गतिविधियों की अवधारणा

10.3.1 तात्पर्य

10.3.2 परिभाषाएँ

10.3.3 विशेषताएँ

10.3.4 परिक्षेत्र

10.3.5 उद्देश्य

10.3.6 प्रकार

10.4 ब्रिटेन में आदर्श जासूसी संगठन के कार्य एवं सफलताएँ

10.5 आतंकवाद गतिविधियां एवं तोड़-फोड़ उत्पन्न होने वाले प्रमुख कारण

10.6. आतंकवादी विध्वंसक क्रियाकलाप एवं तोड़-फोड़ गतिविधियाँ के नियंत्रण के कारगर उपाय:

10.7 सारांश

10.8 शब्दावली

10.9 अभ्यासार्थ प्रश्न

10.10 संदर्भ- ग्रंथ

10.0 उद्देश्य

इस इकाई में जासूसी, विध्वंसक और तोड़-फोड़ गतिविधियों का आद्योपान्त अध्ययन कर लेने के बाद आप -

- जासूसी के अवधारणात्मक स्वरूप के अन्तर्गत विभिन्न सम्प्रत्ययों जैसे जासूसी के अर्थ परिभाषाएँ, लक्षणों, उद्देश्यों, आवश्यकताओं, क्षेत्रों, प्रकारों तथा महत्व के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- विध्वंसक और तोड़-फोड़ गतिविधियों की अवधारणात्मक मुख्य बिन्दुओं जैसे अर्थ, परिभाषाएँ, लक्षणों, क्षेत्रों, आवश्यकताओं, प्रकारों तथा इनके महत्व के बारे में सुविज्ञ हो सकेंगे।
- भारत में तथा राजस्थान में विध्वंसक गतिविधियों एवं अवैध तोड़-फोड़ के क्रियाकलापों, सीमाएँ, इसकी समस्याएँ व चुनौतियों के बारे में समुचित ज्ञान पिपासा मिटा सकेंगे।
- जासूसी, शक्तिक्षीणताओं, एवं विनष्टताओं के निवारण हेतु सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों तथा विभागों मंत्रालयों इत्यादि के बारे मे सुपरिचित हो सकेंगे।
- जासूसी, विध्वंसक एवं तोड़-फोड़ गतिविधियों के निवारणार्थ बनाये गये सभी अधिनियमित किए गये कानूनों के बारे में काओं, भ्रांतियों और अपेक्षाओं के बारे में अद्यतन ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- जासूसी विध्वंस और तोड़-फोड़ के समुचित नियंत्रण के लिए अपनाए गये कारगर उपायों के बारे में विषद अध्ययन कर सकेंगे।
- अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही कुछ आदर्श गुप्तचर संगठनों, एजेन्सियों या प्रभागों के बारे में ज्ञानकोश में अभिवृद्धि कर सकेंगे और।
- विभिन्न प्रकार की जासूसी कार्यो और उनके सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, पहलूओं के बारे में समग्र जानकारी हासिल कर सकेंगे।

10.1 प्रस्तावना

प्रत्येक राष्ट्र की एकता, अखण्ड़ता और सम्प्रभुता की सुरक्षा एवं करने का कर्तव्य प्रत्येक नागरिक का होता है तथा प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करने का दायित्व केन्द्र या राज्य सरकार का बनता हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विविधताओं वाला देश हैं। यहाँ विविध धर्मो के मानने वाले लोग निवास करते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा की तरह विदेशी शत्रुओं के आक्रमण या युद्ध जैसी बाहरी असुरक्षा से मुकाबला करना पड़ता है। आज देश की एकता और अखण्ड़ता के खतरा सबसे ज्यादा आंतकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद,

साम्प्रदायिकतावाद, उग्रवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और जातिवाद आदि बाधक बन गये हैं। किसी देश को सुरक्षित करना हो तो उसकी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, संरक्षा और लोकव्यवस्था के बारे मे समुचित जानकारी हासिल की जाए। यह कार्य इतना आसानी से सम्पन्न नहीं हो सकता है। इसके लिए अपराधों को पता लगाने के लिए अन्वेषण कार्यवाही सम्पन्न करके सुराग का मालूम किया जा सकता है। इसी तरह देश शासन एवं सुरक्षा व्यवस्था की गतिविधियों की जानकारी खुफिया या गुप्तचरों के माध्यम से जासूसी की जाती है। देश को कमजोर करने के लिए ज्यादातर विध्वंसक एवं तोड़-फोड़ की गतिविधियाँ अपनाई जाती है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक आंतकवाद और नक्सलवाद की गतिविधियां या अवैध क्रियाकलाप ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में ही नहीं अपितु दुनियांभर में घटित हो रहे है। यह देश की एकता, अखण्डता और सम्प्रभुता के लिए सुरक्षित नहीं रहे हैं। देश के शासन, प्रशासन आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा को कमजोर करने के लिए गोपनीयता की परिधि में आने वाली सूचनाएँ भी गुप्तचर एजेन्सियों द्वारा हासिल की जा रही है। इसमें देश के गद्दारों द्वारा धोखा देकर नाइंसाफी से देश की आँतरिक एवं बाहरी गतिविधियों के बारे में पूरी सूचना लेने की कोशिश की जाती है। सेना के अन्तर्गत सूचनाओं की खैर खबर लेने के लिए आसूचना विभाग के गुप्तचर सैनिक या केन्द्रीय या राज्य आपराधिक अन्वेषण ब्यूरों द्वारा किसी अपराध के घटित होने पर तहकीकात या मालूमात हेतु अन्वेषण प्रक्रिया अपनायी जाती हैं। हम जानते है कि प्रत्येक राष्ट्र की आन्तरिक शांति, सुव्यवस्था और बाहरी दुश्मनों से रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय एकता का होना परमावश्यक होता हैं। देश की राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को सबसे बडा खतरा आंतकवाद से हैं। आंतकवाद आज न केवल हमारी बल्कि सम्पूर्ण विश्व की सबसे भयानक एवं ज्वलंत समस्या बन गया है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता में सर्वाधिक बाधक तत्व हैं। आज हम पंजाब, नागालैण्ड, झारखण्ड, जम्मू-कश्मीर, आन्ध्रप्रदेश, असम आदि राज्यों में जो भी समस्याएँ देख रहे हैं वह सचमुच में इसी आंतकवाद की देन है। पिछले दो दशकों में इस आंतकवाद ने देश के इन प्रान्तों में विध्वंसकता फैलाने और तोड़-फोड़ करने वाली अवैध गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है और अब यह पूरी दुनियां से थमने का नाम नही ले रहा है। राष्ट्रीय एकता में बाधक अनेक शक्तियों में अलगाव की राजनीति भी एक ज्वलंत समस्या बन चुकी है। देश की आंतरिक दुर्बलता बढ़ने के कारण विदेशी शक्तियों ने हमारे देश पर आधिपत्य स्थापित कर लिया है। देश में गरीबी अथवा निर्धनता देश को खोखला करने में लग रही हैं। चूँकि जम्मू व कश्मीर में धन प्रलोभन के चक्करों में आकर आतंकवादियों के निर्देशानुसार बच्चे भी गोलाबारी करने से नहीं चूक रहें हैं। किसी देश के बारे में उसकी समुचित जानकारी चुपचाप भेदिया बनकर ही हासिल की जा सकती है। सुरक्षा दलों की सफाई व्यवस्था करने के बहाने दुश्मन राष्ट्र के व्यक्ति हमारी सेना मे जमादार, फर्रास, मजदूर आदि धंधो की छोटी नौकरी में लग जाते है और वहां कार्यरत रहकर आवश्यक राष्ट्रीय तथा राज्यव्यापी खबरों या सूचनाएँ हासिल करके देशद्रोहिता के कार्य को अग्रसर करने में संलग्न रहते हैं।

इस इकाई के अन्तर्गत जासूसी या खुफिया/भेदियापन की अवधारणाओं में जासूसी के अर्थ, परिभाषाओं, लक्षणों, उद्देश्यों, आवश्यकता, प्रकार, महत्व तथा इसके व्याप्त क्षेत्रों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी । इसके बाद हमनें विध्वंसक एवं तोड़-फोड़ करने वाली क्रियाकलापों/गतिविधियों की अवधारणात्मक पहलूओं में से इसके अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं, परिक्षेत्रों, आवश्यकता, प्रकार और महत्वत्ता पर चर्चा की जायेगी । भारत में विध्वंसक और तोड़-फोड़ करने वाली गतिविधियों और इनकी सीमाओं के बारे में विस्तृत विवेचना की जायेगी । अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जासूसी गतिविधियों की अपेक्षाओं और समस्याओं, राजस्थान में जासूसी क्रियाकलापों के बारे में व्याप्त होने वाली संभावनाओं और चुनौतियों और इनके समाधान या निवारण करने वाले उपायों, देश में एकता, अखण्डता और सम्प्रभुता की रक्षा करने के लिए अधिनियमित किए गये कानूनों के बारे तथा अंत में विध्वंसक एवं तोड़-फोड़ गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु अपनाये गये कारगर उपायों की विवेचना की जाएगी । देश में हमें भी खुफिया विभाग, आसूचना विभाग की गुप्तचरों महकमों की सहायता लेकर ही किसी राष्ट्र की सामरिकता, सुरक्षा सम्बन्धी जानकारियां गुप्तचर कर्मी बनकर प्राप्त की जा सकती है। इस इकाई में हमने कुछ देशों की आदर्श नमूने के रूप में गुप्तचर संगठनों और अभिकरणों के बारे में भी विवेचना आगे की जायेगी। अत: प्रस्तुत इकाई में मुख्य रूप से जासूसी, विध्वंसक और तोड़फोड़ गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किए गये आसूचना और सुरक्षा संगठनों से सम्बन्धित सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की द्वितीय अनुसूची में धारा 8 व 24 में प्रतिबंध लगाया गया हैं। सरकारी गुप्त रहस्य कानून 1923 की धारा-5 में तथा सार्वजनिक अभिलेख कानून 1993 तथा इसकी नियमावली, 1997 में वगीकृत अभिलेखों के बारे में संरक्षण किया गया हैं। लेकिन जासूसी में सब नियम तोड़ दिए जाते हैं।

10.2 जासूसी/खुफियापन की अवधारणा

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत स्थल युद्ध विधि के अन्तर्गत जासूसी के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जासूसी भेदियापन करने वाले अपराधी व्यक्ति को गुप्तचर या जासूस के नाम से पहचान की गई हैं। इसमें जासूस करने वाले संगठन, एजेन्सी या व्यक्तियों द्वारा धोखा भी कारित किया जा सकता हैं। धोखा युद्ध चाल से भिन्न होता है। धोखा अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन माना जाता है। जैसे - शांति का ध्वज या रेडक्रास का चिह्न धोखे के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

10.2.1 जासूसी का अर्थ :

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार युद्ध के उद्देश्यों के लिए शत्रु देश अपने गुप्तचरों या जासूसों द्वारा सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता हैं तथा पकडें जाने पर उन्हें सम्बन्धित राज्य द्वारा दण्ड भी दिया जा सकता है परन्तु हेग-अभिसमय के अनुसार जासूसों को दण्ड देने से पहले

उनका परीक्षण होना चाहिए। जासूसी के सम्बन्ध में हेग अभिसमय में प्रावधान है कि यदि कोई जासूस बचकर भाग निकलता है बाद में पकड़ा जाता है तो उसे युद्ध बंदी माना जायेगा। परन्तु संघर्ष के पक्षकार की सशस्त्र सेनाओं का कोई सदस्य यदि जासूसी करता हुआ विरोधी पक्षकार के द्वारा पकड़ा जाता है तो उसे युद्धबंदी की हैसियत प्राप्त नहीं होगी वरन् वह जासूस ही माना जायेगा।

10.2.2 जासूसी की परिभाषाएँ :

1. सर राबर्ट फिलिमोम के अनुसार 'जासूसी से तात्पर्य दुश्मन की आवश्यक सामरिक, तकनीक, सूचनाएँ हासिल करके विरोधी की कमजोरी का फायदा उठाने के उद्देश्य से जासूसी की जाती है। चाहे वे जासूस सामान्य सेना के ही सदस्य क्यों न हों। युद्ध की विधियों में यह प्रावधान किया गया है कि जासूस जब सेना की पंक्ति के भीतर या सामाजिक योजनाओं तथा गतिविधियों की सूचना शत्रु को देते हुए पाये जाने पर उनको मृत्युदण्ड दिया जा सकता है। इसमें देशद्रोही, भगौड़ा, भाड़े के सैनिक और सशस्त्र बलों के वे सदस्य जो युद्ध के प्रारम्भ होन पर शत्रु के राज्य क्षेत्र के अधीन पाये जाते है वे युद्ध बंदी की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। परन्तु ये सभी तथा गैर योद्यक, नागरिक कर्मचारी, जैसे संवाददाता, आपूर्ति ठेकेदार, अभियन्ता, श्रमिक बावरची, नाई, यदि ये प्राधिकार के अन्तर्गत शस्त्र लेकर चलते हो तो सैनिक माने जायेगें। और यदि शस्त्र धारित नहीं करते हों तो गैर-सैनिक में आयेंगें।

2. प्रो. एस.एस.लाल के अनुसार 'जासूसी अर्थात देश की वांछनीय सामरिकता, सुरक्षा-उपकरणों का भेद दुश्मन देश का लेना और इस कार्य को अंजाम देने वाले व्यक्ति /संगठन को जासूस या गुप्तचर कहलाता है।'

3. प्रो. जी.एस.करकरा के मतानुसार 'जासूसी का कार्य सैनिक और नागरिक द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। दुश्मन की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा कमजोरियों, उपलब्धियों, साधनों के बारे में दुश्मन देश की थाह लेना ही जासूसी का विषय है।'

10.2.3 जासूसी के लक्षण :

जासूसी के निम्नलिखित प्रमुख लक्षण व्यक्त किए जा सकते है। - यथा

1. जासूसी का कार्य चुपचाप दुश्मन की सेनाओं या परिसर में रहकर सामरिक दस्तावेजों, भौगोलिक मानचित्रों, युद्ध सम्बन्धी रणनीति अपनाने वाले दिशानिर्देश, पासवर्ड आदि की ठाह गहराई से लेना होता है।

2. जासूसी सैनिक और गैर-सैनिक व्यक्ति अर्थात् नागरिक द्वारा या अन्य व्यक्ति के सौंपे गये उद्देश्य के अनुसार की जा सकती हैं।

3. जासूसी प्राय: सेना के आसूचना विभाग द्वारा ही की जाती हैं। इसमें जासूस को लोक स्थलों अर्थात् बस अडडों, रेल्वे स्टेशनों, हवाई अडडों, देश में स्थित

बंदरगाहों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक संस्थापनों, वाणिज्यिक राष्ट्रीय राजमार्गो, प्रमुख उद्यानों, पार्को में पर ढूँढा जाता हैं।

4. जासूसी करने के लिए जो उद्देश्य बांटा जाता है उसको प्राथमिकता के अनुसार मुखबरी करके सूचनाएँ अपने देश के हित में या अहित करने वाली बातों को एकत्रित किया जाता है।

5. जासूसी समुद्री डकैतों द्वारा भी सशस्त्र सेना, वायुसेना, नौसेना, तटीय सेना, सीमा सुरक्षा बलों, रिजर्व पुलिस बलों में भी जासूसी की जा सकती है।

6. जासूसी आंतकवादियों के शरणस्थलों, आश्रय स्थलों तथा पनाह दिये गये स्थानों पर जासूसी का काम जासूस द्वारा किसा जा सकता है।

7. जासूसी निजी सुरक्षा, लोक सुरक्षा, आंतरिक, बाहरी, सीमापार, तटीय, राज्य, संस्थापनों, साइबर, वित्तीय, यातायात एवं सड़क सुरक्षा के लिए हो सकती है।

8. जासूसी सैन्य और गैर-सैन्य व्यक्तियों को सौपीं जा सकती है। इसमें पाँच या पाँच से अधिक एकत्रित होते ही अवैध सभा के सदस्य बन सकते है।

9. आजकल जासूसी का कार्य आतंकवादी गिरोह तथा नक्सलवादी, अलगाववादी भी करने लगे है।

10. जासूस इस तरह से जासूसी कार्य करता है कि चुपचाप या अंतरंगी मित्र, नौकर, पति या पत्नी का रिश्ता बनाकर भी देशभक्ति के रूप पीढ़ी दर पीढ़ी निभा सकते है। जैसे भारतीय सैनिक ने अपने देश-भक्ति के जज्बें में पाकिस्तान की महिला सैनिक अधिकारी के साथ विवाह कर लिया, संतान भी हो गयी लेकिन जब दुश्मन को दूरसंचार प्रणाली का पता लगाने में सफल रहा है अंतत: वहां भारतीय सैना द्वारा आक्रमण कर दूरसंचार प्रणाली को ध्वस्त कर दिया था।

11. जासूसी द्वारा देश की आंतरिक सीमाओं, सीमापार तथा लक्षित देश में बाहर जासूसी कार्य को अंजाम दिया जा सकता है।

10.2.4 जासूसी के उद्देश्य

गुप्तचर विभाग इस जासूसी कार्य को अंजाम देता है। जासूसी सामूहिक या एकल व्यक्ति द्वारा भी की जा सकती है। जासूसी करने या करवाने के अलग-अलग उद्देश्य लक्षित किए जा सकते हैं। एक जासूसी करने के निम्नलिखित उद्देश्य राजनीतिज्ञों, कूटनीतिज्ञों और सामरिक विशेषज्ञों ने बताये है। भारतीय थल सेना की जयपुर स्थित उत्तर-पश्चिम कमान के लेफ्टिनेंट ब्रिगेडयर ने बताया कि जासूसी के अनेक या एक सा ही उद्देश्य हो सकता है।

1. सामरिक उद्देश्य
2. बाह्य-सुरक्षा उद्देश्य
3. आंतरिक सुरक्षा का उद्देश्य

4. सामाजिक उद्देश्य
5. राजनीतिक उद्देश्य
6. भौगोलिक उद्देश्य
7. मनोवैज्ञानिक उद्देश्य
8. सांस्कृतिक उद्देश्य
9. सामुदायिक उद्देश्य
10. राष्ट्रीय उद्देश्य
11. अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्य
12. वैज्ञानिक उद्देश्य
13. तकनीकी उद्देश्य
14. प्रतिरक्षा उद्देश्य
15. व्यक्तिगत उद्देश्य
16. लोक उद्देश्य
17. मानवाधिकार उद्देश्य
18. सामूहिक सुरक्षा उद्देश्य

10.2.5 जासूसी की आवश्यकता

हमें गुप्तचरों या सेना में आसूचना विभागों की जरूरत किन्हीं संदिग्ध तथ्यों की जानकारी रखने के कारणों के मध्य नजर रखते हुए हो सकती है। जासूसी का भारत में प्राचीन काल से ही समय राजा-महाराजाओं के शासन के राजकार्यो को सुसंचालित करने के लिए जरूरत पड़ती थी। राजा वेश बदलकर प्रजा में अपने द्वारा चलायी जा रही शासन-व्यवस्था के बारे में प्रतिक्रिया से अवगत होते थे। आज भी जिन मामलों में गुत्थी या सुराग का पता नहीं चलने पर दूतावास स्थल में अपराधी द्वारा शरण या आश्रय लेने की अवस्था में वहां जाकर जासूसी करने की जरूरत पड़ सकती हैं। भारतीय दण्ड संहिता में पुंलिस या सैन्य वर्दी पहनने पर दाण्डिक व्यवस्था की गई है।

दुश्मन/विरोधी देश के बारे में आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा सम्बन्धी भेद केवल जासूसी द्वारा ही सही/गलत निर्धारण के लिए वांछनीय सूचना चोरी-छिपे चुपचाप या गुपचुप रहकर प्राप्त की जा सकती है। सामूहिक सुरक्षा, आत्मरक्षा, तथा सामूहिक आत्मरक्षा में सामूहिक कार्यवाही का ही परिणाम होता है।

ओपन हाइम ने युद्ध के दौरान जासूस कार्य करने हेतु निम्न जरूरते बतायी हैं। 1. शत्रु को कमजोर करके परास्त करना और किस सीमा तक बल प्रयोग किया जाए। 2. संघर्ष के क्षेत्र को कम करना 3. युद्ध से होने वाली पीड़ा, क्षति को कम करना 4. युद्ध शौर्य व न्यायोचित साधनों से लड़ा जाए न कि धोखा देकर 5. युद्ध में बल प्रयोग को शत्रु के हराने तक किया जाए। उक्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जासूसी का कार्य किया जाता है।

10.4.6 जासूसी के विभिन्न प्रकार :

जासूसी को उद्देश्यों और आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न भागों में सरलीकरण के लिए वर्गीकरण किया गया है। और विभिन्न तरह की गोपनीय, तकनीकी और कानूनी प्रतिबंध होते हुए भी जासूसी एवं हिम्मत का कार्य होता है। इसमें कई बार लक्षित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने पर जासूसी व्यर्थ हो जाती हैं। एक आतंकवादी जिसके लिए रहकर संघर्ष कर रहा है वह देशभक्त कहलाता है और नक्सलवादी विरोध में काम करने वाले देश के लिए देशद्रोही या गद्दार कहलाता है। अब हम जासूस कार्यो को निम्न तरह से बता सकते हैं: विभिन्न सुरक्षा प्रणालियां होने के बावजूद भी गुप्तचर द्वारा अपने लक्षित कार्य निभाये जा सकते हैं।

1. खतरा सर्तक घंटी प्रणाली
2. दृश्य निगरानी प्रणाली
3. पहुँच नियंत्रण प्रणाली
4. वाहन सुरक्षा प्रणाली
5. निजी सुरक्षा प्रणाली
6. लोक सुरक्षा प्रणाली
7. सुरक्षा कार्यो में प्रतिरक्षण प्रणाली
8. आंतरिक सुरक्षा प्रणाली
9. बाहरी सुरक्षा प्रणाली
10. सीमा सुरक्षा प्रणाली
11. तटीय सुरक्षा प्रणाली
12. वायुयान, जलयान, थलवाहन सुरक्षा प्रणाली
13. सड़क यातायात एवं परिवहन सुरक्षा प्रणाली
14. दूर संचार एवं तकनीकी सुरक्षा प्रणाली
15. प्रबन्धन सुरक्षा प्रणाली
16. अभियांत्रिकी सुरक्षा प्रणाली
17. कला, संस्कृति एवं शैक्षणिक, सुरक्षा प्रणाली
18. सामरिक सुरक्षा प्रणाली
19. देशीय या स्थानीय सुरक्षा प्रणाली, निजी सुरक्षा अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित सुरक्षा अभिकरणों के कार्यो में भी जासूसी की नवीन नवाचार हो सकते है।
20. सुरक्षा रक्षक अभिकरण
21. अन्वेषण अभिकरण
22. तालासाजी अभिकरण
23. वैद्युतकीय सुरक्षा प्रणाली अभिकरण
24. मूल्यवान परिवहन अभिकरणों तथा

25. सुरक्षा परामर्शक अभिकरण इत्यादि सुरक्षा कार्यो में विविध जासूसी करने के अनेक उद्देश्य दृष्टिगोचर होते हैं।

10.2.7 जासूसी का महत्व :

जासूसी के जो उद्देश्य और प्रकार व्यक्त किए गये है वे सभी जासूसी की जरूरत को दिग्दर्शित करते हैं। जासूसी का सबसे ज्यादा महत्व सामरिक, कूटनीतिज्ञ और राजनैतिक या सामूहिकता का महत्व दृष्टिगोचर हो रहा हैं।

10.2.8 जासूसी का परिक्षेत्र :

जासूसी का क्षेत्र सीमित भी हो सकता है। इसका दायरा बड़े अर्थात् विशाल भूभाग या क्षेत्रों को संयुक्त मिलाकर हो सकता है। जासूसी एकल भी हो सकती है ओर इसे सामूहिक गुप्तचरी का रूप भी दिया जा सकता है। जासूसी निवासी, अनिवासी, नागरिकों एवं गैर-नागरिकों की हो सकती है। जासूसी किसी व्यक्ति या राष्ट्र के हक में तथा विरूद्ध में भी हो सकती है। जासूसी स्थानीय, देशीय तथा विदेशीय भू-भागों, समुद्री एवं वायुक्षेत्रों में सम्पादित की जा सकती है। जासूसी साक्षर और निरक्षर, गरीब व अमीर, छोटे-बड़े सभी के विरूद्ध या पक्ष में हो सकती है। जासूसी के क्षेत्रों में युद्ध बंदी या सामान्य नागरिक भी आ जाते है। जासूसी विवाहित और अविवाहित व्यक्ति तथा अलग धर्मोवलम्बियों की हो सकती है। जासूसी वैद्यानिक और अवैद्यानिक भी हो सकती है। निजीस्वीय मामलों पर निजी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियम लागू होते है।

10.3 विध्वंसक एवं तोड़फोड़ गतिविधियों की अवधारणा

भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में आंतकवाद ने राष्ट्रों की एकता और अखण्डता को छिन्न-भिन्न कर दिया हैं और राष्ट्र में विध्वंसक एवं तोड़फोड़ गतिविधियों एवं क्रियाकलापों ने अम्बार लगा दिया है। प्रत्येक राष्ट्र के लिए आज आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, चरमपंथवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद विध्वंसक एवं तोड़फोड़ गतिविधियों के केन्द्र बिन्दु बन गये हैं। आपराधिक हिंसा में आंतक या भय इसका उपोत्पादन होता है किन्तु आतंकवाद में एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आतंक की मुख्य परिकल्पना होती हैं। आतंकवाद क्रमबद्व नियोजित ढंग से आतंक फैलाना है जिससे कि अन्य लोग एक विशिष्ट प्रकार से करने करने के लिए विवश किए जा सकें। क्योंकि अन्यथा वे उस ढंग से कार्य नहीं करेंगें। आतंकवाद में हिंसा या हिंसा के भय द्वारा दबाव का तत्व होता है। जिससे कि कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। कुछ लोग इसे एक प्रकार का सामाजिक विरोध कहते है किन्तु अन्य लोग इसे राजनीतिक प्रयोजन के लिए मन में भय बैठाने के लिए हिंसा का उपयोग करके विध्वंस, तबाही, विनष्ट कर तथा तोड़फोड़ की अवैध गतिविधियों को अंजाम देते है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आतंकवाद की कोई अधिकारिक परिभाषा नहीं दी गई है। क्योंकि इसका वर्णन करने की अपेक्षा इसकी परिभाषा देना कठिन है। आंतकवाद, विद्रोह, उपप्लव, गृह-युद्ध, क्रांति, गुरिल्ला युद्ध, अभित्रास, भयभीत करना और उग्रवाद जैसे शब्द परस्पर प्रयोग किए जाते है और इनका उपयोग मुक्त

रूप से होता है। इन सबमें हिंसा, विध्वंस, एवं तोड़फोड़ करना शामिल है। आतंकवाद अभित्रास की एक संगठित पद्धति है। यह एक हिंसक व्यवहार है जो समाज या उसके बड़े भाग में राजनैतिक उद्देश्य से भय पैदा करने के इरादे से किया जाता है।

10.3.1 विध्वंसक एवं तोड़फोड़ का अर्थ : आंतकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, साम्प्रदायिकतावाद, नस्लवाद, इत्यादि में आगजनी, तंग करना, कत्लेआम, वारदातों तथा दशहत फैलाई जाती है (क) भारत की एकता, अखण्डता, सुरक्षा या सम्प्रभुता को धमकाने या लोगों अथवा लोगों के किसी समूह में आतंक फैलाने के आशय से बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थो या ज्वलनशील पदार्थो या आग्न्येशास्त्रों या अन्य घातक हथियार या विष या खतरनाक गैसों या अन्य रसायनों का प्रयोग करके या परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थो (चाहे जैविक हो या अन्यथा) द्वारा या किसी अन्य साधनों द्वारा, चाहे जो भी हो, ऐसे ढंग से कोई कार्य या ऐसी बात करता है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु या उपहति या सम्पति की हानि या नुकसान या विनाश या समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किसी आपूर्ति या सेवा के विच्छेद को कारित करे या कारित करने के लिए संभाव्य हो या किसी सम्पति या उपकरण की, जो भारत की सुरक्षा के लिए या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, या उनके अभिकरणों में से किसी के किसी अन्य प्रयोजन के सम्बन्ध में प्रयुक्त हो या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित हो, अति या विनाश करता है या किसी व्यक्ति को निरूद्ध करता है। या सरकार अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने से प्रविरत रहने के लिए ऐसे व्यक्ति को मारने या उपहत करने की धमकी देता है।

(ख) विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत विधि विरूद्ध घोषित किए गये संघ का सदस्य है या बना रहता है या स्वैच्छापूर्वक किसी ऐसे ढंग से ऐसे संघ के उद्देश्य में सहायता देने या उसे उन्नत करने का कार्य करता है या दोनो मामलों में किसी अनुज्ञप्त अग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, विस्फोटक या अन्य उपकरण या पदार्थ का कब्जा रखता है, जो व्यापक विनाश करने में सक्षम है या कोई ऐसा कार्य करता है जिसका परिणाम मानव जीवन को क्षति या किसी व्यक्ति को घोर उपहानि होता है या किसी सम्पति को महत्वपूर्ण हानि पहुंचाता है। वह आंतकवादी कार्य करता है । इसमें सभी तरह का विनाश और शक्तिक्षीणना तोडफोड इत्यादि अवैध क्रियाकलाप सम्मिलित हैं।

10.3.2 विध्वंस तोड़फोड़ एवं आतंकवाद की परिभाषाएँ :

1. ब्रायन एम.जेन्किन्स के अनुसार आतंकवाद के कार्य में बहुधा विशिष्ट मांगों के साथ हिंसा या हिंसा की धमकी अन्तर्वलित है। कर्ता प्रायिक रूप से एक संगठित समूह के सदस्य होते हैं तथा अन्य अपराधियों के असमान, वे बहुधा इसे करने की जिम्मेदारी लेते हैं और अन्तत: कार्य आसन्न भौतिक खतरे से परे प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आशयित होता है।
2. ग्राण्ट वईला ने 'राजनैतिक आंतकवाद' की परिभाषा इस प्रकार दी है - 'राजनैतिक आतंकवाद वह व्यक्ति या समूह द्वारा हिंसा या हिंसा की धमकी का इस्तेमाल है।

वह चाहे स्थापित प्राधिकार के लिए या उसके विरूद्ध हो । जब इस प्रकार की कार्यवाही अत्यन्त चिंता और/या भय उत्पन्न करने के लिए परिकल्पित है जिस का प्रभाव आसन्न उत्पीड़ित व्यक्ति की अपेक्षा लक्ष्य समूहों पर अधिक प्रेरित करना है जिसका प्रयोजन उस समूह के कर्ताओं की राजनैतिक मांगों को स्वीकार करना है।'

3. वाल्टर लकयेर के अनुसार ' विद्रोह राजनीति सहित अनियमित युद्ध स्थिति है तथा अनियमित युद्ध स्थिति राजनीतिक रहित विद्रोह हैं।'

4. पाल विल्किसन (1974) के अनुसार 'राजनीति में आंतकवाद, भयादोहन, जबरदस्ती, और अल्पसंख्यकों के संकल्प को बहुसंख्यकों के निर्णय के विरूद्ध और उसके उपर लागू करने का हथियार है।

5. भारतीय दृष्टिकोण की परिभाषा 'आंतकवाद विध्वंस और तोड़फोड़ गतिविधियों का जनक हैं। व्यक्ति या गुट द्वारा हिंसा का प्रयोग अथवा हिंसा की धमकी, जिसका उद्देश्य राजनीतिक मांगे मानने के लिए शक्ति, गुट या सरकार को विवश करने को ही आंतकवाद कहते हैं।

10.3.3 विध्वंसक एवं तोड़फोड़ गतिविधियों की विशेषताएँ :

1. यह गतिविधियां राज्य या समाज के विरूद्ध होती है।
2. इसका मुख्य उद्देश्य राजनैतिक होता है।
3. यह गतिविधियां अवैध और गैर-कानूनी हो सकती है।
4. जनसाधारण में इनसे बेबसी और लाचारी की भावना पैदा होती है।
5. यह अवैध क्रियाकलाप बुद्धिसंगत विचारों को समाप्त कर देता है।
6. इससे लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया होती है।
7. इसमें प्रयुक्त की गई हिंसा में मनमानी होती है। क्योंकि पीडितों का चयन बेतरतीब और अन्धाधुन्ध होता है।
8. विध्वंस और तोड़फोड़ की गतिविधियां अनियमित और क्रूर उत्पीड़न, जोर-जबरदस्ती या जानमाल के नुकसान की तकनीकें है।
9. इसमें व्यक्ति को ही नहीं पूरे समाज या राष्ट्र की सम्पतियों को विनष्ट तथा चकनाचूर भी किया जा सकता है।
10. इसमें व्यक्तिगत और सार्वजनिक सम्पतियों का ज्यादा नुकसान किया जाता है।
11. इसमें खासकर व्यक्ति के जानमाल की क्षति पहुँचाई जा सकती है।
12. विध्वंस और तोड़फोड़ बम्बों, विस्फोटक पदार्थो की सहायता से हानि कारित की जा सकती है।

10.3.4 विध्वंसक एवं तोड़फोड़ गतिविधियों का क्षेत्र :

वैसे तो आज लगभग पूरा विश्व आतंकवाद की चपेट में है। किन्तु भारत दुनियां भर में आतंकवाद या तोड़फोड़ और विध्वंसक क्रियाकलापों से सर्वाधिक त्रस्त देशों में से एक है। पिछले कुछ दशकों से भारत में आंतकी घटनाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्दि हुई है।

आंतकवाद अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय क्षेत्रों में पाया जा सकता है। भारत में विध्वंसक और तोड़फोड़, गतिविधियां, सर्वाधिक त्रस्त राज्य जम्मू-कश्मीर है। भारत में नक्सलवाद भी अब आंतकवाद का रूप ले चुका है।

पहले नक्सलवाद का उद्देश्य अपने वास्तविक हक की लड़ाई था किन्तु अब यह बहुत ही हिंसक विद्रोह के रूप में देश के लिए एक समस्या एवं चुनौती बन चुका है। इसमें भी ज्यादातर विध्वंसक और तोड़फोड़ क्रियाकलापों को अंजाम दिया जाता है। प्रारंभ में यह विद्रोह पश्चिम बंगाल तक सीमित था। किन्तु धीरे-धीरे यह भारत के अधिकांश राज्य क्षेत्रों में फैल चुका हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित्त राज्य उड़ीसा, बिहार, झारखण्ड, आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र एवं छतीसगढ़ के क्षेत्रों में भी फैल गया है। वैसे तो आंतकवाद के प्रमुख कारण राजनीतिक स्वार्थ सत्ता लोलुपता एवं धार्मिक कट्टरता हैं, किन्तु नक्सलवाद जैसी विद्रोही गतिविधयों के सामाजिक कारण भी हैं जिनमें बेरोजगारी और गरीबी प्रमुख है। आंतकवादी हमेशा आंतक फैलाने के नये-नये तरीके आजमाते हैं। भीड़ भरे स्थानों, रेल, बसों इत्यादि क्षेत्रों में बम विस्फोट करना, रेल्वे दुर्घटना करवाने के लिए रेल्वे लाइनों की पटरियाँ उखाड़ देना, वायुयानों का अपहरण कर लेना, निर्दोष लोगों या राजनीतिज्ञों को बंदी बना लेना, बैंक डकैतियाँ, लूटमार करना इत्यादि कुछ ऐसी आंतकवादी गतिविधियां है। जिनसे पूरा विश्व पिछले कुछ दशकों से त्रस्त रहा हैं। बासवी सदी के अस्सी के दशक में पंजाब आंतकवाद से त्रस्त था, बब्बर खालसा एवं अन्य समूह इस आंतकवाद के जनक थे। इस पर नियंत्रण के उद्देश्य से सन् 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को सिखों के धर्मस्थल 'स्वर्णमन्दिर में' सैनिकों को कार्यवाही करने का आदेश देना पडा, क्योंकि कुछ आंतकवादियों ने इसे अपना ठिकाना बना लिया था। इस अभियान को आपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। 12 मार्च, 1993 को बम्बई में आतंकवादियों ने श्रृखंलाबद्व बम विस्फोट किए। जिनमें 267 लोग मारे गये। 13 दिसम्बर, 2001 को भारतीय संसद के कुछ कर्मचारी मारे गये। 7 मार्च 2006 को वाराणसी में बम धमाके में 100 से अधिक लोग मारे गये। 11 जुलाई, 2006 को मुम्बई उप-नगरीय रेल में बम विस्फोट हुए। जिनमें कई लोग मारे गये। 19 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट हुआ। 13 मई 2008 को जयपुर में साईकिल बम श्रृंखला विस्फोट हुआ जिसका उद्देश्य भारत में आने वाले पर्यटकों को भयभीत करना था। 28 जुलाई, 2008 को अहमदाबाद में बम विस्फोट हुआ। 26 नवम्बर 2008 को बम्बई में आंतकी हमला ताज होटल पर किया गया जिसमें 172 लोग मारे गये थे। आंतकवाद की विध्वंसक और तोड़फोड़ की गतिविधियों की आग में समूचा विश्व जल रहा है। इस आग ने विश्व के सभी देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। 11 सितम्बर 2001 को अमेरिका के न्यूर्याक स्थित विश्व व्यापार केन्द्र पर और 26 नवम्बर 2008 को मुम्बई में हुआ हमला इस बात के गवाह है कि तोड़फोड़ और विनाशकारी गतिविधियां सर्वाधिक प्रभावित्त क्षेत्रों में ही घटित हुई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, ईराक-ईरान, अमेरिका आदि सबसे ज्यादा प्रभावित्त क्षेत्र रहे हैं।

10.3.5 विध्वंसक एवं तोड़फोड़ गतिविधियों के उद्देश्य :

तोड़फोड़कर्ताओं और विध्वंसकर्ताओं के आतंक की दृष्टि से उद्देश्य प्रत्येक आन्दोलन के नाम बदल सकते हैं। परन्तु आतंकवाद के मुख्य उद्देश्य सभी आतंकवादी आन्दोलनों में से एक ही होते है। निम्न उद्देश्य व्यक्त किए गये है :

1. शासन को प्रतिक्रिया और अतिप्रतिक्रिया दिखाने के लिए प्रेरित करना 2. सरकार/समाज को आंतकवादियों की मांग को मनवाने के लिए बाध्य करने हेतु प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है अति-प्रतिक्रिया या अन्धा धुन्ध प्रतिक्रिया की आवश्यकता शासन द्वारा दमन किये जाने को दिखाने के लिए करनी पड़ती है। जिससे कि जनता उस शासन में विमुख हो जाये और जनता की सहानुभूति आंतकवादियों को प्राप्त हो जाए । सरकार द्वारा अतिविशिष्ट व्यक्तियों (वी.आई.पी.) और सरकारी संस्थाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों का उपयोग साधारण जनता की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा बलों को कम कर देता है जिससे जनता में असुरक्षा और लाचारी की भावना बढ जाती है। और आतंक फैल जाता है।
2. जनता के समर्थन को संगठित करना और संभावित्त समर्थको को और अधिक आंतकवाद के लिए प्रेरित करना या /और अधिक व्यक्तियों को इसमें अधिक लिप्त करना । विदेशी क्षेत्र में आंतकवादी गतिविधियों का उद्देश्य मित्र बनाने के स्थान पर व्यक्तियों को प्रभावित्त करना होता है। इन स्थानों पर मुख्य उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन करना होता है। एवं शासन द्वारा जनता की सुरक्षा करने और व्यवस्था को कायम रखने में असमर्थता दर्शाना होता है। 4. विरोधियों और मुखबिरों को खत्म करना और आन्दोलन के लिए खतरे को दूर करना और अपने अनुयायियों के अनुसरण को सुनिश्चित करना । 5. अपने उद्देश्य और शक्ति का प्रचार करना एवं उसे अतिरंजित करना 6. जन समर्थन प्राप्त करना 7. शासन की सैन्य एवं मनोवैज्ञानिक शक्ति को विघटित और ध्वंस करना 8. आंतरिक स्थिरता को तोड़ना और विकास को रोकना 9. सामान्य आंतकवादियों का मनोबल बढाना 10. आन्दोलन का प्रचार करना 11. जनता की स्थिति भांतिमूलक एवं मनोवैज्ञानिक अलगाव 12. विरोधीशक्तियों को हटाना तथा 13. सरकार को भड़काना इत्यादि तोड़फोड़ तथा विध्वंस के उद्देश्य स्पष्ट किए जाते हैं।

10.3.6 विध्वंसक तथा तोड़फोड़ गतिविधियों के प्रकार :

इन गतिविधियों को आंतकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, उग्रवाद तथा चरमपथवाद के द्वारा विभिन्न प्रकार देखने को मिलते है। वर्तमान में मुख्य रूप से निम्न प्रकार या वर्गीकरण आतंकवाद का किया गया है।

1. राष्ट्रीय आतंकवाद
2. अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद
3. क्रांतिकारी आतंकवाद

4. उप क्रांतिकारी आतंकवाद
5. दमनात्मक आतंकवाद
6. जैव-आतंकवाद
7. नाभिकीय आतंकवाद
8. रासायनिक आतंकवाद
9. स्थानीय आतंकवाद के रूप में वर्गीकरण किया गया है। आतंकवादियों ने विध्वंस एवं तोड़फोड़ गतिविधियों का सहारा लेकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अभी तक कई प्रकारों की तकनीक का उपयोग किया है जो तकनीक या स्वरूप आतंकवादियों के प्रयोग किए जाते है उनका वर्णन हम पूर्व में कर चुके हैं।

10.4 ब्रिटेन में आदर्श जासूसी संगठन के कार्य एवं सफलताएं

सूचना सुशासन में सूचना, सुरक्षा, निगम शासन व्यवसाय सततता, विधायिकों और विनियामक आवश्यकताएँ बढ़ रही है, एकल समग्र प्रबन्धन रूपरेखा के लिए गोपनीय और सुरक्षा तरीके के संधारण आते हैं। सूचना सुशासन के अन्तर्गत आँकड़ा शासन, सूचना प्रौधोगिक सुशासन, सूचना सुरक्षा सुसत्ता या उत्तरदायी सूचना प्रबन्ध शामिल है।

खुफिया सूचना प्रौद्योगिकी के निम्न छ: मौलिक उद्देश्य बताए हैं -

1. व्यक्तियों और कर्मचारियों के संरक्षण हेतु सभी सुसंगत विधायिकी जरूरतें पूरी करने समेत अनुपालन करना।
2. आंकडों के सुरक्षा एवं प्रवीण्यता के तरीकों आँकडों में हिस्सेदारी, संचलन, संग्रहण, सृजना की व्यवस्था करना।
3. उच्च सेवा से की मात्रा उच्च गुणवत्ता के उपबंध को प्रभाविय और इसके समुपयुक्त से है।
4. कर्मचारीवृंद और साझियों के साथ-साथ कार्य करना, हिस्सा आँकड़े संसाधन के अधिक सक्षमता समर्थकारी बनाना
5. सूचना समेत कर्मचारी प्रदान करना और समुपयुक्त सूचना सुशासन नीतियाँ और मार्गनिर्देशन करना।
6. विभिन्न कानूनों के अधीन समर्थ कर्मकारों के उत्तरदायित्व का समर्थन उच्च प्रमापों के साथ सभी को सुसंगत रूप से उनको प्रशिक्षण प्रदान करना।

सूचना सम्पदा की सुरक्षा के प्रबन्धन की पहुँच की रणनीति की जरूरत इन संगठनों को है इसकी जासूस कम्पनी मान्यता प्रदान करती है। यह कम्पनी व्यवसाय की भेदिया प्रकृति की सूचनाओं के मूल्य और इसकी स्थायी और अस्थायी जटिलतों को समझना है। कई वर्षो के अनुभव के साथ संयुक्त हुए उद्योगों के प्रमापों के सर्वोतम अभ्यास के लिए आवेदन करवाना है। यह भेदिया एजेन्सी उन संगठनों की सहायता देकर यह सुनिश्चित करना है कि सूचना विधिक, सुरक्षित, कुशलता, एवं प्रभावकारी से प्रबन्धित है।

सुरक्षा प्रबन्धन विभाग - एक सिंहावलोकन/सर्वेक्षण

यह भेदिया एजेन्सी मेधाधारित सुरक्षा समाधानों सुनिश्चित करना कि हमारे ग्राहक व्यवसाय पर प्रकाश डाल सकेगा कि उनकी मुख्य सूचना सुरक्षित है । इसमें विशेषज्ञ राय और कुशलता, तीव्र विकास, लौचशीलता और लागत मित्रता में जनन तकनीकों के सर्वोतम उपभोग आदि ये समाधानों के रास्ते हैं। जिससे आप वित्त अनुपालना आवश्यकताओं और जोखिमों के प्रबन्धन द्वारा अपने सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यवसायिक सम्पति की सूचना को बचा सकते है।

भेदिया समूह की विभिन्न इकाइयाँ या विभाग :

1. विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है।
2. अनेक संसाधनों के बारे में प्रचुर जानकारी रखी जाती है।
3. न्यायिक विज्ञान और अन्वेषण अनुसंधान को कार्य निष्पादित किए जाते हैं।
4. सुरक्षा के प्रबन्धित करने तरीके प्रयुक्त किए जाते है।
5. अनुसंधान और विकास के कार्य निपटाये जाते है।
6. गुप्तचरों से सम्बन्धित बिन्दुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करके खोजी अभिकरणों के कर्मचारियों व अधिकारियों को कुशल एवं निपुण बनाया जाता है।
7. इन्टरनेट के माध्यम से यह भेदिया अभिकरण सिखलाई के कार्य निष्पादित करती है।
8. इसके अलावा सबसे प्रमुख भेदियापन का कार्य दुश्मन या प्रतिद्वन्दी से सम्बन्धित दस्तावेज और पहँचने और समझने के लिए सड़क मार्ग के मानचित्र बनाना और प्रयोग में लेना सिखाया जाता है।

10.4.2 अनुसंधानऔर विकास विभाग :एक सिंहावलोकन :

यह भेदिया अभिकरणें अपने परिणामों के प्राप्ति के पूर्णतया समर्पित रहती है। और अनुसंधान और विकास विभाग अपने विभिन्न क्षेत्रों जैसे 1. परियोजना प्रबन्ध 2. विपणन अनुसंधान 3. सुरक्षा प्रबन्ध 4. उपभोक्ता संलग्नता प्रबन्ध तथा 5. नवोन्मेषीय प्रबन्ध आदि के बारे में सर्वेक्षण कार्य संपादित कर उनको उद्देश्य के अनुसार निष्पादित भी करती है। इस विभाग में कार्यरत दल के सदस्य अपने विषय में विशेषज्ञ और पारंगत दक्षता आलोचनात्मक विश्लेषण नवोन्मेषीय नवाचारों इत्यादि में पर्याप्त कुशलता, अनुभव और विशाल स्तर पर भूमिका सततशीलता में कायम रखता है। खोजे और विकास विभाग सूचना सुरक्षा और अंककीय न्यायिक विज्ञान में माध्यम/साधन रखती है। अधिक से अधिक सीखने हेतु यह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय साझेदारी में मिलकर विभिन्न परियोजना कार्यो को संचालित करके मुर्तरूप प्रदान करती है। अधिक जानने के लिए कुशलता पूर्वक प्रक्रिया चलाकर अपने ग्राहकों के बताये विवाधकों या मुद्दों के अनुसार बेमिसाल समाधानों का निर्माण सेवा

नवीनीकरण अपनाकर प्रदान करती है। अधिक जानने के लिए सूचना सुरक्षा निगरानीकर्ताओं के लिए समालोचनात्मक सूझबूझ वाणिज्यिक अनुसंधान के माध्यम से प्रदान करना रहता है। वाणिज्यिक अनुसंधान या खोजबीन के अन्तर्गत 1. प्रशिक्षण अनुसूची बनवाया 2. इन्टरनेट से सिखलाना 3. पहले से ही प्रशिक्षण आरक्षित करना तथा 4. वैधुतकीय प्रशिक्षण भी प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित किया जाता है।

10.4.3 ई-सिखलाई विभाग : खुफिया अधिकारीगण, ऑनलाइन पर अनेक सूचना सुरक्षा पर पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्ताव देती है। और किसी भी पाठ्यक्रम को किसी भी समय में प्रशिक्षण लेने के लिए अनुज्ञात करती हैं ताकि खुफिया विशेषज्ञ बनाये जा सके। बिना कोई अनुसूचियाँ या प्रतिभागियों की अवस्थितियाँ बताए अपने पहुँच के अनुसार उच्च गुणवत्ता ओर कार्य में रखे गये विषय वस्तुओं को अपने समय सूची के अनुसार उपयुक्त कर सकते हैं और इसमें किसी प्रशिक्षणार्थी को किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकती है। यह खुफिया संगठन बेपरवाह होकर उनकी अवस्थितियों के अनुसार विशाल संख्या में कर्मचारियों पाठ्यक्रमों को यह संगठन फैलाता है। और प्रस्ताव आनलाइन ही भेजता है कि इसमें से कोई भी पाठ्यक्रम ई-लर्निंग द्वारा पूरा कर सकते हैं। इसमें पूर्णतया खुफियागिरी सिखलाई जाती है। ई-सिखलाई के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव दिए जाते है -

1. गुणवत्ता सम्बन्धित विषय वस्तु सामग्री का चयन।
2. उच्च रूप से लचीलेपन के अनुसार सुपुर्दगी तंत्र अपनाना।
3. पूर्णरूप से निरीक्षण और तलाशी का अवसर देना।
4. लागत-असरकारी मापक्रम अपनाना आदि प्रस्ताव भेजे जाते हैं। यह

गुप्तचर अभिकरण का महत्वपूर्ण सोपान ई-सिखलायी होता है।

संगठन के ई-सिखलाई द्वारा प्रस्तावित्त खुफिया पाठ्यक्रम : इस खुफिया संगठन द्वारा दुनियाभर में निम्नलिखित गुप्तचरों से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का संचालन वर्तमान में किया जा रहा है, यथा -

1. सूचना सुरक्षा जागरूकता
2. मेघावरित सुरक्षा होशियारी
3. सूचना-तकनीक सुरक्षा सम्बन्धित अपराधों (साइबर) में जागरूकता
4. लहर प्रयुक्त सुरक्षा
5. परिकलन-यंत्र न्यायिक विज्ञान के मौलिक तत्व
6. आंकड़ा संरक्षण
7. मकड़जाल

   सुरक्षा के मूल तत्व
8. जोखिम प्रबन्धन का परिचय
9. पी.सी.आई. डी.

एस.एस. का परिचय

10. अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन 27001 का परिचय इत्यादि पाठ्यक्रमों को संचालन ई-लर्निंग कार्यक्रमों के माध्यम से ब्रिटेन देश के लंदन शहर में यह पाठ्यक्रम चलाये जा रहे है। इसके विभागाध्यक्ष ग्रेमी विल्सन, गुप्तचर तकनीक विभाग चला रहे है। जिमलेहने विक्रय निदेशक है तथा मारग्रेट का वंध इस संगठन के संचालन निदेशक हैं। प्यालो पिसानी इस संगठन के क्षेत्रीय विक्रय प्रबन्धक की हैसियत से कार्य कर रहे हैं। इनकी संस्था/संगठन का नाम एस्पिओन लि. है।

तकनीक वित्तरण/प्रभाग : एस्पाइन की आज दुनियां में गुप्तचरी मामलों में भी तकनीकी प्रकरणों में खासकर पकड़ है। विभाग के विभिन्न तकनीकी औजारों, उपकरणों, यंत्रों एवं संयंत्री की सुविधा प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रही है। जहां भी तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत पड़े वहां सर्वोत्तम वर्ग की सुरक्षा और प्रौद्योगिकी मकड़जाल (नेटवर्क) की उत्कृष्ठ सुविधाएँ हर पल मिल रही है और प्रभाग द्वारा शत-प्रतिशत तकनीकी मामलों की खोजबीन करने में समुचित एवं पूर्णरूप से सफलता अर्जित की जा रही है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से हम अध्ययन करें तो यह पायेगें कि व्यवसाय में तकनीकी सहायता लेकर लागतों में घटोतरी और कार्य कुशलता में काफी सुधार किया है। पुन: विक्रेतागण इस संगठन को अपने समाधानों का प्रत्युतर दे सकते है और इस बात का समर्थन कर सकेंगे कि वह सुपुर्दगी वास्तव रूप में मूल्यवान रही थी। खुफिया संगठन ने वस्तु-चिन्हों के लिए अद्वितीय हल निकाल करके दृष्टिकोण से हटकर कार्य किए हैं। इससे वास्तविक बाजार की जरूरतों का सचमुच में पूरा किया जा सकेगा। हम प्रत्येक उत्पाद के विषयानुसार कठोर परीक्षण सुनिश्चित करते हैं जो कि यह उभर रही तकनीकों के हमारे नवीन मापदण्डों तक पहुंच सकेंगे। इस संगठन की समर्पित तकनीकी विशेषज्ञों विक्रय और प्रशिक्षण में महारत हासिल कर रखी है। इसमें सतत: प्रशिक्षण से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि साझेदारों और अंत में ग्राहकों को अनुकुलतम बिक्री को सहारा मिल सकेगा। इसमें यह जासूसी संगठन शानदार कार्य प्रणालीय सम्बन्धों को हमारे बिक्रीकर्ताओं के साथ आंनद ले रहे है। प्रत्येक अपने अपने विशेषज्ञा के क्षेत्रों में जानदार एवं प्रख्याति के रूप में मान्यता हासिल कर रहे हैं। इस खुफिया विभाग के बारे में अपने आप गर्व से कह सकेंगे कि उनकी स्त्रोत, सुपुर्दगी और समर्थित तकनीकें वास्तविक बाजार जरूरतें तथा इसके तात्कालिक विनियोग वापसी का पता लगा सकेंगे।

10.4.5 न्यायिक विज्ञान तथा खोज-तलाशी सेवा प्रभाग : अपराधों के अन्वेषण में सत्य खोजबीन करने के लिए न्यायिक विज्ञान के अनेक प्रकोष्ठों यथा 1. रासायनिक प्रभाग 2. भौतिक प्रभाग 3. जीव विज्ञान प्रभाग 4. विस्फोट विज्ञान प्रभाग 5. आग्न्येयास्त्र प्रभाग 6. अभियांत्रिकी प्रभाग 7. कला-कौशल विज्ञान प्रभाग 8. अंगुलि एवं पद चिह्न प्रभाग 9. न्याधि विज्ञान प्रभाग 10. मानव विज्ञान प्रभाग 11. कीट विज्ञान प्रभाग 12. विष-विज्ञान प्रभाग 13. मनोचिकित्सा विज्ञान प्रभाग 14.विवाद्यक दस्तावेज विज्ञान प्रभाग 15.

रक्तोदक विज्ञान प्रभाग 16. दंत चिकित्सा विज्ञान प्रभाग 17. परिकलन यंत्र विज्ञान प्रभाग 18. कृषि-विज्ञान प्रभाग 19. चिकित्सान्याय विज्ञान प्रभाग तथा 20. भूगर्भ विज्ञान प्रभाग इत्यादि प्रभाग इस क्षेत्र में कार्य करते हुए अपनी कुशलता एवं अनुभव का बेजोड़ करिश्मा प्रदर्शित करते हैं।

इस विभाग को निम्नलिखित भागों में मौटे-तौर पर वर्गीकृत किया गया है-

अ.	अंकीकरण अन्वेषण	ब.	वैद्युतकीय तलाशी
स.	तकनीकी	द.	नक्शा रूपरेखा प्रशिक्षण

अ. अंकीकरण अन्वेषण के अन्तर्गत परिकलन यंत्र न्यायिक विज्ञान की प्रक्रिया,

प्रविधियों और इन मुद्दों को औजारों द्वारा कामयाबी दिलाना है। ब. वैद्युतकीय तलाशी के अन्तर्गत वैद्युतकीय रूप से संग्रहीत सूचना को मांगने पर कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन करने से है। स. प्रौद्योगिकी इसके अलावा यह गुप्तचरी संगठन (एस्पाइन) ई-तलाशी के काटे किनारों और उनके ग्राहकों को न्यायिक तकनीकी विज्ञान द्वारा समस्याओं का हल निकालतें हैं। कम्प्यूटर न्यायिक विज्ञान के मूलभूत तत्वों के बारे में विश्लेषण करके परीक्षण किया जाता है। इसमें कम्प्यूटर (संगणक/परिकलन यंत्र) के अंककीय विज्ञान की सहायता से ऐसी घटनाओं तथा अंककीय साक्ष्य को सर्वोतम तरीके से कैसे व्यवहारित या आचरित किया जाये, न्यायिक विज्ञान विश्लेषण तथा अन्वेषण के दौरान आने वाले विधिक पेचीदगियों के समाधान के तरीके सिखाए जाते हैं।

10.4.6 चित्रांकन चेहरा संसाधन प्रभाग :

भारतीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में इस विभाग में कला-कौशल की प्रचुर धनी कलाकारों को नियोजित किया जाता है। यह ब्रिट्रेन का जासूसी अन्वेषण वाला संगठन श्वेत-पत्र किसी भी महत्वपूर्ण विवादित चर्चित आपराधिक या सिविल मामले की सम्यक तलाशी लेने के बाद खोज में पाये गये सुरागों का खुलासा इस श्वेत-पत्र को जारी करके कर सकता है। इसमें यह भी खुलासा किया जाता है कि किस तरह विधि फर्मस किस तरह अन्तर-प्रकाशित करती है। तड़के दबिच/दलेल आयोग द्वारा इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। और इस ई-तलाशी या खोजबीन में आने वाली उलझावों/उलझनों और जटिलताओं को इस दबिच के माध्यम से सुलझाया या सुराग का आसानी से पता लगाया जा सकता है। भारतीय परिदृश्य में अपराधी का मालूम नहीं होने पर चित्रकार या कलाकार द्वारा उसे देखने वालों के बताए अनुसार उसके चेहरे व पहनावे का हुलिया स्कैच किया जाता है। वह कलाकार यह पैंसिल से रेखांकित करके चित्र को बना देता है। और पुलिस के अन्वेषण अधिकारी इस बनायी गई फोटो को अखबारों में हुलिए या शक्ल या चेहरे की पहचान सुश्चित करवाने के लिए समाचार-पत्र-पत्रिकाओं तथा प्रसारण माध्यमों के द्वारा उसको दूरदर्शन, सिनेमाघरों में दिखाकर प्रदर्शित किया जाता है। इस रेखांकित की गई फोटो को पहचान करके जनता पुलिस के खुफिया विभाग या सुरक्षा दलों को सूचित कर देती हैं।

भारत में सूचना अधिकार व अन्य कानूनों में सूचना देने पर प्रतिबंध सम्बन्धी प्रावधान : भारत में निम्नलिखित केन्द्र सरकार के आसूचना व सुरक्षा के संगठनों से सम्बन्धित सूचनाओं के लेने पर इस कानून की धारा-8 एवं 24 में स्पष्टत प्रतिबंध लगाने के प्रावधान किए गये है। इसमें निम्नलिखित केन्द्र सरकार के आसूचना और सुरक्षा संगठनों की सूचना नहीं ले सकते हैं।

1.आसूचना ब्यूरो 2. केन्द्रीय सचिवालय का अनुसंधान और विश्लेषण अनुभाग 3. राजस्व आसूचना का निदेशालय 4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो 5. प्रवर्तन निदेशालय 6. स्वापक औषधि नियंत्रण ब्यूरों 7. उांयन अनुसंधान केन्द्र 8. विशिष्ठ सीमान्त बल 9. सीमा सुरक्षा बल 10. केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल 11. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस 12. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 13. राष्ट्रीय सुरक्षा प्रहरी 14. आसाम राइफल्स 15. विशिष्ठ सेवा ब्यूरों 16. विशिष्ठ शाखा (सी.आई.डी.) अण्डमान व निकोबार 17. आपराधिक शाखा (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों) आपराधिक शाखा, दादरा और नागर हवेली 18. विशिष्ठ शाखा लक्षदीप पुलिस इत्यादि आसूचना एवं सुरक्षा संगठनों के बारे में प्रतिबंध लगाया गया है।

2.इसी तरह सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा-5 में सरकारी विभागों के गोपनीयता में आने वाले दस्तावेजों के बारे में सूचना नहीं दी जा सकती है।

3.लोक अभिलेख अधिनियम 1993 एवं नियम 1997 के अन्तर्गत अभिलेख अधिकारी पूरी सूचना देने या नहीं देने की जिम्मेदारी धारा 6 में दी गई है। तथा धारा-7 में अनाधिकृत हटाये गये दस्तावेजों को नष्ट करने या उसकी अभिरक्षा में रखने का प्रावधान किया गया हैं।

4.1. प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957, 2. आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 3. लोक सम्पति को नुकसानी का निवारण अधिनियम, 1994 4.1 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, 5. वायुसेना, नौसेना व थलसेना अधिनियमों 1950 व राजदोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम 1911 में सुरक्षा की व्यवस्था की गई हैं।

10.5 आतंकवाद गतिविधियां एवं तोड़-फोड़ उत्पन्न होने वाले प्रमुख कारण

भारत तथा दुनिया में आतंकवाद की कई तरह से जन्म होता है। आतंकवाद व्युत्पन्न होने वाले अनेक प्रमुख कारण निम्नानुसार परिगणित किए जा सकते है।

- उपनिवेशवाद
- साम्प्रदायिकतावाद
- धार्मिक उन्माद
- नक्सलवाद
- राजनीतिक विद्वषता
- आर्थिक विषमता
- तकनीकी विकास

जटिल संचार के साधन
संप्रेषण का अंतराल
नैतिकता का पतन
निर्धनता
बेराजेगारी
एकाकीपन
विरोध या संघर्ष कासंकट
मानवीय मूल्यों में गिरावट
अनुचित निशाने पर लेना
हिंसात्मक क्रांति का बढ़ना
विदेशी निवेश
हथियारों की तस्करी
मानव दुर्व्यवहार
परमाणु परीक्षण
उग्रवादियों
पृथकतावाद
अहंग्रस्तता
समाजिक मनोवैज्ञानिक
छापामार मिथक
आधुनिकरण की प्रवतियां
मानवाधिकारों का उल्लंघन

10.6. आतंकवादी विध्वंसक क्रियाकलाप एवं तोड़-फोड़ गतिविधियाँ के नियंत्रण के कारगर उपाय:

आतंकवाद कानून बनाने के साथ ही हमें आतंक को रोकने के लिए कुछ तन्त्रों की रचना करनी आवश्यक है। आतंकवाद और राजनैतिक हिंसा आज भारतीय समाज के लिए अभिशाप बन गये हैं, ये दोनों ही देश अराजकता और अस्तव्यस्तता की ओर ले जा रहे है। आतंकवादी धर्म, क्षेत्र, भाषा और संस्कृति के नाम पर हत्याएं करते है। आतंकवाद के खूनी पंजे से देश के सभी राज्यों और खासकर कश्मीर घाटी, डोडा, उधमपुरा, राजौरी व पूंछ इत्यादि सभी जिलों की पवित्र भूमि लहुलूहान हो चुकी है। जिसके कारण पूरे भारत की सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक अनेक हिंदू परिवार आतंकवाद से खासे पीड़ित है। आतंकी दुख: सहने के बाद भी अपनी जन्म भूमि से विस्थापित होने को तैयार नहीं है। बल्कि बलिदान देने को तत्पर हो जाते हैं। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सरकार को एक साथ कई तरह के कदम एक साथ उठाने होगें। कारगार एवं व्यापक नीति बनाकर देश की एकता और अखण्डता को सुरक्षित रखना चाहिए और आमजन और

नागरिकों की जानमाल और गरिमा की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। आतंकवाद से हमारी मातृभूमि की रक्षा करने की जरूरत है। भारत के लिए सीमा पार आतंकवाद सर्वाधिक खतरे की घंटी बना हुआ है। आतंकवाद के सभी प्रकारों को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय और सुझावों पर अमल त्वरित गति अपनाकर करना होगा।

(1) हमारे देश की सीमा पर सशस्त्र सुरक्षा बलों की चौकियों स्थापित की जाएं (2) देश की सीमा पर पुलिस गश्त बढ़ाने और चारों ओर तारबंदी की जाए। (3) सैनिक और अद्धसैनिक बलों को आतंकवाद पर अंकुश लगाने हेतु सशक्त और अधिकार प्रदान किए जाए। (4) प्रशासन और सुरक्षा बलों के मध्य आपस में समन्वय होना चाहिए (5) प्रत्येक राज्य में देश द्रोही और देश भक्त की पहचान सुनिश्चित की जाए। (6) देश में घुसपेठियों को आधार कार्ड और राशन और निर्वाचन कार्ड बनवाने पर रोक लगाई जाए। (7) आतंकवादी गतिविधियों पर कारगर नियत्रंण के लिए प्रशासन और सुरक्षा बलों को विशेष प्रशिक्षण देना सुनिश्चित किया जाए। (8) ग्रमीण सुरक्षा समितियों का गठन चुनाव केन्द्र स्तर पर अधिकाधिक किया जाए। (9) आतंकवादियों और घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय युवकों को सेना में ज्यादा से ज्यादा भर्ती किया। (10) भयावहक संवेदनशील क्षेत्रो में सैनिक छावनियों को स्थायी रूप से स्थापित किया जाए। (11) आतंकवादियों से डटकर मुकाबले करने वाले युवकों का मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्हें राष्ट्र-सपूत शहीद का पुरस्कार दिया जाए। (12) आतंकवाद से पीड़ितों के लिए शहीद परिवार शिक्षा संस्थान और विस्थापन केन्द्रों को स्थापित किया जाए। (13) आतंकवाद से पीड़ित परिवार को शहीद परिवार सम्मान से विभूषित किया जाना चाहिए। (14) युवाओं में संस्कारों पैदा करने के लिए भारतीय और राष्ट्रीय चेतना केन्द्रों को स्थापना की जाए। (15) आतंकवादी समर्थकों को कड़ी चेतावनी के साथ उनको सुविधाओं से वंचित रखा जाए (16) देश में अलगाववाद, उग्रवाद, चरमपंथवाद, पृथकतावाद को मिटाया जाए (17) अल्पसंख्यकों और सभी लोगों की समझ, सहयोग, दया, मित्रता, करूणा और मानवता के मूल्यों को पोषित एवं विकसित किया जाए। (18) सभी व्यक्ति देश मे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करें और इनकी विधियता का भी समादर करें। (19) युवकों में व्याप्त अंसतोष, चिंता, तनाव, अवसाद और दबाव पर नियंत्रण लाने हेतु योग और प्रक्षाध्यान केन्द्रों की स्थापना की जाए। (20) सत्य, अहिंसा, और शांतिपूर्ण साधनों को जीवन में आजमाए जाए। (21) युवकों में चिरस्थादी की खुशी आनंद, और शांति स्थापना के लिए आध्यात्मिक पर जोर दिया जाए। (22) मीड़िया मानवता, समाज, समुदाय और राष्ट्रीय अस्मिता को बरकरार रखने पर बल, देवें और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। (23) आतंकवादियों द्वारा व्यक्तियों एवं वायुयानों के अपहरण, बंधक बनाने, बमबारी करने, वित्तपोषित करने सहायता आश्रय देने वाली प्रवृत्तियों पर अंकुश सुनिश्चित किया जाए। (24) आतंकवादियों को दमित करने के लिए अपहरण, हत्याएं, फिरौतियों, सीमापार औषधि, हथियारों और मानव, दुव्यापार पर प्रतिबंध लगाए जांए। (25) आतंकवादी निरोधक केन्द्रों को स्थापित किया जांए। (26) सभी

नागरिक, प्रशासक और शासक और नेतागण आतंकवादियों और इनको संगठनों से नहीं जुड़े रहे और सहायता और संपर्क रखना भी बंद कर देवें। (27) सभी नागरिक, प्रशासक, और शासक नेतागण, आतंकवादियों और इनको संगठनों से नहीं जुड़े रहे। सहायता और संपर्क रखना भी बंद कर देवें। (28) भारत की आतंरिक सुरक्षा तंत्र में व्याप्त कमियों के निवारण करने के बाद व्यापक सुरक्षा सुधार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पुलिस और सैन्यबल के प्रहरियों की ड्यूटी केवल 3 घंटे की ही निश्चित की जाए। (29) दोषी पाए जाने वाले आतंककारियों की न्यायालय द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। (30) सैनिक सुरक्षा, पुलिस बलों और अर्द्धसैनिक को बलों को आशुनिकतम तकनीकी और सर्वोतम संचार व्यवस्थाओं और अधिकतम सुसज्जित और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण हथियार उपलब्ध करवाए जांए।

उपसंहार/निष्कर्ष : आतंकवाद एक ऐसा दीमक है जो धीरे-धीरे आतंरिक रूप से राष्ट्र की जड़ो को खोखला कर देती है। अलगाववर्धन विचारों से आतंकवाद बढ़ने के कारण देश के अंदर ही देश के विरूद्ध एक सशस्त्र सेना खड़ी हो जाती है। फलत: राष्ट्र की शक्ति को क्षीण करने लगती है। आतंकवाद के कारण समाज भयग्रहस्त जीवन जीता हुआ मानसिक रूप से अविकसित रह जाता है। आतंकवाद से व्याप्त अत्याचार, व्याभिचार और हिंसा का परिणाम अंत की रक्षा करने वाले बलिदानों की श्रृंखला प्रतिदिन बढती जा रही हैं। आतंकवादी आज सुरसहा की तरह बड़ी-बड़ी बाहें फैलाकर और मुंह का जबड़ा खोलकर निर्दोष और निहत्ये लोगों को काल कवलित कर रहे है। पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर में प्रायोजित आतंकवाद इसकी गुप्तचर ऐजेन्सी (आई.एस.आई) के कारनामों से जगजाहिर हो चुका है। भाड़े के विदेशी आतंकी-लड़ाकों का खुल्लेआम उपयोग लिया जा रहा है। सम्प्रदाय के नाम पर गुमराह किए गए नवयुवकों के हाथों में हथगोले और बंदूक थमाकर नरसंहार करने तांडव से भी जब पाकिस्तान का मसूबा पूरा नहीं हुआ तो उसने कारगिल युद्ध को अंजाम देकर बुरी तरह मात खा चुका है। हाल ही वर्षो में विश्व समुदाय कश्मीर समस्या पर जिस मुखरता और प्रखरता के साथ हमारे साथ खड़े हैं। वह हमारी विजय का परिचायक है। कारगिल युद्ध ने पाकिस्तान के खतरनाक इरादे और छदम युद्ध की नीति को बेनकाब कर दिया।

आतंकवाद के कारण कश्मीर का हिन्दू समाज पूरी तरह तहस-नहस हो गया है। प्रशासन पंगु हो गया। घाटी के अल्पसंख्यक हिन्दू समाज का जनजीवन पूरी तरह असुरक्षित हो गया है। आतंकवादी सबको मौत के घाट उतारकर फरार हो जाते है। आतंकवाद ने सामाजिक प्रभाव में शिक्षा, सरकारी तंत्र, व्यापार, व्यवसाय, भाई-चारे, निर्माण कार्यों, विकास कार्यो, उत्सवों, समारोहों व सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रभावित्त करके हिन्दुओं को विस्थापन और पलायन के लिए मजबूर कर दिया। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों, प्रशासन और पुलिस की भूमिका नगण्य कहीं जा सकती है। भारत के पद्रशों में आतंकवाद फैलाने बढ़ाने में केन्द्र सरकार एंव राज्य सरकारों की गलत नीतियां दोषी रही है। सुरक्षा बलों में आतंकवादियों को मारने की बजाए आत्म सम्पर्ण करवाने की प्रवृत्ति अधिकतर देखी गई है। हमारे जवान दिन-ब-दिन शहीद होते गये और आतंकवादियों का इससे मनोबल बढ़ने लग गया। जम्मू-कश्मीर

के सामाजिक संगठनों ने आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष का बिगुल बजाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। हिन्दु रक्षा समिति, बलिदान स्मारक समिति, राष्ट्रीय स्वयं संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर अपने देशभक्ति के परचम को लहराया दिया है। इस अध्याय के शुरू में भारतीय संदर्भ में आतंकवाद के उद्देश्यों को विवेचित किया गया है। इसके बाद मानवजाति के इतिहास में आतंकवाद की ज्वलंत समस्या पर चर्चा की गई है। आतंकवाद की अवधारणा के अन्तर्गत प्राचीन काल से वर्तमान काल तक के आतंकवादी कृत्यों, उत्पति और विकास की चरणों को रेखांकित किया गया है। आतंक के अर्थ और परिभाषा को व्यक्त करने के साथ इसकी विशेषताएं परिक्षेत्रों, आतंकवादी गतिविधियों, इसकी प्रमुख ज्वलत घटनाओं पर प्रकाश डाला है। आतंकवाद के विभिन्न 40 प्रकारों को समाहित करके इनकी स्पष्ट विवेचना की गई। आतंकवाद उत्पन्न होने वाले कारकों/घटकों/कारणों को स्पष्ट करने के पश्चात आतंकवाद के धार्मिक, राजनैतिक समाजशास्त्रीय, वैधानिक और आर्थिक परिपेक्ष्यों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। आतंकवाद के विविध बदलते स्वरूपों और विमाओं के राष्ट्रीय और अन्रतराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों और इनके प्रशिक्षण केन्द्रों के बारे में विवेचना की गई है। आतंकवाद की वास्तविक स्थितियों को उजागर किया गया है। इसके बाद आतंकवादी समस्याओं और चुनौतियों की व्यवस्थाएं की गई है। आतंकवाद के परिणामों और इसके संदर्भ में मानवाधिकारों के उल्लंघन और संरक्षण के प्रभावों को स्पष्ट किया गया है। आतंकवाद के निवारण हेतु किए गये वैश्वीकरण हमे आयामों के परिदृश्यों के विवेचित किया गया है। भारत में आतंकवाद का सामना करने के लिए प्रयुक्त होने वाले इजरायली, अमेरिकन और भारतीय मॉडल को प्रस्तुत कर इनके परस्पर भेद को रेखांकित किया गया है। अंत में, आतंकवाद के निवारण और समाधान करने के विभिन्न उपायों औ अमूल्य सुझावों को भली प्रकार से बताया गया है। हाल ही में सितम्बर 2013 में सीरिया में आतंकवाद के आधुनिक स्वरूपों में शामिल हुए महिला आतंकवादी गिरोह भी संगठित होकर अन्तर्राष्ट्रीय दृश्यों में मुखरित हो रहे यह भी एक नवीन वैश्वीक आंतकवाद को नया रूप उभर कर आया है और भविष्य में भी अनेक स्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं।

10.7 सारांश

देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की तरह से ही दूसरे देश की शासन प्रशासनिक व्यवस्था, देश की सुरक्षा, एकता, अखण्डता और सम्प्रभुता को कमजोर मजबूती प्रदान करने के लिए आसूचना ब्यूरों कार्य करते है। देश में आंतरिक सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था बनाने के लिए गोपनीयता की परिधि में आने वाली सूचनाएँ नहीं देनी चाहिए। यदि इनके बारे दुश्मन राष्ट्र ज्यादा फायदे ले लेते हैं। उनकी ओर हम देश में व्याप्त खतरों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे है। आज सबसे ज्यादा देश एवं दुनियाँ की ज्वलंत समस्याएँ यथा आंतकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, साम्प्रयिकतावाद, उग्रवाद, अलगाववाद, चरमपंथवाद, इत्यादि से देश की एकता और अखण्डता सही सलामत रखना परमावश्यक हैं। देश के विभिन्न सुरक्षा स्थलों को कई भागों में बांटा गया हैं। देशों को आज की दुनियां

को सुरक्षित करने की जरूरत हो गई है। इन्हें आंतरिक, बाहरी अभिकरणों, सीमापार, तटवर्ती, राज्य, व्यक्तिगत, सार्वजनिक, साइबर, वित्तीय, लेखांकन, यातायात एवं सड़क सुरक्षा अपनाने की जरूरत तीव्र रूप से हो गयी है। हमारे देश की सरहद की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण हो गया है। देश में एकता, अखण्डता तथा सम्प्रभुत्व सम्पन्नता की रक्षा करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी प्रयास सार्थक कहें जा सकते हैं। जासूसी के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विधि देशीय विधि तथा स्थानीय कानूनों के अन्तर्गत, जासूस, जासूसी तथा संगठनों के बारे मे विस्तारपूर्वक विवेचना कर चुके हैं। देश में जासूसी प्रवृत्ति तथा विध्वंसक एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की जरूरत अहम हो गई है। हमारे देश की बाहरी सुरक्षा सैन्यदलों, अर्द्धसैनिक दलों तथा पुलिस द्वारा निष्पादित की जाती है।
प्रत्येक व्यक्ति की निजी सुरक्षा रखना भी अतिआवश्यक हो गया है। हमारी संसद द्वारा निजी सुरक्षा अधिनियम, 2006 में पारित किया गया था। इस कानून के अन्तर्गत विभिन्न 1. सुरक्षा प्रहरी अभिकरण 2. अन्वेषण अभिकरणों 3. तालासाजी अभिकरणों 4. वैद्युतकीय सुरक्षा प्रणाली अभिकरण 5. मूल्यवानों के सुरक्षा अभिकरणों तथा 6. सुरक्षा परामर्शी अभिकरणों के बारे में विशद विवेचना कर लेना श्रेष्ठकर समझते है। इस इकाई के अन्तर्गत, जासूसी, विध्वंस तथा तोड़ाफोड़ी गतिविधियों के संप्रत्यय को समझाया गया है। इसके क्रियाकलापों, गतिविधियों और सीमाओं के बारें में विस्तारपूर्वक विवेचना कर चुके है। जासूसी, विध्वंसक एवं गतिविधि के सम्बन्ध बनाये गये नियमों के बारे में स्पष्ट रूप से विवेचना कर चुके है। इसके साथ ही आदर्श रूप में मॉडल के रूप में संचालित ब्रिट्रेन की खुफिया विभाग को भी स्पष्टत: व्याख्या कर चुके है और देश में जासूसी घटनाओं तथा विध्वंसक और तोड़फोड़ गतिविधियों में प्रकाश डाल चुके हैं।

10.8 शब्दावली

1. जासूसी : से तात्पर्य किसी भी देश की शासन, प्रशासन, तथा सुरक्षा सम्बन्धी मामलों में दुश्मन या विरोधी देश के गुप्तचरों द्वारा सामरिक, आर्थिक और सम्प्रभुता के क्षीण करने वाली सूचनाओं को चुपचाप हासिल करने से है।
2. विध्वंसक : से अभिप्रेत देश को विघटनकारी तत्वों द्वारा विभाजित करके टुकडे-टुकडे करके उन्हें विनष्ट करने वाली गतिविधियों से है।
3. तोड़फोड़ :से मतलब आगजनी, तंग करना, कत्लेआम, वारदाते करना तथा राज्य में रहने वाले लोगो को डराने धमकाने कर नुकसान पहुँचाने वाले अवैधक्रिया कलापों से है।
4. राष्ट्रीय एकता :से तात्पर्य है राष्ट्र के विभिन्न घटको मे परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारा कायम रहने से है।
5. अखण्डता :से तात्पर्य देश को अक्षुण्य बनाये रखते हुए इसके विघटन नहीं करने से है।

6. सम्प्रभुता सम्पन्न : से तात्पर्य देश के आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी राष्ट्र के हस्तक्षेप नहीं करने से है। अर्थात् देश किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं रहेगा।
7. निजी सुरक्षा : से तात्पर्य व्यक्ति की अपनी खुद की व्यक्तिगत सुरक्षा करने से है।
8. लोक सुरक्षा : से तात्पर्य सभी नागरिकों या व्यक्तियों की सार्वजनिक सुरक्षा करने से है।
9. आंतरिक सुरक्षा : से तात्पर्य देश के भीतर स्थापित सुरक्षा एवं शांति स्थापित करने से हैं।
10. बाहरी सुरक्षा : से मतलब देश के बाहरी दुश्मनों से देश की सीमाओं की रक्षा करने से हैं।
11. अवैध सभा : से तात्पर्य जहां 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य/लोप करने के लिए साशयित इकट्ठा होने से है।
12. आपराधिक षडयंत्र : से तात्पर्य जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी वैध साधनों द्वारा अवैध कार्य या किसी वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा आपस में एक राय होकर करने से है।
13. पंथनिरपेक्षता : से तात्पर्य राज्य द्वारा धर्म के मामले में तटस्थ रहने से हैं अर्थात राज्य न तो किसी धर्म का संरक्षण करेगा और न ही किसी धर्म में बाधा उपस्थित करेगा।

10.9 अभ्यासार्थ प्रश्न

1 जासूसी से आपका क्या तात्पर्य हैं। खुफियापन की अवधारणात्मक पहलूओं की समग्र दृष्टि से विवेचना कीजिए।

2 जासूसी के लक्षणों को बताते हुए इसके क्षेत्र, उद्देश्य, प्रकार तथा महत्व पर प्रकाश डालिए।

3 विध्वंसक गतिविधियों से आपका क्या अभिप्राय है? विध्वंसक तथा तोड़फोड़ की अवधारणा के मुख्य बिन्दुओं को उजागर कीजिए।

4 आप किस देश की जासूसी को आदर्श मानते हैं? ब्रिट्रेन में कार्यरत आदर्श संगठन (इस्पाइन) के बारे में समीक्षा कीजिए।

5 भारत में विध्वंसक एवं तोड़फोड़ क्रियाकलापों पर प्रकाश डालते हुए इनकी सीमाओं की व्याख्या कीजिए।

6 राजस्थान में आपकी नजर में कोई खुफिया एजेन्सी कार्यरत है। इसकी समग्र गतिविधियों एवं कार्यों को उजागर कीजिए।

7 जासूसी, शक्तिक्षीणताएँ तथा विनष्टताओं के निवारणार्थ सरकारी तथा गैरसरकारी प्रयासों के बारे में उल्लेख कीजिए।

8 जासूसी सूचनाओं तथा विध्वंसक गतिविधियों एवं तोड़फोड़ करने सम्बन्धी क्रियाकलापों के निवारण के लिए कौन-कौनसे कानून और नियम बनाए गये है। इसकी स्पष्ट विवेचना कीजिए।

9 जासूसी के दमन तथा विध्वंसक और तोड़फोड़ सम्बन्धी कार्यों पर स्थापित किए गये नियंत्रणों हेतु अपनाये गये कारगर उपायों पर चर्चा कीजिए।

10 देश में विभिन्न प्रकार की सुरक्षात्मक विभागों या अभिकरणों की कार्यप्रणाली व शक्तियों पर प्रकाश डालिए।

10.10 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. आर.एन.मानिकराम , सिक्यूरिटी, इस्पाइनेज एण्ड काउण्टर इन्टेलीजेन्स प्रथम संस्करण, , दिल्ली 2004
2. तनेजा व साक्षी पाराशर, ई-सिक्यूरिटी - विकास प्रथम संस्करण, 2011
एल्फा पब्लिकेशन्स, दिल्ली 110002 (भारत)
3. आर. नरसिम्हन, फ्राड्स इन बैंक्स प्रथम संस्करण दी.आई.सी.एफ.ए.आई.युनिवर्सिटी प्रेस, 52 नगरजूना हिल्स, पंजागुटटा, हैदराबाद 500082,
4. 2001 भारत कपट सर्वेक्षण प्रतिवेदन, के.पी.एस.जी. नई दिल्ली, 2005
5. आर.सी.खेडा, दण्ड प्रकिया संहिता 2006 प्रथम संस्करण,
एलाइड बुक कम्पनी, (पब्लिकेशन्स) दिल्ली - 110054 (भारत)
6. डॉ. ए.के.दीक्षित, अपकृत्य विधि एवं उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2009 प्रथम संस्करण, मैं. यूनिवर्सिटी बुक हाउस (प्रा.) लि., 79 चौड़ा रास्ता, जयपुर महानगर - 302003 (राज.)
7. विविध अपराध अधिनियम संजय चराटे, 2005 द्विभाषी संस्करण प्रथम, बाधवा एण्ड कम्पनी, 27 एम.जी.रोड़, रामपुरा वाला भवन, इन्दौर, मध्यप्रदेश (भारत)
8. भारतीय सामाजिक समस्याएँ, प्रो. एम.एल.गुप्ता व डॉ. डी.डी.शर्मा, 2006 12 वां संस्करणश् साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा, उत्तरप्रदेश
9. अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन, डॉ. एस.एस.श्रीवास्तव, 2003 प्रथम संस्करण, मैसर्स यूनिवर्सिटी बुक हाऊस (प्रा.) लि., 79 चौड़ा रास्ता, जयपुर - 302003 (राजस्थान)
10. विश्व में आतंकवाद, वीरेन्द्र कुमार गौड़, 2004 प्रथम संस्करण, सामयिक प्रकाशन, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, दिल्ली - 110002 (ःभारत)
11. रक्तरंजित जम्मू-कश्मीर, रवीन्द्र जुगरान, 2001 प्रथम संस्करण, 205 सी, चावड़ी बाजार, दिल्ली - 110006 (भारत)

12. अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार, डॉ वाई. एस. शर्मा व डॉ. विमलेन्दू तायल, 2011 प्रथम संस्करण, मैं. यूनिवर्सिटी बुक हाऊस (प्रा.) लि., 79 चौड़ा रास्ता, जयपुर - 302003 (राजस्थान)
13. निबन्धमाला हिन्दी निबन्ध, योगेश चन्द जैन, 2011 प्रथम संस्करण, अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इंडिया) लि., अग्रवाल रोड़, दरियागंज, दिल्ली - 110002 (भारत)

इकाई – 11

सुरक्षा कार्यों के लिए तकनीक

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 सुरक्षा तकनीक की अवधारणा

11.3 पुलिस एवं सुरक्षा बलों का योगदान

11.4 सुरक्षा - तकनीकों का प्रबन्धन

11.4.1अर्थ एवं परिभाषाएँ

11.4.2विशेषताएँ एवं उपादेयता

11.4.3प्रभाव

11.4.4प्रकार

11.5 सुरक्षा कार्यों में नवीन तकनीकों का प्रयोग एवं सुरक्षा दलों बलों द्वारा इस्तेमाल

11.6 सुरक्षा तकनीक की विचारधाराएँ/मॉडल्स

11.6.1जान वुडवर्ड द्वारा प्रस्तुत विचारधारा

11.6.2चार्ल्स पेरो द्वारा प्रस्तुत विचारधारा

11.6.3जेम्स थॉम्पसन द्वारा प्रस्तुत विचारधारा

11.7 सूचना-तकनीक की उपयोगिता की प्रगति

11.8 देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की चुनौतियां

11.9 सुरक्षा तकनीक कार्यो में पुलिस एवं सुरक्षा के दलों बलों में सुधार के उपाय

11.10 सारांश

11.11 शब्दावली

11.12 अभ्यासार्थ प्रश्न

11.13 संदर्भ ग्रंथ

11.0 उद्देश्य

किसी भी राष्ट्र के सम्पूर्ण अनवरत विकास में शांति, सुरक्षा, संरक्षा एवं लोकव्यवस्था का अभूतपूर्व महत्वपूर्ण हाथ होता है। इनमें से किसी एक तत्व की कमी अन्य तत्वों का क्षरण करती है जो अंततोगत्वा विकास के लिए बाधक सिद्व होता है। भारत दुनियाँ का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। प्राचीनशासन व्यवस्था के अन्तर्गत नगरपाल, नगर रक्षक, दण्डाधिकारी, दण्डपाल, फौजदार, चौकीदार जैसे सुरक्षा का जिम्मा रखनेवाले पदों का उल्लेख मिलता है। जो आधुनिक पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का तत्कालीन स्वरूप है। दुनियां के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में आज भी औपनिवेशिक पुलिस का वर्चस्व कायम है। देश की बाहरी व आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की पहली जिम्मेदारी पुलिस एवं सुरक्षा बलों की होती है। भारत विश्व के उन देशों में जहां आम नागरिकों की तुलना में पुलिसकर्मियों एवं सुरक्षा प्रबन्धन तकनीक की सर्वाधिक कमी है। इसलिए देश की सुरक्षा के लिए बेहतर तकनीक सुविधाओं को सुसज्जित करने की अपरिहार्य व्यवस्था अपेक्षित हो गयी हैं। आज देश की आतंरिक सुरक्षा में क्षेत्रवाद, आतँकवाद, साम्प्रदायिकतावाद, नक्सलवाद, भाषावाद उग्रवाद, जातिवाद व अलगाववाद भंयकर चुनौती बन गये है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा कार्यो की सहायता के लिए सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी व्यवस्था की तीव्र आवश्यकता हो गयी है। इस इकाई के आद्योपांत अध्ययन कर लेने के पश्चात् आप निम्न उद्देश्यों की समुचित जानकारी हासिल कर सकेंगे :-

- आज के आधुनिक युग में सुरक्षाकार्यों के लिए प्रौद्योगिकी के साधनों की प्रस्तावना, इसकी अवधारणा के बारे में जान सकेंगे।
- सुरक्षा कार्यप्रणाली में पुलिस एवं सुरक्षा दलों बलों द्वारा निभायी जा रही सक्रिय भूमिका से सुविज्ञ हो सकेंगे।
- सुरक्षा कार्यों के अन्तर्गत, सुरक्षा तकनीक के अर्थ, क्षेत्र, परिभाषाओं, लक्षणों तथा इसके विभिन्न प्रकारों से आप भली भांति अवगत हो सकेंगे।
- सुरक्षा कार्यो में नवीन तकनीकों जो न्यायालयों, पुलिस एवं सुरक्षा बलों, न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं, कारागृहों तथा आमजन के बीच में प्रयोग की जा रही है, के बारे समुचित जानकारी लब्ध कर सकेंगे।
- सुरक्षा कार्यो के प्रयुक्त की गई तकनीक प्रबन्धन की विचारधाराओं या मॉडल्स के बारे में सुपरिचित हो सकेंगे।
- सुरक्षा एवं संरक्षा कार्यो के अन्तर्गत सूचना एवं सूचना तकनीक की उपयोगिता और प्रासंगिकता के बारे में आप गवेषणा कर सकेंगे।

- देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को मिल रही चुनौतियों, खांमियों तथा पुलिस सुरक्षा सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकीय सौपानों के बारे में जानकर अपने मनतव्य को व्यक्त कर सकेंगे।
- व्यक्तिगत, सामूहिक, तकनीकी नवाचारों, भौतिक, वैधुतकीय, दस्तोवेजीय, औद्योगिक, उपग्रहीय तथा ई-सुरक्षा के नवोन्मुषी दूरसंचार क्रांति के समग्र उपकरणों, संचार माध्यमों एवं यंत्रों के बारे में गहन जानकारी हासिल कर सकेंगे।

11.1 प्रस्तावना

आज मोबाइल और ई-प्रशासन के युग में प्रौद्योगिकी क्रांति का सूत्रपात संभव हुआ है। कोलकत्ता के साल्टलेक स्टेडियम में 3 जनवरी 2013 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री ने भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति जारी की, जिसमें भारत को वर्ष 2020 तक दुनियाँ की पांच सबसे बड़ी वैज्ञानिक शक्तियों में शामिल करने के लक्ष्य रखा गया था। शेल उर्जा क्रांति, जंग डी.एन.ए. लाइट फील्ड कैमरा, लीथियम आयन सुपर बैट्री, सिलिकॉन नैनोफोटोनिक्स, लैपटॉप, एवं टैबलेट को खोजों ने मानव के जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। कक्ष तापीय मेसर पूर्ण कार्बन सौर बैटरी, स्टेम सेल थिरेपी, हिंग्स बोसान जैसे अंतिम तत्व की खोज ने प्रौद्योगिकी क्राँति लाने में अपने चार चाँद लगवा दिए हैं। आज सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी के नवाचारों मे से ई-सिक्यूरिटी का सम्प्रत्यय सुरक्षा कार्यो में नव- तकनीक के उजागर कर रहा है। फिर भी भारतीय सुरक्षा व्यवस्था अभी उतनी उन्नत नहीं हुई है। भारत हमेशा से ही हैकरों के निशाने पर रहा सतत है। और उनके काम करने का तरीका और अधिक परिष्कृत होता जा रहा है। वेबसाइट पर हमला करने के साथ ही साथ हैकर्स अब अपने घोषित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जासूसी के साथ-साथ सरकार और बाहर के सभी व्यक्तियों का मानचित्रण कर रहे हैं। वे ऐसा अपने ई-मेल, ऑनलाइन या सोश्यिल मीडिया के द्वारा मानहानिकारक मूलवेयर भेजकर कर रहे हैं। कभी-कभी वरिष्ठ अधिकारियों के ई-मेल को हैकर्स द्वारा हैक कर लिया जाता है, जिसमें उनके सहयोगियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भेजी गई महत्वपूर्ण सूचनाएँ भी शामिल होती है। इसके लिए हैकर द्वारा ई-मेल भेजा जाता है, जिस पर प्रतिक्रिया करने पर हैकर सर्वर से ई-मेल एकत्र करता है और थोडी देर खोजने की एक सरल प्रक्रिया के द्वारा वही सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो शायद राष्ट्रीय सुरक्षा या अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय से सम्बन्धित जानकारियां है, उसे हैक कर लेता है, इस पूरी प्रक्रिया को डौक्सिंग कहते हैं। सूचना सुरक्षा की दुनिया में इसे 'स्पीयर फिशिंग' के नाम से जाना जाता है। यह हजारों कम्प्यूटर को एक साथ संक्रमित कर देता है। दिसम्बर 2009 में चीन के साइबर खुफिया विभाग ने भारतीय अधिकारियों की लगभग 400 कम्प्यूटर को ''आपरेशन अरोडा'' नाम के मिशन के तहत नुकसान पहुचायां जिसे मिशन गंगा नाम दिया गया था। डॉक्सिंग प्रक्रिया के तहत सारा सूचना-तंत्र का डाटा हैकर्स के सर्वर पर अपलोड हो गया था। वर्ष 2004 में

हैकिंग की जहां सिर्फ 23 घटनाएँ हुई थी वहीं वर्ष 2012 में यह बढकर 22060 हो गई थी। आज हमारे पास जो पुलिस-तंत्र है वह राजनीतिक रूप से धवीकृत है। पुलिस की पारदश्री और दबावमुक्त कार्य शैली के लिए स्वायतता देने को आवश्यक माना गया है। पुलिस भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची अर्थात राज्य सूची की मद-2 का विषय है। इसका अर्थ यह है कि राज्य पुलिस से सम्बन्धित किसी भी कानून को अधिनियमित कर सकते है। लेकिन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो व तकनीकी सुरक्षा प्रथम अनुसूची के मद क्रमश: 8 व 65 के विषय में हैं। सन् 1947 में ही स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को अनिवार्य अंग के रूप में स्वीकार किया गया और लोक व्यवस्था, कारागार, न्याय प्रशासन सुधार गृहों के साथ इसे राज्य सूची के विषय के रूप में प्रदर्शित किया गया है। भारत में प्रति एक लाख की जनसंख्या पर औसतन 126 पुलिसकर्मी तैनात किए गये है। भारत में वास्तव में, अब एक नवीन और जनतांत्रिक पुलिस व्यवस्था तथा सुरक्षा कार्यो हेतु बेहतर से बेहतर तकनीक साधनों की सुसज्जित सुविधाओं की सख्त जरूरत है। हमें प्रौद्योगिकी प्रबन्ध के अनुसार आधुनिकतम हथियारों, औजारों, उपकरणों तथा न्यायिक विज्ञान के नवीनतम यंत्रों को सुविकसित अवस्था में मुहैयया करवाने की जरूरत होगी। सुरक्षा कार्यो में तकनीकी विकास को रेखांकित किया जायेगा। पुलिस प्रशासन की लोक व्यवस्था एवं जनता की सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी प्रबन्ध के अर्थ परिभाषाओं, इसके लक्षणों, क्षेत्रों, प्रभावों तथा विभिन्न प्रौद्योगिकी के प्रकारो को व्याख्या की जायेगी। सुरक्षा कार्यो की सहायता के लिए सूचना और सूचना तकनीक क्रांति के नवाचारों, विचारधाराओं, आंतरिक, सुरक्षा सम्बन्धी विविध खामियों एवं चुनौतियों की समग्ररूप से विवेचना की जायेगी और अंत में सुरक्षा के तकनीक उपायों के साथ-साथ पुलिस में सुधार लाने हेतु उपयोगी कदमों के बारे में चर्चा की जायेगी। अत: देश में सुरक्षा, संरक्षा, शांति और लोक व्यवस्था स्थापित करने के लिए से बेहतर सुरक्षा के संसाधन और तकनीकी को सदुपयोग करना राष्ट्र की खुशहाली एवं अमनचैन लाने के लिए लाभदायक सिद्व हो सकेंगे। बहरहाल, भारत सरकार का गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा से सम्बन्धित पुलिस, कानून और व्यवस्था शरणार्थियों के पुनर्वास, राष्ट्रीय जांच एजेन्सी को कार्यात्मक बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हबों की स्थापना करना तथा आसूचना ब्यूरों केन्द्रीय अर्द्व सैनिक बलों क्षमता बढाना और तटीय सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है। अत: भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि इसकी एकता और अखण्डता बनाए रखने के लिए हर बलिदान और त्याग करने को तैयार रहे।

सूचना प्रौद्योगिकी में ई-न्यायालयी प्रणाली : भारत में इस वक्त 7 करोड़ 39 लाख इंटरनेट के उपभोक्ता कॉम स्कोर की रिपोर्ट 2013 'इंडिया इंजिप्ल फ्यूचर इन फोकस' ने यह बताया है। इंटरनेट उपभोक्ताओं के मामले में जापान को पीछे छोड़तें हुए भारत दुनियां में तीसरे स्थान पर है। देश में प्रथम साइबर फॉरेन्सिक लैब की स्थापना 11 अगस्त 2013 को त्रिपुरा के उच्च न्यायालय में प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है। यह लैब, ई-न्यायालय

का भाग है। निचली अदालतों के मामलों को यथाशीघ्र निपटारा करने के लिए साइबर फॉरेन्सिक लैब के भाग के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में नेशनल ज्यूडीशियल डाटा ग्रिड तैयार किया जा रहा है जो जनवरी 2014 तक चालू हो जायेगा। अभी तक न्यायाधीशों सहित 1300 न्यायिक अधिकारियों को ई-अदालत प्रणाली के बारे में प्रशिक्षित किया जा चुका है और कानूनी सेवाओं के चल रहे आधुनिकीकरण के साथ उन्हें जोड़ा जा चुका है। आनलाइन ट्रायल और वीडियों कॉन्फ्रान्सिंग सिस्टम का देशभर में विस्तार किया जा रहा है । इस नई नई प्रणाली के तहत अदालत मे बैठे कोई भी न्यायाधीश या वकील जेलो में बंद आरोपियों से बात कर सकते है । वर्ष 2007 में दिल्ली उच्च न्यायालय और तिहाड़ जेल के बीच वीडियों कॉन्फेंसिंग सिस्टम को शुरू किया गया था । प्रथम ई- अदालत प्रणाली की शुरूआत भी दिल्ली उच्च न्यायालय में की गई थी । विभिन्न मामलों से सम्बन्धित जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए 620 जिला अदालतों मे से 140 जिला अदालतों द्वारा अपनी वेबसाइट बनाई गई हैं। इंटरनेट स्पीड में भारत अभी भी पिछडा हुआ है । भारत में औसत नेट स्पीड़ दुनियाँ में सबसे कम हैं । क्लाउड कम्पूटिंग फर्म एक माई टेक्नोलोजी की रिपोर्ट मे कहा गया है कि इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत को 109 वें स्थान पर रखा गया है । दुनियाँ की औसत स्पीड़ 10.6 एम.बी.पी.एस. है । सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 में इलैक्ट्रोनिक कामर्स में मदद के लिए ई-कामर्स में धोखाधड़ी जैसे साइबर अपराधों के नये रूपों से निबटने में मदद करेगा एवं अश्लील वीडियों और साइबर आतँकवाद को रोकेगा ।

11.2 सुरक्षा तकनीक की अवधारणा

इंटरनेट के प्रशासन, इंटरनेट सुरक्षा, संरक्षा के प्रशासन और नियंत्रण से सम्बन्धित विषय पर संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ (आईटीयू) द्वारा दुबई में उसे 14 सितम्बर, 2012 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार विषय पर एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वर्ष 1988 तक 45 लाख लोग संचार सेवाओं का उपयोग करते थें । आज उनकी संख्या 6 अरब है और इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या 2.5 अरब आंकी जाती है। इस सम्मेलन ने 193 देशों में से 89 सदस्य देशों ने समझौते के पक्ष ने हस्ताक्षर किए थे । जिसमें यह 1 जनवरी 2015 से प्रभावी हो जायेगी । भारत, अमेरिका सहित 55 देशों ने सँधि पर सहमति नहीं दी है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर केजी.बी.(रूस), सी.आई.ए.(अमेरिका), एम-15 व 16 बिट्रेन, आई.एस.आई(पाकिस्तान), सी.बी.आई(भारत) की केन्द्रीय अपराध अन्वेषण करने वाली एजेन्सियां है । इसमें सुरक्षा कार्यो के लिए व्यक्तिगत, दस्तावेजी और सेविवर्गीय, औद्योगिक सुरक्षा शामिल हैं। सूचना तकनीक व्यापार पत्रकारिता के अन्तर्गत ई-सुरक्षा नवीन विषय है । यह सुरक्षा कार्यो में तकनीक की अवधारणा व्यावसायिक जगत में ज्यादा सुसंगत बनकर उभरी है। इसमें भौतिक और वैधुतकीय सुरक्षा भी शामिल है। वर्ष 1997 से 1999 के बीच 35 प्रतिशत विध्वंस की घटनाएँ घटित हुई थी । गोपनीयता, एकान्तता के मुद्दे, वित्तीय, व्यक्तिगत और अनुसंधानिक मूल्यों के ऑकंडें इसमें महत्वपूर्ण

बन रहे है। ई-सुरक्षा में ज्यादातर बाधक ई-व्यवसाय, ई-बैंकिंग, ई-कामर्स, ई-प्रशासन के हैकर्स, क्रेकर्स, अटेकर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डवलपर्स एवं पेचर्स खतरा बन गये है। इसमें देश किसी भी देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए सुरक्षा और पुलिस बलों द्वारा प्रयोग किए जा रहे तकनीकी नवाचार भी शामिल है।

इसमें प्रत्येक राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सुरक्षाओं के साथ-साथ तकनीकी की सुरक्षा की अवधारणा भी समाहित की गई है। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यतया पुलिस एवं सुरक्षा बलों की होती है तथा बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सैनिक (वायुसेना, थलसेना, नौसेना) तथा अर्द्धसैनिक बल(केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, औद्योगिक सुरक्षा बल, इण्डो-तिब्बत सुरक्षा बल, आसाम राइफल्स, आदि को सौंपी जाती है। सुरक्षा कार्यो के लिए कई प्रौद्योगिकी यंत्रों अथवा उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जैसे - मेघाफोन, राडार, लॉचर, राकेट, प्रक्षेपास्त्र, उपग्रह दू संचार प्रणाली, जेमर, दूरदर्शन, फिल्म स्लाइड़, आकाशवाणी, आर.वी.एम. वीडियों-ओडियों कान्फेंसिंग टेलीप्रिन्टर, स्कैनर, फैक्स मशीन, टेपरिकार्डर, हैलीकोप्टर, बम्बवर्धक विमान, वायुयान, जलयान, स्टीमर हथियार, बैलिस्टिक मिसाइल, पनडुब्बियाँ, सेल्फसोडिंग राइफल, ए.के. 47,रिवाल्वर, स्टेनगन, एल.एम.जी. तापखाना गाड़ियां, सैनिक परिवहन विमान, बसें व मोटर साइकिलों का उपयोग सुरक्षा कार्यो के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक पुलिस थाने एवं सुरक्षा बलों के सुरक्षाकर्मियों को राइफल, रिवाल्वर, पिस्टन, वायरलेस सेट, साइरन, चेतकवेन गाडियां, टेलीफोन, मोबाइल, सुरक्षा जैकेट, अश्रुगैस गोले, रबड़ की गोलियां तथा सुरक्षा हेतु पानी की तेज फुंहारे भी छोड़ी जाती है। उक्त सभी साधन सुरक्षा कार्यो के लिए अस्त्र-शस्त्र भी पुलिस सुरक्षा इंतजाम के लिए उपलब्ध करवाए जाते है। देश के नागरिकों के जानमाल की रक्षा , सुरक्षा करने का कर्त्तव्य राज्य पर थोपा गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार व निरूद्व नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को अवैध गिरफ्तार करने के विरूद्ध उच्चन्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है। अवैध मुठभेड़ की कार्यवाही के विरूद्ध मुआवजा हासिल किया जा सकता है।

11.3 पुलिस एवं सुरक्षा बलों की भूमिका का योगदान

प्राचीन भारत में पुलिस प्रणाली का वर्णन धर्मशास्त्रों तथा धर्मग्रंथों में मिलता है। बाल्मीकि रामायण में सुरक्षा भ्रमण पुलिस, रक्षक और गुप्तचरों का वर्णन किया गया है। अपराधों के अन्वेषण को धर्मपालकों द्वारा करना होता था। प्राचीन भारत में समुदाय के उत्तरदायित्व, ग्राम में पहरेदारों, जासूसी तथा दण्ड के प्रावधान पाये जाते है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य में पुलिस प्रणाली का विस्तृत उल्लेख मिलता है। 'अन्तपाल' सीमा की किलेबंदी तथा संरक्षण के लिए सीमा-रक्षक होता था। कस्बे 'नागरिकास' के आर साधन में थें जिन्हें बाद में 'कोटवाल' कहा गया। लोगो पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचरों का भी उपयोग

किया जाता था। गोलबुर्ज (गुमम्पिया) लोगों की गतिविधियों के अवलोकन के लिए होती थी। मुस्लिमकाल में कोतवाल का पद नगर में विधि और व्यवस्था बनाए रखने के कार्य का निर्वहन करता था। चोरी रोकने के लिए कई जातियों में कवालगार नियुक्त किए जाते थे। शिवाजी ने अपने राज्य में सूबेदारों, फौजदारों और मुख्य दण्डाधिकारी की नियुक्ति की थी। दिव्य परीक्षाओं जल, जहर, अग्नि, तुला आदि का प्रयोग किया जाता था। मुगलकाल में फौजदार और कोतवाल पुलिस की भूमिका निभाते थे। कलकत्ता में एक पुलिस अधीक्षक हुआ करता था। वारेन हेस्टिंगस ने 'फौजदार' प्रणाली को पुन: स्थापित करने का प्रस्ताव किया क्योंकि जमींदारों द्वारा अपराधियों को सरंक्षण प्रदान किया जाता था। और यह अपराधी जोतदारों से धन अपकर्षित करते थें। सन् 1906 में बेंटिकद्वारा पुलिस आयोग नियुक्त किया गया। पुलिस की शक्तियां जिला न्यायाधीश से जिला कलेक्टर को अंतरित कर दी गई। लार्ड कार्नवालिस ने जमीनदारों को पुलिस शक्तियों से रहित कर दिया तथा प्रत्येक जिले में पुलिस बल स्थापित कर दिया था। दरोगा पुलिस अधिकरी होता था, को जिला न्यायधीश के प्रति उत्तरदायी बना दिया। नगरों में विधि और व्यवस्था का कार्य कोतवाल का उत्तरदायित्व था। 1829 में पुलिस अधीक्षक पद को समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार ने 1977 में 1902 के प्रथम पुलिस आयोगों के बाद दूसरा पुलिस आयोग का गठन कर इसके अध्यक्ष धर्मवार को बनाया गया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार करना, आवासीय, निरीक्षण, हथकडी लगाना। पुलिस अधिनियम 1861, में पुलिसबल के गठन, नियुक्ति की शक्ति और कुछ दण्ड उपबंधों के बारे में प्रावधान हैं। पुलिस अधिनियम 1988 तथा पुलिस अधिनियम 1949 में पुलिस के विनियमन तथा दो या अधिक संघशासित मंत्रों के लिए सामान्य पुलिस जिला गठित करने और पुलिस बल गठित करने हेतु प्रावधान किए गये है। सन् 1977 में गठित पुलिस आयोग ने पुलिस तंत्र में सुधार के लिए, कई सिफारिशें की थी। आयोग ने इन सुधारों के लिए 2 अरब रूपयें का प्रावधान बनाने को कहा था जिसका 50 प्रतिशत पुलिस कर्मियों के वेतन, भत्ते, आवास, प्रशिक्षण, आधुनिक हथियारों की व्यवस्था में व्यय करने का सलाह दी थी इस राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस के 'कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का वर्णन किया था। वर्तमान में देश के दिल्ली, चैन्नई, मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, भोपाल, चण्डीगढ़ इत्यादि शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली कायम की गई है। पुलिस का मुख्स कार्य नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा के साथ-साथ न्यायालयों की शीतिवलोकव्यवस्था में सहयोग प्रदान करना होता है। इसमें पुलिस बल के साथ साथ केन्द्रीय एवं राज्य अर्द्व सैनिक बलों एवं सैनिकों बलों की भी सुरक्षा व्यवस्था संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका को कभी नहीं नकारा जा सकता है। इसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों, राजस्थान सशस्त्र बलों, भारत-तिब्बत सुरक्षा बलों का भी देश की आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहे है।

11.4 सुरक्षा तकनीकों का प्रबन्धन

सुरक्षा और सरक्षा कार्यो की सहायता के लिए आजकल कुशल प्रौद्योगिकी के प्रबन्धन की जरूरत हो गई है। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी के नवाचारों की होड़ ने विश्व स्तर पर सुरक्षा-तकनीकों के प्रबन्धन को अग्रसर किया है । सुरक्षा तकनीकों के सदुपयोग के लिए कुशल प्रबन्धन की कार्यप्रणाली ने नवीन रूप ग्रहण कर लिए है । अब हमें यहां सुरक्षा कार्यो हेतु प्रौद्योगिकी की प्रबन्ध को समझने की आवश्यकता है ।

11.4.1 प्रौद्योगिकी प्रबन्ध का अर्थ **:** सामान्यत: व्यक्ति प्रौद्योगिकी का अर्थ संगठन में प्रयुक्त यंत्रों एवं मशीनों से लगाते है । किन्तु यह उचित नहीं है। वास्तव में प्रौद्योगिकी से तात्पर्य किसी भी प्रक्रिया अथवा तकनीक से है । जिसके द्वारा संसाधनों अर्थात निवेशों को उत्पादन अथवा परिणामों मे रूपांतरित किया जाता है । सुरक्षा और संरक्षा कार्यो के लिए समुचित प्रौद्योगिकीस साधनों और उपकरणों का भरपूर उपयोग करने का प्रबन्धन ही सफलता का प्रतीक कहा जा सकता है ।

प्रौद्योगिकी की परिभाषाएँ **:** तकनीकी, शिल्पकारिता या प्रौद्योगिकी की कुछ प्रमुख परिभाषायें ये निम्न प्रकार से अलग-अलग तकनीकी, प्रबन्धकों ने दी है।

1- प्रियर्स और डनहाम के शब्दों में ''प्रौद्योगिकी से आशय उन प्रक्रियाओं से है जो संगठनात्मक संसाधनों को उत्पाद अथवा सेवा में रूपान्तरित करती है ।

2- स्टेफेन रोबिन्स के अनुसार 'प्रौद्योगिकी शब्द यह दर्शाता है कि कैसे एक संगठन अपने संसाधनों को परिणामों में हस्तान्तरित करता है ।

3- चाल्स पैरों के मतानुसार 'प्रौद्योगिकी कच्ची सामग्री-व्यक्ति, सूचना अथवा भौतिक सामग्री को वांछनीय माल एवं सेवाओं में रूपान्तरित करने का साधन है ।'

4- लेविस डेविस के अनुसार, 'प्रौद्योगिकी में कौशल समूह उपकरण, सुविधाएँ, औजार तथा प्रासंगिक तकनीकी ज्ञान सम्मिलित हैं जिनकी आवश्यकता सामग्रियों, सूचना अथवा व्यक्तियों में रूपान्तरण करने के लिए होती है।

5- वाइलैंड एवं एलरिच के मतानुसार 'मशीनें यंत्र, तथा आपूर्ति सब प्रौद्योगिकी के ही अंग है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल को वांछित उत्पादन में रूपांतरित किया जाता है। प्रौद्योगिकी मूलरूप से एक तकनीक है जो इस रूपांतरण में सहायक होती है।'

स्पष्ट है कि सुरक्षा कार्यो में प्रौद्योगिकी के प्रभावी प्रबन्धन पर नियंत्रण करना भी जरूरी है। प्रत्येक संगठन की कम से कम एक प्रौद्योगिकी होती है, जिसके द्वारा यह अपने सुरक्षा वित्तीय, मानवीय तथा भौतिक संसाधनों को उत्पादकों एवं सेवाओं में रूपान्तरित करता है। मसलन, एक कारीगर का हथौड़ा व कार्य विधि, चिकित्सक की शल्य चिकित्सा हेतु प्रयुक्त उपकरण, एवं विधि, मनोवैज्ञानिक का निदान एवं परामर्श का ढंग तथा एक आचार्य का अध्यापन ढंग, व्याख्यान माला विश्लेषण विधि तथा एक अभियंता के लिए नव तकनीक के

विकास हेतु विकसित किए गये उपकरणों की विद्या तथा सूचना इत्यादि उसकी 'प्रौद्योगिकी' होती है।

प्रौद्योगिकी संगठन के कई पहलुओं जैसे - कार्य संरचना, सामाजिक प्रणाली, प्रबन्धकीय नियन्त्रण एवं समन्वय प्रक्रिया में कर्मचारियों का दृष्टिकोण, व्यवहार एवं अभिप्रेरण आदि को प्रभावित्त करती है।

11.4.2 प्रौद्योगिकी के आवश्यक तत्व : उपर्युक्त दी गई परिभाषाओं के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार से व्यक्त किए गये है :- जी.एस.सुधा ने अपनी पुस्तक 'सामान्य प्रबन्ध' में प्रौद्योगिकी के निम्न आवश्यक तत्व व्यक्त किए है-

1. प्रौद्योगिकी में वृद्वि के साथ-साथ विशिष्टीकरण में भी वृद्वि होती है। **2.**विशिष्टीकरण के कार्य को छोटे-छोटे उप कार्यो में बाँट देता है। किन्तु उन्हें पुन: एक साथ जोड़ने के लिए 'एकीकरण की जरूरत होती है। प्रौद्योगिकी द्वारा जिन जटिल क्रियाओं की आवश्यकता होती है, उन्हें एक साथ एकीकृत करने की जरूरत होती है ताकि एक सम्पूर्ण समाज का निर्माण किया जा सके। युद्ध में तकनीकी प्रयोगों से मानव को बचाया तथा नष्ट किया जा सकता है। **3.** उच्च प्रौद्योगिकी प्रणाली को और अधिक जटिल बनाकर उसके अंगों को अन्त निर्भर बना देती है। **4.** प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न प्रगति की कीमत यह होती है कि 'व्यक्तियों को अपने को बदलना होता है। **5.** दप्रौद्योगिकी के साथ - साथ कार्य भी बदल जातें है। **6.** प्रौद्योगिकी से कौशल में परिवर्तन आता है। **7.** प्रौद्योगिकी से 'ज्ञान समाज' का सृजन होता है। **8.** प्रौद्योगिकी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली उपकरण है। **9.** इससे कार्यालय कार्य, सुरक्षा, संरक्षा कार्य तथा बहुपेशेवर कर्मचारियो की संख्या में वृद्वि होती है। **10.** प्रौद्योगिकी से सम्प्रेषण प्रारूप कार्य प्रणालियों, स्वतंत्रता तथा गतिशीलता में भी परिवर्तन आ जाते है। **11.** प्रौद्योगिकी में विधियाँ, तकनीकें और कार्यपद्वतियां शामिल होती है जिसके द्वारा निवेशों को उत्पादन में रूपान्तरित किया जाता है। **12.**लिटरर के अनुसार 'प्रौद्योगिकी एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है।**13.** प्रौद्योगिकी में उपकरण यंत्र उपाय तथा जुगत भी शामिल है। **14.** प्रौद्योगिकी समस्याओं के समाधान तथा वांछित परिणामों उत्पादों अथवा सेवाओं के सृजन से सम्बन्धित होती है। ये परिणाम व्यक्तियों अथवा यंत्रों अथवा दोनों के सहयोग से उत्पन्न होते है। **15.** प्रौद्योगिकी में क्रियाओं के समूह, व्यवस्था, अभिरूप, प्रारूप आदि भी शामिल हैं। **16.** प्रौद्योगिकी संगठनात्मक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण निर्धारक घटक होती है। **17.** प्रौद्योगिकी में सूचना, सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा तकनीकें भी शामिल है। सुरक्षा में संरक्षण और सशक्तिकरण दोनों शामिल है। संरक्षण लोगों की खतरों के समय कवच की तरह काम करता है। कुछ प्रक्रियाओं और मानका, संस्थाओं को विकसित करने के लिए इसे संगठित प्रयासों की आवश्यकता है जिससे असुरक्षा को व्यवस्थित तरीके से समझा जा सके। सशक्तिकरण से लोगों में अपनी पूरी क्षमता का विकास होता है और इससे वे निर्णय-निर्माण में पूर्ण सहभागी बनेगें। मानवाधिकारों का सम्मान करना ही मानव सुरक्षा संरक्षण का सार है।

सुरक्षा कार्यो के लिए तकनीकी उपाय : मानव सुरक्षा पर आयोग की रिपोर्ट की रूपरेखा में मानव सुरक्षा में निम्न नीतियों को सर्वोपरि बताया था। 1. हिंसक संघर्ष में लोगों को संरक्षण 2. हथियारों की होड़ से लोगों को सुरक्षा 3. देशान्तरण कर के आवगमन कर रहे लोगों को सुरक्षा 4. संघर्षोतर काल के लिए मानव सुरक्षा संक्रमण कोष बनाना 5. अत्याधिक गरीबों के लाभार्जन हेतु व्यापार मेलों और बाजारों को घट मेलों में बदलना 6. प्रत्येक को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने की सुरक्षा 7. प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न और जानमाल के प्रति सुरक्षा 8. मूलभूल स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की सुरक्षा 9. सुरक्षित अधिकारों के लिए सशक्त समान वैश्विक व्यवस्था विकसित करना 10. मूलभूत वैश्विक शिक्षा से सभी लोगों को सशक्त करने की सुरक्षा 11. बीमारी, बुढापे, अपंगता, निशक्तता, दुर्घटनाओं के समय पर सामाजिक सुरक्षा इत्यादि में तकनीक साधनों का सदुपयोग, किया जाकर विज्ञान की प्रगति को वरदान में बदला जा सकता है। मानव सुरक्षा राज्य सुरक्षा में तकनीक साधनों की पूरक होनी चाहिए। कारखानों और मिलों में कार्यरत मजदूरों को उनके शरीर की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की पहल शुरू होनी चाहिए। एक मरीज का आपरेशन करते समय तकनीकी साधनों से ही सुरक्षा प्रदान की जाती है।

11.4.3 तकनीकों का प्रभाव **:** प्रौद्योगिकी संगठन के अनेक क्रियाओं को प्रभावित्त करती है। मेरीन जेलेनिक के अनुसार तकनीक मुख्य रूप से संगठनसंरचना, मानवीय व्यवहार तथा प्रबन्ध स्वरूप को प्रभावित्त करती है। तकनीकी प्रभावों की व्याख्या निम्न बिन्दुओं के आधार पर की जा सकती है :

क संगठनसंरचनापर प्रभाव

ख मानव व्यवहार पर प्रभाव

ग मानवीय सम्बन्धों पर प्रभाव तथा

घ प्रबन्ध पर प्रभाव आदि पर असर डालती है।

क संगठन संरचना पर प्रभाव : तकनीकी का संगठन की नीतियों, प्रक्रियाओं और परिचालन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वुडवर्ड ने अपने अध्ययन में यह पाया है कि - (1) इकाई तकनीक में प्रबन्ध के स्तर न्यूनतम होते हैं जबकि सतत तकनीक में अधिकतम होते है। (2) इकाई तकनीक में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष श्रम अनुपात अधिकतम होता है जबकि सतत तकनीक में न्यूनतक होता है। (3) इकाई तकनीक में रेखा-स्टाफ पद स्थिति अनुपात अधिकतम होता है जब कि सतत तकनीक में न्यूनतम होता है। (4) वृहद तकनीक में पर्यवेक्षण का विस्तार बड़ा होता है जबकि सतत उत्पादन में छोटा होता है। (5) वृहत उत्पादन में नियमों, नीतियों, एवं प्रक्रियाओं का औपचारिकरण अधिकतम होता है जबकि इकाई एवं सतत् उत्पादन में न्यूनतम होता है तथा (6) वृहत् तकनीक में निर्णयन अत्यधिक केन्द्रित होता है जबकि इकाई तथा सतत् तकनीक में न्यूनतक होता है।

फोर्ड तथा स्लोकम ने अपने अध्ययन द्वारा बतलाया है कि यदि संगठन तकनीक को अपनाता है तो इसमें प्रशासनिक गहनता, नैत्यिक केन्द्रीकरण, औपचारिकरण, व्यक्तिगत पृथक्करण, समवत एवं लम्बवत पृथक्करण में वृद्वि होती है। जबकि गैर-नैत्यक तकनीक की दशा में इनमें कमी आती है। वुडवर्ड व एस्टोन समूह ने भी तकनीक और संगठन संरचना में प्रत्यक्ष सम्बन्ध बतलाया है। पीटर बला-39 ने दोनो में 'कमाननुमा' सम्बन्ध बताया है।

ख मानव व्यवहार पर प्रभाव : औद्योगिक समाज-शास्त्रियों ने तकनीक के मानव व्यवहार पर प्रभावका विविध प्रकार से विश्लेषण किया है। यह तकनीक ही मानव प्रगति का मूल स्त्रोत कही जा सकती है। इसके द्वारा अधिकांश मानवीय एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान हुआ है। किन्तु दूसरी तरफ कुछ विचारकों का मत है कि इस तकनीक के माध्यम से अत्यधिक जनसंख्या वाले औद्योगिक केन्द्रों का निर्माण हुआ है जिनके फलस्वरूप अनेक प्रकार की समस्यायें बढ़ी है। व्यक्ति और तकनीक के पारस्परिक प्रभाव का विश्लेषण करते हुए थोरू ने लिखा है कि 'व्यक्ति अपने उपकरणों का स्वयं उपकरण' बनता जा रहा है। तकनीक एक शक्ति है जो नियंत्रण से परे है तथा जो हमारे जीवन को अनियमित रूप से निरूपित कर रही है। लुईस ई. डेविस ने अपने शोध अध्ययन के पश्चात लिखा है कि ज्यादातर प्रबन्धकीय तथा अभियांत्रिकी चिन्तन में प्रौद्योगिकी ही प्रमुख विचारणीय घटक रह गया है। प्रबन्धकों के धंधा आवश्यकता निर्धारणश् कार्य प्रवाह, उपकरणों के अभिन्यास तथा कर्तव्यों की व्याख्या में प्रौद्योगिकीय अनिर्वायता व्यापक रूप से देखी जा सकती है। हैम्पटन ने कहा कि तकनीकी के दो प्रभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है - प्रथम इसने सविवर्ग की आवश्यकताओं, प्रकार, चातुर्य एवं संख्या को व्यापक रूप से प्रभावित्त किया है। द्वितीय तकनीक कार्य सन्तुष्टि के लिए असमान अवसर प्रदान करती है।

ग मानवीय सम्बन्धों पर प्रभाव : प्रौद्योगिकी कार्यप्रणाली से संगठन में मानवीय अन्त क्रिया में एवं भावनाएँ भी प्रभावित्त होती है। आज उत्पादन ढांचे की प्रणाली से यह निर्धारित होता है कि कौन व्यक्ति किसके निकट रहेगा, एक व्यक्ति या समूह दूसरे की कार्य पद्धति के बारे में क्या सोचेगा। विलियम, व्हाइटे, सेयल्स इत्यादि लेखकों ने व्यक्त किया है कि 'कार्य समूह तकनीक द्वारा व्यापक रूप से प्रभावित्त होता है। इसके अनुसार तकनीक कार्य समूह के निर्माण एवं व्यवहार शैली को प्रत्यक्षत: प्रभावित्त करती है। कार्य प्रणाली में तकनीक न केवल समूह की क्रियाओं तथा परिस्थियों को निर्धारित करती है, वरन् हैम्पटन का मत है कि 'प्रौद्योगिकीय उद्योगों में व्यक्ति कार्यस्थल पर स्वनियमन का मार्ग अपनाता है जो उसमें कार्य समूह के प्रति लगाव तथा अधिक उत्पादन की प्रेरणा देता है। दो उद्योगों में कार्यरत समूहों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि रबड़ टायर उद्योग की अपेक्षा इलैक्ट्रीकल उद्योग में हडताल कम होती है। इन उद्योगों में समूह व्यवहार में अंतर का प्रमुख कारण 'प्रौद्योगिकी की विविधता' पाया जाता है।

ग प्रबन्ध पर प्रभाव : जॉन वुडवर्ड का मत है कि कई प्रबन्धकीय समस्यायें प्रौद्योगिकी जनित होती है। विविध प्रकार की उत्पादन तकनीक प्रबन्धक के सम्मुख

विभिन्न समस्यायें उत्पन्न करती है। उनका यह मत है कि तकनीक कम्पनी के तीन प्रमुख कार्यो - उत्पाद विकास, उत्पादन तथा विपणन - आदि को प्रभावित्त करती है तथा इनकी क्रमबद्वता भी निर्धारित करती है। उनके मतानुसार इकाई कार्यो में सर्वप्रथम विपणन कार्य आता है। इसके बाद आदेश की निश्चितता के पश्चात् उत्पाद का विकास किया जाता है। दूसरी और वृहत् उत्पादन में सर्वप्रथम उत्पाद का विकास किया जाता है , इसके बाद इसे उत्पादित करके अन्त में इसका विपणन किया जाता है। प्रक्रिया उत्पादन में भी उत्पाद विकास प्रथम स्थान पर आता है। उत्पादन तकनीक के मुताबिक व्यावसायिक सफलता के संदर्भ में प्रत्येक कार्य की महत्ता भी भिन्न-भिन्न होती है। वृहत् उत्पादन में 'उत्पादन' केन्द्रीय क्रिया होती है तथा सफलता उत्पादन कुशलताओं पर निर्भर करती है तो इकाई लागत में कमी करती है। प्रक्रिया उत्पादन प्रणाली में 'विपणन' केन्द्रीय क्रिया' होती है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी प्रबन्धकीय सम्प्रेषण एवं निर्णयन कार्य को भी प्रभावित्त करती है। इकाई उत्पादन में विकास प्रमुख क्रिया होती है। अत: उत्पादन जारी रहने के दरम्यान व्यक्तियों के मध्य निर्बाध या स्वतंत्र सम्प्रेषण की जरूरत पड़ती है। इसलिए टेक्नोलॉजी के अनुरूप प्रबन्धक नियोजन, संगठन नेतृत्व तथा नियंत्रण की ऐसी विधियों का विकास करता है जो उसे निर्बाध उत्पादन में सहायता कर सके। इसी तरह सुरक्षा, संरक्षा और लोकव्यवस्था स्थापित करवाने में तकनीक साधनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

घ प्रौद्योगिकी के विभिन्न प्रकार : आज हम सूचना तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के दौर से गुजर रहे है। सूक्ष्म इलैक्ट्रोनिक के फलस्वरूप आज बहुत बड़ी मात्रा में श्रेष्ठ किस्म की सूचनाओं का संग्रहण, प्रविधियन एवं सम्प्रेषण संभव हो पाता है। आज सूचनाओं के प्रवाह एवं विनिमय की गति बहुत तीव्र हो गई है। यही कारण है कि सम्पूर्ण विश्व की एक 'सार्वभौम ग्राम' तथा इलैक्ट्रोनिक कुटीर के रूप में कल्पना करना संभव हो गया है। तकनीक को हम कई भागों में वर्गीकृत कर सकते है।

(1) सूचना प्रौद्योगिकी (2) क्रोयो तकनीक (3) खाद्य सुरक्षा प्रसंस्करण तकनीक , प्रतिरक्षा तकनीक (4) सुरक्षा तकनीक (5) कृषि तकनीक (6) औद्योगिक तकनीक (7) दूरसंचार तकनीक (8) सामरिक-तकनीक (9) खेल-कूद तकनीक (10) सहकारी तकनीक (11) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तकनीक (12) कल्याण तकनीक (13) जन संचार तकनीक (14) विद्युत एवं वैद्युतकीय तकनीक (15) व्यापार व वाणिज्य तकनीक (16) नैत्यक और अनैत्यक तकनीक (17) अभियांत्रिकी तकनीक (18) शिल्प तकनीक (19) लम्बी श्रृंखला तकनीक (20) मध्यवर्ती तकनीक (21) गहन तकनीक (22) परिवहन तकनीक (23) वैमानिक एवं रेल तकनीक (24) प्रबन्धकीय तकनीक (25) शैक्षणिक तकनीक (26) ई-शासन तकनीक (27) ई-कामर्स (28) ई-अदालत (29) ई-बैंकिंग (30) ई-व्यवसाय आदि तकनीकें विकसित हो गई है। जनसंचार तकनीक माध्यमों में मुद्रण माध्यम , इलैक्ट्रोनिक माध्यम तथा न्यू-इलैक्ट्रोनिक मीडिया शामिल हो गये है। इलैक्ट्रोनिक माध्यमों के अन्तर्गत रेडियों, टेलीविजन, टी.वी. चैनल्स, फिल्म, मल्टी मीडिया, आडियों-विडीयों

टेलीकान्फिसिंग भी शामिल है । इसमें स्कैनर, फोटोस्टेट मशीन, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, वेब साइट आदि तकनीकी साधन है। टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, टेलीग्राफ, मशीन, टेली प्रिंटर, टेलेटेक्टस, डिजिटल कैमरें आप्टिकल फाइबर्स लैंस ओ.वी.एम. वैन, डी.टी.पी. इत्यादि सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनकतम साधन ईजाद किए गये है।

सूचना प्रौद्योगिकी एक वृह्द जनसंचार प्रौद्योगिकी है यह उपग्रह आधारित ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें कम्प्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईन्टरनेट इत्यादि सभी प्रौद्योगिकीय यंत्र, उपयंत्र शामिल है । सूचना प्रौद्योगिकी में कम्प्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो विभिन्न प्रकार की सूचना प्रणालियों को एकत्र करने उन्हें परिशोधित करने, संग्रहित करने, उन्हें क्रम में प्रदर्शित करने तथा विषयानुसार उन्हें समामेलित करने, कम से कम समय में सूचना का स्थानान्तरण, रिकार्डिंग संक्षिप्तीकरण, और प्रसारित किये जाने का लोकप्रिय और आधुनिकतम साधनों मे से एक है। ई-केश, ई-फैक्स, ई-प्रोक्योरमेंट, एम. कामर्स, मोबाइल, इंटरनेट, फोन, पेजर, ई-यूनिवर्सिटी, ई-लाइब्रेरी, ई-बुक, ई-क्लाथ, ई-प्रशासन, वेबसाइट वेब, ई-मेल, इंटरनेट, इनसेट नेटवर्क, कम्प्यूटर, केबल, टेलिविजन, एसटीडी, संचार उपग्रह, फैक्स, एफ.एम रेडियों, उपग्रह-प्रौद्योगिकी, चैनल, कार्डलेस टेलीफोन, मोबाइल, सेल्यूलर फोन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीप्रिंटर, टेलेक्स, टेलीकोन्फ्रेन्स, टेलीटेक्स्ट, टेली-मेडिसिन, साइबर कैफे, बैडविडथ, ब्रॉड बैंड, वीडियों टेक्स्ट, स्लाइडें, न्योन साइन, वीडियों सेट अप बॉक्स, ओडियों कान्फ्रन्सिंग, प्रोजेक्टर सेट, केबिल-सेट, डी.वी.डी. रिमोट कन्ट्रोल सेट, टेपरिकार्डर, इत्यादि सूचना तकनीक के लिए सुरक्षा, संरक्षा, शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के साधन है। इस समय देश में 710 शहरों में ब्रॉड बैंड सेवाएँ उपलब्ध है। देश में 80 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन है । वर्तमान में 325 व्यक्तियों पर एक कम्प्यूटर है । देश में ई-गर्वनेंस योजना तथा ई-जिला कार्यक्रम मिशन मोड़ परियोजना शुरू की गई है । इलैक्ट्रोनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी में अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट सुरक्षा सहायता योजना चलाई गई है । राष्ट्रीय दूरसंचार नीति घोषित करने का 2012 का मुख्य उद्देश्य समूचे देश में वहनीय, विश्वसनीय और सुरक्षित दूरसंचार और ब्रांडबैंड सेवाएँ उपलब्ध कराकर जनहित को और अधिक बढाना है। इस तरह हम सुरक्षा की दृष्टि से प्रौद्योगिकी को दो भागों में विभक्त कर सकते है - (1) आंतरिक सुरक्षा हेतु प्रौद्योगिकी तथा (2) बाहरी सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी साधनों और उपकरणों, यंत्रों, उपयंत्रों का प्रयोग और उपयोग करने की व्यवस्था की गई है।

11.5 सुरक्षा कार्यो में नवीन तकनीकों का प्रयोग एवं सुरक्षा दलों बलों द्वारा इस्तेमाल

देश में पहली कृषि क्रांति, दूसरी औद्योगिक क्रांति और तीसरी सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्रांति सफल रही है। यह ग्रीन, व्हाइट और इनफोर्मेशन रिवोल्यूशन कहलाती है। देश में सुरक्षा कार्यो को हम मौटे तौर पर दो भागों में अध्ययन कर सकते है : (1) आंतरिक सुरक्षा तथा (2) बाहरी सुरक्षा में वृगीकृत किया गया है । आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस विभाग

और सुरक्षा बलों की है। इसी तरह देश की बाह्य सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षा विभाग के सुरक्षा सैनिकों की जिम्मेदारी है।

11.5.1 आंतरिक्ष सुरक्षा हेतु तकनीक का अनुप्रयोग एवं सुरक्षाकर्मी दल बल

आंतरिक सुरक्षा कार्यो की जिम्मेदारी मुख्यतया केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पुलिस विभाग और आपराधिक अन्वेषण विभाग तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय और राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त किए जा रहे तकनीक साधनों की भी है।

सुरक्षा गतिविधियों में पुलिस कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों द्वारा काम में आने वाले हथियार एवं सहायक सामग्री तकनीक दृष्टि से निम्नानुसार है।

1. डण्डा 2. सीटी, सायरन/घण्टी 3. जंजीर/रस्सी 4.टेलीफोन, मोबाइल, वायरलैस सेट 5. 9 एम.एम. कारवाइन, 303 राइफल 6. टेपरिकार्डर, दूरदर्शी यंत्र 7. बाघ नख, विभिन्न चाकू 8. मानचित्र 9. बम, टाइम बम, न्यक्लीयर बम 10. अपना पहचान-पत्र 11. वाहन-जीप-ट्रक 12. हथकड़ी 13. बैडियां 14. अग्निशमन यंत्र, आंसू गैस 15. रेडियों मेघा फोन, एम्पीफायर 16. स्वचालित राइफल ए.के. 47, 17. कैमरा 18. स्टेनगन, तोपगन 19. टॉर्च, फोकस फ्लैश 20. हथगोले 21. महत्वपूर्ण संपर्क नम्बर 22. रासायनिक युद्ध 23. एम्बुलेंस 24. कम्प्यूटर 25. एस.एल.आर. राइफल 26. पिस्तौल, एयरगन राइफल 27. गुप्ति 28. प्राथमिक उपचार संदूक 29. आत्मघाती दस्ते जैविक युद्ध, एन्थ्रक्स बैक्टीरिया आदि से बचाव करने के साधन पुलिस व सुरक्षाकर्मी अपने पास रखते हैं।

पुलिसकर्मी के अपेक्षित कर्तव्य गुण और विशेष्ताएँ :

एक पुलिस एवं सुरक्षा अधिकारी और कर्मचारियों में निम्नलिखित अपेक्षित गुण और विशेषताएँ होनी चाहिए। 1. कर्तव्य परायण और सद्व्यवहार बनाए रखे 2. विनम्रता, शक्तिपूर्ण, आज्ञाकारी, कानून व्यवस्था का पालनकर्ता, होशियार, बुद्धिमान, साहसी, सजक, समालोचक, सृजक, प्रभावशील, अनुशासित, आदर्श, शिष्टाचारी, प्राधिकारवान, वफादार, ईमानदार, निष्पक्षता, निडर व निर्भ्रीक, तीव्र इच्छा शक्तिवान, संयमी, मेहनती, वृहद दृष्टिकोण तथा सहयोगी स्वभाव तथा सद्चरित्रवान होनी चाहिए। 3. सामाजिक शिष्टाचार व सभ्य व्यवहार 4. समय - समय पर आत्म अवलोकन करना 5. अपने अधिकारों व सीमाओं का ज्ञान अर्जित करना 6. मानवीय मूल्यों का सम्मान करना 7. धार्मिक निष्ठा व विश्वास को मजबूत बनाना 8. नियमित व्यायाम, योग, ध्यान आदि करना 9. आत्म सुरक्षा का अभ्यास करना व हथियार चलाने में पूर्ण जानकार 10.जोखिम उठाने के लिए तत्पर रहना 11. साहसपूर्ण कार्यो द्वारा आदर्श प्रस्तुत करना 12. त्वरित प्रक्रिया के लिए तैयार रहना 13. राष्ट्रीय सम्मान व सुरक्षा की भावना से औत प्रौत रहे

आंतरिक सुरक्षा में तकनीक अनुप्रयोगकर्ता दल-बल प्रगति **:** कोई भी देश प्रगति की राह पर तभी रह सकता है जब इसके नागरिक अपने देश में जानमाल समेत सुरक्षित रहें। असुरक्षा की भावना न केवल नागरिकों का जीना दुश्वार कर देती है, बल्कि इससे देश की शांति और

सुव्यवस्था के साथ-साथ प्रगति के पथ पर भी प्रतिफल प्रभाव पड़ता है। भारत आज नि:संदेह बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, किन्तु इसकी आंतरिक सुरक्षा के समक्ष ऐसी चुनौतियाँ हैं, जो इसकी शांति, संरक्षा, सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाती है। आज हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भाषावाद, नस्लवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, साम्प्रदायिकतावाद, आंतकवाद, वामपंथवाद और जातिवाद नासूर की तरह बेहद खतरा बने हुए है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन : 1. आसूचना ब्यूरों 2. मंत्रिमण्डल सचिवालय के अनुसंधान और विश्लेषण खण्ड 3. राजस्व आसूचना निदेशालय 4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरों 5. स्वापक नियंत्रण ब्यूरों 6. वैमानिक अनुसंधान ब्यूरो 7. विशेष सीमान्त बल 8. सीमा सुरक्षा बल 9.केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल 10. भारत-तिब्बत सीमा बल 11. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 12. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 13. असम राइफल्स 14. सशस्त्र सीमा बल 15. आयकर महानिदेशालय (अन्वेषण) 16. राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन 17. वित्तीय आसूचना इकाई 18. विशेष सुरक्षा समूह 19. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 20. सीमा सड़क विकास बोर्ड 21. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय आदि आंतरिक सुरक्षा के विभाग प्रतिस्थापित किए गये है।

उन्नत प्रौद्योगिकी, विज्ञान और नवोन्मेष नीति 2013 के चलते हुए सन 2012 तक वैज्ञानिक महाशक्ति तथा वर्ष 2035 तक दुनियां आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राजनयिक, प्रशासनिक, सुरक्षा, कानूनी, विनियामक एवं आर्थिक उपाय सुनिश्चित किए गये है।

1. सीमा प्रबन्धन : भारत - बांगलादेश पाक सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए सीमा प्रंबधन विभाग जनवरी 2004 में गठित किया गया है। बांग्लादेश की सीमा के साथ - साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम, और त्रिपुरा राज्यों में 2840 किमी सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। जिसमें से 750 किमी तक रोशनी की व्यवस्था कर दी गई है। 600 किमी पर बाड़ लगाने के लिए खंभे लगाने का कार्य प्रगति पर चल रहा है। भारत-पाक की 3323 किमी भू सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू-कश्मीर राज्यों में रोशनी की व्यवस्था हो गयी है। सीमा पर 609 सीमा चौकियों के अतिरिक्त 802 सीमा चौकियों के निर्माण को अनुमोदित कर दिया है। भारत - पाकिस्तान, भारत - नेपाल, भारत - बांग्लादेश और भारत - मयांमार की सीमा पर 13 स्थानों पर एकीकृत जांच चौकियों की स्थापना के लिए अनुमोदन लिया है।

एक पुलिस सुरक्षाकर्मी को निम्नलिखित कार्य से हमेशा दूर रहना चाहिए अर्थात् पुलिस कर्मचारी को यह कार्य नहीं करना चाहिए - 1. जुंआ खेलना, शराब पीना 2. अपवाहें फैलाना 3. मादक एवं स्वापक पदार्थो का सेवन करना 4. समाज व राष्ट्र विरोधी कार्यो में योगदान 5. देश द्रोही कार्य करना 6. तस्करी, अपराध, षडंयंत्र करना 7. कानून का उल्लंघन करना 8. अमानवीय व्यवहार करना 9. लोभ-क्रोध-गुस्सा-लालच-आलस व

घमंड करना 10. शेखी मारना 11. थर्ड डिग्री तरीकों का प्रयोग 12. किसी को आर्थिक हानि पहुँचाना 13. किसी से अनुचित काम के बदले पारितोषिक लेना 14. शक्ति का अनुचित प्रयोग 15. वर्दी का अपमान करना 16. प्रेस के साथ असहयोग करना 17. अपने अधिकारों व सीमाओं का उल्लंघन करना 18. लोगों सें विश्वासघात करना 19. किसी भी प्रकार के अपराध को प्रोत्साहन देना 14. अपनी क्षमता शक्ति का, संवर्हन व उसका विवेकपूर्ण उपयोग 15. अपने समाज एवं राष्ट्र को जानकर सेवा करना 16. अपने समाज व राष्ट्र को जानना 17. सामाजिक संसाधन जुटाना 18. एक आदर्श समाज के निर्माण में सहायक होना 19. सामाजिक शिष्टाचार सभ्यभाषा का इस्तेमाल व व्यवहार 20. अपनी छवि एक मेहनती व इमानदारी कार्यकर्ता के रूप में बनाना 21. एक अपराधमुक्त राष्ट्र की कल्पना करना 22. लोगों की भावनाओं व प्रकृति को समझना 23. लोगों का दिल और विश्वास जीतना तथा 24. देश के कानून व संविधान के प्रति निष्ठा रखना इत्यादि कार्यो के प्रति पुलिस या सुरक्षाकर्मी को निष्ठावान रहना चाहिए। व सीमाओं का उल्लंघन करना 18. लोगों सें विश्वासघात करना 19. किसी भी प्रकार के अपराध को प्रोत्साहन देना 14. अपनी क्षमता शक्ति का, संवर्हन व उसका विवेकपूर्ण उपयोग 15. अपने समाज एवं राष्ट्र को जानकर सेवा करना 16. अपने समाज व राष्ट्र को जानना 17. सामाजिक संसाधन जुटाना 18. एक आदर्श समाज के निर्माण में सहायक होना 19. सामाजिक शिष्टाचार सभ्यभाषा का इस्तेमाल व व्यवहार 20. अपनी छवि एक मेहनती व इमानदारी कार्यकर्ता के रूप में बनाना 21. एक अपराधमुक्त राष्ट्र की कल्पना करना 22. लोगों की भावनाओं व प्रकृति को समझना 23. लोगों का दिल और विश्वास जीतना तथा 24. देश के कानून व संविधान के प्रति निष्ठा रखना इत्यादि कार्यो के प्रति पुलिस या सुरक्षाकर्मी को निष्ठावान रहना चाहिए।

11.5.2 बाहरी सुरक्षा में तकनीक अनुप्रयोग एवं सुरक्षा दल बल

भारत की प्रतिरक्षा नीति का उद्देश्य भारतीय उप-महाद्वीप में सुरक्षा, संरक्षा और शांति को बढावा देना और उन्हें कायम रखना तथा किसी भी आक्रमण का सामने करने के लिए सेना , अर्द्धसैनिक और नागरिक बलों को पर्याप्त रूप से तकनीकी रूप से सुसज्जित करना है। सेना की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होती है वह प्रतिरक्षा में सर्वोच्च सेनापति होता है लेकिन राष्ट्रीय रक्षा का दायित्व केन्द्रीय मंत्रिमण्डल का होता है। रक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों के लिए प्रतिरक्षा मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। सेना का प्रशासनिक एवं संचालन नियंत्रण रक्षा मंत्रालय और थल, वायु और नौसेना (तीनों सेनाओं) के मुख्यालयों के जरिए होता है । जवानों/फौजियों की संख्या के आधार पर भारतीय सेना दुनियां में चौथे स्थान पर है। प्रथम , द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमश: अमेरिका, रूस व चीन हैं। सन् 2013 तक नये आंकडों के अनुसार 11,29,900 थलसेना के जवान मोर्चे पर और 9,60,000 रिजर्व जवान कार्यरत हैं। रक्षा मंत्रालय के संगठन के अन्तगर्त 1. रक्षा विभाग 2. रक्षा उत्पादन विभाग 3. रक्षा विकास एवं अनुसंधान विभाग 4. भूतपूर्व सैनिक, रक्षाकर्मी कल्याण विभाग इन एकीकृत जांच चौकियों पर निम्न अवसंरचनात्मक - इंटरनेट,

संगरोध प्रयोगशाला, कैफेटेरिया, बैंक, कार्गो निरीक्षण शैड़, पैसेन्जर टर्मिनल भवन, क्लीयरिंग एजेंट, पार्किंग, स्कैनर, कोल्ड स्टोरेज तथा अन्य सार्वजनिक उपयोगी वस्तुओं जैसी सुविधाएँ दी गई है। 2. भारतीय भूपतन प्राधिकरण की स्थापना 2010 में कर दी गई है। 3. भारतीय तटीय सुरक्षा की समस्याओं के निजात के लिए भारत की नौराज्यों पर 7517 किमी तट रेखा पर तटीय सुरक्षा बढा दी गई है। तटीय सुरक्षा स्कीम का प्रथम चरण मार्च 2011 में पूरा कर लिया गया था। गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर आपरेशन हेतु 15 इन्टरसेप्टर नावों को तैनात किए गये। 26/11 को बम्बई में आंतकवादी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा देश के समूचे तटवर्ती, सुरक्षा परिदृश्य को परिपूर्ण करने हेतु तटीय सुरक्षा योजना में 10 बडे जलयानों का प्रापण किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के व्यापक सुरक्षा योजना दो चरणों में 8 वर्ष में पूर्ण करने के लिए स्वीकृत की गई है। भारतीय जल क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 20 मीटर से अधिक की नावों के पंजीकरण की प्रक्रिया सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चलाई जा रही है। सभी नावों पर रेडियों आवृति पहचान प्रणाली टांसपौंडर लगाये गये हैं। मछुआरों की पहचान के लिए बायों मेट्रीक पहचान - पत्र जारी किए जा रहे हैं। तटीय लोगों के लिए बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र स्मार्ट कार्ड बनाने के योजना दो चरणों में लागू की जायेगी। तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय समिति का गठन कर मुख्य सचिवों/प्रशासकों को सदस्य बनाया गया है। आसूचना के आदान प्रदान के लिए संयुक्त प्रचलन केन्द्रों का गठन किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने 1000 कार्मिको का 'सागर प्रहरी बल' विशेष बल बनाया गया है। संयुक्त तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु छमाही आधार पर अभ्यास शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना को तटीय सुरक्षा और अपतटीय सुरक्षा सहित समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण समन्वय का कार्य करेगा। जहां भी वनों और वन्यजीवों के बीच में सड़क बनायी गई है ऐसी 26 सड़कों के लिए पर्यावरण सुरक्षा सम्बन्धी स्वीकृति राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड व सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति ले ली गई है। भारत - नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल की 25 बटालियनों को तैनात किया गया है। तथा दोनों देशों की सीमा सुरक्षा हेतु 450 सीमा चौकियां स्थापित कर दी गई है। भारत-भूटान, सीमा प्रबन्धन के लिए सीमा-चौकसी बल के रूप में सशस्त्र सीमा बल की 13 बटालियन सीमा पर तैनात की गई है। 132 स्वीकृत सीमा चौकियां स्थापित कर दी गई है। भारत और म्यांमार सीमा प्रबन्धन के लिए 1643 किमी सीमा अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड़, मणिपुर और मिजोरम की सीमाओं के साथ म्यांमार सीमा लगती है। स्वीकृत 46 बटालियन में से 31 बटालियनें विद्रोह दमन कार्यवाही हेतु और 15 बटालियने सीमा सुरक्षा करने के लिए असम राइफल्स को तैनात किया गया है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में अन्तर्राष्ट्रीय भूसीमा के साथ लगे 17 राज्यों के 96 सीमावर्ती जिलों के 358 सीमावर्ती ब्लाक आते है। इस कार्यक्रम का 100 प्रतिशत केन्द्रीय आधार पर प्रायोजित योजना है। जम्मू कश्मीर और सुरक्षा की वर्तमान राज्य सीमा पर से प्रायोजित और समर्थित आंतकवाद दो दशकों से प्रभावित्त रहा है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर सीमा पार की घुसपैट रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। और अन्तर्राष्ट्रीय

सीमा/नियंत्रण रेखा तथा घुसपैंठ के बदल रहे मार्गो के निकट साथ-साथ सीमा प्रबन्धन को सुदृढ़ किया गया है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल केन्द्र सरकार राज्य को सुरक्षा हेतु उपलब्ध करा रही है। जम्मू और लद्दाख के लिए 'विशेष कार्यबल' का गठन किया गया है। जम्मू-कश्मीर के आर्थिक विकास के लिए केन्द्र द्वारा केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। जम्मू व कश्मीर में विशेष पहल नाम योजना उद्योग स्थापित करने के लिए 8000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। कश्मीर प्रवासियों को राहत और पुनर्वास के लिए सहायता दी जा रही है।

नियंत्रण रेखा के पार के लोगों का परस्पर संपर्क स्थापित किए जाने को बढावा देने के लिए श्रीनगर, मुजफ्फरबाद व पूँछ रावलकोट मार्ग पर पाक्षिक की बजाए अब साप्ताहिक बस सेवा शुरू की गई। तथा जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा के पार सन 2008 के बाद सहमति के बाद व्यापार शुरू किया गया है। पूवोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम और नागालैण्ड राज्यों में सरंक्षित क्षेत्र की अब समीक्षा की गई है। पूर्वोतर राज्यों की परिस्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने उग्रवाद दमन कार्यवाही करने व स्थापनाओं एवं सस्थानों में सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य अधिकारियों की मदद हेतु केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की है। पूर्वोतर राज्यों सुरक्षा हेतु 51 इंडिया रिजर्व बटालियनों को मंजूरी प्रदान की गई है। पूर्वोतर में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास को कार्यान्वित कर रहा है और राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता दी जा रही है। भारत में विगत वर्षो से 14 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद सक्रिय है। 78 जिलों में योजना के लागू करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वामपंथी उग्रवाद की स्थिति के विभिन्न, पहलुओं और उनसे निपटने के लिए उपायों के संदर्भ में अनेक समीक्षा और अनुवीक्षण तंत्र भी स्थापित किए हैं। जिन राज्यों में वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों से सम्बन्धित विभिन्न मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा समन्वय व सहायता दी जाती है। राज्यों को पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत सुरक्षात्मक पहल की गई है। इसमें सुरक्षा सम्बन्धी व्यय योजना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती, इंडिया रिजर्व बटालियनें की स्थापना को मंजूरी 10 कोबरा बटालियनें, विशेष अव संरचनात्मक सम्बन्धी योजना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती, सुरक्षित पुलिस स्टेशनों की स्थापना, सिविल कार्यवाही कार्यक्रम के तहत 1420 करोड़ की राशि दी गई है। आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति, आंतकवाद से पीड़ितों को सहायता, आसूचना और सुरक्षा एजेन्सियों की क्षमता को सुदृढ़ बनाने हेतु मल्टी एजेन्सी सेंटर, अप्रैल 2010 में नेट ग्रिड की स्थापना करना, राष्ट्रीय जांच एजेन्सी दिसम्बर 2008 में गठन किया गया था। इसी तरह वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने सिफारिशें की है।

नवीन संगठनों में एकीकृत रक्षा स्टाफ, रक्षा अधिग्रहण परिषद, रक्षा गुप्तचर (आसूचना) एजेंसी, सामरिक बल कमान, एवं अंडमान और निकोबार कमान हैं। भारतीय रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग के अन्तर्गत आठ सार्वजनिक उपक्रम है जो विज्ञान एवं तकनीकी उपकरणों, यंत्रों, जलयानों, वायुयानों, एयरक्राफ्टों, राकेटों, प्रेक्षेपास्त्रों, (मिसाईलों),

हेलीकॉप्टरों, जहाजों, एवं सामरिक जरूरत वाले संयत्रों का निर्माण करते है । जो निम्नलिखित तकनीकी सहायता, सुरक्षा एवं सुविधा प्रदान करते है। 1. हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड 1964 बैंगलूर 2. भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड 1954, बेंगलूर, हैदराबाद व चैन्नई 3. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 1965 बेंगलूर कोलार, मैसूर यह बुलडोजर, डम्पर, लोडर, स्क्रेचर, मोटर ग्रेडर व क्रेनों का निर्माण करती है । 4. मझ गांव डाक लिमिटेड (जलपोत निर्माण मुम्बई) यह फिगेट प्रक्षेपास्त्र, नौका, कावेंट, पनडुब्बी, गशतीयान, मर्चेन्टयान, इंजनों का निर्माण करती है । 5. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा यह तटवर्ती क्षेत्रों के लिए मध्यम दर्जे के जहाज, नौकाएं, अवतरण पोत, दु्रतगति गश्ती नौकाएँ बनाती है। 6. गार्डनरीच वर्कशाप लिमिटेड 1960 कोलकाता - यह जहाज यार्ड एवं सामान्य इंजीनियरिंग का निर्माण करती है । 7. भारत डायनामिक्स लिमिटेड 1970 हैदराबाद - यह मिसाइल उत्पादन करती है । देश में विकसित चार नई मिसाइलें पृथ्वीं, त्रिशुल, आकाश एवं नाग का उत्पादन कर चुकी है । तथा 8. मिश्र धातु निगम लिमिटेड 1973 हैदराबाद में स्थापित यह देश का मिश्र धातु के क्षेत्र का अग्रणी संस्थान है ।

भारतीय सेनाएँ, अर्द्धसैनिक और नागरिक दल-बल : भारतीय सेना के अन्तर्गत तीन सेनाएँ सैन्य प्रशिक्षण विकास और देश की सुरक्षा का कार्य संभाले हुए है । 1. भारतीय थल सेना 2. भारतीय नौसेना तथा 3. भारतीय वायुसेना कुल तीन सेनाएँ है । इसी तरह देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी अर्द्वसैनिक दल और नागरिक बल संभाले हुए है । इनमें 1. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 1939 दिल्ली 2. प्रादेशिक सेना दिल्ली 1944 3. भारत तिब्बत सीमा पुलिस नई दिल्ली 1962 4. असम राईफल्स 1835 असम, 5. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दिल्ली 1968 6. सीमा सुरक्षा बल दिल्ली 1965 7. तटीय पुलिस बल 8. गृहरक्षक दल (होम गाडर्स) दिल्ली 1946 9. सी-बर्ड-परियोजना कर्नाटक कदम्ब 1986 10. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिल्ली 1986 (ब्लैककेट) 11. नागरिक सुरक्षा दल 1946 12. शांति अभियानों में भारतीय सेना के 90,000 से अधिक शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियान मिशनों में भेजा गया है । भारतीय शांति सेना अब तक 45 से अधिक शांति मिशनों में भाग ले चुकी है । इन अभियानों में भारतीय शांति सेना ने अब तक 125 भारतीय जवानों को भी मौत के कारण गंवाया है । संरक्षा और सुरक्षा कार्यो में तकनीकी अनुप्रयोगों को हम प्रतिरक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति के रूप में संभिप्व रूप में निम्न प्रकार से प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता की उपलब्धियां अवलोकित कर सकते हैं : आज भारत सुरक्षा - तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्टता के कारण ही उन्नत प्रौद्योगिकी वाले राष्ट्रो में सम्मिलित हो गया है । हम सुरक्षा में तकनीक साधनों के आधार निम्नानुसार विवेचना करेगें।

1. प्रमुख प्रक्षेपास्त्र 2.प्रमुख नवीन पनडुब्बियां एवं युद्धपोत 3. लडाकू एवं सैन्य प्रशिक्षण विमान 4. प्रमुख राडार तथा 5. आयुध कारखाने आदि के अनुसार प्रतिरक्षा-प्रौधोगिक को उन्नतम निर्माणों को दर्शा सकेंगे ।

1. प्रमुख प्रक्षेपास्त्र :

भारत में अब तक निम्न स्वदेशी तकनीकी से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइलें अलग अलग मारक क्षमता वाली बनाई गई है यथा - 1. पृथ्वी-1 2. पृथ्वी-2 3. अग्नि-1, अग्नि-2, अग्नि-3, अग्नि-4 तथा अग्नि-5 4.आकाश 5. नाग 6. त्रिशुल 7. धनुष 8. अस्त्र 9. प्रहार 10. शौर्य 11. स्वपन 12. ब्रहमोस 13. निर्भय 14. सागरिका 15. सूर्य 16. भारतीय इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र तथा 17. प्रगति 18. प्रहार आदि मिसाइलें 4 किमी से 12000 किमी तक मारक क्षमता वाली विकसित की गई है।

2. प्रमुख नवीन पनडुब्बियां एवं युद्धपोत :

1. आई.एन.एस. शंकूल 2. आई.एन.एस. दिल्ली 3. आई.एन.एस. मैसूर 4.आई.एन.एस. सुजाता 5. आई.एन.एस. सिन्धु शस्त्र 6. आई.एन.एस.आदित्य 7. आई.एन.एस. ब्रहमपुत्र 8. आई.एन.एस. मुबंई 9. आई.एन.एस. तरंगिनी 10. आई.एन.एस. बेतवा 11. आई.एन.एस. दर्शक 13. आई.एन.एस. प्रबल 14. आई.एन.एस. तिलचांग 15.आई.एन.एस. तार गुगली 16. आई.एन.एस. सर्वेक्षक 17. आई.एन.एस. शिवालिक 18. आई.एन.एस. जलाश्व 19. आई.एन.एस.ऐरावत 20.आई.एन.एस. सतपुडा 21. आई.एन.एस. अरिहंत 22. आई.एन.एस. विक्रमादित्य 23. आई.एन.एस.चक्र तथा 24. इन्फेंक टी-80 25. ए.एल.एच. धुव्र हैलीकोपटर 2013 तथा 26. एडवांस्ड जेट ट्रेनर 2013 आदि सुरक्षा तकनीक की लिहाज से बनाए गये है। **3.** लडाकू एवं सैन्य प्रशिक्षण विमान **:**लक्ष्य यह पायलेट रहित विमान है। निम्न लडाकू और प्रशिक्षण विमानों को उन्नत सुरक्षा तकनीक से बनाया गया है। तेजस, अवाक्स, धुरूव, हंस-3 निशांत, सुखोई-30 तथा आई.एल.78 आदि लडाकू विमानों और प्रशिक्षण विमान निर्मित किए गये है। **4.** प्रमुख टैंक **:** भारत में अब तक अर्जुन, भीष्म, कर्ण, व भीम टैंकों का निर्माण किया गया है। इनमें स्वचालित तोपों को रखने के लिए उन्नत युद्धक टैंकों को बनाया गया है। भीष्म टैंक खस के सहयोग से बनाया गया था। **5.** प्रमुख राडार **:** भारत प्रतिरक्षा कार्यो के उपयोग के लिए उच्च तकनीकी से परिपूर्ण राडार प्रणालीयों के लिए अपर्णा, इन्द्र-2, शांति, रोहिणी तथा बैहल फील्ड सर्वीलेंस राडार तथा वेंपस लोकेटिंग राडारों का निर्माण रक्षा कार्यो के लिए किया गया है। **6.** आयुध कारखाने **:** रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग के अन्तर्गत 39 आयुध कारखाने भारत में स्थापित किए गये है। राजस्थान में भरतपुर के पास भी एक आयुध कारखाना स्थापित है। देश में आधुनिक तकनीक वाला 40 वां कारखाना नांलदा बिहार में स्थापित किया जा रहा है। आयुधी निर्माणी संगठन देश का विभागीय रूप से संचालित सबसे बड़ा संगठन भी है।

11.6 सुरक्षा तकनीक की विचारधाराएँ/मॉडल्स

प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में तीन विचारधाराएं या मॉडल्स या वर्गीकरण व्यक्त किए गये हैं। संक्षेप मे इनका विवरण निम्न प्रकार है।

11.6.1 जॉन वुडवर्ड द्वारा प्रस्तुत विचारधारा

11.6.2 चाल्स पेरो द्वारा प्रस्तुत विचारधारा तथा

11.6.3 जेम्स थाम्पसन द्वारा प्रस्तुत विचारधारा

11.6.1 **जॉन वुडवर्ड का दृष्टिकोण** :

जॉन वुडवर्ड ने ही सर्वप्रथम प्रौद्योगिकी को संगठन संरचना का एक निर्धारक घटक माना जाता था। उन्होनें 100 छोटी निमार्णधीस फर्मो का अध्ययन कर के यह निर्धारित करने का प्रयास किया था कि प्रबन्ध के परम्परागत सिद्धान्त जैसे आदेश की एकता तथा नियंत्रण का विस्तार आदि किस सीमा तक फर्म की सफलता से सम्बन्धित है। उन्होनें उत्पादन की प्रक्रिया के आकार पर फर्मो को तीन श्रेणियों में बांटा था। उन्होनें तीन तरह की प्रौद्योगिकी को इंगित किया है जो कि जटिलता तथा आधुनिकता के बढते हुए स्तर को दर्शाती है। इस प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित प्रकार बताए गये है -

1- इकाई उत्पादन **:** इसमें उत्पादन ईकाइयों में अथवा बहुत थोडी मात्रा में किया जाता है। उत्पादन ग्राहक की रूचियों के अनुसार किया जा सकता है। एक दर्जी द्वारा व्यक्तिगत पसन्द के अनुसार सूट तैयार करना इकाई उत्पादन है।

2- वृहद उत्पादन **:** इसमें बडें पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसमें उत्पादन व्यक्तिगत नहीं होकर जन उत्पादन होता है।

3- प्रक्रिया उत्पादन **:** इसमें उत्पादन निरन्तर रूप से प्रक्रिया के रूप में चलता है। तेल अथवा रसायन शोधक उत्पादल इसी में आता है। वुडवर्ड ने यह पाया है कि इन प्रौद्योगिकी वर्गीकरण में निम्न प्रकार के सम्बन्ध विद्यमान होते है तथा संगठनों की प्रभावशीलता प्रौद्योगिकी तथा संरचना के मध्य उपयुक्त सामंजस्य पर निर्भर करती है।

11.6.2 चाल्स पेरो दृष्टिकोण :

वुडवर्ड ने उत्पादन प्रौद्योगिकी पर जोर दिया था जब कि चाल्स पेरो ने 'ज्ञान-प्रौद्योगिकी' की ओर ध्यान आकर्षित किया था। उनके अनुसार प्रौद्योगिकी पर निम्न दो आगमों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए।

1. कार्य परिवर्तिता : एक व्यक्ति अपने कार्य में कितनी नवीन बातें पाता हैं।

2. समस्या विश्लेषण योग्यता : अर्थात इन नवीन बातों के प्रर्याप्त प्रतयुत्तर के लिए प्रयुक्त की जाने वाली खोज कार्य पद्धतियों एवं विधियों के प्रकार क्या है? जब कर्मचारी का कार्य दैनिक कार्य प्रणाली से सम्बन्धित होता है तो इसमें नवीन बातें अथवा अपवाद कम होते है। दूसरी ओर जब कार्य अनेक विविधताओं से युक्त होता है तो उसमें नवीन बातें, अनुपमता, अर्हितीयता, अर्थात अपवाद देखने को मिलते है। चाल्स पैरों के अनुसार दूसरा आयाम-समस्या-विश्लेषणीयता खोज कार्य पद्धतियों का मूल्यांकन करना है। एक तरफ यह

खोज सुपरिभाषित होती हो सकती है। जिसमें व्यक्ति किसी समाधान के लिए तार्किकएवं विश्लेषणात्मक बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। दूसरी ओर कुछ कुपरिभाषित समस्यायें होती है, जिसके समाधान के लिए कोई औपचारिक खोज तकनीक उपलब्ध नहीं होती है जिसका प्रयोग किया जा सके। केवल अनुमान कार्य तथा भूल तथा सुधार विधि के द्वारा कोई स्वीकार्य हल खोजना होता है। चाल्स पेरो ने इन आयामों - कार्य परिवर्तितता एवं समस्या विश्लेष्णीयता के आधार पर एक मेट्रिक्स तैयार करके चार प्रकार की प्रौद्योगिकी को दर्शाया गया है जो निम्न प्रकार है -

1.नैत्यक प्रौद्योगिकी **:** इस प्रौद्योगिकी में कार्य परिवर्तितता कम होती है अर्थात बहुत कम अपवाद होत है। तथा समस्याओं का विश्लेषण सुगम होता है। इस प्रकार की प्रौद्योगिकी का प्रयोग स्टील, आटो मोबाइल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज उघोग की वृहद उत्पादन प्रक्रियाओं में किया जाता है। 2. इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी : इस प्रकार की प्रौधोगिका में 'अपवाद' तो बडी मात्रा में होते हैं किन्तु वे व्यवस्थित एवं तार्किक ढंग से हल किये जा सकते हैं। उनकी औपचारिक कार्य विधि उपलब्ध होती है। इस श्रेणी में पुलों का निर्माण सम्मिलित है। 3. शिल्पकारिता प्रौद्योगिकी : यह प्रौद्योगिकी की तुलनात्मक रूप से कुछ जटिल समस्याओं से सम्बन्धित है। लेकिन इसमें अपवाद सीमित होते है। ऐसी प्रौद्योगिकी में समस्याओं के हल के लिए वैयक्तिक कौशल एवं सूझबूझ की आवश्यकता है। 4.अनैत्यक प्रौद्योगिकी : ऐसी प्रौद्योगिकी में कई अपवाद होते है तथा इसकी समस्याएँ विश्लेषण की दृष्टि से जटिल होती है। इसमें कई अनदेखी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। इस तकनीक में अनुपमता निहित होती है।

11.6.3 जेम्स थॉम्पसन दृष्टिकोण : जेम्स थाम्पसन के अनुसार समस्त संगठनों का वर्गीकरण निम्न तीन प्रकार की प्रौद्योगिकी के आधार पर किया जा सकता है।

1- लम्बी-श्रृंखला प्रौद्योगिकी **:** जहां कार्य अथवा क्रियाएँ एक अनुक्रम के रूप में अन्त निर्भर होती है। तो इन्हें लम्बी श्रृंखला प्रौद्योगिकी कहा जाता है। यह प्रौद्योगिकी आवर्तित चरणों का एक निश्चित अनुक्रम होती है। इस प्रकार की प्रौधोगिक वृहत् उत्पादन वाली संग्रहण उत्पाद प्रकृति में प्रयुक्त की जाती है।

2- मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी **:** इस प्रकार की प्रौद्योगिकी में निवेश तथा उत्पादन दोनो किनारो पर ग्राहको को जोडा जाता है। दूसरे शब्दों में 'रूपान्तर प्रक्रिया के दोनो ओर ग्राहकों से सम्पर्क होता है तथा सम्बन्ध जुडा होता है।बैकों, टेलीफोन सेवाओं, वृहद् फुटकर भण्डारों , कम्प्यूटर सेवाओं रोजगार तथा कल्याणकारी एजेन्सियों तथा डाकघरों आदि उपक्रमों में मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। मध्यस्थ दो स्वतंत्र ईकाइयों को जोडतें हुए अन्त विनिमय कार्य का निष्पादन करते है।

3- गहन प्रौद्योगिकी **:** इस प्रौद्योगिकी में समस्या की प्रकृति का सही-सही अनुमान करना संभव नहीं होता है। समस्या के दल के लिए किसी भी समय गहन संसाधनों

की जरूरत हो सकती है। समस्या विविध आकस्मिकताओं का एक समूह बन सकती है । अस्पतालों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं प्रबन्ध परामर्शकारी फर्मो आदि उपक्रमों में गहन प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लम्बी श्रृंखला तथा मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी प्राय: यांत्रिक संरचनाओं के लिए तथा सघन प्रौद्योगिकी संघटित संरचना के लिए उपयुक्त रहती है।

11.7 सूचना तकनीक की उपयोगिता की प्रगति

आज हम सूचना क्रांति के दौर से गुजर रहे है। सूक्ष्म इलैक्ट्रोनिक्स के फलस्वरूप आज बहुत बडी मात्रा में श्रेष्ठ किस्म की सूचनाओं का संग्रहण, प्रविधियन एवं सम्प्रेषण संभव हो गया है। आज सूचनाओं के प्रवाह एवं विनिमय की गति बहुत तीव्र हो गई है। यही कारण है कि सम्पूर्ण विश्व की एक सार्वभौम ग्राम तथा इलैक्ट्रोनिक कुटीर के रूप में कल्पना करना संभव हो गया है। सूचना विनिमय के त्वरित वेग एवं सुविधा के फलस्वरूप एक सावकाश समान की कल्पना की जा सकती है। आज प्रत्येक व्यक्ति सूचना समृद्व हो गया है। देश कृषि, उद्योग, और सूचना प्रौद्योगिकी की तीन क्रांतियों ने प्रगति के राह तक उन्नत बनाने मे मदद की है। कम्प्यूटर तंत्र के कारण उद्योगों में विशेषज्ञ अंत हो गया है। एलविन टाफलर ने सूचना जगत में इस क्रांति की तीसरी लहर की संज्ञा दी है। आज सूचना प्रौद्योगिकी उन शक्तियों में से एक है जो संगठनात्मक जीवन को गहन रूप से प्रभावित्त करती है। आज कम्पनी मंडल की कार्यावली में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का विषय प्रमुख एवं प्रथम क्रम में होता है। उद्योगों में सूचनाओं के बढतें हुए प्रयोग के कारण सूचना संसाधन प्रबन्ध का नवीन विषय महत्वपूर्ण होता जा रहा है। सुरक्षा उद्योगों में तथ्यों और सूचनाओं का बहुत अधिक मूल्य होता है। हॉर्न ने सूचना के महत्व को 1. सूचना का समयोचितता 2. सूचना कि किस्म 3. सूचना की मात्रा तथा 4. सूचना की प्रासंगिकता इन चार बिन्दुओं में रेखांकित किया है। सभी प्रबन्धकों को अपने कार्यो एवं उत्तरदायित्वों के निष्पादन के लिए समंकों तथा सूचनाओं की जरूरत होती है।

सूचना प्रौद्योगिकी से मिलने वाले फायदे **:** संगठन या विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी के

उन्नत विकास के आविष्कारों ने समूची दुनियां को सुविधाप्रदकर के समय, गुणवत्ता कार्य प्रणाली में उत्कृष्टता की मिसाल पेश की है। सूचना तकनीकों द्वारा निम्न लाभ हासिल किए जा सकते है - 1. कार्यो की समीक्षा में सहायता मिलती हैं। 2. नवीन कार्यप्रणालियों का विकास संभव हो पाता है। 3. संगठनात्मक परिवर्तन में सुविधा होती है। 4. कार्य संपादन की लागतों में कमी आती है। 5. कर्मचारियों की संख्या तथा स्थान उपकरण आदि की कम आवश्यकता पड़ती है। 6.उत्पादन में वृद्बि हो सकती है 7. विचारों , सूचनाओं, तथ्यों के लेन देन में सुविधा मिलती है 8.सूचनाओं की किस्म में सुधार होता है 9. निर्णयों की सुदृढता बढना तथा उपयुक्त आधार मिलते है। 10. विषय की पकड़ एवं विशेषज्ञता में

सहायता प्राप्त होती है। 11. आधुनिक सूचना उपकरणों, कम्प्यूटर्स आदि कि संचालन में सहायता मिलती है। 12. संगठनात्मक प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। 13. एकीकरण के नये प्रारूप विकसित होते हैं 14. व्यवसाय के विस्तार एवं विविधीकरण में सहायता हासिल होती है। 15. संगठन के संसाधनों का उचित नियोजन संभव होता है। 16. कार्य की मात्रा एवं कार्यकुशलता में अभिवृद्धि होती है 17. सुरक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्य दशाओं की प्रणालियों में हितवर्धन होता है। 18. सुरक्षा विभागों , संगठनों की कार्य क्षमता, दक्षता एवं निष्पादन में वृद्धि होती है । 19. विज्ञान के तकनीक नवाचारों में परिर्वतन समयानुसार उत्कृठतम रूप में होता रहता है। तथा 20. सूचना के ज्ञान द्वारा सत्तत की शक्ति के समान नवस्फूर्ति बढती है। तथा 21. अभियांत्रिकिय और प्रबंधकीय नवाचारों में परस्पर समन्वय, कुशलता एवं बेहतर प्रस्तुतीकरण को बढावा मिलता है।

11.7.1 नयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की नीति 2003: विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और नवीन पहलों की दिशा के लिए केन्द्र सरकार ने विज्ञान एवं तकनीकी नीति 2003 की घोषणा की है। इस नीति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रशासन के प्रति रवैया, मौजूदा भौतिक और ज्ञान संसाधनों के उचित प्रयोग, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्धन और उनसे उबरने के लिए नई तकनीकों और प्रणालियों के विकास बौद्विक सम्पदा के सृजन और प्रबन्धन तथा विज्ञान और तकनीकी के लाभों और उपयोगों के बारे में आम जनता के बीच जाग्रति पैदा करने की रूपरेखा बनाई गई है। नई विज्ञान नीति में विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का शोध स्तर ऊंचा करने तथा उन्हें वित्तीय रूप से आत्म निर्भर बनाने के लिए विश्वविद्यालय, उद्योग जगत और वैज्ञानिकों संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित पर जोर दिया है। आर्थिक वैश्विकरण की नई चुनौतियों के मुद्देनजर वर्तमान राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी नीति का मुख्य उद्देश्य खाद्य, कृषि, पोषण, पर्यावरण, जल, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा को सतत् आधार पर सुनिश्चित करना बताया गया है। इसके साथ गरीबी उन्मूलन भूख और कुपोषण दूर करने, क्षेत्रीय तथा ग्रामीण व शहरी असमानता को दूर करने हेतु वैज्ञानिक व तकनीकी क्षमताओं का उपयोग रोजगार के नये अवसर मुहैया कराने में किया जायेगा। विज्ञान और तकनीकी उद्देश्य इस क्षेत्र में नवीनतम प्रगति का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय, सामरिक व सुरक्षा सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूर्ण करना ह। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था व समाज के उत्थान के लिए शोध एवं नवीन अविष्कारों और तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करना है। इस नयी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं विशेषकर बाढ़, भुकम्प, तूफान, सूखा, भूखलन आदि से जनता को बचाने के लिए वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना है। इन उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नई नीति में कियान्वयन रणनीति की व्याख्या की व्यवस्था करते हुए कहा गया है कि विज्ञान व तकनीकी संस्थाओं को नई उर्जा प्रदान कर अधिक जीवित्त व बहुआयामी बनाने को विज्ञान विभागों, एजेंसियों, अकादमिक, संस्थानों और विश्वविद्यालयों का पूर्ण स्वायतता

दी जाएगी। उनकी प्रशासनिक एवं शोध नीतियों को लचीला बनाया जाएगा तथा उन्हें नौकरशाही के प्रभाव से मुक्त किया जाएगा तथा उन्हें नौकरशाही क्षेत्रों में विभिन्न विषयों में अग्रणी व प्राथमिकता वाले अनुसंधान व विकास क्षेत्रों का पता लगाने व उन्हें बढ़ावा देने को महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मानव संसाधन विकास विभाग भी नई प्रतिभाओं की पहचान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को अनुसंधान के लिए फैलोशिय के रूप में वित्तीय सहायता देता है। किशोर वैज्ञानिक एवं महिला वैज्ञानिक योजना शुरू सन् 2012 में शुरू की है। इस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निम्न कार्यक्रम चलाये जा रहे है:-(1) प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन, विकास व उपयोग कार्यक्रम (2) औद्योगिक शोध व विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम (3) प्रौद्योगिकी विकास व प्रदर्शन कार्यक्रम (4) प्रौद्योगिकी उधमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम (5) प्रौद्योगिकी प्रबन्धन कार्यक्रम (6) परामर्श प्रोत्साहन कार्यक्रम (7) अन्तर्राष्ट्रीय प्रौधागिकी हस्तांतरण कार्यक्रम (8) प्रौद्योगिकी सूचना सहायता कार्यक्रम (9) अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (10) भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम (11) भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इनसैट) (12) भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली (13) प्रेक्षपयान प्रौद्योगिकी (14) एस.एल.वी. (15) प्रणोदक (16) ए.एस.एल.वी. (17) पी.एच.एल.वी (18) जी.एस.एल.वी. (19) क्रोयोजनिक इंजन प्रौद्योगिकी (20) नाभकीय अनुसंधान (21) आणविक उर्जा (22) भारत में नाभकीय उर्जानीति (23) नाभिकीय उर्जा निगम 1989 (24) नाभिकीय उर्जा दृष्टि-यंत्र (25) राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (26) समेकित तटीय व समुद्री क्षेत्र प्रबन्धन कार्यक्रम (27) तटीय समुद्र निगरानी एवं अनुमान प्रणाली आदि कार्यक्रम विशेषरूप से प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में चलाये गये है।

11.7.2 राष्ट्रीय दूर संचार नीति 2012: इस नीति का प्रमुख उद्देश्य देश में वहनीय, विश्वसनीय और सुरक्षित दूरसंचार और ब्रांडबैण्ड सेवाएं उपलब्ध कराकर जनहित को और अधिक बढ़ाना है। इस नीति का मुख्य प्रयोजन समग्र अर्थव्यवस्था प्रभाव पर देना हैं। यह नीति समता और व्यापकता की भूमिका की पहचान कराती है। नागरिकों के लिए वहनीय व प्रभावी संचार की उपलब्धता, राष्ट्रीय दूरसंचार नीतित 2012के दृष्टिकोण का केन्द्र और राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की विशिष्ट भूमिका और प्रतिस्पर्धी वातावरण में सेवा प्रदाताओं की सतत व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य अनुवर्ती नीति की भी पहचान करती है। इस नीति के अनुसार यह सिद्धान्त, प्रयोक्ताओं, उपभोक्ताओं, सेवा प्रदाताओं के हितों और सरकारी राजस्व के बीच संतुलन बनाने के लिए आवश्यक निर्णय लेने में मार्गदर्शन करेगें।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 के प्रमुख उद्देश्य: इस नीति के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य रखे गये है:-

1- सभी नागरिकों को उच्च गुणवता वाली वहनीय एवं सुरक्षित दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराना। **2.** वर्तमान ग्रामीण टेलीघनत्व लगभग 39 प्रतिशत को बढ़ाकर वर्ष 2017 तक 70प्रतिशत तक और वर्ष 2020 तक 100प्रतिशत **3.** वर्ष 2015

तक मांग पर वहनीय एवं विश्वसनीय ब्रांडबैंड सुविधा उपलब्ध कराना तथा वर्ष 2017 तक 175 मिलियन ब्रांड बैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को अर्जित करना **4.** वर्ष 2020 तक न्यूनतम 2 एमबीपीएस डाउनलोड गति से 600 एमबीपीएस की उच्चतर गति उपलब्ध कराना। **5.** सभी सेवाओं और सभी क्षेत्रों के लिए ''एक राष्ट्र एक लाइसेंस'' बनाने का प्रयास करना। **6.** एक राष्ट्र पूर्ण मोबाइल नंबर पोटेबिलिटी'' कालक्ष्य प्राप्त करना और एक राष्ट्र नि:शुल्क रोमिंग की दिशा में कार्य करना? **7.** वर्ष 2020 तक एक चरण बद्व और समयबद्व रूप में देश में नये इंटरनेट प्रोटोकाल (आईपीवीक) में पर्याप्त परिवर्तन लाना और आईपी प्लेट फार्म पर अनेक सेवाओं को प्रर्याप्त रूप में उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक परिवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना। **8.** दूर संचार में हरित नीति को अपनाने बढ़ावा देने तथा स्वामित्व के लिए नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहन करना। **9.** घेरलू उत्पादन को बढ़ाकर भारत को वैश्विक केन्द्र बनाना। **10.** नेटवर्क सेवाओं और उपकरणों का अभिसरण **11.** सेवाओं की पुन: बिक्री **12.** वायसओवर इंटरनेट प्रोटोकाल तथा **13.** क्लाउड नेटवर्किंग इत्यादि बिन्दुओं पर इस नीति में घोषणा की गई है।

11.7.3 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष (इनोवेशन) नीति, 2013: कोलकता के साल्टलेक स्टेडियम में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के शताब्दी अधिवेशन में 3 जनवरी 2013 को भारत के राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी एवं प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भारत की विज्ञान और प्रौधोगिक और नवोन्मेष नीति 2013 जारी की गई थी। जिसमें भारत को वर्ष 2020 तक दुनियां की पांच बड़ी वैज्ञानिक शक्तियों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अधिवेशन की मुख्य बिन्दु-भारत का भविष्य बनाने के लिए विज्ञान रखा गया था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के शताब्दी अधिवेशन में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने जीन संवर्धित खाध व परमाणु उर्जा जैसे विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक नजरिया अपनाने की अपील की। आपने छात्रों को विज्ञान की बजाए वाणिज्य की तरफ रूझान ज्यादा होने को इसे वैज्ञानिक प्रगति में बाधक बताया, तकनीक छात्रों का अनुसंधान करने के बजाए मोटे पैकेटों पर नौकरी करने का रूझान है तथा तीसरी चिंता प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए कोई उपाय करने की बात कही।

विज्ञान प्रौद्योगिक और नवोन्मेष नीति**, 2013** की मुख्य बातें**:** भारतीय विज्ञान कांग्रेस के शताब्दी अधिवेशन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति -2013 को जारी कर घोषणा की गई, जिसकी मुख्य-मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई थी।

1- वर्ष 2020 तक भारत को विश्व के पांच सर्वोच्च वैज्ञानिकों की कतार में खड़ा करने का लक्ष्य रखा है। **2.** समाज के प्रत्येक वर्ग में वैज्ञानिक प्रवृत्ति पैदा करना है। **3.** प्रतिभाषाली छात्रों को विज्ञान के प्रति आकृष्ट करना। **4.** शोध के लिए विश्वस्तरीय संरचना गठित करना। **5.** शोध पर व्यय को वर्तमान 1प्रतिशत से

बढ़ाकर 2फीसदी करना। **6.** विज्ञान के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देना। **7.** निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी में शोध कार्य को बढ़ावा देना। **8.** कृषि और आमजन से जुड़े शोधों को बढ़ावा देना। **9.** जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने हेतु हरित तकनीक को विकसित करना। **10.** अगले पांच वर्षों में देश की वैज्ञानिकी मानवशक्ति को 66 फीसदी तक इस क्षेत्र की ओर बढ़ाना **11.** वैज्ञानिक शोध के जरिये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास करना। **12.** खोज में वैज्ञानिकों एवं उपागों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करना **13.** विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ शोध के लिए भागीदारी ज्यादा से ज्यादा करना आदि मुख्य उद्देश्य इस नवीन नीति में घोषित किए गये है।

11.8 देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की विभिन्न दिक्कतें और चुनौतियाँ

हमारे देश में अनेक सामरिक, सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समस्याएं व्याप्त है। तीव्र गति से होने वाली सामाजिक परिवर्तनों के साथ-साथ सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए लोग अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्रियों के विशिष्ट ज्ञान का लाभ उठाना चाहते है। इसी तरह देश की आर्थिक समस्याओं के उचित निराकरण के लिए राजनेताओं और अर्थशास्त्रियों चार्डड लेखाकारों, आर्थिक नियोजन कर्ताओं और लागत विशेषज्ञ के विशिष्ट ज्ञान का फायदा अपनी समस्या का निवारण करते है। आज हमारे को सूचना एवं सुरक्षा प्रौद्योगिकी खतरा उत्पन्न हो सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकीय विकास एक तरफ वरदान साबित हो रहा है तो दूसरी तरफ अभिशाय की मार भी हमारा देश झेल रहा है। हमारे देश की कई सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक ज्वलंत समस्याएं राष्ट्र की आतंरिक सुरक्षा के लिए दिक्कतें पैदा करके गंभीर चुनौती का ज्वलंत मुद्दे बन रहे है। हमारे देश में साइबर,श्वेत पोश, खाद्य अपमिश्रण के अपराध सूचना प्रौद्योगिकी के लिए चुनौती बने हुए है। देश में कई सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दिक्कतें पैदा करके गंभीर चुनौती का ज्वलंत मुद्दे बन रही है। हमारे देश में साइबर, श्वेत पोश, खाद्य अपमिश्रण के अपराध सूचना प्रौद्योगिकी के लिए चुनौती बने हुए ह। देश में कई सामाजिक समस्याएं जैसे अपराध, जनसंख्या-विस्फोट निर्धनता, बेकारी, निरक्षरता, छात्र असन्तोष, नशीले द्रव, एड्स, महिला हिंसा व बलात्संग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों की ज्वलते अशांति और अव्यवस्था के कारण बन गये है। इसी तरह कई आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक ज्वलंत मुद्दे जैसे क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, उग्रवाद, चरमपंथवाद, अनेकतावाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा मंडराने के कई कारण जैसे युक्त से युद्ध, देश के विरूद्ध विदेशी मुल्को द्वारा षड़यन्त्र, बाहरी दुश्मनों के द्वारा आक्रमण, उपद्रव कारगिल व सीमा घुस पैठ जैसे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आज हमारा देश कई बाहरी विकट समस्याओं से जूझ रहा है। भारत-पाक, भारत-चीन कई बार समुद्री और वायुमार्ग, को लेकर

विवादउत्पन्न हो जाता है। विमान अपहरणध प्रत्यर्पण संधि के जरियक इन्टरपोल को सहायता से विभिन्न अपराधियों को समर्पित कराने को लेकर बाहरी विवाद उत्पन्न हो जाता है। भारत आज बाहरी सुरक्षा के खतरे के नाम पर सैनिक, ध्वंसात्मक, आर्थिक राजनयिक एवं दाण्डिक मध्यक्षेप या हस्तक्षेप की समस्या से त्रस्त रहा है। जलदस्युओं वायुयान अपहरण (कांधार काण्ड) तथा ब्राहय अंतरिक्ष की समस्या आतंकवाद के पनपने के कारण हुई है। शरणार्थियों की समस्या देश की अंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए चुनौती बन गई है। कई बार विदेशी शत्रु द्वारा अपराध भारतीय वायुयान, जलयान, मोटरयान पर विदेश या देश में कारित कर दिया जाता है। उसको दूतावास, युद्धपातों या व्यापारिक जलयानों या अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालयों में आश्रय या शरण दे दी जाने की समस्या भी जवलंत है। कई बार विदेशी शत्रुरूपता की ब्राहय सुरक्षा की समस्या ज्वलंत रूप धारण कर लेती है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार युद्ध के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शत्रु-देश अपने जासूसों द्वारा सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है तथा पकड़े जाने पर उन्हें सम्बन्धित राज्य द्वारा दण्ड भी दिया जा सकता है। हेग अभिसमय के अनुसार, जासूसों को दण्ड देने से पहले उनका परीक्षण होना चाहिए। कोइ जासूस बच कर भाग निकलता है और बाद में पकड़ा जाता है तो युद्धबन्दी माना जायेगा। जासूस है या नहीं यह भी ब्रहय सुरक्षा की समस्या है। देश के सामने पर्यावरण प्रदुषण, शत्रुतापूर्ण सेवा, तलाशी और अभिग्रहण, सामुद्रिक, हवाई युद्ध, युद्ध अपराधियों, जनपथ, नि:शस्त्रीकरण सामूहिक सुरक्षा, नाकाबंदी, प्राइज न्यायालय तथा संकटाधिकार सम्बन्धी कई बाहरी सुरक्षा सम्बन्धी ज्वलंत समस्याएं हमारे मुल्के के लिए खतरे से खाली नहीं होती है। मानवाधिकारों के उल्लघंन की समस्या भी ब्राहय सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है।

भारत में आन्तरिक सुरक्षा को चुनौतियाँ**:** भारत आज नि:सन्देह बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, किन्तु इस की आन्तरिक सुरक्षा के समक्ष ऐसी चुनौतियाँ है, जो इस की शांति एवं सुव्यवस्था पर प्रश्न चिह्न लगाती है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से विद्वेलित करने वाले ज्वलंत मुद्दे खतरा बनकर मंडरा रहे है। आज भारत कई विषय सामाजिक समस्याओं के आड में आंतरिक सुरक्षा से संघर्ष की स्थिति से जूझ रहा है। इसमें प्रमुखत: आतंकवाद नक्सलवाद, साम्प्रदायिकतावाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अलगाववाद, चरमपंथवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, निर्धनता, निरक्षरता इत्यादि भारत की आन्तरिक सुरक्षा के समझ ऐसी ही कुछ खतरनाक चुनौतियां है। अब हम इन सभी प्रमुख चुनौतियों के बारे में विवेचना करना उपयुक्त समझतें हैं। भारत में आजकल निम्नलिखित सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक से औत-प्रौत ज्वलंत समस्याएं आन्तरिक सुरक्षा के लिए भंयकर खतरा बनी हुई है।

11.8.1 **आतंकवाद:** भारत पिछले तीन दशक से भी अधिक समय से आतंकवाद के विभिन्न स्वरूपों से जुझ रहा है। पूर्वोतर में फैले नक्सवाद अस्सी के दशक में खालिस्तान की मांग को लेकर पड़ौसी देश द्वारा प्रयोजित आतंकवाद, कश्मीर में पड़ौसी देश के घुसपैठियों

द्वारा फैलाया गया आतंकवाद और इन सबके बाद अलकायदा के नित नये रूप फैलाये जा रहे है।इसमें विद्रोह, लोकयुद्ध, छापामार युद्ध, मारो और भागों जैसी कार्यवाही सम्पन्न की जाती है। आतंकवाद का उद्देश्य आतंक, तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियां अपनाकर लोगों को तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। आज आतंकवाद राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, क्रांतिकारी, उपक्रांति, दमनात्मक, जैव, नाभिकीय, और रासायनिक, आतंकवाद के विविध स्वरूपों में दृष्टिगोचर हो रहा है। आतंकवादी वाहन व विमान अपहरण, हवाई डकैती, बंधक बनाने, मोर्चाबंदी करना, विस्फोट करना, आगजनी आदि वारदातों को अंजाम देना तथा सरकार और क्षेत्र के लोगों में इस तरह की दहशतगर्दी फैलाना ताकि सरकार व जनता भयाक्रांति हो सके। आतंकवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय चुनोती बन चुका है। भारत में पंजाब, उतर-पूर्व राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों में अपने दांव पसार चुकास है। श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, ईराक,ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान आदि देशों में भी आतंकवादियों ने अपने ठिकाने बना लिये ह। वैसे तो आज पूरा विश्व की किसी न किसी रूप में आतंकवाद की चमेट में है, किन्तु भारत दुनियाभर में आतंकवाद से सर्वाधिक त्रस्त देशों में से एक है। पिछले कुछ दशकों से भारत में आतंकी घटनाओं की संख में वृद्धि हुइ ह। भारत में आतंकवाद से सर्वाधिक त्रस्त राज्य जम्मू-कश्मीर है। जम्मू व कश्मीर राज्य तो देश की आजादी के समय से ही आतंकवाद से पीड़ित रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद हमेशा खौपनाक मंजर ढहाता रहता है। इस आतंकवाद जम्मू-कश्मीर में सर्वाधिक ज्वलंत समस्या चुनौती का रूप धारण कर चुका है। इस आतंकवाद के केन्द्र में न केवल अलगाववादी संगठन, वरन मुस्लिम कट्टरपंथी एवं पाकिस्तान समर्थित संगठन भी शामिल है। आतंकवाद तथा देश के अंदर चल रहे अन्य अलगाववादी आन्दोलन अब प्राय: हरके देश की समस्या बन गये है। आतंरिक सुरक्षा के लिए इनमें कठोरता से निपटना अब अतिआवश्यक हो गया है।

11.8.2 नक्सलवाद : नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। जिस तरह से नक्सलवादी निरन्तर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे है। यदि नक्सलवाद की समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो निश्चित रूप से यह देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। नक्सलवाद मार्क्सवादी एवं माओवादी सिद्वान्तों से प्रभावित्त है। माक्र्सवाद जहां साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देता है वहीं माओवाद अपने हक के लिए सशस्त्र क्रांति पर जोर देता है। माओ चीन के सशस्त्र क्रांति के प्रसिद्व नेता थे, जिनका मानना था कि राजनीति सता बन्दूक की नली से निकलती है। इस तरह नक्सलवाद भस्वार्मियों के विरूद्ध आदिवासियों का एक ऐसा सशस्त्र विद्रोह है जो अपनी मार्क्सवादी विचारधारा को लागू करने के लिए माओवादी तरीकों को अपनाने पर जोर देता है। आदिवासी बहुल इला के विकास से कोसो दूर है। आदिवासी पहले पूर्णत: वनों पर निर्भर थे। वन उन्मूलन एवं अवैध कारोबारियों द्वारा वनों पर कब्जा करने के कारण उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आदिवासी क्षेत्रों में निर्धनता, बेरोजगारी,

कुपोषण और अज्ञानता के कारण भी नक्सवाद को बढ़ावा मिला है। शोषण भी नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। नक्सलवाद की शुरूआत प.बंगाल के नक्सल बाड़ी नामक स्थान से हुई थी। किन्तु आज यह आन्दोलन देश के 16 राज्यों में फैल चुका है। इनमें बिहार, झारखण्ड, प. बंगाल, उड़ीसा के 180 जिलों में आन्ध्र प्रदेश, उतर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा छतीसगढ़ इस समस्या में सर्वाधिक प्रभावित्त है। आज देश का लगभग 40,000 वर्ग किसी क्षेत्र पर नक्सलियों का कब्जा है। इस क्षेत्र में नक्सवादियों की अपनी सरकार अदालतों और सेनाएं है। नक्सवाद सन् 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सवादी नामक स्थान से यह क्रांतिकारी विचारधारा शुरू होने के बाद में नक्सलवाद के रूप में पहचाना गया। भारत में पिछले एक दशक से नक्सली हिंसा में तीव्र वृद्धि हुई है और आजकल यह बहुत ही हिंसक विद्रोह के रूप में देश के लिए एक गंभीर आतंरिक समस्या एवं चुनौती बन चुका है।

11.8.3 साम्प्रदायिकतावाद: साम्प्रदायकवाद का अर्थ है कि मेरा सम्प्रदाय मेरा पंथ, मेरामत ही सबसे अच्छा है। साम्प्रदायिकता का सम्बन्ध धार्मिक समहों की भाषा, धर्म और संस्कृति के संरक्षण से है। इसमें धार्मिक कहर पंथियों का बाहुल्य या अल्संख्यक हो सकते है। साम्प्रदायिकता सामाजिक और राजनीति अलगाव पैदा करती है। साम्प्रदायिकता वह संकार्ण मनोवृति है जो किसी एक धर्म अथवा सम्प्रदाय के लोगों में अपने आर्थिक एवं राजनैतिक स्वार्थो की पूर्ति के लिए पाई जाती है और उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न धार्मिक समूहों में तनाव एवं संघर्ष पैदा होते है। मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक, राजनीतिक, साम्प्रदायिक संगठन, असामाजिक तत्व, निहित स्वार्थ, धर्म के दुरूपयोग करने के कारण सम्प्रदायिकता फैलती है। इतिहास साक्षी है कि अनेक विसंगतियों के बावजूद सदा एकता के सूत्र में बंधा रहा है। यहां अनेक जातियों का आगमन हुआ और उनकी परम्पराएं, विचारधाराएं और संस्कृति इस देश के साथ एकरूप् हो गई। इस देश के हिन्दु, मुसलमान, सिख,ईसाई, सभी परस्पर प्रेम से रहना चाहते है, लेकिन भष्ट्र राजनेता उन्हें आपस में बांटकर अपना उल्लू सीधा करने में जुटे रहते है। इस तरह धार्मिक कहरता के नाम पर कुछ स्वार्थी लोग दूसरे धर्म के लोगों के दिलों में साम्प्रदायिकता की भावना भड़कारकर देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे है। साम्प्रदायवाद भी आज देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए भये कर चुनौती बना हुआ है।

11.8.4 क्षेत्रवाद: देश की अखण्डता एवं राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्षेत्रवाद की भावना है। क्षेत्रवाद की भावना ने ही देश का विभाजन हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में किया और आजादी के बाद भी इसी भावना के कारण देश के विभिन्न भागों से पृथक्करण की आवाज उठी थी। क्षेत्रवाद की भावना ने राष्ट्र की भावनात्मक एवं राजनीतिक एकता की छवि घूमिल कर दी और समय-समय पर देश को तनाव व संघर्षो से जूझना पड़ा है। साधारण अर्थो में इलाकावाद, प्रान्तवाद और क्षेत्रवाद का प्रार्यायवाची शब्दों में प्रयोग किया जाता है जिसका असली अर्थ स्थानीयतावाद, पृथकवाद और अलगाववाद प्रो.ए.के चटर्जी ने व्यक्त

किया है। क्षेत्रवाद की धारणा का उद्य राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, मनौवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, भाषावाद जैसे कारकों के पनपने के कारण हुआ। क्षेत्र के निवासियों द्वारा अपने क्षेत्र के हितों के प्रति जागरूक रहना क्षेत्रवाद है, लेकिन इसके संकीर्ण रूप ले लेने पर क्षेत्र बनाम राष्ट्र की भावना पनप जाती है और तब सिर्फ क्षेत्र-विशेष की सुविधाओं की इच्छा के कारण यह नकारात्मक अवधारणा बन जाती है। इस तरह क्षेत्रवाद से तात्पर्य किसी क्षेत्र के लोगों की उस भावना एवं प्रयत्नों से है। जिनके द्वारा वे अपने क्षेत्र-विशेष की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि शक्तियों में वृद्धि करना चाहते है। क्षेत्रवाद हमारी इस राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद के पनपने के कई कारण है। इसमें भौगोलिक भिन्ता, आर्थिक अनसन्तुलन भाषागत विभिन्नता व राज्यों के आकार में असमानता के कारण क्षेत्रवाद की समस्या अधिक तीव्र हुई है एवं पृथकतावाद को इनमें प्रोत्साहन मिला है। विकास में असन्तुलन के कारण भी राज्यों में मतभेद उभरते है। इन सब के अतिरिक्त भारत में जातिवाद के कारण भी क्षेत्रवाद को ज्यादा बढ़ावा मिला है। इसके ज्वलंत उदाहरण पंजाब व हरियाणा प्रदेश है। अत: क्षेत्रवाद भी देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए कई दिक्कते बनकर चुनौती के रूप में उभरी समस्या है। इसमें क्षेत्रवाद की भावना को हम राष्ट्रीय भावना के प्रसार राष्ट्रीय इतिहास पर बल, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध, यातायात के साधनों का प्रसार, शिक्षण संस्थानों में क्षेत्रीय आधार पर चयन रोककर राष्ट्रभाषा का प्रसार करके सांस्कृतिक एकीकरण तथा आर्थिक असन्तुलन को समाप्त करके किया जा सकता है।

11.8.5 भाषावाद: भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न स्थानीय बोलियां एवं अनेक भाषाएं बोली जाती है। इन भाषाओं की संख्या लगभग 1650 है। इनमें से 22 भाषाएं यथा-असमी, बंगाली, बोड़ो, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोकंणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िसा, पंजाबी, संस्कृत, सिन्धी, तमिल, तेलुगु एवं उर्दु भाषाएं तो राज्य भाषाएं समृद्व होकर संविधान की आठवीं अनुसूची में बह की जा चुकी है। भारत में कभी भी सम्पूर्ण देश की एक भाषा नहीं रही है। हिन्दी भाषा को हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में हिन्दी की देवनागरी लिपि को राजभाषा के रूप में घोषित की गई है परन्तु आज भी देश एक राष्ट्रीय भाषा कोई भी भाषा नहीं बन सकी है। भारत बहुभाषी देश है। यहां अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग रहते है। भाषाओं की बहुलता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि भारत के संविधान में वर्तमान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसी तरह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी इत्यादि भाषाएं बोलने वालों की संख्या भी का फी है। भाषाओं की बहुलता के कारण भाषायी वर्चस्व की राजीति ने भाषावाद का विकृत रूप धारण कर लिया है। इसने अब तक कई भाषायी मतभेद करने वाले संघर्षो को जन्म दिया है। विशेषकर दक्षिण भारत के लोग हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाए जाने का शुरू से विरोध करते रहे है। एवं अपने विरोध-प्रदर्शन के लिए उन्होंने अब तक कई आन्दोलन किए है। इस प्रकार से भाषावाद भी हमारी आतंरिक सुरक्षा के लिए खतरे का रूप ले जा रहा है।

राजकाज की भाषा केवल अभिजात वर्ग की भाषा ही थी। प्रजातांत्रिक प्रणाली के अभाव में साधारण व्यक्ति राजकाज के कार्यो में भाग नहीं लेता था। अत: ग्यारहवीं सदी तक राजकाज की भाषा की समस्या नहीं थी। भाषा का विवाद मुसलमानों और अंग्रेजों के आगमन के बाद पैदा हुआ था। मुसलमानों और अंग्रेजों के आगमन के बाद पैदा हुआ था। मुसलमानों ने उर्दू भाषा को और अंग्रेजी को राजकाज और न्यायालयों की भाषा बनाया गया था। आजादी के संघर्ष के दौरान कांग्रेस दल ने गांधीजी के आगमन के साथ स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया। कांग्रेस ने सन् 1920 में नागपुर के अधिवेशन में भाषा के आधार पर प्रान्तों के निर्माण और अंग्रेजी के स्थान परस हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की। भारतीय संविधान में राजकाज, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय की भाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 में केन्द्र सरकार की राजकाज की भाषा के लिए देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा को अपनाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

11.8.6 अलगाववाद: भारत की संघात्मक व्यवस्था में प्रशासनिक एकरूपता पर बल दिया गया है। किन्तु दुर्भाग्य से देश के अनेक भागों से नये राज्य बनाने की मांग जोरों से उठती रही है। नए राज्य न बनते रहे बल्कि एक के बाद एक नये राज्यों को बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। सन् 1953 में आन्ध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। इसके बाद सन् 2002 तक आते-आते भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 हो गई है। ध्यात्व्य रहे कि अधिकतर एवं सुविधाओं के नाम पर अब तक कई राज्यों का विभाजन या पुनर्गठन हो चुका हे। जैसे पंजाब से हरियाणा, बम्बई से गुजरात व महाराष्ट्र, उतर प्रदेश से छतीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश इत्यादि राज्य बनाए गये है। राजस्थान से मरू प्रदेश पश्चिम बंगाल से गोरखालैंड, बिहार से मिथलांचल, आसाम से बोड़ोलैण्ड, उतरप्रदेश से पूर्वाचंल इत्यादि क्षेत्रों को भी राज्यों के रूप में अलग करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है।

11.8.7 जातिवाद: जातिवाद वह संकुचित भावना है जिसके वशीभूत ही व्यक्ति समाज और राष्ट्र को विशेष महत्व नहीं देकर अपने जाति-हितों को सर्वोपरिय मानता है और अपनी जाति के स्वार्थों की दृष्टि से सोचता है। जातिवाद ने जातियों को आन्तरिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया है। वर्तमान में जातियों के नाम पर अनेक शिक्षण संस्थाएं, धर्मशालाएं, औद्योगिक संस्थान, प्रतिष्ठान, औषधालय, मन्दिर एवं अन्य संगठन-समितियां पाये जाते है। इन संगठनों के माध्यम से जाति-विशेष की स्थिति को सामाजिक संस्तरण की प्रणाली में ऊंचा उठाने का प्रयत्न उत्थान के रूप में किया जाता है। ये संगठन केवल अपनी जाति के लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान कर उन्हें अपना सामाजिक स्थिति को उन्नत बनाने का सुभवसर प्रदान करते है। आज व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के निर्धारण में जन्म और जाति का महत्व साक्षेप दृष्टि से कम होता जा रहा है। आज चुनावों और बेटे-बेटी के रिश्तेदारी तय करने एवं मतदानकरने में केवल जात गंगा के नाम की दुहाई देकर जातिवाद के जहररूपी वृक्ष को बढ़ाया जा रहा है। जातिवाद वह संकीर्ण भावना है जो एक जाति के सदस्यों को अन्य लोगों के सामान्य हितों की चिंता नहीं करते हुए अपनी ही जाति

के लोगों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता देने को प्रेरित करती है। जातिवाद के विकास के उतरदायी अनेक कारकों में से जैसे-वैवाहिक प्रतिबंध, यातायात व संदेश वाहन के साधनों का विकास, जातिय स्थिति को ऊंचा उठाने की लालसा, जजमानी प्रथा का विघटन, औद्योगिक, नगरीकरण, जाति का विकास, संस्कृतिकरा जातिय संगठनों का उदय तथा मतदान की राजनीति ने भी पंचायत के वार्ड सदस्य से लेकर सांसदों के चुनावों में सभी जगह जातिवाद के नाम पर वोट बटोरे जाते है। बेटी और वोट को तो समाज को ही देना लेना परिवादी सा बनता जा रहा है। जातिवाद प्रजातंत्र विरोधी है। यह राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक है। जातिवाद नैतिक पतन, भष्ट्राचार तथा जातिय संघर्ष का कारण है। जातिवाद को समाप्त करने के लिए अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन, उचित शिक्षा, वैकल्पिक समूहों के निर्माण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समानता को विभिन्न जातियों में प्रोत्साहन, जातिगत राजनीति को समाप्त कर उचित आर्थिक विकास करने को सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार जातिवाद भी देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बना हुआ है।

11.8.8 नस्लवाद, उग्रवाद एवं चरम पंथवाद: भारत में अनेक धर्मो का प्रचलन रहा है, किन्तु कभी-कभी छोटे-छोटे स्वार्थों को लेकर विभिन्न धर्मावलम्बियों के बीच तनाव और संघर्ष हुए है। कई ऐसे दल और संगठन है जो हिंसा में विश्वास करते है और उन्होंने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा का सहारा लिया है। नक्सलवादियों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश व अन्य प्रान्तों में तोड़-फोड़ और मारकाट का सहारा लिया है। फासिस्ट और माओवादियों ने समय-समय पर हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया है। राष्ट्रीय एकीकरण की आर्थिक विषमता ने भी खतरे में डाल रखा है। दिनोंदिन बढ़ती मंहगाई, भष्ट्राचार, बेकारी और गरीब-अमीर के बीच बढ़ती खाई ने भी लोगों के बीच विद्रोह की भावना पैदा करके इन्हें उग्रवादी एवं चरम पंथवादी बना दिया है। राष्ट्रीय चरित्र में गिरावट एवं जाग्रति को कमी, राजनीतिक अवसरवादिता, छात्र असंतोष राज्यों व केन्द्र के तनावपूर्ण रवैये ने देश को देश की आतंरिक सुरक्षा को खतरा पहुँचाकर अब विकराल रूप में उग्रवाद, नस्लवाद, और चरमपंथवाद चुनोती बन गये है।

राष्ट्र की आंतरिक अशांति तथा बाहरी दुश्मनों की रक्षा के लिए आतंरिक सुरक्षा की इन चुनौतियों का शीघ्रतिशीघ्र समाधान करना, परमावश्यक हो गया है। इसके लिए केवल सरकारी प्रयासों से कुछ नहीं हो सकता है। प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़कर इसे रोकने, का प्रयास करना होगा। भारत सरकार का गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों को देखता है। इसके लिए इसके संघटक के रूप में आतंरिक सुरक्षा विभाग का गठन किया गया है। जो पुलिस, कानून, लोक व्यवस्था, परिशांति तथा शरणार्थियों के पुर्नवास सम्बन्धी कार्य भी देखता है। जनवरी 2009 व फरवरी 2010 में आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। जिसमें आतंरिक सुरक्षा कार्यो की स्थिति एवं इसके खतरों से निपटने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक एवं तकनीकी सुरक्षा की आवश्यक कार्यवाही पर

विस्तार पूर्वक चर्चा हुई थी। इसके बाद देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत और कुशलता लाने के लिए सरकार द्वारा कई सुरक्षात्मक, प्रक्रियात्मक, तकनीकी उपकरणों आदि के उपाय सुनिश्चित किए गये थे। इसमें राष्ट्रीय जांच एजेन्सी को कार्यात्मक बनाना, चार राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हबो की स्थापना करना, जिससे कि किसी संभावित्त आतंकी, नक्सली हमलों से तीव्र एवं प्रभावी ढ़ग से निपटना सुनिश्चित हो सके, केन्द्रीय आसूचना,ब्यरों क्षमता और दक्षता को बढ़ना जिससे वह चौबीसों घण्टे कार्य करने के योग्य हो सके, केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक भी बेहतर तरीकों से मजबूत बनाना आदि सुरक्षा तकनीकी उपाय शमिल किए गये है। जब देश की आतंरिक सुरक्षा भलीभांति होगी, तो हम देश की बाह्य असुरक्षा से भी सुरक्षित कर सकेगे। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता और अखण्डता बनाए रखने के लिए हर बलिदान और त्याग करने को वतन हेतु तत्पर रहेगें।

11.9 राष्ट्र-सुरक्षा तकनीक कार्यो में पुलिस एवं सुरक्षा दलों बलों में सुधार के उपाय

प्रत्येक राष्ट्र की एकता अखण्डता और सम्प्रभुता की रक्षा करने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। राष्ट्र की सुरक्षा विज्ञान और तकनीकी साधनों के सदुपयोग से ही संभव हैं। तकनीकी कार्य मशीनों , यंत्रो और उप-यंत्रों की उत्पादन कुशलाता पर निर्भर करता हैं। तकनीकी के साधनों का उपयोग पुलिस या सुरक्षा एवं अर्द्ध-सैनिक दल-बल के कर्मचारियों और अधिकारियों की होती है। आधुनिकतम तकनीक साधनों का प्रयोग सैन्य और अर्द्ध-सैनिक बलों और नागरिक दलों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र के नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा एवं संरक्षा कार्यो को संभालने का दायित्व और कर्तव्य पुलिस बलों और अर्द्ध-सैनिक दलों का होता है। दूरसंचार के माध्यमों की जरूरत तकनीक सुरक्षा कार्यो को संधारित एवं संभालने के लिए होती है। इसमें दृश्य एवं श्रव्य माध्यम सम्मिलित है। इसमें रेडियो टेलीविजन,दूरदर्शन, निजी टी.वी., ओडियो-वीडियो का्रन्फेन्सिक, टेल टेक्स्टस , दूरध्वनि दूरभाष, टेली-प्रिन्टर, फैक्स, फोटोस्टेट जीरोक्स मशीन लॉइ टिटेक्टर, डिजिटल कैमरा इत्यादि सभी साधन प्रौद्योगिकी केनवाचारों के अन्तर्गत व समाहित किए गये है। पुलिस और सुरक्षा दलों और अर्द्ध-सैनिक बलो के कार्मिको को प्रशिक्षण दिलवाये जाने की समुचित व्यवस्था की गई है। विज्ञान के प्रगति एवं उन्नति के कारण नवीन प्रौद्योगिकी साधनों ने सुरक्षा एवं संरक्षा जगत में धम मचा रखी है। इन राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यो की सहायता के लिए तकनीक एवं सूचना संचार साधनों का उपयोग किया जाते समय पूर्वावमानि या और सावधानियां बरतनी अवश्यक है। तकनीकी साधनों के नवप्रयोग करते समय पुलिस तंत्र को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राडार, लॉचर, राकेटों, प्रेक्षेपास्त्रों, मशीनगनों , टैकरों , दूरसंचार प्रणाली, उपग्रह, स्वचालित राइफलों , हल्की मशीनगनों ,मोटरों, लारियों, ट्रकों , कैकडों , तोपखानों इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। पुलिस वायरलैस(बेतार) प्रणाली का उपयोग सुरक्षा तकनीक के नवप्रयोग करते समय की

जाती है। पुलिस की सुरक्षा प्रणाली की सुरक्षा प्रणाली की कमियों को ठीक करने के लिए समय-समय गठित किए गये पुलिस आयोगों, विभिन्न समिति द्वारा दी गई सिफारिशों कं अनुरूप ही सुरक्षा कार्यो की व्यवस्था संभाली जानी चाहिए। सर्वोच्य और उच्च न्यायालयों द्वारा पुलिस सुधार करवाने सम्बन्धी निर्णयों में प्रतिपादित किए गये। दिशा निर्देशों की परिपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। सुरक्षा, पुलिस और अर्द्व-सैनिक दलों एवं बलों के कार्मियों के पास सुरक्षा करने के लिए आधुनिकतम हथियारों सुसज्जित साधनों सुविधाजनक उपकरणों औजारों और यंत्रों के उचित रख रखाव/संधारण की आवश्यकता है। तकनीकी सुरक्षा साधनों की सहायता से ही देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करनें में आसानी और सुविधाप्रद स्थिति में हमारे फौजी-जवान सही-सलामत रह पाते है। आज कई देशों ने आधुनिक हथियारों के जखीरों को संरक्षित कर रखा है ताकि देश की प्रतिरक्षा करने में काम में जा सकते है।

11.10 सारांश

जब किसी नागरिक की जानमाल को खतरा उत्पन्न हो गया हो तो उस व्यक्ति की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य एवं दायित्व बन जाता है। यह कार्य पुलिस, सुरक्षा या अर्द्व- सैनिक बलों के जवानों या फौजियों द्वारा किया जाता है। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा कार्यो की सहायता के लिए तकनीकी साधनों, उपकरणों या प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है। इस इकाई के अन्तर्गत हमने सुरक्षा प्रौघोगिक का उपयोग सुरक्षा बलों एवं दलों द्वारा सुरक्षा कार्यो के लिए किया जा रहा हैं देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा एवं संरक्षा करने की जिम्मेदारी पुलिस सुरक्षा दलों की होती है। हमने इस अध्याय के अन्तर्गत सुरक्षा तकनीकों के प्रबन्धन के अर्थ, परिभाषा , विशेषताओं , उपादेयता, तथा इसके प्रभाव तथा तकनीकी प्रकारों के बारे मे प्रकाश डाल चुके है। सुरक्षा कार्यो के उपयोग में कौन- कौन सा नवीन तकनीकों का प्रयोग सुरक्षा दलों एवं बलों द्वारा किया जाता है इसके बारे विस्तार से विवेचना कर चुके है। सुरक्षा तकनीकी के प्रतिपादित की गई विभिन्न विचारधाराओं अर्थात माडल्स जिसमें जानवुड, चाल्स पेरो तथा जेम्स थाम्पसन द्वारा प्रस्तुत की गई विचारधाराओं को स्पष्ट समझा चुके है। इसके पश्चात सूचना तकनीक, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवान्मेष नीति, दूरसंचार नीति, नई विज्ञान एवं प्रौधोगिक नीति आदि के बारे में विवेचना कर चुके है। इसके बाद हमने देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में आ रही विभिन्न दिक्कतों , बाधाओं , समस्याओं और चुनौतियों के बारे मे व्याख्या कर चुके है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाधक बनने वाली कुछ ज्वलंत समस्याओं और गंभीर चुनौतियें यथा- आतंकवाद, नक्सलवाद साम्प्रदायितावादध् क्षेत्रवाद, भाषावाद, अलगाववाद,जातिवाद, नस्लवाद, उग्रवाद, चरम पंथवाद, निर्धनता, बेकारी, भष्टाचार और निरक्षरता जैसे चुनौतियों की स्पष्ट विवेचना कर ली गई है। इसी तरह इस इकाई के अन्तर्गत देश के समक्ष आने वाली बाहरी सुरक्षा के खतरों अर्थात विभिन्न चुनौतियों के बारे में केवल संक्षेप में प्रकाश डाल चुके है। और अंत में सुरक्षा तकनीकी कार्यो में पुलिस एवं सुरक्षा में

सुधार सम्बन्धी उपयों को भी दिवदर्शित कर चुके है। हमारे देश की आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी एवं सुरक्षा कर्तव्य का उतरदायित्व केवल सुरक्षा दलों-बलों का ही नही है। वरन् भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य बनता है कि आव्हान किएजाने या आवश्यकता पड़ने पर हमारे राष्ट्र की एकता और अखण्डता को अक्षुण्य बनाये रखने के लिए हमें जागरूक बनकर देश के लिए हर बलिदान और त्याग करने हेतु सदैव तत्पर रहेगें तब जाकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सार्थकता सिद्व हो सकती है। सुरक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हमें देश की सुरक्षा कार्यो के लिए इसका ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीकों से सदुपयोग करना चाहिए। तकनीकी साधनों, उपकरणों,यंत्रों , उप-यंत्रों के समुचित नवप्रयोग कराने के लिए भी पुलिस और सुरक्षा दलों-एवं बलों में कुशलता एवं दक्षता-क्षमता विकसित करने के लिए इनके जवानों/फौजियों को नीचले स्तर से उच्च स्तर तक के कार्मियों एवं अधिकारियों को तकनीक साधनों के सदुपयोग के लिए बेहतर से बेहतर प्रशिक्षक एवं पुन:श्चर्या पाठ्यक्रमों को संचालित करने क परमावश्यता है।

11.11 शब्दावली

1- आतंरिक सुरक्षा से तात्पर्य देश में भीतरी सुरक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था से है।
2- बाहरी सुरक्षा से अभिप्रेत देश के बाहरी दुश्मनों से युद्ध आक्रमण षड़यंत्र, वायु, थल और नौसैनिकों द्वारा प्रतिरक्षा करने से है।
3- विज्ञान से तात्पर्य किसी भी विषय के व्यवस्थित एवं क्रमबद्व ज्ञान को विज्ञान कहते है।
4- प्रौद्योगिकी से तात्पर्य ऐसे नवीन तकनीक शिल्पकारिक से सुसज्जित, उपकरणों, यंत्रों और मशीनों में प्रयुक्त सुविधाओं से है।
5- जनसंचार से तात्पर्य लोकसंचार के विभिन्न प्रकाशित और प्रसारित प्रचारित, विज्ञापन और जनसंपर्क के लिए प्रयुक्त दृश्य-श्रृव्य माध्यमों से है। इसमें अखबार, दूरदर्शन फिल्म एवं रेडियों आदि शामिल है।
6- संचार से तात्पर्य एक सेसी साधारण प्रक्रिया से जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयास किया जाता है। इसमें व्यक्तियों, समूहों एवं विभागों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान करने वाले माध्यमों से है।
7- सूचना और संचार के सुरक्षा प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत कम्प्यूटर, दूससंचार के माध्यम टेलीफोन, डाक, केबल, दूरदर्शन, एवं राडर, मिसाइलें, टैंकर पनडूब्बियां, तापें, स्वचालित, सुरक्षा सम्बोधित यंत्र शामिल है।
8- कम्पयूटर एक ऐसी इलैक्ट्रोनिक युक्ति है जो दिए गये निर्देशन समूह के आधार पर सूचना को संचालित करती है इस निर्देशन समूह को प्रोग्राम कहते है।
9- साइबर अपराधों से तात्पर्य कम्प्यूटर से होने वाली हैकिंग, अश्लील कार्यक्रमों तथा कम्प्यूटर पर सामग्री को चुराने से है।

10-युद्ध अपराध से तात्पर्य देश की बाहरी सुरक्षा के लिए समुद्री सा स्थली या आकाश में किये गये अवैध युद्ध आक्रमण सम्बन्धी अपराधों से है।

11-असूचना ब्यूरों से तात्पर्य केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों तथा ऐसे ब्यूरों से ही है।

12-जासूसी से तात्पर्य विदेशी शत्रु द्वारा अवैध रूप से चुपचाप ली गई देश की प्रमुख गुप्तचरी सूचनाओं के हासिल करने से है।

13-थल-सेना से अभिप्रेत देश में भूमि पर लड़ाई लड़ने वाले जवानों के राष्ट्रीय थल सैनिकों से है।

14-वायु-सेना से तात्पर्य उन सैनिक संगठन से है जो हवाई जहाजों और लड़ाकू विमानों से आकाश मार्ग में ही युद्ध करने वाले सैनिकों से है।

15-नौ-सेना से तात्पर्य समुद्र तथा तीय क्षेत्रों की प्रतिरक्षा के लिए तैनात नौसैनिकों के राष्ट्रीय सैन्य बल से है।

16-ई-मेल से तात्पर्य इलैक्ट्रोनिक डाक से है। राष्ट्रीय ई-मेल नीति में ई-मेल इस्तेमाल करने वाले लोगों की गोपनीयता से है।

17-नाभिकीय-सुरक्षा से तात्पर्य परमाणु संयंत्रों के संचालन के लिए नाभिकीय सुरक्षा परिषद द्वारा नाभिकों की सुरक्षा करने से है।

18-सैन्य अभ्यास से तात्पर्य सेनाओं में नये यानों, टैंकरों, उपकरणों, या सुरक्षा तकनीक के आने पर सैनिकों द्वारा तकनीक सुरक्षा के हाथ युद्ध के लिए अभ्यास करने से है।

19-साइबर फौरसिंकलेण से तात्पर्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं से है भारत में प्रथम साइबर विधि विज्ञान न प्रयोगशाला की स्थापना त्रिपुरा में की गई है।

20-रोबोटिक्स यह मानव कम्प्यूटर है जो सात अरब लोगों के बराबर क्षमता वाला सबसे शक्तिशाली सुपर कम्प्यूटर रायजिन है।

11.12 अभ्यासार्थ प्रश्न

1 सुरक्षा कार्यो में तकनीक अवधारणा के बारे में विवेचना कीजिए।

2 पुलिस, सुरक्षा और अर्ध-सैनिक बलों के द्वारा देश की सुरक्षा में किए गये योगदान पर प्रकाश डालिए।

3 सुरक्षा तकनीक के प्रबन्धन सम्बन्धी सभी पहलुओं की व्यवस्था कीजिए।

4 सुरक्षा कार्यो में आप क्या समझते है। इसमें प्रयुक्त की जा रही नवीन तकनीकों के बारे में समझाइए।

5 सुरक्षा तकनीक से आपका क्या तात्पर्य है। सुरक्षा तकनीक में प्रबन्धकीय विचारधाराओं मार्डल्स को स्पष्ट विवेचना कीजिए।

6 सूचना-प्रौधोगिक आंतकरिक सुरक्षा के लिए उपयोगी सिद्व हो रहे है। इसकी सरकार द्वारा की गई व्यापक प्रगति के बारे में समालोचना कीजिए।

7 देश की आतंरिक और ब्राहय सुरक्षा सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों के बारे में प्रकाश डालिए।

8 सुरक्षा तकनीक कार्यों में पुलिस एवं सुरक्षा बलों और नागरिक दलों में सुधार करने हेतु क्या-क्या उपाय सुनिश्चित किए जा सकते है। इसकी स्पष्ट विवेचना कीजिए।

9 नयी विज्ञान, और प्रौद्योगिकी नीति 2003 के बारे में इसकी कुछ खासियतें बताइए।

10 विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषी नाति 2013 के बारे में बताते हुए इसके मुख्य उद्देश्यों को भी उजागर कीजिए।

11 दूरसंचार नीति 2012 की मुख्य विशेषताओं और इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिये।

12 सुरक्षा तकनीकी प्रबन्ध के अर्थ परिभाषा और इसकी विशेषताओं का स्पष्ट उल्लेख कीजिए।

13 सुरक्षा कार्यों में तकनीकी की प्रबन्धन की उपदेयता से आप क्या समझते है। इसके विभिन्न प्रभावों और प्रकारों के बारे में स्पष्ट विवेचना कीजिए।

14 सूचना प्रौद्योगिकी कानून से सम्बन्धित भारतीय दण्ड संहित 1860 तथा अन्य कानूनों में क्या-क्या संशोधन किए गये है। इनका पूरा विश्लेषण किजिए।

15 निम्नलिखित में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

(क) साइबर-अपराध (ख) अश्लील अपराध

(ग) आतँरिक सुरक्षा (घ) बाहरी-सुरक्षा

(ङ) सुरक्षा-तकनीक (च) आपदा-सुरक्षा

(छ) नाभिकीय सुरक्षा (ज) बैलिस्टिक मिसाइल

(झ) पनडुब्बियाँ

11.13 संदर्भ ग्रंथ

1. एण्डरसन ए. लोगंली डी. क्वोक के (1994) सिक्युरिटी मॉडलिग फॉर आर्गेनाइजेशन, ए.सी.एम.प्रेस न्यूर्याक, यूएसए पी 241-50

2. बरमन एस. (2002) राइटिंग इन्फोरमेशन सिक्युरिटी पालिसिज, न्यू राइडर, इंडियन पोलिस यू.एस.ए.

3. वेन. जे. एच. एण्ड टार्न एम. (1999) ईन्टरनेट सिक्यूरिटी ए केश स्टडी फॉर फायरवेल सलेक्शन इन्फोरमेशन मैनेजमैन्ट एण्ड कम्प्यूटर सिक्यूरिटी 614 एम.सी.बी यूनीवर्सिटी प्रेस पृष्ठ 178-184

1. सिक्यूरिटी, एसपाइनेज एण्ड काउण्टर इन्टेलीजेन्स - आर.एन.मानिकराम 2004 प्रथम संस्करण मानस पब्लिकेशन्स, 4258 प्रहलाद स्ट्रीट, दरयागंज, नई दिल्ली - 110002 (भारत)
2. ई-सिक्यूरिटी विकास तनेजा साक्षी पाराशर 2011 प्रथम संस्करण, एल्फा पब्लिकेशन्स, दरियागंज, नई दिल्ली - 110002
3. राजस्थान पुलिस - कांस्टेबल परीक्षा - पी.आर.बारवाल व हनुमान सैनी, 2013 प्रथम सं. च्यवन प्रकाशन ए-191, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर , राज0
4. भारत 2013 क्रॉनिकल वैल्यू ऐडिशन - 11 नौएडा दिल्ली
5. सामान्य प्रबन्ध जी.एस.सुधा 5वां संस्करण 2010, रमेश बुक डिपो, सिविल लाइन , जयपुर
6. सूचना प्रौद्योगिकी डॉ. बसन्तीलाल 2010 द्वितीय सस्करण बाबेल ईस्टर्न बुक कम्पनी, लखनऊ, भारत
7. भारतीय सामाजिक समस्याएँ प्रो. एम. एल. , डॉ. डी.डी.शर्मा 2006, 12 वां संस्करण, साहित्य पब्लिकेशन्स, आगरा, हास्पिल रोड़, उत्तरप्रदेश , भारत (282003)

इकाई – 12

सीमा सुरक्षा : भूमिका और प्रासंगिकता

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 भारत में सीमा सुरक्षा

12.3 सीमा सुरक्षा बल (बी. एस. एफ)

12.3.1 भारत में सीमा सुरक्षा बलों की स्थापना

12.3.2 सीमा सुरक्षा बल : उसका संगठन

12.3.3 बी. एस.एफ. जैसी सुरक्षा संस्थाओं की भूमिका

12.4 इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल (आई. टी. बी. पी. एफ.)

12.4.1 आई टी बी पी का आदर्श वाक्य

12.4.2 आई टी बी पी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

12.4.3 आई टी बी पी की भूमिका

12.5 सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी)

12.5.1 आदर्श वाक्य

12.5..2 एस एस बी की स्थापना

12.5.3 एस एस बी की भूमिका

12.6 भारतीय तटरक्षक

12.7 सारांश

12.8 अभ्यास प्रश्न

12.9 संदर्भ ग्रंथ

12.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद विद्यार्थी :

- भारत में सीमा सुरक्षा के परिदृश्य पर चर्चा कर सकेंगे।
- सीमा सुरक्षा से संबन्धित विभिन्न संस्थाओं के नाम बता सकेंगे।

- सीमा सुरक्षा बल उसके संगठन, उसकी भूमिका और कार्यों का बारे में जान सकेंगे
- इंडो - तिब्बत सीमा पुलिस बल, सशस्त्र सुरक्षा बल तथा भारतीय तटरक्षक की मूल विशेषताओं और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा में इनकी भूमिका पर चर्चा कर सकेंगे।

12.1 प्रस्तावना

कोई भी देश अपनी सीमा सुरक्षा से ही सुरक्षित हो सकता है। ये किसी अर्थपूर्ण आप्रवासन संशोधन के लिए भी आवश्यक है। सीमा सुरक्षा, अवैध मादक द्रव्यों की तस्करी और राष्ट्र के आतंकवादियों के विरूद्ध खतरों से बचाव दोनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निर्बल सीमाओं पर आतंकवादियों और तस्कारों के साथ ही लाखों अवैध विदेशियों की आसानी से देश में घुसपैठ संभव हो जाती है। सभी सरकारें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपनी पहली जिम्मेदारी अर्थात अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होती हैं।

जून 2006 में संघीय सरकार ने 'ऑपरेशन जंप' स्टार्ट आरंभ किया जिसमें अमेरिका की मैक्सिको से सटी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सीमा पेट्रोल में सहायता के लिए 6000 राष्ट्रीय रक्षक नियुक्त किए गए।अब ऑपरेशन जंप स्टार्ट के भाग के रूप में सहायता करने वाली राष्ट्रीय रक्षक टुकड़ियों की संख्या आधी हो गई है और 1 सितम्बर से सिर्फ 3000 रक्षक रह गए हैं जो अब तक कार्यरत हैं।

जब से ऑपरेशन 'जंप स्टार्ट' शुरू हुआ है कम संख्या में अवैध प्रवासी अमेरिका की दक्षिणी सीमा पार करके प्रवेश कर रहे हैं। मारीजुआना, कोकीन और हेरोइन जैसे मादक द्रव्यों को अधिक मात्रा में पकड़ा जा रहा है जिससे पता चलता है कि बेहतर सीमा सुरक्षा नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अनिवार्य है। अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर अधिक चौकसी/नियंत्रण भी वहां पर सितबर 2001 के बाद से आतंकवादी हमले न होने का एक कारण है। स्पष्ट रूप से अमेरिका की मैक्सिको से सटी सीमा पर राष्ट्रीय रक्षकों की उपस्थिति सफल रही है।

जबकि ऑपरेशन जंप में भाग लेने वाली राष्ट्रीय रक्षक टुकडियां ऑपरेशन के आरम्भ से ही थीं, लेकिन ये माना जा रहा था कि बाद में इन्हें 6000 नए यू.एस. कस्टम और बॉर्डर संरक्षण कर्मियों द्वारा विस्थापित कर दिया जाएगा। ये विस्थापन जिन्हें राष्ट्रपति बुश द्वारा किया गया था, के कारण ये संख्या 12000 से 18000 हो गई। जबकि नियुक्तियां काफी कम है और उनके साथ राष्ट्रीय रक्षक का नियोजित विस्थापन हो रहा है जिससे सीमा पर लोगों की संख्या काफी कम हो रही है।

इस प्रकार अमेरिका ने सीमा सुरक्षा बढाने के लिए सफल कार्यनीति अपना ली है। वो इसे उन्नत करना चाहते हैं इससे वापसी नही चाहते। इससे राष्ट्रपति को संदेश मिल गया और पिछले सप्ताह उन्होंने अवैध प्रवासन से लडने के लिए नई पहल की है । अपनी सीमाओं की

सुरक्षा के लिए अवैध अप्रवासन की समस्या को सुलझाने में वर्षों तक असफल रहने के बाद कांग्रेस और राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय रक्षक को तब तक वहीं रखने के लिए कहा है जबतक 18000 सीमा कर्मियों के लक्ष्य को पूरा नहीं कर लिया जाता है।

12.2 भारत में सीमा सुरक्षा

ये मुख्य रूप से सीमा सुरक्षा बल (बी. एस. एफ) तथा कुछ अन्य बलों का संयुक्त दायित्व है। भारत में सीमा सुरक्षा का दायित्व मुख्यरूप से निम्न संस्थाओं पर है।

1- सीमा सुरक्षा बल (बी. एस. एफ)
2- इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल (आई. टी. बी. पी. एफ.)
3- सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) : ये एक भारतीय अर्धसैनिक बल है जिसे पहले विशेष सेना ब्यूरो कहा जाता था।
4- भारतीय तटरक्षक।

12.3 सीमा सुरक्षा बल (बी. एस. एफ)

12.3.1 भारत में सीमा सुरक्षा बलों की स्थापना

सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) भारत सरकार की एक सीमा पेट्रोल संस्था है। इसकी स्थापना एक दिसंबर 1965 को भारत के अर्धसैनिक बलों (पी एम एफ) के एक घटक के रूप में हुई थी और उसकी प्राथमिक भूमिका भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की शांतिकाल में रक्षा करना और पराराष्ट्रीय अपराध को रोकना भी है। भारत की अधिकांश अर्धसैनिक इकाईयों की भांति ही बी एस एफ घरेलू मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। ये भारत की अनेक कानून प्रवर्तन संस्थाओं में से एक है।

बी एस एफ अपने 41 वषोर्ं के अस्तित्व में देश के एक विशिष्ट बल के रूप में उभरी है जिसने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में अपनी महारत दर्शायी थी। इसका आदर्श वाक्य है 'कोई कार्य, किसी समय, कहीं पर भी' और बी एस एफ ने अपने इस आदर्शवाक्य के लिए काम करने में अपना खून पसीना बहाया है और मृत्यु तक कर्तव्यरत रहने के नारे को सार्थक किया है।

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1965 तक भारत की अंतराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा स्थानीय सशस्त्र पुलिस बटालियनों द्वारा प्रत्येक सीमावर्ती राज्य में बिना अन्य राज्यों के साथ समन्वय के की जाती थी।

जब 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान ने 'भारत की सीमावर्ती चौकी पर हमला किया जिससे फिर 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उसने विद्यमान सीमा प्रंबधन तंत्र की कमियों को उजागर किया। जिससे फिर एक एकीकृत केन्द्रीय संस्था के रूप में सीमा सुरक्षा बल का गठन हुआ जिसका विशेष कार्य भारत की अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना है। बी

एस एफ का गठन श्री के. एफ रूस्तम जी ने किया जो कि बी एस एफ के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे और इसके जनक माने जाते हैं। बी एस एफ की क्षमताओं का उपयोग 1971 के भारत पाक युद्ध में उन क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेनाओं के विरूद्ध किया गया जहां नियमित बलों की संख्या कम थी। बी एस एफ के जवानों ने अनेक ऑपरेशनों में भागीदारी की जिनमें प्रसिद्ध लोगेवाला का युद्ध भी शामिल है।

यद्यपि मूलरूप से बीएसएफ को भारत की बाहरी सीमाओं की रक्षा का दायित्व सोंपा गया था। लेकिन हाल के वषोर् में इन्हें विद्रोहो और आतंकवाद को रोकने के ऑपरेशन का दायित्व भी दिया गया है। जब जम्मू काश्मीर में 1989 में विद्रोह हुआ था, तो जम्मू काश्मीर राज्य पुलिस और कम संख्या में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) के कर्मी बढ़ती हिंसा से निबटने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब भारत सरकार ने इस्लामी उग्रवादियों से लड़ने के लिए बी एस एफ को नियुक्त किया।

बी एस एफ को आरंभ में विद्रोहियों के हमले झेलने पड़े लेकिन बाद में उन्हें सफलता मिलने लगी और काफी उग्रवादी नेताओं की खुफिया तंत्र के साथ और स्थानीय नागरिकों की मदद से गिरफ्तारियां भी की गई। बी एस एफ ने गाजी बाबा की हत्या कर दी जो जेश-ए- मोहम्मद का दूसरे नम्बर का शीर्ष नेता और 2001 में भारतीय संसद पर हमले का मुख्य आरोपी था। अगस्त 2003 में बी एस एफ ने श्रीनगर में बाबा के ठिकानों पर धावा बोला और वह गोलीबारी में मारा गया। वर्तमान में बी एस एफ की 186 बटालियनें हैं। आंतकवाद को रोकने में बीएसएफ की सफलता के बावजूद सरकार में कई लोग ये मानते हैं कि इस अतिरिक्त कार्य से बीएसएफ के मुख्य कार्य में कमी आ रही है और बल अपनी प्राथमिक भूमिका यानी देश की सीमाओं की सुरक्षा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। भारत सरकार ने अब ये निर्णय लिया है कि वह प्रत्येक सुरक्षा एजेन्सी द्वारा अपने आदेशपत्र के दायरे में कार्य की संस्तुति को लागू करेगी। अत: जम्मू कश्मीर में बी एस एफ की 16 बटालियनों को क्रमिक रूप से उपद्रवों को रोकने के कार्य से हटाकर देश की सीमा की सुरक्षा के लिए भेजा गया है। उनके स्थान पर अब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की नई इकाईयां नियुक्त की गई हैं जिन्हे आतंकवाद रोकने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।

वर्तमान डायरेक्टर जरनल श्री रमन श्रीवास्तव जिन्होंने जून 2009 में पदभार ग्रहण किया है भारतीय पुलिस सेवा के केरल राज्य के अधिकारी हैं।

12.3.2 **सीमा सुरक्षा बल : उसका संगठन**

सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है और उसे बल मुख्यालय (Force Head Quarter ; FHQ) के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष डायरेक्टर जनरल है। विभिन्न निदशालय जैसे प्रचालन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, चिकित्सा, वित्त आदि डायरेक्टर जनरल के अधीन कार्य करते हैं। प्रत्येक निदेशालय का मुखिया आई जी स्तर का अधिकरी होता है। पूर्वी थियेटर की देखभाल कोलकाता में विशेष डी जी मुख्यालय द्वारा

और पश्चिमी थियेटर की चंडीगढ़ में विशेष डी जी मुख्यालय द्वारा की जाती है। बी एस एफ में क्षेत्र निरूपण की अध्यक्षता आई जी द्वारा की जाती है और ये फ्रंटियर्स हैडक्वाटर्स/सीमान्त मुख्यालय (Ftr HQ) के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे 10 फ्रंटियर हैं जिनके अंतर्गत सेक्टर हैडक्वार्टर (खंड मुख्यालय) कार्य करते है। इनमें से प्रत्येक के मुखिया डी आई जी स्तर के अधिकारी होते हैं। वर्तमान में बीएसएफ के लिए 186 बटालियन निर्धारित की गई है। पांच प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान और 10 सहायक प्रशिषण केन्द्र (STCs) अपने अधिकारियों तथा अन्य सीपीओ/एसपीओ समेत आई पी एस प्रशिक्षुओं को आरंभिक और सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

बी एस एफ एकमात्र भारतीय अर्धसैनिक बल है जिसकी अपनी वायु इकाई (एयर विंग), नौसेनिक इकाई (मेरीन विंग) तथा शस्त्र इकाई है जो अपने प्रचालनों में जनरल ड्यूटी बटालियन की सहायता करती हैं।

बी एस एफ का कुत्तों के पालन/प्रजनन और प्रशिक्षण का भी एक राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय है। अन्य सीपीओ और राज्य पुलिस से कुत्तों को इन्फेन्ट्री पेट्रोल विस्फोटकों का पता लगाने, ट्रेकिंग तथा अन्य ऐसे कार्यों के लिए प्रशिक्षिण करने को कुत्तों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र (एटीसीडी) में भेजा जाता है।

बी एस एफ की एक आंसू गैस इकाई (टीएसयू) है जो भारत में अपनी तरह की अनूठी है। टीएसयू दंगा रोधी बलों के लिए आवश्यक आंसू गैस के गोले बनाती है। ये अन्य देशों के लिए भी काफी मात्रा में निर्यात करती हैं।

बीएसएफ की दो बटालियन जो कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित है उन्हें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (नेशनल डिजास्टर रिस्पोन्स फोर्स (एनडीआरएफ) का नाम दिया है। प्रत्येक बटालियन में 18 स्व समर्थ और 45 कर्मियों का विशिष्ट खोज और बचाव दल होता है जिसमें इंजीनियर, तकनीशियन, इलैक्ट्रीशियन, डॉग स्क्वैड और चिकित्सक/उपचिकित्सक शामिल होते हैं। प्रत्येक बटालियन में 1158 व्यक्ति है। एनडीआरएफ एक बहु विषयी विविध कौशल वाला तकनीकी बल है जो सभी प्रकार की आपदाओं के लिए तैयार रहता है और इन्हें वायु, जल और थल द्वारा आपदाओं के लिए नियुक्त किया जा सकता हैं। बटालियनें नाभिकीय आपदा, जैविक और रासायनिक आपदा समेंत सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए सज्जित और प्रशिक्षित होती हैं।

12.3.3 बीएसएफ जैसी सुरक्षा एजेन्सियों की भूमिका :

भारत की सीमाओं की रक्षा और उससे जुडे मामलो में बीएसएफ जैसी ऐजेन्सियों की मुख्य भूमिका निम्न हैं : बीएसएफ की भूमिका को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है।

(अ) शांति काल में

- सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भवाना को बढ़ावा देना।

- सीमापार से अपराधों अथवा के क्षेत्र में गैरकानूनी प्रवेश अथवा लोगो के बाहर जाने को रोकना।
- तस्करी और अन्य गैरकानूनी कार्यों को रोकना।
- पिछले कुछ वषोर् में बीएसएफ ने अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त विद्रोहों को रोकने और आन्तरिक सुरक्षा संबन्धी दायित्वों को भी निभाया है।

(ब) युद्ध काल में

- कम खतरे वाले स्थानों पर मोर्चाबंदी।
- प्रमुख प्रतिष्ठानों का संरक्षण।
- शरणार्थियों के नियंत्रण में सहायता करना।
- निर्धारित स्थानों पर घुसपैठियों को रोकने का दायित्व।

<u>सीमाओं पर बाढ़ लगाना</u>

सीमाओं पर बाढ़ लगाने, फ्लड लाइट लगाने और सड़कों के निर्माण की संकल्पना देश की पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं से घुसपैठ/सीमा पार जाने को रोकने के लिए की गई थी।

<u>बीएसएफ की भूमिका</u>

- बीएसएफ प्रति वर्ष अनेक कर्मचारियों को यू एन मिशन की सेवाओं के लिए भेजता है।
- मई जुलाई 1999 के कारगिल युद्ध के काल में बीएसएफ पहाड़ों की चोटियों पर बनी रही और उसने देश की अखंडता को बचाए रखने में हर संभव मदद की। पिछले दो वर्षों से मणिपुर में आन्तरिक सुरक्षा का दायित्व सौंपे जाने पर ये उन क्षेत्रों में विद्रोहों को खत्म करने के लिए सफलतापूर्वक लड़ रही है।
- 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप के समय बीएसएफ पीडित जनों की सहायता के लिए पहुंचने वाला पहला बल था।
- गुजरात में हाल में हुए सांप्रदायिक उपद्रवों के समय बीएसएफ कर्मियों ने लोगो के बीच शांति और भाईचारे को बनाए रखने के लिए प्रयास किए।
- बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर बाढ़ लगवाने का कार्य किया और पाकिस्तान द्वारा कार्य के रोकने के सभी प्रयासों के बावजूद इसके कर्मी अपना काम करने में सफल रहें।
- बीएसएफ सेना के साथ सीमाओं की रक्षा कर रही है और पाकिस्तानी सेनाओं के पीछे हटने पर सीमाओं पर घुसपैठ को रोक रही है।

अपनी सीमाओं की हथियारों, मादक द्रव्यों, निषिद्ध क्षेत्रों और व्यक्तियों के अवैध आवागमन की रोकथाम और कानूनी आवागमन को बढावा देना देश की सुरक्षा, आर्थिक संपन्नता तथा राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए अनिवार्य है।

यद्यपि आतंकवादी हमलों से सुरक्षा के मुद्दे निसंदेह अत्यधिक सरोकार का विषय है जो अनेक सीमा सुरक्षा विचारों को पे्ररित करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य रोजमर्रा के मुद्दे भी होते हैं जिनमें नशीले पदाथोर् की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी और अन्य अवैध कारोबार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जब हम सीमा सुरक्षा के एक पहलू को बेहतर बनाते हैं तो सुरक्षा सरोकार अन्य पहलू के लिए बढ जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम अपनी सीमाओं पर अवैध कारोबार रोकने संबन्धी पहल में सफल रहते हैं तो हमारे समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा खतरे बढ़ जाते हैं। इन मुद्दों को सीमा सुरक्षा कार्यक्रमों का अभिन्न भाग बनाया जाना चाहिए। यही नहीं सभी को सामरिक सुरक्षा रूपरेखा के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसका सीमा सुरक्षा सिर्फ एक हिस्सा है। हम एक व्यापक और समेकित सीमा सुरक्षा रणनीति को विकसित मूल्यांकित और परिष्कृत रूप से बनाने में काफी कम निवेश करते हैं। हमने अनेक सीमा सुरक्षा कार्यक्रमों और पहलों में निवेश किया है लेकिन इन सभी पहलों के प्रभाव और कीमत को ठीक से समझा नहीं गया है। एक यथार्थ रूप से व्यापक कार्यनीति वह है जो अपने मुख्य राष्ट्रीय लक्ष्यों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कर सके जिसमें वे सभी अनिवार्य घटक हों जिनका हमने वर्णन किया है। मापन और मूल्यांकन का सशक्त तंत्र, बेहतर योजना और समन्वय जिसमें संकट के समय सीमा प्रबंधन सम्मिलित है तथा सीमा प्रबंधन और प्रवासन मुद्दों के लिए एक व्यापक अभिगम। ऐसे अभिगम के द्वारा ही हम अपनी सीमा सुरक्षा में असफलता के प्रत्येक मुद्दे रोक सकते हैं। इस समय हम एक ऐसी कार्यनीति से काफी दूर हैं।

12.4 आईटीबीपी एफ भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल

आईटीबीपी एफ का गठन 24 अक्टूबर 1962 को किया गया था। वर्तमान में आई टी बी पी एफ को सीमाओं पर लद्दाख में काराकोरम दरेर् से लेकर अरूणाचल प्रदेश में जाचेप ला तक 3488 किलोमीटर के क्षेत्र में नियुक्त किया गया है। ये पूरी भारत चीन सीमा को घेरे है और भारत चीन सीमा के पश्चिमी, मध्य तथा पूर्वी सेक्टर में 9000 से 18700 तक की ऊंचाई पर स्थित सीमाओं की चौकसी करती है।

आईटीबीपी एफ एक विशेषीकृत पर्वत बल है और इसके अधिकाशं अधिकारी और कर्मी व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित पर्वतारोही हैं। आईटीबीपी एफ हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा होने पर सबसे पहले मदद करने वाले होते है और इन्होंने अनेक राहत और बचाव आपरेशन किए हैं।

ये विश्व में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा करने वाला बल है जिसे ऊंचे पर्वतों की सुरक्षा चौकियों पर नियुक्त किया जाता है जहाँ तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है।

12.4.1 आईटीबीपी का आदर्शवाक्य :

इसका आदर्श 'वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा' है।

12.4.2 आईटीबीपी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

आईटीबीपी का गठन 24 अक्टूबर 1962 की शुरूआत में सीआरपीएफ अधिनियम के तहत किया गया था। जबकि 1992 में संसद ने आईटीबीपीएफ अधिनियम लागू किया और 1994 में इसकी पुर्नरचना की गई।

हिमवीर एंव राष्ट्रीय सुरक्षा **:** आईटीबीपी एक बहु आयामी बल है। वर्तमान में आईटीबीपी की बटालियनें सीमा पर लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरूणाचल प्रदेश मे जा चेपला तक भारत चीन सीमा के 3488 किमी के क्षेत्र में सीमा चौकियों पर तैनात है। आईटीबीपी की बटालियनें चंबा डोडा सीमा पर C\OPS\1S\VIP सुरक्षा तैनातियों पर हैं। आईटीबीपी द्वारा चौकसी की जाने वाली सीमा चौकियां तेज आंधियों, बर्फबारी, हिमस्खलन और भूस्खलन के साथ ही ऊंचाई और अत्याधिक सर्दी की मार भी झेलती है, जब तापमान शून्य से 40 डीग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है।

आईटीबीपी सीमा पर अपने सुगम्य तथा अगम्य मानवरहित क्षेत्रों की प्रभावी निगरानी के लिए कम दूरी और लंबी दूरी की गश्त लगाती है।

12.4.3 आई टी बी पी की भूमिका :

ये उत्तरी सीमाओं की चौकसी करती है, सीमा उल्लघंन का पता लगाती और उसे रोकती है और स्थानीय जनता को सुरक्षा की भावना देती है। अवैध आप्रवासन सीमा पार तस्करी और अपराध को रोकती है और संवेदनशील प्रतिष्ठानों को तथा अति विशिष्ट जनो को सुरक्षा प्रदान करती है। कोई उपद्रव होने पर देश में शांति व्यवस्था बनाए रखती है।

आईटीबीपी को पहाडी क्षेत्रों में नियुक्त किए जाने के कारण इसने राहत और बचाव कार्य में महारत हासिल कर ली है, जिसके लिए बहुत ऊंचे स्तर के विभिन्न विशिष्ट कौशलों की आवश्यकता होती है। ये प्राकृतिक आपदा के मामले में राहत और बचात में सहायता करती है। आईटीबीपी सुदूर सीमावर्ती और आतंकवादी प्रभावित्त क्षेत्रों में सुदूर गांवों में जनता को मुफ्त में विशेषज्ञ चिकित्सा स्वास्थय और स्वच्छता देखरेख प्रदान करती है।

12.5 सशस्त्र सीमा बल

एसएसबी - सशस्त्र सेना बल एक भारतीय अर्धसैनिक बल है जिसे पहले विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से जाना जाता था।

12.5.1 आदर्श वाक्य :

'सेवा, सुरक्षा और भाईचारा' यह भारत का एक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसे अक्सर अर्ध सैनिक बल कहा जाता है। ये वर्तमान में भारत सरकार के घरेलू मामलों के मंत्रालय (एमएचए) के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

12.5.2 एसएसबी की स्थापना :

एसएसबी की स्थापना 1963 के आरंभ में भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती जनता में राष्ट्रीय होने की भावना को जगाने के लिए और निरंतर प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, विकास, कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा कार्यकलापो के जरिए उनमें प्रतिरोध की क्षमताएं विकसित करने के लिए की गई था। स्थानीय जनता ने एसएसबी को सदैव कठिन समय में दृढ़ता से अपने साथ खड़ा पाया है।

एसएसबी को भारत, नेपाल सीमा पर एक सीमा रक्षक बल-लीड इन्टैलीजेन्स एजेन्सी (एलआईए) के रूप में घेाषित कर दिया गया और इसे 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा (263.7 किलोमीटर की तीन जिलों में) की रक्षा का कार्य सौंपा गया। मार्च 2004 में एसएसबी को 699 किलोमीटर की भारत भूटान सीमा क्षेत्र की रक्षा का कार्य सौपा गया। एसएसबी पहला ऐसा सीमा रक्षक बल है जिसने महिला बटालियनों की नियुक्ति का निर्णय लिया है।

12.5.3 एसएसबी की भूमिका

1- सीमा क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना को बढ़ाना।
2- सीमा पार के अपराधों और अनाधिकृत प्रवेश तथा भारत के क्षेत्र में प्रवेश या बाहर जाने को रोकना।
3- तस्करी तथा अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना।

प्रशिक्षण केन्द्र : एसएसबी के कर्मियों को प्रशिक्षण काउन्टर, सब वर्जन बॉर्डर मेनेजमेन्ट, पर्सेप्शन मैनेजमेन्ट और सर्वाइवल तथा अन्या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण केन्द्रों में दिया जाता है, जिन्हे प्रदर्शन बढ़ाने के लिए बनाया गया है।

12.6 भारतीय तटरक्षक (इंडियन कोस्ट गार्ड)

इसका मिशन भारत के समुद्री क्षेत्र के हितों की रक्षा और क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय जल सीमाओं दोनो के अधिकांश क्षेत्र के नौवहन कानूनों को लागू करना है।

<u>सीमा सुरक्षा में भारतीय तट रक्षकों की भूमिका :</u>

1- तटीय सुरक्षा
2- तस्करी रोधी तथा अन्य कस्टम और रोधात्मक ऑपरेशन

3- कृत्रिम द्वीपों, तटीय, बाहर स्थित टर्मिनलों तथा अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और संरक्षण

12.7 सारांश

देश अपनी सीमा सुरक्षा से ही सुरक्षित हो सकता है। ये किसी अर्थपूर्ण आप्रवासन संशोधन के लिए भी आवश्यक है। सीमा सुरक्षा, अवैध मादक द्रव्यों की तस्करी और राष्ट्र के आतंकवादियों के विरूद्ध खतरों से बचाव दोनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निर्बल सीमाओं पर आतंकवादियों और तस्कारों के साथ ही लाखों अवैध विदेशियों की आसानी से देश में घुसपैठ संभव हो जाती है। सभी सरकारें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपनी पहली जिम्मेदारी अर्थात अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होती हैं।

12.8 अभ्यास प्रश्न

1. सीमा सुरक्षा के परिदृश्य की चर्चा कीजिए
2. भारतीय सीमा सुरक्षा के लिए कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाएं कौन सी हैं?
3. बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी?
4. सीमा सुरक्षा बलों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझाए।
5. बीएसएफ के घटकों और उसके संगठनों के विषय में बताइए।
6. भारत में सीमा सुरक्षा बलों के कार्यों और भूमिका को विस्तार से समझाइए।
7. आईटीबीपीएफ का आदर्शवाक्य क्या है?
8. भारत में आईटीबीपीएफ के संगठन और उसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।
9. एसएसबी से आपका क्या अभिप्राय है और इसकी स्थापना कब हुई थी?
10. एसएसबी के संगठन, भूमिका और कार्य बताइए।

12.9 संदर्भ ग्रंथ

1- वर्मा एन. एम. 'डायनेमिक्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इसेन्शियल डायमेन्शन्स एन्ड पर्सपेक्टिव्स' जेयको पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई, (2001)।

2- माथुर के. एम., 'इन्टरनल सिक्योरिटी चैलेन्जेस एन्ड पुलिस इन ए डवलपिंग सोसायटी'। अनुज प्रिटर्स, जयपुर, (1989)।

3- वीनबर्ग लियोनार्ड 'ग्लोबल टेररिस्म ए विगनर्स गाइड' ऑक्सफोर्ड, इंगलैन्ड, (2006)।

4- मेनन, सुधा 'हयूमन सिक्योरिटी ग्लोबल पर्सपेक्व्सि', द इक्फाई यूनिवर्सिटी प्रैस, त्रिपुरा, (2007)।

5- के सुब्रमन्यम 'इंडियन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव्स - एबीसी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1982।

6- सल्दाना जे एस ‘ए प्लान फॉर नेशनल इन्टरनल सिक्योरिटी, सम करेन्ट इश्यूज (सं) एच. एम. माथुर, 1976।

7- पी.डी.शर्मा ‘डिलेमास एन्ड डायमेन्शनस ऑफ पुलिस रेफरेन्सेस इन इंडिया, इंडियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,’ जुलाई सितंबर 1985 खंड XXX

इकाई – 13

तटीय सुरक्षा

इकाई की रूपरेखा

13.1 उद्देश्य

13.2 प्रस्तावना

13.3 भारत में तटीय सुरक्षा

13.4 भारतीय तटरक्षक बल : पृष्ठभूमि

13.4.1 भारत में तटरक्षक बल की स्थापना

13.4.2 भारतीय तटरक्षक बल : एक संगठन के रूप में

13.5 तटरक्षा में नौसेना की भूमिका

13.6 तटरक्षा योजना एक सकारात्मक पहल

13.7 तटरक्षक पुलिस बल

13.8 तटरक्षक निगरानी तंत्र

13.9 सारांश

13.10 अभ्यास प्रश्न

13.11 संदर्भ ग्रंथ

13.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप

- भारत में तटरक्षा के परिदृश्य को समझ पाएंगे
- तटरक्षा से संबन्धित विभिन्न संस्थाओं के नाम बता सकेंगे
- तटरक्षक बल, उसके संगठन, भूमिका और कार्यों के विषय में जान सकेंगे
- राष्ट्रीय तटरक्षा योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, और
- तटरक्षा में संलग्न अन्य रक्षा बलों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

13.2 प्रस्तावना

किसी भी देश की सुरक्षा में तटरक्षा बलों का अहम योगदान होता है। ये न सिर्फ तटीय क्षेत्रों से लोगों की अवैध घुसपैठ को रोकने में बल्कि नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवादी

गतिविधियों पर नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 26/11 के मुंबई हमलों में आतंकवादी समुद्री रास्ते से ही मुंबई पहुचे थे। तटीय क्षेत्रों की चौकसी और निगरानी अत्यधिक महत्वपूर्ण और गंभीर मसला है। हाल के वर्षों की कुछ घटनाओं से यह स्पष्ट है कि हमें तटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के खतरे का पता लगाने के लिए सक्षम और सतर्क होना चाहिए जिससे समय रहते उचित संख्या में रक्षा बलों की तैनाती करके जानमाल की सुरक्षा की जा सके। हमारे देश में तटीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक लंबी चौड़ी व्यापक तटरक्षा योजना तैयार की गई है, जिसमें अनेक तकनीकी क्षमताओं वाली कार्य योजनाओं जैसे संयुक्त प्रचालन केन्द्रों, तटीय रडारों, नए तटीय पुलिस स्टेशनों, जहाज, नौका आदि की पहचान के लिए स्वचालित प्रणालियों का क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में किया जा रहा है।

26/11 की घटना की गंभीरता ने भारत सरकार को तटीय सुरक्षा तंत्र का कायाकल्प करने के लिए अनेंक उपाय करने को बाध्य किया है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि नौसेना और तटरक्षक बल को अपने संसाधनों के साथ मिलकर तटीय इलाकों और द्वीपों की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि तटीय सुरक्षा में सेंध लगने का एक बड़ा कारण इनमें आपसी तालमेल और समन्वयन की कमी पाया गया है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को तटीय पुलिस स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए हैं और उन्हे उचित मानव बल और संसाधन जैसे आधुनिक अस्त्र-शस्त्र, नौका आदि से सुसज्जित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आइए अब हम भारत में तटीय रक्षा में संलिप्त विभिन्न बलों के विषय में चर्चा करते हैं।

13.3 भारत में तटीय सुरक्षा

भारत में तटीय सुरक्षा एक व्यापक और गंभीर मसला है क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से हमारे यहां बंगाल की खाड़ी और हिन्द महासागर से सटे विशाल तटीय क्षेत्र हैं। भारत के 7,516 किलोमीटर लंबें तटीय क्षेत्र की सुरक्षा का दायित्व नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, तटीय राज्यों की पुलिस तथा अन्य केन्द्र और राज्य सगंठनों का है। भारत के विशाल तटों पर सामरिक महत्व के निम्न स्थान हैं :

तटों पर स्थित तीन महानगर मुंबई, कोलकाता और चैन्नई जिनमें से मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी है।

- बंदरगाह, औद्योगिक इकाइयां
- सैन्य प्रतिष्ठान
- तेल शोधन कारखाने (रिफाइनरी)
- परमाणु ऊर्जा संयंत्र
- उपतटीय विकास क्षेत्र

समुद्र मार्ग की चुनौतियां

- अस्पष्ट और जटिल समुद्री परिवेश
- समुद्री क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करने में व्यावहारिक कठिनाईयां
- मौसम संबन्धी अपारदर्शी स्थितियां
- चौकसी के लिए अधिक सर्वीलांस संपत्तियों की आवश्यकता
- अत्यधिक मंहगे सर्विलांस सिस्टम
- निरन्तर बढता और अनियंत्रित परिवहन
- पहचान की समस्या, अनचिह्नित पोत एक गंभीर खतरा हैं
- अनियंत्रित मछलीपालन का गंभीर खतरा
- 1970 के दशक के बाद से तस्करी में वृद्धि
- मछुआरों का संरक्षण
- तस्करी की रोकथाम, प्रदूषण नियंत्रण, उपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तथा खोज और बचाव कार्य सम्बन्धी चुनौतियां
- आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम, क्योंकि 1993 के मुंबई बम विस्फोट में आतंकवादी महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री क्षेत्रों से ही आऐ थे।

13.4 भारतीय तटरक्षक बल : पृष्ठभूमि

भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले भारतीय नौसेना द्वारा राष्ट्र को गैर सैन्य समुद्री सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। 1960 के दशक में समुद्र मार्ग से सामानों की अवैध तस्करी ने भारत की घरेलू अर्थ व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर दिया था। भारतीय कस्टम (सीमाकर) विभाग अक्सर तस्करी रोकने के प्रयासों में भारतीय नौसेना से सहायता मांगता था। इस समस्या के अध्ययन के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की भागीदारी से नागचौधरी समिति का गठन किया गया । अगस्त 1971 में इस समिति ने भारत के विशाल तटों की पैट्रोलिंग के लिए उपतटीय फिशिंग वेसेल्स (Fishing Vessels) के पंजीकरण की सिफारिश की जिससे अवैध गतिविधियों की पहचान की जा सके। साथ ही समिति ने एक सुसज्जित बल की भी सिफारिश की जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त वेसेल्स को रोक सके। 1973 में भारत ने भारतीय नौसेना के अधिकारियों और कर्मियों को इन तस्करी रोधी और कानून प्रवर्तन के कार्यों में लगा दिया। भारतीय नौसेना को लगा कि इन कर्तव्यों की कानून प्रवर्तन प्रकृति उसे उसके सैन्य सेवा के प्रमुख कर्तव्य से भटका रही है अत: उस समय के नौसेना प्रमुख एडमिरल एस.एन.कोहली ने रक्षा सचिव को पृथक समुद्री सेना की आवश्यकता समझाई और कहा कि नौसेना इसकी स्थापना में सहायता करेगी। 1974 में रक्षा सचिव ने केबिनेट सचिव को एडमिरल कोहली की सिफारिश से संबन्धित नोट भेजा जिसके फलस्वरूप सितंबर 1974 में रूस्तम जी समिति

का गठन हुआ जिसने नौसेना, वायुसेना और राजस्व विभाग की भागीदारी से भारतीय नौसेना केन्द्र और राज्य पुलिस बलों की भूमिका के बीच सुरक्षा और कानून प्रवर्तन की खामियों की जांच की। इस समिति ने रक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की सिफारिश की। फरवरी 1977 में आंतरिक तटरक्षक बल अस्तित्व में आया जो नौसेना द्वारा प्रदान की गई दो छोटी कोबिट और पांच पेट्रोल नौकाओं से सज्जित था।

13.4.1 भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना

भारतीय तटरक्षक (Indian Coast Guard; I.C.G.) भारत सरकार का एक समुद्री अर्धसैनिक बल है। इसका उद्देश्य भारत के समुद्र हितों की सुरक्षा और भारत के समीपस्थ और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र समेत पूरे तटीय क्षेत्र में समुद्री कानून का प्रवर्तन है। भारतीय तटरक्षक की स्थापना 18 अगस्त 1978 को संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत की गई थी। ठीक उसी प्रकार से जैसे अन्य अर्धसैनिक बलों जैसे सीमा सुरक्षाबल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आदि की स्थापना की गई है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतगर्त कार्य करता है। भारतीय तटरक्षक भारतीय नौसेना, मत्स्य विभाग, कस्टम (सीमाकर) विभाग तथा केन्द्र और राज्य पुलिस बलों के साथ सहयोग में कार्य करते हैं। तटरक्षकों के कर्तव्यों और कार्यों को औपचारिक रूप से तटरक्षक अधिनियम में बताया गया है, जिसे 18 अगस्त 1978 को पारित किया गया था। भारतीय तटरक्षक का नारा है : 'वयम रक्षमाह' जिसका अर्थ है कि हम रक्षा करेंगें।

भारतीय तटरक्षक बल के उद्देश्य/मिशन

भारतीय तटरक्षक बल के निम्न उद्देश्य/मिशन हैं :

- कृत्रिम द्वीपों, उपतटीय टर्मिनलों तथा अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और संरक्षण
- समुद्र में मछुआरों और नाविकों का संरक्षण और सहायता
- समुद्री पारिस्थितिकी और पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा तथा इन स्थानों पर प्रदूषण नियंत्रण
- तस्करी के विरूद्ध प्रचालनों में कस्टम तथा अन्य विभागों की सहायता और सहयोग
- क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय जल के लिए कानून का प्रवर्तन
- वैज्ञानिक डाटा संग्रहण और सहायता
- युद्ध स्थितयों के काल में राष्ट्रीय सुरक्षा (भारतीय नौसेना के नियंत्रण में)।

भारतीय तटरक्षकों के अतिरिक्त दायित्व **:**

- उपतटीय सुरक्षा समन्वयन समिति (Offshore Security Cordination Committee; OSCC) : भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक (D.G.)

OSCC के चेयरमेन होते हैं। OSCC का गठन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) द्वारा किया गया है।

- राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव समन्वयन प्राधिकरण (National Maritime Search and Rescue Coordinating Authority ; NMSARCA) भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के प्रमुख होते हैं जो खोज और बचाव (SAR) मिशनों का क्रियान्वयन /समन्वयन करते हैं।
- लीड इन्टेलीजेन्स एजेन्सी (LIA) तटीय और समुद्री सीमाओं के लिए।
- तटीय सुरक्षा-भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक तटीय कमान के कमान्डर होते है तथा वो सभी केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों के बीच तटीय सुरक्षा से संबन्धित सभी मामलों के मध्य समग्र समन्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

भारतीय तटरक्षकों को एक ऐतिहासिक सफलता अक्टूबर 1999 में तब मिली जब उन्होंने जापानी कार्गो शिप एमबी एलोन्ड्रा रेनबो को पकडा जिसे इंडोनेशिया से अपहृत किया गया था। भारतीय तटरक्षक दल विश्व के अन्य तटरक्षक दलों के साथ अभ्यास सत्रों का आयोजन करता है। मई 2005 में इसने पाकिस्तान की समूद्री सुरक्षा एजेन्सी (PMSA) के साथ सम्बन्ध बनाने की सहमति दी। 2000 में तटरक्षकों ने जापानी और कोरियाई तटरक्षक दलों के साथ अभ्यास सत्र आयोजित किए। 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत सरकार ने भारतीय तटरक्षक बल की संपतिंयो और बुनियादी ढांचे में विस्तार करने के लिए कार्यक्रम आरंभ किया। 2010-2019 के बीच इस दल की मानव शक्ति, वैसेल्स और हवाई जहाजों की संख्या में तीन गुना वृद्धि का अनुमान है। भारत समुद्र आधारित आतंकवाद से लड़ने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है और इसके लिए सभी आवश्यक संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं। इसके लिए गृहमंत्रालय ने नौ तटीय राज्यों तथा चार तटीय केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए एक व्यापक तट रक्षा योजना का क्रियान्वयन किया है। इस योजना के विषय में विस्तार से हम अगले अनुच्छेद में बताऐंगे।

13.4.2 भारतीय तटरक्षक बल एक संगठन के रूप में

भारतीय तटरक्षक बल के संगठन का मुखिया महानिदेशक (तटरक्षक) पद का अधिकारी होता है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसकी सहायता के लिए चार उपमहानिदेशक होते हैं जो आई.जी. स्तर के अधिकारी होते हैं। तटरक्षक बल में अधिकारियों की नियुक्ति जनरल डयूटी ऑफिसर, पाइलट ऑफीसर, टैक्नीकल ऑफीसर अथवा लॉ ऑफीसर के रूप में होती है। तटरक्षक बल में नामांकित कर्मी यांत्रिक कोस्टगार्ड अथवा नाविक पद पर कार्य करते है। यांत्रिक कोस्टगार्ड वैसेल्स और एयर क्राफ्टों के यांत्रिक और विद्युत रखरखाव और विमानिकीय उपकरणों की देखभाल और रखरखाव का काम करते हैं जबकि नाविक सामान्य कार्य अथवा

घरेलू शाखाओं में कार्यरत होते हैं। ये नाविक अस्त्र शस्त्र प्रचालक, संप्रेषण विशेषज्ञ, गोताखोर आदि के रूप में काम करते हैं अथवा ये समुद्री अथवा वायुसेवा में विशिष्ट भूमिका निभाते है। घरेलू शाखा के तटरक्षक वैसेल्स में स्टीवार्ड, रसोइए आदि का काम करते है।

सभी तटरक्षक कर्मियों को आपात स्थितियों में रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों को भारतीय नौसेना अकादमी (INS) ऐजीमाला में भारतीय नौसेना के अधिकारियों के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। इससे इन दोनों सहसेवाओं में अधिकारियों की परस्पर अदलाबदली में सहायता मिलती है। यद्यपि अब केरल के कुन्नूर जिले में पृथक भारतीय तटरक्षक अकादमी का निर्माण किया जा रहा है। तटरक्षक बल के नाविकों का प्रशिक्षण नौसेना के नाविकों के साथ भारतीय नौसेना प्रशिक्षण संस्थान (INS) चिल्का में किया जाता है।

भारतीय तटरक्षक बल के संस्थान :

वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के

- 42 तटरक्षक स्टेशन
- 5 तटरक्षक एयरस्टेशन
- 10 तटरक्षक एयर एन्क्लेव हैं।

भारतीय तटरक्षक बल पांच अंचलों /क्षेत्रों में प्रचालन करता है और प्रत्येक अंचल का मुखिया आई जी रैंक का एक अधिकारी होता है। विभिन्न तटरक्षक अंचलों और उनके मुख्यालयों की सूची नीचे दी गई है।

सारणी 13.1 : **तटरक्षक अंचल और उनके मुख्यालय**

क्र. संख्या	तटरक्षक अंचल	मुख्यालय
1.	पश्चिमी अचंल	मुंबई
2.	पूर्वी अचंल	चैन्नई
3.	उत्तर पूर्वी अचंल	कोलकाता
4.	निकोबार अंचल	पोर्ट ब्लेयर
5.	उत्तर पश्चिमी अंचल	गांधीनगर

प्रत्येक अंचल आगे अनेक जिलों में विभाजित होता है जिसके दायरे में प्रारूपिक रूप से कोई तटीय राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश आता है।

13.5 तटरक्षा में नौसेना की भूमिका

वैसे तो भारतीय नौसेना की मुख्य रूप से एक सैन्य रक्षक बल के रूप में प्रमुख भूमिका है ही लेकिन तटरक्षा में भी उसका मुख्य योगदान है। इनका मुख्य ध्येय ये सुनिश्चित करना है कि समुद्र मार्ग से कोई शक्ति हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों को हानि न पहुंचा सके। तटीय सुरक्षा के संदर्भ में इसके मुख्य दायित्व निम्न हैं :

- भारत की क्षेत्रीय अखंडता, नागरिकों और अपतटीय संपतियों की समुद्र जनित खतरों से सुरक्षा करना।
- भारत के समुद्री व्यापार और वाणिज्य की सुरक्षा करना।
- भारत के राष्ट्रीय हितों और समुद्रों की सुरक्षा करना।
- भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ, Exclusive Economic Zone) की सुरक्षा करना।
- दिन रात अन्य संगठनों के साथ मिलकर तटों की चौकसी करना।
- नियुक्ति के काल में प्राप्त जानकारी को अन्य सहयोगी दलों के साथ साझा करना जिससे अन्य सहयोगियों को अपनी योजना बनाने में सहायता मिले ओर वो स्थिति के अनुसार तैयारी कर सकें।

13.6 तटरक्षा योजना : एक सकारात्मक पहल

जनवरी 2005 में केन्द्र सरकार ने एक व्यापक तटरक्षा योजना की अनुमति दी जिसे सम्बन्धित तटीय और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा 2005-06 से आरम्भ करते हुए पहले चरण में पांच साल के लिए क्रियान्वित किया गया। 2011 से इसके दूसरे चरण का काम आरम्भ हो गया है।

तटीय सुरक्षा योजना एक पूरक योजना है जिसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों की पैट्रोलिंग और निगरानी के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करके तटीय चौकसी को बढाना है। इस योजना को नौ तटीय राज्यों (गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, और पश्चिमी बंगाल तथा चार केन्द्र शासित प्रदेशों दमन एवं दीऊ, पॉडिचेरी, अंडमान निकोबार तथा लक्ष्यद्वीप) में क्रियान्वित किया गया है।

भूमिका : इसकी प्रमुख समितियां /संस्थाएं निम्न हैं**:**

- उपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति
- राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव समन्वय समिति

- तटीय और समुद्री सीमा के लिए लीड इन्टेलीजेन्स एजेन्सी
- क्षेत्रीय जल की तटीय सुरक्षा

  अधिकार क्षेत्र

- राज्य की समुद्री पुलिस 12 नोटिकल मील तक के क्षेत्रीय जल में।
- तटरक्षक - 24 नोटिकल मील तक के क्षेत्रीय जल में।
- नौसेना 200 नोटिकल मील तक के क्षेत्रीय जल के साथ ही नौसेना को समग्र योजना के कुशल क्रियान्वयन का दायित्व भी सौंपा गया है।

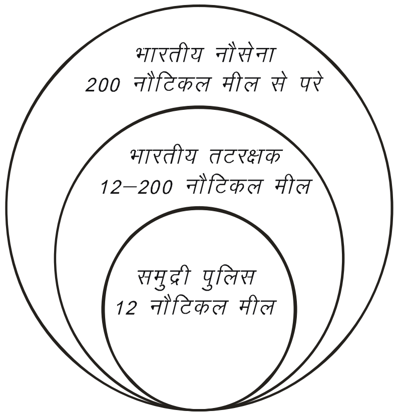

चित्र 13.1 **तटीय सुरक्षा योजना में विभिन्न बलों के कार्य क्षेत्र**

- भारतीय नौसेना को समस्त समुद्री सुरक्षा की जिम्मेदारी का अधिकार दिया गया है जिसमें तटीय और उपतटीय सुरक्षा दोनों सम्मिलित हैं।
- इस संदर्भ में नौसेना की सहायता तटरक्षक, राज्य समुद्री पुलिस बल तथा अन्य केन्द्र और राज्य संस्थाएं करती है।
- तटरक्षक बल के महानिदेशक (डी जी) को कमान्डर तटीय कमान का पद दिया गया है और वह केन्द्र और राज्य संगठनों के बीच तट रक्षा से संबन्धित समस्त मसलों में समग्र समन्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।
- इसके संयुक्त प्रचालन केन्द्र (Joint Operation Centres JOCs) मुंबई, विशाखापटनम, केाची तथा पोर्टब्लेयर में स्थापित किए गए हैं और विद्यमान नौसेना प्रमुख (C-in Cs) को तटरक्षा प्रमुख (C-in Cs) का पदभार सौंपा गया है। संयुक्त प्रचालन केन्द्रों का संचालन नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा संयुक्त रूप से संबन्धित केन्द्र और राज्य संगठनों के परामर्श से किया जाता है। इन सभी के बीच अच्छा तालमेल और समन्वय है।

कूट अभ्यास :

निम्न उद्देश्यो को पूरा करने के लिए अर्धवार्षिक स्तर पर तटीय सुरक्षा से संबद्ध सभी संगठनों के समन्वयन से कूट तटरक्षा अभ्यास किए जाते हैं:

- विद्यमान तटरक्षा ढांचे की प्रभाविता का मूल्यांकन करने के लिए,
- तटीय मछुआरा समुदाय की प्रभाविता का मूल्यांकन करने के लिए जिससे ये पता लग सके कि वो समुद्र की ओर से खतरे को भांपने में कितने सजग और सक्षम हैं। मछुआरों को ट्रांसमीटर (Distress alert transmitters DAT) सौंपे गए हैं जिससे वो लोग संकट की स्थिति में तटरक्षकों को सचेत कर सकें।
- विभिन्न समन्वयन संगठनों के बीच विद्यमान संप्रेषण के स्तर की प्रभाविता का मूल्यांकन करने के लिए
- समुद्री खतरें से निबटने में तटीय VAs/VPs की तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए
- सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए

13.7 तटरक्षक पुलिस बल

तटीय सुरक्षा योजना के तहत 9 तटीय राज्यों तथा 4 तटीय केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए तटीय पुलिस बलों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इस योजना में सभी 9 तटीय राज्यों और चार केन्द्र शासित प्रदेशों में 73 तटीय पुलिस स्टेशन, 97 पुलिस चौकियां, 58 समुद्री चौकियां और 30 बैरक बनाने के लिए सहायता प्रदान की गई है। साथ ही इन्हें 204 नावों, 153 जीपों और 312 मोटर साईकिलों से सज्जित भी किया जा रहा है, जिससे तटों पर निगरानी और चौकसी में सुविधा हो सके। प्रति पुलिस स्टेशन 10 लाख रूपये की सहायता राशि कंप्यूटर और फर्नीचर आदि के लिए प्रदान की जाती है। इन प्रस्तावित्त 73 पुलिस स्टेशनों में से 71 का प्रचालन शुरू हो गया है। विभिन्न राज्यों में तटीय पुलिस स्टेशनों की प्रस्तावित्त संख्या और प्रचालन कर रहें स्टेशनों की संख्या को नीचे सारणी 13.2 में दर्शाया गया है। योजना के तहत 2,346 पुलिस कर्मियों को तटरक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।

सारणी **13.2** विभिन्न राज्यों में प्रस्तावित्त और प्रचालन कर रहे तटीय पुलिस स्टेशनों की स्थिति

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	तटीय पुलिस स्टैशन		निर्माण कार्य पूर्ण	निर्माण कार्य चालू	निर्माण आरंभ नहीं हुआ
	प्रस्तावित्त संख्या	प्रचालन कर रहे हैं			

					है
गुजरात	पुलिस स्टेशन (10) पुलिस चौकी (25) सीमा चौकी (46)	10 25 44	10 25 44	- - 2	- - -
महाराष्ट्र	पुलिस स्टेशन (12) पुलिस चौकी (32) बैरक (24)	12 32 24	2 19 18	2 - -	8 13 6
गोवा	(3)	3	-	2	1
कर्नाटक	(5)	5	5	-	-
केरल	(8)	6	6	2	-
तमिलनाडू	तटीय पुलिस स्टेशन (12) पुलिस चौकी (40) सीमा चौकी (12)	12 35 10	12 31 10	- 9 -	- - -
आंध्रप्रदेश	(6)	6	6	-	-
उडीसा	(5)	5	2	1	2
पश्चिमी बंगाल	तटीय पुलिस स्टेशन (6) बैरक (6)	6 4	3 4	1 -	2 2
पॉडिचेरी	(1)	1	-	1	-
लक्ष्यद्वीप	(4)	4	1	2	1
दमन और दीव	(1)	1	1	-	-
अंडमान निकोबार	-	-	-	-	-
कुल	तटीय पुलिस स्टेशन (173) पुलिस चौकी (97) सीमा चौकी (58)	71 92 54 28	48 75 54 22	11 9 2 -	14 13 2 8

	बैरक (30)				

13.8 तटरक्षक निगरानी तंत्र

तटीय पेट्रौलिंग में काफी वृद्धि हुई है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक जहाजों और हवाई जहाजों द्वारा नियमित रूप से तटीय क्षेत्रों की निगरानी की जाती है। नौसेना और तटरक्षक बल परस्पर समन्वय और समझ के साथ चौबीसों घंटे तटों की निगरानी करते हैं। प्रत्येक तटीय राज्य की समुद्री पुलिस और CISF के दलों को सभी प्रमुख बंदरगाहों पर नियुक्त किया गया है जिससे वो बंदरगाहों और तटों की उचित सुरक्षा और चौकसी कर सकें।

यद्यपि तटों की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी और व्यापक योजना बनी है लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कुछ बाधाएं भी हैं। ये निम्न हैं :

- इससे अनेक क्षेत्रों को संवेदनशील मानकर वहां मछुआरों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है जिससे उनमें रोष दिखाई देता है।
- मछुआरे समुद्र का आंख-कान माने जाते हैं जो वहां के किसी खतरे को सबसे पहले भांप लेते है, लेकिन पुलिस बलों और नौसेनिकों की अनावश्यक सख्ती और दखलंदाजी से वे अनेक बार खतरे को भांप कर भी चुप रह जाते हैं जिसके गंभीर परिणाम होते हैं। तटरक्षा में संलिप्त दलों को मछुआरों के साथ मैत्रीपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए जिससे वो उन्हें सहयोग करें और अपना मित्र समझे।
  तटरक्षा योजना के दूसरे चरण का कार्य 1 अप्रेल 2013 से आरंभ हो गया है। ये एक पांच वर्षीय योजना है जिसका कुल बजट 315 मिलियन डॉलर का है। इस योजना के प्रस्ताव में सम्मिलित प्रमुख विशेषताएं 131 तटीय पुलिस स्टेशनों की स्थापना करना है जिनमें 180 नौकाएं, 60 जैटी, 35 चपटी नौकाएं (12 लक्षद्वीप और 23 अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए) 131 चौपाहिया वाहन और 242 मोटरसाईकिलें होंगी। देश भर में कुल 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह हैं। प्रमुख बंदरगाह और अनेक छोटे बंदरगाह भी अन्तरराष्ट्रीय जहाज और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा (International Ship and Port Facility Security, ISPFS) के दायरे में आते हैं जिनका प्रति दो वर्ष बाद ऑडिट होता है। भले ही हमने तटरक्षा के लिए एक व्यापक योजना बना ली है और पहले चरण में इसका कुशल क्रियान्वयन भी हुआ है। लेकिन इतने व्यापक स्तर पर संचालन संबन्धी कठिनाइयां भी होती है। समस्त संगठनों का समन्वयन एक बड़ी चुनौती होता है, फिर भी नौसेना और तटरक्षक बल के साथ-2 अन्य बलों के सहयोग से इस योजना का पहला चरण पूरा होकर अब दूसरा चरण आरंभ हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां है जिनका अभी निराकरण पूरी तरह से नहीं हो सका है। आगे काफी

काम की आवश्यकता है। कुछ मुख्य बिंदु जिनपर ध्यान देना आवश्यक है, वो निम्न हैं :

- समुद्री परिवहन नियंत्रण - जो समुद्र में सभी वैसेल्स की पहचान करने में सक्षम हो
- इलैक्ट्रोनिक सर्वीलांस नेट-जिसमें खुफिया सेन्सर्स की निगरानी करने और उन्हें एकत्रित करने की क्षमता हो।
- इन संगठनों के पास 24 घंटे, सातों दिन निगरानी करने के लिए पर्याप्त मानव बल होना चाहिए।
- नेतृत्व एक ही संगठन का होना चाहिए -सभी आवश्यकताओं का विश्लेषण एक नोडल केन्द्र पर करके सभी सहयोगी संगठनों के साथ परामर्श और सहयोग करते हुए एक ही स्थान से वस्तुओं की पूर्ति की जानी चाहिए।
- मछुआरों के गांवों की उचित सुरक्षा होनी चाहिए और उनके साथ सहयोगी और मैत्रीपूर्ण संबन्ध बनाने चाहिए जिससे वो निगरानी और चौकसी के काम में बाधा नहीं बल्कि सहयोगी बन सकें। समुद्री सुरक्षा के प्रमुख स्तंभ निम्न हैं:

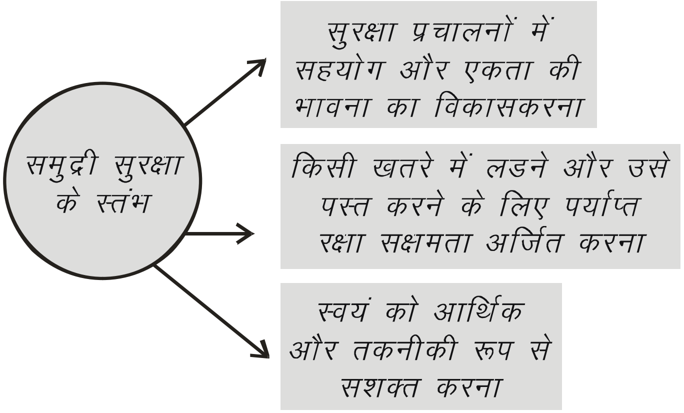

तटीय सुरक्षा योजना की कमियां

यद्यपि तटीय सुरक्षा के लिए अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं लेकिन वांछित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि योजनाएं नि:संदेह बहुत अच्छी हैं, पर उनके अचित क्रियान्वयन में कुछ कठिनाइयां हैं।

- देश के क्षेत्रीय जलों में जहाज डूबने की घटनाएं होना और उनका किसी को पता नहीं चल पाना इन उपायों की प्रभाविता पर प्रश्न चिह्न लगाता है।
- यथार्थ में समस्या बनाई गई योजनाओं में नहीं बल्कि उनके उचित क्रियान्वयन की है। आधार स्तर पर योजनाओं को पूरा करने पर कम ध्यान दिया गया है। उदाहरण के लिए अनेक पुलिस स्टेशन प्रचालन कर रहे हैं लेकिन कुछ में ही पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और नौकाएं हैं, जिससे पैट्रोलिंग सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। जैसा

कि वैसेल एम वी पैविट के उदाहरण से स्पष्ट है जो बहुपरतीय सुरक्षा घेरों को तोडकर मुंबई तट तक पुहंच गई थी।

- एक तो इन पुलिस स्टेशनों पर अनिवार्य आवश्यकताओं जैसे समुद्री प्रचालनों के लिए पुलिस कर्मियों का उचित प्रशिक्षण, उचित मात्रा में वाहनों के लिए इंधन और धन की व्यवस्था आदि जैसे मुददे हैं दूसरे तटीय पुलिस स्टेशनों और तटों के आसपास स्थित पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्रों के विषय में कर्मी स्पष्ट नहीं है जिससे व्यापक रूप से भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है।
- समुद्री पुलिस तट रक्षक बल और नौसेना के मध्य उचित समन्वयन और सूचनाओं को साझा करने की समस्याएं बनी रहती हैं। वर्तमान में इनके बीच सही तालमेल और समन्वयन काफी हद तक संबन्धित अफसरों के मध्य तालमेल पर निर्भर करता है, लेकिन इसके लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
- भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र मुंबई में गत वर्ष जुलाई में हुए तिहरे बम विस्फोट के बाद भी संवेदनशील बने हुए हैं, जिससे प्रश्न उठता है कि सुरक्षा सेवाएं हमलों को रोकने में क्यों विफल हैं?

13.9 सारांश

किसी भी देश की सुरक्षा में तटरक्षा बलों का अहम योगदान होता है। ये न सिर्फ तटीय क्षेत्रों से लोगों की अवैध घुसपैठ को रोकने में बल्कि नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल के वर्षो की कुछ घटनाओं से यह स्पष्ट है कि हमें तटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के खतरे का पता लगाने के लिए सक्षम और सतर्क होना चाहिए जिससे समय रहते उचित संख्या में रक्षा बलों की तैनाती करके जानमाल की सुरक्षा की जा सके।

13.10 अभ्यास प्रश्न

1. तटीय सुरक्षा से आपका क्या अभिप्राया है?
2. भारत में तटीय सुरक्षा की क्या बाधाएं हैं?
3. तटीय सुरक्षा योजना पर टिप्पणी लिखिए?
4. भारतीय तटरक्षक बल के उद्देश्य और दायित्व क्या हैं?

13.11 संदर्भ ग्रंथ

1- www.slidoshare.net/cppr123/coastal-security
2- timesofindia.indiatimes.com/topic/coastal-security-scheme
3- www.rediff.com/tags/coastal-security-scheme
4- www.indiandefencereview.com/spotlights/coastalsecurityparadox

इकाई -14

क्रियाशील संयंत्रों की सुरक्षा : विभिन्न अभिकरणों की भूमिका

इकाई की संरचना

14.0 उद्देश्य
14.1 प्रस्तावना
14.2 जीवन्त संयंत्रोंकी सुरक्षा का अर्थ
14.2.1 जीवन्त संयंत्रोंकी सुरक्षा के सिद्धान्त
14.3.2 सीमा, निगरानी और खतरे की चेतावनी का तंत्र
14.4 सीमा नियंत्रण तंत्र
14.5 विभिन्न अभिकरणों की भूमिका - सीआईएफएस और सीआरपीएफ
14.5.1 प्रशिक्षण
14.5.2 सुरक्षा निर्माण
14.6 सारांश
14.7 अभ्यास प्रश्न
14.8 सन्दर्भ ग्रंथ

14.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे -

- क्रियाशील संयंत्रोंकी सुरक्षा का अर्थ एवं सिद्धान्त
- क्रिया संयंत्रोंकी भौतिक सुरक्षा के विभिन्न घटक
- सीमा, निगरानी एवं चेतावनी तंत्र के विभिन्न प्रकार
- क्रियाशील संयंत्रोंकी सुरक्षा में विभिन्न अभिकरणों की भूमिका

14.1 प्रस्तावना (Introduction)

वर्तमान में सुरक्षा यद्यपि सभी को प्रभावित्त कर रही है, दुर्भाग्य से व्यावसायिक रूचि का विषय मात्र बनकर रह गया है। भारत में जनता का हमेशा सुरक्षाकर्मियों तथा दूसरी एजेन्सियों पर निर्भर रहना एक आवश्यक बुराई है। हम भूल जाते हैं कि सुरक्षा समाज का स्नायु तंत्र है। आम जनता में सुरक्षा के प्रति रूचि के अभाव के कारण भविष्य में असामाजिक तत्वों द्वारा उनका शोषण हो सकता है।

कीमती वस्तुओं की सुरक्षा तथा पशुधन एवं परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए बाड़ा या ऊंची दीवारें हम सभ्यता के प्रारम्भ से ही बनाते आए हैं। हम हमारी कीमती धरोहर की सुरक्षा के लिए कठोर परिश्रम करते आए हैं। सुरक्षा के लिए विभिन्न डिजायन की दीवारें बनाई जाती हैं। इन दीवारों में कुछ खूबियां रखी जाती हैं और इस प्रकार सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दीवारों तथा बाड़े को विशिष्टिकृत किया जाता है।

अपराधी का प्रवेश करना तथा बहिर्गमन को अत्यधिक कठिन बनाकर सुरक्षा को सरल किया जा सकता है। आगन्तुक को आने से रोकना सुरक्षा योजना की पहली अहर्ता है। दरवाजे, बाड़ा तथा दीवारें सुरक्षा का मूल उद्देश्य हल करते हैं तथा सुरक्षा की पहली तैयारी है। सम्पत्ति की भौतिक सुरक्षा समेकित सुरक्षा योजना का महत्वपूर्ण आयाम है। भौतिक सुरक्षा से तात्पर्य वह साधन, जो कि चोरी, डकैती, विध्वंस व बर्बरता तथा अनाधिकृत प्रवेश को रोकने में मदद करें। चाहे वह संयंत्रहो या कारखाना, कार्यालय भवन, सिनेमा हाल या शॉपिंग कम्प्लेक्स उनकी भौतिक सुरक्षा के साधन बहुत सरल हैं तथा इस रूप में उपलब्ध है कि आप उनका उपयोग कर सकते हैं।

14.2 क्रियाशील संयंत्र की सुरक्षा का अर्थ(Meaning of Vital Installation Scurity)

क्रियाशील संयंत्र के लिए निर्धारित बनावट एवं सुविधाओं के लिए विशिष्टीकृत सुरक्षा योजना एवं सेवाओं की आवश्यकता है। नाभिकीय संयंत्र, सैन्य छावनी, सरकारी भवन, पेट्रोकेमीकल संयंत्र, एयरपोट्र सप्रशिक्षण संस्थाएं और विशेष स्वास्थ्य केन्द्र आदि इस संवर्ग में आते हैं। ये संस्थाऐं शक्तिशाली अपराधियों, आतंकवादियों तथा कार्यकर्ताओं के ध्यान के केन्द्र होते हैं। संस्था विशेष व स्थिति विशेष के हिसाब से उत्तरदायित्व योजना, कार्य चालू रहने की व्यूह रचना, सुरक्षा की प्रक्रिया तथा सूचना देने की संहिता आदि की आवश्यकता स्थानीय, राज्य तथा राष्ट्र स्तर पर होती है।

14.2.1 क्रियाशील संयंत्र की सुरक्षा के सिद्धान्तPrinciples of Vital Installation Security

क्रियाशील संयंत्रसुरक्षा योजना के अन्तर्गत इसके भवन तथा सुविधाओं की सीमा आ जाती है। भवन की सुरक्षा से तात्पर्य भवन के अन्दर व बाहर दोनों की सुरक्षा से है। यहॉं पर भवन का तात्पर्य मात्र भवन के भीतरी भाग से नहीं है, बल्कि इसके घटकों की भी सुरक्षा से है।

सुविधाओं की भौतिक सुरक्षा उसकी अपनी सीमा से प्रारम्भ होती है। औद्योगिक उत्पादन हो अथवा छोटा संयंत्र शॉपिंग कम्प्लेक्स या होटल हो, उनकी सीमा ही सुरक्षा की पहली रेखा होती है। सीमा भवन की चार-दीवार भी हो सकती है। सामान्यतया एक औद्योगिक संयंत्रऔर उसकी चार-दीवारी के बीच में काफी रिक्त क्षेत्र को घेरे हुई होती है।

सुरक्षा योजनाकार भौतिक सुरक्षा में सामान्यतया निम्न मुद्दों को सम्मिलित करते हैं।

बाह्य सुरक्षा (Outer Detence)

- दीवारें, बाड़ा तथा अवरोधक
- चार-दीवारी, बाड़ा तथा अवरोधकों की सुरक्षा
- दरवाजें, चेनल्स तथा चक्रद्वार
- दरवाजें, खिड़कियॉं, रोशनदान तथा छतें
- सीमा के अन्दर की इमारतें तथा उनके प्रवेश तथा निर्माण स्थल
- अकेला संकटग्रस्त/नाजुक क्षेत्र
- भीतर, बाहर तथा सीमा में प्रकाश का स्त्रोत

भीतरी सुरक्षा (Inner Detence)

- ताले, बन्द करने का उपकरण, चाबियॉं, चाबियों का प्रबन्धन
- पहचान व्यवस्था, चेतावनी तथा संवेदना तंत्र
- निगरानी तंत्र
- विलम्ब उपकरण (Delay Device)
- प्रवेश मार्ग नियंत्रण तंत्र
- निरीक्षण, गश्त करना तथा आकस्मिक जॉंच

बाहरी प्रतिरक्षा का दायरा सबसे बाहरी बाड़े तथा दीवार से प्रारम्भ होकर ठीक सुविधा के केन्द्र पर समाप्त होता है। अत: सीमाई सुरक्षा विभिन्न स्तरों में इस प्रकार होना चाहिए कि जांच एवं विलम्ब संभव हो सके तथा प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त समय मिल सके। सुरक्षा की परतें निम्न प्रकार हो सकती है।

सीमाई अवरोधक (Perimeter barrier)

सीमा की स्थिति सामान्यतया सम्पत्ति के आखिरी सिरे पर होती है और यह ईटों की दीवार, जाली वाली बाड़ अथवा नुकीले तारों की बाड़ हो सकती है। इन अवरोधकों को सम्मिलित रूप से काम में लेना ज्यादा बढ़िया है जैसे जाली वाली बाड़ के साथ कांटेदार छल्ले एवं ईंट या पत्थर की दीवार के साथ नुकीले तारों की बाड़।

यदि बीच में कोई प्राकृतिक बाधा (जैसे नदी, ताल आदि) है, जो सीमाई सुरक्षा का सीमित उद्देश्य पूरा हो सकता है। यदि सुविधा ज्यादा जोखिमपूर्ण है तथा उत्पाद और कच्चा माल ज्यादा महंगे है, तो मजदूर जगह आदि की स्थिति के अनुसार वहॉ पर लगातार चौकसी की आवश्यकता है। इसलिए सीमा के बाहर गश्त के लिए रास्ता /ट्रेक बनाने की आवश्यकता है।

क्षेत्र सुरक्षा (Area Security) :-

क्षेत्र सुरक्षा का सम्बन्ध उस क्षेत्र से है, जो चार दीवारी अथवा सीमाई अवरोधक के भीतर है। अत: किसी सुविधा की सुरक्षा के अन्तर्गत स्टोरेज यार्ड, प्रशासनिक भवन, जनरेटर-कक्ष, नियंत्रण कक्ष, रेकार्ड रूम तथा मुख्य उत्पादन एवं वाणिज्यक क्षेत्र आ जाते है। इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रकाश की उपलब्धता तथा उस क्षेत्र में लोगों व माल के आवागमन पर रोक लगाने की आवश्यकता है तथा चौकीदारी/निगरानी करने वालों को आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित करने की आवश्यकता है।

परिधीय दीवारें (Peripheral Walls) :- यह परम्परागत बुद्धिमता है कि दीवारें सबसे पहला अवरोध है, जिसे आने वाले को पार करना होता है। यदि भवन की दीवारें मजबूत है तो सुरक्षा भी लगभग तय है। दीवारें सुरक्षा की पहली आवश्यकता है।

भीतरी क्षेत्र (Interior Area) :- भवन के भीतर भी सुरक्षा के प्रयासों की आवश्यकता है। भवन के भीतर से तात्पर्य है, -जनता, गतिविधियाँ तथा सम्पत्ति जो भवन में निहित है।

सीमाई अवरोधकों के प्रकार (Types of Perimeter Barrier)

ये प्रथम एवं सर्वोच्च महत्व के सुरक्षा उपाय है, जिनका विवेकपूर्ण योजना के साथ क्रियान्वयन होना चाहिए। इन स्थानों पर पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। यदि सीमाई अवरोध मुख्य सुविधाओं से दूर या प्रकाश क्षेत्र दूर है, तो स्थिति नाजुक बन जाती है। विशेष आवश्यकताओं के आधार पर निम्न में से दो या अधिक प्रकार के अवरोधों का उपयोग किया जा सकता है।

जंजीर युक्त बाड़ (Chain Link Fencing)

जंजीर युक्त बाड़ आम रूप से काम में लिया जाने वाला सीमाई अवरोध है। यह मात्र रोकने वाला या अवरोध करने वाला साधन ही नहीं है बल्कि अत्याधिक कम खर्च वाला सीमाई अवरोध हैं। यदि बिल्कुल सही तरीके से व्यवस्थित किया जावे, तो जंजीर युक्त बाड़ अत्यधिक उपयोगी व बहुउद्देशीय उपाय हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ किसी कारण से दीवार नहीं बनाई जा सकती है, वहॉ जंजीर युक्त बाड़ काफी प्रभावशाली है। उदाहरण के तौर पर अस्थायी आवश्यकता हो या फिर भीतर से बाहर दिखाई देने की आवश्यकता हो।

नुकीले तारों की बाड़ (Barbed wire Fencing)

नुकीले तार मुख्यत: दो प्रकार के पाए जाते है- दोहरे मुड़े हुए (घुमावदार) दो या चार काटे वाले तार। जंजीर युक्त बाड़ की भांति नुकीले तार वाली बाड़ भी ऐसे स्थानों पर, जहाँ कारण विशेष से दीवार बनाना संभव न हो एवं भीतर तथा बाहर से दृष्टि रखना (Visibility)

आवश्यक हो, लगाई जाती है। नुकीले तारों की बाड़ की ऊँचाई कम से कम सात फीट या इससे अधिक होना चाहिए। कारण स्पष्ट है कि औसत ऊँचाई का आदमी भी उसमें आसानी से प्रवेश न पा सकें। जंजीर युक्त बाड़ की अपेक्षा नुकीले तारों की बाड़ को फाँदना ज्यादा कठिन है।

कन्सर्टिना कोइल (Concertina coil)

कन्सर्टिना कुंडली फांदने में सबसे मुश्किल है परन्तु यह बहुत भद्दी लगती है। यदि अस्थाई उद्देश्य से काम में ली जावें तो इसकी सुरक्षा-उपयोगिता पर कोई प्रश्न चिह्न नहीं है। कन्सर्टिना कोइल मूलत: स्टील के तारों की कुण्डली है, जिन्हें नियमित अन्तराल पर आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे जानवरों व मनुष्यों के लिए अभेद्य अवरोधक बन जाता है। कन्सर्टिना कोइल को दो जंजीर युक्त या नुकीले तारों वाले बाड़े के साथ भी व्यवस्थित किया जा सकता है।

पत्थर की दीवारें (Masonry Wall)

रिहायशी मकान हो, बहुमंजिले शॉपिंग कम्प्लेक्स हो, उद्योग हो अथवा रक्षा संयंत्र हो, - पत्थर की दीवारें सीमाई सुरक्षा का पारम्परिक तरीका है। कुछ मामलों में आज भी पत्थर की दीवारे ही भौतिक सुरक्षा के लिए काम में ली जा रही है और वे पूर्णता के साथ अपना कार्य कर रही हैं। भौतिक अवरोधकों में मात्र दीवारें ही नहीं है, वरन कुछ पारदर्शी अवरोधक भी है, जो अन्दर के लोगों तथा कार्य प्रणाली को गोपनीयता प्रदान करती है।

नालियाँ (Drains)

नालियाँ चाहे वे प्राकृतिक हो या कृत्रिम,-बहुत अच्छे भौतिक अवरोधक का कार्य करती है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सीमाई दीवार में जहाँ भी कोई नाले का मुंह/सिरा खुल रहा हो, उपयुक्त आकार की मजबूत लोहे की जाली लगाई जावे।

क्षेत्रीय अवरोधकों के प्रकार (Types of Area Barriers)

अधिकांश अवरोधकों का आकार इस प्रकार का होता है कि वे मोटर गाड़ियों के आवागमन को रोक सके या बाधा उत्पन्न कर सकें। ये परस्पर संतुलन आधारित सरल अवरोधक से लेकर यातायात को शक्तिशाली रूप से रोक देने वाले शक्ति चालित अवरोधक तक हो सके है। अधिकांश अवरोधक यातायात को रोकने या जाँच करने के लिए होते हैं। अवरोधक का प्रकार मौजूदा स्थितियों तथा सुरक्षा के स्तर पर निर्भर करता है। यदि कोई उपमार्ग उपलब्ध है तो अवरोधक अप्रभावशाली हो जाता है। सामान्यतया अवरोधक उनकी अपेक्षिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार के होते है -

लिफ्टिंग पोल (Lifting pole) :- यह अत्यन्त सरलतम अवरोधक है, जिसमें एक धुरी पर लगा पोल अथवा तख्ता परस्पर संतुलन के माध्यम से रिक्त स्थान को पाट देते है। इसको मनुष्य द्वारा या यांत्रिक विधि से उठाया जा सकता है।

स्ल्यूइंग पोल (Slewing Pole) :- यह लिफ्टिंग पोल की भांति सरल अथवा जटिल हो सकता है। पोल धुरी पर लटके हुए दरवाजें की भांति इस प्रकार व्यवस्थित रहता है कि अवरोधक के आस-पास की जगह अवरोध से मुक्त रहे।

वन वे प्लेट्स (One way Plates) :- इसके अन्तर्गत धातु की पत्तियाँ जमीन में सधी रहती है और धुरी पर इस प्रकार व्यस्थित रहती है उस पर वाहन के पहिए का वजन पड़ते ही उठ जाती है ताकि वाहन अन्दर आ सके।

राइजिंग स्टेप बेरियर (Rising step barrier) :- संभवतया यह वाहनों के लिए सबसे प्रभावी अवरोधक है। इस उपकरण को सड़क मार्ग पर सतह को छूते हुए व्यवस्थित किया जाता है।

पेडस्ट्रेन बेरियर (Pedestrain barrier) :- इस प्रकार के अवरोधक का सबसे सरलतम रूप चक्रद्वार (Turnstile) है, जो कई आकार-प्रकार का हो सकता है। यह पैदल चलने वालों की गति को कम कर देता है अथवा रोक देता है।

अवरोधकों की ऊर्जा का नियंत्रण (Power Control of Barriers)

कोई भी यांत्रिक माध्यम से संचालित अवरोधक मानव चालित, मानव द्वारा रिमोट से चालित अथवा स्वचालित हो सकता है। अंतिम मामले में अवरोधक का नियंत्रण संवेदी अंगो, कोडेड कार्ड अथवा सिक्के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की स्वचालित निगरानी जैसे क्लोज सर्किट टेलीविजन (CCTV) भी हो सकता है। अवरोधक उचित स्थान पर लगाया जाना चाहिए ताकि कोई भी वाहन रूकने पर हाई वे से साफ दिखाई दे और कोई बाधा उपस्थित न हो।

प्रवेशद्वार और दरवाजे (Gates and Doors)

किसी भी भवन के बाड़े या चार दीवारी के छोर /प्रवेश बिन्दु पर प्रवेश द्वार या दरवाजा होना चाहिए। यह दरवाजा भी बाड़े या दीवारों की भाँति सुरक्षा की दृष्टि से मूल्यवान है।

प्रवेशद्वार (Gates)

प्रवेशद्वार यदि सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया गया है, तो इसे कुछ निश्चित मानदण्डों के अनुरूप होना चाहिए जब यह बन्द हो, तो इसे बाड़े अथवा दीवार के स्तर की ही सुरक्षा प्रदान करना चाहिए।

कब्जे वाले दरवाजे (Hinged gates) :-सामान्यतया दो पट वाले दरवाजों के स्थान पर एक पट वाले दरवाजे ज्यादा मजबूत होते हैं।

सरकने वाले प्रवेशद्वार (Sliding gates) :- सरकने वाले दरवाजों को क्षितीज स्तर पर (जमीन के सहारे) सरकाया जा सकता है। ये ऊध्वाधर स्थिति में भी सरकाए जा सकते हैं जैसा कि बन्दरगाहों (Porticullis) में, परन्तु इस प्रकार के दरवाजें बहुत कम देखने को मिलते हैं। सरकाने वाले दरवाजें कब्जे वाले दरवाजें (Hinged Gates) की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि वे ज्यादा चौड़े स्थान को पाट सकते हैं।

दरवाजें (Doors) :- दरवाजे लटकने वाले, सरकने वाले या घूमने वाले होने के साथ-साथ मानव चालित या ऊर्जा चालित हो सकते हैं। यदि दरवाजें घुसपैठिएँ की पहुँच में हो तो उन्हें उनके खोलने का राज पता न हो।

14.3 सीमाई निगरानी और चेतावनी तंत्र (Perimeter surveillance & alarm system)

सीमाई निगरानी के अन्तर्गत प्रवेश बिन्दुओं का भौतिक या इलैक्ट्रोनिक माध्यम से अवलोकन आ जाता है। अधिक से अधिक ऐसे प्रेक्षण स्थल होने चाहिए जहाँ से प्रवेश बिन्दुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकें। वहाँ प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो तथा लोगों, सम्पत्ति, वहाँ पर होने वाली गतिविधियाँ सुविधाओं, प्रवेश स्थलों, गलियों, गश्त के स्थानों, पोर्च व बालकनी को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। टेक्नोलोजी के चलते जिन्हें सुरक्षा व्यवसायी सीमाई संवेदक अथवा निगरानी तंत्र मानते हो। सुविधाओं की प्रकृति (राजकीय, निजी, सैन्य अथवा औद्योगिक) के आधार पर इन्फ्रारेड तकनीक का उपयोग करना भी व्यावहारिक विकल्प है।

14.4 सीमाई नियंत्रण तंत्र (Perimeter Control System)

भौतिक तथा इलैक्ट्रोनिक अवरोधकों में (जो आगन्तुकों की पहुँच को रोकते हैं) दीवारें, झाड़ियां, दरवाजे, चलने के रास्ते तथा हरियाली आदि पर्यावरणीय घटक तथा तकनीकी उपाय सम्मिलित है। अन्य नियंत्रण उपकरण अवधि विशेष के लिए सुरक्षा तथा अवधि विशेष के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति (Key juncture) है।

नियंत्रण के घटकों को उचित निगरानी उपकरणों के साथ युग्मित किया जा सकता है, ताकि क्षण विशेष की पहुँच की रिपोर्ट की श्रृंखला तैयार की जा सके। इसका उपयोग विशिष्ट अनुसंधान में सन्दर्भ के रूप में किया जा सकता है।

भौतिक नियंत्रण की कार्यविधि इस प्रकार विकसित की जानी चाहिए कि इसमें काम करने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा सके। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि मजबूत से मजबूत सीमा सुरक्षा थोड़ी सी मानवीय गलती से पराजित /असफल हो जाती है।

14.5 विभिन्न अभिकरणों की भूमिका (Role of different agencies)

देश में क्रियाशील संयंत्रकी सुरक्षा का जिम्मा मूलत: केन्द्र सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालय तथा राज्य सरकार का है। तथापि समय समय पर उनकी व्यवस्थाओं की समीक्षा के आधार पर गृह मंत्रालय उन्हें सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में सलाह देता है। इसके अतिरिक्त क्रियाशील संयंत्रों तथा परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, पेट्रोलियम, ऊर्जा, कोयला, स्टील, बन्दरगाह एवं हवाई अड्डा जैसे पब्लिक सेक्टर्स को CISF द्वारा भुगतान आधारित सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। सीआईएसएफ अर्थात सेन्ट्रल इन्डस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स

ने हाल ही में सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF)की तैनाती एअरपोर्ट की सुरक्षा के लिए की है। दिल्ली महानगर की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ ने हाल ही में 272 PSUs तथा 54 हवाई अड्डों को तथा इसके साथ-साथ राजकीय इमारतों महत्वपूर्ण स्मारकों तथा ताजमहल व लाल किला जैसी विरासतों को सुरक्षा प्रदान की है। अन्य क्रियाशील संयंत्रोंके लिए भी CISF द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता है, जो उन्हें लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। क्रियाशील संयंत्रों की सुरक्षा सम्बन्धी किसी आपात स्थिति से निबटने के लिए आपदा प्रबन्धन योजना भी तैयार की गई है, जो कभी भी उत्पन्न होने वाली खतरनाक स्थिति का प्रभावशाली ढंग से निराकरण करने में सक्षम है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल Central Industrial Security Force

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF (वर्तमान स्वरूप में 15 जून 1983 को स्थापित) भारत का केन्द्रीय सैन्य पुलिस बल है। इसकी स्थापना भारत के संसदीय अधिनियम के अन्तर्गत 10 मार्च 1969 को 2800 की संख्या से हुई थी। CISF की स्थापना बाद में 15 जून 1983 को संसद के एक अन्य अधिनियम के तहत भारतीय संघ के सैन्य बल के रूप में हुई। इसकी वर्तमान शक्ति 165000 है। आगामी 2-3 वर्षों में इसकी सामथ्र्य को बढ़ाकर 200,000 किया जायगा। CISF विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल है।

यह सीधे रूप से केन्द्रीय (संघीय) गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

CISF भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थापित लगभग 300 औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र अन्तरिक्ष संयंत्र सुरक्षा उत्पादन इकाई जैसे भारतीय गोलाबारूद कारखाना, डी.आर.डी.ओ. टकसाल, तेलक्षेत्र एवं रिफाइनरीज, खास-खास बन्दरगाह, भारी इन्जिनियरिंग प्रतिष्ठान, स्टील प्लान्ट, बांध, उर्वरक इकाईयां, हवाई अड्डे, जल विद्युत एवं उष्मा विद्युत संयंत्रतथा नोट छापने के छापेखाने आदि औद्योगिक क्षेत्रों को CISF सुरक्षा प्रदान करता है। यह सम्पूर्ण भारत में विभिन्न की जमीन तथा मौसमी परिस्थितियों में अपना क्षेत्र विस्तारित किए हुए है। CISF निजी उद्योगों तथा भारत सरकार के अन्य संगठनों को भी परामर्श सेवाऐं प्रदान करता है। इसकी परामर्श सेवा से भारत के प्रमुख व्यापारिक संस्थान जैसे TISCO जमशेदपुर, SEBI मुख्यालय बम्बई, सोढा, बैंगलोर, उड़ीसा माइनिंग कं. भुवनेश्वर (आन्ध्रप्रदेश) विधानसभा हैदराबाद, बैंगलोर मेट्रोपोलिटन ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन, HIL केरल, IB थर्मल प्लांट ओडिसा, IARI दिल्ली, NBRI लखनऊ तथा इलैक्ट्रोनिक सिटी बैंगेलोर आदि सम्बद्ध है। CISF के कार्यक्षेत्र में सुरक्षा परामर्श तथा अग्नि बचाव परामर्श भी सम्मिलित है।

हवाई अड्डे की सुरक्षा (Airport Security)

CISF भारत के सभी वाणिज्यक हवाई अड्डों की सुरक्षा के प्रभारी है। पूर्व में हवाई अड्डों की सुरक्षा एअरपोर्ट पुलिस के नियंत्रण में (Under the relevant state government) हुआ करता था।

सन् 1999 में इंडियन एअर लाइन्स की उड़ान सं. 814 के अपहरण के बाद हवाई अड्डों की सुरक्षा CISF को सौंपने का प्रस्ताव आया था परन्तु आगामी दो वर्षों तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, 2001 में संयुक्त राज्य में आतंकवादी हमले के बाद सभी राष्ट्रों की सरकारों के सामने सुरक्षा की चेतावनी उपस्थित हो गई और उस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। जयपुर हवाई अड्डा सबसे पहले 3 फरवरी 2000 को CISF के नियंत्रण में आया। इसके बाद भारत के अधिकांश वाणिज्यिक हवाई अड्डे इसकी सीमा में आ गए। वर्तमान में CISF द्वारा 58 अन्तर्राष्ट्रीय तथा आन्तरिक हवाई अड्डों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

दिल्ली महानगर की सुरक्षा (Security of Delhi Metro)

सन् 2007 में दिल्ली महानगर की सुरक्षा का दायित्व दिल्ली पुलिस से CISF ने संभाला, तब से दिल्ली की सुरक्षा यह संस्था कर रही है। रेलवे स्टेशन एवं रेलगाड़ियों की देख-रेख के लिए CCTV का उपयोग किया जा रहा है यहाँ से प्राप्त संकेत CISF तथा दिल्ली महानगर के अधिकारियों को उनके सम्बन्धित नियंत्रण कक्षों को भेजे जाते हैं। काननू व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तंत्र में 3500 से अधिक CISF के व्यक्ति कार्य कर रहे है। इसके अतिरिक्त तंत्र में मेटल-डिटेक्टर्स, एक्स-रे, बेगेज इन्सपेक्श ने प्रणाली, डोग स्क्वेड आदि का उपयोग भी सुरक्षा हेतु किया जाता है। ट्रेन की प्रत्येक बोगी में मुसाफिरों व ड्राइवर के बीच आपातकाल में उपयोग के लिए इन्टरकाम की सुविधा है। समय-समय पर सुरक्षा की सुनिश्चितता की जाँच के लिए सुरक्षा अभ्यास (Drill) कराया जाता है। CISF दिल्ली महानगर में बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान कर रहा है।

अग्नि शाखा (Fire Wing)

CISF इस बात में अद्वितीय बल है कि इसके अन्तर्गत 4625 अधिकारी तथा कर्मचारी लगभग 77 उद्योंगों को आग से सुरक्षा देने के कार्य में संलग्न है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force)

इसे सी.आर.पी.एफ. (CRPF) नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के केन्द्रीय सैन्य पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह सीधा भारत सरकार के गृह मन्त्रालय (MHA) के अन्तर्गत कार्य करता है। इसकी मुख्य भूमिका राज्य/यूनियन टेरीटोरीज पर कानून व व्यवस्था बनाए रखने में तथा विद्रोह के समय पुलिस कार्यवाही में सहायता करना है। यह 27 जुलाई 1939 को उत्कृष्ट पुलिस प्रतिनिधि के रूप में उभर कर अस्तित्व में आया। भारत स्वतंत्र होने के बाद 28 दिसम्बर 1949 से CRPF अधिनियम बनने के बाद यह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के रूप में कार्य कर रही है।

कानून व व्यवस्था (Law and Order) बनाने तथा विद्रोहियों से निबटने के अतिरिक्त समय-समय पर होने वाले आम चुनावों में भी CRPF अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बात विशेष तौर से त्रिस्तरीय शासित राज्यों जैसे बिहार, जे.के. स्टेट तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए लागू होती है। सितम्बर 1999 में हुए संसदीय चुनावों में CRPF ने रक्षा

सम्बन्धी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। बाद में संयुक्त राष्ट्र मिशन में भी CRPF का दल नियुक्त किया गया है।

220 बटालियनों तथा अन्य घटकों के साथ CRPF को विश्व का सबसे बड़ा संसदीय बल माना गया है।

वर्तमान भूमिका एवं सामर्थ्य (Current role and Strength)

सन् 2010 की स्थिति के अनुसार CRPF देश का सबसे बड़ा संसदीय संगठन है तथा भारत के प्रत्येक हिस्से में सक्रिय रूप से आन्तरिक सुरक्षा प्रदान करने में संलग्न है तथा भारत से बाहर संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना मिशन में भी अपनी सेवाएँ दे रहा है। यह अति विशिष्ट व्यक्तियों (VIPs) की सुरक्षा से लेकर चुनाव कार्यों एवं क्रियाशील संयंत्रों की सुरक्षा से लेकर आतंकवादियों से निबटने तक विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहा है।

14.5.1 प्रशिक्षण (Training)

सीमाई मूल्यांकन योजना निर्माण तथा नियुक्तियों से भी महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा कर्मियों को काम करने के तरीके, मूल्यांकन तथा देखभाल का प्रशिक्षण दिया जाये। औपचारिक शिष्टाचार को जानना, सुरक्षा के खतरे, आपात प्रक्रिया, प्राथमिक तथा अंतिम कार्य व्यूह रचना तथा रिपोर्ट बनाना आदि प्रशिक्षण सत्रों में बताए जाने चाहिए।

किसी भी संगठन में प्रशिक्षण की मजबूती को सुनिश्चित करने के लिए प्रगतिशील कम्पनियाँ प्रशिक्षण के तत्काल बाद अन्य असंबंधित व्यक्ति/संस्था (Third Party) द्वारा जाँच करवाती है और यह जाँच ही पदोन्नति तथा श्रेष्ठता का मापदण्ड माना जाता है।

14.5.2 भवनों की सुरक्षा (Building Security)

किसी भवन की सुरक्षा उसके प्रारूप (Design) से सुनिश्चित की जाती है। अक्सर यह देखा गया है कि भवन का प्रारूप सुन्दर या निर्माण की भव्यता की दृष्टि से ऐसे कर दिया जाता है जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर बिन्दु रह जाते हैं।

अति महत्वपूर्ण क्षेत्र का पृथक्करण (Isolation of Critical Area)

यह अति आवश्यक है कि किसी कारखाने, उत्पादन संयंत्र के अति महत्वपूर्ण (Critical) क्षेत्र को भौतिक अवरोधकों, सुरक्षा उपकरणों तथा सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति द्वारा पृथक् रखा जायें। हमेशा यह सलाह दी जाती है कि ऐसे क्षेत्रों में सभी को जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा उस क्षेत्र तक पहुँच आवश्यकता के सिद्धान्त पर ही होना चाहिए।

सीमा में भीतर, बाहर और चारों ओर प्रकाश व्यवस्था (Illumination Inside, Outside and Around the Perimeter)

औद्योगिक परिसर विशेष तौर से सीमा के आस-पास, दरवाजों, भण्डारण तथा कार्यकारी क्षेत्रों में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था आवश्यक है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए इन क्षेत्रों में अत्यधिक प्रकाश भी न हों। क्योंकि इससे विध्वंसकारियों और अपराधियों का इस ओर ध्यान आकृष्ट होता है।

14.6 सारांश (Summary)

अन्तिम रूप से यह कहा जा सकता है कि सुरक्षा उपाय इस प्रकार प्रारूपित किए जाने चाहिए कि उससे अपराधों की रोकथाम हों, तथा सुरक्षा एवं उत्पादन में वृद्धि हो। इसके लिए संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। चतुर सुरक्षा व्यवसायी के पास अपने अतिरिक्त आँखें व कान होते हैं। सुझाव बॉक्स, ई-मेल सन्देश, औपचारिक सर्वे और यहाँ तक की वाटर कूलर के पास होने वाला साधारण वार्तालाप भी एक प्रशिक्षित सुरक्षा व्यवसायी सुन-समझ कर फीडबैक ले सकता है तथा उसकी जाँच करके यदि आवश्यक हों, तो कार्यवाही कर सकता है।

14.7 अभ्यास प्रश्न

1. क्रियाशील संयंत्रकी सुरक्षा का अर्थ समझाइए।
2. सीआईएसएफ तथा सीआरपीएफ की भूमिका तथा प्रासंगिकता बतलाइए।
3. सीमाई तथा क्षेत्रीय अवरोधकों के बारे में बतलाइए।

14.8 संदर्भ ग्रंथ

1 Industrial Security : Management and Strategies, Tyagi SB and Nath DC, Manas Publications, Delhi (2009)

2 Report of Ministry of Home Affairs, India

3 Wikipedia on CISF

इकाई – 15

व्यक्तिगत (VIP) सुरक्षा : मापदंड और रूप

इकाई की रूपरेखा -

15.0 उद्देश्य

15.1 प्रस्तावना

15.2 वी.आई.पी. सुरक्षा की श्रेणियाँ

15.2.1 वी.आई.पी.

15.2.2 वी.वी.आई.पी.

15.2.3 आई.पी.

15.2.4 एफ.डी.

15.3 यातायात के तीनों मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था

15.3.1 हवाई जहाज द्वारा

15.3.2 रेल मार्ग द्वारा

15.3.3 सड़क मार्ग द्वारा

15.4 सभा में सुरक्षा व्यवस्था

15.5 भारत में सुरक्षा श्रेणियाँ

15.5.1 जेड प्लस श्रेणी

15.5.2 जेड श्रेणी

15.5.3 एक्स श्रेणी

15.5.4 वाई श्रेणी

15.6 सुरक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण संस्थाएँ

15.6.1 विशेष सुरक्षा समूह

15.6.2 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

15.6.3 भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

15.6.4 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

15.7 भारतीय सुरक्षा व्यवस्था का औचित्य

15.8 सुरक्षा व्यवस्था की विफलताएँ

15.9 सारांश

15.10 अभ्यास प्रश्न

15.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप जान सकेंगे -

- महत्वपूर्ण व्यक्तियों की श्रेणियाँ
- भारत में सुरक्षा श्रेणियाँ
- सुरक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण संस्थाएँ
- भारतीय सुरक्षा व्यवस्था पर विवाद एवं उसकी विफलताएँ
- सुरक्षा व्यवस्था का औचित्य

15.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय सुरक्षा सरकारी नीति का वह अंग है, जिसका उद्देश्य वर्तमान तथा प्रबल विरोधी के विरूद्ध राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसी लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण करना है, जिससे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मान्यताओं, प्रसार एवं उसकी रक्षा की जा सके।

हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, तो हमें प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का उत्तरदायित्व सेना का है पुलिस का नहीं, किन्तु यदि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के बिन्दु पर गम्भीरता से विचार करें तो हमें स्वत: अनुभव होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत बड़ा भार पुलिस प्रशासन पर है। यदि प्रत्येक समय सेना को सीमा पर तैनात रखा जाए तो उससे उसकी कार्यक्षमता तो प्रभावित्त होती ही है, उससे सेना की प्रशिक्षण व्यवस्था भी प्रभावित्त होती है। सेना को हर समय नए-नए हथियारों का प्रशिक्षण लेने के लिए सतत् प्रशिक्षणरत रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि सेना को हमेशा सीमा पर तैनात रखा जाए तो उसके कई प्रतिकूल परिणाम हो सकते है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को सीमा के पार से होने वाला खतरा

केवल युद्ध का खतरा ही नहीं होता अपितु ऐसे पड़ौसी देशों से जो हमारे देश के प्रति कुटिलता, दुर्भावना रखते है व देश को प्रगति करते हुए नहीं देख सकते है, वे सीमा के पार ऐसी गतिविधियाँ संचालित करते है कि सब कुछ सामान्य दिखते हुए भी देश की आतंरिक स्थिति बिगड़ने लगती है। देश में सम्प्रदायवाद, जातिवाद और राजनैतिक हिंसा, आतंकवाद सम्बन्धी ऐसी घटनाएं बढ़ जाती है, जिसके कारण देश की आतंरिक व्यवस्था गड़बडा जाती है, देश की आर्थिक व्यवस्था डगमगाने लगती है, देश की राजनीतिक अस्थिरता से शासन व प्रशासन तथा जनता सभी प्रभावित्त होने लगते है अर्थात् राष्ट्रीय सुरक्षा में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ-साथ पुलिस की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और उसे सजग रहकर राष्ट्रीय सुरक्षा की उस भूमिका को पूर्ण करना चाहिए।

15.2 वी.आई.पी. सुरक्षा की श्रेणियाँ (महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा)

ऐसे व्यक्ति जिनका पद, आचरण, विचार व नीति राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव रखती हो, उस व्यक्ति के लिए केन्द्र सरकार या गृह मंत्रालय सुरक्षा हेतु निर्देश जारी करता है, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की श्रेणी में आते है। वर्तमान में महत्वपूर्ण व्यक्तियों की चार श्रेणियाँ है, जो निम्न है-

15.2.1 अति-अति महत्वपूर्ण व्यक्ति

विधि एवं संविधान के अनुसार किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इन्हीं पदों के पूर्व व्यक्ति) इस श्रेणी में आते है।

15.2.2 अति महत्वपूर्ण व्यक्ति

इस श्रेणी में राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य व अन्य न्यायाधीश, केन्द्र के केबिनेट मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, राज्य मंत्रिमण्डल के केबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य सभा का उपसभापति एवं विपक्ष के नेता तथा भारत सरकार द्वारा जिस व्यक्ति के बारे में वी.आई.पी. के इंतजाम के निर्देश मिलते है।

15.2.3 महत्वपूर्ण व्यक्ति

उपरोक्त श्रेणियों के अतिरिक्त केन्द्र व गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त व्यक्ति इस श्रेणी में आते है।

15.2.4 विदेशी अतिथि

गृह मंत्रालय से निर्देशित प्रतिष्ठित विदेशी व्यक्तियों को एफ.डी. की श्रेणी में रखा जाता है।

उपरोक्त श्रेणियों में वर्गीकृत व्यक्तियों की सुरक्षा के कुछ निर्धारित नियम है, जो एक सर्वथा गोपनीय पुस्तक में दिए गए हैं और परिस्थिति के अनुसार इनमें आवश्यक फेरबदल किया जाता है। ये नियम केवल इनके व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारियों को ही ज्ञात रहते है, इसलिए

इनके ठहरने के स्थान और इनके खाने-पीने के संबंधमें की जाने वाली सुरक्षा के लिए वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहते है और वहाँ इनकी सुरक्षा व्यवस्था इसी के अनुसार की जाती है।

15.3 यातायात के तीनों मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था

इस संदर्भ में जब विचार किया जाता है, तो हमारे सामने तीन परिस्थितियाँ इनकी सुरक्षा के संबंधमें उत्पन्न होती है, क्योंकि जहाँ तक इनके निवास का स्थान है, इनकी सुरक्षा व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। लेकिन जब ये किसी सभा को संबोधित करते है या किसी सार्वजनिक समारोह में भाग लेने के लिए जाते है, तब इनकी सुरक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व स्थानीय पुलिस पर आता है और तब इनकी व्यवस्था किस प्रकार की जाए, यह निर्धारित करना होता है। जब ये किसी समारोह में या सार्वजनिक स्थान पर भाषण देने के लिए जाते है, तो इन्हें यात्रा करनी होती है और ये यात्राऐं निम्न में किसी एक साधन द्वारा ही की जा सकती है, किन्ही विशेष परिस्थिति में इनमें से एक या अधिक साधनों का प्रयोग करने की स्थिति आ सकती है और तब उसी के अनुसार व्यवस्था करनी होती है। ये यात्रा निम्न में से किसी एक साधन द्वारा की जा सकती है -

15.3.1 हवाई जहाज द्वारा

15.3.2 रेल मार्ग द्वारा

15.3.3 सड़क मार्ग द्वारा

15.3.1 हवाई जहाज द्वारा :- प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति का व्यक्तिगत सुरक्षा अमला उनके साथ यात्रा करता है और उनकी संख्या के अनुसार हवाई जहाज में या हेलीकॉप्टर में व्यवस्था की जाती है। व्यक्तिगत अंगरक्षकों की संख्या, उस व्यक्ति के महत्व के अनुसार एक से अधिक भी हो सकती है, सामान्य रूप से ये अधिकारी पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी होते है, जो भारतीय पुलिस सेवा के 'काडार' से लिए जाते हैं तथा उससे कम श्रेणी की महत्ता रखने वाले व्यक्तियों को उप पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस निरीक्षक तथा सहायक पुलिस निरीक्षक या सहायक प्लाटून कमाण्डर पद के अधिकारी सुरक्षा के लिए तैनात किये जाते है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से 'स्पेशल प्रोटेक्शन गुरप' नामक बल का निर्माण किया गया है। इन्हें इस प्रकार का उत्तरदायित्व निभाने के लिए विशिष्ट ट्रेनिंग दी जाती है। इससे स्पष्ट हैं कि हवाई यात्रा के दौरान तथा सामान्य रूप से किसी अन्य साधन से भी यात्रा करते समय उपरोक्त बताए गए सुरक्षा कर्मचारी महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहते है और सदैव उनके आस-पास परिस्थिति के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण करते हैं, किन्तु हवाई यात्रा शुरू करने से पहले तथा गतंव्य स्थान पर पहुँचने के पश्चात् उसके सभा स्थल तक पहुँचने के लिए इन्हें सड़क से यात्रा करनी पड़ती हैं तथा तब इस यात्रा की सुरक्षा का भार स्थानीय पुलिस पर होता है। स्थानीय पुलिस उस स्थान की परिस्थितियों के अनुसार, उस स्थान की जनसंख्या के अनुसार, उस

स्थान की राजनैतिक परिस्थितियों के अनुसार तथा किस प्रकार के मार्ग से उस महत्वपूर्ण व्यक्ति को गुजरना है, यह सब देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था करती हैं तथा तब स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पुलिस बल तैनात किया जाता है।

15.3.2 रेल मार्ग द्वारा :- जब कभी वी.आई.पी. को रेल मार्ग से यात्रा करनी होती है तो ऐसी दशा में यात्रा के दौरान सुरक्षा का उत्तरदायित्व रेलवे पुलिस पर तो होता ही है, इसके साथ ही साथ रेलवे लाइन जिस जिले से गुजरती है, उस जिले की स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी भी इनकी सुरक्षा की होती है। यदि वह रेल गाड़ी रास्ते में पड़ने वाले किन्हीं स्टेशनों पर ठहरती हैं, तो उस स्टेशन पर वी.आई.पी. की सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष बल और सादा वर्दी में अधिकारी तथा जवान तैनात किये जाते है। जिस जिले में वह स्टेशन पड़ता है, वहां की विशेष शाखा के अधिकारी और कर्मचारी उस जिले में कार्य करने वाले ऐसे संगठनों या उनके पदाधिकारियों के क्रियाकलाप पर नजर रखते है, जो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के समक्ष प्रदर्शन कर सकते हैं अथवा उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते है और इस शाखा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा एकत्रित सूचना के आधार पर आवश्यकता के अनुरूप पुलिस व्यवस्था की जाती है। जब महत्वपूर्ण व्यक्ति रेल से यात्रा करते है, तो उनकी सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस के गार्ड भी उस ट्रेन में तैनात किए जाते है जो उस राज्य की सीमाओं में उसी ट्रेन में यात्रा करते हुए सुरक्षा प्रदान करते है। जब कभी कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा के दृष्टिकोण से रास्ते में पड़ने वाले रेलवे पुल या रेलवे ब्रिजों की या रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि रेल मार्ग में या उन स्थानों पर तोड़फोड़ की जा सकती हैं, तो वहां भी सादे कपड़े में या आवश्यकता के अनुरूप वर्दी में सशस्त्र और निशस्त्र व्यवस्था की जाती है।

15.3.3 सड़क द्वारा :- जब कभी सड़क मार्ग द्वारा महत्वपूर्ण व्यक्ति यात्रा करते हैं, तो ऐसे स्थानों पर जहाँ आबादी हैं या ऐसे मार्गों पर जो शहर के बीच से गुजरते हैं, इन व्यक्तियों को देखने के लिए सड़क के दोनों और भारी भीड़ जमा हो जाती है। ऐसे स्थानों पर पुलिस को इस प्रकार व्यवस्था करती होती है कि आम नागरिक इनके अत्यधिक नजदीक न जाए या स्वागत सत्कार के नाम पर मार्ग इस प्रकार अवरूद्ध न हो जाए कि महत्वपूर्ण व्यक्ति को अपने निश्चित स्थान पर पहुँचने में आवश्यकता से अधिक समय लग जाए। इसलिए ऐसे स्थानों पर सड़क के दोनों किनारों पर पुलिस की व्यवस्था की जाती है तथा जिस गाड़ी में महत्वपूर्ण व्यक्ति चलता है, उसके करीब एक किलोमीटर आगे एक वाहन में पुलिस अधिकारी चलते है। इस वाहन में वायरलेस सेट लगा होता है, जिसका सम्पर्क महत्वपूर्ण व्यक्ति के वाहन से आगे चलने वाले वाहन से बना रहता है। इन वाहनों में एक किलोमीटर का अन्तर बनाकर रखा जाता है। सबसे आगे चलने वाली गाड़ी को 'वार्नर' कहते है। जब यह गाड़ी किसी मार्ग से गुजरती है, तो वहाँ तैनात पुलिस अधिकारी को यह ज्ञात हो जाता है कि अब कुछ ही देर में महत्वपूर्ण व्यक्ति की गाड़ी आने वाली है। 'वार्नर' शब्द का अर्थ

होता है ‘चेतावनी देने वाला’ अर्थात् जैसे ही यह गाड़ी मार्ग से गुजरती है पुलिस अधिकारी सतर्क हो जाते है।

महत्वपूर्ण व्यक्ति की गाड़ी के आगे चलने वाले वाहन को ‘पायलेट’ वाहन कहते है, इस पर सफेद झंडा लगा रहता है, जिस पर ‘पायलेट’ लिखा रहता है। ‘पायलेट’ शब्द का अर्थ होता है मार्गदर्शक अर्थात् यह गाड़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति की गाड़ी के ड्राईवर को मार्गदर्शन देती है। इसी के पीछे महत्वपूर्ण व्यक्ति की गाड़ी के दोनों ओर मोटर साईकिल पर पायलेट राइडर चलते है, जो आवश्यकता होने पर तुरन्त मोटर साईकिल रोककर महत्वपूर्ण व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते है। महत्वपूर्ण व्यक्ति की गाड़ी के पीछे जो गाड़ी होती है, उसे ‘एस्कोर्ट वाहन’ या अनुरक्षक वाहन कहते है, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सशस्त्र पुलिस अधिकारी मौजूद रहते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त अपनी गाड़ी से कूदकर महत्वपूर्ण व्यक्ति की गाड़ी के आसपास एक घेरा बना लेते है और महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा करते है। जहाँ तक सड़क के दोनों किनारों पर व्यवस्था का प्रश्न है, तो मध्यप्रदेश, पुलिस रेग्युलेशन पैरा क्रमांक 110 के अनुसार पुलिस बल तैनात किया जाता है। पुलिस बल की यह व्यवस्था महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के साथ-साथ जुलूसों आदि के उपयोग में भी लायी जाती है। पुलिस रेग्युलेशन का पैरा 110 निम्नानुसार है -

पैरा 110 सड़कों का निर्बाधन एवं रेखाकंन - सभी रंगरूट और रक्षित (रिजर्व) के सभी व्यक्ति (साधारण व विशेष) जुलूसों (प्रदर्शन), शासकों के भ्रमण, उपद्रवों आदि के अवसर पर मार्गों एवं सड़कों को निर्बाधन (क्लियरिंग) एवं रेखांकन करने के अभ्यास में अनुदेशित किया जाएगा। इसके लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए -

1 रेखांकन की जाने वाली जगह पर, दल के पहुँचने पर उन्हें आदेश दिया जाएगा, ‘‘पीछे से कदम बढ़ाओ’’। पीछे की पंक्ति के व्यक्ति बाहर की ओर मुडेगें तथा सड़क की एक ओर कदम बढ़ाते हुए मुड़कर अपना स्थान ले लेंगे। दूसरी पंक्ति आदेशित संख्या के कदम में बढ़ेगी, सामने की पंक्ति के व्यक्तियों के कंधे पर स्पर्श करेगी और इसी प्रकार सड़क के किनारों पर जगह लेने के लिए अग्रसर होगी और इस प्रकार अन्य सभी करेंगे।

2 जब व्यक्ति चार की पंक्ति में हो, (जो कि आवश्यक होगा, यदि सड़क को निर्बाध किया जाना है) तब वही आदेश दिया जाएगा। अन्तिम चार दो कदम आगे बढ़ेगें तब बाहरी व्यक्ति बाहर की ओर मुडेगें और सड़क के किसी एक किनारे पर स्थान ले लेंगे, भीतरी दो (या मध्य) व्यक्ति दांये या बांये आधा मुडेगें और आदेशित दूरी में स्थान ले लेंगे, सामने के व्यक्ति को कंधे पर स्पर्श करेंगे और उसी प्रकार जगह लेने के लिए आगे बढ़ेगें और इसी प्रकार अन्य सभी करेंगे।

इस पैराग्राफ के अनुसार सड़कों के दोनों किनारे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल लगाया जाता है, तो प्रत्येक एक आरक्षक के पश्चात् खड़े रहने वाले आरक्षक का मुँह भीड़

की ओर दूसरे आरक्षक का मुँह सड़क की ओर, जिधर से महत्वपूर्ण व्यक्ति गुजरने वाला है, रहता है अर्थात् ऐसे इतंजाम में एक आरक्षक की ओर व दूसरा आरक्षक भीड़ की ओर मुँह किए रहता है, ताकि भीड़ सड़क पर आगे न बढ सके और साथ ही साथ पुलिस यह भी देख सके कि सड़क पर महत्वपूर्ण व्यक्ति के निकलने में कोई बाधा तो नहीं है।

नीचे मार्ग में किस प्रकार व्यवस्था लगाई जाती है इसका एक नमूना नीचे दिया गया है -

काल्पनिक वी.आई.पी. सुरक्षा व्यवस्था

कार्यालय पुलिस अधीक्षक अ-ब-स

पुलिस इन्तजाम व्यवस्था

दिनांक .... को माननीय श्री क-ख-ग का आगमन हो रहा है उनकी सुरक्षा व्यवस्था ''जेड'' स्पेशल होने से निम्नानुसार लगाई जाती है। इस व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी उ.पु.अ. श्री अ-ब-स रहेंगे।

आगमन

दिनांक .... बजे विशेष वायुयान से .... विमान तल पर आगमन विमान तल से प्रस्थान

विश्राम भवन पर आगमन

....के लिए प्रस्थान

प्रस्थान

दिनांक .... बजे हेलीकॉप्टर से भोपाल व्यवस्था निम्न भागों में विभाजित की जाती है :-

1 विमान तल व्यवस्था

2 कार केड़ व्यवस्था

3 सर्किट हाउस व्यवस्था

4 अ.अ.स. व्यवस्था

5 हेली पेड व्यवस्था

6 मार्ग व्यवस्था

7 एंटीसेवोटेज चेक

8 यातायात व्यवस्था

विमान तल व्यवस्था :- इसके प्रभारी अधिकारी श्री च-छ-ज उ.पु.अ. (मुख्यालय)...... रहेंगे। इनकी सहायतार्थ उ.पु.अ. (प्रशिक्षण) श्री य-र-व रहेंगे। इसके अतिरिक्त थाना प्रभारी श्री प.फ.ब. निम्न बल के साथ रहेंगे :-

क्र.स. (1)	यूनिट (2)	निरीक्षक (3)	उ.नि. (4)	स.उ.नि. (5)	प्र.आर. (6)	आरक्षक (7)
1	थाना कखग	-	1	-	1	4
2	थाना अ-ब	-	1	-	1	4
3	पुलिस लाईन	-	-	-	2	8
4	नगर सेना	-	-	-	-	20
5	वि.म.बल (आम्र्स)	-	-	-	2	8
6	सादा वस्त्र	-	1	1	1	1
7	महिला बल	-	1	1	2	4
8	टियर गैस	-	-	-	-	1
9	फोटो ग्राफर	-	-	-	-	1
10	यातायात	-	-	-	-	-

कारक्रेड :-

1 वार्नर :- सूबेदार अ.ब.स. रहेंगे।

2 पायलेट :- श्री क.ख.ग. रहेंगे। इनके साथ मय स्ट्रेन के दो ए.पी.सी.वि.स. बल के रहेंगे।

3 एस्कोर्ट प्रथम :- एन.एस.जी. (प्रथम)

4 एस्कोर्ट द्वितीय :- एन.एस.जी. (द्वितीय)

5 एस्कोर्ट तृतीय :- उ.नि. ट-ठ-ड, थाना अ.ब.स.

उ.नि. प.फ.ब. थाना स.ह.म.

उ.नि. म.ह.न. थाना ब.अ.इ.

उ.नि. ज.न.प. थाना ब.अ.इ.

6 कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक :- कार

7 आयुक्त महोदय/उपमहानिरीक्षक पुलिस :- कार

8 व्ही.आई.पी. स्पेयर कार

9 एम्बुलेन्स वाहन :- रक्षित निरीक्षक के ब्लड ग्रुप के दो कर्मचारियों की ड्यूटी लगावें।

10 काम्पेक्ट प्लाटून :- इसके प्रभारी अधिकारी श्री त.ज.ल. रक्षित केन्द्र मय 2-8 का बल बल्वा ड्रिल उपकरण एवं 1-4 आम्र्स पार्टी के साथ में टियर गैस साथ रहेंगे।

नोट :- यदि श्रीमती प.फ.ब. जहाँ कहीं अलग से जाती है तो उनकी सुरक्षा हेतु व्ही.आई.पी. स्पेयर कार में महिला उ.नि.स.ह.न. थाना कोतवाली इनकी सुरक्षा व्यवस्था में रहेगी। श्री अ.ब.स. एस.डी.ओ.पी. रहेंगे। पायलेट ड्यूटी थाना यातायात के उ.नि. रहेंगे।

विश्राम भवन व्यवस्था :- इसके प्रभारी एस.डी.ओ.पी.म.त. रहेंगे इनकी सहायता के लिए थाना प्रभारी च.छ.ज. रहेंगे।

क्र.स. (1)	यूनिट का नाम (2)	निरीक्षक (3)	उ.नि. (4)	स.उ.नि. (5)	प्र.आर. (6)	आरक्षक (7)
1	थाना रामपुर	-	-	-	-	-
2	थाना शामपुर	-	-	-	-	-
3	अ.ज.क. प्रकोष्ठ	-	-	-	-	-
4	सादा वस्त्र	-	-	-	-	-
5	पुलिस लाईन	-	-	-	-	-
6	नगर सेना	-	-	-	-	-
7	वि.स.बल	-	-	-	-	-
8	महिला बल	-	-	-	-	-
9	यातायात बल	-	-	-	-	-
योग						

क.ख.ग. व्यवस्था :- इसके प्रभारी अधिकारी एस.डी.ओ.पी. प.फ.ब. रहेंगे उनकी सहायतार्थ निरीक्षक त-थ-द निम्न बल के साथ रहेंगे :-

क्र.स. (1)	यूनिट का नाम (2)	निरीक्षक (3)	उ.नि. (4)	स.उ.नि. (5)	प्र.आर. (6)	आरक्षक (7)
1	थाना अ.ब.स.	-	-	-	-	-
2	थाना क.ख.ग.	-	-	-	-	-
3	थाना प.फ.भ.	-	-	-	-	-
4	पुलिस लाईन	-	-	-	-	-
5	वि.स. बल	-	-	-	-	-
6	नगर सेन	-	-	-	-	-
7	टियर गैस	-	-	-	-	-
8	फोटोग्राफर	-	-	-	-	-
9	सादा वस्त्र	-	-	-	-	-
10	यातायात					
योग						

मार्ग व्यवस्था :- सम्पूर्ण मार्ग व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी श्री च.छ.ज. रहेंगे।

1 विमान तल से रेलवे क्रासिंग :- इसके प्रभारी निरीक्षक श्री एक्स.वाई.जेड. रहेंगे। इनके साथ निम्न बल रहेगा :-

क्र.स. (1)	यूनिट का नाम (2)	निरीक्षक (3)	उ.नि. (4)	स.उ.नि. (5)	प्र.आर. (6)	आरक्षक (7)
1	थाना रामपुर	-	-	-	-	-
2	थाना शामपुर	-	-	-	-	-
3	थाना हरिपुर	-	-	-	-	-
4	थाना इस्लामपुर	-	-	-	-	-

5	नगर सेना	-	-	-	-	-
6	यातायात	-	-	-	-	-
योग						

हेलीपेड व्यवस्था :- विमान तल पर लगा सम्पूर्ण बल बाद व्ही.आई.पी. के विमान तल से कार्यक्रम स्थल जाने के 30 मिनिट बाद हैलीपेड डी.आर.पी. लाईन की व्यवस्था देखेगा।

एण्टीसेवोटेज चैक :- इसके प्रभारी अधिकार उ.नि. श्री .... रहेंगे ये विमान तक विश्राम भवन एवं सभी कार्यक्रम स्थलों पर जाकर एण्टीसेवोटेज चैक कर प्रमाण-पत्र प्रभारी अधिकारियों को देंगे। इनके साथ रक्षित केन्द्र में पदस्थ स्नाईफर डाग मय डाग हेंडलर रहेगा। उ.नि. श्री .... इसके साथ सभी कार्यक्रम स्थलों पर उपस्थित रहेंगे।

प्र. आरक्षक श्री .... (अ.ज.क.) विमान तल एवं हेलीपेड पर प्रस्थान के समय रहेंगे व वे प्र. आरक्षक म.क. थाना .... उपस्थित रहेंगे व प्र.आर. श्री .... वाचर के रूप में उपस्थित रहकर जाने वाले को चेक करेंगे।

उ.नि. श्री ज.म. थाना .... विमान तल व बाद में हेलीपेड पर गारलैण्ड अधिकारी के रूप में उपस्थित रहेंगे।

यातायात व्यवस्था :- निरीक्षक यातायात वी.आई.पी. के आने वाले मार्ग में उचित यातायात व्यवस्था लगावे।

पुलिस कन्ट्रोल रूम रिजर्व :- सूबेदार .... 1-2-20 का बल मय एक वाहन के पुलिस कन्ट्रोल पर उपस्थित रहेंगे।

वित्तन्तु व्यवस्था :- उ.पु.अ. (रेडियो) विमान तल, विश्राम भवन, वायर्स वाहन, पायलेट वाहन में वायरलेस सेट लगवायेंगे।

सामान्य निर्देश :-

1 सभी अधिकारी एवं कर्मचारी नियमानुसार वेशभूषा धारण कर कार्यक्रम में दो घण्टे पूर्व अपनी-अपनी ड्यूटी स्थल पर पहुँचेंगे।

2 स.उ.नि. के ऊपर के सभी अधिकारी अपने साथ सर्विस रिवाल्वर रखेंगे।

3 कोई भी अवांछनीय तत्व विमान तल पर न पहुँच पावे इस बात का प्रभारी अधिकारी विशेष ध्यान रखेंगे।

4 मार्ग में लगा बल पुलिया आदि की चेकिंग करेंगे व सुनिश्चित करेंगे कि वी.आई.पी. के आगमन में कोई व्यवधान पैदा न हो।

5 निरीक्षक डी.एस.बी. गुप्त सूचनायें एकत्र कर समय-समय पर अवगत कराते रहेगें।

15.4 सभा में सुरक्षा व्यवस्था

सभा के समय सुरक्षा व्यवस्था करने में यह ध्यान रखा जाता है कि जहाँ तक संभव हो महत्वपूर्ण व्यक्ति छोटे हथियार अर्थात् रिवाल्वर की मार से बाहर रखा जाए। जब किसी बड़े नेता या मंत्रियों की सभाएँ होती है, तो यह देखा जाता है कि सामान्यतया जिस स्थान से महत्वपूर्ण व्यक्ति आम जनता को सम्बोधित करता है, उस मंच की ऊँचाई काफी अधिक होती है। इसके साथ ही साथ मंच के दांए, बांए और पीछे की ओर किसी भी नागरिक को इकट्ठा होने नहीं दिया जाता। सामने की तरफ भी अर्द्ध चन्द्र के रूप में लकड़ी और खंभों के बैरीकेड्स लगे होते है और नागरिक इस बैरीकेड्स के बाद ही एकत्रित होकर भाषण सुनने दे।

सभा के स्थल को छोटे-छोटे चौकोर भागों में बांटा जाता है, ताकि एक स्थान में बहुत अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो सकें, इन चौकोर स्थानों को एक दूसरे से अलग करने के लिए सड़क मार्ग बनाए जाते है, ताकि अंदर जाने वाले और निकलने वाले व्यक्तियों पर निगाहें रखी जा सकें तथा नियंत्रण किया सके। प्रत्येक चौकोर में वर्दीधारी पुलिस अधिकारियों के अलावा सादे कपड़ों में भी पुलिस अधिकारी आवश्यकता के अनुसार तैनात किए जाते है और इस प्रकार उस चौकोर में सुरक्षा व व्यवस्था की दृष्टि से नियंत्रण रखा जाता है। मंच के आगे अर्द्धचन्द्र के पश्चात् केवल ऐसे व्यक्तियों को ही बिठाया जाता है, जो आमंत्रित अतिथिगण होते है। ऐसे आमंत्रित अतिथिगण गणमान्य व्यक्ति होते है, जिनसे कोई खतरा नहीं होता, किन्तु फिर भी सतर्कता की दृष्टि से वर्दीधारी और बिना वर्दी के पुलिस अधिकारी उनमें भी मौजूद रखे जाते है। जब कभी इस प्रकार की किसी सभा का आयोजन होता है, तो मंच के नीचे और आसपास सभा शुरू होने के पूर्व ही पुलिस के विशेषज्ञ आकर वहां जाँच करते है कि उस स्थान पर कोई विस्फोटक आदि तो नहीं रख दिया गया है, महत्वपूर्ण व्यक्ति के मंच पर आने और जाने का मार्ग निश्चित रहता है। उसके साथ मंच पर केवल वही व्यक्ति जा सकते है, जिनके पास मंच पर जाने का अनुमति पत्र रहता है। सभा में महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा संबंधीसामान्य नियम ऊपर बताए गए है। इसके अलावा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए जो अन्य सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, वह गोपनीय निर्देशों के अंतर्गत ही आती है, जिसके संबंधमें अन्य जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त कर सकते है।

15.5 सुरक्षा श्रेणियाँ

भारत में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को पुलिस तथा स्थानीय सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है। व्यक्तियों की स्थिति एवं खतरे की धारणा के आधार पर सुरक्षा श्रेणियाँ बनाई गयी है, जो निम्न स्तरों में विभाजित है -

- जेड प्लस श्रेणी
- जेड श्रेणी

- वाई श्रेणी
- एक्स (श्रेणी

15-5-1 जेड प्लस श्रेणी :- श्रेणी में 36 कार्मिकों का एक सुरक्षा कवर होता है। इस श्रेणी में वर्तमान व पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के वर्तमान व पूर्व न्यायाधीश, केबिनेट मंत्रियो, राज्यपालों, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, प्रमुख नेताओं और वरिष्ठ नौकरशाहों को सम्मिलित किया गया है। इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को 2 पीएसओ 2 हेड कांस्टेबल एवं 8 कांस्टेबल उपलब्ध कराए जाते है तथा इन व्यक्तियों की गाड़ी के आगे पायलट एस्कोर्ट (झंडा लगी हुई गाड़ी) चलती है। इसके अतिरिक्त आई.बी. के द्वारा वॉचर भी लगाए जाते है।

15-5-2 जेड श्रेणी :- इस श्रेणी में 28 कार्मिकों का सुरक्षा कवर होता है। इस श्रेणी के व्यक्तियों को दिल्ली पुलिस या आई.टी.बी.पी. या सीआरपीएफ द्वारा कार्मिक उपलब्ध कराए जाते है, इसके अतिरिक्त इन्हें 2 हेड कांस्टेबल एवं 8 कांस्टेबल दिये जाते है तथा इन्हें एस्कोर्ट गाड़ी प्रदान की जाती है।

15-5-3 वाई श्रेणी :- इस श्रेणी में 11 कार्मिकों का सुरक्षा कवर प्रदान किया जाता है तथा इस श्रेणी के व्यक्तियों को 1 हेड कांस्टेबल एवं 4 कांस्टेबल की गार्ड उपलब्ध करायी जाती है साथ ही इनके लिए दो निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) नियुक्त किए जाते है।

15-5-4 एक्स श्रेणी :- इस श्रेणी के व्यक्तियों को दो कार्मिकों का सुरक्षा कवर प्रदान किया जाता हैं एवं इनकी सुरक्षा के लिए एक निजी सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त किया जाता है।

15.6 सुरक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण संस्थाऐं

15.6.1 विशेष सुरक्षा समूह :- विशेष सुरक्षा समूह भारत सरकार की कार्यकारी संरक्षण एजेंसी है। यह भारत के प्रधानमंत्री, उच्चतम व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों एवं अन्य सुरक्षा अधिकारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस समूह की स्थापना 1985 में की गयी थी। यह आठ केन्द्रीय सशस्त्र बलों में से एक है।

इस समूह का कार्य 21 मई, 1991 को राजीव गांधी की हत्या के बाद ओर अधिक संगठित कर दिया। एस.पी.जी. में लगभग 3,000 कार्मिक है, जिनकी भर्ती विभिन्न भारतीय पुलिस बलों द्वारा की जाती है तथा उनका प्रशिक्षण संयुक्त राज्य सीक्रेट सर्विस के प्रशिक्षण के समान होता है। एस.पी.जी. का गठन स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर किया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए 'ब्लू बुक' में दिशा निर्देश एवं प्रावधान दिए गए है, जिनके अनुसार एसपीजी कार्य करती है।

15.6.2 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड :- एनएसजी अधिकतर वी.आई.पी. एवं वी.वी.आई.पी. व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था करने में उपयोग में लाए जाते है।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (नेशनल सिक्योरिटी गार्ड) यानी एन.एस.जी. आतंककारी गतिविधियों से मुकाबला करने एवं अन्तर्राष्ट्रीय तत्वों की ओर से उत्पन्न की जा रही गंभीर चुनौतियों को समूल नष्ट करने के लिए 16 अक्टूबर 1948 को केन्द्रीय आपात बल में अस्तित्व में आया। एन.एस.जी. को ब्रिटेन की एस.ए.एस. और जर्मनी की जी.एस.जी.-9 की तर्ज पर विकसित किया गया है।

एन.एस.जी. की भूमिका एवं लक्ष्य दिए गए क्षेत्र में आतंककारी हमले का मुकाबला कर नाकाम करना, अपहरण की स्थितियों से निपटने के लिए प्रति-अपहरण और बचाव अभियान चलाना, अधिक जोखिम वाले विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रावधान करना, विशिष्ट व्यक्तियों के दौरों वाले सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देना, आतंककारी गतिविधियों का निरीक्षण करना और बम चिन्हित कर उन्हें निष्क्रिय करना है। एन.एस.जी. जवानों को ब्लैक केट के रूप में जाना जाता है।

15.6.3 भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (इण्डो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आई.टी.बी.पी.) :- हिमवीर के रूप में जाने वाली, भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.) का गठन 24 अक्टूबर, 1962 को हुआ था। इसकी भूमिका व लक्ष्य उत्तरी सीमा पर सतर्कता, सीमा उल्लघंन की जानकारी कर उसकी रोकथाम करना और स्थानीय निवासियों में सुरक्षा भाव में बढ़ोतरी करना, अनाधिकृत आव्रजन एवं सीमा पार तस्करी, अपराध की रोकथाम करना, संवेदनशील संस्थाओं, इस संस्था द्वारा अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों, अति विशिष्ट व्यक्तियों, नेताओं, हस्तियाँ आदि को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

15.6.4केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) :- प्रारम्भिक तौर पर 27 जुलाई, 1939 को क्राउन रिप्रजेंटेटिव पुलिस के रूप में किया गया था। बल को 28 दिसम्बर, 1949 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में पुर्नगठित किया गया। बल सैन्य आधार पर संगठित एवं प्रशिक्षित किया गया था ताकि वह रियासती राज्यों में सिविल शक्तियों के साथ सहयोग कर सके। 28 दिसम्बर, 1949 को सी.आर.पी.एफ. एक्ट के लागू होने के साथ ही सी.आर.पी.एफ. संघ के सशस्त्र बलों में से एक हो गया।

सी.आर.पी.एफ. अपनी तैनातगी एवं भर्ती दोनों ही प्रकार से अखिल भारतीय प्रवृत्ति को परिलक्षित करता है। इसकी भूमिका एवं कार्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, आपातकाल एवं आतंककारी गतिविधियों का प्रतिकार करना, प्राकृतिक विपत्तियों और आपदाओं के दौरान बचाव व राहत कार्य करना, चुनावों, दौरों और

विशिष्ट व्यक्तियों की सार्वजनिक सभाओं व अन्य अवसरों पर सुरक्षा, इतंजाम करना, कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में आवश्यक एवं वृहद् तैयारी करना समाहित है।

विशेष सुरक्षा समूह एवं उपरोक्त तीनों संस्थाएँ महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों, नेताओं आदि की सुरक्षा व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है।

15.7 भारतीय सुरक्षा व्यवस्था का औचित्य

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित शीर्षस्थ पदों पर आसीन लोगों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, किन्तु कुछ लोग मात्र 'स्टेट्स सिंबल' के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग करते है। इसका ताजा उदाहरण है रिलायन्स समूह के मुखिया मुकेश अंबानी, जिनको सरकार ने जेड प्लस की सुरक्षा दी थी, जिसका काफी विरोध हुआ था। अधिकांश नेता सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा की खातिर सरकारी सुरक्षा ले लेते है, जबकि वास्तव में उन्हें किसी से कोई खतरा नहीं होता। सरकार के करोड़ों रूपये खर्च हो जाते है, जिसका कोई सीधा लाभ नहीं है। जान के जोखिम के नाम पर लगभग हर राज्यों में नेताओं को यह सुविधा सुलभ करा दी जाती है। राज्य का प्रशासन तंत्र भी अपने हितों की खातिर इन्हें सरकारी सुरक्षा दे देता है। प्रशासन तंत्र का इसमें कुछ नहीं जाता, सारा पैसा तो जनता की गाढ़ी कमाई का ही है। जनता का पैसा जनता के हित में खर्च हो यह बात तो समझ में आती है, पर सुरक्षा के नाम पर किया जाने वाला अतार्किक व्यय समझ से परे है। पंजाब में तो कारोबारियों तक को यह सुरक्षा दी गई है। धीरे-धीरे व्यापारियों को सरकारी सुरक्षा देने की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। इस सम्बन्ध में इतना विवाद बढ़ चुका है कि देश की शीर्षस्थ अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा तथा सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि देश में सुरक्षा की कमी के कारण आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे है, तो ऐसे में अमीर लोगों को सरकारी सुरक्षा देने का क्या औचित्य जो खुद निजी सुरक्षा कर्मियों की सेवाऐं लेने में समर्थ व सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी कई मामलों में वी.आई.पी. को दी गयी सरकारी सुरक्षा पर आपत्ति कड़ी प्रतिक्रिया जता चुका है।

15.8 सुरक्षा व्यवस्था की विफलताएँ

हालांकि वी.आई.पी., वी.वी.आई.पी. को सुरक्षा व्यवस्था उनकी सुरक्षा हेतु प्रदान की जाती है, किन्तु ए ग् व ल् सुरक्षा श्रेणियों द्वारा हमेशा व्यक्तियों की जान की सुरक्षा की गयी है, ऐसा नहीं है कई बार ये व्यवस्थाएँ भी विफल साबित हुई है।

उदाहरण स्वरूप राजबीर सिंह, एक प्रसिद्ध मुठभेड़ विशेषज्ञ एकर् . स्तर की सुरक्षा के बावजूद मार्च, 2008 में मारा गया था। पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रमोद महाजन की सुरक्षा कवर के बावजूद उनके भाई द्वारा हत्या कर दी गयी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनको प्रदान की गयी सुरक्षा व्यवस्था के ही एक सदस्य द्वारा हत्या कर दी गयी थी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कई उदाहरण है, जिनमें उच्च श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के बावजूद महत्वपूर्ण व अति महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या कर दी गयी। इन उदाहरणों का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए व उनमें रह गयी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

15.9 सारांश

विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा भी पुलिस के लिए अत्यन्त ही जटिल व कठिन कार्य है। वर्तमान समय में पुलिस बल के अधिकांश संसाधन और जनशक्ति इस कार्य में लगे है। इससे न केवल पुलिस के अपराध नियन्त्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मौलिक कार्य प्रभावित्त हुए हैं, बल्कि उसकी प्रशिक्षण प्रक्रिया और कार्य क्षमता पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। इस व्यवस्था की समय - समय पर समीक्षा और पुनर्विचार आवश्यक है। आतंकवाद और सामाजिक असन्तोष के कारण विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा एक अत्यन्त ही संवेदनशील और विशेषज्ञतापूर्ण पुलिस कार्य हो गया है। जिसमें बाहरी चुनौतियों के साथ-साथ पुलिस कर्मियों के व्यावसायिक स्तर और व्यक्तिगण आचरण की आन्तरिक स्थिति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे में अनुभवी और व्यावसायिक पर्यवेक्षण कमियों और गलतियों से लगातार सीखने की प्रक्रिया और पुलिस कर्मियों के सतत् प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा ही सुरक्षा प्रबन्धन की चुनौतियों से निपटा जा सकता है।

अतिमहत्वपूर्ण व महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करना केन्द्र व राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। किन्तु वर्तमान में इस सुरक्षा व्यवस्था का दुरूपयोग हो रहा है, क्योंकि अब यह सुरक्षा व्यवस्था कारोबारियों, व्यापारियों, छुटभैये नेताओं को सरकारी सुरक्षा दी जा रही है, यह कहाँ तक उचित हैं? विडम्बना है कि सरकार आम नागरिक की हिफाजत करने में विफल ही साबित हो रही है जबकि वी.आई.पी. की सुरक्षा में मुस्तैद है। दिन दहाड़े घट रही आपराधिक घटनाओं से आम नागरिक डरा-सहमा हुआ है। अपराधियों के हौंसले इतने बुलन्द हो गए है कि वे सरे राह किसी को लूटने, मार डालने, बैंकों समेत व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने से नहीं चूकते। सुप्रीम कोर्ट ने सही मुद्दा उठाया है कि सुरक्षा न मिलने के कारण दिल्ली में पाँच वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटनाएँ हो रही है और खास लोगों को स्टेट्स के लिए सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। भारत की जनता द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि को किससे खतरा हो सकता है? ऐसी सुरक्षा तो जनता के लिए परेशानी का कारण ही बनती है। एक बात और, नेताओं के गनर द्वारा जनता को डराने, धमकाने की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है, जो वाकई में दुखद है।

15.10 अभ्यास प्रश्न

1 भारत में महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरक्षा की दृष्टि से कितनी श्रेणियों में बाँटा गया है एवं उनकी सुरक्षा श्रेणियों के सम्बन्ध में बताइए।

2 यात्रा के तीनों साधनों में वी.आई.पी. को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान की जाती है, विस्तृत वर्णन कीजिए।

3 सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण संस्थाओं के सम्बन्ध में व्याख्या कीजिए।

इकाई - 16

साइबर अपराध

इकाई की रूपरेखा

16.1 उद्देश्य

16.2 प्रस्तावना

16.3 साइबर अपराध क्या है?

16.4 साइबर अपराध का इतिहास

16.5 साइबर अपराध के प्रकार

16.6 साइबर आतंकवाद

16.7 साइबर अपराध की श्रेणियां

16.8 साइबर अपराध पर नियंत्रण

16.9 सारांश

16.10 अभ्यास प्रश्न

16.11 संदर्भ ग्रथ

16.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप

- साइबर अपराध क्या है, ये समझ सकेंगे;
- साइबर अपराध के प्रकारों को जान पाएगें;
- साइबर अपराध की श्रेणियों के बारे में समझ सकेंगे; तथा
- साइबर अपराध पर नियंत्रण के तरीकों को जान पाएंगें।

16.2 प्रस्तावना

सइबर अपराध शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से ऐसे क्रियाकलापों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनमें कम्प्यूटर अथवा कंप्यूटर नेटवर्क (इन्टरनेट) का प्रयोग किसी आपराधिक गतिविधि के लिए साधन, लक्ष्य अथवा स्थान के रूप में किया जाता है। साइबर अपराध अनेक प्रकार के होते हैं जिनमें पहचान की चोरी, इन्टरनेट द्वारा जालसाजी कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन करके दूसरों की लेखन सामग्री की नकल अथवा चोरी, हैकिंग, कंप्यूटर वाइरस और स्पैम आदि सम्मिलित हैं। अनेक साइबर अपराध तो महज उन

विद्यमान आपराधिक क्रियाकलापों का विस्तार हैं जिनके लिए कंप्यूटर और नेटवर्क का प्रयोग अपराध स्थल की भौगोलिक स्थिति, व्यक्ति की जानकारी उसके बैंक खाते आदि सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

यद्यपि कंप्यूटर और इन्टरनेट, अत्यधिक महत्वपूर्ण तकनीकी विकास है, जो अनेक तरीकों से समकालीन समाज को लाभ पहुंचाते हैं। जहां इन साधनों का प्रयोग सज्जन व्यक्ति सामाजिक और स्वयं के उत्थान के लिए करते हैं वहीं दुर्जन या आपराधिक मनोवृत्ति के व्यक्ति इनका प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों, गैरकानूनी कार्यों ओर निजी स्वार्थी के लिए करते हैं। साइबर अपराधों को महज बेहतर कानून बनाने अथवा उन्हें सख्ती से लागू करके ही नहीं रोका जा सकता हैं बल्कि इसके लिए लोगों के मन और मस्तिष्क का परिवर्तन आवश्यक है, जिससे वो इन साधनों का प्रयोग जनहितकारी संपन्न समाज के निर्माण के लिए करें न कि आपराधिक गतिविधियों के लिए।

16.3 साइबर अपराध क्या है?

परिभाषा : साइबर अपराध शब्द सामान्यत: ऐसी आपराधिक गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनमें कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर नेटवर्क अपराध का एक अनिवार्य भाग हों। इस शब्द का प्रयोग उन पारंपरिक अपराधों के लिए भी किया जाता है जिनमें कंप्यूटर अथवा नेटवर्क का प्रयोग किसी गैर कानूनी कार्य के लिए किया गया हो। अत: सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि साइबर अपराध का अर्थ अपराधों को अंजाम देने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग है। मौजूदा आपराधिक गतिविधियों के साथ ही कंप्यूटर के आविष्कार के साथ कुछ नई श्रेणी के अपराध भी जुड़ गए हैं जिनमें स्पैमिंग और बौद्धिक चोरी तथा कॉपीराइट संबन्धी अपराध शामिल हैं। विशेष रूप से ऐसे अपराध जिन्हें परस्पर जुडे नेटवर्क द्वारा सुगमता से किया जा सकता है।

साइबर अपराध के ऐसे उदाहरण जिनमें कंप्यूटर अथवा नेटवर्क आपराधिक गतिविधि का स्थान होता है, उनमें सेवा की चोरी और कुछ प्रकार की जालसाजियां सम्मिलित हैं। साइबर अपराध के ऐसे उदाहरण जिनमें कंप्यूटर अथवा नेटवर्क किसी आपराधिक घटना का लक्ष्य या निशाना हो उनमें गैर कानूनी रूप से लोगों की निजी और गोपनीय जानकारी का पता लगाना (ऐसेस कंट्रोल को निरस्त करके) जाली कोड और डिनायल ऑफ सर्विस हमले सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त कंप्यूटर अथवा नेटवर्क द्वारा किए जाने वाले कंप्यूटर अपराधों में किसी व्यक्ति की पहचान की चोरी, बच्चों के अश्लील चित्रण; ऑनलाइन बोली लगाना/जुआ खेलना, कंप्यूटर सुरक्षा संबन्धी जालसाजी आदि सम्मिलित है। साइबरस्टॉकिंग उत्पीडन के पारंपरिक अपराध को कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से करना है। अन्य साइबर अपराधों में कंप्यूटर का प्रयोग करके औद्योगिक और आर्थिक अपराध करना सम्मिलित है।

16.4 साइबर अपराध का इतिहास

1990 के दशक में जब कंप्यूटर और इन्टरनेट का चलन तेजी से बढ़ा तब हैकिंग अर्थात अन्य कंप्यूटर से ई-मेल एकाउन्ट खोल कर वहां से जानकारी प्राप्त करने का काम मूलरूप से सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता था। इस कारण सरकारी और सैन्य बलों के साथ ही अनेक व्यावसायिक नेटवर्क प्रभावित्त होते थे। आरंभ में हैकिंग के उन प्रयासों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था क्योंकि इनसे कोई दीर्घकालिक खतरे नहीं थें। लेकिन ऐसे हानिकारक सॉफ्टवेयर (malicious softwares) के आ जाने के बाद जिनका उपयोग नेटवर्क को खंडित करने के लिए अथवा कोई संवेदनशील जानकारी या डाटा प्राप्त करने के लिए सिस्टम तक एसेस (पहुंच) के लिए किया जाता है, हैकिंग के कारण नेटवर्क और सिस्टम की गति मंद होने लगी। जैसे-2 हैकर्स अधिक कुशल और निपुण होते गए, उन्होंनें अपने इस ज्ञान और विशेषज्ञता का उपयोग अन्य लोगों की निजी और गोपनीय जानकारी प्राप्त करके उनका शोषण करने अथवा आर्थिक हानि पहुंचाने के लिए करना आरंभ कर दिया।

16.5 साइबर अपराध के प्रकार

हम कंप्यूटर द्वारा ऐसे अनेक कार्य करते हैं जो साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि कई बार तो हमें ये ज्ञात ही नहीं होता है कि हमने कोई साइबर अपराध किया है। जबकि कंप्यूटर का प्रयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कानूनी न सही नैतिक साइबर अपराध तो अवश्य ही करता है। अक्सर हमलोग किसी पाठ्य सामग्री, विडियो अथवा चित्र आदि को कंप्यूटर से कॉपी करते समय कभी ये नहीं सोचते हैं कि यह भी साइबर अपराध ही श्रेणी में आता है। आइए अब हम विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के विषय में जानते हैं। साइबर अपराध के प्रमुख प्रकार निम्न हैं:

हैकिंग : यह एक ऐसा अपराध है जिसमें व्यक्ति के कंप्यूटर अकाउंट खोलकर उसकी व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी का पता लगाया जा सकता है। अमेंरिका में तो इसका चलन इतना बढ़ गया था कि अब इसे एक दंडनीय अपराध माना जाता है। यह नैतिक और सम्मत रूप से हैकिंग करने से भिन्न हे जिसमें अनेक संगठन अपनी इंटरनेट सुरक्षा की जांच के लिए हैकिंग का उपयोग करते हैं। हैकिंग में अपराधी व्यक्ति के एकाउंट को खोलने के लिए अनेक प्रकार के साफ्टवेयर का प्रयोग करता है और उसे पता चले बगैर ही दूर से बैठकर भी उसके कंप्यूटर से विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकता है।

किसी का अकांउट खोलना : कुछ लोग अपने दोस्तों और साथियों के ईमेल अकाउंट, फेसबुक वगैरह का पासवर्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं और कभी कभी सफल भी हो जाते हैं। हो सकता है आप महज मौज मस्ती या मजाक के लिए ऐसा कर रहे हों लेकिन अगर आप किसी का पासवर्ड हासिल करने के बाद उसके अकाउन्ट में लॉग इन करते है तो ध्यान रखिए आप एक साइबर अपराध कर रहे हैं। ऐसा तब भी होता है जब किसी ने आप पर

भरोसा करके आपको अपना पासवर्ड बताया हो । यह अकाउन्ट ईमेल, सोशल नेटवर्किंग ब्लॉग, वेबसाइट, ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस, ई कॉमर्स साइट, इंटरनेट बैंकिग आदि कुछ भी हो सकता है। किसी की निजता में सेंध लगाने पर आप 'डेटा प्रोटेक्शन' कानून के साथ साथ 'सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000' की धारा 72 के तहत दोषी करार दिये जा सकते हैं।

कॉपी-पेस्ट करना अथवा सामग्री की चोरी : जब कोई व्यक्ति कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करके संगीत, पिक्चर, खेल अथवा किसी सॉफ्टवेयर आदि को डाउनलोड करता है तो ये प्रक्रिया साइबर अपराध की श्रेणी मे आती है। कॉपीराइट किसी रचनात्मक कार्य करने वाले व्यक्ति को प्राप्त वह अधिकार है जो उसे अपनी सामग्री की गैरकानूनी तरीके से नकल किए जाने के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।

आपके द्वारा लिखे गए लेख, कहानी, कविताएं, व्यंग्य आदि आपके द्वारा खीचे गए फोटो, आपकी बनाई संगीत की धुन, सॉफ्टवेयर, वीडियो, कार्टून, एनिमेशन, किताब, ईबुक वेबसाइट वगैरह पर आपको यह विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। कोई भी शख्स आपकी अनुमति के बिना आपकी रचना की कॉपी नहीं कर सकता है और ना ही उसे दूसरों को दे सकता है। ऐसा करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और आप उसके खिलाफ अदालत में जा सकते हैं।

कॉपीराइट लेने की एक कानूनी प्रक्रिया है लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी करते तो भी आपकी रचना पर आपका ही अधिकार होता है। इसी तरह अगर आप किसी और का फोटो उसकी लिखित मंजूरी के बिना अपने फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट करते हैं तो वह साइबर क्राइम है। गूगल इमेज से दूसरी इमेज होस्टिंग वेबसाइट से अपनी पसंद का कोई फोटो लेकर उसे अपने ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट वेबसाइट या पत्र पत्रिका में इस्तेमाल करना भी साइबर अपराध की श्रेणी में आता है।

गूगल एक सर्च इंजन भर है। वह मुफ्त में डाउनलोड करने की साइट नहीं है। इसीलिए वह किसी भी प्रकार की सामग्री के साथ उस वेब पेज को भी दिखाता है जहां से उसे ढूंढा गया है। ऐसा करके वह सामग्री चुराए जाने के मामले में किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। अगर आपको गूगल इमेज सर्च पर मौजूद कोई फोटो इस्तेमाल करना है तो इसके लिए आपको उस वेब पेज के संचालक से अनुमति लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी रचना को लेकर ज्यादा ही गंभीर हो तो यह छोटी सी चोरी आपको भारी पड सकती है। जिस गूगल के जरिये आपने वह लेख, फोटो या विडियो तलाश किया हो उसी के जरिये आपकी चोरी भी पकड़ी जा सकती है। कई बार कुछ ब्लागों पर बडी दिलचस्प बातें नजर आती हैं। ब्लागर गूगल इमेजेज से फोटो का इस्तेमाल करके बतौर सावधानी नीचे साभार गूगल से लिख देते हैं। जबकि गूगल पर दिखने वाले सर्च नतीजों, फोटो वगैरह पर गूगल का कोई मालिकाना हक नहीं होता है। वे तो महज रेफरेंस के तौर पर दिए जाते हैं जिससे आप सही ठिकाने तक पहुंच सकें। आपको आभार उस वेबसाइट का जताना चाहिए जहां से गूगल ने उसे ढूंढा है।

बच्चों का अश्लील चित्रण : यह एक गंभीर साइबर अपराध है जिसमें अपराधी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का अश्लील चित्रण करके उनके वीडियो चित्र आदि कंप्यूटर पर डाल देते हैं। अगर आप जाने - अनजाने अपने इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा बच्चों के अश्लील चित्रण वाले चित्र वीडियो आदि देखते या उनसे संबन्धित अश्लील साहित्य पढते हैं तो ये एक साइबर अपराध है। और यदि इस सामग्री को अपने मित्रों आदि को फॉरवर्ड कर देते हैं तो आप साथ ही एक अन्य साइबर अपराध भी करते हैं। कई बार अपराधी छोटे बच्चों को चैट रूम के जरिए बहला फुसलाकर उनके अश्लील वीडियो बना लेते हैं और मंहगे दामों पर उन्हें बेचते है।

गूगल क्लिक फ्रॉड : इंटरनेट पर विज्ञापनों के बदले भुगतान की व्यवस्था थोडी अलग होती है। यह विज्ञापनों को क्लिक किए जाने की संख्या पर आधारित है। जैसे दस क्लिक यानी दो डॉलर या करीब 110 रूपये। ऐसे में कुछ लोग खुद ही अपने ब्लॉगों पर लगे विज्ञापनों को क्लिक करते रहते हैं या फिर कुछ दूसरे लोगों के साथ गठजोड़ कर लेते हैं। उन्हे पता नहीं कि इंटरनेट पर ऐसी फर्जी क्लिक की निगरानी रखी जा सकती है। इस तरह के क्लिक से बचें। यह बडा आर्थिक अपराध है और पता लगने पर आपके विज्ञापन तो बंद हो ही सकते हैं बल्कि आपको आर्थिक दंड देना पड़ सकता है अथवा कोई अन्य सजा भी मिल सकती है।

बैंडविड्थ की चोरी : कुछ लोग अपनी वेबसाइट पर दूसरी जगहों से ली गई भारीभरकम ग्राफिक फाइलें, कुछ एमबी के फोटो या विडियो आदि डालने के लिए शॉर्टकट अपनाते है। वे फाइलों को अपनी वेबसाइट पर सीधे नहीं डालते बल्कि ऑरिजनल वेबसाइट से ही उन्हें लिंक कर देते हैं। होता यह है कि विडियो या चित्र दिखता तो आपकी वेबसाइट पर है लेकिन असल में वह अपनी ऑरिजनल वेबसाइट पर ही लगा रहता है। आपके वेब सर्वर पर नहीं। यहां आप दो तरह के साइबर क्राइम करते हैं। पहला कॉपीराइट संबंधी और दूसरा बैंडविथ की चोरी। बैंडविथ की चोरी को ऐसे समझ सकते हैं। हर वेबसाइट को डेटा डाउनलोड का एक खास कोटा मिला होता है और इस सीमा से बाहर जाने पर उसके संचालक को अलग से पैसे का भुगतान करना होता है। जब आप किसी और की साइट पर मौजूद भारी भरकम विडियो को लिंक करके अपनी साइट पर लगाते हैं तो आपकी साइट पर आने वाले हर विजिटर के लिए वह विडियो ओरिजनल साइट से डाउनलोड होता है। डाउनलोड की इस प्रक्रिया में उसकी बैंडविथ खर्च होती है, जबकि आप अपनी बैंडविथ बचा लेते हैं। यह किसी अनजान व्यक्ति की जेब काटने जैसा है। हमेशा अपनी बैंडविथ ही खर्च करें दूसरों की नही।

वाईफाई का दुरूपयोग : जुलाई 2008 में अहमदाबाद बम विस्फोटों के बाद उनकी जिम्मेदारी लेते हुए आतंकवादियों ने जो ईमेल भेजा था, वह आपके हमारे जैसे ही किसी आम इंटरनेट यूज़र के वाईफाई कनेक्शन का इस्तेमाल करके भेजा था। जांच एजेंसियों ने पता लगाया कि यह ईमेल नवी मुंबई के एक फ्लैट में लगे वायरलैस इंटरनेट कनेक्शन के जरिये आया था। जाहिर है कि उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि जिस घर से मेल भेजा गया

वह किसी न किसी रूप में हमलावरों से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन इस फ्लैट में एक मल्टिनेशनल कंपनी में काम करने वाला अमेरिकी नागरिक केनेथ हैवुड रहता था। जब उससे पूछताछ की गई तब उसे समझ आया कि इंटरनेट कनेक्शन लगाने वाले इंजिनियर ने उससे क्यों कहा था कि उसे अपने वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड जल्दी ही बदल लेना चाहिए। दरअसल हैवुड के वाईफाई कनेक्शन में कोई सिक्योरिटी सेटिंग नहीं की गई थी और आस पास से गुजरता कोई भी व्यक्ति हैवुड के कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकता था। आतंकवादियों ने यही किया और हैवुड एक आतंकवादी मामले में गिरफ्तार होते होते बचा। अगर कोई अपराधी आपके इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए साइबर क्राइम करता है तो पुलिस उसे भले ही न ढूंढे पाये परन्तु आप तक जरूर पहुंच जायेगी और इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। अगर वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उसे पासवर्ड प्रोटेक्ट करना और एनक्रिप्शन का इस्तेमाल करना न भूलें।

वायरस स्पाईवेयर : अगर आपके कंप्यूटर पर किसी वायरस या स्पाईवेयर ने कब्जा जमा लिया है और वह जोम्बी में तब्दील हो गया है तो समझिए आप अपने कंप्यूटर और डेटा की असुरक्षा के साथ साथ साइबर क्राइम में भी फंस सकते है। मुमकिन है आप किसी परोक्ष साइबर क्राइम में हिस्सेदार बन रहे हों।

कुछ वायरस और स्पाईवेयर न सिर्फ आपके कंप्यूटर के डाटा और निजी सूचनाएं चुराकर अपने संचालकों तक भेजते हैं बल्कि आपके संपर्क में मौजूद दूसरे लोगों तक अपनी प्रतियां पहुंचा देते हैं। कभी इंटरनेट के जरिये, कभी ईमेल के जरिये तो कभी लोकल नेटवर्क के जरिये। यदि किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में आपके जरिये वायरस या स्पाईवेयर पहुंचा और कोई बडा नुकसान हो गया तो उनकी नजर में दोषी आप होंगे। ऐसे मामलों में आप अपनी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कंप्यूटर में अच्छा एंटिवायरस (Antivirus), एंटिस्पाईवेयर (Antispyware) ओर फायरबॉल (Fireball) जरूर लगवाएं। ये सिर्फ आपकी साइबर सुरक्षा के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि इसलिए भी जरूरी है कि कहीं आप अनजाने में कोई साइबर अपराध न कर बैठें।

सॉफ्टवेयर पायरेसी : भारत में ज्यादातर कंप्यूटर यूजर किसी न किसी सॉफ्टवेयर का पाइरेटैड वर्जन (नकली रूप) इस्तेमाल करते है। चाहे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ऑफिस सॉफ्टवेयर सूइट हों या फिर ग्राफिक्स, पेजमेकिंग के सॉफ्टवेयर हों। ये अधिकतर पाइरेटेड होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना साइबर क्राइम के तहत आता है अत: हमेशा ऑरिजनल सॉफ्टवेयर ही यूज करें।

एटीएम फ्रॉड : कंप्यूटर द्वारा अन्य गंभीर प्रकार के आर्थिक अपराध करना भी संभव है। आजकल अधिकांश व्यक्ति पैसे निकालने के लिए एटीएम (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) का उपयोग करते है। अपने खाते से पैसे निकालने के लिए यूजर मशीन में अपना कार्ड डालता है तथा अपना पिन (व्यक्तिगत पहचान संख्या) दर्ज करता है। साइबर अपराधियों ने एटीएम कार्ड की चुंबकीय पट्टी पर दर्ज यूजर डाटा और उसके पिन की जानकारी के लिए साधन

विकसित कर लिए हैं। इसके द्वारा वह व्यक्ति द्वारा एटीएम से पैसे निकालने पर उसके कार्ड और पिन की जानकारी प्राप्त करके जाली कार्ड बना लेते हैं और इसका प्रयोग करके व्यक्ति के खाते से पैसे निकाल लेते हैं। 2002 में अंग्रजी दैनिक 'न्यूयोर्क टाइम्स' में खबर छपी थी कि अवैध तरीके से एटीएम की जानकारी प्राप्त करने वाले एक गिरोह द्वारा 21000 से अधिक व्यक्तियों के बैंक खातों से धन निकाला गया था। एटीएम जालसाजी करने का एक अन्य प्रभावी तरीका शॉपिंग मॉल आदि में एटीएम मशीन लगा देना है। ये मशीनें बैंक का भाग नहीं होती हैं। अपराधी आसानी से ऐसी मशीनें लगा सकते हैं जो वैधानिक मशीन जैसी दिखती हैं । पैसा देने की बजाय ये मशीनें यूजर के एटीएम कार्ड से जानकारी एकत्रित कर लेती हैं और जब व्यक्ति अपना पिन दर्ज कर देते हैं तो पैसों के स्थान पर मशीन खराब होने की पर्ची बाहर आ जाती है। चूंकि एटीएम से पैसे निकालने का चलन विश्वभर में बहुत बढ गया है अत: एटीएम फ्रॉड एक गंभीर अतंरराष्ट्रीय समस्या बन गया है। नीचे चित्र में विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों का प्रतिशत बताया गया है।

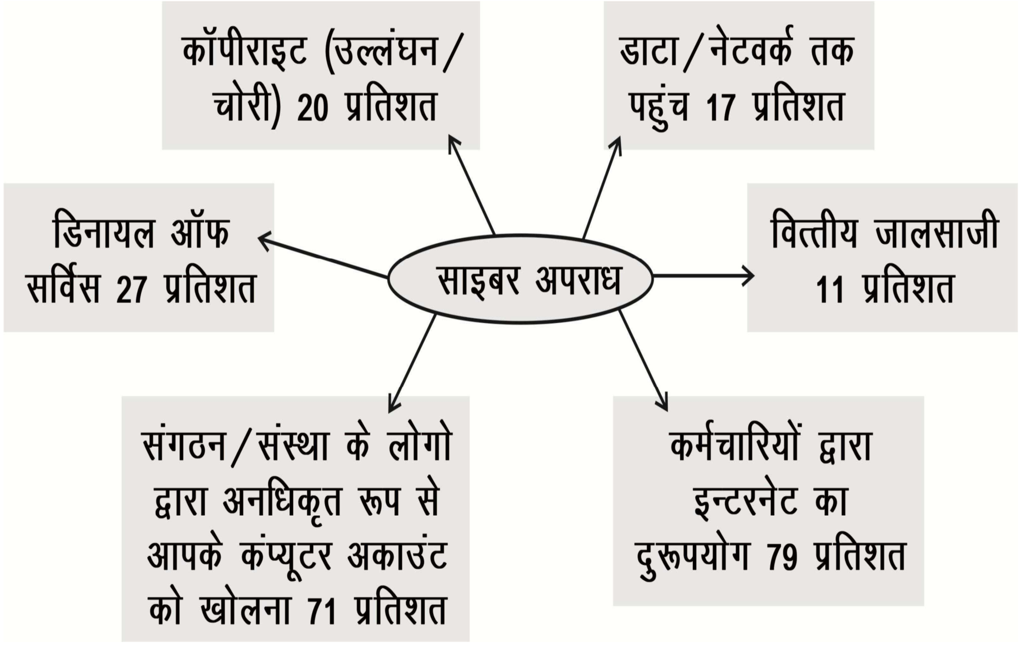

चित्र **1 :** सइबर अपराध घटनाओं का प्रतिशत स्रोत : एफ बी आई

16.6 साइबर आतंकवाद

सन् 2000 के बाद से सरकारी अधिकारियों और सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा विशेषज्ञों ने आतंकवादी गतिविधियों में इन्टरनेट के उपयोग की घटनाओं में बढोंतरी दर्ज की हैं। वर्तमान समय में सबसे बडी चिंता और सरोकार विदेशी खुफिया एजेंन्सियों अथवा अन्य समूहों की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिए साईबर आतंकवादियों द्वारा संगठित रूप से

अपराध करना है। ये अपराधी किसी सरकार या संगठन के कंप्यूटर, नेटवर्क, उनमें भंडारित सूचना आदि तक पहुंच के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं।

अक्सर हम समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों पर साइबर अपराध और आतंकवाद के विषय में पढ़ते सुनते रहतें हैं। सीमापार के आतंकवादी संगठन हैकिंग द्वारा अथवा अपने संगठन के कार्यकताओं को गलत पहचान पर दूसरे देशों में भेजकर किसी घटना को अंजाम देने से पहले वहां के बारे में पूरी जानकारी कंप्यूटर पर अपने सरगनाओं को भेज देते हैं जिससे उनके लिए कार्य करना आसान हो जाता है।

16.7 साइबर अपराध की श्रेणियां

सइबर अपराधों को व्यापक रूप से तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है -

1- व्यक्तिगत
2- आर्थिक
3- सरकारी

प्रत्येक श्रेणी में अपराधी अनेक तरीकों के द्वारा अपराध कर सकते हैं और ये तरीके श्रेणी और संलिप्त अपराधी के अनुसार भिन्न हो सकते हैं:

व्यक्तिगत : इस प्रकार के साइबर अपराधों में अश्लील चित्रण (पोर्नोग्राफी) अवैध व्यापार और किसी की व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी का पता लगाना आदि सम्मिलित हैं। वर्तमान में इन अपराधों की बढती संख्या के कारण कानून प्रर्वतन संस्थाएं इस प्रकार के साइबर अपराधों को बहुत गंभीरता से ले रहीं हैं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर इन अपराधियों को दंडित करने के लिए अभियान चला रही हैं।

आर्थिक : जिस प्रकार वास्तविक जगत में चोरी आदि सामान्य है वैसे ही साइबर जगत में भी ये अत्यधिक आसान और प्रचलित है। यहां अपराधी आपके बैंक खाते, आर्थिक स्रोतों, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि का दुरूपयोग करके आपके खाते से पैसे निकाल लेता है। आजकल ऑनलाईन खरीदारी का चलन बढ़ने से ठगी के मामलों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। कई कंपनियां धन दुगना करने अथवा फर्जी कंपनी आदि की वेबसाइट दिखाकर लोगों से वहां रोजगार का वादा करके पैसे ऐंठ लेती हैं। कई बार लोग अपनी मेहनत से अर्जित पूंजी इनके चक्करों में गवा देते हैं। अभी कुछ समय पहले ही उत्तरप्रदेश में पुलिस विभाग में साइबर अपराध का एक दिलचस्प मामला प्रकाश में आया था। जिसमें अपराधियों ने पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को हैक करके अनेक अधिकारियों के ईमेल और फोन नंबर की जानकारी प्राप्त कर ली और उनके उच्चाधिकारी के नंबर और मेल आईडी से उनसे संपर्क करके धन की मांग की। नीचे बॉक्स-1 में दैनिक सामाचार पत्र 'दैनिक जागरण' में 23 अक्टूबर 2013 को छपी खबर दी गई है जिसमें साइबर अपराधियों द्वारा दुनिया भर में लोगों से करोड़ो की ठगी से संबन्धित एक रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। इसमें सीमेटिक संस्था

द्वारा साइबर सुरक्षा से जुडी एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि भारत उन पांच श्शीर्ष देशों में से है जहां सबसे ज्यादा साइबर अपराध होते हैं।

सरकारी : यद्यपि सरकारी क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा के प्रति सचेत होने के कारण अन्य दोनों श्रेणियों की तुलना में साइबर अपराध कम होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ये अपराधी सरकारी वेबसाइटों से वांछित जानकारी प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। सरकारी और सैन्य दलों की गोपनीय और खुफिया जानकारी प्राप्त करके साइबर अपराधी अक्सर इसे आतंकवादियों को दे देते हैं, जिनकी सहायता से वो लोग फिर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। सरकारी और सैनिक आधिकारिक वेबसाइटों को हैक करने के अतिरिक्त उग्रवादी कंप्यूटर का उपयोग भ्रामक और उत्तेजक प्रचार करके शांतिव्यवस्था को भंग करने या आपसी सौहार्द के वातावरण को बिगाड़ने के लिए भी करते हैं। जैसे कि अभी सितंबर 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान देखा गया था जहां एक उत्तेजक वीडियो प्रकाशित होने के बाद ही हिंसा अधिक भड़की थी। सरकारी वेबसाइटों की हैकिंग अक्सर आतंकवादी संगठन अथवा अन्य ऐसे देशों की सरकारों द्वारा की जाती है जिनके उस देश के साथ अच्छे और मधुर संबन्ध नहीं होते हैं।

16.8 साइबर अपराध पर नियंत्रण के उपाय

ऐसा पाया गया है कि अधिकांश साइबर अपराधियों का एक नेटवर्क होता है जिसके द्वारा ये एक दूसरे के साथ सहयोग और संपर्क में रहते है। वास्तविक जगत के अपराधियों के विपरीत ये अपराधी एक दूसरे के साथ झगड़ते अथवा दुश्मनी नहीं करते हैं बल्कि ये अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और नए अवसर प्रदान करके एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। इसलिए साइबर अपराधियों पर हम उन तरीकों से नियंत्रण नहीं कर सकते हैं जैसे अन्य अपराधियों के साथ करते हैं। यद्यपि कानून प्रवर्तन संस्थाएं साइबर अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए प्रयास कर रहीं हैं। लेकिन ये एक जटिल और दुष्कर कार्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीकों और तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत तेजी से परिवर्तन होते रहते हैं और कानून प्रवर्तन

बॉक्स-1

साइबर अपराधियों ने लगाया 24 हजार करोड़ का चूना

नई दिल्ली, प्रेट्र: साइबर अपराधी इंटरनेट पर लोगों को जमकर चूना लगा रहे हैं। अकेले 2013 में ही ये लोग अब तक भारत को 4 अरब डॉलर यानी करीब 24,630 करोड़ रुपये की चपत लगा चुके हैं। यह खुलासा साइबर सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ी संस्था सिमैंटेक ने अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट ने भारत को साइबर अपराधियों के निशाने पर रहने वाले शीर्ष पांच देशों में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोनधारक आसानी से इनका शिकार हो रहे हैं।

सिमैंटेक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में साइबर अपराध का शिकार हुए लोगों को अगस्त 2012 में जहां औसतन 207 डॉलर का चूना लगा था, वहीं जुलाई 2013 में यह बढ़कर 192 डॉलर हो गया। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले वर्ष के मुकाबले इंटरनेट पर इस वर्ष भारतीयों को 8 फीसद अधिक चूना लगा। सिमैंटेक अपनी नॉर्टन रिपोर्ट के जरिए पूरी दुनिया में साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों के आंकड़े जुटाकर इससे पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करती है। इस वर्ष रिपोर्ट साइबर अपराधियों का शिकार हुए 24 देशों के 13,000 लोगों की आपबीती पर तैयार की गई है। इसमें भारत के भी 1000 लोग शामिल हैं।

संस्थाओं द्वारा इन परिवर्तनों के अनुसार इतनी तत्परता से कानून बनाना और उसे लागू करना संभव नहीं होता है। इसीलिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सरकारी संगठनों को अपनी सुरक्षा के लिए अन्य सुरक्षा उपायों जैसे एन्टीवायरस आदि का उपयोग करना पडता है। यदि हम तकनीकी के विकास का लाभ लेना चाहते हैं तो हमें स्वयं भी सजग और सतर्क रहना होगा और कंप्यूटर के प्रयोग में उचित सावधानी बरतनी होगी। तभी साइबर अपराधों पर नियंत्रण संभव हो सकता है।

16.9 सारांश

साइबर अपराध अनेक प्रकार के होते हैं जिनमें पहचान की चोरी, इन्टरनेट द्वारा जालसाजी कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन करके दूसरों की लेखन सामग्री की नकल अथवा चोरी, हैकिंग, कंप्यूटर वाइरस और स्पैम आदि सम्मिलित हैं। अनेक साइबर अपराध तो महज उन विद्यमान आपराधिक क्रियाकलापों का विस्तार हैं जिनके लिए कंप्यूटर और नेटवर्क का प्रयोग अपराध स्थल की भौगोलिक स्थिति, व्यक्ति की जानकारी उसके बैंक खाते आदि सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

यद्यपि कंप्यूटर और इन्टरनेट, अत्यधिक महत्वपूर्ण तकनीकी विकास है, जो अनेक तरीकों से समकालीन समाज को लाभ पहुंचाते हैं। जहां इन साधनों का प्रयोग सज्जन व्यक्ति सामाजिक और स्वयं के उत्थान के लिए करते हैं वहीं दुर्जन या आपराधिक मनोवृत्ति के व्यक्ति इनका प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों, गैरकानूनी कार्यों ओर निजी स्वार्थी के लिए करते हैं।

16.10 अभ्यास प्रश्न

1. साइबर अपराध क्या है? इसके प्रमुख कारणों को बताइए?
2. विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के विषय में विस्तार से लिखिए।
3. साइबर अपराध की विभिन्न श्रेणियों के बारे में बताइए।
4. साइबर अपराधों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।

16.11 संदर्भ ग्रंथ

1. en.wikipedia.org/wiki/computer_crime
2. www.flsi.gov./about_us/investigate/cyber
3. www.webopedia.com/TERM/C/cyber_crime.html
4. Timesof india/indiatimes.com/topic/cyber_crime
5. www.cybercitizenship.org/crime/crime.html
6. www.ccmostwanted.com
7. Cybercellmvmbai.gov.in

इकाई – 17

आदेश प्रबन्धन-संदर्भ

इकाई की रूपरेखा

17.0 उद्देश्य

17.1 प्रस्तावना

17.2 आदेश/निर्देशन प्रबन्ध की अवधारणा

17.3 आदेशन/निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषाऐं

17.3.1 निर्देशन का अर्थ

17.3.2 आदेशन/निर्देशन की परिभाषाऐं

17.4. अच्छे आदेश/निर्देशन प्रबन्ध की परिभाषाऐं

17.4.1आदेशन/निर्देशन प्रबन्ध की प्रकृति

17.5 आदेश/निर्देशन प्रबन्ध के अंग, क्षेत्र अथवा तकनीकें

17.5.1. आदेश/निर्देश

17.5.2. पर्यवेक्षण/निरक्षण

17.5.3. नेतृत्व

17.5.4. अभिप्रेरण

17.5.5. सम्प्रेषण

17.5.6. समन्वय

17.5.7. मार्गदर्शन

17.5.8. नियंत्रण

17.6. आदेशन/निर्देशन के विविध सिद्धान्त एवं महत्ता।

17.6.1.आदेशन निर्देशन के विविध सिद्धान्त

17.6.2. आदेश की एकता का सिद्धान्त

17.6.3. अनुवर्तन का सिद्धान्त

17.6.4. उदार पर्यवेक्षण का सिद्धान्त

17.6.5. रबुले नेतृत्व का सिद्धान्त

17.6.6. प्रभावी संचार का सिद्धान्त

17.6.7. सतत् सजगता का सिद्धान्त

17.6.8. अधिकतम योगदान का सिद्धान्त

17.6.9. संवाद का योग्यता का सिद्धान्त

17.6.10. अनौपचारिक योगदान समूहो का सिद्धान्त

17.6.11. उपयुक्त निर्देशन तकनीक का सिद्धान्त

17.6.12. आदेशन/निदेशन की महत्ता

17.7 प्रबन्ध की अवधारणा

17.7.1. प्रबन्ध की परिभाषा

17.7.2. प्रबन्ध के लक्षण

17.7.3.प्रबन्ध के क्षेत्र

17.8 प्रबन्ध के विभिन्न कार्य

17.9. प्रबन्ध के विभिन्न सिद्धान्त

17.10. प्रबन्धकीय आदेश/निर्देशन की व्यूहरचनाएँ

17.11. हैनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित आदेश (कमान) के नियम।

17.12. प्रबन्ध, प्रशासन और संगठन में अंतर।

17.13. अभिशासन (सुशासन) की अवधारण एवं आयाम।

17.14. केन्द्रीयकरण एवं विकेन्द्रीकरण प्रशासन में प्रभेद

17.15. नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबन्ध की अवधारणा एवं इनमें अन्तर।

17.16. लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की अवधारणा एवं इनमें अन्तर।

17.17 सारांश

17.18. प्रयुक्त शब्दावली

17.19. अभ्यास प्रश्न

17.20. संदर्भ ग्रंथ

17.0 उद्देश्य

इस इकाई में विवेचित की गई अध्ययन-सामग्री का गहन अवलोकन करने के उपरान्त आप-

- आदेश/निर्देशन प्रबन्ध की अवधारणा के अन्तर्गत इसके अर्थ, परिभाषाओं, लक्षणों, क्षेत्रों और तकनीकों के बारे में सुविज्ञ हो सकेंगे।
- आदेश प्रबन्धन के संदर्भों में इसकी उपादेयता, महत्व एवं विविध सिद्वान्तों के बारे में सुपरिचित हो सकेंगे।
- प्रबन्ध के संप्रत्यक्षों में इसके तात्पर्य, परिभाषाओं, विविध तत्वों और प्रचलित सिद्वान्तों व कार्यों की भली प्रकार से जानकारी हासिल कर सकेंगे।
- प्रबन्ध, प्रशासन और संगठन सम्बन्धी बारिकी तथा प्रबन्ध, प्रशासन विधि एवं न्याय व्यवस्था के बारे में अपनी ज्ञान-पिपासा को पूर्णतया शांत कर सकेंगे।
- शासन, प्रशासन और प्रबन्धन में प्रयुक्त विधाओं जैसे केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण नवलोक प्रशासन एवं लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन की बारिकियों को समझने के बाद इनके परस्पर अन्तरों को जान सकेंगे।
- कुशल एवं विशाल क्षेत्रों के आदेश-प्रबन्ध-प्रसंगों के लिए अपेक्षित अच्छे गुणों के बारे में अपनी समझ को परिपक्व कर सकेंगे।

17.1 प्रस्तावना

प्रबन्ध आदेश मूलत: व्यक्ति के साथ मिलकर कार्य करने तथा उनके कार्यों को आदेशित या निर्देशित करते हुए उनसे कार्य लेने की कला है। किसी भी संस्था/विभाग/मंत्रालय में नियोजन एवं संगठन का कार्य पूरा कर लेने के पश्चात प्रबन्ध का वास्तविक कार्य संस्था को संचालन प्रारम्भ करना होता है। इसके लिए शासकों एंव प्रशासकों के अपनी प्रबन्धकीय कला अपनाकर अपने कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना होता है। कई विद्वानों ने आदेश/निदे्रशन को प्रबन्ध किया है। निर्देशन में मुख्यत: संचार, अभिप्रेरण, नेतृत्व व प्रर्यवेक्षण शामिल का मुख्य कार्य माना है। इसे प्रबन्ध का क्रियातंत्र कहा जाता है। यह किसी भी संस्था में कार्यवाही की शुरू करने की प्रक्रिया है। जार्ज टेरी ने आदेश/निर्देशन को गति देना माना है। एक पुलिस एवं सुरक्षा अधिकारी को अपने विभाग की सुरक्षा एवं संरक्षा करने के साथ विभिन्न विधानपालिका, कार्यपालिका, खबरपालिका, और जनपालिका, के अनेक प्रसारित और प्रकाशित करवाए गये आदेशों कें संदर्भ में उनकी परिपालना सुनिश्चित करन हेतु आदेश-प्रबन्धन को अपने विभागीय कार्यशैली में अपनाए जाने की नितान्त आवश्यकता पड़ती रहती है। खासकर न्यायालयों द्वारा दिये गए अनेक फैसलों में प्रतिपादित किये गये महत्वपूर्ण आदेशों और निर्देशों को अमलीजामा पहनाना पड़ सकता है। एक पुलिस और सुरक्षा बलों के अधिकारीगण एवं कर्मियों को न्यायालयों द्वारा जारी किए गए समनों और अधिपत्रों (वारण्ट्स) की तामील करवानी आज्ञापक आदेश/निर्देश के अन्तर्गत रखा गया है। सर्वोच्च, उच्च और निम्न/विचारण न्यायालयों के आदेशों की पालना की

सहायता करने के लिए पुलिस संरक्षा और सुरक्षा अधिकारियों तथा सुरक्षा बलों के जवानों व सिपाइयों को ड्यूटी पर तैनात किया जाने की व्यवस्था भी प्रबन्धन या इंतजाम के निर्देशन/आदेश अन्तर्गत शामिल की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की दण्ड-प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 36 शक्तियों को उपयोग में लेना अपेक्षित किया गया है। पुलिस थाने में भारसाधक अधिकारी को अपने स्थानीय क्षेत्र में अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, मजिस्टेटों और न्यायाधीशों के विभिन्न आदेशों/निर्देशों की त्वरित गति से अविलम्ब इंतजाम करने की आज्ञापक व्यवस्था की गई है।

एक पुलिस या सुरक्षा अधिकारी या जवान (फौजी) को न्यायालयों की सहायता के लिए निम्न पुख्ता-इंतजाम करने पड़ते हैं। 1. मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश के आदेश की परिपालना करना 2. आरोपी या अभियुक्त व्यक्तियों के निकल भागने से रोकने के लिए उन्हें पकड़कर गिरफतार करना 3. परिशांति भंग का निवारण या दमन करना 4. किसी सार्वजनिक स्थल, सम्पति, रेल, नहर, तार या लोक सम्पति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण करना 5. न्यायालयों द्वारा जारी किये सम्मानों और वारण्टों के निष्पादन को पूरा करने के लिए तामिल करवाना 6. अपने सुरक्षा इलाके में रात्रि को समुचित गश्त का इंतजाम करना 7. विभिन्न विभागों के पदस्थापित किए कर्मचारीगण या अधिकारीगण के चरित्र एवं शैक्षणिक योग्यताओं का सत्यापन करना 8. अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों, मंत्रियों, संवैधानिक पद धारणा करने वाले अधिकारीगण की सुरक्षा का इंतजाम करना 9. किसी दुर्घटना में आहत व्यक्तियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था करना 10. शहीदों के ताबूतों को उनकी मातृभूमि स्थल पर पहुंचाने का इंतजाम 11. देश की बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाना 12. राष्टीय ध्वज के सम्मानार्थ की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था करना 13. निर्वाचन के समय अपनी ड्यूटी देना 14. देश की सम्प्रभुता एकता व अखण्डता को बनाये रखने में सहायता करना 15. देश और विदेशों में प्राकृतिक प्रकोपों और आपदाओं के समय कर्तव्यों की पालना सुनिश्चित करना 16. आकस्मिक और अप्राकृतिक या सन्देहजनक परिस्थितियों मौत होने पर लाशों व शव परीक्षण करवाना 17. देश में फैलते साम्प्रदायिक हिंसा और दंगों के निवारण में सहायता करना 18. लापता लाशों की क्रियाकर्म सम्पन्न करवाना 19. अपराधों के अन्वेषण तथा महत्वपूर्ण कार्यो और आदेशों इत्यादि निदंशों के सदर्भ में इंतजाम करने पड़ते हैं। इसमें आदेश-प्रबन्धन के प्रसंगों को दृष्टिगत रखते हुए इस इकाई के उद्देश्यों में दर्शायी गई महत्वपूर्ण अवधारणाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की भली प्रकार से स्पष्ट किया जायेगा।

संगठन एक सामाजिक प्रणाली है। प्रशासन एक सरकारी शासन चलाने के लिए शासनतंत्र है तथा प्रबन्ध एक नवीन विषय है। प्रबन्ध की जटिल एवं अमूर्त प्रकृति के कारण भी इसके कई अर्थ प्रचलित हो गये है। प्रबन्ध प्राथमिक रूप से सूत्रों व मिश्रणों का विषय न रहकर व मानव तत्व को महत्व दिया जाने लगा है। प्रबन्ध का आशय अन्य लोगों से कार्य लेने की

कला है। विस्तृत अर्थ में प्रबन्ध से आशय निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय व्यवहार एवं क्रियाओं का निर्देशन/आदेशन करने से ही है। प्रबन्ध के अन्तर्गत मानव शक्ति के साथ-साथ सामग्री, मुद्रा, बाजार और मशीनें सम्मिलित की गई है। उत्पाद या निर्माण के घटकों में भूमिश्रम, पूंजी, साहस उधामिता तथा यंत्र शामिल किये गये हैं। आदेश-प्रबन्धन के अन्तर्गत इन सभी की सुव्यवस्था एवं सुसंचालन संभालना अपेक्षित किया जा सकता है। प्रबन्धन में नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियत्रंण, समन्वय, पर्यवेक्षण, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, मनोबल, अनुशासन, परिवदेना और निर्णयन की सहायता लेकर वांछित लक्ष्य हासिल किया जा सकता है यही प्रबन्धन आदेशन का सार है। इसमें न्याय का प्रबन्ध न्यायाधीशों और सुरक्षा का प्रबन्ध पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों द्वारा किया जाता है।

17.2. आदेशन/निर्देशन प्रबन्ध की अवधारणा

आदेश या कमान या समादेश के निर्देशन की एकता में कमाण्ड शब्द महत्वपूर्ण है। वस्तुत: आर्डर, डायरेक्ट तथा कमाण्ड एक समान प्रतीत होते हैं। आदेश एक सशक्त शब्द है जो प्राधिकारी की अपेक्षा से जुड़ा है कि अधीनस्थ उसका पालन करें। इन्सट्रेक्ट या डायरेक्ट कार्य करने के सम्बन्ध में सुझावानात्मक स्थिति को बताते है जबकि कमाण्ड समावेश शब्द मुख्यत: सैन्य प्रशासन में पयुक्त किया जाता है। यहां नियत्रंण, अनुशासन तथा आज्ञाकारिता सर्वोच्च मानी जाती है। यदि संगठन में किसी कार्मिक को एकाधिक आदेशों की स्थिति में उलझन तथा आज्ञाकारिता सर्वोच्च मानी जाती है। यदि संगठन में किसी कार्मिक को एकाधिक आदेशों की स्थिति में उलझन या भ्रम की स्थिति में आ जाएगा। 1. आदेश की एकता का नियम ‘पद सोपान व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। 2. किसी भी कार्मिक को निकटस्थ अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। 3. यह सता, उतदायित्व तथा नेतृत्व को स्पष्ट करता है। इसमें संगठन में सता के सूत्रों के क्रम में स्पष्टता आ जाती है। प्रत्येक कार्मिक यह जानने लग जाता है कि उसे किससे आदेश प्राप्त होगें या आदेश लेने है ताकि वह आदेश के प्रति उतरदायी भी होगा। इससे कार्यों आदेशों तथा नेतृत्व का दोहराव नहीं होता है अत: अनुशासन और नियंत्रण भी अच्छे ढंग से किया जा सकता है। आदेश की एकता से जोड़तोड़ करने वाले एक-दूसरे को भड़काने एवं भिड़ाने वाले कार्मिकों की गतिविधियों पर अंकुश बनाए रखते हेतु यह आदेश प्रबन्धन की अवधारणा आवश्यक बन जाती है।

17.3. आदेशन/निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषाएँ

वैज्ञानिक प्रबन्ध के पितामाह डब्ल्यू. टेलर तो आदेश की एकता को सिद्धान्त को सैन्य पद्धति मानते हैं तथा इसके स्थान (1) गुट नेता (2) गतिनेता (3) निरीक्षण नेता (4) मरम्मत

नेता (5) कार्य की व्यवस्था व मार्गलिपिक (6) निर्देशन कार्ड लिपिक (7) समय और लागत लिपिक (8) कारखाना अनुशासनकर्ता को शामिल किया गया है। इसमें प्रथमचार पर्यवेक्षक कारखाना मे विशिष्ट कार्यक्षेत्र में निर्देशन/आदेशन देते हैं तथा शेषचार बाहरी क्षेत्र में निर्देश जारी करते है। आदेश की अनेकता से श्रम विभाजन होता है। इससे क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अत: आदेश की एकता की धारणा को हम इस बात के साथ तालमेल बैठना होगा कि निगरानी और नियंत्रण का काम दोहरा अर्थात तकनीकी और प्रशासनिक हो सकता है।

17.3.1 निर्देशन का अर्थ :

निर्देशन/आदेशन, प्रबन्ध का अन्तर व्यक्तिगत पक्ष है, जिसके द्वारा उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अधीनस्थों को अपना कुशल और प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।आदेश्न की प्रक्रिया लोगों को संगठन के साथ एकीकृत करने की जरूरत पड़ती है। संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में कर्मचारियों द्वारा वैयक्ति रूप से और समूह-सदस्यों के रूप में अपनी योग्यता और प्रयासों से उतना योगदान दिया जाता है। जितना उन्हें यह प्रतीत होता है कि इससे वे अपने स्वयं के व्यक्ति व समूह-लक्ष्यों को हासिल कर सकेंगे।

17.3.2 आदेशन/निर्देशन की परिभाषाऐं:

1- कूण्ट्ज और ओ.डोनेल के मतानुसार ''अधीनस्थों के मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबन्धकीय कार्य ही निर्देशन'' है।

2- डिमोक के अनुसार ''निर्देशन-कार्य प्रशासन का हृदय है। जिसके अन्तर्गत कार्यक्षेत्र का निर्धारण-आदेशित व निर्देशित करना एवं गतिशील नेतृत्व प्रदान करना शामिल है।

3- थियों हैमन के विचारनुसार ''निर्देशन के अन्तर्गत उस प्रक्रिया एवं तकनीकों को शामिल किया जाता है जिसका उपयोग निर्देश देने तथा यह देखने के लिए होता है कि क्रियाएँ मूल योजना के अनुरूप हो रही है।

4- पिफनर एवं प्रेस्थस के शब्दों में ''आदेश की एकता की अवधारणा का तात्पर्य यह है कि किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक और केवल एक नेता के प्रति ही उतरदायी होना चाहिए''।

5- आदेश की एकता के प्रबल समर्थक हेनरी फेयोल के मतानुसार ''यह वह सिद्धान्त है जो यह मानता है किसी कर्मचारी को केवल एक निकटतम उच्चाधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए''।

17.4 अच्छे आदेश/निर्देशन प्रबन्ध की परिभाषाऐं

संघर्ष, मतभेद एवं विवाद प्रत्येक संगठन का हिस्सा होते है। कोई भी संस्था संघर्षो का पूर्णत: निराकरण नहीं कर सकती है। परम्परावादी प्रबन्धक संघर्ष को संगठन के लिए घातक एवं विनाशकारी मानते थे। संघष संगठन के अस्तित्व के साथ जुड़े हैं। संघर्ष दो पक्षकारों के मध्य हितों विचारों एवं दृष्टिकोण की टकराहट है। संघर्ष के उन्मूलन के लिए हमें अच्छे आदेशों और निर्देशों के आवश्यक लक्ष्णों पर गौर करना चाहिए। अच्छे आदेश व निर्देश स्पष्ट बोध, प्रवर्तनीय तथा ह्रदयग्राही होते हैं। वे उपयुक्त समय पर यथोचित व्यक्ति को यथायोग्य भाषा में दिए जाते हैं। अच्छे आदेशों व निर्देशों के आवश्यक लक्षण निम्नांकित है:-

1- यह आदेश और निर्देश यथोचित और प्रवर्तनीय होने चाहिए।
2- यह आदेश और निर्देश प्रबन्ध प्रसंग के अनुरूप स्पष्ट व पूर्ण होनी चाहिए।
3- यह आदेश और निर्देश लिखित में होने चाहिए।
4- यह सत्ता, उत्तदायित्व तथा नेतृत्व को स्पष्ट करता है।
5- इन आदेशों और निर्देशों का उद्देश्य गतिशील नेतृत्व प्रदान करना होना चाहिए।
6- इसका आशय सहयोग प्राप्त करना हो न कि अधीनस्थों के प्रतिरोध को उकसाना हो।
7- आदेश/निर्देश के पालन को सुनिश्चित बनाने के लिए प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होनी चाहिए।
8- यथा संभव आदेश देने की पीछे कारणों की भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।
9- आदेश की एकता का नियम' पदसोयान व्यवस्था से जुड़ा हुआ होता है।

पार्ल पिगर्स ने आदेश-प्रबन्ध की प्रक्रिया में निहित निम्न सात चरणों का उल्लेख किया है।

(1) योजना (2) तैयारी (3) आदेश देना (4) आदेश की प्राप्ति (5) कार्यारम्भ तथा (6) जांच (7) मूल्यांकन आदि को स्पष्ट किया है। आदेश देने में उसका प्रबन्धन करते समय तारतम्य एकरूपता और सामंजस्य के साथ मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। आदेश के पश्चात् प्रतिआदेश, स्थानापन्न आदेश, व्याख्यात्मक आदेश, उप-आदेश, कमान आदेश तथा मतव्य आदेश आदि दिए जा सकते हैं। इन सभी आदेशों का यथायोग्य समाकलन तथा अभिलेख किया जाना चाहिए, ताकि समय-समय पर उनका निर्देशानुसार उपयोग किया जा सके। इस तरह निर्देशन या आदेशन का कार्य लोगों को संगठन के साथ एकीकृत करने या जोड़ने से सम्बन्धित है। जिससे कि उनके संकल्प या उत्साहपूर्वक सहयोग से संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति बेहतर से बेहतर की जा सके।

17.4.1 आदेशन/निर्देशन प्रबन्ध की प्रकृति

प्रकृति के सम्बन्ध में निम्न लक्षण महत्वपूर्ण व्यक्त किए गये हैं यथा- 1. निर्देशन/प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। 2. निर्देशन प्रबन्ध का प्रभावकारी क्रियातंत्र होता है। 3. निर्देशन एक सम्बन्धकारी या संयोजनकारी होता है। 4. निर्देशन प्रबन्ध का एक व्यापक कार्य है। जिसमें आदेश-निर्देश, मार्गदर्शन, अभिप्रेरण, पर्यवेक्षण, सम्प्रेषण एवं समन्वय आदि उपकार्य सम्मिलित हो जाते है। 5. निर्देशन सर्वव्यापक क्रिया होने के कारण संस्था के प्रत्येक स्तर/उच्च प्रबन्धक से लेकर पर्यवेक्षीय प्रबन्धक तक सभी को व्यवसाय, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं में भी करना पड़ता है। (6) निर्देशन में मार्गदर्शन तथा अभिप्रेरण के द्वारा व्यक्तियों का विकास किया जाता है। (7) कार्यवातारण का कर्मचारियों में निर्माण का वातावरण तैयार किया जाता है। (8) निर्देशन मानवीय संसाधनों से सम्बन्धित होता है। (9) निर्देशन का सार निष्पादन है, यह योजनाओं का निष्पादन एवं परिणामों में परिवर्तन करने वाला कार्य है। (10)निर्देशन के अन्तर्गत संस्था और कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए दोहरा उद्देश्य रखता है। (11) निर्देशन कार्य में आदेश-निर्देश, नेतृत्व, मार्गदर्शन, निरीक्षण, अभिप्रेरणा एवं समन्वय आदि का समावेश होता ह। (12) निर्देशन आपसी सम्बन्धों की स्थापना के लिए सहयोग निर्माण पर बल देता है। (13) निर्देशन एक सतत् क्रिया है। (14) यह एक-दिवसीय प्रक्रिया नहीं और न ही एक चरणीय या एकल आदेश किया जाता है।

17.5 आदेशन या निर्देशन के अंग, क्षेत्र अथवा तकनीकें

17.5.1. आदेश/निर्देश: आदेश/निर्देश प्रबन्धक के प्राथमिक उपकरण है। आदेश-निर्देशों का संस्था के संचालन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनके बिना प्रबन्धक-मार्गदर्शन में वह अपनी शक्ति का समुचित उपयोग नहीं कर सकता है। एक प्रबन्धक सर्वप्रथम आदेश-निर्देश प्रसारित करके ही कार्य को शुरू करता है। इसके द्वारा वह अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण रख पाता है। आदेशों और निर्देशों द्वारा ही प्रबन्धकों के निर्णयों और नीतियों को सम्पूर्ण संगठन में पहुँचाया जाता है। इनका प्रवाह प्राय: उच्च स्तरों से निम्न स्तरों की ओर होता है। इसके द्वारा प्रबन्धक कर्मचारियों के कार्य, अधिकार, दायित्व, कर्तव्यों और कार्यक्षेत्र क्या रहेगा उन्हें किन साधनों का प्रयोग करना है तथा उन्हें किन-किन नियमों की किस तरह से पालना करनी है, इत्यादि को स्पष्ट करता है। इसलिए आदेश-निर्देशन उचित पूर्ण एवं स्पष्ट होने चाहिए। आदेशों की भाषा एवं स्वरूप उसके मातहत कर्मचारियों की बौद्विक स्तर के अनुकुल होनी चाहिए।

17.5.2. पर्यवेक्षेण/निरीक्षण: पर्यवेक्षण/निर्देशन आदेशन का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। इसमें कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन का निरीक्षण करना भी जरूरी होता है। पर्यवेक्षण के अन्तर्गत प्रबन्धक अपने अधीनस्थों के कार्यो की देखभाल करता है। कार्यों को पुर्वनिर्धारित योजना/नियोजन के अनुसार कराने के लिए कार्य तय करता है। योजनानुरूप कार्य नहीं होने

पर प्रबन्धक उनमें सुधार करने के आवश्यक मार्गदर्शन एवं निर्देश होता है। पर्यवेक्षक द्वारा बनाई गई जारी किए गए आदेशों और निर्देशों को स्पष्ट करने के लिए व्याख्या करता है। पर्यवेक्षक अपने कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान भी करते है। उनके कार्य के मनोबल को बनाए रखता है। पर्यवेक्षीय प्रबन्धकों का संचालनकीय स्तर पर सक्रिय मार्गदर्शन करना संस्था के लक्ष्यों को हासिल कराने में बहुत कारगर सिद्व हो सकता है।

17.5.3. नेतृत्व : नेतृत्व सचमुच में निर्देशन का ही अभिन्न भाग होता है। आमजन तो नेतृत्व को ही निर्देशन/आदेशन समझते है। प्रत्येक संस्था में अनेक अवसरों पर कर्मचारियों के उचित मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व की जरूरत पड़ती है। नेतृत्व के द्वारा कर्मचारियों का कार्य के प्रति परस्पर निष्ठा, लगन और उत्साह बना रहता है। नेतृत्व निर्देशन प्रक्रिया का एक रचनात्मक एवं प्रावधान घटक होने के साथ-साथ एक वैयक्ति कला एवं शक्ति भी होता है। इस कला और शक्ति के प्रयोग द्वारा एक प्रबन्धक अपने कर्मचारियों के व्यवहार एवं उनकी क्रियाओं को प्रभावित्त करते हुए उन्हें उचित मार्गदर्शन भी देता है। कर्मचारियों के नेता अपने अधीनस्थों को संस्था के उद्देश्यों के पूर्ति कराने के लिए उत्प्रेरित करता है। इसलिए बिना नेतृत्व के संगठन के लक्ष्यों को आसानी से नहीं प्राप्त किय जा सकता है। नेतृत्व के बगैर एक संगठन व्यक्तियों और मशीनों का एक भ्रममात्र होता है। नेतृत्व क्रियाओं में 1. निर्देशन 2. अभिप्रेरणा 3. मध्यस्थता 4. परामर्श 5. उद्देश्य 6. कार्यशक्ति प्रदान करना 7. सुरक्षा प्रदान करना 8. मनोबल व आत्मविश्वास का निर्माण 9. प्रतिनिधित्व करना 10. परिवर्तनों का लागू करना 11. समूह भावना का विकास तथा 12. मान्यता दिलवाने के कार्य आदि शामिल किए गए है।

17.5.4. अभिप्रेरण: निर्देशन के अन्तर्गत प्रबन्धक अपने कर्मचारियों को सहभागिता, मानवीय व्यवहार, अच्छे कार्यो को मान्यता और विकास के समुचित अवसर आदि प्रदान करके उनको अभिप्रेरित करता है। अभिप्रेरण के लिए प्रबन्धक वित्तीय तथा अवित्तीय, सकारात्मक एवं नकारात्मक सभी तरफ के साधनों को अपनाते हुए कर्मचारियों का हौसला-अफजाई करते रहते हैं। निर्देशन को तकनीक के रूप में अभिप्रेरणा अधीनस्थ कर्मचारियों की भावनाओं इच्छाओं को सन्तुष्ट करके उनमें संगठन लक्ष्यों की पूर्ति कराने हेतु उत्साह जाग्रत करने की प्रक्रिया है। निर्देशन के अन्तर्गत केवल आदेश-निर्देश देना ही शामिल नहीं है, अपितु अधिकारियों की शिकायतों, कठिनाईयों तथा जरूरतों को समझते हुए उनमें परस्पर सहज सहयोग, उत्साह एवं आत्मविश्वास की भावना और आकाक्षाएं जाग्रत करनी होती है।

17.5.5. सम्प्रेषण: निर्देशन के लिए सम्प्रेषण अति जरूरी होता है। कुशल सम्प्रेषण मौखिक, लिखित, इशारों, शारीरिक भाषा से पूरा किया जा सकता है। इसमें संदेशकर्ता तथा संदेशगृहिता का तथा संदेश सम्प्रेषण में स्पष्टता, ध्यानाकर्षण, एकात्मकता तथा औपचारिकता की पूर्ति करना आवश्यक होता है। इसमें परामर्श, भावनात्मक अपील, विषय-वस्तु का ज्ञान, अनुकूलता, पर्याप्त, समयानुकुलता, अच्छे नेतृत्व, श्रवणशक्ति, लॉच

और प्रतिपुष्टि के तत्वों का होना जरूर है। कुशल संचार प्रणाली के द्वारा प्रबन्ध को कर्मचारियों के मतों, सुझावों, कार्यों, विचारों तथा शिकायतों इत्यादि का ज्ञान हो जाता है। उचित सम्प्रेषण व्यवस्था से उन्हें आवश्यक आदेश-निर्देश भी दिए जाते हैं। कुशल सम्प्रेषण प्रबन्ध की प्रजातांत्रिक शैली के विकास में भरपूर सहायक होता है। बेहतर सम्प्रेषण माध्यमों के द्वारा प्रबन्धकों को उनके निर्देशन में कार्य संपादित करवाने में सही सहायता मिलती है।

17.5.6. समन्वय: यह भी निर्देशन प्रक्रिया का एक प्रमुख भाग है। इसके द्वारा कर्मचारियों की क्रियाओं के मध्य में बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकता है। समन्वय को प्रबन्ध का सार बताया गया है। किसी संस्था के सफल संचालन के लिए अपेक्षित किया गया है कि उसके समस्त अंगों और विभागों में परस्पर सामंजस्य होना चाहिए। समन्वित इकाई एक अच्छे निर्देशन की सूचक होती है। समन्यव एक मानवीय क्रिया होती है। इसमें पारस्परिक त्रुटियों, संदेहों तथा भ्रमों का निवारण करके उनके कार्यों में उचित तालमेल रखा जा सकता है। समन्वय की स्थापना हेतु एक कुशल प्रबन्धक को अपना आदर्श व्यवहार अपनाते हुए परस्पर सौंहार्द्र, भाईचारा और सामंजस्य को बनाये रखना संगठन की सफलता के लिए मुख्य घटक है।

17.5.7. मार्गदर्शन : बेहतर मार्गदर्शन के लिए बढ़िया निर्देशन/आदेशन का होना सर्वश्रेष्ठ है। कुशल निर्देशन हेतु उचित मार्गदर्शन-बिन्दुओं का होना तथा सही मार्गदर्शन देने के लिए निर्णयन को होना वांछनीय है। किसी भी संगठन की समस्या का निदान उचित मार्गदर्शन के माध्यम से समाधान किया जा सकता है। कर्मचारियों में अच्छे कार्य निष्पादन के लिए सही समय पर उचित मार्गदर्शन की तीव्र आवश्यकता होती है। बेहतर आदेश/निर्देश प्रबन्धन के लिए अधिकारियों की अपने कार्य-योजना को समझने के लिए उचित मार्गदर्शन बिन्दु पर्याप्त रूप से सहायक सिद्व होते हैं। उचित मार्गदर्शन के बिना निर्देशन/आदेशन को सफल क्रियान्वयन नहीं करवाया जा सकता है।

17.5.8. नियंत्रण: किसी भी संगठनों में कार्यशैली के स्तर को बनाये रखने हेतु बेहतर करने की एक प्रबन्धक को जरूरत रहती है। नियत्रंण का कार्य, उच्चाधिकारियों का प्रमुख दायित्व माना गया है। नियंत्रण व्यवस्था का उद्देश्य यह देखना होता है कि संगठन की प्रत्येक इकाई में कार्यरत कार्मिक उनके दिए गए आदेशों, निर्देशों तथा नियमानुसार कार्य संपादित/निष्पादित कर रहे है या नहीं कर रहे है। यह नियत्रंण का क्षेत्र, पर्यवेक्षण का क्षेत्र या सत्ता का क्षेत्र भी कहलाता है। वी.ए. ग्रेकुनाज ने नियंत्रण के क्षेत्र को ध्यान का क्षेत्र के नाम से कहा है। सभी प्रशासनिक प्रबन्धकीय संगठनों में पद-सोपान, कार्मिकों की संख्या तथा कार्य की प्रकृति एक समान नहीं पाई जाती है। इसलिए नियत्रंण का क्षेत्र भी कम या ज्यादा प्रवृत्ति वाला पाया जा सकता है।

17.6. आदेशन/निर्देशन के विविध सिद्धान्त एवं महत्ता

निर्देशन किसी संस्था को क्रियाशील बनाने का कार्य होता है। यह कर्मचारियों में निष्पादन की प्रेरणा और उर्जा भरने की प्रक्रिया होती है। प्रबन्धक अपने कर्मचारियों में उचित निर्देशन अपनाकर उनको उचित दिशा में लाने के लिए उत्प्रेरित कर सकते है। निर्देशन की व्यापक महत्ता की वजह से दी डिमोक ने इसे प्रशासन का ह्रदय के रूप में किया है। निदे्शन के द्वारा कार्य में सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है। जब उसमें कामयाबी लाने वाले कुछ सिद्वान्तों की पालना सुनिश्चित की जाए। प्रभावकारी निर्देशन के आवश्यक तत्व या सिद्धान्त निम्नलिखित बताये गये है।

17.6.1.1आदेशन निर्देशन के विविध सिद्धान्त, 17.6.1.2. आदेश की एकता का सिद्धान्त, 17.6.1.3. अनुवर्तन का सिद्धान्त, 17.6.1.4. उदार पर्यवेक्षण का सिद्धान्त, 17.6.1.5. रबुले नेतृत्व का सिद्धान्त, 17.6.1.6. प्रभावी संचार का सिद्धान्त, 17.6.1.7.सतत् सजगता का सिद्धान्त, 17.6.1.8. अधिकतम योगदान का सिद्धान्त, 17.6.1.9.सवाद का योग्यता का सिद्धान्त, 17.6.1.10. अनौपचारिक योगदान समूहो का सिद्धान्त 17.6.1.11. उपयुक्त निर्देशन तकनीक का सिद्धान्त।

17.6.1.आदेशन निर्देशन के विविध सिद्धान्त: निर्देशन की सफलता संगठन और कर्मचारियों दोनों के पृथक-पृथक उद्देश्यों के सामंजस्य में निहित होती है। संगठन और कर्मचारियों के उद्देश्यों में भिन्नता हो सकती है। संख्या अधिकाधिक मौद्रिक लाभार्जन करना चाहती है। कर्मचारीगण बेहतर से बेहतर वेतन और सुविधाएं पाने के तीव्र इच्छुक होते है। कर्मचारियों में संस्था के प्रति समर्मित निष्ठा और अपनत्व उत्पन्न कराने में ही निर्देशन में मिली कामयाबी जिम्मेदार होती है।

17.6.2. आदेश की एकता का सिद्धान्त : निर्देशन को बेहतर बनाने के लिए समय में एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी द्वारा समुचित आदेश स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए। निर्देशन के इस सिद्धान्त के अनुसार किसी संगठन/संस्था में कार्यरत अधीनस्थ कर्मचारियों को केवल एक ही उच्चाधिकारियों से आदेश मिलने पर उनमें आपस में टकराव या अव्यवस्था फैलने या आदेश के उल्लंघन करने का भय नहीं बना रहेगा। आदेश की अनेकता से श्रम विभाजन होता है तथा इससे क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ती है।

17.6.3. अनुवर्तन का सिद्धान्त: इस सिद्धान्त के अनुसार जब किसी भी संस्था में कोई उच्चाधिकारी कोई आदेश प्रसारित करता है तो उस आदेश का अनुगमन करने वाले कर्मचारी भी होने चाहिए। अच्छे एवं सर्वमान्य आदेश का पीछा सभी कर्मचारी कर सकते हैं। निर्देशन निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इनकी त्रुटियां, गलतियों एवं दोषों को निवारित

करके इसमें सतत् सुधार किये जाने का प्रयास होना चाहिए। प्रबन्धकों को अपने मातहत कर्मचारियों की क्रियाकलापों के प्रति निरन्तर जागरूक रहना चाहिए।

17.6.4. उदार पर्यवेक्षण का सिद्धान्त: एकात्मक प्रबन्ध में कठोर निरीक्षण केवल प्रतीक स्वरूप रह गया है। प्रजातांत्रिक दशाओं के अन्तर्गत कर्मचारी केवल प्रत्यक्ष उदार और सहयोगी पर्यवेक्षण शैली को ही पंसद करते है। इसके कारण कर्मचारियों में परस्पर मनोबल एवं आत्मबल बढ़ता है। प्रभावकारी निर्देशन हेतु पर्यवेक्षण की उदार शैली ही अपनाई जानी चाहिए। उदारता, वैश्वीकरण और निजीकरण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनियां में अपना प्रादुर्भाव जमा रहे है।

17.6.5. रबुले नेतृत्व का सिद्धान्त: इस सिद्धान्त के अनुसार किसी भी संस्था में निर्देशन के लिए खुल्ले रूप में नेतृत्व स्वीकार करना सभी के लिए पारदर्शी माना जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार लोगों की भावनाओं, विचारों और सुझावों की पर्याप्त तबज्जों देते हुए ही निर्देशन एवं नेतृत्व को प्रभावी बनाया जा सकता है।

17.6.6. प्रभावी संचार का सिद्धान्त: इस सिद्धान्त के अनुसार पारस्परिक विश्वास के वातारण में ही निर्देशन को काफी सफलता के शिखर तक पहुंचाया जा सकता है। प्रबन्धक और कर्मचारियों के बीच में समस्याओं, चुनौतियों, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, कठिनाईयों, विचारों तथा सुझावों की स्वतंत्र आदान-प्रदान करने वाली द्विस्तरीय संचार प्रणाली को सुविकसित किया जाना चाहिए। संचार वह प्रक्रिया है जिससे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य में संदेश, माध्यम और समझ का परस्पर आदान-प्रदान होता है। संचार के प्रमुख कार्यों में सूचना देना, प्रोत्साहित करना, पहल करना तथा सामाजिक सम्बन्धों को सुगम बनाना होता है।

17.6.7.सतत् सजगता का सिद्धान्त: कर्मचारियों को निरन्तर प्रेरित करने तथा उचित एवं प्रभावी तरीके से दिशा-निर्देश देकर ही निर्देशन को प्रभावी बनाया जा सकता है। सफल निर्देशन के लिए एक कुशल प्रबन्धक को कर्मचारियों की विभिन्न कठिनाइयों के समाधान कराने में सदैव सजग रहना चाहिए। आदेशों और निर्देशों के प्रति फैली रही गलत भ्रांतियों के निवारण कराने के लिए उचित सर्तकता बरतनें की आवश्यकता है।

17.6.8. अधिकतम योगदान का सिद्धान्त: निर्देशन की ऐसी शैली या उस संस्था के अधिकारी को अपनाना चाहिए जो कि व्यक्तियों को अपनी अधिकतम से संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति कराने में सराहनीय योगदान देने के लिए प्रेरित कर निर्देशन को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों में प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

17.6.9.संवाद का योग्यता का सिद्धान्त: बेहतर संम्प्रेषण कला में बेहतर संवाद योग्यता भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रबन्ध द्वारा किया गया प्रत्येक निर्देश पूर्ण बोध्यगम्य और संवादयोग्य होना चाहिए। संदेश अर्थपूर्ण होने पर ही स्वीकार किया जा सकता है। संवाद स्थापना के समय संदेशकर्ता को संदेहगृहिता तक कोई संदेश संप्रेषित करते समय सहज स्पष्ट

भाषा तथा संदेशवाहक के सही माध्यम का उपयोग करना चाहिए। अपनी वार्तालाप को सफल बनाने के लिए परिपुष्टि करना जरूरी है। संवाद को समझने की वार्ताकारों में अपेक्षित योग्यता एवं चातुर्यता होनी चाहिए।

17.6.10. अनौपचारिक योगदान समूहो का सिद्धान्त: एक प्रबन्धक को अनौपचारिक समेहों के विचारों को जानने के बाद ही अपने निर्देशन में इनका कुशलतम उपयोग भी करना चाहिए। इसमे औपचारिक समूहों के प्रयोग करने की बजाए खासकर अनौपचारिक समूहों का ज्यादातर उपयोग करना चाहिए। यह सिद्धान्त यह बताता है कि संदेश वाहन अनौपचारिक रूप से भी दिए जाने चाहिए। यद्यपि औपचारिक संदेश वाहनों का अपना महत्व होता है। कई परिस्थितियों में संदेश औपचारिक रूप से ही देने पड़ते है।इसमें परस्पर से सहयोग संस्था की कार्यकुशलता में वृद्वि होती है अत: संस्था ने अनौपचारिक संदेश वाहन प्रक्रिया को ही विकसित की जानी चाहिए।

17.6.11. उपयुक्त निर्देशन तकनीक का सिद्धान्त: इस सिद्धान्त के अनुसार निर्देशन की तकनीक कर्मचारियों की प्रकृति तथा विद्यमान परिस्थितियों के अनुरूप अपनाई जानी चाहिए। निर्देशन पूर्णतया प्रभावी तब तक नहीं हो सकता जब तक कि व्यवहार व निष्पादन के संदर्भ में निगरानी-सूचनाओं हेतु सक्षम परिशुद्व और सामायोजित नियत्रंण स्थापना के लिए उपयुक्त निर्देशन की बेहतर तकनीक का इस्तेमाल न कर लिया जाये। अधीनस्थों को कार्य आंवटन के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि उन्हें पर्याप्त अधिकार सता भी अर्पित कर दी जाएं ताकि वे तकनीक चयन हेतु सही निर्णय ले सके और कार्य निष्पादन व लक्ष्यों को हासिल करने हेतु जरूरी कदम सही समय पर उठा सकें। अत: उपयुक्त निर्देशन में बेहतर तकनीक का उपयोग करने को प्रोत्साहित किया जाए।

17.6.12. आदेशन/निदेशन की महत्ता: निर्देशन का महत्व आजकल बहुत बढ़ता ही जा रहा है। डिमोक नामक शास्त्री ने निर्देशन को प्रशासन के हृदय के रूप में पहचान करवाई है। कर्मचारियों को निर्देशन के द्वारा ही उचित कार्य दिशा के लिए उत्प्रेरित किया जा सकता है। अत: हमें निर्देशन के महत्व को निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत समझना उचित रहेगा।

1 कार्यो के निष्पादन में तीव्रगति, 2 सार्वभौतिक कार्य, 3 व्यावसायिक सफलता का आधार, 4 योजनाओं को परिणाम में बदलना, 5 प्रबन्धकीय प्रतिभा का विकास, 6 कर्मचारियों का विकास, 7 प्रबन्धकीय कार्यो की संयोजन जुड़ाव, 8 परिवर्तन प्रबन्ध में सुविधा, 9 लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, 10 प्रभावकारी समन्वयक का साधक

1 कार्यो के निष्पादन में तीव्रगति: निर्देशन प्रबन्ध का एक ऐसा आधारभूत कार्य है जिसके बगैर संस्था में कोई भी कार्य शुरू नहीं हो सकता है। थियो हैलेन ने अपने व्क्तव्य में यह कहा था कि ''जब तक गियर में डालकर एक्सीलेटर दबाया नहीं जाता है तो कार नहीं चलती है। ठीक उसी प्रकार निर्देशन जारी किये बिना तथा अधीनस्थों के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता हैं।

2 सार्वभौयिक कार्य: निर्देशन के अन्तर्गत संयुक्त कार्यों, सहकारी उधमों और सामूहिक प्रयासों इन सभी का सार्वभौमी होना जरूरी है। निर्देशन को महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रों के संगठनों में सामान्य उद्देश्य के रूप में पहचान मिली है। इस प्रकार से निर्देशन को सभी संगठनों के कार्यो के लिए सार्वभौमिक मान्यता दी गई है।

3 व्यावसायिक सफलता का आधार: कुशल निर्देशन से सभी संसाधनों को सदुपयोग करते हुए व्यावसायिक सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। निर्देशन को पतवार की उपमा दी गई है जिसके सहारे से व्यावसायिक संस्था रूपी नाव को परिवर्तनों और जटिलताओं के संझावतों की कामयाबी को आगे नहीं बढ़या जा सकता है।

4 योजनाओं को परिणाम में बदलना: योजनाओं को परिणामों में बदलना पूर्व निर्धारित योजनाओं एवं निर्णयों को निर्देशन की सहायता लेकर उनके नतीजों को बदला जा सकता है। वास्तविक प्रगति और पूर्व नियोजित कार्यो के बीच की दूरी को निर्देशन के द्वारा ही पाया जा सकता है। कोई योजना की रूपरेखा की अंतिम रूप देने के बाद आदेशों/निर्देशों का सहारा लेकर न्यायोचित नतीजे हासिल कर लिए जाते है।

5 प्रबन्धकीय प्रतिभा का विकास: निर्देशन के जरिये प्रबन्धकीय कौशलता और क्षमता के विकास करने में सहायता मिलती है। अधीनस्थ कर्मचारी भी अपने अधिकारियों के निर्देशन में सीखते-सीखते तैयार करने में मदद मिलती है। पुलिस कर्मियों के लिए यह कार्य अति महत्वपूर्ण हो सकता है।

6 कर्मचारियों का विकास: प्रबन्धक की हैसियत से एक पुलिस अधिकारी अपने पुलिस कर्मचारियों में उनको व्यक्ति विकास, गुणों तथा कार्य क्षमताओं में विकास कराने के साथ ही आदेशों/निर्देशों की परिपालना भी सुनिश्चित करवाते हैं। वह उनके विकास का सुअवसर दिलाने के साथ ही उन्हें उचित नेतृत्व की सहायता लेकर अभिप्रेरित भी करता है।

7 प्रबन्धकीय कार्यो की संयोजन जुड़ाव: निर्देशन सभी प्रबन्धकीय कार्यो को आपस में जोड़ने वाली कड़ी है। संगठन, समन्वय, नियत्रंण और नियोजन चारों ही प्रबन्ध के प्रारम्भिक कार्य है। इन चारों का निष्पादन उचित आदेश-निर्देश एवं नेतृत्व के द्वारा ही संभव है। इनको निर्देशन के द्वारा ही जोड़ा जा सकता है। इनकी सफलता निर्देशन कार्य की सफलता पर निर्भर करता है।

8 परिवर्तन प्रबन्ध में सुविधा: उचित मार्गदर्शन एंव अभिप्रेरण के द्वारा परिवर्तनों के उत्पन्न हुए विरोधो एवं आशंकाओं को दूर किया जा सकता है। जिसके फल-स्वरूप कर्मचारी नवीन परिवर्तनों में रूचि लेने लगते हैं। इसी कारण आजकल नवीन परिवर्तनों को नेतृत्व के द्वारा संस्था में क्रियान्वित करना सरल हो गया है। इसी कारण से परिवर्तन-प्रबन्धन को बल मिलता है।

9 लक्ष्य प्राप्ति में सहायक: निर्देशन के माध्यम से पुलिस विभाग के कर्मियों में लक्ष्यों के प्रति लगन और निष्ठा का माहौल तैयार किया जा सकता है। कर्मचारियों के क्रियाकलापों के उद्देश्य-केन्द्रित बनाया जा सकता है। निर्देशन के द्वारा व्यक्तिगत एवं सामूहिक लक्ष्यों की पूर्ति करने के साथ-साथ उनके बीच में उचित सामंजस्य की स्थापित किया जा सकता है। इस तरह निर्देशन की सहायता से किसी संस्था के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है।

10 प्रभावकारी समन्वयक का साधक: हैमेन ने यह सही कथा था कि समन्वय प्रबन्धकीय निर्देशन का आवश्यक सह -उत्पाद होता है। कुशल नेतृत्व के द्वारा प्रतिद्वन्द्वी संस्थाओं, ग्राहकों तथा सरकार जैसे बाहरी पत्रकारों के साथ सामंजस्य रखा जा सकता है। यह सब उचित मार्गदर्शन तथा नेतृत्व के द्वारा संस्था के सभी विभागों और क्रियाकलापों के मध्य में, परस्पर समन्वय रखा जा सकता है।

अत: यह कहा जा सकता कि निर्देशन के महत्व के पुलिस विभाग में वर्तमान में कभी नहीं नकारा जा सकता है। प्रबन्ध में निर्देशन कार्य के महत्व की तुलना मानवीय शरीर में स्थित हृदय से की गई है। निर्देशन का कार्य निष्पादन कराने से गहरा और प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। कोई प्रबन्धक श्रेष्ठ योजना बना सकता है। उसके अनुरूप संगठन के ढांचे का विकास कर पुलिस व सुरक्षा से विवर्गियों की नियुक्ति कर सकता है। लेकिन अधीनस्थों को सीखाए बिना उसे सही सफलता नहीं हासिल हो सकती है। किसी जासूसी पुलिस एवं सुरक्षा उपक्रम में निर्देशन कार्य व्यूहरचना के समान है। इस कार्य का सम्बन्ध निम्नानुसार हो सकता है। 1. संसाधनों के समुचित विद्रोहन करने 2. आलोच्च बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करने 3. उपक्रम के पुलिस निर्देशनकर्ता की हैसियत सेनाध्यक्ष द्वारा दी गई कमानों के समान होती है। जिसके बिना फौज कारगर ढंग से आगे नहीं बढ़ सकती है। कुशल और प्रभावी निर्देशन के अभाव में उपक्रम के कुशल और योग्य व्यक्ति पुलिस सुरक्षा उपक्रम को छोड़ने हेतु बाध्य हो सकते हैं, उनमें निराशा घर कर सकती है। उनका मनोबल गिर सकता है। वे भ्रमित और दिशाविहीन हो सकते है और इसके फलस्वरूप लाभप्रद उपक्रम अलाभप्रद संस्था में बदल सकता है। प्रबन्धन में मानवीय घटकों में 1. भूमिकाओं की बदुलता 2. औसत व्यक्ति कोई नहीं होता 3. व्यक्तिगत गरिमा को महत्व तथा 4. समग्र व्यक्ति पर विचार करना इत्यादि मानवीय व्यूहरचना के घटक व्यक्त किए गये है।

17.7 प्रबन्ध की अवधारणा

यह प्रबन्ध की अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय क्रियाओं में से एक है। यह सभी प्रकार की सामूहिक और संगठित क्रियाओं को एकीकृत करने की शक्ति है। प्रबन्ध एक नवीन विषय है। प्रबन्ध की अवधारणा से तात्पर्य किसी वस्तु, कार्य या व्यक्ति के समन्ध में उस विचार, धारणा या आकृति से है। जो उस वस्तु, कार्य या व्यक्ति की विशेषताओं के

आधार पर किसी व्यक्ति के मस्तिष में बनती है। प्रबन्ध की अवधारणा को हम दो भांगों में बांट सकते हैं। 1. प्रबन्ध एक आर्थिक संसाधन के रूप में 2. प्रबन्ध अधिकार सता की प्रणाली के रूप में 3. प्रबन्ध एक वर्ग एवं स्थिति के रूप में 4. प्रबन्ध एक पक्रिया के रूप में 5. प्रबन्ध एक विषय या ज्ञान की शाखा या विद्या के रूप में 6. प्रबन्ध एक जीवन निर्वाह की शैली आदि आते है। 7. प्रबन्ध एक कला कौशल प्रबन्ध की नवीन अपधारणाओं के अन्तर्गत नये रूप निम्नानुसार शामिल किये गये है।

1. वैज्ञानिक प्रबन्ध की अवधारणा 2. मानवप्रधान अवधारणा 3. सहकारी-सामाजिक प्रणाली अवधारणा 4. निर्वाचन अवधारणा 5. नेतृत्व अवधारणा 6. प्रणाली अवधारणा 7. संयोगिक प्रबन्ध अवधारणा 8. सर्वगाही या व्यापक अवधारणा इत्यादि के रूप में देखे जा सकते है।

17.7.1 प्रबन्ध की परिभाषा: प्रबन्ध की उत्पादकता या दक्षता, मानव, निर्णयन, नेतृत्व, कार्यात्मक या प्रक्रियात्मक, कार्य निष्पादन, वातावरण, ज्ञान व तकनीकी तथा व्यापक प्रधान से सम्बन्धित कई परिभाषाएं दी गई है। विज्ञान का उपयोग करते हुए संस्था के विभिन्न संसाधनों, ब्राहय वातावरण एवं समाज की अपेक्षाओं का इस प्रकार दक्षता पूर्ण समन्वय किया जाता है कि संस्था के लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें।'' प्रबन्ध अन्य लोगों से कार्य कराने की कला है।

1- टेलर के अनुसार ''प्रबन्ध यह जानने की कला है कि अन्य व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं। तत्पश्चात् यह देखना है कि उसे सर्वोतम एवं मितव्ययिता पूर्ण ढंग से करते है''
2- हैनरी फियोल के अनुसार ''प्रबन्ध करने से आशय पूर्वानुमान लगाना व योजना बनाना, संगठन करना, आदेशित करना, समन्वय करना और नियत्रंण करना है।
3- पीटर एफ.ड्रूकर के अनुसार'' प्रबन्ध एक अवयव है और अवयवों को सिर्फ उनके कार्यो द्वारा ही वर्णित व परिभाषित किया जा सकता है।
4- रास पूरे ने प्रबन्ध से आशय निर्णय लेना माना है।
5- जार्ज टेरी के अनुसार ''प्रबन्ध नियोजन, संगठन-प्रेरण और नियत्रंण करने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। जिसमें मानवीय और अन्य संसाधनों का उपयोग करते हुए निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण एवं निष्पादन होता हैं।
6- जोसेफ मैसी के मतानुसार''प्रबन्ध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी सहकारी समूह की क्रियाओं को सामान्य लक्ष्यों की ओर निर्देशित किया जाता है।''

17.7.2 प्रबन्ध के लक्षण : प्रबन्ध कला एवं विज्ञान दोनो ही है। प्रबन्ध मानवीय संगठनों का एक विशिष्ट कार्य है। इसके अर्थ, अवधारणा और प्रकृति को समझने के लिए इसकी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करना जरूरी है। हम प्रबन्ध को कार्यों का एक एकीकृत समूह कर सकते है। प्रबन्ध को गहनता के साथ समझने के लिए इसकी निम्नांकित विशेषताओं को समझना अति आवश्यक है। 1. प्रबन्ध एक प्रक्रिया अथवा कार्य है। 2.

प्रबन्ध एक अनवरत मानवीय प्रक्रिया है 3. प्रबन्ध एक सार्वभौमिक सामाजिक प्रक्रिया है। 4. प्रबन्ध एक गतिशील प्रक्रिया है। 5. प्रबन्ध संगठित क्रिया है। 6. प्रबन्ध मानवीय संगठनों से सम्बन्धित स्वीकृत प्रक्रिया है। 7. प्रबन्ध सामूहिक प्रयासों की व्यवस्था है। 8. प्रबन्ध एवं श्रेणीबद्व यश पदानुक्रम व्यवस्था है। 9. प्रबन्ध एक समन्वयकारी शक्ति है। 10. प्रबन्ध वास्तव में एक क्रियाशील उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति है। 11. प्रबन्ध एक विशिष्टता प्राप्त वर्ग में पृर्थक अस्तित्व रखता है। 12. प्रबन्ध चीजों की घटित करने के लिए उत्प्रेरक तत्व रखता है। 13. प्रबन्ध एक सर्वव्यापी प्रक्रिया और अमूर्तशक्ति है। 14. प्रबन्ध कला एवं विज्ञान दोनों ही है। 15. प्रबन्ध की प्रक्रिया सदैव सांयोगिक एवं पारिस्थितिक होती है। 16. प्रबन्ध औद्योगिक समाज का एक आर्थिक अंग है। 17. प्रबन्ध एक गतिशील संस्कृति बह विज्ञान है। 18. प्रबन्ध एक सतत् प्रक्रिया है। 19. प्रबन्ध अधिकार सता की प्रणाली है। 20. प्रबन्ध एक विद्या है। 21. प्रबन्ध अदृश्य व बहुविद्यात्मक है। 22. प्रबन्ध के सिद्धान्त समाज से परे नहीं है। 23. प्रबन्ध वातावरण-अभिमुखी गतिविधि है। 24. प्रबन्ध को समझने में सभी प्रबन्ध विचारधाराएं उपयोगी है। 25. प्रबन्ध एक पेशा है। 26. जो प्रबन्ध का कार्य करते है उनका स्वामी होना आवश्यक नहीं है। 27. प्रबन्ध एक सृजनशील कार्य एवं व्यवहार है। 28. समन्वय प्रबन्ध का सार है। 29. प्रबन्धकीय ज्ञान व हस्तांतरण होना संभव है। 30. प्रबन्ध का नियमन नियत्रंण किया जा सकता है। 31. प्रबन्ध एक भूमण्डलीय क्रिया है। 32. प्रबन्ध मानव तंत्र तत्व से घिरा रहता है। 33. प्रबन्ध मानवीय संसाधन की विशिष्ठ भूमिका है। 34. प्रबन्ध एक वर्ग एवं प्रस्थिति प्रणाली है 35. प्रबन्ध में संगठनात्मक उद्देश्यों की विधमानता होती है। 36. प्रबन्ध में मुद्रा, मशीन, माल व मानव आदि संगठनात्मक संसाधन होते है।

17.7.3 प्रबन्ध का क्षेत्र : प्रबन्ध का क्षेत्र दिनों-दिन विस्तृत होता जा रहा है। प्रबन्ध अब केवल उद्योगों, कारखानों, व्यवसाय तक ही सीमित नहीं रह गया है। इसलिए यह समग्र रूप में कहना यहां उपयुक्त होगा और पीटर ने कहा है कि'' जो कुछ आधुनिक विश्व है वही प्रबन्ध है। प्रबन्ध के क्षेत्र के अध्ययन करने के लिए इसे वर्तमान में निम्न भांगों में बांटा जा सकता है।

17.3.3.1 व्यावसायिक प्रबन्ध का क्षेत्र

3.1.1 उत्पादन प्रबन्ध	3.1.2 विपणन प्रबन्ध
3.1.3 सामग्रीव क्रय प्रबन्ध	3.1.4 सेविवर्गीय प्रबन्ध
3.1.5 कार्यालय प्रबन्ध	3.1.6 परिवहन प्रबन्ध
3.1.7 अनुरक्षण प्रबन्ध	3.1.8 विदेश व्यापार प्रबन्ध
3.1.9 शोध एवं विकास प्रबन्ध	3.1.10 पर्यावरण प्रबन्ध

17.3.3.2 गैर-व्यावसायिक प्रबन्ध का क्षेत्र

3.2.1 लोक प्रशासन	3.2.2 आर्थिक प्रशासन

3.2.3 प्रौद्योगिकी प्रबन्ध — 3.2.4 भौतिक पर्यावरण प्रबन्ध

3.5.5 सहकारी प्रबन्ध — 3.2.6 गृह-प्रबन्ध

3.2.7 शैक्षिक प्रबन्ध — 3.2.8 चिकित्सा प्रबन्ध

3.2.9 पर्यटन प्रबन्ध — 3.2.10 प्रतिरक्षा प्रबन्ध

3.2.11 मानव संसाधन प्रबन्ध — 3.2.12 संचालन प्रबन्ध

3.2.13 निगम प्रबन्ध — 3.2.14 श्रम-प्रबन्ध

3.2.15 वित्तरण प्रबन्ध — 3.2.16 विकास प्रबन्ध

3.2.17 बीमा-प्रबन्ध — 3.2.18 विनियोग प्रबन्ध

3.2.19 वित्तीय प्रबन्ध — 3.2.20 लेखांकन-प्रबन्ध

17.3.3.3 प्रबन्ध के नवीन उदीयमान क्षेत्र

3.3.1 जनसंपर्क प्रशासन — 3.3.2 संघर्ष प्रशासन

3.3.3 परिवर्तन प्रबन्ध — 3.3.4 नवप्रवर्तन प्रबन्ध

3.3.5 समय-प्रबन्ध — 3.3.6 कम्प्यूटर प्रबन्ध

3.3.7 उधमिता प्रबन्ध — 3.3.8 लघु व्यवसाय प्रबन्ध

3.3.9 विविधता प्रबन्ध — 3.3.10 थोक-फुटकर व्यापार प्रबन्ध

3.3.11 आयात निर्यात प्रबन्ध — 3.3.12 संचालन प्रबन्ध

3.3.13 घटना-प्रबन्ध — 3.3.14 विपणन शोध प्रबन्ध

17.8 प्रबन्ध के विभिन्न सिद्धान्त

सिद्धान्त से तात्पर्य उस आधारभूत सत्य से है जो किसी विचार एक आधारभूत सत्य है जो सामान्यत: कारण एवं प्रभाव सम्बन्ध के रूप में उल्लेख किया जाता है। प्रबन्ध के सिद्धान्त प्रबन्धकों के व्यवहार एवं प्रबन्धकीय निर्णयों का मार्गदर्शन करने वाले घटक है जो प्रबन्ध के क्षेत्र में किए गए शोध एवं परिक्षणों के आधार पर निर्मित किए जाते है।

17.9 प्रबन्ध के विभिन्न कार्य

प्रबन्ध को प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करने के लिए प्रबन्धकीय कार्यो के रूप में परिभाषित करने के लिए प्रबन्धकीय कार्यों को आधार माना गया है। आधुनिक प्रबन्ध के

जनक हेनरी फेयोल पहले प्रबन्ध शास्त्री रहे थे, जिन्होंने सर्वप्रथम प्रबन्धक का एक वैचारिक दाँचा प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपनी प्रसिद्व वृति सामान्य और औद्योगिक प्रबन्ध (1916) में प्रबन्ध के पांच तत्वों या कार्यों का उल्लेख किया था। प्रबन्ध के पांच कार्य निम्न बताए गये है। 1. नियोजन 2. संगठन 3. आदेशन 4. समन्वय 5. नियत्रंण आदि को स्पष्ट किया था। इसी तरह लूथर गुलिक और उर्विक ने फेयोल के इन पांच कार्यो के आधार पर प्रबन्ध के सात कार्यों को प्रस्तुत किया है। जो प्रबन्ध जगह में पी.ओ.एस.डी.सी. आर.बी. के नाम से प्रसिद्व पाई है। उन्होंने प्रबन्ध के सात कार्य निम्न बताए थें। 1. नियोजन 2. संगठन 3. नियुक्तिकरण 4. निर्देशन 5. समन्वय 6. प्रतिवेदन 7. बजटन इत्यादि का उल्लेख मिलता है। हैराल्ड स्मिडी ने प्रबन्ध के कार्यों को स्पष्ट करने हेतु (पी.ओ.आई.एम.) सूत्र का प्रयोग करके प्रबन्ध के निम्नानुसार प्रमुख कार्य व्यक्त किए थे। 1. नियोजन 2. संगठन 3. एकीकरण 4. मापन आदि बताए थे। मेनार्ड और बर्गर ने प्रबन्ध के तीन मूलभूत कार्य बताये है। 1. नियोजन 2. क्रियान्वयन 3. समीक्षा विख्यात विद्वान कूण्ट्ज और ओ' डीनेल ने प्रबन्धक निम्न पांच कार्यों का वर्णन किया है-1. नियोजन 2. संगठन 3. नियुक्तिकरण 4. नेतृत्व तथा 5. नियत्रंण वर्तमान में प्रबन्ध के निम्नालिखित कार्यों की विवेचना की जा सकती है।

1 नियोजन	2 संगठन
3 नियुक्तिकरण	4 निर्देशन
5 नियत्रंण	6 निर्णयन
7 नवप्रवर्तन	8 सम्प्रेषण/संचार
9 अभिप्रेरण	10 नेतृत्व
11 पर्यवेक्षण	12 प्रतिवेदन
13 बजटन	14 प्रतिनिधित्व करना
15 ''समन्वय''	16 मापन
17 एकीकरण	18 समीक्षा
19 मनोबल	20 गतिशीलता
21 उत्पादकता	22 प्रभावशीलता
23 कुशलता	24 रणनीति

17.10 प्रबन्धकीय आदेश/निर्देशन की व्यूहरचनाएँ

प्रबन्धकीय निर्देशन की रणनीति या व्यूहरचना इस बात पर निर्भर करती है कि प्रबन्धक मानव प्रकृति के बारे में क्या विचार रखते है। सेचिन, मेक्ग्रेगर और रेमण्ड माइल ने इस दृष्टिकोण से व्यवहारवादी प्रतिरूपों का प्रतिपादन किया था। जो प्रबन्धकीय निदेशन पर प्रकाश डालते है। सेचिन ने मानव-प्रकृति और उससे जुड़ी निर्देशन-व्यूहरचनाओं के बार में चार तरह की अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है। 1. विवेकशील आर्थिक मानव 2. सामाजिक मानव 3. आत्म-अभिप्रेरित 4. जटिल मानव

17.10.1 विवेकशील मानव और निर्देशन व्यूहरचना: मानव प्रकृति के बारे में विवेकशील-आर्थिक अभिमत के से द्वान्तिक आधारों की सुखवादी और उपयोगितावादी दर्शन के रूप में देखा जा सकता है। इसके अनुसार मानवीय व्यवहार का प्रयोजन अपनी शुद्ध प्राप्तियों को अधिकतम करना होता है। इस विवेकशील आर्थिक मानव की मानवीय-प्रकृति के बारे में निम्न मान्यताएं डॉ. पी.के. शाह और बी.डी. तातेड ने बतायी है।

1- संगठनात्मक संरचना इस प्रकार से हो कि जिससे लोगों की भावनाओं को निष्क्रिय बनाया जा सके और उनका नियंत्रण रखा जा सके।
2- मानव मूलरूप से आर्थिक प्रेरणाओं से अभिप्रेरित होता है, अत: वह वही काम करता है जिससे उसे अधिकतम लाभ होता रहे।
3- आर्थिक प्रेरणाएं संगठन के नियत्रंण में होती है और इसलिए संगठन द्वारा लोगों को आर्थिक प्रेरणाओं के माध्यम से चाहे जैसे अभिप्रेरित व नियंत्रित किया जा सकता है।
4- लोगों की भावनाएं अविवेकर्ण होती है अत: इस बात के प्रयास होनी चाहिए। उनकी भावनाएं उनके निजी आर्थिक प्राप्तियों की गणना को प्रभावित्त न कर सके।

17.10.2 सामाजिक मानव और निर्देशन व्यूहरचना : इसमें हाथोर्न अध्ययन और उससे प्रेरित शोध-अध्ययनों ने इस बात को बढ़ाया दिया है कि कर्मचारियों में अनेकानेक सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती है। समूह मानदण्डों, कर्मचारी मनोबल और सन्तुष्टि का उत्पादन की मात्रा व गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस विचार ने मानवीय-प्रकृति के बारे में सामाजिक मानव की मान्यताओं को विकसित किया है। जो इस प्रकार से वर्णित किया गया है-

1- कर्मचारी मूलरूप से अपनी सामाजिक आवश्यकताओं के द्वारा अभिप्रेरित होते है। वे दूसरों के सम्पर्क में आ ने तथा उनके साथ सामाजिक सम्बन्धों को बनाने के माध्यम से अपनी पहचान बनाते है।

2- प्रबन्ध सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली पर्यवेक्षकीय शैली अपनाकर कर्मचारियों के व्यवहार को प्रभावित्त कर सकता है।
3- प्रबन्धकीय प्रेरणा और नियंत्रण प्रणाली की तुलना में अनौपचारिक समूहों की गत्यात्मकता कर्मचारियों को अधिक प्रभावित्त करती है।
4- कार्य के विभाजन तथा विकेन्द्रीकरण का परिणाम यह होता है कि कार्य अपना अर्थ खो देता है। अत: कार्य की सन्तुष्टि की तलाश सामाजिक सम्बन्धों में होती है। इस व्यूहरचना की यह मान्यता बनी है कि कार्य पर सामाजिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि होने से कर्मचारी संगठनात्मक उद्देश्यों के प्रति बह रहेगें।

17.10.3 आत्म - अभिप्रेरित मानव और निर्देशन व्यूह- रचना :

मानव प्रकृति के बारे में यह मान्यता इस विचार पर आधारित है कि मानव की यह सहज आवश्यकता होती है। कि वह अपने ज्ञान, योग्यता और कौशल का उपयोग परिपक्व एवं प्रभावक ढ़ग से करे और मेक्ग्रेगर का यह कहना था कि अधिकांश कृत्य इतने नीरस अकुशल, नैत्यक तथा अंशों में बंट होते है कि उसको करने हेतु श्रमिकों की सतही योग्यता का उपयोग ही हो पाता है। और वे अपने कार्य देखते है। आत्म- अभिप्रेरित मानव की मान्यताऐ इस तरह से है।

1- कर्मचारियों की यदि शारीरिक, सुरक्षात्मक, सामाजिक और स्वाभिमान मूलक आवश्यकताएं कम या अधिक रूप से पूरी होती है तो वे कार्य के निष्पादन में कार्य लेते है।
2- आत्म-विकास की आवश्यकता और संगठनात्मक में रूचि प्रभावशीलता के बीच कोई विसंगति नहीं है। यदि कार्य का वातारण अनुकुल हो तो लोगों द्वारा अपने लक्ष्यों के साथ एकीकरण किया जाता है।
3- लोग कार्य पर परिपक्वता प्राप्त करने की कोशिश करते है और इसके लिए उनमें उतना सामर्थ होता है।
4- कर्मचारी मूलरूप से स्व-अभिप्रेरित और स्व-नियंत्रित होते है। मानव प्रकृति के बारे में ये मान्यताएं मेक्ग्रेगर के सिद्धान्त वाई के अनुरूप मिलती है।

17.10.4 जटिल मानव और निर्देशन व्यूहरचना :

सेचिन ने प्रगतिशील आर्थिक, सामाजिक और आत्म-अभ्रिपेरित मानव की अवधारणाओं को सरलीकृत तथा पर्याप्त बताया है। उनके अभिमत में मानव जटिल प्राणी है। उसकी अनेक आवश्यकताएं व योग्याताएं होती है। सेचिन ने मानव की प्रकृति के बारे में जो उनके अपने विचार है। उनके आधार पर जटिल मानव की अवधारणा प्रस्तुत की है। जो निम्नांकित मान्यताओं पर आधारित की गई है।

1- लोगों द्वारा विविध प्रकार की प्रबन्धकीय व्यूहरचनाओं के प्रति प्रत्युतर दिया जायेगा। यह कार्य योग्यता, कार्य आवश्यकता तथा समूह सदस्यता की प्रकृति पर निर्भर है।
2- मानव अन्याधिक जटिल होने के साथ-साथ अत्याधिक अस्थिर प्रकृति का होता है। उसकी अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती है। जो समय-समय पर तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है।
3- व्यक्ति संगठन में काम करते हुए अपने अनुभवों से नई-नई आवश्यकताओं के बारे में सीखता है।
4- भिन्न-भिन्न संगठनों में तथा एक ही संगठन के विभिन्न भागों में व्यक्ति अलग-अलग तरह से अभिप्रेरित होता है।
5- व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के आधार पर संगठन कितना जुड़ता है। यह बात निष्पादित किए जाने वाले कार्य की प्रकृति पर तथा औपचारिक व अनौपचारिक समूहों में अन्यों के साथ अन्तर क्रियाओं पर निर्भर करती है।

17.11. हैनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित आदेश (कमान) का नियम

हेनरी फेयोल के अनुसार आदेश या कमान का उद्देश्य सम्पूर्ण संगठन के हित में सभी कार्मिकों से अनुकुल प्रत्युतर या निष्पादन प्राप्त करना है। फेयोल ने यह भी माना है कि आदेश की कला प्रबन्धक के व्यक्तिगत गुणों तथा प्रबन्ध के सामान्य सिद्वान्तों के ज्ञान पर निर्भर करती है। इसकी दक्षता प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न-भिन्न हो सकती है। आदेश या कमान कृत्य करने वाले प्रबन्ध को चाहिए कि वह-

1- अपने कार्मिकों का सम्पूर्ण ज्ञान ध्यान में रखे।
2- अक्षम कर्मचारी को नौकरी से बाहर निकाल देवें।
3- व्यवसाय और इसके कर्मचारी को एक-दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था से परिचित होना चाहिए।
4- प्रबन्ध को एक अच्छा उदाहरण कर्मकार प्रस्तुत करें।
5- समय-समय पर अंकेक्षण करे और सारांश चार्ट का उपयोग करें ताकि कर्मचारी पर नियत्रंण रख सके।
6- परामर्श-सम्मेलन द्वारा जिसमें निर्देश की इकाई तथा प्रयासों के ध्यानाकर्षण के लिए आवश्यक अवसर दिए जा सके में अपने प्रमुख सहायकों को समीप लाए।
7- विस्तृत विवरण में न डूबे तो ठीक है
8- कार्मिकों में एकता, चुस्ती, पहल तथा वफादारी के लक्ष्य बनाए। निर्देशन/आदेशन की एकता कायम रखने का सफल प्रयास करना चाहिए।

17.12. प्रबन्ध, प्रशासन और संगठन में अन्तर

प्रबन्ध	प्रशासन	संगठन
1- यह संख्या की नीतियों तथा उद्देश्यों को निर्धारण का कार्य करता है। 2- यह संगठनात्मक नियोजन से सम्बन्धित है। 3- इसकी प्रकृति निर्धारणात्मक होती है। 4- यह सैद्वान्तिक विचार-धाराओं को महत्व देता है। 5- प्रशासकीय कार्य उच्चस्तरीय व्यक्तियों द्वारा अधिक किया जाता है। 6- यह ब्रह्य एवं नीतिगत सीमाओं के अधीन कार्य करता है। 7- संस्था के अधिकारों एवं शक्तियों का उद्गम प्रशासन है। 8- यह संस्था के स्वामियों के प्रति उतरदायी होता है। 9- प्रबन्ध, प्रशासन की परिधि में आता है। 10-यह प्रभावी कार्य निष्पादन सुनिश्चित करता है	1- यह प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों के क्रियान्यवन का कार्य करता है। 2- यह कर्मचारियों की व्यवस्था, निर्देशन अभिप्रेरण नियंत्रण व समन्वय से सम्बन्धित है। 3- इसकी प्रकृति क्रियात्मक व अधिशाषी है। 4- यह व्यावहारिक एवं मानवीय विचारधाराओं को महत्व देता है। 5- प्रबन्धकीय कार्य मध्यस्तरीय प्रबन्धकों द्वारा किया जाता है। 6- यह प्रशासकीय सीमाओं के अधीन कार्य करता है। 7- यह अधिकारी और शक्तियों को लागू करने वाली एजेन्सी है। 8- यह प्रशासन के प्रति उतरदायी होता है। 9- प्रशासन एक व्यापक परिधि से युक्त है। 10- यह प्रभावी निर्देशन/आदेशन	1- यह प्रबन्ध द्वारा नीति के क्रियान्वयन हेतु प्रयुक्त होने वाला तंत्र है। 2- यह संस्था के विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों के मध्य कार्य-सम्बन्धों को व्यक्त करता है। 3- इसकी प्रकृति सहायता सुविधा प्रदान करने की है। 4- यह वैधानिक एवं तकनीकी विचारधाराओं को महत्व देता है। 5- संगठन संरचना का कार्य प्रशासन व प्रबन्ध के आपसी सहयोग से होता है। 6- यह प्रशासकीय, प्रबन्धकीय, तकनीकी एवं कानूनी सीमाओं के अधीन कार्य करता है। 7- इसके सम्पूर्ण ढांचे में अधिकार एवं दायित्व प्रवाहित होते है। 8- यह प्रशासकीय एवं प्रबन्धीय दायित्वों में समन्वय करता है।

11-यह लोगों के साथ काम करके काम करवाता है और संगठित तरीके से अन्य संसाधनों का प्रयोग करता है।	सुनिश्चित करता है। 11-यह निर्देशन, नेतृत्व तथा नियंत्रण करता है।	9- यह प्रशासन एवं प्र्रबन्धीय दोनों की परिधि में आता है। 10-यह प्रभावी निर्देशन एवं कार्य निष्पादन सुनिश्चित कर सकता है। 11-यह प्रबन्ध एवं प्रशासन दोनों का समन्वय एवं सहायता करता है।

17.13. अभिशासन (सुशासन) की अवधारणा एवं आयाम

ईशासन अभिशासन की एक पद्धति या माध्यम है। भारत में अभिशासन या अच्छे शासन या सुशासन की अवधारणा नई नहीं है बल्कि यह रामराज्य एंव स्वराज की परम्परागत अवधारणा का नया नाम है। भारतीय शास्त्रों में राजाओं के कर्तव्यों तथा राजधर्म चलाने के बारे में उल्लेख मिलता है। श्रीमद्भगवत गीता, यजुर्वेद, मनुस्मृति, महाभारत के शांतिपर्व, चाणक्य के अर्थशास्त्र तथा कामण्डक के शुक्रनीतिसार इत्यादि ग्रंथों में सुशासन के व्यापक नियम वर्णित है। बहुजन हिताय: बहुजन सुखाय के मूलमंत्र पर आधारित लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी अंशत सुशासन या अच्छे शासन की दिशा में ही एक बढ़िया कदम है। वस्तुत: का अर्थ सरकार की उस आदर्शात्मक अवधारणा से लिया जाता है जो सरकार की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है अर्थात अभिशासन सरकार या शासन की एक पद्धति या प्रणाली है। इसे शब्द का प्रचलन सन् 1628 में इंगलैण्ड में शुरू हुआ। सन् 1701 में इंग्लैण्ड में यह उक्त बहुत लोक प्रिय हुई थी। एक बुद्विमान राजा को शासन नहीं बल्कि अभिशासन की ओर प्रेरित होना चाहिए। भारत में सुशासन की दिशा में प्रथम प्रयास राजीव गांधी के शासनकाल (1984-89) में शुरू हुआ। जब इस विषय पर छ: कार्यशालाएं आयोजित की गई थी। भारत में पांचवे वेतन आयोग में गवर्नेस शब्द को अपनी रिपोर्ट (1994-97) में बार-बार इस्तेमाल किया था। राजीव गांधी द्वारा सुशासन के निम्नांकित मूल्य या आयाम रेखांकित किए गये थे। 1. ईमानदारी 2. नैतिकता 3. त्वरित कार्य निष्पादन 4. निष्पक्षता 5. उतम चिरत्र 6. उत्साह 7. पारदर्शिता 8. प्रभावी सूचना तंत्र 9. संवेदनशील 10. सजगता 11. कथनीव व करनी में समानता 12. सादगी 13. जनसहभागिता एवं जनजाग्रति के प्रयास 14.लोकसेवकों में आत्म-जाग्रति 15. सकारात्मक सोच 16. अनुशासन 17. शिष्टाचार 18. लोक व्यवस्था 19. कर्तव्य परायणता 20. कठोर परिश्रम 21. प्रकटता 22. उतरदायित्व 23. हिसाब दंहिता या जवाब दहिता 24. पाबंदी 25. तालमेल 26. गोपनीयता 27. स्वतंत्रता

28. समानता 29. कार्यकुशलता 30. निर्भयता 31. स्वालम्बन/आत्मनिर्भरता इत्यादि बताए गये थे। अभिशासन या सुशासन की अवधारणा मुलत: ई-शासन के साथ सामंजस्य रखती है। जिसे आजकल स्मार्ट शासन कहा जाता है। जिसका अर्थ उससे (नौकरशाही का आकार करना) प्रशासन में नैतिकता स्थापित करना। (लोक सेवाओं में जवाबदेयता लाना) सपाम (जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास उत्पन्न करना) (सरकारी नीतियों, निर्णयों), कार्यो तथा सेवाओं में पारदर्शिता लाना) इसी बीच भारतीय न्याय पालिका में प्रदर्शित न्यायिक सक्रियता की प्रवृत्तियों ने सरकार को नित्य नये कटघरों में खड़ा कर दिया। अन्तत: सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन (20 नवम्बर, 1996) के जरिये प्रशासन की जवाब वंहिता, पारदर्शिता, प्रभावशीलता तथा निष्ठा के संदर्भ में व्यापक चर्चा हुई थी। इसी सिलसिले में 24 मार्च 1997 को प्रभावी एवं उतरदायी शासन विषय पर मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। जिसमें मुख्य-सचिवों और मुख्यमंत्रियों को मिलाकर कार्य-योजना में नौ सूत्रीय कार्य-योजना की सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। उतरदायी शासन, लोकतांत्रिक शासन या सुशासन लाने हेतु इन नौ सूत्रों को स्थान दिया गया था।

1. नगरिक अधिकार - पत्र एवं जवाबदेय प्रशासन
2. प्रभावी एवं त्वरित लोक शिकायत निवारण
3. ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को अधिक हक
4. प्रवर्तित कानूनों और प्रक्रियाओं की समीक्षा एवं सरलीकरण
5. प्रशासन में पारदर्शिता व संवेदनशीलता
6. सरकारी कार्यालयों से सूचना प्राप्त करने का अविष्कार
7. लोक-सेवकों के लिए आचार-संहिता
8. सेवाओं का विकेन्द्रीकरण इत्यादि को समाहित किया गया था। केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों तथा राज्य सरकारों के विभागों के द्वारा निर्मित नागरिक अधिकार, सुविधा काउण्टर, सरकारी वेबसाइट/पार्टल, जन सुनवाई तथा जन शिकायत निवारण व्यवस्था इसी दिशा सुशासन/ई-शासन लाने में किये गए सफल प्रयास है।

17.14 केन्द्रीयकरण एवं विकेन्द्रीकरण प्रशासन में प्रभेद

आधुनिक संगठनों के कार्यालय में दिन-प्रतिदिन अनकों सरकारी और गैर-सरकारी कार्य होते है। केन्द्रीयकरण और विकेन्द्रीकरण दो विपरीतार्थी अवधारणाएं या व्यवस्थाएं ह। केन्द्रीकरण बनाम विकेन्द्रकरण का सैद्वान्तिक दन्ड तथा व्यावहारिक संघर्ष एक लम्बे समय से जारी है। क्योंकि दोनो ही अवधारणाएँ शासन में उपयोगी है। एक के गुण, दूसरी पद्धति के दोषों की पूर्ति करते है। केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति जहां प्रशासन में परम्परावाद की परिचालक लगती है। वहीं विकेन्द्रकरण प्रशासन व्यवस्था आनुनिक तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकुल रहने वाली प्रवृत्ति लगती है। हेनरी का यह कथन आजकल उपयुक्त प्रतीत होता है

कि आधुनिक राजनीति व्यक्तियों का नहीं बल्कि शक्तियों का संघर्ष केन्द्रीकरण विकेन्द्रीकरण में भी दिखता है। वास्तव में केन्द्रीकरण और विकेन्द्रकरण सता के दो छोर है। इसलिए यह सापेक्षिक शब्द हा। इनमें से किसी एक पद्धति पर आधारित संगठन की करना बनानी है। यह दोनों ही अवधारणाएं मिलकर ही किसी भी संगठन में स्थिरता, जवाबदेयता, निपुणता तथा प्रभावशीलता उत्पन्न करनी है। केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण को अपनाने के क्रम में चार तत्वों को वर्णित किया गया है। 1. उतरदायित्व के तत्व 2. प्रशासनिक तत्व 3. कार्यात्मक तत्व तथा 4. बाहय तत्व बताये गये है।

केन्द्रीकरण व विकेन्द्रीकरण दोनों में निम्न अंतर पाये जाते हे।

केन्द्रीकरण	**विकेन्दी्रकरण**
1- यह परम्परावाद एवं कठोरता की परिचायक है। 2- इसमें सता उच्च स्तर पर एक स्थान पर केन्द्रीत होती रहती है। 3- नीति कानून, कार्यक्रम, कार्य-योजना तथा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च स्तर पर होते है। 4- उत्पाद, सेवाएँ, संसाधन तथा उपकरणों का एक जगह जमाव पाया जाता है। 5- अधीनस्थों तथ जनता के सहयोग में कम विश्वास करती है। 6- रक्षा निवेश, नियोजन वित्त, लेखांकन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। 7- इसमें सता को सारी शक्तियों कार्य एक ही स्तर पर किए जाते है। सर्वोच्च सता ही कार्य-शक्ति निर्धारण करती है। 8- इसमें सता-संग्रहीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है।	1- यह आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यांकन तथा लोचशीलता की परिचायक है। 2- इसमें सता का प्रत्यायोजन अधीनस्थों को कर दिया जाना है। 3- अधिकांश निर्णय अधीनस्थ या क्षेत्रीय ईकाइयां करती है। 4- उत्पाद, सेवाएँ, संसाधन तथा उपकरणों का बिखराव पाया जाता है। 5- अधीनस्थों तथा जनता के सहयोग पर ही निर्भर करती है। 6- सामाजिक सेवाओं जनकल्याण तथा सामान्य विषयों में अधिक होती है। 7- जबकि इसमें सता की शक्तियां व कार्यो को निचले स्तर के प्रशासकों को वित्तरित कर देते है। निचली सता को कार्य व शक्तियों दी जाती है। 8- जबकि इसमें सता में बिखराव करने की प्रवृत्ति पाई जाती है।

17.15 नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबन्ध की अवधारणा एवं इनमें अन्तर

नवीन लोक प्रशासन तथा नवीन लोके प्रबन्ध दोनों में ही वर्तमान में कुशलता, मितव्यता, व प्रभावशीलता पर अधिक बल दिया जा रहा है।

1- नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा पूर्णतया नवीन या क्रांतिकारी नहीं है। बल्कि यह समयानुकुल तथा जनोन्मुख दृष्टि से युक्त और परम्परागत लोक प्रशासन में परिवर्धन की विचारधारा है। इसमें निम्न तत्व पाये जातें है।- जैसे 1. संदर्भ का महत्व 2. सदाचरण 3. नीतिशास्त्र एवं श्वाश्वत मूल्य 4. मौलिकता एवं नवाचार 5. संवित्त व्यक्तियों की चिन्ता 6. उतरदायित्व 7. सामाजिक सापेक्षता 8. नमनीय तटस्थता 9. प्रतिबद्वता आदि विशेषताएं देखी जा सकती है। इसमें प्रांसगिकता, मूल्य, सामाजिक समानता और परिवर्तन करने वाले लक्ष्य अत्याधिक समाजोन्सुखी तथा चिन्ताओं से परिपूर्ण दिखाई देते है। इसी तरह

2- नवलोक प्रबन्ध या एन.पी.एम.एक नया वैचारिक आन्दोलन या अवधारणा है। जिसे हम उतर नौकरशाही प्रतिमान, प्रबन्धवाद या बाजार आधारित लोक प्रशासन या उद्यमी शासन या उद्यमकर्ता शासन के नामों से जान सकते है। इसकी निम्न विशेषताएं देखी जा सकती है-

    1- यह प्रबन्ध दक्षता/कार्यकुशलता तथा निष्पादन मूल्यांकन पर बल देता है। 2. सरकारी अभिकरणों को उपभोक्ता-भुगतान आधार पर पुन: परिभाषित करना इसका एक कदम है 3. कई बाजार का उपयोब करना तथा प्रतिस्पर्धा के लिए ठेके देना इसके अन्य रूप है। 4. यह प्रतिमान लोक प्रशासन कम से कम खर्चीला बनाने तथा लागत कटौती पर ध्यान केन्द्रित करता है। 5. सीमित शर्तो के समझौते, आर्थिक प्रोत्साहन तथा अन्य विषयों के साथ निर्मित लक्ष्यों की प्राप्ति की एक शैली है। 6. यह विचारधारा सरकार से करने वाले की अपेक्षा जन सुविधाओं के वित्तरणकर्ता, सहजकर्ता तथा प्रोत्साहनकर्ता की भूमिका चाहती है। नवलोक प्रबन्ध वह प्रयास है जो लागत में कमी लाता है। लोक व्ययों को घटाता है, प्रबन्ध में कुशलता चाहता है, तथा अंतिम निष्पादन या निर्गत पर ध्यान केन्द्रित करता है। यह लोक प्रशासन को बाजार की ओर धकेलता है। लोक प्रशासन में प्रबन्ध के नियमों का समावेश की अनिवार्य करना ही प्रबन्धवाद कहलाता है। अब हम यहां निर्देशन लोक प्रशासन, नवलोक प्रबन्ध के प्रभेदों को समझेगे। प्रो. सुरेन्द्र कटारिया ने निम्न अंतर बताए है।

नवीन लोक प्रशासन	नवीन लोक प्रबन्ध
1- यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानीय	1- यह वैश्विक स्तर पर आए सामाजिक,

कारकों से उपजी एक प्रतिक्रिया है। 2- यह लोक प्रशासन के युवा विद्वानों का चलाया आन्दोलन माना जाता है। 3- यह लोक प्रशासन में प्रगतिशील विज्ञान बनाने का प्रयास है। 4- यह लक्ष्यों, मूल्यों तथा भावना पर टिका आन्दोलन था। 5- श्राजनीति-प्रशासन का एकीकरण, मानवीय दृष्टिकोण, मूल्यों से भरपूर प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, प्रत्यायोजन तथा सामाजिक कार्यकुशलता पर बल देना इस की मुख्य विशेषताएं थी। 6- यह लोक प्रशासन में राजनीति सिद्वान्तों को लाने का पक्षधर विचारधारा या शाखा है।	आर्थिक तथा राजनैतिक परिवर्तनों से उत्पन्न हुई विचारधारा है। 2- यह लोक प्रशासन सहित अन्य विषयों के प्रौढ़ एवं परिपक्व विद्वानों का वैचारिक सूत्र है। 3- यह लोक प्रशासन में प्रबन्ध के नियमों अर्थात प्रबन्धवाद का समर्थक है। 4- यह संचरना तथा शैली के ईर्द-गिर्द टिकी विचारधारा है। 5- प्रशासन में दक्षता, निष्पादन मूल्यांकन प्रभावशीलता, उद्यमशीलता, मितव्यतता, प्रतिस्पर्द्वा तथा निजी क्षेत्र में सामंजस्य स्थापित करना इसकी मुख्य विशेषताएं या आवश्यकताएँ है। 6- यह लोक प्रशासन में प्रबन्ध के तत्वों या सिद्वान्तों को समावेशित कराने का समर्थ विचार धारा या शाखा है।

17.16 लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की अवधारणा व अन्तर

लोक प्रशासन में लोक सार्वजनिक अर्थात जनता से जुडा होने के कारण सरकारी का भावार्थ नही देता है किन्तु जब लोक प्रशासन की निजी प्रशासन से तुलना करते है तो वह स्वत: ही ऐसा प्रतीत होने लगता है कि लोक प्रशासन मे लोक का अर्थ सरकारी से है वास्तव में है भी ऐसा ही । यह सही है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनो में प्रशासन शब्द समान रूप से प्रयुक्त होता है दोनो ही किन्ही उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु संगठित प्रयास करते है। लेकिन इन दोनो में समानताएं होते हुए भी बहुत सी असामानताएँ भी प्रतीत होती है । इसमे अन्तर उद्देश्यों, मूल्यो, तथा सामाजिक उतर दायित्वो का है अब हमें, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में व्याप्त प्रभेदो को यहॉ निम्नानुसार समझना चाहिए।

प्रभेद का आधार	लोक प्रशासन	निजी प्रशासन
1- क्षेत्र एंव आधार	1- इसका क्षेत्र एवं प्रभाव व्यापक होता है।	1- जबकि इसमें क्षेत्र एवं प्रभाव छोटा होता है।

2- उद्देश्य	2- इसका उद्देश्य जन सेवा करना रहा है।	2- जबकि इसका उद्देश्य लाभार्जन करना रहा है।
3- अधिकारिक प्रकृति	3- इसमें कतिपय क्षेत्रों पर एकाधिकार होता है।	3- जबकि इसमें प्रतिस्पर्धात्मक माहौल होता है।
4- राजनीतिक स्वरूप	4- इसमें लोक प्रशासन का राजनीतिक स्वरूप होता है	4- जबकि इसका स्वरूप अराजनैतिक होता है।
5- सांगठनिक आकार	5- इसमें आकार बहुत बड़ा होता है।	5- जबकि इसमें आकार प्राय: छोटा होता है।
6- कानूनी स्थिति	6- यह लोक-कानूनों से आबद्ध है	6- जबकि इसमें निजी कानून आधिक प्रभावी है।
7- उत्तरदायित्व	7- इसमें प्रशासन जनता के प्रति जवाब देय होता है।	7- जबकि इसमें जवाब देयता निश्चित ग्राहकों के प्रति है।
8- कार्यकरण	8- इसमें प्रशासन कठोरता से युक्त होता है।	8- जबकि इसमें प्रशासन लचीलेपन से सराबोर रहता है।
9- कार्यो का महत्व	9- इसमें अति गंभीर कार्य सामान्य भी हो सकते है।	9- इसमें प्राय: कम गंभीर कार्य में ज्यादातर लाभ देने वाले होते है।
10- पारदर्शिता	10- इसमें जनता के समय पारदर्शिता बरती जाती है।	10- जबकि इसमें जनता की नजरों में छिपाकर रखते है।
11- कार्यकुशलता	11- इसमें लाल फीताशाही से ग्रसित होकर अकुशलता पायी जाती है।	11- जबकि इसमें त्वरित प्रशासन होता है।

12- वित्तीय प्रशासन	12- इसमें वित्तीय प्रशासन पर बाहरी नियंत्रक होता है।	12- जबकि इसमें वित्त एवं प्रशासन में एकाकार पाया जाता है।
13- संविधान का प्रभाव	13- यह संविधान के आदर्शों से पूर्वतया प्रभावित्त रहते है।	13- जबकि इस प्रशासन में केवल निजी हितों से प्रभावित्त रहतें है।
14- बहरी दबाव	14- इसमें अत्यधिक बाहरी दबावो के अधीन कार्य करते है।	14- जबकि इसमें बाहरी दबावो से प्राय: मुक्त रहते है।
15- स्थायित्व	15- इनका संगठन स्थायी होता है।	15- जबकि इनका संगठन प्राय: अस्थायी भी हो सकता है।
16- कार्यो का चयन	16- इसमें कार्यो का चयन जनमत व राजनीति से प्रेरित होता है।	16- जबकि इसमें लाभ लागत के विश्लेषण से प्रेरित होते है
17- आजीविका सुरक्षा	17- इसमें आजीविका अधिक सुरिक्षत रहती है।	17- जबकि इसमें आजीविका कम सुरक्षित होती है।
18- परिवर्तन शीलाता	18- इसमें प्रशासन में शनै: परिवर्तन होता है।	18- इसमें प्रशासन में शीघ्र ही परिवर्तन हो सकता है।
19- जनसंपर्क	19- इसमें जनसंपर्क नैतिकता एवं कानून के दायरे में रहता है।	19- जबकि इसमें जनसम्पर्क स्वतंत्र व्यापारोन्मुखी होता है।
20- राष्ट्र निर्माण	20- इसमें राष्ट्रनिर्माण की भावना होती है।	20- जबकि इनमें राष्ट्र निर्माण की भावना नहीं पायी जाती है।

17.17 सारांश

प्रबन्ध का क्षेत्र हो या संगठन का या फिर प्रशासन का क्षेत्र हो, सभी में आदेश प्रबन्धन की परम आवश्यकता होती है। आदेशन और निदेशन की सत्ता के स्त्रोत के अन्तर्गत कानून परम्परा कानून, परम्परा और प्रत्यायोजन शामिल है। सत्ता हमें वैधानिक शक्ति से मिलती है और शक्ति को हम अनौपचारित सत्ता कहतें है। संगठन में नवीन अवधारणाओं जैसे नवीन लोक प्रशासन तथा नवीन लोक प्रबन्ध का प्रादुभाव हो गया है। प्रशासन के अन्तर्गत जब राजनीति के नियमों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो इसे हम नव लोक प्रशासन कहते है और जब प्रशासन में प्रबन्ध के सिद्वान्तो को स्थान दिया जाए तो इसे ही नवीन लोक प्रबन्ध या प्रबन्धवाद कहते है। कुशल प्रबन्धन के लिए अच्छी प्रणाली, संरचना, शैली, कर्मचारी ,कोशलता और रणनीति अपनाना परमावश्यक हो गया है । प्रबन्ध में मानवीय घटको को महत्वपूर्ण भूमिका रही है । मनुष्य को प्रबन्धकीय निर्देशन की व्यहरचना के हिसाब से आर्थिक, सामाजिक, आत्म अभ्यप्रेरित तथा जटिल मानव मे वगीकृत किया गया है इस इकाई में सर्वप्रथम प्रबन्ध एवं निर्देश । आदेश प्रबन्ध की अवधारणाओ, प्रकृति,विशेषताओ, क्षेत्रो तकनीको के विभिन्न आयामो को विवेचित किया गया है । आदेश निर्देश प्रबन्धन विविध सिद्वान्तो को बताया गया है। इसके बाद आदेश प्रबन्ध प्रसंगो के अन्तर्गत इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है । प्रबन्ध की अवधारणा के रूप में इसक तात्पर्य, विभिन्न, प्रबन्धशास्त्रियो द्वारा दी गई उपयोगी परिभाषाएं स्पष्ट की गई है प्रबन्ध के लक्षणो, क्षेत्र, सिद्वान्तो और कार्यो को विश्लेषित करने के साथ ही प्रबन्ध कीय आदेश निर्देश की रणनीतियो की स्पष्ट व्याख्या की गई है प्रसिद्व प्रबन्धशास्त्र के जनक हेनरी फयोल द्वारा दिए गए योगदान के रूप में आदेश (कमान) नियम को विशेषकर बताया गया है । इसके बाद प्रबन्ध ,प्रशासन और संगठन अभिशासन की अवधारणा एवं इसके विविध आयामो को स्पष्ट उल्लेखित किया गया है केन्द्रकरण, बनाम, विकेन्द्रीकरण, नवीनलोक प्रशासन एवं प्रबन्ध तथा लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के प्रभेदो को बारिकी से समझाया गया है सारांश मे हम यह कह सकते है कि समन्वय प्रबन्ध का सार तथा निर्देश आदेश प्रबन्ध के हदय स्थल की उपमा को सुशोभित किए हुए है निर्देशन ,आदेशन प्रबन्ध के संदर्भ मे मुख्यत: संचार, अभिप्रेरणा, नेतृत्व तथा पर्यवेक्षण चार आधार स्तम्भों की भूमिका का सफल निर्वहन कर रहे है। निर्देशन के बिना प्रबन्ध अपूर्ण ही रह सकता है।

17.18 प्रयुक्त शब्दावली

1- **संसाधन** से अभिप्रेत है मानव,सामग्री,यंत्र,विधियॉं,मुद्रा,बाजार तथा मानवीय, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक साधनों से है।
2- **प्रबन्ध** प्रक्रिया के अन्तर्गत नियोजन,संगठन,अभिप्ेरण,संगठन और संगठन के तत्व सम्मिलित है।

3- **निर्णयन** से अभिप्रेत सही समय पर सही फैसला लेने की कला प्रबन्धकीय क्रिया के सार से है।

4- **सतत-प्रक्रिया** से अभिप्रेत लगातार चलने वाली प्रबन्ध निर्देशन की कार्य वाही से है।

5- **प्रशासन** से तात्पर्य किसी संस्था के लिए नियोजन,संगठन और नीति निर्धारण के निदेश या आदेश के नियन्त्रन से है।

6- **प्रबन्ध** का अर्थ दूसरों से कार्य निष्पादित करने का कार्य है जिसमें नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयनत किया जाता है।

7- नूतन आयाम से तात्पर्य नयेनये विमाओं के गत्यात्मक एंव अभिनवकारी प्रवृत्तियों से है।

8- **बहुराष्टीय** से अभिप्रेत अनेक राष्टो के समग्र योग से है।

9- **बहु संस्थागत** से मतलब अनेक संगठनोंया कारोबारों के समूहन से है।

10-**सम्प्रेंषण** से तात्पर्य संदेश वाहन के बेहतर संचार प्रणाली से है।

11-**नवप्रर्वतन** से आशय संगठन में नये विचारों,नई वस्तुओं,नई किस्मों,नई प्रकल्पनाओं,नई कार्यप्रणालियों और नई योजनाओं से है।

12-**प्रतिनिधित्व** से आशय संस्था की तरफ से समस्या के समाधान या विचार विमर्श में सहभागिता निभाने से है।

13-**अन्त संम्बन्धित** से आशय एक से दूसरी वस्तु या व्यक्ति के अन्तरिक रूप से जुडनें से है।

14-**अभ्यास** से तात्पर्य बार-बार व्यावहारिक प्रयत्न करने से है।

15-प्रतिपादन से अभिप्रेत सिद्वान्तों की स्थापना करनें से हैं।

16-**सार्वभौमिकता** से तात्पर्य वैश्वीकरण के सर्वसुलभता से है।

17-**प्रणाली** से अभिप्रेत है इसकी बंटी हुई ईकाइयों ,भागों,व उपभागों की व्यवस्था से है।

18-**पुन: निवेश** से आशय गतिशील साम्यता हेतु प्रबन्ध की प्रतिपुष्टि लेने से है।

19-**घटक** के आशय प्रबन्ध प्रणाली के विविध तत्वों से है।

20-**रूपातरण** से तात्पर्य वातावरण से प्राप्त बदलाव करने से है।

17.19 अभ्यास प्रश्न

1 प्रबन्धकीय कार्य के रूप में निर्देशन क्या है संगठनात्मक प्रभावशाली के लिए इसके महत्व की विवेचना किजिए।

2 निर्देशन के विभिन्न सिध्दान्तों की चर्चा किजिए।

3 निर्देश आदेश से क्या तात्पर्य है? अच्छे निर्देशन प्रबन्ध की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए?

4 आदेश प्रबन्ध के संदर्भ मे निर्देशन के क्षेत्रों अथवा तकनीकों को स्पष्ट कीजिए।

5 प्रबन्ध के आदेश निर्देश के महत्व को उजागर कीजिए।

6 निर्देशन प्रबन्ध का हृदय है।प्रबन्ध के तत्वों और विभिन्न क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए।

7 प्रबन्ध के विभिन्न कार्यो के योगदान की समीक्षा कीजिए।

8 एक प्रबन्ध को निदान श्शास्त्री होना चाहिए। और उसे अपनी निर्देशन व्यूह रचना को लोगों व स्थितियों से सम्बद्र करना चाहिए।इसकी विवेचना कीजिए।

9 निर्देशन से आप क्या समझते है?इसकी प्रकृति एंव क्षेत्र की विवेचना कीजिए।

10 हैनरी फेयोल द्रारा प्रतिपादित किए गये आदेश(कमान) के नियम को बताइए।

11 सुशासन से आप क्या समझते है ? अभिशासन की अवधारणा और इसके आयामों को स्पष्ट कीजिए।

12 प्रबन्ध और प्रशासन को समझतें हुए प्रबन्ध प्रशासन और संगठन मे व्याप्त विभेद को बताइए।

13 प्रशासन और लोक प्रशासन से क्या तात्पर्य है।इसकी केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण मे विद्यमान अंतर की स्पष्ट कीजिए।

14 नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबन्ध की अवधारणा से आप क्या समझतें है? इनके बीच में व्याप्त अंतर को स्पष्ट कीजिए।

15 प्रशासन से क्या अभिप्राय है? लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में प्रभेदों को उजागर करें।

17.20 संदर्भ ग्रंथ

1- जी.एस.सुधा सामान्य प्रबन्ध - प्रथम संस्करण रमेश बुक डिपो सिविल लाइन जयपुर (राजस्थान), 2003

2- डॉ पी.के शाह एंव डॉ बी. डी.तातेड प्रबन्ध के सिध्दान्त एंव व्यवहार- प्रथम संस्करण,नेशनल पब्लिशिग हाउस 337,चौडा रास्ता जयपुर महानगर-302003 (राजस्थान), 2006

3- प्रो.सुरेन्द्र कटारिया, प्रशासनिक सिध्दान्त एंव प्रबन्ध चतुर्थ संशोधित संस्करण-नेशनल पब्लिशिंग हाउस 337 चौडा रास्ता जयपुर महानगर 302003 (राज.), 2005

4- डॉ सतीश मामोरिया एंव डॉ मोहनलाल दशोरा, सविवर्ग प्रबन्ध एंव औद्योगिक सम्बन्ध डॉ चतुभुज संशोधित संस्करण साहित्य भवन प्रकाशन हास्पिटल रोड आगरा -202003 (उतर प्रदेश), 2004

5- डॉ.जी.डी शर्मा डॉ. के.के शर्मा एवं जी.सी. सुराणा सेविवर्गीय प्रबन्ध- प्रथम संस्करण, रमेश बुक डिपो, सिविल लाइन्स जयपुर महानगर-302005(राजस्थान), 1990

6- आर.सी. खेड़ा ,दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रथम संस्करण, ऐलाइड बुक कम्पनी (पब्लिकेशन्स) एफ-4 गोखले बाजार, दिल्ली-110054 (भारत), 2006

7- हयूमेन रीसार्स एण्ड परसनल मैनेजमेन्ट टेक्टेस एण्ड केसेज-के 2004 9वां पुर्नमुद्रण-के अश्वथाप्पा टाटा मैकग्रा हिल्स पडिलाशिंग कम्पनी लि., पटेल नगर पश्चिम नई दिल्ली 110008 (भारत)

8- डॉ. आर.एल.नौलखा , प्रबन्ध के तत्व नवम् संस्करण, आदर्श प्रकाशन चौड़ा रास्ता जयपुर महानगर-302003 (राजस्थान), 1981

9- डॉ. आर.एल. नौलखा, व्यावसायिक संदेशवाहन एवं विक्रयकला नवां संस्करण आदर्श प्रकाशन चौड़ा रास्ता जयपुर महानगर 302003 (राजस्थान), 1981

इकाई -18

वित्तीय धोखाधड़ियों में सुरक्षा दिक्कतें

इकाई की रूपरेखा

18.0 उद्देश्य

18.1 प्रस्तावना

18.2 सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणा:

18.2.1 सुरक्षा का अर्थ

18.2.2 सुरक्षा की परिभाषाएँ

18.2.3 सुरक्षा के लक्षण

18.2.4 सुरक्षा के उद्देश्य

18.2.5 सुरक्षा के प्रकार

18.3 वित्तीय छल-कपट व धोखाधड़ी की अवधारणा

18.4 वित्तीय प्रबन्धन नियंत्रण के संकाय-संगठन

18.5 मुद्रा या वित्त प्रबन्ध के संप्रत्यय

18.5.1 मुद्रा/वित्त का तात्पर्य

18.5.2 वित्त प्रबन्ध की परिभाषाएं

18.5.3 मुद्रा प्रबन्ध की प्रकृति

18.5.4 वित्त प्रबन्धन कामहत्व

18.5.5 वित्त प्रबन्ध की समस्याएँ

18.5.6 वित्तीय प्रबन्ध की भूमिका

18.6 शराब और यातायात दुर्घटनाएँ

18.6.1 अर्थ

18.6.2 परिभाषाएं

18.6.3 उद्देश्य

18.6.4 विशेषताएँ

18.6.5 तकनीकें

18.7 सुरक्षा कार्यों में वित्तीय धोखाधड़ियाँ घोटालें।

18.8 हिसाब-किताब लेखांकन में कपटों से बचाने के उपाय।

18.9 सारांश

18.10 शब्दावली

18.11 अभ्यासार्थ प्रश्न

18.12 संदर्भ ग्रंथ

18.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के बाद आप यह जान सकेंगे कि:-

- सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणा के अन्तर्गत सुरक्षा के अर्थ, परिभाषाओं, लक्षण, उद्देश्य तथा प्रकारों के बारे में समुचित जानकारी हासिल कर सकेंगे।
- वित्तीय कपट या धोखाधड़ी की अवधारणा तथा वित्तीय प्रबन्धन नियत्रंण के संकाय-संगठनों से सुपरिचित हो सकेंगे।
- मुद्रा या वित्त प्रबन्धन-संप्रत्यय में इसकें तात्पर्य, परिभाषाओं, प्रकृति, महत्व, आवश्यकता समस्याओं और इसकी महत्ती भूमिका को समझ सकेंगे।
- प्रबन्धकीय लेखांकन की विभिन्न अवधारणात्मक पहलूओं जैसे-अर्थ, परिभाषाएँ, उद्देश्य, विशेषताओं और तकनीकों के बारे में सुविदित हो सकेंगे।
- सुरक्षा कार्यों में व्याप्त हुए घोटालों तथा अंत में हिसाब-किताब लेखांकन में कपटों से बचने के उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

18.1 प्रस्तावना

हमारे संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर 307 में वित्तीय सम्बन्धों के बारे में व्यवस्था की गई है। देश के वित्त संचालन के लिए केन्द्रीय स्तर एक हरेक 5 वर्ष तक के लिए वित्त आयोग का संवैधानिक गठन किया जाता है। इसी तरह देश की आयोजना करने के लिए नियोजन आयोग की स्थापना की जाती है। हमारे देश का प्रतिवर्ष आय-व्ययक विवरण (बजट) अनुच्छेद 112 तथा राज्यों सरकारों द्वारा अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण सदन के पटल के समक्ष रखा जाता है। वित्तीय बैंकों, संस्थानों के कुशल वित्त प्रबन्धन की व्यवस्था के लिए लेखाकर्म का सहारा लिया जाता है तथा वित्तीय मामलों को भारत

सरकार द्वारा नियुक्त नियंत्रक एवं महालेखा संपरीक्षक द्वारा केन्द्र सरकार के विभिन्न, मत्रांलयों विभागों, बैंकों, निगमों, उपक्रमों, मंडलों, प्राधिकरणों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं का सनद लेखाकार द्वारा लेखा-जोखा का अंकेक्षण-परीक्षण किया जाता है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विधायिका द्वारा प्रवर समिति और लेखा समितियों तथा निगमों, उपक्रमों में वित्त समिति का गठन करके वित्तीय प्रशासन और प्रबन्ध का कार्य लेखाशास्त्र बहीखातों एवं अंकेक्षण की सहायता से नियंत्रण किया जाता है। वित्तीय अनियमितता, कपट छल और धोखाधड़ी कारित हो सकती है। वित्तीय कमटों में सुरक्षा सम्बन्धी दिक्कतें या धमकियाँ भी आना स्वभाविक होता है। सुरक्षा कार्यो में घोटालें हुए हैं। आज समूची दुनियाँ मंदी के वित्तीय संकंट का सामना कर चुकी है। उस वैश्विक संकट को घड़ी में भारतीय अर्थव्यवस्था भी सितम्बर 2008 ने प्रभावित्त किया है। 11वीं योजना में हमारी देश के विकास की दर 9 फीसदी जी.डी.पी. रही है। मुम्बई में हुए आतंकी हमले के कारण देश की आर्थिक राजधानी की स्थिति खराब हो गई थी। भारत में नवीन आर्थिक नीति 1991 में वैश्वीकरण निजीकरण और उदारीकरण को अमल में लाया गया था। मुद्रास्फीति के कारण भारतीय रूप में गिरावट भी आई थी। इस इकाई के अन्तर्गत सुरक्षा वित्तीय प्रबन्ध, वित्तीय लेखांकन तथा प्रबन्ध की लेखांकन तथा वित्तीय धोखाधड़ी की अवधारणा की विवेचना की जायेगी। वित्तीय प्रबन्धन-नियत्रंण के संकाय संगठनों, सुरक्षा कार्यो में वित्तीय कपटों तथा लेखांकन में कपटों से बचाने के उपायों के बारे में भी स्पष्ट चर्चा की जायेगी। अत: वित्तीय कपटों में सुरक्षा दिक्कतें/अड़चने पैदा होना स्वाभाविक है। ई-सुरक्षा का भी लेखांकन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती जा रही है।

182. सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणा

18.2.1 सुरक्षा का अर्थ: इकाई के मन्तव्य के अनुसार सुरक्षा से हमारा सीधा सा तात्पर्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं राज्य की आंतरिक एवं बारही सुरक्षा, संरक्षा एवं लोक व्यवस्था, प्रशांति स्थापित करने से है और सुरक्षा कार्यो से हमारा मतलब देश की आंतरिक एवं ब्राहय सुरक्षा, संरक्षा और कानूनी और लोक व्यवस्था में कार्यरत पुलिस, सैन्यबलों, नागरिक दलों और अर्द्व सैनिक बलों के कर्मिकों अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई नागरिकों के जानमाल एवं राष्ट्र की सही सलामती सुख-शांति अमन-चैन एवं खुशहाली स्थापित करने से है। आज देश की एकता, अखण्डता और सम्प्रभुता को जातिवाद, धर्मवाद, साम्प्रदायिकतावाद, नस्लवाद, उग्रवाद, चरमपंथवाद, भाषावाद, अलगावाद एवं क्षेत्रीयतावाद, भष्ट्राचार, गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण आदि के कारण मानव जीवन के खतरे बन गये है। अत: सुरक्षा में खासकर सामरिक सुरक्षा, आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा, भोजन सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रतिक्षा आदि विस्तृत रूप में शामिल किए गये है। सामाजिक सुरक्षा से अभिप्राय: तो एक ऐसी आर्थिक एवं सामाजिक नीति से है जिसमें पूर्णरोजगार, पूर्ण चिकित्सा, आय सुरक्षा आदि योजनाओं का समावेश रहता है। भारत में कारखाना उद्योगवाद के आगमन के बाद भारत में सामाजिक सुरक्षा आन्दोलन

पांच अवधियों से गुजरा: 1. उदासीनता की अवधि 2. अव्यवस्थित विकास की अवधि 3. सुविचारित आयोजन की अवधि 4. क्रियान्वयन की अवधि तथा 5. समन्वय एवं सुदृढ़ीकरण की अवधि भारत में सामाजिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था भारत में सामाजिक सुरक्षा की निम्नलिखित व्यवस्थाएँ है- 1. श्रमिक क्षतिपूर्ति 2. मातृत्व हित लाभ 3. कर्मचारी राज्य बीमा 4. कोयला खान भविष्य निधि 5. कर्मचारी भविष्य निधि 6. परिवार पेंशन योजनाएँ 7. मृत्यु सहायता कोष 8. जमा संग्रह बीमा योजना 9. सामाजिक सुरक्षा प्रमाण-पत्र 10. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुरक्षा योजना 11. भुगतान योजना 12. बेरोजगारी भत्ता 13. विक्रय संवर्धन 14. श्रमजीवी पत्रकार 15. कर्मचारी पैंशन योजना 16. सामाजिक सुरक्षा की एकीकृत योजना 17. स्वास्थ्य आदि। सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ नीतियाँ प्रचलन में है।

भारत में व्यवसायिक रोग 24,19,25 उपचार की समानता दुर्घटना क्षतिपूर्ति 25,196 गोदी श्रमिकों की दुर्घटनाओं से सुरक्षा 34ए 1929 गोदी श्रमिकों की दुर्घटनाओं से पारस्परिक सुरक्षा 40, 1932 सशस्त्र सेना को सामाजिक सुरक्षा 68, 1944 आदि को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

भारत स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कल्याण के लिए निम्न को सहायता दी गई है***:*** **1.** सफेद फास्फोरस 6, 1919 **2.** पतनों पर नाविकों का कल्याण 46,1936 **3.** नाविक दलों को बिस्तर-चौका बरतन और विविध अवस्थाएँ 78, 1946 **4.** कल्याण सुविधाएँ 102, 1956 **5.** समुद्र पर चिकित्सा सेवा 106, 1958ए **6.** रसायनों के प्रयोग में सुरक्षा 177, 1990 **7.** दीर्घ औद्योगिक बीमारी निवारण 181 1993 **8.** खानों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य 183, 1995 **9.** व्यवहार की पारस्परिकता 2, 1919 **10.** राष्ट्रीय नाविक संहिता 9, 1920 **11.** बलातश्रम (अप्रत्यक्ष आध्यता) **12.** बलातश्रम नियमन 36, 1930 **13.** सार्वजनिक निर्माण (अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग) 50, 1930 **14.** समान पारिश्रमिक सुख्या 90, 1951 **15.** देशी एवं जनजातिय संख्या 104, 1957 **16.** समुद्रीनाविकों की नियुक्ति (विदेशी जलयान) 107, 1958 **17.** सामाजिक परिस्थिति एवं सुरक्षा 108, 1958 **18.** भेदभाव (नियोजन तथा व्यवसाय) 111,1958 **19.** परामर्श (औद्योगिक एवं राष्ट्रीय स्तर) 113, 1960 **20.** परिवेदनाओं की जांच संख्या 130, 1967 इत्यादि की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित किया गया है' इसमें सैनय दल के नाविक, फौजी भी सम्मिलित है।

18.2.2 **सुरक्षा की परिभाषाएँ**:

1- के.एन.वैद के अनुसार''सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी राज्य के ढांचे का एक खम्भा है। सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से राज्य प्रत्येक नागरिक को एक दिए हुए जीवन स्तर पर बनाये रखने का प्रयास करता है।''
2- प्रो.आर.सी. सक्सैना के कथनानुसार ''सामाजिक सुरक्षा एक गतिशील विचारधारा है जोकि विकसित देशों में निर्धनता, बेरोजगारी और बिमारी को समाप्त करने के राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक अत्यन्त आवश्यक पाठ है''

3- वी.वी. गिरी के अनुसार '' वर्तमान समय में सामाजिक सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा आधुनिक युग की एक गतिशील विचारधारा है जो सामाजिक व आर्थिक नीतियों को प्रभावित्त कर रही है। यह एक सीमित साधनों वाले व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा है जोकि अपने आप अथवा अन्य लोगों के संयोग से प्राप्त नहीं कर सकता है।

4- सर विलियम बेवरिज के अनुसार''सामाजिक सुरक्षा का अर्थ एक ऐसी योजना से है जिसके द्वारा आवश्यकता, बीमारी, अज्ञानता, फिजूल खर्ची और बेकारी-जैसे राक्षसों पर विजय प्राप्त की जा सकें।''

5- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघटन के अनुसार ऐसी आकस्मिकताएं जो बाल्यावस्था से वृद्वावस्था और मृत्यु के अतिरिक्त कमाने वाले की मृत्यु और उसी प्रकार के अन्य संकटों से सम्बन्ध रखती है, के लिए सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। एक व्यक्ति एक आकस्मिकताओं में स्वयं अथवा अन्य किसी व्यक्ति की सहायता से अपने आप मदद नहीं कर सकता है।''

6- प्रो.सिंह एवं सरल के अनुसार ''सामाजिक सुरक्षा समाज द्वारा प्राकृतिक सामाजिक, व्यक्तिगत और आर्थिक कारणों से उत्पन्न असुरक्षाओं के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करने का एक उपाय है। प्राकृतिक सुरक्षा में मृत्यु या बीमारी, सामाजिक असुरक्षा में आवास व्यवस्था से उत्पन्न दोष, व्यक्तिगत असुरक्षा, कार्यक्षमता का कम होना आर्थिक असुरक्षा से कम मजदूरी प्राप्त होना अथवा बेरोजगारी होना आदि सम्मिलित किए जाते है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करना, पुररूदद्धार करना और इस पर रोक लगाना होता है।

7- सुरक्षा कार्यो से तात्पर्य व्यक्ति, समाज, समुदाय, और राष्ट्र के आन्तरिक और बाहरी सुरक्षा के समेत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक सुरक्षा, संरक्षा, कानून एवं लोक व्यवस्था अशांति एवं असुरक्षा से संरक्षण देने वाले सुरक्षा कार्यो से है।- प्रो.पी.सी.जैन एवं प्रो. रमेश जैन अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में व्यक्ति या राष्ट्र को सुरक्षा, सुरक्षा परिषद द्वारा दी जाती है। राष्ट्रीय मामलों में सुरक्षा उसके द्वारा प्रदान की जाती है तथा स्थानीय व्यक्तियों नागरिकों जानमाल की रक्षा, सुरक्षा एवं संरक्षा राज्य के द्वारा प्रदान करने का कर्तव्य दिया गया है। सुरक्षा परिषद के कार्य और शक्तियां निम्नलिखित व्यक्त की गई है- 1. अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाये रखना। 2. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से सम्बन्धित कार्य 3. संवैधानिक कार्य 4. विविध कार्य दिए गये है। सुरक्षा परिषद आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह कार्य वह सशस्त्र बलों को शामिल करके और शामिल नहीं करके कर सकती है।

18.2.3 सुरक्षा के लक्षण: सुरक्षा के विभिन्न लक्षण है-

1- सुरक्षा कार्य सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामरिक सुरक्षा से सम्बन्धित होते है।
2- सामाजिक सुरक्षा में वृद्वावस्था, प्रसूति, असमर्थता, दुर्घटना, मृत्यु तथा बच्चों का लालन-पालन आदि है।
3- आर्थिक सुरक्षा में किसी प्रकार की व्यक्ति को हानि नहीं होने प्रति सुरक्षा शामिल होती है।
4- अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सुरक्षा किसी भी राज्य या राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आक्रमण इत्यादि के विरूद्ध दी जाती है।
5- राष्ट्रीय मामलों में व्यक्ति को सुरक्षा राष्ट्र या राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है व्यक्ति की जानमाल की रक्षा प्रदान की जाती है। व्यक्ति की जानमाल की रक्षा करने का कर्तव्य राज्य पर होता है।
6- इसमें व्यक्ति की आकस्मिक कताओं, आवश्यकताओं असमर्थताओं के समय क्षतिपूर्ति, पुरूद्धार तथा निवारण करने के उपाय सम्मिलित किए जाते है।
7- एक देश से दूसरे देश या देशों के बीच आक्रमण होने पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध, वायु, जल एवं थल विधि के अनुरूप ही संरक्षण सुरक्षा प्रदान की जाती है।
8- दो राष्ट्रों के बीच विवाद होने पर यह शांति सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दो राज्यों/प्रदेशों के बीच में विवाद होने पर यह मामला केन्द्र सरकार के पास सोपा जाता है।

18.2.4 सुरक्षा के उद्देश्य: व्यक्ति की आकस्मिकताओं के विरूद्ध सुरक्षा हेतु सामज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक सुरक्षा प्रदान करते है। सुरक्षा कार्यों के उद्देश्य निम्नलिखित व्यक्त किए गये है-

1- सुरक्षा कार्यों का उद्देश्य व्यक्ति का सामाजिक कल्याण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करना रहा है।
2- देश की आतंरिक और बाहरी सुरक्षा की रक्षा करने का उद्देश्य हो सकता है।
3- देश एवं राज्य की कानूनी, एवं लोक व्यवस्था, सदाचार, लोक प्रशांति स्थापित करने का उद्देश्य हो सकता है।
4- व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करना, पुनरूद्धार करने तथा उत्पादन क्षमता के नुकसान को रोकने की सुरक्षा हो सकती है।
5- व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा के तहत प्रसूति, वृद्वावस्था, बीमारी, असमर्थता, दुर्घटना, बीमारी, बेरोजगारी, मृत्यु, अज्ञानता, फिजूलखर्ची, भष्ट्राचार, के विरूद्ध सुरक्षा हो सकती है।
6- अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाये रखना अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करना।

7- संवैधानिक कार्यों के प्रति व्यक्तयों को संरक्षण प्रदान करना।
8- सुरक्षा, शांति, न्याय एवं लोक व्यवस्था हेतु सुरक्षा, बलों अर्द्धसैनिक दलों, पुलिस एवं नागरिक दलों द्वारा सुरक्षा प्रदान करना।
9- साइबर अपराधों, आंतकवादी कार्यों, नक्सलवाद, उग्रवाद, जातिवाद, सम्प्रदायिकतावाद, भाषावाद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करना।
10- देश की बैंकिंग वाहन, निजी, लोक, आंतरिक, बाहरी, सीमा, तटीय,जलयान, वायुयान, मोटरयान, सड़क, यातायात, परिवहन, दूरसंचार, जनसंख्या, तकनीकी, प्रबन्ध, अभियांत्रिकी, कला, संस्कृति, सामाजिक, भौगोलिक, अंतरिक्ष सुरक्षा प्रणालियों के सुरक्षा कार्यों द्वारा सहायता प्रदान करना।
11- सुरक्षा रक्षक, अन्वेषण, तालासाजी, वैधुतकीय, सुरक्षा प्रणाली, मूल्यवान परिवहन तथा सुरक्षा परामर्श जैसे कार्यों में अभिकरणों को स्थापित करना।

18.2.5 सुरक्षा के विभिन्न प्रकार: सुरक्षा कार्यों को सुविधा के लिए हम निम्न भागों में विभक्त कर सकते है।

1- अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा 2. राष्ट्रीय आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा 3. तकनीकी सुरक्षा 4. विज्ञान-सुरक्षा 5. सामाजिक सुरक्षा 6. आर्थिक सुरक्षा 7. राजनीतिक सुरक्षा 8. पर्यावरणीय सुरक्षा 9. सामुद्रिक एवं तटीय सुरक्षा 10. जल, थल एवं वायु सुरक्षा 11. सांस्कृतिक सुरक्षा 12. भौगोलिक सुरक्षा 13. खाद्य एवं भोजन सुरक्षा 14. दूर संचार सुरक्षा 15. जनसंचार सुरक्षा 16. राष्ट्रीय पुरातत्वीय स्मारकों एवं संग्रहालयों की सुरक्षा 17. एकता, अखण्डता एवं सम्प्रभुता की सुरक्षा 18. नागरिक-सुरक्षा 19. सीमा सुरक्षा 20. बंदरगाहों, रेल्वे स्टेशनों एवं हवाई अड्डों की सुरक्षा 20. कर्तव्यों एवं उतरदायित्वों की सुरक्षा 21.विधि एवं न्याय का संरक्षण 22. बालकों एवं महिलाओं की सुरक्षा 23. मौलिक एवं मानव अधिकारों की सुरक्षा 24. रेल्वे सुरक्षा एवं संरक्षा 25. शैक्षणिक सुरक्षा 26. प्रबन्धकीय सुरक्षा 27. व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय की सुरक्षा 28. कार्मिकीय सुरक्षा 29. अभियांत्रिकीय सुरक्षा 30. राष्ट्रीय अस्मिता की सुरक्षा 31. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की सुरक्षा 32. पुलिस, सैनिक बलों तथा अर्द्व-सैनिक बलों द्वारा सुरक्षा 33. पशुधन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण 34. वानिका संरक्षण 36. वित्तीय एवं ई-सुरक्षा 37. पंचायत राज एवं सहकारिता सुरक्षा 38. मानव संसाधन सुरक्षा 39. जल संसाधन सुरक्षा 40. उर्जा सुरक्षा आदि सुरक्षा कार्यों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया गया है।

18.3 वित्तीय छल कपट/धोखाधड़ी की अवधारणा

भारत में बैंकों के विरूद्ध अपराधों में मुख्य रूप से लूटपाट, डकैती, चोरी और सेंधमारी जैसे घिनौने आर्थिक व्यवस्था के विरूद्ध अपराध आते है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 1999-

2000 के अनुसार 113 लूटपात कारित की गई थी जिनमें 10 करोड़ 32 लाख रूपयों की लूट को अंजाम दिया गया था। सैंधमारी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं में जोर ज्यादा पकड़ने लगा है। ये बैंक परिसरों में अवैध रूप से प्रवेश करते है। नकद तिजोरी के लेने के लिए पहुंच जाते है। आलमारी को तोड़कर खोल लेते है। सैंधमारी प्राय: अंधेरे में कारित की जाती है। बैंक शाखाओं से नकदी राशि की चोरी होने लगी है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 392 से 402 तक मेकं लूट - लूट का दण्ड आदि का दण्ड का विधान किया गया है। बैंक संरक्षण अधिनियम 1968 पारित किया गया था। कार्यालय अभिलेखों के संरक्षण हेतु 1993 में अभिलेखों का संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित कर दिया था।

छल/कपट के आवश्यक तत्व इस प्रकार है-

1- प्रवंचना/धोखाधड़ी करके एक व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित किया जाए इस प्रकार प्रवंचित व्यक्ति को कोई व्यक्ति की सम्पति किसी व्यक्ति को परिदत करने या कोई व्यक्ति की सम्पति को रखने की सम्मति देने के लिए उत्प्रेरित किया जाए अथवा

2- इस प्रकार प्रवंचित व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने या करने का लोप करने के लिए उत्प्रेरित किया जाए जिसे वह प्रवंचित न किए गये जाने पर न करता हो न ही लोप करता ही अथवा

3- उपर्युक्त में आच्छादित मामलों में कार्य व लोप वह होना चाहिए कि उससे उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति सम्बन्धित या साम्पतिक नुकसान या अपहानिक कारित होती है या कारित होनी सम्भाव्य है। इसमें बेईमानी से छिपाना धोखा चल सम्पति के लिए उत्प्रेरणा देना शामिल है।

18.4 वित्तीय नियंत्रण करने वाले संकाय संगठन

भारत वित्तीय मामलों के लिए बैंक, वित्तीय संस्थाएं, विकास एवं विनियोग संस्थाए, निकाय, समवाय, उपक्रम, मंडल इत्यादि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय नियंत्रण के लिए जिम्मेदार माने गये है। इनमें भारतीय रिर्जव बैंक 20 राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, औद्योगिक बैंक, कृषि एवं बैंक स्थापित किये गये है। इनके अलावा निम्नलिखित वित्तीय औद्योगिक संस्थाएं वित्त नियंत्रण करने मे अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। यथा 1. भारत का औद्योगिक वित्तीय निगम 2. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम 3. भारतीय आयात-निर्यात बैंक 4. भारतीय औद्योगिक पुन: निर्माण बैंक 5. भारत के जहाजरानी तथा विनियोजन निगम 6. संरचनात्मक और वितिय सेवा लिमिटेड़ 7. भारत तकनीकी विकास एवं सूचना कम्पनी लिमिटेड 8. जोखिम पूंजी तथा तकनीकी वित्त निगम लि. 9. पर्यटन वित्तीय निग 10. ग्रामीण विकास एवं कृषि के लिए राष्ट्रीय बैंक 11. कृषि वित्त परामर्श लि.12. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 13. राज्य वित्त निगम 14. राज्य औद्योगिक निगम एवं विनियोग निगम 15. राज्य लघु उद्योग विकास निगम 16. भारत लघु

उद्योग बैंक 17. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 18. भंडारगार निगम 19. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 20. तकनीकी परामर्श संगठन 21. जैव तकनीक निगम लि. 22. भारतीय रेल वित्त निगम 23. संरचनात्मक विकास वित्त कम्पनी 24. उतरी-पूर्वी विकास वित्त निगम 25. जमा बीमा तथा साख प्रत्याभूति निगम 26. निर्यात साख एवं प्रत्याभूति निगम 27. सरकारी प्रति भूमि बाजार 28. बहा बाजार 29. औद्योगिक प्रतिभूति बाजार 30. विदेशी विनियम बाजार 31. रीको लि. इत्यादि वित्तीय नियंत्रण करने वाले संकाय हो सकते है :-

18.5 मुद्रा या वित्त की अवधारणा

मुद्रा व्यवसाय का मूलाधार है। कोई भी व्यवसाय वित्त या मुद्रा के बगैर न तो प्रारम्भ किया जा सकता है और न उसका विकास संभव है। व्यवसाय की सफलता मुद्रा की पर्याप्त एवं मुद्रा के प्रभावपूर्ण प्रबन्ध पर निर्भर करती है। व्यक्तिगत व्यावसायिक संगठनों (एकाकी, स्वामित्व एवं साझेदारी संगठनों) की मुद्राव्यवस्था करना सरला होता है। इनका स्वरूप व्यक्तिगत होता है तथा इनकी मुद्रा आवश्यकताएं सीमित होती है। परन्तु व्यावसायिक संगठनों का स्वरूप अव्यक्तिगत होने पर उसकी मुद्रा व्यवस्था करना अधिक कठिन हो जाता है। निगम उपक्रमों की मुद्राव्यवस्था उनके व्यक्तिगत स्वरूप तथा मुद्रा की अधिक मात्रा में आवश्यकता के कारण अत्यधिक जटिल एवं कठिन होती है। मुद्रा का उपयोग चाहे वह घरेलू वित्त हो या चाहे/विदेशी मुद्रा का उपयोग प्रतिरक्षा तथा देश में सुरक्षा कार्यों के लिए खरीद-फरोख्त की जाती है। इसमें वित्त की जरूरत उनके नियोजन कल्याण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा प्रशिक्षण तथा सैनिकों/फौजियों/पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों के प्रयोग के लिए यातायात, परिवहन, खान-पान, सामरिक उपकरणों, जनसंचार के माध्यमों की आवश्यकता रहती है। मद्रा प्रबन्ध इन जटिलताओं एवं कठिनाईयों का समाधान करता है। सामान्यतया मुद्रा के दो प्रकार बताए गये है- (1) सार्वजनिक वित्त या मद्रा तथा (2) निजी मुद्रा या वित्त सार्वजनिक मुद्रा का तात्पर्य राजकीय मुद्रा से होता है। सार्वजनिक मुद्रा में इस बात का अध्ययन किया है कि विभिन्न सार्वजनिक सताएँ किस प्रकार अपनी मुद्रा व्यवस्था करती है। सार्वजनिक सताओं में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय सम्मिलित होते है। सार्वजनिक मुद्रा में यह देखा जाता है। इस आय को किसी प्रकार सार्वजनिक हित में व्यय करती है। सार्वजनिक मुद्रा में सार्वजनिक ऋण को भी शामिल किया जाता है। संक्षेप में सार्वजनिक मुद्रा में सार्वजनिक आय, व्यय तथा ऋण सिद्वान्तों एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। निजी मुद्रा का तात्पर्य निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं की मुद्रा से होता है। इसके अन्तर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न व्यक्ति तथा निजी संस्थाएं किस प्रकार आय प्राप्त करती है। इस आय को किस प्रकार अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय करती है। निजी मुद्रा को तीन उप-विभागों में बांटा जा सकता है। वैयक्तिक मुद्रा, व्यावसायिक मुद्रा तथा गैर लाभ कमाने वाली संस्थाओं का मुद्रा वैयक्तिक मुद्रा में व्यक्ति के द्वारा दैनिक कार्यों में धन के प्रबन्धन की आधारभूत बातों का अध्ययन किया जाता है।

व्यवसायिक वित्त में लाभोपार्जन के उद्देश्य से संचालित किए जाने वाले उपक्रमों की मुद्रा व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। गैर लाभ कमाने वाली संस्थाओं की मुद्रा में शैभिक मूर्त और धार्मिक संस्थानों की मुद्रा सम्बन्धी सिद्वान्तों और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मुद्रा का विकास हुआ है अनेक विशिष्ठ औद्योगिक मुद्रा संस्थाएँ इस कार्य के लिए स्थापना हुई है। जैसे-भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राज्य मुद्रा निगमें आदि की स्थापना हुई है। दुनियाके सभी देशों का विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। विदेशी व्यापार की सुगम वित्त व्यवस्था तथा जटिल प्रक्रियाओं को हल करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का विकास हुआ तथा अनेक नई राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं मुद्रा की व्यवस्था हेतु स्थापित की गई है। विदेशी मुद्रा एवं विनिमय सम्बन्धी समस्याएँ भी इसके अन्तर्गत हल की जाती है। व्यावसायिक मुद्रा का सम्बन्ध लाभापार्जन के उद्देश्य से संचालित किए जाने वाले उपक्रमों की मुद्रा व्यवस्था करने से होता है। देश की आतंरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विदेशों से सामरिक एवं तकनीकी सुरक्षा साधनों, उपकरणों, जनसंचार के साधनों का बाहरी विकसित देशों से राडार, राकेटों, मिसाइलों, हैलीकोप्टरों, टैंकरों, वायुयानों, लड़ाकू विमानों, जहाजों, पनडुब्बियों का आयात किया जाता है। सुरक्षा कार्यो में वित्तीय घपलों, घोटालों अनियमितताओं, कपटों तथा धोखाधड़ी करने वाले मामलें भी सभी को मालूम है। इसमें हैलीकोप्टर विक्रांत घोटाला, बोफोर्स तोप घोटाला, ताबूत घोटाला, तथा आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति घोटाला सुरक्षा कार्यों में वित्तीय धोखाधड़ियों और कपटों को प्रदर्शित करते है।

18.5.1 मुद्रा/वित्त का तात्पर्य: मुद्रा प्रबन्ध व्यावसायिक प्रबन्ध का एक कार्यात्मक क्षेत्र है। यह सम्पूर्ण प्रबन्ध का ही एक भाग होता है। मुद्रा प्रबन्ध उपक्रम के मुद्रा तथा मुद्रा क्रियाओं के सफल तथा कुशल प्रबन्ध के लिए जिम्मेदार होता है। यह कोई उच्च कोटि की लेखांकन अथवा मुद्रा सूचना प्रणाली नहीं होता है। यह फर्म के मुद्रा तथा मुद्रा से सम्बन्धित पहलुओं पर निर्णय करने तथा नीति निर्धारित करने से सम्बन्धित क्रियाओं का समूह होता है। इसमें मुद्रा रोकड़ प्रवाह, सारव, मूल्य एवं लाभ नीतियाँ, निष्पादित नियोजन एवं मूल्यांकन तथा बजटरी नियंत्रण नीतियां एवं प्रणालियां शामिल होती है। बटजरी नियंत्रण एवं प्रणालियां प्रमुख रूप से मुद्रा प्रबन्ध के क्षेत्र में आती है। परन्तु ये अन्य विभागों के सहयोग एवं सहमति के बगैर प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित नहीं किये जा सकते है। मुद्रा प्रबन्ध उपक्रम के व्यापक हितों का प्रतिनिधित्व करता है तथा यह इनके के लिए संस्था का रखवाला कुता होता है। मुद्रा प्रबन्ध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया जा सकता है।

18.5.2 वितिय प्रबन्ध की परिभाषाएँ:

1- हावड़े एवं उपटन के शब्दों में ''मुद्रा प्रबन्ध नियोजन तथा नियत्रंण को मुद्रा कार्य पर लागू करना है''।

2- वैस्टन एवं ब्राइगम के अनुसार ''वित्तीय प्रबन्ध मुद्रा निर्णय लेने की वह क्रिया है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों और उपक्रम के उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करते है।
3- जे.एल. मैसी के अनुसार ''मुद्रा प्रबन्धन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचलनों के लिए आवश्यक मुद्रा को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावीढंग से उपयोग करने के लिए दायी होती है।
4- जे.एफ.ब्रेडले के मतानुसार मुद्रा प्रबन्ध व्यावसायिक प्रबन्ध का वह क्षेत्र है जिसका सम्बन्ध मुद्रा के विवेकपूर्ण उपयोग एवं मुद्रा साधनों के सतर्क चयन से है ताकि व्यय करने वाली इकाई (फर्म) अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सके।
5- इजरा सोलोमन के अनुसार मुद्रा प्रबन्ध व्यावसायिक प्रबन्ध का वह क्षेत्र है जिसका सम्बन्ध मुद्रा के विवेकपूर्ण उपयोग एवं मुद्रा साधनों के सतर्क चयन से है ताकि व्यवसाय करने वाली इकाई (फर्म) अपने उद्देश्यों की प्राप्ति को ओर बढ़ा सके।
6- व्हीलर के मतानुसार वित्त या मुद्रा प्रबन्ध का अर्थ उस क्रिया से होता है, जो उपक्रम के उद्देश्यों एवं मुद्रा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुद्रा कोषों के संग्रहण एवं उनके प्रशासन से सम्बन्ध रखती है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार वह क्षेत्र हैं। जिसके अन्तर्गत व्यवसाय की मुद्रा क्रियाओं एवं मुद्रा कार्य का कुशल संचालन किया जाता है। इसके लिए नियोजन आवेदन एवं नियंत्रण के कार्य किए जाते है।

18.5.3 मुद्रा प्रबन्ध की प्रकृति: आधुनिक विचारधारा के अनुसार मुद्रा कार्य व्यावसायिक प्रबन्ध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अत: वित्त प्रबन्धक की भूमिका भी महत्वपूर्ण बन गई है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार मुद्रा कार्य प्रबन्ध की निम्न विशेषताएं पायी जाती है।

1- वित्तप्रबन्ध व्यवसायिक प्रबन्ध का एक अभिन्न अंग है तथा मुद्रा प्रबन्धक उच्च प्रबन्ध टोली के सक्रिय सदस्यों में से एक होता है।
2- वित्त प्रबन्ध एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। परम्परागत मुद्रा प्रबन्ध की धारणा के अन्तर्गत मुद्रा प्रबन्धक की प्रक्रिया निरन्तर नहीं चलती थी, बल्कि यह प्रक्रिया कुछ विशिष्ट घटनाओं के घटित होने पर जाग्रत होती है।
3- यह वर्णनात्मक कम तथा विश्लेषणात्मक अधिक होती है। जबकि परम्परागत वित्त प्रबन्ध वर्णनात्मक अधिक तथा विशेषणात्मक कम था। आज वित्त विश्लेषण की सांख्यिकी तथा गणितात्मक विधियाँ विकसित हो गई है।
4- यह लेखांकन कार्य से भिन्न होती है। लेखांकन कार्य में मुद्रा एवं सम्बन्धित समैकों का संग्रहण किया जाता है जबकि वित्त कार्य में इनका निर्णयों के लिए विश्लेषण और उपयोग किया जाता है।

5- वित्त प्रबन्ध केन्द्रीकृत स्वभाव की होती है। आधुनिक व्यावसायिक क्षेत्र में मुद्रा प्रबन्ध का स्वभाव केन्द्रीकृत है।

6- मुद्रा प्रबन्ध का क्षेत्र व्यापक होता है। मुद्रा प्रबन्ध का कार्य उपक्रम की अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन मुद्रा आवश्यकताओं के लिए साधनों को प्राप्त करना, उनका आवंटन करना तथा अनुकुतम उपयोग करना है। मुद्रा प्रबन्ध लेखांकन, अंकेक्षण, लागत लेखांकन, व्यावसायिक बजटन, रोकड़ व साख प्रबन्ध, सामग्री प्रबन्ध आदि के लिए उतरदायी है।

7- यह उच्च प्रबन्धकों के निर्णय में सहायक होती हे। मुद्रा प्रबन्ध की आधुनिक विचारधारा के अनुसार मुद्रा प्रबन्धक उपक्रम के सर्वोच्च प्रन्धक को निर्णय लेने में सहायता पहुँचाता है।

8- कार्य निष्पति का मापक होता है। आधुनिक युग में व्यावसायिक उपक्रम में विभिन्न कार्यों की निष्पति को मुद्रा परिणामों में मापा जाता है।

9- उपक्रम के अन्य विभागों से समन्वय बनाये रखना आवश्यक होता है।एक मुद्रा प्रबन्धक उपक्रम के अन्य विभागों के सहयोग तथा समन्वय के बगैर प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर सकता है।।

10-मुद्रा नियोजन, नियत्रंण एवं अनवर्तन होना चाहिए। आधुनिक विचारधारा के अनुसार मुद्रा प्रबन्ध में साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग के लिए योजना बनाना, उनके अनुसार साधन प्राप्त करना, प्रभावी उपयोग करना, बजट के अनुसार नियंत्रण करना, वियलनों की खोज करना तथा अनुवर्तन द्वारा सुधारात्मक कार्य करना शामिल होता है।

11-वित्त प्रबन्ध सभी प्रकार के संगठनों पर लागू होता है। चाहे वे संगठन निर्माण हो अथवा सेवा संगठन हो अथवा एकाकीस्वामित्व वाले अथवा निर्गमित संगठन चाहे प्रतिरक्षा या सुरक्षात्मक संगठन हो, चाहे कृषि एवं उपयोग संगठन की क्यों न हों, यह गैर-लाभकारी संगठनों की क्रियाओं पर लागू होता है।

मुद्रा प्रबन्ध का क्षेत्र अथवा कार्य:-एक व्यावसायिक उपक्रम में मुद्रा प्रबन्ध को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होते है। जिन्हें वित्त के कार्यों के रूप में जाना जाता है। इन्हें मुद्रा कार्य के क्षेत्र अथवा मुद्रा कार्य की विषय वस्तु के रूप में जाना जाता है। एक मुद्रा प्रबन्धक को विनियोग मुद्रायन एवं लाभांश नीति निर्णय के कार्य करने पड़ते है। कुछ विशेषज्ञों ने मुद्रा प्रबन्ध के कार्यों को आवर्ती मुद्रा कार्यों/अनावर्ती मुद्रा कार्यो तथा नैत्यक कार्यों में बांटकर इसका वर्णन किया है। 1.आवर्ती मुद्रा कार्यों के अन्तर्गत कोषों का नियोजन 2. कोषों का संग्रहण 3. कोषों का आंवटन 4. आय का आवंटन 5. कोषों का नियंत्रण 6. फर्म के अन्य विभागों से समन्वय रखना शामिल किया गया है।इसी तरह अनावर्ती कार्यों के अन्तर्गत 1. मुद्रा योजना का निर्माण 2. संविलयन के समय सम्पतियों का मूल्यांकन 3. तरलता के अभाव के समय पुन समायोजन कार्य अनावर्ती

मुद्रा कार्यो के अन्तर्गत आते है। वित्त के नैत्यक या दैनिक कार्य निम्नलिखित बताए गए है। (1) रोकड़ प्राप्ति एवं उसके वित्तरण का पर्यवेक्षण (2)तरलता के अभाव के समय पुन सर्मयोजन कार्य अनावर्ती मुद्रा कार्यो के अन्तर्गत आते है। वित्त के नैत्यक या दैनिक कार्य निम्नलिखित बताए गए है। (1) रोकड़ प्राप्ति एवं उसके वित्तरण का पर्यवेक्षण (2) रोकड़ शेषों को व्यस्थिति सुरक्षित रखना (3) प्रत्येक व्यवहार का लेखा करके लेखों को सुरक्षित रखना (4) उधार के व्यवहारों का प्रबन्ध करना (5) प्रतिभूतियों व महत्वपूर्ण प्रलेखों की सुरक्षा रखना (6) पेंशन व कल्याण योजनाओं का प्रशासन (7) शीर्ष प्रबन्ध को सूचनाएँ भेजना (8) राजकीय नियमों का पालन करना इत्यादि कार्य वित्त प्रबन्ध के व्यक्त किए गए है।

इस तरह आधुनिक वित्तीय प्रबन्ध के निम्नलिखित प्रमुख लक्षण या कार्य व्यक्त किए जा सकते है। 1. निश्चयीकरण का केन्द्र-बिन्दु 2. सत्त प्रशासनिक कार्य 3. व्यवसायिक सफलता का निर्णायक 4. कार्य निष्पति का मापक 5. वित्तीय नियोजन एवं नियत्रंण 6. केन्द्रीय प्रकृति मूलत: होती है। वित्तीय प्रबन्ध व्यावसायिक प्रबन्ध का एक मुख्य अंग है। यह प्रबन्ध का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। एक सफल वित्तीय प्रबन्धक को लेखाशास्त्र, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र तथा व्यावहारिक विज्ञान आदि का ज्ञान सहायक सिद्व होता है।

18.5.4 वित्त प्रबन्धन का महत्व: व्यावसायिक तथा सरकारी संगठनों में वित्त प्रबन्ध का महत्व पिछले 50-60 वर्षों में अत्यधिक बढ़ गया है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व तक प्रबन्ध की परम्परागत विचारधारा के अन्तर्गत मुद्रा प्रबन्ध का कार्य संस्था के लिए उचित शर्तों पर मुद्रा प्राप्त करना था। वित्त आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था का जीवन रक्त है। यह समस्त क्रियाओं का आधार हे। इसके अभाव में न तो उपक्रम को प्रारम्भ किया जा सकता है। प्रबन्ध के महत्व अथवा उसकी उपयोगिता को निम्न शीर्षकों में देखा जा सकता है। (1) उपक्रम की सफलता का आधार (2) साधनों का अनुकुलतम आबंटन एवं उपयोग (3) निर्णय का केन्द्र बिन्दु (4) कार्य निष्पति एवं कुशलता का मापन (5) नियोजन समन्वय एवं नियत्रंण का आधार (6) राष्ट्रीय महत्व (7) व्यावसायिक प्रबन्धकों कीजिए उपयोगिता (8) अंशधारियों की उपयोगिता (9) मुद्रा संस्थाओं के लिए उपयोगिता (10) अन्य व्यक्ति राजनीति, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री एवं प्रबन्ध विषय के विद्यार्थी इससे लाभान्वित होते है।

मुद्रा या वित्त की आवश्यकता**:-** प्रत्येक उद्योग व्यवसाय, कारोबार, सरकारी तंत्र को चलाने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। आधुनिक उद्योगों में तो बड़ी मात्रा में मुद्रा का विनियोग करना पड़ता है। प्रत्येक उद्योग को चलाने के लिए चल और अचल दोनों प्रकार के वित्त की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो सुरक्षा उद्योग हो अन्य कोई निर्माणी उद्योग हो को स्थापित करने उसकी संभावनाओं की खोज करने की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रा की जरूरत पड़ती है। इसके बाद प्रतिरक्षा उद्योग के लिए स्थायी सम्पति जैसे- भूमि, यंत्र, फर्नीचर आदि खरीदने पड़ते है जिसके लिए धन की आवश्यकता होती है फिर उद्योग चलाने के लिए कच्चा माल खरीदरने मजदूरी वेतन, किराया और अन्य प्रकार के

खर्चे पूरा करने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। इस तरह सुरक्षा, कार्यों के लिए सुरक्षा, पुलिस, सेना और अर्द्धसैनिकों के वेतन, प्रशिक्षण, औजार, उपकरण एवं हथियार खरीद जरूरत पड़ती है। इनके निवास और खान-पान, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण कार्यों पर भी सुरक्षा कर्मियों के कल्याण पर खर्च करना पड़ता है। इसलिए भी वित्त की जरूरत रहती है। भारतीय उद्योग तथा सुरक्षा उद्योग निम्नलिखित स्त्रोतों से मुद्रा सहायता प्राप्त करते है। (1) जनता के द्वारा विनियोग करना (2) सामान्य अंश-पत्र (3) पूर्वाधिकार अंश-पत्र (4) ऋण-पत्रों के द्वारा ऋण देना (5) जनता द्वारा जमा की गई रकमें (6) प्रबन्धक अभिकर्ता (7) औद्योगिक सहकारी समितियाँ (8) व्यापारिक बैंकस (9) बीमा कम्पनी (10) विनियोग प्रसन्यास (11) सरकारी सहायता (12) विशिष्ट मुद्रा संस्थाएं जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय इकाई प्रन्यास, बैंक आदि भारत में वर्तमान में अखिल भारतीय स्तर पर वित्त प्रदान कर रही है तथा राज्य स्तर पर राज्य वित्त निगम तथा अन्य राज्य स्तरीय मुद्रा संस्थायें औद्योगिक विकास में अपना योगदान दे रही है।

18.5.5 वित्त प्रबन्ध की समस्याएँ: औद्योगिक वित्त एवं सुरक्षा कार्यों में वित्त की समस्या अथवा औद्योगिक मुद्रा की पूर्तिकम होने के कारणों को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है। (i)बचतों मेकं कमी (ii) बचतों का विनियोग नही (iii) साहसी प्रवृत्ति की कमी (iv) राष्ट्रीयकरण का भय (v) भारी कराधान (vi) मुद्रा स्फीति की हानियां (vii) मूल्यों में अधिक उतार-चढ़ाव (viii) औद्योगिक श्रम की सुरक्षा (ix) समुचित मुद्रा संस्थाओं का अभाव (x) व्यापारिक बैंकों के विकास की धीमी गति (xi) देश की आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा पर उचित प्रशिक्षण का अभाव (xii) तकनीकी का उन्नत साधनों का प्रभाव (xiii) वित्तीय संसाधनों एवं वित्त का दुरूपयोग करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। (xiv) अच्छे वित्तीय प्रबन्धकों का अभाव आदि कई समस्याऐं है।

18.5.6 वित्तीय प्रबन्ध की भूमिका: वित्त आधुनिक समय में औद्योगिक जगत की नाभि है। जिसके चारों सम्पूर्ण औद्योगिक एवं आर्थिक व्यवस्था चक्कर लगाती है। किसी भी उपक्रम का प्रारम्भ और अंत पूर्णरूपेण वित्त पर ही निर्भर करता है। उचित समय पर आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना तथा उसका कुशलतम प्रयोग करना। उपक्रम को सफलता की ओर ले जाता है, जबकि इसके वित्तरीत अवस्था में धीरे-धीरे पराभव की स्थिति में पहुँच जाता है। वास्तव में वित्त आधुनिक युग में उत्पादक क्रियाओं का मूलाधार होता है। वास्तव में वित्त ही वह शक्तिशाली साधन होता है जो समस्त आर्थिक तथा व्यवसायिक क्रियाओं को एक सूत्र में बंधने में सहायक होता है। आधुनिक अर्थशास्त्री वित्त को विशेष महत्व प्रदान करते हैं और इसको समाज में एक गतिशील तत्व मानते है। मार्शल तो मुद्रा (वित्त) को वह धुरी मानते है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ तंत्र घूमता है। मुद्रा (वित्त) के अध्ययन के महत्व को स्पष्ट करते हुए क्राउथर ने कहा है कि जिस प्रकार यंत्र कला में चक्र, विज्ञान में अग्नि तथा राजनीति शास्त्र में वोट का स्थान है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र तथा मानव जीवन में मुद्रा का विशेष महत्व है। यह शत प्रतिशत सच है कि

वर्तमान समाज की आधुनिक व्यवस्था इतनी जटिल हो गई है कि बिना वित्त के किसी भी आर्थिक क्रिया का संचालन रूचारू रूप से नहीं हो सकता है। आज का युग अविष्कारों का युग है, नवीन से नवीनतम अविष्कार उद्योग के क्षेत्र में जल्दी से जल्दी दृष्टिगोचर हो रहे है। इसके प्रादुर्भाव के कारण वित्तीय प्रबन्ध एवं हरित लेखांकन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। व्यावसायिक संगठनों के कम्पनी प्रारूप मे वित्तीय आवश्यकता अन्य प्रारूपों की तुलना में अधिक होती है। इसके लिए वित्त संकलन का तरीका भी अलग होता है। विशेष रूप से वित्तीय प्रबन्ध के अन्तर्गत हम निगमों, कम्पनियों, बैंकिग, उपक्रमों तथा वित्तीय एवं आर्थिक निकायों के वित्तीय प्रबन्ध का अध्ययन करते है। वैसे तो वित्त को दो प्रमुख आधारों पर विभाजित किया जाता है। जैसे सार्वजनिक वित्त तथा नीजि वित्त सार्वजनिक वित्त को राजकीय वित्त भी कहा जाता है। सार्वजनिक वित्त अर्थशास्त्र की वह शाख है जिसमें सरकार की आय-व्यय तथा अन्य मौद्रिक तथा वित्तीय नीतियों का अध्ययन किया जाता है। इसी अध्ययन के आधार पर सरकार की आर्थिक, नीतियों का निर्माण होता है तथा इन्हीं नीतियों के माध्यम से कोई भी कल्याणकारी राज्य अपनी जनता के लिए आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाता है। संक्षेप में सार्वजनिक वित्त में सरकार विकास सम्बन्धी कार्यों के क्रियान्वयन के लिए जनता से धन इकट्ठा करती है तथा जनता के कल्याण के लिए खर्च करती है। इसमें सार्वजनिक आय, व्यय तथा ऋण सम्बन्धी सिद्वातों एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत निजी वित्त में व्यक्ति या संस्था अपने तथा परिवारजनों के अधिकतम कल्याण के लिए समस्त क्रियाएं सम्पादित करता है। निजी वित्त को व्यावसायिक आधार पर पुन: दो भागों में बांटा जा सकता है। (1) व्यावसायिक वित्त में लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित उपक्रमों की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है जबकि गैर-व्यावसायिक वित्त में गैर लाभ कमाने वाली संस्थाओं (जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, शैक्षिक, धार्मिक तथा कल्याणकारी संस्थाएं) के वित्त सम्बन्धी सिद्वान्तों एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है।

वित्त प्रबन्ध से अभिप्राय प्रबन्ध की उस शाखा से है जो किसी संगठन की वित्त व्यावसायिक समस्याओं का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में किसी व्यावसायिक संगठन की नकदी एवं साख की ऐसी व्यवस्था को वित्तीय प्रबन्ध कहा जा सकता है। जिसके द्वारा वह संगठन न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने में समर्थ हों। वास्तव में प्रबन्ध उस व्यावसायिक संगठन की नकदी एवं साख की ऐसी व्यवस्था को वित्तीय प्रबन्ध कहा जा सकता है। जिसके द्वारा वह संगठन न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने में समर्थ हो। वास्तव में वह प्रबन्ध उस व्यावसायिक संगठन की नकदी एवं साख की ऐसी व्यवस्था को वित्तीय प्रबन्ध कहा जा सकता है। जिसके द्वारा वह संगठन न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने में समर्थ हो। वास्तव में प्रबन्ध उस व्यावसायिक संगठन की वित्त सम्बन्धी समस्त समस्याओं पर विचार करता है और उन समस्याओं के निवारण हेतु सैदव प्रयत्नशील रहता है। वैसे तो एकाकी व्यापार तथा साझेदारी संगठनों की वित्त व्यवस्था व्यावसायिक

वित्त का ही अंग है। परन्तु वर्तमान युग में कम्पनी प्रारूप, व्यावसायिक संगठन का लोक प्रिय प्रारूप है। आधुनिक जगम में कम्पनियाँ का प्रचलन दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कम्पनी संगठन की लोक प्रियता के कारण ही व्यवसाय प्रबन्ध जैसे विषय अधिक लोकप्रिय हुए है। इधर पिछले कुछ वर्षों में कम्पनियों में पेशेवर प्रबन्धकों की मांग भी बढ़ी है। इसलिए हमारे देश में कई विश्वविद्यालय तथा प्रबन्ध संस्थान व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोतर जैसी उपाधियाँ देकर इनमें यथोचित वृद्धि कर रहे है। वित्तीय कपटे जैसे सुरक्षा कार्यो में भी बढ़ती लगी है। इसमें हर्षद मेहता बोफोर्स तोप घोटाला, आदि वित्तीय औधलियों, राफलों और धोखाबाजी जैसी अनियमितताओं को दर्शाती है। सचमुच में देखा जाये तो कम्पनियां वित्तीय एवं आर्थिक संस्थाओं की वित्त व्यवस्था ही व्यावसायिक वित्त का पर्याय बन गई है। इसी कारण आज एक पृथक विषय के रूप में निगमों तथा कम्पनियों के वित्त प्रबन्ध का महत्व भी उतरोतर बढ़ रहा है।

वित्त प्रबन्ध दो शब्दों के योग से बना है। वित्तीय तथा प्रबन्ध/वित्तीय शब्द का अर्थ धन प्राप्ति के साधनों को जुटाना तथा व्यवसाय की मौद्रिक आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाकर उसके आधार पर धन प्राप्ति के साधनों का निर्धारण करता है। प्रबन्ध का आश्रय किसी फर्म के सीमित साधनों का कुशलतम तथा अनुकुलतम उपयोग करने का सर्वश्रेष्ठ विकल्प ढूंढतता है। जिससे साधनों पर लागत न्यूनतम हो सके। इस प्रकार वर्तमान युग में वित्तीय प्रबन्धन सम्बन्धी विचार धारा व्यावसायिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी पद्धति मानी जाती है तथा आधुनिक ढंग के बढ़े पैमाने के उपक्रम (निगमों या कम्पनियों) में इसका उपयोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है। संक्षेप में वित्तीय प्रबन्ध में न केवल हम निगमों के तवत संकलन सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करते है। इस प्रकार इसके अन्तर्गत केवल सिद्वान्तों एवं नीतियों का ही अध्ययन नहीं किया जा कर इनके कुशलतम प्रयोग का भी अध्ययन किया जाता है। वित्तीय प्रबन्ध सम्बन्धी विचारधारा का सूत्रपात इस शताब्दी के द्वितीय शतक से हुआ है। परन्तु आरम्भ में वित्तीय प्रबन्ध के अन्तर्गत कम्पनी प्रवर्तन पुर्नगठन तथा विस्तार के सम्बन्ध में किये जाने वाले वित्तीय कार्य ही सम्मिलित किए जाते है। धीरे-धीरे वित्तीय प्रबन्धकों की सेवाओं का महत्व कोषों के संग्रहण के साथ-साथ दायित्वों के युग हेतु पर्याप्त तरलता रखने हेतु भी किया जाने लगा। इस समय तक कि प्रकाशित पुस्तकों में वित्तीय प्रबन्ध का महत्व करने तथा वित्तीय साधनों के कुशलतम उपयोग करने से सम्बन्धित सभी कार्यों में माना गया है।वित्त प्रबन्ध की तरह वित्तीय लेखांकन का भी वित्तीय व्यवस्था, लेखांकन एवं नियंत्रण के लिए काफी महत्व है आजकल हरित लेखांकन हरित अंकेक्षण, हरित प्रबन्ध की तरह ही प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा प्रबन्धन एवं लेखांकन का महत्व बढ़ रहा है। परिकलन-यंत्र लेखांकन का प्रबन्धन भी आजकलन काफी बढ़ गया हे। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही कम्प्यूटर क्रांति का सूत्रपात हुआ है। व्यावसायिक संचार के आधुनिक साधनों ने वित्तीय प्रबन्ध एवं लेखांकन की स्थिति को और भी क्रमबद्रता और व्यवस्थितता में बदल दिया है।

आई.टी. का इतिहास पन्द्रहवीं शताब्दी में प्रिटिंग प्रेस के भविष्यकार से शुरू हुआ और टेलीग्राफ, टेलीफोन, राडार और ट्रांजिस्टर से होता हुआ आधुनिक जीवन के इंटरनेट और मोबाइल तथा उपग्रह प्रणाली चल रही है। एक दशक पहले सूचना प्रौद्योगिकी में केबल, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रडियों तक ही सीमित थी। लेकिन अब इंटरनेट, फैक्स, सेलफोन, सी.सी.टी.वी कैमरों के पर्याप्त प्रयोग से सूचना प्रौद्योगिकी ने व्यवसाय करने का ढंग परिवर्तित कर दिया है। अब हम सूचना ही नहीं बल्कि धनका भी हस्तांतरण इंटरनेट पर करते है। आज टेलेक्स, कम्प्यूटर, लेन, वेन, एस.एस. बहुमाध्यम, सेल्युलर अथवा मोबाइल फोन, फैक्स, पेजर, सिटीजन बैण्ड रेडियों, वीडियों, उपग्रह सम्प्रेषण, ई-मेल व ईटरनेंट आदि का प्रचलन बढ़ा है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम कई तरह की सूचनाएँ अर्जित कर सकते है। परन्तु इस सर्वाधिक प्रयोग निम्न विशेष कार्यो के लिए होता है-

1- ई-मेल 2. ई-कामर्स 3. ई-बैकिंग 4. ई-विज्ञापन 5. सर्च इंजन जैसे गुगल 6. वल्ड वाइड वेब 7. टेलनेट 8. पुशनेट 9. यूजनेट 10. चैटरूम इत्यादि में अधिक प्रयोग किया जा रहा है।

वित्तीय प्रबन्धन का यंत्र वर्तमान में कृषि, उद्योग, परिवहन, बैंकिग, बीमा, व्यापार, वाणिज्य, प्रतिरक्षा, सहकारिता तथा व्यवसाय सम्बन्धी सभी क्रियाओं में माना जाता है। बैंक का संचालन व्यय, सम्पतियों पर ह्रास तथा विभिन्न भागीदारी का ब्याज व अंशधारियों व कर्मचारियों को बोनस वेतन भते आदि प्रदान किये जाते है। एक बैंकर इन साधनों का कुशलतम प्रयोग करने की कोशिश करता है। वित्तीय प्रबन्ध की उपयोगी विधियों के माध्यम से इन साधनों का कुशलतम उपयोग करने में सफल होता है।

सरकार राजकोषी नीति तथा मौद्रिक नीति के माध्यम से देश के साधनों का अनुकुलतम प्रयोग करने की कोशिश करती है। राजकोषिय नीति में सरकार दुर्लभ साधन जनता से प्राप्त करती है। फिर उन्हें जनता के अधिकतम कल्याण के लिए विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से विनियोजित करती है। सरकार के वित्तीय अधिकारी वित्तीय प्रबन्ध के सिद्वान्तों के आधार परऐसी राजकोषीय मौद्रिक तथा प्रशुल्क नीति निर्धारित कर सकते है, जिससे देश के मौद्रिक साधनों का अधिकतम उपयोग सम्भव हो सके।

रेल, सड़क, जल तथा वायु परिवहनों का विकास किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक सामाजिक संरचना के लिए आश्वयक है। ये परियोजनाएँ मूलत: लाभ प्राप्ति के दृष्टिकोण से संचालित की जाती है। साथ ही साथ इन उपक्रमों में स्वामित्व पूंजी तथा उधार पूंजी का एक ऐसा आदर्श अनुपात निश्चित किया जाता है। जिससे इन परिवहन साधनों को लाभकारी बनाया जा सके। इस प्रकार परिवहन विशेषज्ञों द्वारा भी वित्तीय प्रबन्ध के सिद्वान्तों का ज्ञान आवश्यक होता है।बीमा कम्पनियां सदैव अपने धन का कुशलतम उपयोग करने की इच्छुक होती है। उनके समक्ष अनेक विनियोग परियोजनाएँ होती है। उनमें से वे अपनी मांग के अनुरूप सर्वोतम विकल्प का चुनाव वित्तीय प्रबन्ध विधियों से ही कर सकती है। इस प्रकार बीमा व्यवसाय में भी वित्तीय प्रबन्ध का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

भूस्वामियों द्वारा अपनी कृषि भूमिका का अधिकतम उपयोग करने हेतु ऐसी फसलों के उत्पादन में धनविनियोग किया जाता है जिससे अधिकतम आय प्राप्ति की आशा हों सके। इसी प्रकार उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव, रासायनिक एवं जैविक खाद का चुनाव, सिंचाई के साधनों का चुनाव, कृषि यंत्रों के उपयोग का चुनाव आदि में सदैव कृषक को अपनी सीमित पूंजी के अधिकतम उपयोग की योजना बनानी होती है। वित्तीय विशेषज्ञों की राय लेनी होती है।

वित्तीय प्रबन्ध का महत्व केवल बड़े पैमाने के उद्योग तक ही सीमित नहीं है वरन छोटे स्तर के उद्योगों में भी यह विचारधारा उपयोगी मानी जाती है। इस प्रकार वित्तीय प्रबन्ध सम्बन्धी विचारधारा नीति तथा सार्वजनिक उद्योगों में पूंजी प्रधान तथा श्रम-प्रधान उद्योगों में अंशधारियों तथा प्रबन्धकों के लिए तथा विनियोक्ताओं एवं सामान्य जनता के लिए निरन्तर उपयोगी होती जा रही है।

वित्तीय प्रबन्ध का सर्वाधिक महत्व प्रबन्धक वर्ग के लिए होता है। वित्तीय प्रबन्ध के सिद्वान्तों तथा आधुनिक तकनीकों के ज्ञान के बिना प्रबन्ध अपनी भूमिका प्रभावूपर्ण ढंग से निर्वाहन नहीं कर सकते है। प्रन्धकों पर जनता से प्राप्त पूंजी को लाभप्रद दृष्टिकोण से उपयोग करने का दायित्व होता है। वास्तव में प्रबन्धक जनता की पूंजी के प्रन्यासी कहे जाते है। इस पूंजी की सुरक्षा का भार प्रबन्धकों का ही होता है। प्रबन्धकों की यह चेष्टा रहती है कि समुदाय सदस्यों को विनियोजित पूंजी पर नियमित रूप से लाभांश प्राप्त होता रहे। यह लाभांश ही सदस्यों को उनके द्वारा विनियोजित पूंजी एवं उठाई गई जोखिम के परिणामस्वरूप दिया जाता है। इस चुनौती पूर्ण कार्य में प्रबन्धक तभी सफल होते है जबकि उन्हें वित्तीय प्रबन्ध के सिद्वान्तों का भली भाँति ज्ञान हो। वित्तीय प्रबन्ध की विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से प्रबन्धक वर्ग व्यवस्था की पूंजी का सर्वोतम उपयोग करने में समर्थ होते है।

18.6 प्रबन्धकीय लेखांकन की अवधारणाएँ

18.6.1 प्रबन्धकीय लेखांकन का अर्थ: प्रबन्धकीय लेखांकन प्रबन्ध का एक आवश्यक उपकरण है जिसका प्रयोग व्यवसाय के कुशल प्रबन्ध, नीति-निर्धारण तथा निर्णयन के लिए आवश्यक है संक्षेप में यही प्रबन्धकीय लेखांकन का आशय है।।

18.6.2 प्रबन्धकीय लेखांकन की परिभाषाएँ: 1. प्रबन्धकीय लेखाफर्म से आशय लेखाकर्म सम्बन्धी सूचनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करने से है जिससे प्रबन्ध को नीतियों, के निर्धारण करने एवं दिनप्रतिदिन के कार्यों के संचालन में सहायता मिल सके।

एग्लों अमेरिकन का उन्सिल ऑफ-प्रोडक्टविट

2. प्रबन्धकीय लेखाफर्म लेखा पद्धति की सूचनाओं की प्राप्ति तथा विश्लेषण है तथा इसका उपचार एक प्रकार की व्याख्या है जिसे प्रबन्ध को सहायता पहुँचे।

टी.जी. रोज

3. प्रबन्धकीय लेखांकन लेखा पद्धति की सूचना से सम्बन्धित है जो प्रबन्ध के लिए उपयोगी है।

आर.एन.एन्थोनी

4. प्रबन्धकीय लेखांकन में नियोजन का बजट सम्बन्धी कार्यों तथा वर्तमान एवं ऐतिहासिक लेखाकार्य सम्मिलित है।

आई.वैयने केलर

5. प्रबन्धकीय लेखांकन में व्यावसायिक क्रियाओं के विकल्पों में से चुनाव के लिए तथा मूल्यांकन के द्वारा नियंत्रण एवं कार्यकरण का विश्लेषण के लिए प्रभावी योजना के आवश्यक कार्य एवं विधियां शामिल है।

अमेरिकन एकाउटिंग एसोसिएशन

6. किसी भी प्रकार की लेखाविधि जो व्यवसाय को अधिक क्षमतापूर्वक चलाने के योग्य बनाती है, प्रबन्धकीय लेखाफर्म कही जा सकती है।

आई.सी.ए. इंग्लैंड

18.6.3 प्रबन्धकीय लेखांकन के उद्देश्य: प्रबन्धकीय लेखांकन के प्रमुख उद्देश्य प्रबन्धकों को उनके कार्य में सहायता पहुँचाना है। संक्षेप में प्रबन्धकीय लेखांकन के निम्नलिखित उद्देश्य व्यक्ति किए जा सकते है। 1. संगठन कार्य में सहायता करना 2. नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायता करना 3. अभिरूचिजनन में सहायता करना 4. नियत्रंण में सहायता करना 5. समन्वय में सहायता करना 6. निर्णय में सहायता करना 7. कानूनी जरूरतों को पूर्ण करने में सहायता करना 8. संचार में सहायता करना।

18.6.4 प्रबन्धकीय लेखांकन की प्रकृति या विशेषताएँ: प्रबन्धकीय लेखांकन की दी गई परिभाषाओं की व्याख्या करने पर हमें निम्नलिखित विशेषताएँ दृष्टिगोचर हो रही है। 1. प्रबन्धकीयश् लेखांकन भविष्य पर अधिक जोर देता है। 2. प्रबन्धकीय लेखांकन चुनाव पर ही आधारित है। 3. प्रबन्धकीय लेखांकन समंक प्रस्तुत करता है निर्णय नहीं 4. प्रबन्धकीय लेखांकन लागत तत्वों की प्रकृति का भी अध्ययन करता है। 5. प्रबन्धकीय लेखांकन कारण एवं उसके प्रभाव पर काफी गंभीरता से जोर देता है। 6. प्रबन्धकीय लेखांकन में वित्तीय लेखों की भांति निश्चित नियमों का पालन नहीं किया जाता है।

18.6.5 प्रबन्धकीय लेखांकन का क्षेत्र: प्रबन्धकीय लेखांकन के अन्तर्गत लेखांकन सूचनाओं को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है जिससे प्रबन्ध को नीति-निर्धारण एवं दिन प्रतिदिन के कार्यों को सम्पन्न करने में सहायता मिल सके। इस प्रकार यहां यह एक ओर

प्रबन्ध की कला से सम्बन्धित है। जब तक लेखों के उचित प्रकार से प्रबन्ध के समक्ष प्रस्तुत न किया जावे तब तक इससे कोई लाभ नहीं हो सकता है। अत: लेखों का भूत कालिक एवं वर्तमान अध्ययन करके भावि प्रवृत्तियों का अनुमान लगाया जाता है। लेखों का भूत कालिक एवं वर्तमान अध्ययन तथा विश्लेषण तथा भावी प्रवृत्ति का सही पूर्वानुमान प्रबन्धकीय लेखांकन के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हे। प्रबन्धकीय लेखांकन के अन्तर्गत लेखांकन से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य क्षेत्र आते है। 1. दैनिक लेखांकन 2. उतरदायित्व लेखांकन 3. आन्तरिक अंकेक्षण 4. विकास लेखांकन आदि इसमें शामिल किए गये है।

प्रबन्धकीय लेखांकन के उपकरण या तकनीकें: अपने कार्य को कुशलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए प्रबन्ध को अनेक प्रकार के लेखा सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इन लेखा सूचनाओं की प्राप्ति प्रबन्ध को अनेक उपकरणों या तकनीकों के माध्यम से होती है। कोई भी एक उपकरण प्रबन्ध को सम्पूर्ण सूचनाएं प्रदान नहीं कर सकता। प्रबन्ध द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों एवं तकनीकों पर निर्भर करती है। प्रबन्धकीय लेखांकन में निम्नलिखित उपकरण तकनीकें सम्मिलित की गई है:-

1- वित्तीय नियोजन 2. वित्तीय लेखांकन एवं विश्लेषण 3. निधि प्रवाह विश्लेषण 4. ऐतिहासिक लागत लेखांकन 5. प्रमाप लागत लेखांकन 6. सीमान्त लागत लेखांकन 7. बजटरी नियंत्रण 8. निर्णय लेखांकन 9. पूंजी विनियोगों पर प्रतिदान 10. नियंत्रण लेखांकन 11. सांख्यिकी तथा ग्राफ तकनीक 12. पुनर्मूल्यन लेखांकन के निम्न प्रमुख कार्य बताये गये है। यथा-1. नियोजन एवं पूर्वानुमान 2. संगठन 3. नियत्रंण 4. समन्वय 5. प्रोत्साहन 6. विभिन्न प्रबन्धकीय समस्याओं में लेखा विधि का प्रयोग: निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती है। 1. क्रय समस्या 2. उत्पादन समस्या 3. विक्रय एवं वित्तरण समस्या 4. वित्त समस्या

18.7 प्रतिरक्षा कार्यों में वित्तीय धोखाधड़ी/घोटाले

प्रतिरक्षा विभाग के अधीन वायुसेना, नौसेना और जल सेना सम्मिलित है। इसमें देश की बाहरी सुरक्षा के लिए सैन्य और अर्द्ध-सैन्य बलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत सरकार प्रतिरक्षा पर अपने कुल बजट का 13 फीसदी खर्च कर रही है। विश्व में प्रथम विश्व युद्ध के समय 50 फीसदी खर्च किया गया था इसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध के समय 60 से 70 फीसदी प्रतिरक्षा पर व्यय किया गया था। युद्ध वित्त प्रबन्ध के दो तरीके अपनाए गये थे। 1. वित्त करारोपण 2. उधार लेकर 3. मुद्रास्फीति 4. स्वैच्छिक योगदान आदि तरीके अपनाए गये थे। 5. समूची दुनियाँ सन 2008-09 में आई मंदी के कारण धीरे वित्तीय सकंट को झेल रही है। हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस, सुरक्षा एवं अर्द्ध सैनिक बलों एवं नागरिक दलों की होती है। भारतीय सेनाओं में भी निम्नलिखित अनियमिताएं या अपनाए गये घोटाले वित्तीय प्रबन्धन में देखे गये थे।

1- हैलीकॉप्टर विकास में घोटाला किया गया था।

2- बाफोर्स तोपों का घोटाला किया गया था।

3- ताबुत घोटाला कारगिल युद्ध के समय किया गया था। इसी तरह आदर्श सोसायटी घोटाला महाराष्ट्र में छगन भुजबल के नेतृत्व में आदर्श समिति में केवल फोजियों के लिए आवास योजना बनाई गई थी परन्तु भुजबल ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी को राजनेताओं को बांट दी गई। इस बोफार्स तोप घोटाले में स्वीडिश कम्पनी ने दलाली पर तोपें बेची थी। इस तरह से सुरक्षा कार्यों में कपट/धोखाधड़ी और अनियमिता करने के घोटाले उजागर हो चुके है। उसको किन-किन व्यक्तियों से या किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना रूपया लेना अथवा देना है। ये बाते वह तभी जान सकते है। जबकि वह व्यापारिक या सरकारी सौदों को पूर्ण लेखा रखने के लिए अपने कार्यालय में लेखा-पुस्तकें या बहियां या लेखांकन या लेखाशास्त्र के नियमों के अनुसार जरूरी बहियों और लेखाकर्म के निम्न उद्देश्य हो सकते है। 1. व्यवहारों का स्थायी लेखा 2. लेनदारों व देनदारों का ज्ञान 3. लाभ-हानि का ज्ञान 4. आर्थिक स्थिति का ज्ञान 5. भावी योजनाओं संग्रह, सारांश, विश्लेषण की सहायता से निष्कर्ष निकाले जा सकते है। पुस्तकपालन या लेखांकन या अंकेअप कराने से हमें कई लाभ मिल सकते है। 1. स्मरण शक्ति के अभाव की पूर्ति 2. संस्थान के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की जानकारी 3. न्यायालय में प्रमाण 4. उधार धन लेने-देने में सुविधा 5. कर-निर्धारण 6. निर्णय लेने में सहायक 7. वस्तुओं का सही मूल्य निर्धारण 8. व्यापार का उचित मूल्यांकन 9. छल-कपट धोखाधड़ी पर रोक लगाने में सहायक 10. बीमा कम्पनी से क्षतिपूर्ति 11. साझेदार के प्रवेश में सहायक 12. दिवालिया घोषित में सहायक 13. बैंकिंग सव्यवहार तथा ऋण लेने में आसानी लेखाफर्म के कारण होती होती है।

लेखा पुस्तकों में व्यवहारों के दर्ज करने की अनेक विधियां प्रचलित है जैसे- 1. एकहरा लेखा विधि 2. रोकड़ विधि 3. महाजनी बही खाता विधि 4. दोहरा लेखा विधि इत्यादि इस्तेमाल की जा सकती है।।

लेखांकन के विभिन्न प्रकार: वित्तीय सव्यवहारों के दर्ज करने के लिए निम्नलिखित लेखा या खाता बहियों कपट और धोखाधड़ी से बचने के लिए प्रयोग में सामान्यतया तथा खासकर रखी जाती है। (1) सहायक लेखा पुस्तकें (2) खरीद बही (3) क्रय वापसी बही (4) उचित जर्नल (5) रोकड़ बही इत्यादि संधारित की जाती है। अब लेखांकन में निम्न प्रकार से आवश्यक लेखाकर्म संपादित किया जाता है। सुझाव मांग लिए जाते है और उसके सुझावों के आधार पर अन्तिम निर्णय कार्यकारिणी समितिया कैबिनेट द्वारा लिया जाता है। यह समिति विविध खर्चो के लिए प्राथमिकता के आधार पर रकमें निर्धारित करती है। जिससे वित्तीय नियोजन अधिक युक्तिसंगत हो सकता है।

5. लोक-लेखा समिति: यह समिति संसद सदस्यों या विधान सभा के सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति होती हे। जिसका कार्य सम्पूर्ण आय-व्यय की राशि तथा

क्षेत्रीय औचित्य की जांच करना और तत्सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। इस समिति की रिपोर्ट संसद में या राज्य विधान सभाओं के पटल पर प्रस्तुत की जाती है। अत: इससे सभी विभागाध्यक्षों को बहुत भय रहता है।

6. लोक उपक्रमों पर सरकार द्वारा तीन प्रकार से वित्तीय नियत्रंण किया जा सकता है।1. मंत्रीय नियत्रंण संसदीय नियत्रंण किया जा सकता है।

7 पुस्तकपालन के मूल तत्व एवं सावधानियाँ मानव की स्मरण शक्ति सीमित होने के कारण प्राचीन समय से यह कहावत चली आ रही है कि'' पहले लिख आर पीछे दे। भूल पड़े कागज से ले।'' यह कहावत आर्थिक व्यवहारों का लेखा रखने की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालती है। इन आर्थिक लेन-देनों/संव्यवहारों का लेखा रखना व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा व्यापारियों सरकारों सभी के लिए आवश्यक है। व्यापारियों तथा सरकारी विभागों, मत्रांलयों, उपक्रमों, निगमों, मंडलों, प्राधिरणों, न्यायाधिकरणों के लिए तो आर्थिक व्यवहारों का पूर्ण लेखा रहना और भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि उनके यहां हजारों व्यवहार अथवा सौदे प्रतिदिन होते रहते है। यदि इन व्यावारिक एवं सरकारी सौदों का पूर्ण लेखा न रखा जाए तो एक कुशल से कुशल व्यौहारी भी यह नही जान सकता। उनके द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी में कितनी वृद्धि या कमी वित्तीय प्रशासन का अंत्र स्वभावत: किसी राज्य अथवा संस्था का सम्पूर्ण लेनदेन होता है। इसमें निम्नालिखित क्रियाएं शामिल होती है। 1. आय की प्राप्ति 2. आय तथा व्यय का यथोचित समन्वय 3. लोक ऋण की व्यवस्था 4. वित्तीय क्रियाओं का सामान्य नियत्रंण इन चारों क्रियाओं का उचित प्रबन्ध करना आवश्यक होता है। इन क्रियाओं की उचित व्यवस्था के लिए विशेष विभाग स्थापित किए जाते है। जिनमें इनका लेखा जोखा रखने तथा पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी नियुक्त किए जाते है। सामान्य रूप में वित्तीय प्रशासन की कुशलता अधिकारियों की व्यक्तिगत सूझ-बुझ योग्यता तथा तत्पश्रता पर निर्भर करती है। वित्तीय प्रशासन अधिकारियों के मार्गदर्शन के सामान्य अनुभव द्वारा कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित किए गये है। (1) संगठन की एकता (2) विधानसभा की इच्छानुसार संचालन (3) सरलता एवं नियमितता (4) प्रभावशाली नियत्रंण आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वित्तीय नियत्रंण के निम्नलिखित संकायों या अभिकरणों कें माध्यम से भारत में केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों के वित्त प्रशासन का नियत्रंण होता है।

(1) महालेखापाल**:** संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक में भारत के नियत्रंण एवं महालेखा-परीक्षक की नियुक्ति उसके शक्तियों एवं कर्तव्यों, लेखों के प्रारूप-पत्र तथा अंकक्षण प्रतिवेदन के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

(2) विभागीय नियत्रंण**:** सरकार के प्रत्येक विभाग में प्रशिक्षित लेखाधिकारी, लेखाकारत तथा सहायक लेखाकार नियुक्त किए जाते है, सभी व्यय उनकी सहमति से होते है। बहुत से विभागों में स्वतंत्र अंकेक्षण भी होता है।

(3) अनुमान समिति**:** यह समिति संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा नियुक्त की जाती है। इसका कार्य राज्य के विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी सुरक्षा देना है।

(4) कार्यकारिणी समिति: देश की विभिन्न मदों पर ब्याज का निर्धारण प्राय: मंत्री मंडल की एक समिति द्वारा होता है। आर्थिक समिति जिसमें वित्त मंत्री और तथा अन्य 5 मंत्री होते है।

18.8 हिसाब-किताब लेखाकन में कपटों से बचने के उपाय

लेखांकन करते समय कई महत्व की बातों को ध्यान में रखकर ही उनकी प्रविष्टियाँ करनी चाहिए। ताकि लेखांकन और वित्तीय प्रबन्ध में कपट या धोखाधड़ी को रोका जा सके। यदि हिसाब-किताब का लेखन सही शुद्धता स्वच्छता: एवं नियमितता से किया जायेगा तो त्रुटियां और अशुद्धियां होने की गुजांइश सीमित हो जाती है। अत: निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं का पालन किया जाना चाहिए ताकि सुरक्षा कार्यों में ही नही बल्कि सभी लेखांकन कार्यों को सही समय पर निपटाना चाहिए।

(i)शुद्धता एवं स्वच्छता**:** शुद्धता एवं स्वच्छता हिसाब-किताब लेखने की आवश्यकता है। लेखा पुस्तकों में हिसाब-किताब इतनी शुद्धता और स्वच्छता से लिखा जाना चाहिए कि उसको देखने से ही आनन्द की अनुभूति हो सके। रकमें बड़ी स्वच्छता से लिखी जानी चाहिए कि उसको देखने से ही आनन्द की अनुभूति हो सकें। रकमे बड़ी स्वच्छता से लिखी जानी चाहिए यदि भूल से कोई रकम गलत लिख दी जाए तो उसको सही करने के लिए पहले वाली रकम पर दुबारा रकम नहीं लिखनी चाहिए अन्यथा सही रकम को बढ़ने में बाधा पड़ सकती है। ऐसी परिस्थिति में पहले लिखि गई रकम को काटकर उसके उपर की ओर सही रकम लिखनी चाहिए। व्यवहार में लेखक द्वारा ऐसे स्थान पर अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर भी कर देनी चाहिए।

(ii) नियमितता**:** प्रश्नों के हल नियमित रूप से सफाईपूर्वक किये जाने चाहिए। लाल स्याही का प्रयोग बाहरीखातों में यथास्थान प्रयोग करना चाहिए।

(iii) भारत में वित्तीय प्रशासन**:** जिस प्रकार देश की सुरक्षा एवं शांति स्थापना के लिए नागरिक प्रशासन (सेना, पुलिस तथा अनेक प्रशासनिक विभागों) की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। उसी प्रकार देश के आर्थिक साधनों की यथोचित देखभाल करना भी आवश्यक है वही वित्तीय प्रशासन है। किसी देश,संस्था, अथवा व्यक्ति की आय-व्यय तथा ऋणों का सामान्य प्रबन्ध वित्तीय प्रशासन कहलाता है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 18 में धारा 463 से 477 तक में दस्तावेजों की कूटरचना, मिथ्या दस्तावेज बनाने

अभिलेख या लोक पंजिका में कूटरचना, मूल्यवान प्रतिभूमियों में तथा ख्याति को नुकसान पहुँचाने कूटवृत मुद्रा बनाना, नकली दस्तावेज को असली बताना, इच्छापात्र, दत्तकग्रहण, प्राधिकास्पत्र और मूल्यवान प्रतिभूमि को कपटपूर्वक रद्द या नष्ट करने तथा लेखा का मिथ्या कख करने सम्बन्धी अपराधों का उल्लेख, परिभाषित एवं दाण्डिक विधान किया गया है। धारा 478 से लेकर 4895 तक में मुद्रा नोटों और बैंक नोटों से सम्बन्धित अपराधों के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यदि ऐसे मामलों में किसी ने षडयंत्र, दुष्प्रेरण या सामान्य आशय या उद्देश्य रखा हो तो धारा 34, 120 क, 120ख, 108 से 114 तथा 141 से 147 तक की धाराओं के अन्तर्गत अपराध बन सकता है। इस वित्तीय कपटें करते समय सुरक्षा सम्बन्धित दिक्कतों या धमकियों का सामना करना पड़ता है। अत: इसे विरूद्ध सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या सक्षम न्यायालय के समक्ष परिवाद-पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही आरोपियों के विरूद्ध सुनिश्चित करवाई जा सकती है।

(iv) वित्तीय कपट/ धोखाधडी निवारण में ई सुरक्षा**:** सर्वप्रथम तो हमें यह समझना चाहिए कि अब दस्तावेज की परिभाषा के अन्तर्गत इलैक्ट्रोनिक अभिलेख भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा साभ्य में जोड दिया गया है। साभ्य अधिनियम 1872 में धारा 65 क इलैक्ट्रोनिक अभिलेख से सम्बन्धित साक्ष्य के बारे विशेष प्रावधान, धारा 65 ख इलैक्ट्रोनिक अभिलेखों की ग्रहयता 2. धारा 67 क अकीय हस्ताक्षर के बारे में सबूत 3. धारा 73 क अकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे मे सबूत 4. धारा 81 क इलैक्ट्रोनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा 5. 85 क इलैक्ट्रोनिक करार के बारे में उपधारणा 6. धारा 85 क इलैक्ट्रोनिक अभिलेखों और अंकीय हस्ताक्षर के पत्र के बारे मे उपधारणा

(1) आय- व्यय विवरण (2) व्यापार एवं लाभ- हानि खाता (3) तलपट (4) शेष विवरण बनाना (5) वित्तीय विवरण (6) अग्रेषण लेखांकन (7) संयुक्त साहस खाते (8) अला कारी से गठनों के खाते (9) अशुद्वियों का सुधार (10) ऊचता खाता (11) साझेदारी सम्बन्धी लेखांकन (12) शाखा लेखांकन (13) अग्र कयाधिकार लेखाकंन

(9) अंश पूंजी लेखांकन (10) कम्पनी लेखांकन (11) हरित लेखांकन (12) कम्प्यूटरीकृत लेखांकन (13) निधि प्रवाह विवरण (14) पघ एवं बंधक लेखांकन (15) स्वत: शेष प्रणाली इत्यादि (16) प्रयासों वक्यों धामिक प्रन्यासों और संयुक्त हिन्दू-परिवार इत्यादि कार्यो के सम्बन्ध में लेखा कर्म कार्य संपादित किए जाकर वित्तीय अनियमिताओं कपटों धोखाघडियों गफलों एवं घोटालो से बचा एवं बचाया जा सकता हैं। लेकिन इन सभी लेख- बहियों एवं खातों या विवरणों को ईमानदारीपूर्वक निष्पक्ष एवं कर्तव्य परयणता से प्रतिदिन लगातार शुद्व एवं स्वच्छ खाता बहियों एवं लेखांकन के नियमों के अनुसार ही प्रविष्टियां करनी चाहिए।

(v) छल कपट धोखाधडी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही**:** छल चल सम्पति के प्रति किया जाता है। बेईमानी से छिपाना प्रवचना है। इसमेकं प्रवचना द्वारा कपट करके या बेईमानी करके प्रवचित व्यक्ति को कोई सम्पति किसी को परिदत करने या रखने की सम्पति देने के लिए उत्प्रेरित किया जाना चाहिए। इसमें उत्प्रेरणा का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरणा का

प्रवंचना से प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ सम्बन्ध होनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 तक में छल तथा धारा 421 से 424 तक में कपटपूर्ण विलेखों और सम्पति व्ययनों के बारे में प्रावधान किए गये है। अत:छल करने में चल सम्पति, उत्प्रेरणा, प्रवचना (धोखा) देना तथा बेईमानीपूर्वक छिपाना आदि जरूरी तत्व होते है।

5. अंगुलि चिह्न और पांव चिह्न अपराधियों धोखाकर्ताओं के लिए जानी चाहिए। 6. कर्मचारियों पर गबन करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। 1. उच्च व्यैक्तिगत ऋण 2. अप्रर्याप्त आय 3. एक ही साधन पर निर्भरता 4. विस्तृत संग्रह बाजार 5. ज्यादातर जुएबाजी का प्रचलन 6. विपरीत लिंग के व्यक्तियों के साथ संलग्नता 7. असम्यक परिवार, कम्पनी या समुदाय अपेक्षाएं 8. दवाओं और शराब या ज्यादातर प्रयोग 9. कार्य के प्रति हताशा फैलाना 10. फर्जी टेलीफोन प्रतिप्रेषण 11. शाखा प्रबन्धक द्वारा समान्तर बैकिंग गतिविधियां चलाना 12. शाखा प्रबन्धक द्वारा सामान्तर बैंकिग गतिविधियों चलाना 13. शाखा प्रबन्धक द्वारा चिट फण्ड चलाना 14. किसी भी साधनों द्वारा अच्छी धनराशि जमा करवाना 15. शाखा प्रबन्धकों द्वारा केडिट सुविधाएँ 16. वरिष्ठ शाखा प्रबन्ध को द्वारा कपट कारित करना 17. समयावधि भुगतानों में कपट करना। 18. असंचालित बचत खातों में कपट करना। 19. बैंक कर्मचारियों द्वारा कपटें करना। 20. मिलिभगत द्वारा अस्थाई दुर्विनियोग कर देना। 21. बैंक कर्मचारियों द्वारा अस्थायी दुर्विनियोग कर देना। 22. जमा खातों में कपट करना। 23. खजांची द्वारा कपटे 24. ब्याज प्रावधन खाते के जरिये धोखा धड़ियाँ करना 25. अन्तर कार्यालय लेखों में कपट करना। 26.निरक्षक ग्राहकों के साथ कपट करना 27. आडम्बर प्रिय कर्मकार द्वारा कपट करना। 28. महिला कार्मिक द्वारा रिष्टी करना 29. रद् करने वाले ड्रॉफ्ट का दुरूपयोग करना 30. निलम्बितया बर्खास्त कर्मचारी द्वारा कपट 31. अस्थायी कर्मचारियों द्वारा कपट करना 32. लिखित सूचना पर कपट 33. कपट अन्वेषण थे मालूम करने हेतु न्यायिक अंकेक्षण 34. कपटीय अनुबंधों के प्रारूपण करना 35. जमाकर्ता की जानकारी बगैर जमाओं में दुरूर्विनियोग करना 36. लेनदेनों के झूठे होने की अभिपुष्टी करना 37. बद्रबही मेकं संव्यवहार कर देना 38. अंशधारियों के लिए अवैध पुन: खरीदना 40. झूठे पूंजीकरण सृजना द्वारा निमिनी व्यवस्था करना 41. अनभिलेखित जमा दायित्व 42. बनावटी संव्यवहार 43. बनावटी ग्राहक ऋण देना 44. कृतिम लाभ एवं छिपे हुए नुकसान 45. झूठे दूभाषिक अंतरण करना 46. प्रतीप धोखों पर विभिन्न रणनीतियाँ धारा -88क इलैक्ट्रोनिक संदेश के बारे में उपधारणा 9. धारा-90क पांच वर्षीय पुराने इलैक्ट्रोनिक अभिलेख के बारे में उपधारणा आदि धाराएँ नई जोड़ी गई है। वित्तीय संस्थाओं, बैंकों में लूटपाट, डकैती डाली जाती है। सैंधमारी भी की जाती है। चोरी भी कारित की जा सकती है। आजकल स्वचालित संगणक मशीन को तोड़कर धनराशि निकाल ले जाते है। केडिट एवं डेबिट कार्ड की हेराफेरी होने लग गई है। साइबर अपराधों का कम्प्यूटर के कारण जाल बिछ चुका है। बैंकों में मुक्ति राशि की मांग उठने लगी है। वित्तीय कपट धोखाधड़ी वित्तीय बैंकों संस्थाओं में प्रबल मात्रा में होने लग गई है। इसके लिए

सुरक्षा अधिकारी ज्यादा तैनात किए जाए। सुरक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाए। सुरक्षा उपकरणों (सी.सी.टी.) कैमरों बैंक शाखाओं में प्रतिस्थापित किए जाए। निगरानी प्रणाली की ओर भी चौकस बनाया जाए। लूट एवं सैंधमारी सतर्क प्रणाली सुविकसित की जाए। आलमारी, स्टाक रूम, दरवाजों पर सांकल बांधकर रखी जाए। सतर्क गतिविधि मशीने, बंदूक, प्रतिषेध उपकरण लगाए जाए। लूट-किट बनाया जाए। बैंक लूट निवारण कार्यक्रम बनाए जावें। सभी बैंकों में सुरक्षा प्रणाली स्थापित कर दी जाए। बैंक या वित्तीय संस्थाओं के लिए सुरक्षा जोखिम निर्धारण ड्रील आजमाई जाए। बैंक शाखाओं पर सुरक्षा रक्षक तैनात ज्यादा संख्या में किए जाए। कहा यह चरितार्थ हो रही है कि बाड़ को फसल ही खा जाती है। झूठें लेखांकन अभिलेखों को रोका जाए। अन्तर कार्यालय और अन्तर शाखा संव्यवहार लेखो में कपट कारित होनी लगी है। प्रतिभूति घोटाले बैंकों में ज्यादातर होते देखे गये है। भारत कपट सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2001 में निम्न बातें उजागर हुई है। जिनमें 89प्रतिशत पुरूष और 11प्रतिशत महिला है। 51 फीसदी उनमें 25 वर्ष के बीच के थे। उनमें से 30प्रतिशत 2 से 5 वर्ष तक नियोजित हो सकते है। बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में वित्तीय कपटें/धोखाधड़ियां उत्पन्न होने के कई कारण गिनाए जा सकते है।(1) अवसर का नियम (2) छिपने का नियम (3) विचलन का नियम (4) दु:रभि संधि का नियम इस तरह ई-सुरक्षा में पहचान, प्राधिकरण, कम्प्यूटर गड़बड़िया आदि भी शामिल की गई है।

18.9 सारांश

वित्त या मुद्रा के अन्तर्गत धातु के सिक्के और कागजी मुद्रा सम्मिलित है। वित्तीय प्रशासन और वित्तीय प्रबन्ध का कार्य इतना सरल कार्य नहीं है। प्रत्येक विभाग चाहे वह सरकारी हो या गैर-सरकारी इसमें वित्त प्रबन्धक, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी तथा सनदी लेखाकार या लेखाकार व कनिष्ठ लेखाकर व लेखा लिपिक नियुक्त किए जाते है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कई आर्थिक विषमताएं व्याप्त है। जिनमें प्रमुख कर-चोरी, मुद्रास्फीति, जनसंख्या में तीव्र वृद्वि, व्यवसाय के स्वरूप में अंतर, आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति, बेराजगारी की समस्या, सम्पति और भूस्वामी की विषमता, मुनाफाखोरी एवं चोर बाजारी, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, निर्धनता का कुचक, राजनैतिक चेतना की कमी, सरकार की अपेक्षा विकास सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता पाई जाती है। हमारे देश में 30 जून 2002 तक 299 बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं कार्य कर रही थी तथा पूरे देश में 66, 186 शाखाएं कार्यरत थी। हमारी 11वीं योजना ने विकास दर निर्यात व पूंजी अन्तर बहाव ने काफी प्रभावित्त किया था।

18.10 शब्दावली

1- **सुरक्षा** से अभिप्रेत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सामरिक सुरक्षा से है।
2- **मुद्रा या वित्त** से तात्पर्य हमारे देश में प्रचलित तथा इसमें विदेशी मुद्रा भी शामिल की गई है।

3- **छल कपट** से तात्पर्य किसी धोखा देने के लिए मिथ्या प्रवंचना करने से है।
4- **वित्तीय प्रशासन** से तात्पर्य मुद्रा को व्यवस्था करने से है।
5- **प्रबन्धकीय लेखांकन** से तात्पर्य प्रबन्ध सम्बन्धी बातों के लेखांकन करने से है।
6- **घोटाले** से तात्पर्य देश में वित्त सम्बन्धी गड़बड़िया उत्पन्न करने से है।
7- **अवधारणा** से तात्पर्य उन सम्प्रत्ययों से है जिसके आधार पर कई पहलुओं का अध्ययन किया जाता है।
8- **आय-व्यय** विवरण से तात्पर्य केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गये वार्षिक विवरण अर्थात बजट से है।

18.11 अभ्यासार्थ प्रश्न

1 सुरक्षा सम्बन्धी अवधाराणाओं को स्पष्ट कीजिए।

2 वित्तीय छलकपट एवं धोखाधड़ी की अवधारणा को समझाइए।

3 वित्तीय प्रबन्धन नियत्रंण के संकाय-संगठनों के बारे में विस्तारपूर्वक समझाए।

4 मुद्रा और वित्त प्रबन्धन सम्बन्धी विभिन्न अवधारणाओं का समग्र अध्ययन कीजिए।

5 प्रबन्धकीय लेखांकन की विविध पहलू अवधारणा से आपक क्या समझते है।

6 सुरक्षा कार्यो में आज तक हुए घोटलों को परिगणित करते हुए इनके बारें में बताइए।

7 हिसाब किताब लेखाकंन में कपटों से बचाने वाले उपायों पर प्रकाश डालिए?

8 वित्तीय कपटों में क्या क्या सुरक्षा दिक्कतें आती है? इस पर स्पष्ट कीजिए।

18.12 संदर्भ ग्रंथ सूची

1- प्रो.आर. के दाक्षित, आर्थिक चुनौतियाँ एवं चिंतन प्रथम संस्करण रितु पब्लिकेशन, 28 सीताराम पुरी, आमेर जयपुर प्र.स., 2002
2- प्रो.वी.एल.माथुर, फायनेन्स एण्ड इकोनोमिक लिब्रालाइजेशन प्रथम संस्करण मोहित पब्लिकेशन्स नई दिल्ली प्र.स., 2000
3- औद्योगिक पर्यावरण डॉ. राजीव कुमार 2009 प्रथम संस्करण, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस,दरियागंज, नई दिल्ली प्र.स., 2009
4- डॉ.एस.सी.गुप्ता भारतीय अर्थव्यवस्था प्रथम संस्करण, रितु पब्लिकेशन्स ,28 सीतारामपुरी आमेर रोड़ जयपुर, 2008
5- डॉ.अशोक सहगल एवं डॉ. दीपक, वित्तीय लेखाकंन एवं वित्तीय प्रबन्ध सहगल द्वितीय संस्करण, टेक्समेन एलाइड़ सर्विस प्रा.लि.नई रोहतक रोड़, नई दिल्ली, 2005

6- आई.वी.त्रिवेदी, इण्डियन बैकिग इन दीन्यू मिलेनियम प्रथम संस्करण आर.बी. एस.ए. पब्लिशर्स एस.एस.हाइवे जयपुर, 2000

7- डॉ.आर.सी.भाटिया, व्यावसायिक संचार प्रथम संस्करण एटलॉटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.7/22 अंसारी रोड़ दरियागंज ,नई दिल्ली 110003, 2012

इकाई – 19

निजी सुरक्षा अभिकरणों तथा निजी सुरक्षा कानून की भूमिका

इकाई की रूपरेखा

19.0 उद्देश्य

19.1 प्रस्तावना

19.2 सुरक्षा का निजीकरण : एक वैश्विक प्रवृत्ति

19.3 निजी सुरक्षा समवाय (कम्पनी)

19.4 निजी सुरक्षा समवायों की भूमिका

19.5 निजी सुरक्षा प्रावधान : सुरक्षा उपक्रम सुधार हेतु एक मुद्दा

19.6 सुरक्षा उपक्रम (खण्ड) सुधार कार्यक्रम नीति

19.6.1 लोक और निजी सुरक्षा हेतु समुचित प्रावधान

19.6.2 पारदर्शिता और जवाबदेहिता / जिम्मेदारी

19.6.3 राजनैतिक - असम्बद्धन

19.6.4 क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विनियमन

19.6.5 संभाव्य क्षेत्रों की परेशानियाँ

19.6.6 निजी सुरक्षा कम्पनियों के घटकों की रणनीतियाँ

19.7 निजी सुरक्षा अधिनियम : खासियतें और प्रमुख उपबंध

19.7.1 क्षेत्र एवं निर्वाचन खण्ड

19.7.2 अनुज्ञप्ति पत्रों का पंजीयन एवं विनियमन

17.7.3 ब्यूरों के अवश्यम्भावी विनिश्चय

17.7.4 प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही

17.7.5 ब्यूरो डेला सिक्यूराइट प्रिइवी का संस्थापन और मिशन

17.7.6 ब्यूरों का संगठन

17.7.7 निरीक्षण और अन्वेषण

17.7.8 वित्तीय प्रावधान और प्रतिवेदन

17.7.9 निरीक्षण और जांच

17.7.10 मंत्री के आदेश और अस्थायी प्रशासन

17.7.11 विनियामकीय शक्तियाँ

17.7.12 परिणाम और अन्तर्कालीन प्रावधान

17.7.13 अंतिम प्रावधान

19.8 सारांश

19.9 शब्दावली

19.10 अभ्यासार्थ प्रश्न

19.11 संदर्भ ग्रंथ

19.0 उद्देश्य

प्रत्येक नागरिक की जानमाल की सुरक्षा, संरक्षा कानून और लोक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अन्तर्गत व्यक्ति और राष्ट्र की सुरक्षा करने का कार्य और शक्ति पुलिस सुरक्षा, अर्द्धसैनिक बलों और नागरिक सुरक्षा दलों का कर्तव्य हैं। सरकारी सुरक्षा तंत्र के पास अधिक कार्य होने के कारण पूरी सुरक्षा व्यवस्था संभालना मुश्किल होता है। इसलिए व्यक्तियों, समुदाय और राज्य की सुरक्षा और संरक्षा का कार्य आजकल निजी सुरक्षा अभिकरणों, कम्पनियों और उपक्रमों द्वारा संभाला जाने लगा है। इन निजी सुरक्षा ऐजेन्सियों और कम्पनियों का प्रमुख उद्देश्य लोगों को निजी सुरक्षा प्रदान करना है। अत: इस इकाई के आद्योपान्त अध्ययन कर लेने के पश्चात आप यह जान पायेंगें कि:-

1- सुरक्षा के निजीकरण के वैश्विक प्रवृत्तियों और निजी सुरक्षा अभिकरणों के बारे में जानकारी हासिल कर सेकेंगे।
2- निजी सुरक्षा कम्पनियों, उपक्रमों, इनकी निभायी जा रही भूमिका पर दृष्टिपात कर सकेंगे।
3- सुरक्षा उपक्रम सुधार से सम्बन्धित प्रावधानों और ज्वलँत सुरक्षा मुद्दों से सुविज्ञ हो सकेंगे।
4- सुरक्षा उपक्रमों के सुधार कार्यक्रमों के बारे में अवगत हो सकेंगे तथा
5- निजी सुरक्षा कानून के मुख्य-मुख्य प्रावधानों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

19.1 प्रस्तावना

निजी सुरक्षा उद्योग में वे कार्यकर्तागण सम्मिलित हैं, जो कि अपने लाभार्जन और अनुबंध के अधीन आबद्ध रह करके लोगों और उनकी सम्पति के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं।

दुनियाभर में आजकल यह अनुभव किया जा रहा है कि सुरक्षा उद्योगें का तीव्रत्तम गति इनकी अभिवृद्वि और इनका विकास काल चल रहा है और जब प्रभावी रूप से जो विनियमित हो और पूर्णतया जवाबदेहिता की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हो, वही सुरक्षा प्रावधानों के लिए अमूल्य योगदान देकर सुरक्षा कार्यो में सफल हो सकते हैं। यद्यपि निजी सुरक्षा उद्योग की कमजोर विनियमन होने और अनियंत्रित कार्यकलापों की वजह से मौजूदा बेमिसाल शासन समस्याएँ और असंक्रमण अथवा संघर्षोपरान्त राज्यों के लिए शांति निर्माण, सुशासन, और स्थायी विकास में बाधा उत्पन्न करने का कार्य कर सकती हैं। इसमें यह खासकर महत्व दिया गया है कि विगत दशक के समापन पर निजी कर्ताधर्ताओं ने उपधारण की गई भूमिकाओं में बढोतरी कर ली। जोकि परम्परागत रूप से राज्य के उत्तरदायी हो चुके है। यहां यह ध्यातव्य रहे कि सुरक्षित दुनियां के कार्यो से यह अनुभव गंभीर रूप से व्युत्पन्न हुआ है और इसके अलावा निजी सुरक्षा कम्पनियों पर मजबूती से प्रकाश डाला गया (पी.एस.सी.एस) और वह रास्ता जिससे वे वृहद सुरक्षा उपक्रम का आलोचनात्मक अंग/घटक बन गये हैं। उनकी सुरक्षा उपक्रम सुधारों (एस.एस.आर)के कार्यक्रम और नीतियाँ एकत्रित होनी चाहिए । बहरहाल, इनमें से बहुत सारे मुद्दे उठ रहें हैं। जोकि (पी.एम.सी.) अन्य निजी सुरक्षा उपक्रम के तत्वों जिसमें निजी सैन्य कम्पनियों पर भी समान रूप से लागू होता हैं। और इसमें गैर-राज्य सुरक्षा प्रदानकर्ताओं को ज्यादा अनौपचारिक बनना होगा । सुरक्षा उपक्रम सुधार दो चीजों के साथ मूलत: सम्बन्धित हैं। मानवाधिकारों सहित सुंसगतता व्यवहार रखते हुए राज्य के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के समर्थ रहते हुए संस्थाओं का विकास करना पहला सुधार है और विधि के शासन, प्रजातांत्रिक विनियमन की प्रभावी प्रणाली और सुरक्षानायकों / सक्रिय कार्यकत्ताओं की निगरानी रखना दूसरा सुधार हैं। इसमें निजी सुरक्षा उद्योग के सम्बन्ध में दूसरा सम्बन्ध विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। सुरक्षा के प्रभावी निजी उपबंध विचारणीय विधायन, विनियमन, हिफाजतों की निगरानी को यथास्थान रखना, और नियमित रूप से पुन:रीक्षण करने की जरूरतें विचारित करनी चाहिए। निजी सुरक्षा कम्पनियों के सुरक्षा में पारदर्शितापूर्वक संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रणाली में हिसाबदेहिता या जवाबदेहिता अपनाने की मांग कर रहा है। अनैतिक और नाजायज गतिविधियों के लिए बन रही संभावनाओं को घटाते रहना चाहिए। इस इकाई के अन्तर्गत हम यहां सुरक्षा के निजीकरण को वैश्विक प्रवृत्तियों, निजी सुरक्षा कम्पनियों तथा इनकी भूमिका, निजी सुरक्षा उपबंध सुरक्षा उपक्रम सुधार के लिए ज्वलंत बन रहे मुद्दे, सुरक्षा उपक्रमों के सुधार कार्यक्रमों और निजी सुरक्षा कानून में उपबंधित किए गये विभिन्न मुख्य-मुख्य प्रावधानों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगें।

19.2 सुरक्षा का निजीकरण : एक वैश्विक प्रवृत्ति

दुनियाँभर के अनेक राज्यों के निजी ठेकेदारों के बाह्यस्रोत कार्यों में इतनी अधिक वृद्वि हुई कि जोकि परम्परागत रूप से उनकी पुलिस और सैन्य दलों द्वारा सुरक्षा कार्य अभिनीत किए जा रहे हैं, इसमें अँशत: लोक उपक्रम के गिरते आकार के प्रत्युत्तरदायी है परन्तु क्योंकि

सँग्राम की प्रकृति में परिवर्तन भी हो रहे हैं। कम से कम सिद्वान्तों में ये सुरक्षा प्रावधान के नवीन आदर्श सरकारों और लोक संस्थानों व उनके मुख्य कार्यो पर कुशलता में अभिवृद्धि करके ध्यान आकर्षित कर रहें हैं। जबकि उत्तरदायित्वों के आधिक्य निजी कम्पनियों को हस्तांतरित कर रहे हैं।

यूरोप सुरक्षा सेवा मंडल ने सन 1999 में अनुमानत: अकेले यूरोपीय संघ में करीब 10,000 निजी सुरक्षा कम्पनियों में 5,00,000 सुरक्षाकर्मी नियुक्त किए गये थें। यूरोपियन संघ के विस्तारित होने के बाद इन सुरक्षाकर्मियों की संख्या ठीक दुगुनी हो गई । हाल ही के अनुसंधान यह प्रदर्शित करते हैं कि 2 लाख से अधिक निजी सुरक्षा प्रहरी-कर्मी केवल दक्षिणी-पूर्वी यूरोप में नियोजित किए गये हैं। यह विचारणीय है कि ये निजी सुरक्षाकर्मी उन राज्यों में नियोजित किए गये पुलिस अधिकारियों से ज्यादा संख्या में कार्यरत हैं।

वास्तव में, कई राज्यों उदाहरणार्थ इजराइल, बिट्रेन, सँयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण-अफ्रीका आदि शामिल है। आदि में निजी सुरक्षा कम्पनियों के आय-व्ययक विवरण के आकार और नियोजित किए गये सुरक्षा प्रहरियों की संख्या इन राज्यों की लोक व्यवस्था और कानूनी प्रर्वतन अभिकरणों में नियुक्त किए गये कर्मचारियों से भी अधिक संख्या में कार्यरत हैं। हाँलाकि इस क्षेत्र में सीमित अनुसंधान कार्य करने की जिम्मेदारी ली गई । इसमें उपलब्ध सबूत यह दर्शाते हैं कि गैर-राज्यों के सक्रिय कार्यकताओं (सुरक्षा नायकों) द्वारा सुरक्षा प्रावधान की तरफ बढ़ रहे रूझान विश्व के सभी क्षेंत्रों (राज्यों) में प्रचलित हैं। एक मांग और आपूर्ति के घटकों के संम्प्रवाह राज्यों में तैयार-उपलब्धि के कार्मिकों व उनके सुरक्षा बल उतार की ओर पहुचने से तीव्र असुरक्षा और कई देशों में कमजोर पुलिस व्यवस्था की मात्रा की प्रकटता इस प्रवृत्ति को आगे चला रही है। नीति-निर्माताओं को इसके अलावा यह सीखने और अपने व्यवहार के द्वारा सीमित नियमनों के गंभीर उलझनों/झंझटों और बाजार की हिसाबदेयता को वास्तविक नहीं, बल्कि सम्भावनाओं को संव्यवहार अमल में लाना चाहिए। जोकि लगातार दोनों आकार और महत्व में बढ रही है और शायद इन कठिनाइयों के यहां रूकने की संभावना लग रही है।

19.3 निजी सुरक्षा वाली कम्पनीज समवाय (कम्पनी)

निजी सुरक्षा उपक्रमों में एक वृहद स्तर के सक्रिय सुरक्षा कार्यकर्ता अथवा कार्मिक सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त प्राय: गैर-सरकारी और अवैध संचालकों की संख्या ज्यादा हैं। इस रूप में इसमें व्यापारीगण, और पड़ौसी नागरिक सुरक्षा दल व उपक्रम के अन्तर्गत ज्यादा वैध संगठनों जिसमें निजी सुरक्षा समवाय, निजी बहुउद्देश्यीय कम्पनियाँ, आँतरिक सुरक्षा प्रभागो और अमृत्युकारक सेवा प्रदातागण इन उपक्रमों के अन्तर्गत (पी.एस.सी., पी.एम.सी., आई.एस.डी. तथा एन.एस.पी. शामिल है।) एक अन्तर्राष्ट्रीय सहमति के सम्मुच्य और विभिन्न परिभाषाओं के लिए अनेक संचालकगण इन उपक्रम में बेतुके साबित

हो गए। अंशत: क्योंकि विभिन्न कार्यकर्ताओं की गतिविधियां आसानी से आच्छादित कर दिया हैं।

यह खासकर निजी बहु उद्देश्यीय कम्पनियां (पी.एम.सी.ज.) और निजी सुरक्षा कम्पनीज सैन्य (पी.एस.सीज) के मामलों में महत्व है। यद्यपि निजी कम्पनियाँ परम्परागत सैन्य सेवाएँ प्राय: अनुभवित्त कर प्रदान कर रही हैं। इनमें से सचमुच में अधिकांश सकारात्मक सेवाएँ प्रदान कर रही हैं। इसमें जैसे प्रशिक्षण और तार्किकीय समर्थन भी शामिल किया गया है। निजी सुरक्षा कम्पनियां अपने ग्राहकों के लिए ज्यादा सुरक्षित सेवाएं के प्रस्ताव की और प्रवृत्त हुई है। जो परम्परागत पुलिस व्यवस्था की बनिस्पत सैनिकों की भूमिकाएँ इनमें शामिल की गई है।

तालिका संख्या-1 निजी सुरक्षा प्रदाताओं के प्रकार और सेवाएँ वे विशेषरूप से प्रदान करते हैं।

प्रदान की जा रही सेवाओं के प्रकार	गैर घातक सेवा प्रदातागण एन.एस.पीज	प्रकार द्वारा सेवा प्रदाता पी.एस.सीज. (निजी सुरक्षा कम्पनियाँ)	पी.एम.सीज निजी सेवा कम्पनी
प्रदान की जा रही सेवाओं के प्रकार	1- खदान सफाई 2- निवेष्टन एवं आपूर्ति 3- जोखिम परामर्शी	1- औद्योगिक और वाणिज्य स्थल संरक्षण 2- मानवीय सहायता संरक्षण 3- दूतावास/संदेश संरक्षण 4- अतिमहत्वपूर्ण व्यक्ति/निकट संरक्षण 5- निगरानी और अन्वेषण 6- जोखिम निर्धारण और विश्लेषण	1- सैन्य प्रशिक्षण 2- सैन्य आसूचना 3- आक्रामक-संग्राम

उपर्युक्त तालिका में मुख्य प्रकारों में निजी सुरक्षा कार्यकर्ताओं की सेवाओं के विस्तृत श्रेणीकरण को दिया गया है। इसमें विशेष रूप से सुरक्षा सेवा प्रदान कर रहे सर्वाधिक संचालकों के बारें में बताया गया है। इसमें सर्वोतम अवसरों पर इनकी वृहद् परिभाषाएँ इनकी परिपुष्टि करने में समर्थ एवं योग्य हो सकेगी।

19.4 निजी सुरक्षा समवायों की भूमिका : सुरक्षा उपक्रम हेतु एक मुद्दा

यद्यपि जवाबदेह और प्रभावी निजी सुरक्षा उद्योग सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने में सहायता कर सकतें हैं। निजी सुरक्षा कम्पनियों के कर्मचारीवृन्द द्वारा दुराचरण के आरोप मँढ़ना, कम्पनियों और सुरक्षा कर्मियों (सक्रिय कार्यकताओं) के बीच में असमुपयुक्त जुड़ाव होने, इस रूप में , राजनैतिक दलों या सांसदों पर इन सभी पर काफी आरोपों की आवृतियाँ लगाई जाती है। ये विशेषकर उन देशों में समान्तर समस्याएँ है, जहाँ पर विधि का शासन ओर प्रजातांत्रिक व्यवस्था कमजोर है या जहां कहीं सशस्त्र हिंसा का विस्तृत प्रसार हैं। खासतौर से ये समस्यायें उपक्रमों के कमजोर विनियमन के साथ जुड़ी हुई है। हम उपक्रम के दोषपूर्ण विनियमन निम्नलिखित व्यक्त कर सकते है:-

19.4.1 वैधानिकता : पर्याप्त विधायन तथा विनियमन को अनुपस्थिति की

हालत में, या उन परिस्थितियों में जहां विनियमनों को निर्बलता से प्रवृत्त किया गया हैं। जहां इन निजी सुरक्षा कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवतता या प्रकारों में किसी प्रकार कोई अधिक नियंत्रण वहां नहीं हो सकता हो । प्रश्नाश्पद पृष्ठभूमि सहित अप्रशिक्षित कर्मकार हथियारों की पहँच तक और नाजायज रास्त से बल का उपयोग करने के समर्थ हो सकते हैं।

19.4.2 न्याय की पहुँच : सशस्त्र निजी सुरक्षा कम्पनियों का प्रांरम्भ, होने से

बल के ज्यादा प्रयोग की राज्य की एकाधिकार को कमजोर कर देती है और जहां विधि प्रवृत्तन सहायता के मुकाबलों में अविनियमित होकर बाधाएं डालते हैं। एक सुरक्षा सेवाओं के लिए बाजार में गरीब और अमीर के बीच सुरक्षा में विभिन्नताएं उत्तेजित कर सकेगी । सबसे खराब मामलें में भी राज्य सुरक्षा अभिकरणें, निजी सुरक्षा बाजार द्वारा कि सुरक्षा को छोड़ना एक धनवानों को परिरक्षित कर, अनिर्धारण का कारण बन सकेगी ।

19.4.3 हिसाबदेहिता की जिम्मेदारी : भिन्न राज्य सुरक्षा प्रदायकों, एवं निजी सुरक्षा कम्पनियाँ प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेही के लिए निर्वाचन या संसद के प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं परन्तु अंशधारकों, कम्पनी मंड़लों और विनियमनकर्ताओं की कमजोरी के कारण प्राय: संयोजित नहीं रहते हैं।

19.4.4 परिचालनीय स्वतंत्रता : कम्पनियाँ अपनी शक्ति के प्रयोग करने को सशक्त होकर ऐसे आगे आकर संगठित अपराध के बचाने के लिए सेवा कर सकेगी। या अनाधिकृत राजनैतिक या समान्तर सैन्यबल के कार्य की परिपूर्ति कर सकेगी । खासकर रूप से उन राज्य क्षेत्रों में जहां सशस्त्र संघर्ष उभर रहे हों । उन राज्यों में जहां धार्मिक संघर्ष का इतिहास बना हो, वहां मजबूती के साथ निजी सुरक्षा कम्पनियों का धार्मिक और राजनैतिक विद्रोहों के विरूद्ध दुरूपयोग हो सकता है।

वहाँ इन संघर्षो के हित को मजबूती से उठा सकते हैं।क्योंकि भूतपूर्व और सेवारत सरकारी अधिकारियों और निजी सुरक्षा समवायों के बीच निकट बन्धनों का परिणाम हो सकता है।

19.5 निजी सुरक्षा प्रावधान (खण्ड) : सुधार कार्यक्रम नीति

सुरक्षा उपक्रम (खण्ड) सुधार हेतु एक मुद्दा सुरक्षा विभाग / खण्ड सुधार (एस.एस.आर) आजकल अनेक उतरोत्तर संघर्ष और अन्तर्कालीन राज्यों को सामान्य कार्यसूची में आता है। जहां कमजोर रूप से शासित किए सुरक्षा उपबंध या अव्यावसायिकीय संचालन अवलोकिन किए गये हैं। वहाँ स्थायी प्रजातांत्रिक राज्य के विकास को खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। बहरहाल, जब सुरक्षा खण्ड सुधार कार्यक्रमों और लोक सुरक्षा अभिकरणों के सुधार को सही शक्ल में मान्यता मिल रही है। ऐसे मानो कि सैन्य बलों और पुलिस बल जैसे परिर्वतन और प्रजातंत्रिकरण की कंजी बन गये हों । अब निजी क्षेत्र में जवाबदेहिता तथा व्यावसायिकरण के स्तरों में समानता शुरू करने की आवश्यकता है। इस बात के बावजूद, यह तथ्य है कि यह उपक्रम विभाग/खण्ड प्राय: हमारे देश में सशस्त्र कामिकों का सबसे बड़ा समूह इनका प्रतिनिधित्व करते है और यह इसके अपने साधनों-यंत्रों को छोड़ती है। और यह वास्तविक रूप से उन मालिकों और अंशधारकों जो कि लोक विस्तार में समाप्त हो गये हों, को आवश्यकताओं को प्राथमिकताएँ दे सकेगी । कतिपय प्रकरणों में उपक्रम के समस्याओं को बताने में विफल रहने से स्पष्टत: ये मानव सुरक्षा और शासन के हानिकारक परिणामों को उत्पन्न करते है। इसका एक अच्छा उदाहरण लें तो यह बल्गारिया देश का है। जहां वे सन् 1990 में साम्यवाद से दूर हट गये और सुरक्षा के तीव्र निजीकरण के लिए आज्ञा दे दी । जो कि सन 1998 जब तक यह देखा गया यह निजी सुरक्षा उद्योग संगठित आपराधिक समूहों द्वारा प्रमुख (काबू) में आ गया यह पुलिस और फौज के कार्यक्रमों सहित यह अक्सर घटित हुआ । जो कि उनके मजबूती के प्रभावों को सम्यक मान्यता के बिना अध्यधीन किए गये थे। इसमें सुरक्षा के निजीकरण पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनो ही थे । सुरक्षा उपक्रम सुधार (एस.एस.आर) मौलिक रूप से एक समुदाय की तरफ से तीव्र बल देने के प्रयास में उन संस्थानों के नागरिक नियंत्रण को प्रजातांत्रिक प्रभावों की कामयाबी का अभ्यास बताया गया है। निजी सुरक्षा कम्पनियाँ इसके अलावा यह सुरक्षा उपक्रम सुधार कार्यक्रम के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से गिरावट है।

19.6 सुरक्षा उपक्रम सुरक्षा कार्यक्रम

निजी सुरक्षा उद्योग सही तौर पर सुरक्षा विभाग / खण्ड सुधार कार्यक्रमों के घटक बनने के आदेश के लिए उपयुक्त साबित हो रहे है। यह आवश्यक हैं कि उन कार्यक्रमों के आकार स्तरों और निर्धारण के दरम्यान इन उद्योगों के बारे में सूचना प्रग्रहण करने के लिए आवश्यक हैं । इसमें निम्नलिखित सुधार कार्यक्रमों पर विचार किया जाए :

1. मांग और पूर्ति के घटकों से इन उद्योगों का बोझ संभालना।

2. इसके चालू और परियोजित दोनों और स्तर दोनो को रखना।

3. इस तरह और मात्रा की सेवाएँ ग्राहकों को प्रदान की जाए।

4. इन शीर्ष उद्योग के रवैयें के आंकडों और ग्राहकों का सुधार और स्वयं विनियमन हो।

5. किसी विनियामक विधि के प्रभावपूर्णता और अन्तर्वस्तुए दी जाए।

6. निजी सुरक्षा प्रदायकों के प्रति जनता की अनुभूतियां हो और कोई संभव हो तो इसके आगे लोक सुरक्षा सेवाओं का निजीकरण हो और जटिलताएँ यह सुरक्षा उपक्रम सुधार के लिए हो सकेगा। जबकि सुरक्षा उपक्रम सुधार कार्यक्रम सुरक्षा पर्यावरण और संदर्भ पर निर्भर बन सकेंगे। इन सम्पूर्ण उपक्रमों की जवाबदेहिता और प्रजातांत्रिक निगरानी /देखभाल में अभिवृद्वि करके उसके सभी उद्देश्यों के साथ उसे विर्निर्मित किया जाए। यह सफलता व्यावसायिकरण की संस्कृति को प्रोत्साहित करना, देखभाल एवं विकास करने हेतु प्रभावी यंत्रावली तकनीक विकसित करने निजी सुरक्षा उद्योग के लिए विनियमन तथा विधायन को गहनतम प्रणाली निर्मित कर के कामयाबी हासिल की जा सकती है।

राष्ट्रीय नीति : निजी सुरक्षा उपक्रम पर नियंत्रण करने और लोक निगरानी को पाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विनियमन की प्रणाली का जरिया आवश्यक बताया गया है। जबकि यहां एक रूचिकर प्रवृत्ति निजी सुरक्षा कम्पनियों के कार्य संचालन करने और विस्तृत विधासन के सृजित करने के प्रवृत्ति यहां बढ़ रही है। यहां बहुत सारे राज्यों हैं जहां ऐसी एक रूपरेखा/ढांचा में या तो अभाव हो रहा या त्रुटि पैदा हुई हो। पहले कदम के रूप में सभी राज्य को निजी सुरक्षा क्षेत्र के विनियमन पर राष्ट्रीय नीति को विकसित करना चाहिए और राज्य सुरक्षा प्रदायकों के साथ इसके सम्बन्धों को विकसित किया जाए। जोकि इन दोनो मंडलों के यथा संभव उच्चतम प्रमापों की प्रकल्पना को सुनिश्चित करें। यह इस घुमाव में अनुपूरक के साथ समपयुक्त प्राथमिक विधायन और विनियमनों को बनाया जाए। एक विचार के रूप में जो कम्पनियां घर और विदेशों में संचालित हो रही, हो तो दोनो के लिए राष्ट्रीय विधायन द्वारा विनियमित कर दिया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय स्थापित किए गये व्यवहार और विगत तजुर्बे के एक संयोजन के द्वारा राष्ट्रीय विधायन तथा विनियमन के लिए ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकताएं देने के निम्नलिखित सुझाव हो सकते हैं।

19.6.1 लोक और निजी सुरक्षा के लिए समुचित प्रावधान : सुरक्षा विभाग खण्ड में निजी और सार्वजनिक सुरक्षा कार्यकताओं के कार्य के बीच में स्पष्ट अंतर बनाया जाना चाहिए। उनके विधिक कार्य ढांचे में उनको सम्बन्धित भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों और पुलिस और निजी सुरक्षा कम्पनियों के बीच किसी रूपरेखा संविदाओं में भी इनको तब सम्मिलित करना चाहिए।

19.6.2 पारदर्शिता और हिसाबदेहिता/जवाबदेहिता/जिम्मेदारी : राष्ट्रीय विधायन के अन्तर्गत निजी सुरक्षा कम्पनियों के परिचालनों को न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए पारदर्शी और जवाबदेहता से युक्त स्थापित किया जाए, शासन का आंतरिक प्रणालियों जैसे (कर्मचारी भर्तियों, प्रशिक्षण, आचरण और संचालक मंडलों के उत्तरदायित्वों इत्यादि) एवं वित्तीय और संविदाकारी मामलों जैसे - (कम्पनी संरचना, लोक प्रकटन आदि के कर्त्तव्यों आदि) का विस्तार करें।

19.6.3 राजनैतिक असम्बद्धन : इन निजी सुरक्षा कम्पनियों और विशिष्ठ राजनैतिक दलो के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। राजनीति दलों और इन निजी सुरक्षा समवायों में सम्बन्ध होने से सुरक्षा पर विपरीत असर हो सकते है। क्योंकि राजनीतिक दल इन सुरक्षा कम्पनियों का अपने प्रभाव की वजह से इनको गलत इस्तेमाल कर सकती है।

19.6.4 क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विनियमन : दरअसल जहां क्षेत्रीय-बा्रहयता (अतिरिक्त-देशीय) विधायन, विद्यमान हो , क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर परस्पर प्रबलीकरण विनियामक रूपरेखाओं के अभाव में इनकी बाध्यता समस्यात्मक हो सकेगी। उदाहरणार्थ, यद्यपि दक्षिण अफ्रीकन में पंजीकृत कोई निजी सुरक्षा समवाय विदेशों में परिचालित हैं। कोई भी गलत काम दक्षिण अफ्रीकी प्राधिकारियों द्वारा व्यवहारिक रूप से सम्बोधित नहीं किया जा सकेगा। जब तक व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका वापस लौटकर आने के सिवाय वहाँ मेजबान देश में एक विनियामक प्रणाली हो या सचमुच में, वहां एक क्षेत्रीय और अन्तरर्राष्ट्रीय ढाँचा हो।

वर्तमान में कुछ भी हो, कौनसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून इस उद्योग पर लागू हो यह अभी भी अस्पष्ट है। कुछ सीमा तक मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के अन्तर्गत निजी सुरक्षा कम्पनियों की विधिक प्रास्थिति अनेक अर्थो वाली होने का ऐसा एक परिणाम है। उदाहरण के लिए ऐसी फर्मो में व्यक्तिगत नियोजन की गतिविधयां, भर्ती, प्रयोग, वित्तीय और धनलोलूपों के प्रशिक्षण के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1989 द्वारा परिचालित नहीं होते हैं। उन प्रयत्नों हाल ही में, स्थिति के उपचार के लिए मार्गाधीन हैं। (इस रूप में, स्वीटजरलैण्ड की सरकार यूरोपीय सुरक्षा सेवा मंडल द्वारा समान कार्य और निजी बहुउद्देश्यीय समवायों और निजी सुरक्षा समवायों (पी.एम.सीज/पी.एस.सीज) के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आचार संहिता के लिए सहमति देकर पहल की गई) इत्यादि को इसके अलावा, सतत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकारों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के मध्य में एक पुल की तरह क्षेत्रीय विनियामक संस्थापनों के बनाने के प्रति कार्य करना चाहिए। उदाहरणार्थ यूरोपियन कार्यक्षेत्र इसका तात्पर्य उद्योगों के लिए समान प्रमापों पर यूरोपियन संघ (ई.यू) उत्तरी अटलाण्टिक संधि संगठन (एन.ए.टी.ओ.) और दक्षिण केन्द्र पूर्व संघटन (ओ.एस.सी.ई.) की सीमा के

अंदर परिचर्चाओं का अनुसरण करने से है। किसी ऐसे अनुबन्ध को भविष्य में वैश्विक प्रमापों की सूचना की तरफ घूम सकते हैं।

19.6.5 सँभाव्य क्षेत्रों की परेशानी/कठिनाई

एक दृढ़-अटल और दृष्टिगोचरनीय निजी सुरक्षा उद्योग, सुरक्षा उपक्रम सुधार के लिए संभावनाओं और चुनौतियों के पीछे एक बेमिसाल उत्पन्न कर सकते हैं और इसी तरह सुरक्षा उपक्रम सुधार कार्यक्रमों के जबकि क्रियान्वित करने और प्राकल्पना करते वक्त इनकी प्रशंषा करनी चाहिए। जबकि इस निर्देशन - टिप्पणी में मुद्दों को गहन/विस्तृन नहीं बनाया जा सकता। इसे उजागर करने आदि कुंजी-बिन्दुओं की संख्या बहुत सी हैं। इसे उनको सम्बोधित करने के प्रयोग कर सकने की रणनीतियां और विचारित किया जाना चाहिए।

19.6.6 निजी सुरक्षा कम्पनियों के घटकों की रणनीतियां

इसे निम्न तालिका से समझा जा सकता है -

जोखिम	उत्प्रेरित करने वाले घटक	शमन करने वाली रणनीतियाँ
1- सुरक्षा-निर्वात का सृजन	इन प्रकरणों में जहाँ राज्य सुरक्षा प्रावधान कमजोर है। निजी सुरक्षा कम्पनियाँ और अन्य निजी सुरक्षा सक्रिय कार्यकर्ताओं पूर्णत: या प्राथमिक सुरक्षा प्रदाता हो सकेंगे वे राज्य प्रदाताओं की बजाए व्यावसायिक और अधिक प्रभावी भी वे विचारित हो सकेंगे। जहां यह मामले हों वहां ऐसे महत्व वाले शानदार जन प्रतिरोध ऐसे किसी कार्यक्रमों का होना चाहिए और उसका ध्येय निजी सुरक्षा उपक्रम के सुधार करने का हो, मानो इसमें हानि, या परिसीमा पर, निजी सुरक्षा कम्पनियों के कार्यकलापों को सुरक्षा-निर्वात सृजित करने की तरह अनुभवित्त कर सकेंगे।	इसमें प्रारंभ से ही, सुरक्षा उपक्रम सुधार कार्यक्रमों के वृहदतर के साथ निजी सुरक्षा कम्पनियाँ शामिल है। इसे शुरूआत में ही सुरक्षा क्षेत्रों के विस्तृत मान चित्रण करने समेत इनके समावेशन आते हैं।
2- उद्योग प्रतिरोधन के बदलाव	अनेक राज्यों में निजी सुरक्षा क्षेत्र/उपक्रम महत्वपूर्ण रूप से इसके	जब सुरक्षा उपक्रम सुधार कार्यक्रमों विकासशील होने वो

	लोक प्रतिपर्ण के बजाय वृहदत्तर हैं। यह संभव है कि ऐसे प्रदातागण दृढ़हितों को रखते हुए उन्हें सुधार पर किए गये प्रयासों उनका विरोध त्वरित कर सकेंगे।	कम्पनियों का जो अधिकांशत: ऐसे सुधारों से संभावित्त लाभों की पहचान की जाए और उसे न्यूनतम आंतरिक प्रतिरोध और कार्यक्रमों की संभावित्त सफलता की वृद्धि के आदेशानुसार समर्थन करना चाहिए।
3- राज्य और गैर-राज्य सुरक्षा प्रदायकों के मध्य में आच्छादन /अनुरूपता	कई राज्यों के अन्तर्गत, यहां राज्य और गैर-राज्य सुरक्षा प्रदायकों के बीच महत्वपूर्ण अनुरूपता पायी गई है। प्रत्येक उपक्रम के उत्तरदायित्वों के बीच में प्राय: एक कमजोर विशिष्ठता ही केवल नहीं पाई गई है। जो कि बारी में, दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा की रचना हेतु घुमाव लेगी। यहां बहुत सारे उदाहरण इन निजी सुरक्षा कम्पनियों के है जो कि पुलिस कर्मियों कर्तव्य-बद्धता नियोजन और उनके मंडलों पर सरकारी अधिकारियों और पुलिस रख रहे है।	सुरक्षा उपक्रम सुधार निर्धारणों को निजी तथा लोक सुरक्षा उपक्रमों के बीच के सम्बन्ध को पूर्ण रूप से समझकर इनका निर्धारण को हासिल कर लेना चाहिए। जहां यह अच्छी तरह परिभाषित नहीं किए गये हैं या वे मौजूदा शर्ते भष्ट्राचार की जनक या शक्ति का दुरूपयोग हैं तो निगरानी और जवाबदेहिता में सुधार हेतु कदम उठाने चाहिए ।
4- अनुबंध उन्मुक्ति द्वारा मुद्दे उठाना	कतिपय मामलों में, अन्तर्राष्ट्रीय निजी सुरक्षा प्रदातागण, राष्ट्रीय सरकारों के साथ उनके कर्मचारियों को सरंक्षण प्रदान कराने तथा जहां समुपयुक्त हो कम्पनी अपने आन में आपराधिक अभियोजन हेतु उन्मुक्ति अनुबंधों का सौदा करते हैं। जबकि वहां अनेक कारणों, यह कैसे लाभदायक बन सकेगा। ऐसे अनुबंध जिनको निजी सुरक्षा कम्पनी संचालित करती हो, देश में कानूनी	सुरक्षा उपक्रम सुधार कार्यक्रमों को ऐसे किसी अनुबंधों की परीक्षा होनी चाहिए ओर अगर जरूरत होने पर इनको संशोधित या उन्मूलन कराने जहाँ वे मौजूदा राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रमापों में से कोईसा एक नीचे से काट लेने के कदम लिए जाएँ इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों या अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि आदि सम्मिलित

	शासन को कमजोर करने प्रभाव हो सकते हैं। यह खासकर रूप से अन्तर्कालीन राज्यों और संघर्ष-परिणामों में समस्यात्मक होता हैं जहाँ प्राय: विधि के शासन के क्रियान्वयन पहले से ही कमजोर होता है।	रहती है।

19.7 निजी सुरक्षा अधिनियम : खासियतें और उपबंध : एक दृष्टि

19.7.1 क्षेत्र एवं निर्वाचन खण्ड इस अधिनियम की निजी सुरक्षा अधिनियम, 2006 के नाम से जाना जायेगा। यह अधिनियम समस्त भारतीय क्षेत्रों में प्रभावी किया गया है। इस कानून के अन्तर्गत कुल 123 धाराएँ व्यवस्थित की गई है। इस कानून की धारा -2 में कुछ परिभाषाएँ जैसे - सुरक्षा, अन्वेषण, ताला बनाने-मरम्मत करने वाला, गतिविधियाँ, मूल्यवानों का परिवहन, सुरक्षा परामर्श इत्यादि शब्दावली को स्पष्ट किया गया है। इसमें संशोधन वर्ष 2011 में किया गया है।

यह अधिनियम निम्नलिखित निजी सुरक्षा गतिविधियों पर लागू किया जायेगा।

1. सुरक्षा - रक्षक: यथा चौकसी या व्यक्तियों, सम्पति या परिसरों के संरक्षण करने, मुख्य रूप से अपराध निवारण और आदेश संधारण आते हैं।
2. अन्वेषण : यथा व्यक्तियों के लिए तलाशी, सूचना या सम्पति, विशेष रूप से अपराध पर सूचना के लिए तलाशी या व्यक्तियों के आचरण के चरित्र पर सूचना एकत्रित करने से तात्पर्यित है।
3. तालासाजी-कार्य, यथा - चाबी लगना, प्रतिस्थापन्न करना, संधारण करना, यांत्रिक और विद्युतकीय ताली संयंत्रों की मरम्मत करना, इनके प्रतिष्ठापन करने, रख-रखाव, मरम्मत और अलमारियों, वाल्टस और सुरक्षित जमा संदूकों के संयोजनों के परिवर्तन करने, आकृति देने, मुख्य ताली-प्रणाली की व्यवस्था, ताली संधारित, और भवन के दरवाजा, फर्नीचर या अलमारी के नमूनों अन्यथा चाबी के प्रयोग द्वारा या निम्नलिखित निर्धारित प्रक्रिया द्वारा उन्हें खोलना भी हैं।
4. गतिविधियाँ/क्रियाकलापों वैधुतकीय सुरक्षा प्रणाली से सम्बन्धित अर्थात सुदुर पर्यवेक्षण करके इनके प्रतिष्ठित करने, संधारित करने, मरम्मत करने और सैंधमारी या बलात प्रवेश खतरा-घंटी प्रणाली, दृश्य-निगरानी प्रणाली, और पहुँच नियंत्रण प्रणालियों से हैं। परन्तु इसमें वाहन सुरक्षा प्रणाली सम्मिलित नहीं हैं।

5. मूल्यवानों के परिवहन अर्थात् इसमें चल सम्पति, प्रतिभूतियां, अंशपात्र, ऋणपात्र, साख-पत्र, आभूषण, जेवरात, हीरा, मोती आदि के यातायातन सुविधाओं के लिए प्रयुक्त वाहनों से हैं।

6. सुरक्षा-परामर्शन **:** यथा - चोरी, बलात प्रवेश करने, जान बूझकर तोडना, नष्ट करने के विरूद्ध संरक्षण पर सलाह या राय सेवाएँ प्रदान करने से हैं।

19.7.2 **अनुज्ञप्ति पत्रों का पंजीयन एवं विनियमन**

कोई व्यक्ति उद्यम परिचालित कर रहा हो कि एक निजी सुरक्षा गतिविधि वहन करे और समप्रयुक्त वर्ग की अभिकरण अनुज्ञप्ति धारित करना चाहिए। सुरक्षा प्राधिकारी कार्यालय से निम्नलिखित वर्गो की ऐजेन्सीज को अनुज्ञप्ति जारी करता हैं:

1. सुरक्षा रक्षक अभिकरण 2. अन्वेषण अभिकरण

3. तालासाजी अभिकरण 4. वैधुतकीय सुरक्षा प्रणाली अभिकरण

5. मूल्यवान यातायात अभिकरण तथा 6.सुरक्षा परामर्शी अभिकरण

जब अभिकरण अनुज्ञप्ति जारी करते समय कार्यालय आवेदक द्वारा संचालित प्रत्येक संस्थापन के लिए अनुज्ञप्ति की प्रति जारी करता है। एवं अभिकरण लाइसैन्स के लिए आवेदन प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो कि उद्यम की गतिविधियों में पूर्णकाल नियोजित रहे। इस कानून के उद्देश्य के लिए ऐसे उद्यम के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहिए। आवेदन प्रपत्र को वांछनीय दस्तावेजात और निर्धारित किए गये शुल्क को विनियमन द्वारा निर्धारित करना होता हैं।

19.7.3 ब्यूरो के अवश्यम्भावी निर्णय/विनिश्चय

ब्यूरो (कार्यालय) प्राधिकारी एक अनुज्ञप्ति धारक के अभिकरण लाइसैन्स को नवीनीकरण, निष्कासन, निरस्त या इँकार कर सकेगा।

1. इस कानून द्वारा निर्धारित शर्तो का लम्बे समय तक आमना-सामना करना या अभिकरण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन विनियमन करना।

2. वार्षिक शुल्क अदा करने में विफल रहना।

3. इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध या विनियमन का दोषी पाया गया था।

4. ब्यूरो द्वारा जारी निर्देशों के अनुगमन करने में असफल रहता हो।

5. अनुज्ञप्ति धारा द्वारा निर्दिष्ट किए प्रतिनिधि को ब्यूरो के निवेदन पर बदलने की अनुपालना करने में असफल रहना।

6. एक अनुज्ञप्ति धारक जिसका लाइसैन्स रद्द हो चुका हो या नवीनीकरण नहीं हुआ हो तो निर्णय होने की तिथि से 15 दिवस बाद उस अनुज्ञप्ति को सुपुर्द कर सकेगा । या यदि प्राधिकारी के कार्यालय जरूरत समझे कि अनुज्ञप्तिधारक जिसकी अनुज्ञप्ति स्थगित कर दी गई है इसको सुपुर्द करेगा।

19.7.4 प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही: आवेदक जिसको अनुज्ञप्ति देने से इँकार कर चुके हो या एक अनुज्ञप्तिधारक जिसका लाइसैन्स स्थगित या रद्द कर दिया या नवीनीकरण नहीं हो चुका हो। ब्यूरों के आदेश के विरूद्ध प्रशासनिक न्यायधिकरण क्यूबिक के समक्ष लड़ सकेगा।

जब धारा 37 के अन्तर्गत जब ब्यूरो के निर्णय के विरूद्ध प्रशासनिक क्यूबिक न्यायाधिकरण के समक्ष मामला लडा जायेगा । धारा - 101 के अनुसार ब्यूरो भी कार्यवाही में पक्षकार होती है। और सम्बन्धित प्रशासकीय न्याय से सम्बन्धित कार्य करेगा और आवश्यक सूचना और दस्तावेजात को न्यायाधिकरण के सचिव को भेजेंगें । धारा -114 के अनुसार इन दस्तावेजात व सूचना की प्रति की कार्यवाही 30 दिवस बाद करेगा।

19.7.5 ब्यूरो डेला सिक्यूराइट प्रिवी का संस्थापन और प्रचार के मंडल (मिशन) :

एक निजी सुरक्षा कार्यालय (ब्यूरो) को ब्यूरो डेला सिक्यूराइट प्रिवी कहा जाता है यहां स्थापित किया गया है। ब्यूरो एक विधिक व्यक्ति हैं। यह कार्यालय अपना मुख्यालय क्यूबेक, वह स्थान जहां निर्धारित कर सकेंगे। इसके स्थिति एवं मुख्यालय की अवस्थिति में बदलाव करने पर इसको क्यूबेक अधिसूचना में कार्यालय के बारे में प्रकाशित किया जा सकेगा । ब्यूरो क्यूबेक के किसी स्थान पर इसकी बैठक आयोजित कर सकेगा। ब्यूरों का मुख्य-संदेश (मिशन) का उद्देश्य लोगों/जनता को संरक्षित करना ही है। ब्यूरो के धारा-41 में मिशनरी कार्य निम्नलिखित बताये गये है।

1- इस अधिनियम तथा विनियमनों को क्रियान्विति सुनिश्चित करना 2. अभिकरणों और अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी करना 3. अनुज्ञप्तिधारकों के विरूद्ध कार्यवाही परिवाद-पत्र दर्ज करना 4. अभिकरण अनुज्ञप्ति धारकों के प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना 5. निजी सुरक्षा और लोक उपक्रमों द्वारा ससंजक प्रतिक्रिया बढाना 6. निजी सुरक्षा के सम्बन्ध में मंत्री को सलाह देना, मंत्री इसको प्रस्तुत करता है। 7. ब्यूरो किसी भी समय जनता को संरक्षित करेगा । (1) अभिकरण अनुज्ञप्तिधारकों को अभिकरण अनुज्ञप्तिधारकों की गतिविधियों के बारे में निर्देश जारी करता है। या (2) यह आवश्यकता समझते है कि अभिकरण अनुज्ञप्तिधारक इनको प्रतिनिधित्व दीर्घकाल तक धारा 7 में निर्धारित की गई शर्तो का निपटारा नहीं करता हो। इस अधिनियम की धारा - 43 में ब्यूरों को लोक निकाय समझा गया है। इसमें व्यक्तिगत सूचनाओं का संरक्षण करने लोक निकायों द्वारा धारित किए गये दस्तावेजात तक पहुँच

रखना तथा इस अधिनियम के विषय में ब्यूरों द्वारा एकल उद्देश्य बनाये रखना। आदि संरक्षण व्यक्त किए गये हैं।

19.7.6 ब्यूरो का संगठन : ब्यूरो का प्रशासन निदेशकों के मंडल के गठन करने से होता है इसमें कुल 11 सदस्य बोर्ड के गठन में सम्मिलित किए जाते है। मंडल का गठन निम्नवत किया जाता हैं।

1. 4 सदस्य मंत्री द्वारा नियुक्त किए जायेंगें, इनमें से एक पुलिस समुदाय से होना चाहिए।
2. सात सदस्य निजी सुरक्षा उद्योग के प्रतिनिधि संगमों द्वारा नियुक्त होगें। वे मंत्री द्वारा मान्य किए जाते हैं। (धारा -44)

- निजी सुरक्षा उद्योग के प्रतिनिधि संगम द्वारा मंत्री को एक लिखित में इस आशय का सूचना-पत्र भेजा जायेगा। और संगम ही अपनी मान्यता प्रदान कराने के लिए आवेदन कर सकेगा।
- इस आवेदन-पत्र को संगम के एक प्रस्ताव द्वारा प्राधिकृत कर दिया जाता है। इस पर इस उद्देश्य के लिए विशेष आदेशित किए गये प्रतिनिधि द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जायेंगें। (धारा - 45)
- मंत्री सात संगमों को मान्यता प्रदान करता हैं। मंत्री की राय कि अधिकांश प्रतिनिधि, निजी सुरक्षा उद्योग, उन सभी संगमों मे से है जिन्होने मान्यता के लिए आवेदन कर रखा हो।
- मंत्री एक समिति की स्थापना कर उसे सलाह देने के लिए कर सकेगा। और यह समिति मंत्री को यह सिफारिशें बनाकर प्रस्तुत करेगी। संगमों के प्रतिनिधत्वता को निर्धारित कर दिया जाए। (धारा - 46)
- मान्यता प्राप्त करने के बाद 30 दिन के भीतर, संगम एक मंडल सदस्य इस तरीके में अवधारण करके नियुक्त करना चाहिए। मंत्री जनहित में किसी समय आवश्यक होने, जिस सदस्य को नियुक्त किया गया हैं। उस मंडल सदस्य की जगह दूसरे को सदस्य बना सकता है। (धारा - 47)
- जिस तारीख को सभी मंडल सदस्यगण नियुक्त हो चुके है उस तारीख से मंडल के सदस्यगण तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होते हैं। (धारा - 48)
- कोई रिक्ति मंडल के सदस्यों की पदावधि के दौरान होती है तो मंडल के निर्देश को धारा 44 में बताये गये निर्धारित ढंग से शेष बची अवधि के लिए सदस्य भरा जायेगा। मंत्री और सम्बन्धित संगम एक खाली रिक्ति होने का सूचना-पत्र प्राप्त करने के बाद 30 दिन के भीतर रिक्त पद को भर देना चाहिए। यदि कोई सदस्य अस्पष्ट रूप से मँडल की बैठक संख्या में अनुपस्थित रहता हो मंडल के निदेशकों

को लिखित में एक सूचना-पत्र स्तीफा देने के आशय का भेजकर वह रिक्ति मंडल के निदेशको द्वारा इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है।

- मंत्री उन संगमों की प्रतिनिधित्वता का पुन: निर्धारण कर सकेगा, विशेष रूप से अगर नये संगम अपनी मान्यता के लिए आवेदन कर चुके है तो धारा 45 के अनुसार मंडल के सदस्यों की कार्यावधि समाप्त होने के 6 माह पूर्व आवेदन करना जरूरी होता है। अगर मंत्री यह विचारित करता है अधिकांश प्रतिनिधि संगम ऐसे अपनी प्रास्थिति खो चुके है। तो उसे संगम के मान्यता से निकाला जा सकता है। (धारा - 51)
- मँडल सदस्यों में से ही ये सदस्य एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनके पदावधि के दरम्यान अपने सम्बन्धित कार्यो का प्रयोग कर सकेंगे। (धारा - 53)

मंडल के निदेशकगण बैठक करने लिए बुला सकते है । अध्यक्ष उनकी अध्यक्षता करता है ताकि कार्यवाली आसानी से चल सके (धारा - 54)

ब्यूरो कार्यकारी निदेशक को लिखित में विनिर्दिष्ट विस्तारण, इस कानून के अन्तर्गत कार्य एवं शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकता है । लेकिन इसमें धारा 107 एवं 108 में समानुदेशन के सिवाय सभी कार्य व शक्तियां आती है।

ब्यूरो कार्मिकों के एक सदस्य जो कि एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित किसी उद्यम में रखता हो वहां सदस्यों के व्यक्तिगत हितों के संघर्ष के साथ ब्यूरो का हित भी है। ब्यूरो और सदस्य के हितों मे संघर्ष या टकराहट नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो मंडल के निदेशकों इसने न तो व्यक्तिग, या नह हैं (धारा 67)

न तो ब्यूरो और ना ही मंडल के निदेशकों या कार्मिक किसी कार्यवाही के लिए दावा कर सकते है। तथा सदभावना पूर्वक कोई कार्य किया जाए तो उनके कार्यो को प्रयोग कर सकता है। (धरा 68)

19.7.7 निरीक्षण और अन्वेषण : इस अधिनियम के साथ कोई अनुपालना के सत्यापन कराने के लिए ब्यूरों किसी व्यक्ति को निरीक्षक के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है। (धारा 69)

एक निरिक्षक, निरीक्षण कार्यो को कर सकता है।

1. किसी भी युक्तियुक्त समय किसी परिसर में प्रवेश कर सकता है । जहां एक निजी सुरक्षा गतिविधि विक्रित, सेवा या संचालित करने या जहां निरीक्षक यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार हो, ऐसी गतिविधि विक्रय सेवा या संचालन शामिल है।
2. उपकरणों और परिसरों की छायाप्रतियां लेना तथा

3. व्यक्ति को जरूरत होने पर उपस्थित होकर कोई सूचना गतिविधियों बेची, सेवा करने या संचालित करने में उन परिसरों के निरीक्षण कार्यो के निष्पादन के लिए आवश्यक हो , कोई दस्तावेजात पेश करने या प्रतिलिपि करने, परीक्षा के लिए ऐसी सूचना, जिसमें प्रदर्श किए दस्तावेज भी शामिल हैं। (धारा - 70) ब्यूरो जो व्यक्ति इस उद्देश्य के लिए पदाभिहित किया जाए के आचरण को न्यस्त कर सकेगा। लोक जांच आयोगों सिवाय कारावास आदेश की शक्ति के इस अधिनियम के नियुक्त किया गया व्यक्ति को इस कानून के अन्तर्गत नियुक्त किए गये आयुक्तों की शक्तियों और अन्मुक्तियों के अधिकार प्रदान किए जायेगें (धारा-74) और अन्वेषणकर्ता अन्वेषण प्रतिवेदन को ब्यूरों को प्रस्तुत करेगा (धारा - 75)

19.7.8 वित्तीय प्रावधान तथा प्रतिवेदन : इस अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न अन्य राजस्व और अनुज्ञप्ति-धारकों द्वारा इसकी चुकाऐ गये शुल्क के बाहर इसकी गतिविधियाँ ब्यूरो वित्तीय धनराशि को रखेगा। ब्यूरो प्रतिवर्ष पुस्तके और लेखों को प्रतिवर्ष अंकेक्षक से परीक्षण करवायेगा। अंकेक्षक प्रतिवेदन ब्यूरो के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। यदि ब्यूरो इसकी पुस्तकों और लेखाबहियों को अंकेक्षित करवाने में असफल हो जाए तो मंत्री इस उद्देश्य के लिए अंकेक्षण संचालित कर सकेगा (धारा-83), अंकेक्षक बीजकों, अन्य लेखा बही अभिलेख लेखों, पंजिकाओं, पुस्तकों आदि तक पहुँच रख सकता है। जो व्यक्ति इन दस्तावेजों अपनी अभिरक्षा में रखेगा और उनको अंकेक्षक द्वारा परीक्षा करने की सुविधा दी जानी चाहिए। अंकेक्षक ब्यूरो मंडल सदस्यों से आज्ञादेशों या कर्मचारियों की सूचना और अंकेक्षण के संचालन के लिए जरूरत पड़ने वाले चीजों की मांग/चाहना कर सकता है। (धारा - 84) अंकेक्षक मंडल द्वारा आयोजित की गई बैठक में अंकेक्षण से सम्बन्धित प्रश्न की मांग कर सकेगा (धारा-85), ब्यूरो का प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष 30 मार्च को समाप्त होगा। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद 4 महीने के भीतर ब्यूरो विगत वित्तीय वर्ष की रिर्पोट के लिए कार्यकलाप प्रतिवेदन मंत्री को प्रस्तुत करेगा। इस प्रतिवेदन में मंत्री द्वारा चाही गई पूरी सूचना की अन्तर्वस्तु होनी चाहिए। (धारा-87), मंत्री ब्यूरो वित्तीय-विवरण और कार्यकलाप प्रतिवेदन को उसके प्राप्त होने के 30 दिवसों के भीतर राष्ट्रीय विधानपालिका के सामने सही स्थिति में रखेगा या यदि विधायिका की बैठक आहूत नहीं की गई हो तो उसके पुनरारम्भ होने के 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत करेगा।(धारा-88) यदि कोई धनराशि ब्यूरो द्वारा प्राप्त की गई हो उसे उसके आभारों के भुगतान के लिए आवेदन कर देना चाहिए।(धारा-89)

19.7.9 निरीक्षण और जांच : इस अधिनियम और विनियमों के अन्तर्गत ब्यूरो के आदेशों के अनुपालना करने के मामलों के निरीक्षण करने के लिए मंत्री किसी व्यक्ति प्राधिकृत कर सकेगा। धारा 90, निरीक्षक आखिर में यह कर सकेगा। 1.

ब्यूरो के मुख्यालय पर किसी युक्तियुक्त समय में प्रवेश करना 2. ब्यूरो गतिविधियों से सम्बन्धित अन्य दस्तावेजात, अभिलेखों, खाताबहियों, पंजिकाओं व पुस्तकों की प्रतिलिपि बनाना और परीक्षा करना 3. इस अधिनियम के प्रवृत्त होने या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से सम्बन्धित दस्तावेज या कोई सूचना को मांगना/चाहना आदि कार्य बताये हैं। - धारा 91 निरीक्षक के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया जा सकेगा जो कि निरीक्षण कार्यो के प्रयोग करने में उसने सदभावनापूर्वक कोई कार्य निष्पादित किया हो धारा - 93 इस कानून के लागू होने से सम्बन्धित किसी मामले में मंत्री उसकी जांच कराने का आदेश दे सकेगा। यदि मंत्री कि राय में यह आया हो कि इसमें लोकहित आवश्यक है। मंत्री किसी व्यक्ति के जांच के आचरण को न्यस्त करेगा, और मंत्री इस उद्देश्य के लिए व्यक्ति को अभिहित करेगा। लोक जांच आयोग के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किए गये आयुक्तों की उन्मुक्ति और शक्तियों उस व्यक्ति में निहित होगी। धारा - 95।

19.7.10 मंत्री के आदेश और अस्थायी प्रशासन : मंत्री की यह राय है कि ब्यूरो व्यवहार में व्यस्त हो रहा है या एक स्थिति सहन कर रहा हो संभवतया लोक संरक्षण को कमजोर करना या कि यहां गंभीर त्रुटि हो चुकी है जैसे - गबन, न्यास-भंग, अन्य दुराचरण, एक या अधिक संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा, या अगर निदेशक मंडल गंभीर रूप से अपने आभारों के निष्पादन करने में कर्तव्य के प्रति असावधान कानून के अन्तर्गत हो, मंत्री ब्यूरो को ऐसे आचरण समाप्त करने और आवश्यक सुधारात्मक उपाय अपनाने के आदेश कर सकेगा। मंत्री द्वारा जारी किए गये आदेश में उन कारणों को जिसके आधार पर है, को बताया जायेगा। -धारा -96 में जो परिस्थितियां निर्दिष्ट की गई है के अनुसार मंत्री एक व्यक्ति को पदाभिहित करेगा कि ब्यूरो के अस्थायी प्रशासन को 90 दिन तक के लिए संभाल लेवे। अगर ब्यूरो अस्थायी प्रशासन को चलाता है। तब ऐसे निदेशक मंडल के सदस्यों की शक्तियों को निलम्बित कर दिया जाता हैं। और ऐसा मंत्री द्वारा पदोभिहित किया गया व्यक्ति निदेशक मंडल की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। (धारा 98), इस अनुभाग के अन्तर्गत अस्थायी प्रशासक द्वारा शक्तियों और कार्यो के प्रयोग करने पर, उसके द्वारा ऐसी शक्तियों और कार्यो का सदभावनापूर्वक निष्पादित करने पर उसके खिलाफ कोई मुकदमा / दावा दायर नहीं किया जा सकता है। - धारा 106.

19.7.11 विनियामकीय शक्तियाँ:ब्यूरो को विनियमनों के निर्धारण कर उनको बनाना चाहिए। 1.अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन-पत्र के प्रारूप, दस्तावेजात और शुल्क जो कि आवेदन के साथ प्रस्तुत होना चाहिए। 2. वार्षिक शुल्क जो अनुज्ञप्तिधारक को चुकाना चाहिए जिसका सत्यापन आवश्यकतानुसार हो सकेगा। 3.बीमा दायित्व के अन्य तत्वों और आंवरित करना कि

अभिकरण अनुज्ञप्तिधारक निकालना चाहिए ।4. सुरक्षा का प्रपत्र और धनराशि जिसको अभिकरण अनुज्ञप्ति धारक को सुसज्जित करना चाहिए । 5. वे मामले और परिस्थितियाँ जिनमें अस्थायी अभिकरण अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी। धारा 19 में निश्चित करने से भिन्न इस अनुच्छेद के अधीन हो सकेगी जो कि विनियमनों की शर्तो के अनुसार निश्चित किया जाए। या धारा 108 के अनुच्छेद-2 के अधीन विनियमन बनाए जायें। 6. अभिकर्ता अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा उनके कार्यो के अभ्यास में आचरण के प्रमापों का अनुपालन किया जाए। (धारा 13 व 107) 7.ब्यूरो विनियमनों का बना सकेगा :

1. जिन अभिलेखों, पंजिकाओं, पुस्तकों की अन्त:वस्तु, प्रारूप प्रपत्र जिनको अभिकरण अनुज्ञप्तिधारक को रखना चाहिए और उसके परिरक्षण, प्रयोग और नष्ट करने सम्बन्धित नियम बनाना।
2. अनुज्ञप्ति के जारी करने के लिए इस अधिनियम उनमें निर्धारित अतिरिक्त शर्तो को सुस्थापित करना। धारा 108

सरकार विनियमन द्वारा निम्नलिखित नियम सुनिश्चित कर सकेगी।

1. एक अभिकर्ता अनुज्ञप्ति हासिल करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण अवधारित करना।
2. प्रशिक्षण के सम्बन्ध में ब्यूरो डेला सिक्यूराइट प्राइवी की भूमिका निर्धारित करना।
3. ब्यूरो द्वारा मंत्री को प्रशिक्षण के लिए सिफारिश कर के उसे उप-परिच्छेद 1 के अनुसार अवधारित करके विषय की शर्ते संस्थापित करना।
4. ब्यूरो द्वारा मंत्री को एक प्रशिक्षण निर्देशक या एक प्रशिक्षण निकाय के विषय की शर्ते संस्थापित करना।

19.7.12 **परिणाम और अन्तर्कालीन प्रावधान** : जब तक किन्हीं संदर्भ दर्शाने, किसी मूलपाठ, दस्तावेज, चाहे किसी भी प्रकार की प्रकृति, या माध्यम, एक अधिनियम के संदर्भ में जासूसी या सुरक्षा अभिकरणों (अध्याय ए-8) से सम्बन्धित रहे, या इस कानून के एवं संदर्भ इसके किसी भी प्रावधानों से है या इस कानून के समवर्ती प्रावधान, (धारा-124)

किसी व्यक्ति पर (धारा-4 के प्रभावशील होने की तिथि के निरसन) उद्यमचलाता हो, एक निजी सुरक्षा गति-विधि चलाता हो, जिस में इस कानून के अन्तर्गत अभिकरण अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक है। परन्तु वह इस अधिनियम का गुप्तचर या सुरक्षा अभिकरणों से सम्बन्धित विषय नहीं था

(अध्याय ए-8) इस तिथि के पश्चात 6 महीने के अंदर इस कानून के अनुसार समपयुक्त वर्ग का अभिकरण अनुज्ञप्ति हासिल करना चाहिए। यदि व्यक्ति लगातार उद्यम संचालन जब तक कि 6 माह समाप्त नहीं हो जाते हो तब तक अनुज्ञप्ति रखेगा। बीच में अंतराल होने पर ब्यूरो उस व्यक्ति को एक अनुज्ञप्ति जारी करने से इंकार कर सकता है।

इसी तरह कोई व्यक्ति जो कि 22 जुलाई 2010 को निजी सुरक्षा गतिविधि चलाता है। जिसको अभिकर्ता अनुज्ञप्ति इस कानून के अन्तर्गत आवश्यक है। परन्तु कानून के विषय का नहीं था और उस तारीख के छ: माह भीतर समपयुक्त वर्ग के अनुसार अभिकर्ता अनुज्ञप्ति गुप्तचर या सुरक्षा अभिकरणों के लिए हासिल करता है, व्यक्ति उस तारीख के बाद भी लगातार गतिविधि चलाता हो, जब तक कि वह छ: महीने समाप्त न हो जाए। अन्तराल में, ब्यूरो उस व्यक्ति को लाइसैंस जारी करने से इंकार करता हो, यह समान नियम उस व्यक्ति से ठीक वरिष्ठ व्यक्ति पर लागू होते हैं जो कि धारा-6 के प्रथम अनुच्छेद भी निर्देशित किया गया था।

19.7.13 अंतिम प्रावधान : मंत्री को यह देखना चाहिए कि स्वतंत्र प्रतिवेदन

इस कानून पर बनायी जाए। इसको क्रियान्वित 22 जुलाई 2015 से अधिक लम्बा नहीं किया जायेगा और इस तिथि कि प्रत्येक पांच वर्ष होगी। ब्यूरो और प्रत्येक लोक निकाय प्रभारी व्यक्ति को किसी सूचना पर ऐसा प्रतिवेदन बनायेगा। प्रतिवेदन के उद्देश्यों के लिए कोई सूचना की जरूरत होने पर उस व्यक्ति द्वारा चाही गयी हो। मंत्री राष्ट्रीय विधायिका के समक्ष को 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा। अगर विधायिका सत्र चल रहा हो या अगर सत्र नहीं चल रहा हो तो पुन: प्रारंभ होने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

19.8 सारांश

व्यक्ति की जानमाल की रक्षा करने का दायित्व एवं कर्तव्य राज्य का बताया गया है। निजी सुरक्षा का वर्तमान में महत्वपूर्ण स्थान है। लोक सुरक्षा करने की मुख्यत: जिम्मेदारी का निर्वहन पुलिस, सुरक्षा और अर्द्धसैनिक बलों और नागरिक दलों द्वारा किया जाता है। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने काम भी हमारी पुलिस सुरक्षा तंत्र वर्तमान में बखूबी से पालना सुनिश्चित करवा रहा है। सार्वजनिक/लोक सुरक्षा का भी वर्तमान में महत्वपूर्ण स्थान है। कई देशों में निजी सुरक्षा के संरक्षण निभाने हेतु सुरक्षा अभिकरणों, गुप्तचर/जासूसी आसूचना विभाग कार्य कर रहा है। सुरक्षा के निजीकरण के कारण वैश्विक प्रवृत्ति बढने लग गई है। निजी सुरक्षा कम्पनियां भी इस क्षेत्र में स्थापित की गई है। इन स्थापित किए जा रहे समवायों की भूमिका अग्रगणनीय कही जा सकती है। निजी सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान और सुरक्षा क्षेत्रों में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा सुरक्षा उपक्रम सुधार कार्यक्रम और व्यापक एवं उदार नीतियां बनाई गई है। इसके साथ ही अंत में निजी सुरक्षा कानून के प्रमुख - प्रमुख प्रावधानों की चर्चा हम पहले से ही कर चुके है। शासन चलाने के

लिए पारदर्शिता खुलापन, जवाबदेहिता, संवेदनशीलता, समानता के सिद्धान्त अपरिहार्य बनते जा रहे है। क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विनियमन के बारे में जागरूकता जनता में फैलाने की जरूरत हो गई है।

19.9 शब्दावली

1- सुरक्षा से तात्पर्य व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के जानमाल की हिफाजत करने से है।
2- लोक सुरक्षा इसमें आमजन या जनता की समग्र सुरक्षा व्यवस्था पुलिस व सुरक्षा बलों द्वारा की जाती है।
3- निजी सुरक्षा से अभिप्रेत व्यक्ति की व्यक्तिगत जानमाल की रक्षा या बचाव करने से है।
4- निजीकरण से तात्पर्य सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी निजी कम्पनियों के हाथ में देने से है।
5- उपक्रम से तात्पर्य सरकारी और निजी दोनो क्षेत्रों की कम्पनियों या फर्मो से हैं।
6- सुधार से अभिप्रेत सुरक्षा, संरक्षा और लोक व्यवस्था में बढोतरी करने से है।
7- पारदर्शिता से तात्पर्य शासन की कार्यप्रणाली के बारे खुलापन रखने से अभिप्रेत हैं।
8- अधिनियम से तात्पर्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विधेयक को मंजूर करने के बाद पारित किए गये अधिनियमित किए गये कानून से है।
9- लोक व्यवस्था से तात्पर्य आम जनता की व्यवस्था पुलिस व सुरक्षा दलों द्वारा संभालनेसे है।
10-नीति से तात्पर्य सरकार द्वारा बनायी गई सुरक्षा सम्बन्धी नीति से है।

19.10 अभ्यासार्थ प्रश्न

1 व्यक्ति की जानमाल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी लोक एवं निजी सुरक्षा अभिकरणों की होती है समझाइए।

2 सुरक्षा के निजीकरण से आप क्या समझते है? इसकी वैश्विक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए।

3 निजी सुरक्षा कम्पनियां भी सुरक्षा करने में सजग-प्रहरी की भूमिका निभा रही है स्पष्ट करें।

4 निजी सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए, विवेचना कीजिए।

5 सुरक्षा उपक्रम सुरक्षा कार्यक्रम एवं नीति पर प्रकाश डालिए।

6 निजी सुरक्षा अधिनियम 2006 में बनाया गया था और इसको प्रभावशील 2011 से किया गया है। इस अधिनियम की विशेषताएँ और प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालिए।

7 सरकार चलाने के लिए शासन में पारदर्शिता जवाबदेहिता, संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व का होना आवश्यक है समझाइए।

8 क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विनियमन पर निबन्ध लिखिए।

19.11 संदर्भ ग्रंथ

1. विकास तनेजा व साक्षी पाराशर, ई-सुरक्षा:, एल्फा पब्लिकेशन्स, दरियागंज, नई दिल्ली , प्रथम संस्करण 2011
2. सूचना, सुरक्षा जोखिम प्रबन्धन, ब्रोडरिक जे. एससूचना सुरक्षा तकनीकी रिपोर्ट वोल्यूम-6 न.3 पी.12-18, . (2001)
3. सिक्यूरिटी, ऐस्पीअनाज्ह एण्ड काउण्टर इन्टेलीजेन्स आर.एन.मानिकम, मानस पब्लिकेशन्स, प्रहलाद स्ट्रीट, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2004
4. निजी सुरक्षा अधिनियम, 2006।

इकाई - 20

आपदा प्रबन्धन

इकाई की रूपरेखा

20-0 उद्देश्य

20.1 प्रस्तावना

20.2 आपदाओं के प्रकार

20.3 आपदा प्रबंधन अधिनियम

20.4 आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति

20.4.1 भारत मे आपदा जोखिम

20.4.2 आपदा प्रबंधन के प्रति सोच में सम्पूर्ण परिवर्तन

20.4.3 संस्थागत प्रबंध

20.4.4 आपदा निवारण तथा उपशमन

20.4.5 राहत एवं पुनर्वास

20.4.6 अनुसंधान एवं विकास

20.5 आपदा प्रबंधन में शिक्षा व रोजगार

20.6 सारांश

20.7 अभ्यास प्रश्न

20.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप परिचित हो सकेंगे-

- आपदा प्रबंधन के अर्थ व प्रकारों से ;
- आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति से और
- आपदा प्रबंधन में रोजगार की संभावनाओं से

20.1 प्रस्तावना

आपदाएं प्रगति में बाधा डालती है और बड़ी मेहनत और यत्नपूर्वक किए गए विकास संबंधीप्रयासों के फल को नष्ट कर देती है और प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे राष्ट्रों को कई दशक पीछे धकेल देती हैं। प्राकृतिक विपदाओं का पूर्वानुमान आज भी पूरी तरह संभव नही हो सका है। यही वजह है कि जब कभी इन आपदाओं से व्यक्ति का सामना होता है, तो उसे इसकी कीमत अपनी जान व माल की भारी क्षति के रूप में चुकानी पड़ती है। सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं से ही नहीं, मानवीय चूक या आतंकी मनसूबों के कारण उत्पé आपदा भी एक बड़ी समस्या है, जिससे पार पाना बेहद जरूरी है। इसलिए आज इस बात के प्रयास किए जा रहे है कि यदि हम इन आपदाओं का पहले से पता लगा पाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है तो कम से कम इनसे बचाव और मुकाबले के उपाय तो किए ही जाएं।

अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और भारत की संसद पर हमला या फिर हाल ही में जापान में आए सुनामी के विनाश के बाद एक ऐसे प्रबंधन की जरूरत महसूस की जाने लगी है, जो इस तरह की आपदाओं से होने वाले विनाश से बचने और लड़ने का सामथ्र्य दे सके। आपदा प्रबंधन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल मानव सेवा का प्रतीक है, बल्कि एक बेहतर भविष्य निर्माण का साधन भी है। आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक ऐसा ही प्रबंधन है, जिससे आपदा के प्रभावों, उनके नियंत्रण और प्रबंधन को समझा जा सकता है।

आपदा को अंग्रेजी में कहा जाता है। अंग्रेजी के समानार्थी शब्द है और हिन्दी में भी इसको कई शब्दों जैसे - प्रलय, विपदा, प्रकोप, विपत्ति, खतरा शब्दों से जाना जाता है, परन्तु आपदा के लिए सर्वथा ही उपयुक्त शब्द है। आपदा एक असामान्य घटना है, जो थोड़े ही समय के लिए आती है और अपने विनाश के निशान लम्बे समय के लिए छोड़ जाती है।

भारत विश्व का सातवां सबसे बडा देश हे और यहां प्राकृतिक तथा मानवीय आपदाओं की अत्यधिक संभावना है। भारत का भू-भाग 135.79 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 2.4 प्रतिशत है, जबकि इसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 16.7 प्रतिशत है । हमारे देश की भू वैज्ञानिक तथा भौगोलिक संरचना ऐसी है, जो इसे आपदाओं की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। देश के उत्तर तथा पूर्वोत्तर भाग में एक पर्वत श्रृंखला-हिमालय अत्यधिक भूकंप, भूस्खलन तथा हिमस्खलन जनित क्षेत्र है। उत्तरी भारत के भू भाग में बाढ़ तथा सूखे का खतरा होता है। सारा उत्तर पश्चिमी भाग सूखे तथा बंजरता की संभावना वाला क्षेत्र है, जबकि हमारी तटीय क्षेत्रों में सुनामी तथा चक्रवात के खतरे होते है। दूसरे शब्दों में हमारा देश सभी प्रकार की आपदाओं अर्थात् भूकंप, सूखे, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भू स्खलन, हिमस्खलन, बंजरता ,जंगल की आग तथा औद्योगिक वाहन दुर्घटनाओ की संभावनाओं वाला क्षेत्र है। विश्व में 90 प्रतिशत आपदाएं विकासशील देशों में घटती है। भारत में 70 प्रतिशत क्षेत्र सूखा प्रवृत्त, 12 प्रतिशत बाढ़ प्रवृत्त, 60 प्रतिशत भूकंप प्रवृत्त

तथा 8 प्रतिशत चक्रवात प्रवृत्त है। प्रतिशतता के ये आंकड़े दर्शाते है कि हमें ऐसी प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता है जो आपदा के समय सहायता कर सके और आपदा नियंत्रण की योजनाओं के नियोजन, निगरानी तथा प्रबंधन में मदद कर सके।

20.2 आपदाओं के प्रकार

आपदाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है -

(1) प्राकृतिक आपदा :- प्राकृतिक आपदा को पारिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि ऐसी प्राकृतिक घटना जिसमें एक हजार से लेकर दस लाख लोग तक प्रभावित्त हो और उनका जीवन खतरे में हो तो वो प्राकृतिक आपदा कहलाती है। प्राकृतिक आपदाएँ मनुष्य व अन्य जीवों को बहुत प्रभावित्त करती है।

प्राकृतिक आपदा को कई रूपों में जाना जाता है:-

हरिकेन, सुनामी, सूखा, बाड़, टायफून, बंवडर, चक्रवात सब मौसम से सम्बन्धित प्राकृतिकआपदा है।

भूस्खलन और अवधाव या हिमभाव (बर्फ की सरकती हुई चट्टान) ऐसी प्राकृतिक आपदा है, जिसमें स्थलाकृति बदल जाती है।

भूकम्प और ज्वालामुखी (ज्वालामुखी के कारण अग्निकांड, दावानल) टेक्टोनिक प्लेट (प्लेट विवर्तनिकी) के कारण आते है।

टिड्डीदल का हमला, कीटों का प्रकोप को भी प्राकृतिक आपदा माना गया है।

ज्वालामुखी, भूकम्प, सुनामी, बाढ़, दावानल, टायफून, बवंडर, चक्रवात, भूस्खलन ये सब तीव्रगामी आपदाएँ है जबकि सूखा, कीटों का प्रकोप, अग्निकांड मंदगामी आपदाएँ है।

भूकम्प पृथ्वी के आंतरिक दबाव एवं उनके समायोजन के कारण आते है। भारत को भूकंप की संभावनाओं के आधार पर पाँच भूंकपीय जोनों में बाँटा गया है। भूंकप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र सामान्यत: हिमालयी उप हिमालयी क्षेत्रों, कच्छ तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। गुरूत्व घर्षण, भूकंप, बरसात तथा मानव निर्मित कृत्यों से चट्टानों के खिसकने के कारण भूस्खलन होता है।

सूखा, बारिश के कम मात्रा में होने के कारण पडता हैं। सूखा मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है - मौसम विज्ञान से संबंधित, जल विज्ञान से संबंधिततथा कृषि से संबंधितदेश में 16 प्रतिशत क्षेत्रफल सूखा प्रवृत्त है। बीसवीं शताब्दी में वर्ष 1941, 1951, 1979, 1982 तथा 1987 में भयंकर सूखा पड़ा था। देश के उत्तर पश्चिमी भाग अत्यधिक सूखा प्रवृत्त क्षेत्र है।

कम समय में अधिक बारिश होने से विशेष रूप पर चिकनी मिट्टी, कम दबाव के क्षेत्र तथा निकास बहाव के कम होने के कारण बाढ़ आती है। भारत दूसरा अत्याधिक बाढ़ प्रभावित्त

देश है जहाँ वर्षा ऋतु में यह आम बात है। प्राय: प्रत्येक वर्ष भयानक बाढ़ आती है जिसके कारण जान की क्षति, सम्पत्ति की क्षति, स्वास्थ्य समस्या तथा मनुष्यों की मृत्यु आदि जैसी घटनाएँ घटित होती है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग रिपोर्ट (1980) में देश में 40 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्रफल को बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्र निर्धारित किया गया है। देश में गंगा, ब्रह्मा, नर्मदा, तृप्ति, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी घाटी अत्यधिक बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्र है।

महासागरों में भूकंप आने के कारण समुद्री तूफान (सुनामी) आते है । चक्रवात समुद्रों में तापमान तथा दबाव में भिन्नता के कारण आते है। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में प्रतिवर्ष औसतन 5 से 6 उष्ण कटिबंधी चक्रवात आते है। बंगाल की खाड़ी में पूर्वी तट के समानान्तर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू तथा अरब सागर राज्यों में पश्चिमी तट के समानान्तर गुजरात एवं महाराष्ट्र चक्रवात तथा सुनामी की अत्यधिक संभावना वाले क्षेत्र है।

जंगल की आग या दावानल बरसाती जंगलों या लम्बी पट्टी वाली पेड़ो के जंगल में लगती है। गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में शंकुवृक्ष तथा सदाबहार बड़े पत्ते वाले वृक्षों के जंगलो में प्राय: जंगल की आग लगती है। जंगल की आग पर्यावरण कृषि भूमि, पशुओ तथा कीड़ों के लिए खतरनाक होती है।

(2) मानवीकृत आपदाएं:- मानवीकृत आपदाएं वे है, जो मानवीय क्रिया कलाप के कारण होती है, जैसे सड़क, रेल, हवाई तथा औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण आने वाली आपदाएं।

मानवीय हस्तक्षेप के कारण एक नए प्रकार की आपदा से मनुष्य को सामना करना पड़ रहा है, वो है पर्यावरणीय आपदा, वैश्विक ऊष्मन औद्योगिक क्रियाकलाप, जनसंख्या वृद्धि और प्रकृति के साथ खिलवाड़ ने पर्यावरणीय आपदा को जन्म दिया है।

20.3 आपदा प्रबंधन अधिनियम

केन्द्रीय सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाए गए है -

1 संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय संस्थान) नियम, 2006 है। (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख अर्थात् 30 अक्टूबर, 2006 को प्रवृत्त होगे।

2 संस्थान की संरचना- संस्थान में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-

1- केन्द्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का भारसाधक मंत्री जिसका आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण है और जो पदेन अध्यक्ष होगा;

2- राष्ट्रीय प्राधिकरण का उपाध्यक्ष जो संस्थान का पदेन उपाध्यक्ष होगा;

3- राष्ट्रीय प्राधिकरण का एक सदस्य;

4- राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष अर्थात् केन्द्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का भारसाधक भारत सरकार का सचिव, जिसका आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण है, पदेन;

5- केन्द्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का भारसाधक, भारत सरकार का सचिव, जिसका व्यय पर प्रशासनिक नियंत्रण है, पदेन;

6- केन्द्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का भारसाधक, भारत सरकार का सचिव, जिसका कृषि पर प्रशासनिक नियंत्रण है, पदेन;

7- केन्द्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का भारसाधक, भारत सरकार का सचिव, जिसका विदेश कार्य पर प्रशासनिक नियंत्रण है, पदेन;

8- केन्द्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का भारसाधक, भारत सरकार का सचिव, जिसका स्वास्थ्य पर प्रशासनिक नियंत्रण है, पदेन;

9- केन्द्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का भारसाधक, भारत सरकार का सचिव, जिसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रशासनिक नियंत्रण है, पदेन;

10- केन्द्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का भारसाधक, भारत सरकार का सचिव, जिसका परमाणु ऊर्जा पर प्रशासनिक नियंत्रण है, पदेन;

11- केन्द्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का भारसाधक, भारत सरकार का सचिव, जिसका अंतरिक्ष पर प्रशासनिक नियंत्रण है, पदेन;

12- केन्द्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का भारसाधक, भारत सरकार का सचिव, जिसका सामुद्रिक विकास पर प्रशासनिक नियंत्रण, पदेन;

13- केन्द्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग में ,जिसका आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण है, आपदा प्रबंधन से संबंधितभारत सरकार का, यथा स्थिति सचिव या विशेष सचिव या अपर सचिव या संयुक्त सचिव, पदेन;

14- चिकित्सा या स्वास्थ्य संस्थाओं से एक प्रमुख;

15- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का एक प्रोफेसर;

16- संस्थान का कार्यपालक निदेशक, पदेन;

3 रिक्तियों का भरा जाना- संस्थान के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों से त्यागपत्र, मृत्यु या अन्य कारण से हुई सभी रिक्तियाँ ऐसी रिक्तियां होने के पश्चात यथाशीघ्र नए नाम निर्देशन द्वारा भरी जाएंगी।

4 संस्थान के अधिवेशन - संस्थान अपना पहला अधिवेशन ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किए जाएं और पहले अधिवेशन में कारोबार के संव्यवहार के संबंधमें प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो उस सरकार द्वारा अधिकथित किए जाएं और तत्पश्चात संस्थान ऐसे समयों पर और ऐसे स्थानों पर अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में कारोबार के संव्यवहार के संबंधमें प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं|

5 संस्थान का शासी निकास :- 1 संस्थान के शासी निकास में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्

1- राष्ट्रीय प्राधिकरण का उपाध्यक्ष जो पदेन अध्यक्ष होगा;

2- केन्द्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का भारसाधक भारत सरकार का सचिव जिसका आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण है, जो उपाध्यक्ष होगा, पदेन;

3- केन्द्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग में, जिसका आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण है, आपदा प्रबंधन से संबंधित भारत सरकार का, यथास्थिति, सचिव या विशेष सचिव या अपर सचिव या संयुक्त सचिव, पदेन;

4- केन्द्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का भारसाधक भारत सरकार का सचिव जिसका व्यय पर प्रशासनिक नियंत्रण है, पदेन;

5- राष्ट्रीय प्राधिकरण का, यथास्थिति सचिव या अपर सचिव, पदेन;

6- केन्द्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग के, जिसका आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण है, वित्त से संबंधित भारत सरकार का, यथास्थिति, अपर सचिव और वित्त सलाहकार या संयुकत सचिव और वित्त सलाहकार, पदेन;

7- राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थान के सदस्यों में से एक सदस्य;

8- विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य;

9- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंध संस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थान के दो सदस्य;

10- विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंध संस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थान के दो सदस्य;

11- अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, केन्द्रीय जल आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थान के सदस्यों में से दो सदस्य; और

12- संस्थान का कार्यपालक निदेशक, पदेन।

2 शासी निकाय संस्थान की कार्यकारिणी समिति होगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो संस्थान, इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा, उसे प्रदत्त या अधिरोपित करें।

3 शासी निकाय द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग में और अपने कृत्यों के पालन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और शासी निकाय के सदस्यों की पदावधि तथा उनमें रिक्तियों को भरने की रीति वह होगी जो विनियमों द्वारा तय की जाए।

6 संस्थान का कार्यपालक निदेशक

1 संस्थान का एक कार्यपालक निदेशक होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

2 संस्थान का कार्यपालक निदेशक संस्थान के सचिव के रूप में तथा संस्थान के शासी निकाय के रूप में कार्य करेगा।

7 कार्यपालक निदेशक की शक्तियां और उसके कृत्य:- संस्थान का कार्यपालक निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा तय किए जाए।

20.4 आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति

आपदाएं प्रगति में बाधा डालती है तथा बड़ी मेहनत और यत्नपूर्वक किए गए विकास संबंधीप्रयासों के फल को नष्ट कर देती है और प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे राष्ट्रों को कई दशक पीछे धकेल देती है। अत: हाल के समय में भारत में और विदेशों में आपदाओं के घटित होने पर ही कार्यवाही करने की बजाय उनके कुशल प्रबंधन की ओर अधिक ध्यान दिया गया है।

20.4.1 भारत में आपदा जोखिम -

1 भारत में अलग-अलग तीव्रता वाली अनेक प्राकृतिक और मानव जन्य आपदाएं आती रहती है। लगभग 58.6 प्रतिशत भू भाग सामान्य से लेकर बहुत अधिक तीव्रता वाला भूकंप संभावित्त क्षेत्र है; 40 मिलियन हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र (12 प्रतिशत भूमि) बाढ़ और नदी अपरदन संभावित्त है, 7516 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में से लगभग 5700 किलोमीटर क्षेत्र चक्रवात और सुनामी संभावित्त है, 68

प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सूखा संभावित्त है और पहाड़ी क्षेत्रों में भू स्खलन और हिम स्खलन की जोखिम बनी रहती है। आपदाओं/रासायनिक, जैविक विकिरण और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) आपात स्थितियो/आपदाओं की संभावना भी रहती है। आपदा जोखिमों की अत्यधिक सुभेद्यताओं को जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण, उच्च जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरण असंतुलन और जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है।

2 आपदाओं के प्रति मानवीय सुभेद्यता के संदर्भ में समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग गंभीर रूप से प्रभावित्त होते है। संवेदनशील समूहों में वृद्ध व्यक्तियों, महिलाओ, बच्चों - विशेष रूप से आपदाओं के कारण निराश्रित महिलाओं और अनाथ बच्चों तथा विभिन्न क्षमताओं के व्यक्तियों को अधिक खतरा होता है।

20.4.2 आपदा प्रबंधन के प्रति सोच में सम्पूर्ण परिवर्तन

23 दिसम्बर, 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) अधिनियमित करके एक उचित कदम उठाया। इस अधिनियम में, आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करने और उसके प्रति एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.), मुख्यमन्त्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और कलेक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणो (डी.डी.एम.ए.) के गठन की परिकल्पना की गई थी। विकास संबधी लाभो को बनाए रखने तथा जीवन, आजीविका और सम्पति के नुकसान को कम करने के लिए राहत-केन्द्रित कार्यवाही के पहले के दृष्टिकोण के स्थान पर अब सक्रिय रोकथाम, प्रशमन और तैयारी आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

आपदा प्रबन्धन -

- आपदा से अभिप्राय प्राकृतिक अथवा मानव-जन्य कारणों से आने वाली किसी ऐसी विपत्ति, दुर्घटना, अनिष्ट और गंभीर घटना से है जो प्रभावित्त समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। आपदा प्रबन्धन में निम्नलिखित के लिए आवश्यक अथवा समीचीन योजना, संचालन, समन्वय और कार्यान्वयन संबंधी उपायों की सतत् और एकीकृत प्रक्रिया शामिल है।
    - किसी आपदा के खतरे अथवा संभावना की रोकथाम।
    - किसी आपदा की जोखिम अथवा तीव्रता अथवा परिणामों का प्रशमन अथवा न्यूनीकरण।
    - अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन सहित क्षमता निर्माण।

- किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारी।
- किसी खतरनाक आपदा की स्थिति अथवा आपदा आने पर त्वरित कार्यवाही।
- किसी आपदा की तीव्रता अथवा इसके प्रभावों का आकलन।
- फंसे हुए लोगों को निकालना, बचाव और राहत।
- पुनर्वास और पुनर्निर्माण।

- आपदा प्रबन्धन की विशिष्ट सतत् प्रक्रिया में छः तत्व शामिल हैं, आपदा-पूर्व चरण में रोकथाम, प्रशमन और तैयारी शामिल है जबकि आपदा-उपरांत चरण में कार्यवाही, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और सामान्य स्थिति की बहाली शामिल है। इन सभी तत्वों को एक विधिक और संस्थागत ढ़ांचे में एक साथ पिरोया गया है।

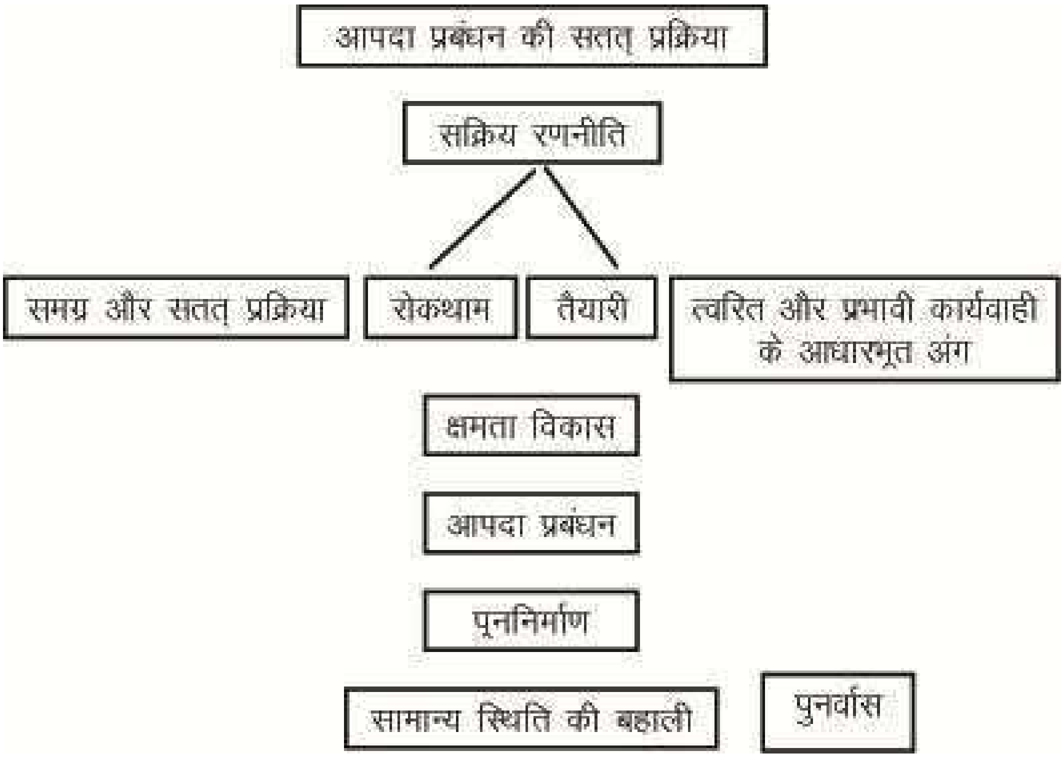

दृष्टिकोण:-

विभिन्न स्तरों पर रणनीतिक भागीदारियाँ बनाने पर जोर देते हुए आपदा प्रबंधन के प्रति एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा। इस नीति के आधारभूत विषय निम्नलिखित हैं :

- नीति, योजनाओं और निष्पादन के पूर्ण एकीकरण सहित समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन।

- सभी क्षेत्रों में क्षमता विकास।
- पिछली पहलों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का समेकन।
- राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर एजेंसियों के साथ सहयोग।

- बहु-क्षेत्र-सह-क्रियाशीलता।

- आपदा प्रबंधन विषयक राष्ट्रीय नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :
    - ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर निवारण, तैयारी और प्रतिरोध की संस्कृति को बढ़ावा देना।
    - प्रौद्योगिकी, पारम्परिक ज्ञान और पर्यावरण की निरन्तरता पर आधारित प्रशमन उपायों को प्रोत्साहित करना।
    - आपदा प्रबंधन को विकास योजना प्रक्रिया की मुख्य धारा में शामिल करना।
    - समर्थकारी नियामक वातावरण और सहमति प्रणाली तैयार करने के लिए संस्थागत और तकनीकी-विधिक ढांचे स्थापित करना।
    - आपदा जोखिमों के निर्धारण, आंकलन और निगरानी के लिए कुशल तंत्र सुनिश्चित करना।
    - सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रतिक्रियाशील और अचूक सम्प्रेषण पर आधारित तात्कालिक पूर्वानुमान और शीघ्र चेतावनी प्रणालियाँ विकसित करना।
    - जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया के साथ लाभकारी भागीदारी को बढ़ावा देना तथा क्षमता विकास में योगदान देना।
    - समाज के संवेदनशील वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति जिम्मेदाराना दृष्टिकोण के साथ प्रभावी कार्यवाही और राहत सुनिश्चित करना।
    - अधिक सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रतिरोधी ढांचे और निवासों का निर्माण करने के अवसर के रूप में पुनर्निर्माण कार्य करना।
    - आपदा प्रबंधन में मीडिया के साथ लाभकारी और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना।

20.4.3 संस्थागत प्रबंध

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर संस्थागत, विधिक, वित्तीय और समन्वय तंत्र निर्धारित किए गए हैं। ये संस्थाएं समानान्तर ढांचे नहीं है तथा ये गहन समन्वय में कार्य करेंगी। नए संस्थागत ढांचे से आपदा प्रबंधन में एक आदर्श बदलाव आने की संभावना है जिससे राहत केन्द्रित दृष्टिकोण के स्थान पर एक सक्रिय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें तैयारी, निवारण और प्रशमन पर अधिक बल दिया गया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत संस्थागत ढांचा -

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो कि आपदा प्रबंधन का एक शीर्ष निकाय है, के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं तथा यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाएँ और दिशानिर्देश निर्धारित करने, आपदाएं आने पर समय पर और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए इनके प्रवर्तन और कार्यान्वयन को समन्वित करने के लिए उत्तरदायी है। इन दिशानिर्देशों से केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को अपनी-अपनी आपदा प्रबंधन संबंधी योजनाएँ तैयार करने में सहायता मिलेगी। यह केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन योजनाओं को अनुमोदित करेगा। यह अन्य ऐसे उपाय करेगा जो यह खतरनाक आपदा की स्थिति अथवा आपदा से निपटने के लिए आपदाओं के निवारण अथवा प्रशमन अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक समझे। केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग और राज्य सरकारें इसके अधिदेश को पूरा करने में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवश्यक सहयोग और सहायता प्रदान करेंगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित व्यापक नीतियों और दिशानिर्देशों के दायरें के भीतर कार्य करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी प्रकार की प्राकृतिक अथवा मानव जन्य आपदाओं से निपटने के लिए अधिदेशित है, जबकि आतंकवाद (विद्रोह-रोधी), कानून और व्यवस्था की स्थिति, श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट, विमान अपहरण, हवाई दुर्घटनाओं, रासायनिक, जैविक, विकिरण और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) हथियार प्रणालियों, खान आपदाओं, पत्तन और बंदरगाह पर उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों, वन आग, तेल क्षेत्र में लगी आग तथा तेल फैलने जैसी स्थितियों, जिनमें सुरक्षा बलों और/अथवा आसूचना एजेंसियों की गहन भागीदारी अपेक्षित होती है, सहित ऐसी अन्य आपात स्थितियों से मौजूदा तंत्र अर्थात् राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति द्वारा निपटा जाना जारी रहेगा।

तथापि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रासायनिक, जैविक, विकिरण और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) आपात स्थितियों के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करेगा और प्रशिक्षण तथा तैयारी गतिविधियों को सुगम बनाएगा। प्राकृतिक और मानव जन्य आपदाओं के लिए

चिकित्सा तैयारी, साइको-सोशल केयर एण्ड ट्रॉमा, समुदाय आधारित आपदा तैयारी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, तैयारी, जागरूकता सृजन आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संबंधितपणधारियों का ध्यान जाएगा। सभी स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, जो आपात स्थिति में सहयोगात्मक कार्य करने में समर्थ हैं के पास उपलब्ध संसाधन आसन्न आपदाओं/आपदाओं के समय आपात स्थितियों से निपटने वाले नोडल मंत्रालयों/एजेंसियों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति -

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति है तथा यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों में उसकी सहायता करती है और केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, खतरनाक आपदा की कोई स्थिति पैदा होने अथवा आपदा आने पर कार्रवाही का समन्वय करती है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संबंधीराष्ट्रीय नीति के आधार पर आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयारी करेगी। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। यह, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित अन्य कार्यों का भी निर्वहन करेगी।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एम.डी.एम.ए.) -

राज्य स्तर पर मुख्यंमत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ और योजनाएँ निर्धारित करेगा। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य योजना को अनुमोदित करेगा, राज्य योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करेगा, प्रशमन और तैयारी उपायों के लिए प्रावधान की सिफारिश करेगा और निवारण, तैयारी और प्रशमन उपायों का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करेगा।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों में उसकी सहायता करने के लिए राज्य सरकार एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन करेगी। राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष राज्य सरकार के मुख्य सचिव होंगे और यह राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करेगा, प्रशमन और तैयारी उपायों के लिए प्रावधान की सिफारिश करेगा और निवारण, तैयारी और प्रशमन उपायों का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करेगा।

राज्य कार्यकारी समिति आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बारे में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचना भी उपलब्ध कराएगी।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी.डी.एम.ए.) -

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलेक्टर, उपायुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, होगा तथा स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि इसका सह-अध्यक्ष होगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना, समन्वय और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, जिले के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा और राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निवारण, प्रशमन, तैयारी और कार्यवाही उपायों संबंधी दिशानिर्देशों का जिला स्तर पर राज्य सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा पालन किया जाए।

स्थानीय प्राधिकरण -

इस नीति के प्रयोजन के लिए स्थानीय प्राधिकरण पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.), नगरपालिकाओं, जिला और कंटोनमेंट बोर्डों और नगर योजना प्राधिकरणों को शामिल करेंगे जो नागरिक सेवाओं को नियंत्रित और संचालित करती हैं। ये निकाय आपदाओं से निपटने के लिए अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करेंगी, प्रभावित्त क्षेत्रों में राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ चलाएंगी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगी। महानगरों में आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए विशिष्ट संस्थागत ढांचा स्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) -

अन्य अनुसंधान संस्थाओं के साथ मिलकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान प्रशिक्षण, अनुसंधान, राष्ट्रीय स्तर की सूचना के आधार के प्रलेखन और विकास सहित क्षमता विकास की अपनी प्रमुख जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। अन्य ज्ञान -आधारित संस्थाओं के साथ सम्पर्क करता है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित व्यापक नीतियों और दिशानिर्देशों के भीतर कार्य करता है। यह प्रशिक्षकों, आपदा प्रबंधन अधिकारियों और अन्य पणधारियों का प्रशिक्षण आयोजित करेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 'उत्कृष्ट केन्द्र' के रूप में उभरने का प्रयास करेगा।

अन्य महत्वपूर्ण संस्थागत प्रबंध -

सशस्त्र बल -

संकल्पनात्मक रूप से, बलों को नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए केवल तभी बुलाया जाता है, जब स्थिति, मुकाबला करने की उनकी सामर्थ्य से परे हो जाती है। तथापि, व्यवहार में, सशस्त्र बल, सरकार की जवाबी कार्रवाई क्षमता का एक महत्वपूर्ण भाग बनते हैं तथा सभी गंभीर आपदा की स्थितियों में तत्काल कार्रवाई करते हैं। किसी भी विपत्तिकारक चुनौती का सामना करने की उनकी अपार क्षमता, परिचालनात्मक कार्रवाई की गति तथा उनके विवेकाधीन संसाधनों और क्षमताओं, के परिणामस्वरूप, सुरक्षा बलों ने आपातकालीन सहायता कार्यों में ऐतिहासिक रूप से प्रमुख भूमिका निभाई हैं। इन कार्यों में संचार, खोज एवं बचाव कार्य, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं तथा विशेषकर आपदा के तत्काल बाद लाना-ले जाना शामिल है। हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर से लाने-ले-जाने तथा पड़ोसी देशों में सहायता पहुँचाने का काम प्रथमत: सशस्त्र बलों की सुविज्ञता एवं अधिकार-क्षेत्र में आता है। सशस्त्र बल विशेष रूप से सी.बी.आर.एन. पहलुओं, हेली-इन्सर्शन, अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बचाव कार्य, वाटरमैनशिप तथा पराचिकित्साशास्त्र के क्षेत्र में प्रशिक्षकों और आपदा प्रबंधन के प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहभागी होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, एकीकृत रक्षा स्टाफ के मुखिया तथा स्टाफ प्रमुखों की समिति के अध्यक्ष को पहले ही एन.इ.सी. में शामिल किया गया है। इसी प्रकार, राज्य तथा जिला स्तरों पर, सशस्त्र बलों के स्थानीय प्रतिनिधियों को उनकी कार्यकारी समितियों में शामिल किया जाए ताकि अधिक गहन समन्वय तथा समयबद्धता सुनिश्चित हो सकें।

केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल -

केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल, जो संघ के सशस्त्र बल भी हैं, आपदाओं के दौरान तत्काल कार्रवाई के समय मुख्य भूमिका अदा करते हैं। एन.डी.आर.एफ. को सहयोग देने के अतिरिक्त, वे अपने ही बलों में पर्याप्त आपदा प्रबंधन सामथ्र्य विकसित करेंगे तथा उन क्षेत्रों, जहाँ वे तैनात हैं, में घटित होने वाली आपदा में प्रतिक्रिया दिखाएंगे। केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के स्थानीय प्रतिनिधियों को राज्य स्तर की कार्यकारी समिति में सहयोजित/आमंत्रित किया जाए।

राज्य पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाएं -

राज्य पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाएं, आपदाओं में तत्काल कार्रवाई करते हैं। बहु-जोखिम बचाव क्षमता प्राप्त करने के लिए पुलिस बलों को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा अग्निशमन सेवाओं का उन्नयन किया जाएगा।

नागरिक सुरक्षा तथा होम गाड्र्स-

नागरिक सुरक्षा तथा होम गाड्र्स के अधिदेश को पुन: परिभाषित किया जाएगा ताकि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इसे प्रभावकारी भूमिका सौंप जा सके। सामुदायिक तैयारी तथा

जन-जागरूकता के लिए तैनात किया जाएगा। आपदा के आने पर स्वैच्छिक रूप से ड्यूटी स्थानों पर रिपोर्ट करने की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा।

राज्य आपदा कार्रवाई बल (एस डी आर एफ)-

राज्यों को अपने मौजूदा संसाधनों में से ही कार्यवाही क्षमताओं का सृजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आरंभ में, प्रत्येक राज्य एक बटालियन के समान बल को सज्जित एवं प्रशिक्षित करने का लक्ष्य बनाए। महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं की देख-रेख के लिए वे महिला सदसयों को भी इसमें शामिल करें। एन डी आर एफ की बटालियनें तथा उनके प्रशिक्षण संस्थान इस प्रयास में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करेंगे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने पुलिस प्रशिक्षण कॉलेजों में आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण तथा राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों के लिए मूल एवं सेवाकालीन पाठ्यक्रमों को शामिल किए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

20.4.4 आपदा निवारण तथा उपशमन

मानव-निर्मित आपदाओं के विपरीत, बाढ़, भूकंपों और चक्रवातों को टाला नहीं जा सकता। तथापि, जोखिम प्रवण क्षेत्र में विकास कार्य की सही आयोजना के साथ-साथ उपशमन उपायों से, इन खतरों को आपदाओं में तबदील होने से रोका जा सकता है। उपशमन उपायों को करने के लिए एक त्रि-आयामी प्रस्ताव को अपनाए जाने की आवश्यकता है :

- सभी विकास परियोजनाओं में उपशमन उपाय करना।
- केन्द्रीय मंत्रालयों और संबंधितविभागों तथा राज्यों की सहायता से, उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, एन डी एम ए द्वारा राष्ट्रीय स्तर की उपशमन परियोजनाएं शुरू करना।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय उपशमन परियोजनाओं को बढ़ावा देना तथा सहायता करना।
- आपदाओं के संबंध में स्वदेशी जानकारी तथा विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए गए मुकाबला तंत्रों को विरासत वाली अवसंरचनाओं के संरक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए उचित महत्व दिया जाएगा।

20.4.5 राहत एवं पुनर्वास

राहत को मात्र आनुग्रहिक सहायता अथवा समय पर आकस्मिक राहत आपूर्ति के प्रावधान के रूप में ही नहीं परिकल्पित किया गया हैं। इसके विपरीत ऐसे राज्यों में आपदाग्रस्त लोगों के पुनर्वास तथा प्रभावित्त लोगों की सामाजिक सुरक्षा तथा रक्षा हेतु सहायता के सरलीकरण की अधिमेहराबी पद्धति के रूप में विचारित किया गया है। राहत शीघ्र, पर्याप्त

तथा अनुमोदित मानकों के अनुसार होनी चाहिए। राहत के न्यूनतम मानकों को परिभाषित करते हुए मार्ग निर्देश एन.डी.एम.ए. द्वारा तैयार किए जाएंगें।

अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना

डी.डी.एम.ए., विशेषकर आवर्ती आपदा बहुल क्षेत्रों में अस्थाई शिविरों की स्थापना के लिए अवस्थलों की पहचान करेगा। आपदा-पूर्व दौर में आवश्यक सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेंसियों की पहचान करेगा। राहत शिविरों की स्थापना के लिए शैक्षिक संस्थानों के प्रयोग को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है।

राहत आपूर्ति का प्रबंधन

राहत एवं आपूर्ति के द्रुतगामी प्रबंधन के न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना राहत कार्यों की महत्वपूर्ण विशेषताएं है। राहत मदों, जिन्हें व्यवस्थित तरीके से पहुँचाने की जरूरत होती है, के प्रापण, पैकेजिंग, परिवहन, भण्डारण तथा वित्तरण को सुनिश्चित करने के लिए एस.ओ.पी.को यथा स्थान प्रतिष्ठित किया जाएगा। राहत शिविरों के प्रबंधन हेतु प्रभावित्त समुदायों एवं स्थानीय प्राधिकारियों को आगे-पीछे कार्य करना चाहिए। नकद अथवा अन्य रूप में प्राप्त की गई दान सहायताओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के प्रबंध हेतु दिशा-निर्देश विकसित किए जाएंगे।

अस्थायी जीविका विकल्प तथा सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास

किसी भी महा-आपदा के घटित होने पर सामान्यत: प्रभावित्त समुदाय हेतु अस्थायी जीविका विकल्प पैदा करने की आवश्कता उत्पन्न होती है और राज्य सरकार को चाहिए कि वे अपने डी एम.योजना प्रक्रिया में इस पहलू को मान्यता दें। ऐसे किसी भी विकल्प में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उत्पन्न की गई सम्पत्ति, आधारित संरचना एवं सुख-सुविधाएं जोखिम रहित, स्थायी, भरण-पोषण योग्य तथा लागत दक्ष हों।

मध्यम आश्रय-गृहों की व्यवस्था

सर्वनाशी आपदाओं के मामलों में, जहां तीव्र मौसम अवस्थाएं जान-लेवा साबित हो सकती हैं अथवा जब आश्रम-ग्रहों में रहने की अवधि अधिक एवं अनिश्चित हो, वहां उचित स्वास्थ्य सुविधाओं सहित माध्यम आश्रय-गृहों के निर्माण की जिम्मेदारी हाथ में ली जाएगी जिससे कि प्रभावी लोगों के लिए संतुलित गुणवत्ता की जिंदगी सुनिश्चित की जा सके। ऐसे आश्रय-गृहों की बनावट पर्यावरण-अनुकूल होने के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति के अनुरूप होगी।

20.4.6 अनुसंधानएवं विकास

अब तक राहत-केन्द्रित दृष्टिकोण ने अनुसंधान तथा विकास प्रयास को चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित कर रखा है। इन क्षेत्रों में भविष्य में होने वाले प्रयासों का मुख्य उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न आपदाओं के संबंधमें व्यापक अनुसंधान की आवश्यकताओं की

पहचान करना तथा मांग आधारित अनुसंधान कार्यक्रमों को सशक्त करना है। इसमें क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।

संस्थागत व्यवस्था

संपूर्ण आपदा प्रबंधन ढ़ांचे को, उपयोगकर्ता की सुविधानुसार एक जोरदार तथा अत्याधुनिक विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी विकल्प प्रदान करने वाले अग्रणी अनुसंधान एवं विकास प्रयासों का एक मजबूत आधार दिये जाने की जरूरत है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न समूहों तथा संस्थानों के बीच पारस्परिक सहयोग तथा सामंजस्य बढ़ाने के लिए एक सक्रिय रणनीति तैयार की जाएगी। आपसी दृष्टिकोणों, सूचना तथा विशेषज्ञता की निधि बनाना तथा उनके आदान-प्रदान संबंधी प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रतिभा निधि समूहों के 'एकीकरण' की प्रक्रिया के माध्यम से अन्तर-विषयी संदर्भों की पहचान की जाएगी जिसे राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर एक स्थायी तंत्र द्वारा सुकर बनाया जाएगा तथा इसकी देखरेख भी की जाएगी। केन्द्रीय मंत्रालयों तथा कृषि विभाग, परमाणु उर्जा विभाग, पृथ्वी विज्ञान विभाग, पर्यावरण तथा वन विभाग, स्वास्थ्य, उद्योग, विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग तथा आई टी एवं एन आई टी एवं विश्वविद्यालयों आदि शैक्षणिक संस्थानों के साथ गहन संपर्क बनाए रखा जाएगा।

अनुसंधान की आवश्यकताओं की पहचान तथा उनका प्रोत्साहन

आपदा जोखिम न्यूनीकरण की व्यापक अनुसंधान संबंधीजरूरतों की पहचान करने के लिए एनडीएमए द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञों के एक कोर दल का पहले ही गठन किया जा चुका है। यह अनुसंधान साझीदारों/ एजेंसियों/समूहों की उनके ज्ञान तथा विशेषज्ञता के आधार पर पहचान भी करेगा। भारत के विशिष्ट संदर्भ में जलवायु परिवर्तन तथा वैश्विक ऊष्णता (ग्लोबल वार्मिंग) पर जोर दिया जाएगा।

प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ तकनीकी तथा मानव-जनित आपदाओं सहित नवीनतम विषयों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन आपदाओं के लघु तथा दीर्घकालिक परिणामों को आकलन करने के लिए अनुकृति अध्ययनों के आधार पर माइक्रोजोनेशन तथा परिदृश्य विकास जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

20.5 आपदा प्रबंधन में शिक्षा व रोजगार

प्रशिक्षित जनशक्ति, आपदा से पहले, आपदा के दौरान तथा आपदा के बाद की स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक होती है। प्रशिक्षित जनशक्ति आपदा प्रभावित्त व्यक्तियों के शीघ्र पुनर्वास में सहायता करती है। उनकी मनोवैज्ञानिक स्थितियों को समझती है और आपदा के बाद उन स्थितियों को दूर करने तथा उन्हें बसाने में सहायता करती है। नियोजन तथा नीति निर्माण में, बेहतर सुझाव देने के लिए प्रशिक्षित एवं अनुभवी जनशक्ति की अत्यधिक आवश्यकता होती है।

आपदा प्रबंधन ने पिछले कुछ सालों में काफी लोकप्रियता हासिल की है और बड़ी संख्या में छात्र इस और आकर्षित हुए है। एक अच्छे करियर की भरपूर संभावनाएं इसमें है।

सरकारी, गैर सरकारी एजेंसियों में इस क्षेत्र के प्रशिक्षित लोगों की अच्छी मांग है। बीमा कंपनियां, बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान, खासकर वे, जो ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में हैं, जैसे रसायन, खनन और पेट्रोलियन में आपदा प्रबंध प्रकोष्ठ होता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और संयुक्त राष्ट्र के कुछ संगठन भी बड़ी आपदाओं और आपात स्थितियों से निपटने के लिए मानवीय मिशन पर काम करने के लिए ऐसे प्रशिक्षित पेशेवरों का पैनल बनाते हैं।

कोर्स

आपदा प्रबंध कोर्स में जोखिम आकलन और आपदा प्रबंध, प्रिवेन्टिव थॉट, आपदा नियंत्रण के लिए विधायी संरचना, आपदा तैयारी, आपदा संचार, आपदा कम करने के उपाय, आपदा प्रबंधन में जीआईएस का प्रयोग और बचाव शामिल हैं। खनन, रासायनिक आपदा और तकनीकी आपदा आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है। आपदा प्रबंधन कोर्स शैक्षिक और कौशल आधारित शिक्षा का मेल मुहैया कराते हैं, ताकि छात्र प्रौद्योगिकीय आपदा और आपात प्रबंध में विशेषज्ञता हासिल कर सकें। इससे वे खुद को कई तरह की संस्थाओं में रोजगार पाने योग्य बना सकते हैं। इसके अलावा वे अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट कसल्टेंसी भी स्थापित कर सकते हैं।

ज्यादातर संस्थान अल्प अवधि के पोस्टग्रेजुएट सर्टिफिकेट या आपदा प्रबंधन में डिप्लोमा कोर्स ऑफर करते हैं। ये कोर्स 6 महीने से लेकर एक साथ तक की अवधि के हैं और कामकाजी पेशेवरों, गैरसरकारी संगठनों, सामाजिक संगठनों तथा समाज विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों के लिए हैं। कुछ विश्वविद्यालय आपदा प्रबंध में पोस्ट ग्रेजुएट या एमबीए प्रोग्राम की भी पेशकश करते हैं। सीबीएसई ने छात्रों को शुरूआत समय में ही आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताने के लिए अपने पाठ्यक्रम में डिजास्टर मैनेजमेंट शामिल किया है। 10+2 के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई की जा सकती हे। ये कोर्स रेगूलर और दूरस्थ शिक्षा मोड में भी उपलब्ध हैं। कुछ करियर विकल्प इस प्रकार हैं:-

रिलीफ एवं डेवलपमेंट इंजीनियरिंग

आपदा के बाद सबसे ज्यादा नुकसान बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचता है, इसलिए आपदा के तुरंत बाद एक राहत व विकास इंजीनियर, पानी की सप्लाई, साफ-सफाई और अस्थाई शरण-स्थलों के साथ-साथ बुनियादी संरचना को दुरूस्थ करने का काम करता है।

रिस्क एसेसमेंट एंड हैल्थ एंड सेफ्टी

कई कंपनियों को अपने कर्मचारियों व आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत होती है। निर्माण, रसायन, तेल, जल, अपशिष्ट, यातायात और परमाणु उद्योगों के साथ-साथ सरकारी एजेंसीज को आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञों की जरूरत होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रेजुएटस ऐसी कंपनियों या उद्योगों में सीधे जॉब प्राप्त कर सकते हैं या एक कंसलटेंट के रूप

में भी इन जिम्मेदारियों को निभा सकते हें। वे क्राउड मैनेजमेंट के मानदंडों के माध्यम से एक नए खेल मैदान के डिजाइन में अहम भूमिका निभा सकते हैं या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में राजनीतिक रूप से अशांत क्षेत्र में पाइपलाइन के माध्यम से ऑयल सप्लाई को सुनिश्चित करने में भी भूमिका निभा सकते हैं।

रिलीफ एंड डेवलपमेंट

राहत के काम में लगे प्रोजेक्ट मैनेजर समाज की जरूरतों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के लिए उन्हें आपात स्थिति में खाद्य पदार्थों, राहत, शरण लेने वाली जगह बनाने के लिए आने वाले सामान के वित्तरण कार्य करने होते हैं। यह सामान अन्य देश द्वारा दान में दिया गया हो सकता है या फिर किसी अन्य एजेन्सी के राहत प्रयासों का हिस्सा हो सकता है। विकास प्रबंधक को शिक्षा आदि की व्यवस्था भी करनी हो सकती है।

हैल्थ मैनेजमेंट

कुछ सरकारी, गैर सरकारी, मुनाफा न कमाने वाली संस्थाओं को फोकस प्राइमरी स्वास्थ्य पर ही होता है। इस क्षेत्र में प्रोजेक्ट मैनेजर से बहुत अधिक विशेषज्ञता की उम्मीद की जाती है। उसे विभिन्न तरह के कौशलों से लैस होना चाहिए, जैसे आम जनता के स्वास्थ्य व महामारी की जानकारी, लॉजिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस और एकाउंटिंग, आपदा क्षेत्र में सुरक्षा संबंधीमुद्दे, राजनीति और कानून आदि।

इमरजेंसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट

इमरजेंसी प्लानर जोखिमों की पहचान करता है और उन रिस्क के संबंधमें प्लान बनाता है, जिनका सामना समाज का कोई समुदाय करता है। इनमें खराब मौसम, रासायनिक विस्फोट या आतंकवादी खतरा आदि शामिल हैं। इमरजेंसी प्लानर को पहले से ही लोगों की भूमिकाएं, जिम्मेदारियों, संचार के तरीके और प्रबंधन की प्रक्रिया तय करनी होती है। बाढ़ की स्थिति या दो ट्रेनों के आपस में टकरा जाने पर तीव्र और इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने वाली कार्यवाही की भी इमरजेंसी प्लानिंग करनी होती है।

रिस्क एंड बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट

एक जोखिम और कारोबार निरंतरता प्रबंधक की भूमिका यह होती है कि उसे संस्थान के भतीर और उसके बाहरी दुनिया के साथ संबंधसे जुड़े प्रोसेस और मैनेजमेंट सिस्टम की विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि वह संस्थान के आंतरिक खतरों को पहचानने की क्षमता रखता हो और उसके मद्देनजर आंतरिक सिस्टम को मजबूत रखे व यह सुनिश्चित करे कि किसी भी आपदा या संकट की स्थिति में संस्थान का काम काम करे नही।

आपदा प्रबंधन में संभावनाएं

आपदा प्रबंधन को लेकर पिछले कुछ समय से पूरे विश्व में तेजी से काम किया जा रहा है। भारत में भी इस दिशा में काफी काम हो रहा है और अभी काफी होना बाकी है। बाढ़, साइक्लोन, ज्यादा बर्फबारी, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ परमाणु दुर्घटनाओं और आतंकी हमलों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भी आपदा प्रबंधन जरूरी है। हालांकि अभी देश में इससे संबंधित कम ही कोर्स उपलब्ध हैं, लेकिन अब तेजी से इस दिशा में काम किया जा रहा है, इसलिए इस क्षेत्र में केरियर की संभावनाएं भी काफी बढ़ गई हैं।आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न कोर्सेज में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट सहित सभी विषयों के छात्र आवेदन कर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन, पोस्टग्रेजुएशन और एमबीए कोर्सेज के साथ शॉर्ट टर्म डिस्टेंस लर्निंग कोर्स भी करवाए जाते हें। कोर्सेज के दौरान आपदा से पहले और आपदा के बाद के मैनेजमेंट और प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में बताया जाता है। आपदा प्रबंधन कोर्स करने के बाद सरकारी विभागों में जॉब की संभावनाएं अधिक हैं, पर अब कॉरपोरेट जगत भी इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम पर रख रहा है।

20.6 सारांश

आपदा ऐसे न रोके जा सकने वाले प्राकृतिक तथा मानवीय प्रभाव है, जिन्हें उपयुक्त प्रबंधन विकल्पों द्वारा कम किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित्त होने वाले देशों में भारत का दसवां स्थान है। हालांकि सूखा, बाढ़, चक्रवाती तूफानों, भूकम्प भूस्खलन, वनों में लगने वाली आग, ओलावृष्टि, टिड्डी दल तथा ज्वालामूखी जैसे विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, न ही इन्हें रोका जा सकता है, लेकिन इनके प्रभाव को एक सीमा तक जरूर कम किया जा सकता है, जिससे कि जान-माल का कम से कम नुकसान हो। यह कार्य तभी किया जा सकता है, जब सक्षम रूप से आपदा प्रबंधन का सहयोग मिले।

आपदा प्रबंधकों को प्रभावित्त क्षेत्रों में सामान्य जीवन बहाल करने का कार्य करना पड़ता है। आपदा प्रबंधन व्यावसायिक समन्वयक के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि समस्त आवश्यक सहायक साधन व सुविधाऐं सही है समय पर आपदाग्रस्त क्षेत्र में उपलब्ध है, जिससे कम से कम नुकसान होता है। वर्तमान में आपदा प्रबंधन की ओर छात्रों का रूझान बढ़ा है तथा इसमें करियर की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है।

20.7 अभ्यास प्रश्न

1 आपदा प्रबंधन से क्या तात्पर्य है तथा ये कितने प्रकार की होती है ?

2 आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति का सविस्तार वर्णन कीजिए।

2 आपदा प्रबंधन में रोजगार की क्या-क्या संभावनाएं है ?

इकाई - 21

सड़क सुरक्षा तथा यातायात प्रबन्धन

इकाई की रूपरेखा

21.0 उद्देश्य

21.1 प्रस्तावना

21.2 सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन की अवधारणा तथा परिवहन नीति का विकास एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।

21.3 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति

21.4 भारत में सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन की नीतियां

21.5 सड़क सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान

21.6 भारत में सड़क सुरक्षा क्रान्ति की स्थिति एवं चरण

21.7 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद तथा राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना।

21.8 भारत में सड़क दुर्घटनाओं के पनपने के कारण

21.9 भारत में सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन सम्बन्धी समस्याएँ और चुनौतियाँ

21.10 सड़क सुरक्षा यातायात के प्रबन्धन की प्रभावी भूमिका

21.11 सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन में सुधार

21.12 सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन में बेहतरीकरण के लिए अपेक्षित सावधानियाँ, और सुझाव

21.13 सारांश

21.14 शब्दावली

21.15 अभ्यासार्थ प्रश्न

21.16 संदर्भ-ग्रंथ

21.0 उद्देश्य

इस इकाई के आद्योपान्त अध्ययन करने के बाद आप :-

- सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन की प्रस्तावना, अवधारणा, इसके अर्थ क्षेत्र तथा आवश्यकता के बारे मे भली प्रकार से जानकारी ग्रहण कर सकेंगे।
- सड़क सुरक्षा के लिए अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय योगदान और महत्ता के बारे में उपयोगी ज्ञान से लाभन्वित हो सकेंगे।
- भारत में सड़क सुरक्षा, क्रान्ति, स्थिति और इसकी वास्तविकताओं से सुपरिचित हो सकेंगे।
- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्यो के बारे में अवगत हो सकेंगे।
- भारत में सड़क हादसों के उत्पन्न होने वाले कारणों तथा सड़क सुरक्षा में व्याप्त कमियों के बारे में सुविज्ञ हो सकेंगे।
- सड़क दुर्घटनाओं के निवारणार्थ उपायों, चुनौतियों, समस्याओं तथा बेहतर सड़क सुरक्षा के उपयोगी सुक्षावों पर हम गौर कर सकेंगे।
- यातायात पुलिस प्रबन्धन के अर्थ, क्षेत्र, विशेषताओं, संगठन तथा महत्वपूर्ण यातायात चिन्हों को समझ सकेंगे।
- यातायात प्रबन्धन की जरूरत पुलिस प्रशासन की खासियतों, उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य तथा पुलिस सुधार हेतु गठित की गई समितियों एवं आयोगों के बारे में आप सुपरिचित हो सकेंगे।
- पुलिस सुधार के लिए न्यायिक दिशा-निर्देशों , सरकारी प्रयासों, यातायात पुलिस प्रबन्धन की कमियों तथा सुधार करने के लिए समुपयुक्त उपायों के बारे में आप जान सकेंगे। और

21.1 प्रस्तावना

हमारें देश के निरंतर विकास में सुचारू समन्वित और प्रर्याप्त सड़क सुरक्षा परिवहन प्रणाली की अह्म भूमिका होती है। देश की वर्तमान चालू परिवहन प्रणालियों में यातायात के अनेक साधन यथा - रेल, सड़क, तटवर्ती नौ-संचालन, और वायु परिवहन इत्यादि शामिल किए जा सकते हैं। विगत वर्षो में देश में इस क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई है। सड़क परिवहन के क्षेत्र में तो एक क्रान्ति जैसा सूत्रपात हुआ है। यह कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी देश की सड़के वहां की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाऐं होती है। विकास के लिए परिवहन का दुरस्त होना आवश्यक होता है। सड़कों का जाल जिस क्षेत्र में ज्यादा और अच्छा होता है, वहां विकास की संभावनाएं भी अधिक होती हैं। अच्छी सड़कें उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच बेहतर संपर्क उपलब्ध करवाती है। ये खेतों और कारखानों को आपस में विकास के मार्ग से जोड़ती है। बाजार और लोगों को जोड़ती हैं। सड़कें हमारी गतिशीलता और सतत विकास

का आधार होती है। सड़कें बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए बुनियाद का काम करती है। विश्व के विभिन्न समाजों की तरह भारतीय समाज की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में सड़क परिवहन क्षेत्र की सुरक्षा, भूमिका, महत्व और योगदान सर्वविदित हैं। इसके अलावा समाज में नियोजित विकास और परिवर्तन में भी सड़क परिवहन व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सड़क परिवहन कार्य तथा पुलिस राज्य सूची का विषय है। भारत में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने भी सड़क परिवहन की क्रान्ति की भूमिका को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिक सक्रिय बनानें के लिए समय-समय पर अनेक प्रयास किए हैं जैसे-भूतल परिवहन मंत्रालय, राष्ट्रीय परिवहन विकास परिषद, सड़क सुरक्षा परिषद, केन्द्रीय सड़क रखरखाव संगठन, सीमा सड़क विकास बोर्ड, मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 की स्थापना इत्यादि सड़क विकास की क्रांन्ति के घटक हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश की सड़कों पर यातायात के घनत्व में जबरदस्त वृद्धि हुई हैं।

जनसंख्या बढ़ने के साथ ही वाहनों की संख्या भी तेजी से बढी है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की कुल आबादी 1.21 अरब हो गई है। यह वृद्धि पिछली जनगणना वर्ष 2001 के आंकडों के तुलना में 17.64 प्रतिशत अधिक है। एक दशक में भारत की जनसंख्या में 18.14 करोड़ की वृद्धि हुई है, जो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के क्रम में पाँचवे स्थान पर आसीन ब्राजील की जनसंख्या से थोड़ा ही कम है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वालें देश में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत ही है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत है। इस तरह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान सातवां है। जबकि जनसंख्या के लिहाज से विश्व में दूसरा स्थान रखने का श्रेय हासिल है। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64 प्रतिशत है। इस वार्षिक वृद्धि दर को यदि 0.9 प्रतिशत तक लाया जाए, तब भी 45 वर्ष बाद (2056 तक) भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। भारत में वाहनों की संख्या में चक्रवृद्धि आधार पर 10 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हैं। भारत में वर्ष 1991 में वाहनों की संख्या 21.4 मिलियन थी। इसके बाद विगत दो दशकों में यह 141 मिलियन से अधिक हो गई है। वाहनों का दबाव तो निरन्तर बढ़ रहा है किन्तु उसके अनुरूप सड़कों की क्षमता में बढोतरी नहीं हो पाई है। बढ़ती आबादी एवं बढ़तें वाहनों के बोझ से सड़के चरमरा गई हैं। भारत में सड़क सुरक्षा से जुडी स्थिति सुखद नहीं है। भारत में विश्व का तीसरा सबसे बडा नेटवर्क है किन्तु सड़क सुरक्षा के मामले में हम विश्व के दूसरे कई देशों से पीछे है। भले ही वर्ष 2011 से 2020 के संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा के दशक के रूप में मनाया जा रहा है। किन्तु इसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं दिख रहा हैं। प्रतिदिन होने वाले भयानक सड़क हादसों ने भारत में सड़क सुरक्षा को प्रश्नगत कर दिया है। सरकारी आँकडों से यह अवगत हुआ है कि भारत में वर्ष 2011 में 1,42,485 लोग विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में मारे गये थे। तथा 5,11,394 लोग घायल हो

गये थे। केन्द्र सरकार को एक नवीन योजना के तहत जो व्यक्ति /संस्था सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों में अनुदान या चंदा देंगें उनकों भारत सरकार आयकर में से 50 प्रतिशत की कर से छूट मिलेगी।

आज देश-विदेश में जनसंख्या वृद्धि की समस्या ने परिवहन प्रशासन के समक्ष अनेक नयी - नयी समस्यायें एवं चुनौतियाँ उत्पन्न की है जिनमें प्रमुख शहरों में वाहनों की संख्या में निरन्तर वृद्धि, नगरों एवं महानगरों में दुर्घटनाओं की संख्या तथा मृतकों की संख्या में तेजी से होती हुई बढ़ोतरी, यातायात एवं परिवहन उचित नियंत्रण की कमी, तथा यातायात असुरक्षा, सड़कों के रख रखाव में उदासीनता, एवं प्रर्वतनकर्मियों में बढते भष्ट्राचार, वाहन चालक अनुज्ञप्ति बिना परीक्षण जारी करना, खराब सड़कों तथा वाहनों की खराब दशा में वृद्धि, निगरानी तंत्र की कमजोरी, सही समय पर परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कार्यो में शिथिलता, पारदर्शिता का अभाव, सड़कों के निर्माण के विकास में राजनीतिक विद्वैष और प्रतिबद्वता, राज्यों द्वारा भूमि देने में विलम्ब परस्पर सरकारी विभागों के बीच तालमेल का अभाव सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा आदि हैं। परिवहन प्रशासन एवं विभाग की प्रत्येक शाखा का आज विस्तार हो रहा है तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से अनेक कार्य और उत्तरदायित्व सौंपे जा रहे हैं। परिवहन और सड़क सुरक्षा व्यवस्था से जुडे कार्यो के अन्तर्गत आज तेजी से इनके कानूनी व्यवस्था स्वरूप को बनायें रखने तथा यातायात एवं सड़क सुरक्षा तथा सड़क व्यवस्था सम्बन्धी कार्यो एवं उत्तरदायित्वों में वृद्धि हुई हैं, उतनी शायद यह अन्य क्षेत्रों में नहीं हुई है। जिस का प्रमुख कारण नगरों एवं महानगरों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरों, नगरों तथा महानगरों का बढ़ता विस्तार आदमी और घरों के बीच बढ़ती दूरियाँ, तेजी से बढ़ते वाहनों की संख्या आदि है जिस का परिणाम स्वरूप दुर्घटनाओं में वृद्धि तथा असुरक्षित यातायात व्यवस्था है। भारत में निर्बाध परिवहन व्यवस्था और उसका प्रभावी नियंत्रण तथा सड़क सुरक्षा की समस्या से सम्बन्धित प्रश्न नगरीयकरण प्रकिया के कारण 1981 की जनगणना के बाद तेजी से उभरा, जबकि शहरी आबादी 15 प्रतिशत से बढ़कर 23 प्रतिशत वृद्धि हो गई है। यह प्रश्न तब और भी जटिल हो गया जब देश की शहरी जनसंख्या 1991 में 25.7 प्रतिशत (करीब 22 करोड़) तथा 2001 में 27.22 प्रतिशत (करीब 30 करोड़) हो गई थी तथा मोटर वाहनों की संख्या भी 30 लाख से बढ़कर 220 लाख तक पहुँच गई। जिसके कारण नगरों, महानगरों में परिवहन प्रशासन, परिवहन विभाग एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों का तेजी से विस्तार एवं पुर्नगठन किया गया। इसका विकास करने के साथ साथ सड़क सुरक्षा की कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता बढाने हेतु तथा इसकी कार्यप्रणाली एवं भूमिका को अधिक सक्रिय बनाने के लिए समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा मिलकर अनेक प्रयास किए गये थे। इनके कार्यो तथा उत्तरदायित्वों के बदलते समय और परिस्थितियों के अनुरूप वृद्धि की गई। प्रत्येक शहर नगर, महानगर में परिवहन के निर्बाध प्रवाह एवं प्रभावी नियंत्रण लाने के लिए प्रादेशिक, क्षेत्रीय, एवं जिला परिवहन कार्यालयों, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की गई तथा इनका यातायात प्रबन्ध एवं

संचालन परिवहन अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से सौंपा गया है। इन पाँच दशकों के दौरान देश के कुल परिवहन एवं यातायात तंत्र में दस गुना वृद्धि हुई हैं। देश में जहाँ 1971 में 1.15 लाख सड़क दुर्घटनाएँ हुई वहीं 2001 में 2.66 लाख दुर्घटनाएँ हुई है। भारत के तीन राज्यों- तमिलनाडू, महाराष्ट्र व आन्ध्रप्रदेश में वर्ष 2011 में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई है। मृतकों की संख्या भी 14,549 से बढ़कर वर्ष 2011 में 1,42,485 लोग विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में मारे गये तथा 5,11,394 लोग घायल हुए। इन सबके उचित प्रबन्ध एवं नियंत्रण तथा सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्ध जैसे प्रश्नों ने समाज व सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया हैं। जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय परिवहन विकास परिषदों की सिफारिशों पर केन्द्र एवं राज्यों में सड़क सुरक्षा परिषदों का गठन किया गया। राज्यों में यातायात एवं परिवहन को प्रभावी एवं सक्रिय बनाने हेतु राज्य सरकारों ने परिवहन विभाग के साथ यातायात विभाग, यातायात पुलिस विभाग, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों एवं जिला परिवहन कार्यालयों तथा उपखण्ड स्तर के कार्यालयों एवं सड़क सुरक्षा एवं चालक अनुज्ञप्ति हेतु नवीन एजेन्सियां स्थापित कर दी गई है। देश में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नीति तैयार करने तथा सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से सन् 1986 में भूतल परिवहन मंत्रालय ने एक 'सड़क सुरक्षा एकक' की स्थापना की गई है। यह सड़क दुर्घटनाओं के आंकडें संकलित करता है और सड़क सुरक्षा सम्बन्धी संयोजनाओं और कार्यक्रम तैयार करता है।

इस एकक द्वारा सड़क सुरक्षा के उपायों का प्रचार करना, सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित करना तथा यातायात सम्बन्धी प्रशिक्षणों का आयोजन करना रहता है। केन्द्र सरकार ने मई, 1988 में देश में परिवहन और यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संसद ने मोटरयान अधिनियम 1988, बनाकर इसमें सड़क सुरक्षा, परिवहन एवं यातायात प्रबन्ध, वाहनों की नियमित गति, वाहनों चालकों को लाइसैन्स एवं सुरक्षा उपाय, वाहन पंजीयन, वाहन - फिटनेस, की निश्चित एवं प्रभावी प्रक्रिया यातायात नियम, यातायात नियम, यातायात संकेतक एवं वाहन प्रदूषण सम्बन्धित उपयोगी प्रावधान संजोए गये हैं। इसके सरल रूप में क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 को भी बनाया गया है। राजस्थान राज्य में राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 निर्मित किए गये हैं। समाज में पाये जाने वाले विभिन्न प्रशासनिक संगठनों में भूतल, परिवहन विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की एक महत्वपूर्ण संगठन है। भारत में परिवहन और यातायात से सम्बन्धित प्रथम प्रयास ब्रिटिश शासनकाल में किया गया। जब ब्रिटिश सरकार ने देश में व्यवस्थित एवं नियंत्रित परिवहन एवं यातायात प्रबन्धन हेतु सन् 1939 में मोटरयान अधिनियम को बनाया गया था। आज जनता और परिवहन विभाग के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। परिवहन विभाग द्वारा जहाँ परिवहन अधिनियमों एवं नियमों को क्रियान्वित करके जनता को परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाती है। वहीं जनता द्वारा परिवहन एवं यातायात संकेतकों की पालना करके परिवहन विभाग को परिवहन विभाग परिवहन नियंत्रण एवं यातायात

प्रबन्धन में सहयोग किया जाता है। सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन में चालन अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, बीमा प्रमाण-पत्र, उपयुक्त प्रमाण-पत्र, परमिट-पत्र, हैलमेट अनिवार्यता, प्रदूषण समस्याए सम्बन्धी कार्यवाहियां आज्ञापक होती है। राजस्थान में परिवहन विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार सन् 2007-08 तक कुल सड़क दुर्घटनाएँ 23,885 हुई थी जिनमे मृतकों की संख्या 8143 तथा घायलों की संख्या 31,155 रिपोर्ट में व्यक्त किया गया था।

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में सड़क परिवहन का विकास करने तथा यात्रियों को अधिक अच्छी परिवहन एवं यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन् 1994 में सड़कनीति तथा सड़क विकास मास्टर प्लान (1981-2001) की घोषणा की गई थी। इन दोनों का उद्देश्य राजस्थान में गाँवो अधिकाधिक सड़कों का निर्माण करना तथा उन्हें मुख्य मार्गो से जोडना, राज्य उच्च मार्गो एवं जिला मार्गो को चौड़ा करना, मुख्य शहरी केन्द्रों के बाहर चारों ओर बाईपास हेतु रिंगरोड़ का निर्माण करना, शहरी क्षेत्रों में यातायात के सुचारू संचालन हेतु पुलों, पुलियाओं, ओवरब्रिजों, अण्डरब्रिजों , प्लाईआवर्स का निर्माण करना आदि होता है। इस इकाई के लिए मूल प्रस्तावना में हम सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्ध की अवधारणा में परिवहन नीति के विकास एवं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संयुक्त राष्ट्र एवं भारत में सड़क यातायात प्रबन्ध, सड़क क्रान्ति, स्थिति, वास्तविकताओं, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्यों, सड़क दुर्घटना के पनपने के कारणों आदि पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला जायेगा। इसके बाद सड़क सुरक्षा सम्बन्धित कमियाँ, निवारण करने के उपायों, यातायात एवं सड़क सुरक्षा के प्रति उत्पन्न होने वाली समस्याओं, चुनौतियों, को उजागर किया जावेगा। सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन के कारगर उपायों/सुझावों, यातायात प्रबन्धन के अर्थ, लक्षणों, क्षेत्र, संगठन तथा यातायात पुलिस विभागों के सराहनीय योगदान, यातायात प्रबन्धन की जरूरत, पुलिस प्रशासन की विशेषताओं, इसके उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों को तथा पुलिस सुधार के लिए गठित की गई समितियों एवं आयोगों के बारे में वर्णन किया जावेगा। न्यायालयों द्वारा पुलिस सुधार हेतु दिए गये दिशा-निर्देशों, सरकारी पहलों, यातायात प्रबन्धन की कमियों समस्याओं, चुनौतियों तथा इनके निराकरण करने वाले सुधार के उपायों की भी विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाना प्रस्तावित्त किया गया है।

21.2 सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन की अवधारणा तथा परिवहन नीति का विकास एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

21.2.1 सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्ध की अवधारणा:

भारत में बढ़ती जनसंख्या और बढते यातायात के वाहनों की वृद्धि की स्थिति चिंतयशजनक है। सड़क सुरक्षा से तात्पर्य अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्कीय तथा स्थानीय सड़कों पर मानव एवं जीवों के सुरक्षित रहने वाले स्वस्थ्य जीवन से है। सड़कों पर परिवहन एवं यातायात विभाग, तथा यातायात पुलिस विभाग, परिवहन और यातायात सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

की जिम्मेदारी संभालते हैं । सड़क पर बेहतर से बेहतर जीवन सुरक्षित रखने के लिए यातायात एवं परिवहन विभागों द्वारा उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में देश की सड़कों पर यातायात के घनत्व में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आबादी बढने के साथ ही वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ी हैं। ऐसे में केन्द्र या राज्य सरकारों पर इस बात का दबाव बढा है कि वे सड़क परियोजनाओं में तेजी लाएँ। सड़क पर चलते वाहनों से सुरक्षित रहते हुए दुर्घटनारहित रहना ही सच्चे मायने में सड़क सुरक्षा है। देश के प्रत्येक नागरिक के जानमाल की रक्षा करने का दायित्व राज्य सरकार पर सौंपा गया है। इसमें पुलिस सुरक्षा, सड़क सुरक्षा तथा यातायात सुरक्षा करने की प्रमुख जिम्मेदारी यातायात, परिवहन राष्ट्रीय राजमार्गो तथा यातायात पुलिस विभाग के अधिकारियों, प्राधिकारियों तथा इस सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्ध के लिए डयूटी करने वाले कर्मियों की होती है । हाल ही में दिल्ली में चलती हुई बस में एक युवती के साथ बलात्कार की लोमहर्षक घटना और उसके उपरांत हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस रूख को देखने के बाद एक बार पुन: यह प्रश्न उठने लगा है कि क्या भारतीय पुलिस से अपने दायित्वों को ठीक ढंग से निभा पा रही है? दरअसल, काफी समय से भारतीय पुलिस पर असंवेदनशील चेहरा रखने ओर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगते रहे है। भारत में काफी समय से पुलिस सुधार की मांग उठती रही है। इसमें सड़क सुरक्षा तथा यातायात प्रबन्धन में नियोजित किए गये सुरक्षा, परिवहन यातायात एवं राष्ट्रीय राजमार्गो पर तैनात सुरक्षाकर्मी भी जिम्मेदार माने जा सकते हैं।

लेकिन फिर भी पुलिस सुरक्षा के मुद्दे का विश्लेषण करने से पूर्व यह अत्यन्त आवश्यक है कि पुलिस की अवधारणा को समझ लिया जाए । पुलिस शब्द ग्रीक भाषा के 'पोलिस' शब्द से बना है जिसका आशय एक ऐसी व्यवस्था करने से है जो कानूनों के क्रियान्वयन तथा शांति व लोक व्यवस्था बनाए रखती है। हालांकि भारत में 'पुलिस' सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य सूची का विषय है, फिर भी अधिकतर राज्यों में पुलिस प्रशासन की विशेषताएँ लगभग एक सी है। भारत का पुलिस प्रशासन 1860 के पुलिस आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। इस आयोग की सिफारिश पर ही पुलिस अधिनियम 1861 पारित किया गया था । इस अधिनियम के प्रावधानों के तत्वावधान में ही पुलिस प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट (दण्डनायक) के स्थान पर पुलिस अधीक्षक के हाथों में आ गया है । कतिपय महानगरों के अन्तर्गत पुलिस -आयुक्त प्रशासनिक प्रणाली के अन्तर्गत कार्यचालक दण्डाधिकारी की शक्ति अब पुलिस-कमीश्नर को प्रदत कर दी गई है। राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल के कतिपय शहरों जैसे नई-दिल्ली, चैन्नई, मुम्बई, कोलकाता, जयपुर, जोधपुर, लखनऊ इत्यादि शहरों में पुलिस-आयुक्त प्रणाली प्रचलन में चल रही है। राजस्थान में पुलिस कमीश्नर व्यवस्था लागू करने के लिए राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 तथा राजस्थान पुलिस नियम, 2008 के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई है। पुलिस कमीश्नर प्रणाली के अन्तर्गत पुलिस में यातायात पुलिस विभाग

भी सम्मिलित है। सड़क सुरक्षा तथा यातायात प्रबन्धन में जो बलकर्मी तैनात किए जाते हैं उनका प्रमुख कार्य सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों और संकेतकों की पालना सुनिश्चित करवाने का होता है। किसी भी राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास में शांति, सुरक्षा एवं संरक्षा का महत्वपूर्ण हाथ होता है। इनमें से किसी एक तत्व की कमी अन्य तत्वों का भरण करती है जो अंततोगत्वा विकास के लिए बाधक सिद्व होता है। प्राचीन शासन व्यवस्था में नगरपाल, नगररक्षक, दण्डाधिकारी, दण्डपाल, फौजदार, जमादार और चौकीदार पदों का उल्लेख मिलता है।

जो आधुनिक पुलिस व्यवस्था का तत्कालीन स्वरूप है। किसी भी देश आन्तरिक सुरक्षा को बरकरार रखने में उस देश की पुलिस की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा, सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन, संरक्षा और शांति का सीधा सम्बन्ध विकास से भी होता है क्यों कि शांति, सुरक्षा और सरंक्षा से जुड़ी आदर्श स्थितियाँ निवेश को आकर्षित करती है जोकि विकास के लिए परमावश्यक है इस दृष्टि से शांति और सुरक्षा की बहाली के लिए पुलिस की प्रभावी और दबावमुक्त भूमिका आवश्यक होती है। पुलिस की भूमिका यदि प्रभावी और दबावमुक्त नहीं होती अराजकता तो बढती ही है। विकास पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देश के विकास के पथ पर आगे बढाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि सुव्यवस्थित एवं सुविधाप्रद सड़क सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश में राजमार्ग सड़क क्रांति का सूत्रपात हो। देश में पहली बार वर्ष 1980 में यह अनुभवित्त किया गया कि परिवहन से जुडी खामियों और पिछड़ेपन के कारण आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्ष 1998 में सड़क सुरक्षा पर ध्यान देकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय राजमार्गों के कायाकल्प करने विशेष दिलचस्पी दिखाई। 54,000 करोड़ रूपये की लागत वाली एक्सप्रेस हाइवे परियोजना की घोषणा की जाकर देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ा जाना निश्चित हुआ था। इसके अन्तर्गत चार महानगरों दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई और कोलकाता को परस्पर जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की गई। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आये हैं। विश्व बैंक की एक रिर्पोट के अनुसार स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के कारण ईधन की बचत, वाहनों के परिचालन क्रस तथा परिवहन में तीव्रता आदि कारणों से प्रतिवर्ष 800 करोड़ की बचत हो रही है। सड़क सुरक्षा के सड़कों की काया बदलने और सुविधाओं पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सड़क सुरक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की अनदेखी नहीं हो रही है। सड़क सुरक्षा और सहायता की दृष्टि से अहर्निश खट पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की गई है। सफर आरामदायक ओर खुशनुमा हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। सड़क पर आवश्यकतानुसार पेट्रोल पंपों, रेस्टोरेंटो, विश्रामालयों, स्नान एवं पेशाबघरों तथा वाहनों के पार्किग की समुचित व्यवस्था की जा रही है। वाहनों की मरम्मत आदि के लिए कार्यशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। सरकार ने सड़क सुरक्षा एवं विकास के लिए केन्द्रीय सड़क निधि का गठन किया गया है। यह फंड पेट्रोल और डीजल पर अधिकर (सेस) के माध्यम से संचित किया जाता है। इस

प्रकार सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 16 करोड़ रूपये की आय होती है। इस राशि का 50.7 प्रतिशत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को इसलिए दिया जाता है कि वे सड़कें का बेहतर रख रखाव व नव निर्माण कर सके । शेष फंड राशि को ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय के बीच बांट दिया जाता है । इसका उपयोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण तथा रेल्वे लाइनों पर रोड़ ओवरब्रिज, अण्डरब्रिज, फ्लाईऑवर बनाने में उपयोग किया जाता है । इस तरह सरकार के पास लगभग 8 करोड़ रूपये सड़कों के रख-रखाव व निर्माण के लिए आते हैं। सड़क पर हुई यातायात तथा परिवहन दुर्घटनाओं के पूर्तिपूर्ण के रूप में बीमा कम्पनियों से बीमा राशि स्वीकृत समक्ष न्यायालयों के अधिनिर्णय के माध्यम से ही क्षतिपूर्ति राशि मृतक और घायल व्यक्तियों को दिलवाने की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य उस सड़क सुरक्षा से है जिसे सरकार व समाज अपने सदस्यों को संकट से बचाने के लिए समुचित रूप से प्रदान करता है। सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा के अन्तर्गत सामाजिक बीमा व सामाजिक सहायता की योजनाएँ और कुछ व्यावसायिक बीमें की योजनायें भी शामिल हैं।

21.2.2 परिवहन नीति का विकास एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रत्येक मानवीय कार्य को अधिकतम उपयोगी और सार्थक बनाने के लिए उससे सम्बन्धित नीति - विषयक निर्णय लेना अत्यन्त आवश्यक होता है। बिना नीति-निर्धारित किए जब कार्य संचालित किए जाते हैं तो उसके परिणाम साधनों के अपव्यय दुव्यय और प्रभावहीनता में फलित होते हैं। आज किसी भी क्षेत्र में उपयुक्त एवं प्रभावशाली नीति का अभाव कल के लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। यदि भविष्य में सामाजिक सेवाओं को सुचारू रूप से जनोपयोगी लक्ष्यों के लिए संचालित करना है तो इसके लिए उपयुक्त नीति।

नीति अर्थ को स्पष्ट करते हुए 1. 'वी.एम.कुलकर्णी ने लिखा है कि ''नीति एक ऐसा वक्तव्य है जो स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तरों पर एक समुदाय की क्रियाओं के विशेष क्षेत्र के सम्बन्ध में संदर्भ निर्धारित करता है। इस वक्तव्य में वे सभी आवश्यक तत्व होते हैं, जो इस क्षेत्र में वांछित दिशा में कार्य हेतु पर्याप्त निर्देशन दे सके।''

2. डिमॉक्स के अनुसार ''नीतियाँ व्यवहार के वे नियम है जिन्हें सचेतरूप से मान्यता प्राप्त है और जो प्रशासनिक निर्णयों का मार्गदर्शन करती है।''
3. फैडरिक के विचार के अनुसार ''अमुक परिस्थितियों में क्या करना है अथवा क्या नहीं करना है, के सम्बन्ध में किए गये निर्णय ही नीतियाँ हैं।''

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात केन्द्र और राज्य स्तर पर लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में विकास एवं संविधाओं हेतु सरकार द्वारा विभिन्न नीतियाँ अपनायी गई थी। भारत परिवहन नीति का निर्माण एक लम्बें समय के अनुभवों एवं सिद्वान्तों पर हुआ है। प्रथमबार सन् 1923 में एम.आर.जयकार की अध्यक्षता वाली समिति ने अपने सुझाव में कहा कि सडकें राष्ट्रीय महत्व की है इसलिए केन्द्र सरकार को सड़कों के विकास का दायित्व निभाना चाहिए। इस

समिति की सिफारिशों की अनुपालना में सन् 1929 में केन्द्रीय सड़क निधि की स्थापना की गई थी। सन् 1927 में मिचेल किर्कनेस समिति ने देश में सड़क - रेल परिवहन के समन्वय का सुझाव देते हुए मोटर व्यवसाय पर अंकुश लगाने की बात कही। सन् 1934 भारत सरकार ने भारतीय सड़क कॉगरेस की स्थापना की गई। मिचेल किर्कनेस समिति के सुझावों पर विचार करने हेतु सन् 1935 में शिमला में प्रान्तीय सरकारों का सम्मेलन आहूत किया गया। इसके लिए केन्द्र सरकार ने रेल कानून में संशोधन किया और रेल के समान्तर मार्गो पर मोटरवाहन चलाने का राज्य सरकारो को हक दिया गया था। भारत सरकार द्वारा परिवहन परामर्श समिति का गठन सन् 1936 में किया गया। इस समिति के महत्वपूर्ण सुझाव निम्नानुसार थे -

(i) मोटर वाहनों का बीमा करना

(ii) अन्त: प्रान्तीय परिवहन संचालन की आज्ञा न देना,

(iii) मोटरों को निर्धारित मानकों के अनुसार सुसज्जित रखना

(iv) बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण करना

(v) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मोटरों का एकाधिकार रखने पर सुझाव

वैजवूड समिति ने_सन् 1936 में सुझाव दिया कि सड़क परिवहन के क्षेत्र में कानून द्वारा मोटरगाडियों के नियमन की व्यवस्था की जाए। परिवहन परामर्श समिति और वैजवूड समिति के सुझाव के अनुसार केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1939 को बनाया गया था। सन् 1995 में रेल - सड़क की प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के उद्देश्य से एक सिद्धान्त व्यवहार संहिता बनाई गई थी। इसमें मोटर परिवहन का क्षेत्र 75 मील तक सीमित कर दिया गया। सन् 1950 में भारत में सड़क परिवहन के विकास हेतु एक 'सड़क परिवहन नियम कानून बनाया गया था। इस कानून के द्वारा राज्य सरकारों को सड़क परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण करने का हक दिया गया था। उत्तरप्रदेश राज्य ने सर्वप्रथम सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सन् 195 में ही भारत सरकार ने 'मोटर वाहन कर जांच समिति का गठन किया गया। इस समिति ने रेल-सड़क परिवहन हेतु राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाने तथा सड़कों को विकास पर ज्यादा ध्यान देने का सुझाव दिया। मसानी की अध्यक्षता में सन् 1959 में 'सड़क परिवहन पुर्नगठन समिति' ने रेल-सड़क दूरी प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया। सड़क परिवहन की उन्नति कि विशेष यत्न करने पर सुझाव दिए' केन्द्र सरकार द्वारा सन् 1966 में परिवहन नीति एवं समन्वय समिति का गठन किया जाकर इस समिति ने सड़क और रेल परिवहन के विकास एवं उन्नति हेतु एक समन्वित परिवहन नीति बनाने पर जोर दिया। सड़क परिवहन को सुचारू रूप से चलाने हेतु 'सड़क परिवहन निगम' की स्थापना की गई थी। सन् 1970 में सड़क परिवहन को बढाने और यात्री परिवहन को सुविधाजनक बनाने हेतु 'राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम' संसद ने पारित कर दिया था। सन् 1980 में केन्द्र सरकार द्वारा वी.डी.पाण्डे की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति का गठन

किया गया था। इस समिति राष्ट्रीय परिवहन आयोग के गठन करने को कहा। नये मार्गो के राष्ट्रीयकरण करने पर जोर दिया। और केन्द्र सरकार ने इस समिति के सुझावों पर ध्यान देकर 'राष्ट्रीय परिवहन नीति की घोषणा की गई।'

पथकर व चूंगीकर समाप्त करने का सुझाव भी दिया गया। सड़क परिवहन को उद्योग का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में बडी फर्मो के प्रवेश को प्रोत्साहन देने हेतु एक आर.टी.वी. प्रावधानों को शिथिल करने पर जोर दिया गया। केन्द्र सरकार द्वारा सड़क परिवहन को बढावा देने, उसका विकास करने तथा परिवहन एवं यातायात व्यवस्था के कुशल संचालन प्रबन्धन एवं उचित नियंत्रण स्थापित करने के लिए नया मोटरयान अधिनियम, 1988 में बनाया गया था। इसी प्रकार इस नवीन कानून को सरल रूप में क्रियान्वित करने तथा परिवहन एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1939 को भी बनाया गया था। राजस्थान सरकार ने परिवहन व्यवस्था को सुव्यवस्थित संचालन और नियंत्रण हेतु राजस्थान मोटरवाहन नियम, 1951 में बनाया गया जो कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1939 पर आधारित था। राज्य सरकार द्वारा बदलती परिस्थितियों के संदर्भ में राज्य मे परिवहन एवं यातायात के कुशल संचालन एवं नियंत्रण करने, दुर्घटनाओं में कमी लाने, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण के निवारण करने, लाइसैंस व परमिट प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रमुख प्रावधानों का उपयोग करते हुए नये राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 को बनाया गया था। सड़क परिवहन के विकास तथा यात्रियों के बेहतर परिवहन एवं यातायात व सुविधा हासिल कराने के उद्देश्य से ही सन् 1994 में सड़क नीति तथा सड़क विकास मास्टर प्लान (1981-2001) की घोषणा की गई। मोटरयान अधिनियम 1939 में पारित होने वाला चतुर्थ कानून बना था। जो कि 16 फरवरी 1939 को संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम को दस अध्यायों में विभक्त किया जाकर इन दसों अध्यायों में कुल मिलाकर 134 धाराएँ प्रवाहित की गई थी। वर्तमान मोटरयान अधिनियम, 1988 में पारित होने वाला संसद का 59 वां कानून बना था। इस अधिनियम को 14 अक्टूबर 1988 को पारित किया गया था। इस मोटरयान अधिनियम 1988 को 14 अध्यायों में बांटा जाकर कुल 217 धाराओं में प्रावधित किया गया है। इसके साथ एक अनुसूची में चिह्न भाषा को संकेतकों में दर्शाया गया हैं। मौटे तौर पर सड़क संकेतक चिन्हों को तीन भागों में दर्शाया गया है यथा

(i) चेतावनी आदेश देने वाले संकेत गोलाकार होते हैं

(ii) विनियामक चेतावनी देने वाले संकेत त्रिकोणीय होते हैं तथा

(iii) सूचनात्मक संकेत सूचना प्रदान करते है और इन्हें आयताकार में दर्शाया जाता है।

नीले रंग के गोलाकार संकेत आदेशात्मक अनुदेश प्रस्तुत करते है जैसे बांये मुडें आदि। नीले आयताकारों का प्रयोग सूचनात्मक संकेतों के लिए किया जाता है। सभी त्रिकोणीय

संकेत लाल रंग के होते है। पहली तरह आदेशात्मक सड़क चिह्न 36 तरह के बताये गये है। दूसरी तरह के संकेतक सचेतक सड़क चिह्न कहलाते है इसमें 38 तरह के सड़क चिह्न रंगित और रेखांकित किए गये हैं। तीसरे तरह के संकेतक सूचनात्मक सड़क चिह्न कहलाते है। ये सड़क चिह्न 25 तरह के प्रदर्शित किए गये है।

21.3 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति

सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा संकेतावली और चिन्हों की पुस्तिका के 2013 के तृतीय संस्करण में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। ''भारत सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को स्वीकार करने से पहले सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं इस समस्या के समाधान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति 2007 की घोषणा की गई है। केन्द्र सरकार ने इस नीति के स्वीकार किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। केन्द्र सरकार ने सन् 2007 में सड़क सुरक्षा नीति में सभी स्तरों पर सड़क सुरक्षा सम्बन्धी गतिविधियों में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली नीतिगत पहलों की रूपरेखा तैयार करेगी। इस नीति के निम्नानुसार उद्देश्य बताये गये हैं यथा -

1- सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस तैयार करना।
2- सुरक्षित सड़कों के निर्माण, विवेकपूर्ण परिवहन प्रणाली को लागू करके आदि के माध्यम से सुरक्षित अवसंरचना सुनिश्चित करना।
3- अभिकल्पन, विनिर्माण, प्रयोग, प्रचालन, तथा अनुरक्षण के स्तर पर वाहनों में सुरक्षा विशेषताओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
4- चालकों की सक्षमताओं में सुधार करने के लिए चालान अनुज्ञप्ति की प्रणाली तथा प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ करना।
5- मूल्यवान सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना।
6- सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना ।
7- सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास तथा अनुसंधान व विकास (आर.एण्ड डी) को प्रोत्साहित करना।
8- देश में सड़क सुरक्षा वातावरण के संवर्धन के लिए कानूनी, संस्थागत तथा वित्तीय वातावरण को सुदृढ करना इत्यादि ध्येय व्यक्त किए गये है।

सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय सड़क सुरक्षा के लिए उक्त नीतियां तैयार करता है ताकि सड़क परिवहन को विनियमित करने तथा सड़क सुरक्षा के परिदृश्य में सुधार लाने हेतु व्यापक नीतियां बनाता है। मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएँ लागू करने के लिए भी उत्तरदायी है। ये योजनाएँ राज्य परिवहन विभाग के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, 2असंगठित क्षेत्र में भारी वाणिज्यिक वाहनों के चालकों के लिए पुन:श्चर्या प्रशिक्षण, 3सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रचार तथा जागरूकता अभियान, 4राज्यों। संघ राष्ट्र

क्षेत्रों की सड़क सुरक्षा तथा प्रदूषण जांच उपकरण उपलिब्ध कराना, [5]राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना [6]सड़क परिवहन के क्षेत्र में राष्ट्रीय डाटाबेस। कम्प्यूटरीकरण, [7]सार्वजनिक प्रणाली को सुदृढ बनाना [8]निरीक्षण व प्रभावन केन्द्रो तथा आदर्श चालन प्रशिक्षण विधलयों की स्थापना आदि सम्बन्धी मानव संसाधन विकास से सम्बन्धित कार्य सम्पन्न किये जाने है।

21.4 सड़क सुरक्षा पर संयुक्तराष्ट्र संघ का योगदान

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सडक सुरक्षा यातायात प्रबन्ध की सहायता करने में अग्रगणनीय योगदान के प्रतीक स्वरूप वर्ष 2004 को सडक सुरक्षा वर्ष के रूप में मनाकर किया है। सड़क सुरक्षा से जुडे अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर खयाल करें तो हम यह पायेगें कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित वर्ष 1968 में 'सडक यातायात' सम्मेलन का सदस्य नही रहा परन्तु भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष (2011 से 2020) को सड़क सुरक्षा दशक के रूप में मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 की सडक यातायात सम्बन्धित संधि पर हस्ताक्षरकर्ता रहा है। वर्ष 1947 से यू.एन.ई.सी.ई. ने सडक सुरक्षा को अपना प्रमुख उदेश्य बना लिया है, विशेष रूप से सडक यातायात सुरक्षा पर कार्यदल के माध्यम से जिसे डब्ल्यू.पी. कहते है। यूएनईसीई ने वर्ष 1950 में सडक दुर्घटना निवारण पर कार्यदल -1 (डब्ल्यू पी-1) नामक एक तद्र्थ कार्य समूह की स्थापना के साथ राष्ट्र संघ प्रमाणी में सडक सुरक्षा गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके तत्वावधान में अनेक में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजात तैयार किए गये है। सामान्य रूप से ये विधिक दस्तावेज और विशिष्ट रूप से सम्मेलन यातायात, संकेतो और चिन्हों को नियंत्रित करने वाले विनियमों के अंतर राष्ट्रीय सामंजस्य लिए भी महत्व पूर्ण संदर्भ बिन्दू हैं।

19 सितम्बर 1949 को यूरोप संघ राष्ट्र आर्थिक आयोग के ध्वज के अधीन जनेवा में सडक संकेत एवं प्रतीक पर नयाचार पर अभिसमय के अन्तर्गत एक करार पर हस्ताक्षर किये थे। यह 20 दिसम्बर 1963 को लागू किया गया था और इसी दिन पंजीकृत भी हुआ था। भारत भी इस करार का एक पक्ष था। संविदाकारी पक्षो से यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि वे अपने सम्बन्धित देशो में प्रयोग होने वाले सड़क चिन्हों और संकेतो को यथा संभव अधिकतर स्तर पर विकसित करें व समरूप बनाएँ। तत्पश्चात, वियना में 8 नवम्बर,1968 को सड़क संकेत एवं चिन्हों पर आयोजित सम्मेलन में इस पर संशोधन किये गये थे और सड़क सुरक्षा पर व्यापक रूप से विचार किया गया था कि संकेतों/चिन्हों के प्रयोग में एक रूपता स्थापित की जाए। इस विधिक दस्तावेज के अतिरिक्त, वर्ष 1968 के सम्मेलनों को लागू करने के लिए कार्यदल-1 द्वारा सड़क तथा सड़क संकेतों व चिन्हों पर दो समेकित संकल्प जारी किए गये है। हालाकि इन संकल्पों में इन सम्मेलनों के लिए प्रभावकारी प्रावधान नही है, किन्तु ये उन उपायों और विधिक की श्रृंखला का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते है जो राष्ट्रों द्वारा

स्वैच्छिक आधार पर क्रियान्वित किया जाना चाहिए। आज यह कार्यदल-1 संघ राष्ट्र प्रणाली का एक मात्र स्थायी निकाय हैं।

जो सड़क सुरक्षा में सुधार करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है इसका प्रमुख कार्य यातायात नियमों के सुमेलन के उदेश्य से संघ राष्ट्र के विधिक दस्तावेजो के संरक्षक की भूमिका अदा करना है। भारत में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की अनुसूची -1 में समरूप संड़क संकेतों को निर्धारित किया गया है जो वृहद रूप से इन सड़क संकेतों की आकृति और आकारों का वर्णन करता है।

21.5 भारत में सड़क सुरक्षा एवं क्रांति की स्थिति एवं चरण

भारत में सड़क सुरक्षा एवं सड़क क्रांति या राजमार्ग क्रांति की असली स्थिति कैसी चल रही है तथा राष्ट्रीय राजमागोर्ं के विकास की परियोजनाओं के विभिन्न चरण सुनिश्चित किये गये हैं। इस सात चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सड़क दुर्घटनाएँ होने के कई कारण गिनाए जा सकते है। अत: सड़क सुरक्षा बरकरार रखने के लिए उन करणों का निवारण करना अत्यन्त जरूरी हो जाता है। भारत में सड़को का जाल बेहद घना है। विष्च में अमेरिका के बाद भारत ही वह देश है, जहां सड़कों का संजाल सबसे अधिक है। भारतीय सड़कों की कुल लम्बाई 33.4 लाख कि.मी. है। देश में कुल 65,590 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग है। राज्यीय सड़कों की कुल लम्बाई 1,300,00 किमी है तथा 4,70,000 किमी प्रमुख जिला सड़कों की लम्बाई है। शहर को ग्रामीण क्षेत्रों से जोडने वाली सड़कों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की अन्य सड़कों की कुल लम्बाई 26,50,000 किमी मापी गई है। देश का सबसे लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 है, यह वाराणासी और कन्याकुमारी के बीच है। भारतीय सड़कों का दो प्रतिशत ही राष्ट्रीय राजमार्ग वर्ग में आता है। लगभग 40 प्रतिशत यातायात इन्हीं सड़कों से होकर गुजरता है। देश में इस समय 14 प्रतिशत राजमार्ग चार और छह लेन के है। 59 प्रतिशत दो और 27 प्रतिशत एक लेन में अवस्थित है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लम्बाई का 2 प्रतिशत ही राष्ट्रीय राजमार्ग है। किन्तु इस पर देश के कुल परिवहन का 40 प्रतिशत भार है। देश के प्रमुख शहरों को जोडने तथा सुगम यातायात की व्यवस्था हेतु अक्टूबर 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 54,00 करोड़ रूपये की योजना की घोषणा की गई थी। इसके अन्तर्गत चार महानगरों दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई व कोलकाता को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना को पूरा करने के लिए वर्ष 2007 को लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया गया था। जिसे बाद में बढ़ा दिया गया था। वर्तमान में इस परियोजना का काम पूरा हो चुका है।

राष्ट्रीय राजमार्गो की क्रांति एवं स्थिति : हमारे देश में वर्तमान में कुल 77 राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित हो चुके हैं जिनकी संख्या 1 से 56 तक है। जो वाराणसी से कन्या कुमारी तक जाता है। इसकी कुल लम्बाई 2368 किमी है। राज्यों में सड़को की सबसे अधिक लम्बाई (3,61,893 किमी) महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय राजमार्गो की कुल लम्बाई में 32 प्रतिशत एकल

लेने, 56 प्रतिशत डबल लेन तथा शेष 12 प्रतिशज फोर लेने अथवा अधिक का है। राज्य राजमार्गो जिसकी लम्बाई लगभग 130,000 किमी है। इनकी देखभार की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इसके अतिरिक्त जिला सड़कों की कुल लम्बाई 31,20,000 किमी की देख-रेख एवं संधारण भी राज्य सरकार द्वारा निर्देशित एजेन्सियों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 500 तक की आबादी वाले सभी गांवों को वर्ष 2011 तक बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाता है। सड़क परिवहन के बढ़ते महत्व एवं इसके लाभों की व्यापकता के कारण केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा देश में सड़कों के विकास, इसके रखरखाव इत्यादि पर अब विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। सड़कों के निरन्तर होते विकास के कारण देश में मोटर गाड़ियों की संख्या में भी तेजी से वृद्वि हो रही है। सन् 1950-51 में जहां देश में केवल 34,000 बसे थी वहीं 2002-03 में इनकी संख्या बढ़कर 7,27,000 हो गयी थी। इसी अवधि में माल ढ़ोने वाले वाहनो की संख्या 82,000 से बढ़कर 34,88,000 हो गयी है। वर्तमान में देश में कुल यात्री यातायात का 85 प्रतिशत एवं माल यातायात का 70 प्रतिशत सड़क परिवहन के द्वारा ही होता है। राजमार्गो के बढ़ते महत्व को देखते हुए 1988 में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के सुधार की परियोजनाओं के कार्यान्वयक का कार्य सौपा गया था। बाद में इसे राष्ट्रीय राजमार्गो का निर्माण, संचालन और अंतरण करो (बोट) जैसी कुछ परियोजनाओं सहित अनेक अन्य परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का जिम्मा सौपा गया है। एस प्राधिकरण को देश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एन.एच.डी.पी.) को कार्यान्वित करने का काम सौपा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग् परियोजना जो कि देश की सबसे लम्बी और लघुत्तम समयावधि वाली परियोजना है, के अन्तर्गत 14,279 किमी लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग् को चार या छह लेनों में परिवर्तन की योजना प्रस्तावित्त कर स्वीकृत की गई थी, जिसकी लागत मूल्य 2004 की दरों पर 65,000 करोड़ रूपया हैं।

भारत में सड़क क्रान्ति एवं राजमार्गो के चरणों की स्थिति :

सड़कों के महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की तर्ज पर अब सड़क क्रांति लाने के पक्षधर है। वर्ष 2006 में श्री सिंह ने बंगलुरू में 450 करोड़ रूपये लागत से बनने वाली 10 लेन की मल्टी-कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखते हुए कहा था कि सड़क क्रांति के लिए 2,22,000 करोड़ रूपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना विकास परियोजना का स्वरूप तैयार कर लिया गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग् कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क क्षेत्र में पूंजी निवेश का बडा कार्यक्रम बना रखा है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2015 तक राष्ट्रीय राजमार्ग् का व्यापक उच्चीकरण किया जाएगा। ये कार्यक्रम कई चरणों में सम्पन्न होंगें। 1. पहले चरण में उत्तर दक्षिण एवं पूर्व - पश्चिम गलियारा तैयार होगा। इसके तहत श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 7380 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग को चारलेन बनाया जायेगा, जो देश के उत्तर और दक्षिण भागों को जोडेगा। पूर्व से

पश्चिम का गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक विस्तृत होगा। यह कार्य प्रगति पर है। 2. दूसरे चरण में 10 बंदरगाहों तक संपर्क मजबूत किया जायेगा तथा 360 किमी लम्बी सड़कों को चार लेन बनाया जायेगा। यह कार्य भी प्रगति पर चल रहा है। 3.तीसरे चरण में 12,109 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करके 4/6 लेन का किया जायेगा ताकि यातायात के दबाव को नियंत्रित किया जा सके। इसके तहत पर्यटन केन्द्रों को जोडने की तो योजना है ही, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केन्द्रों और राजधानियों को भी जोड़ा जायेगा। यह कार्य भी प्रगति पर चल रहा है। 4. चौथे चरण में 20,000 किमी राजमार्गों को दो लेन किया जाना है तथा इनके फुटपाथों को पक्का बनाना है। 5. पाँचवें चरण में 6500 किमी लंबे चार लेन वाले राजमार्गो को चौड़ा कर 6 लेन का बनाया जाना है। 6. छठवे चरण में महत्वपूर्ण व्यापारिक व औद्योगिक नगरों को सार्वजनिक निजी साझेदारी के जरिये 100 किमी लम्बे एक्सप्रेस वे से जोड़ने की योजना रखी गई है। सबसे पहले बड़ोदरा से मुंबई तक 4000 किमी सड़क का निर्माण होगा। 7. सांतवे चरण में रिंग रोड़, फ्लाईओवर, बाईपास, सर्विस रोड़ तथा रोड़ सेपरेटर्स इत्यादि से जुडे हुए निर्माण कार्य पूरे करने है। यह यातायात को सुचारू बनाने की दृष्टि से यह चरण बेहद महत्वपूर्ण हैं। केन्द्र सरकार सड़क क्रांति में प्रगति लाने के लिए निर्माण कार्यो के लिए कमर कसे हुए है। देश में रोजाना 12 से 13 किमी सड़क का निर्माण किया जावेगा। इसके लिए 60 प्रतिशत पूँजी की व्यवस्था सरकार अब निजी क्षेत्र से करेगी। वर्तमान में सरकार द्वारा राजमार्ग विकास को दिए जा रहे बल को इस तथ्य से मापा जा सकता है कि स्वतंत्रता के 50 वर्षो तक मात्र 556 किमी राजमार्ग ही चार लेन के थे जबकि वर्तमान में 66,590 किमी राजमार्ग चार लेनों वाले हो गये है। इस परियोजना के कारण प्रतिदिन लगभग तीन लाख (कुशल व अकुशल) कर्मचारियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री की भारत जोड़ों सड़क परियोजना के अन्तर्गत लगभग 20,000 श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। सड़कों की काया बदलने के साथ सुरक्षा और सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अब सड़कों के व्यवस्थित विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात इंतजामों के लिए बाईपास, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, फ्लाईओवरों, रेल ऑवरों के बनाने की प्रर्याप्त गुंजाइश के साथ कैट-आई, डिलीनीटर्स, क्रेश बैरियर एवं रेलिगों की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दुर्घटना होने की स्थिति में घायलों को अविलम्ब चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रत्येक 50 किमी के अंतराल पर एम्बुलेंस सुविधाओं से युक्त तैनात रखी गई है। सुरक्षा और सहायता, सहायता और सुरक्षा की दृष्टि से अहर्निशरूट पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की गई है। सफर आरामदायक एवं खुशनुमा बनाने की दृष्टि से सड़कों के किनारों के पास पेट्रोल पंपों, भोजनालयों, अल्पाहार ग्रहों, विश्रामालयों, वाहन पार्किग स्थलों, होटलों, तथा जगह-जगह पर स्नान गृह एवं गुसलखाने की सुविधाएँ प्रदत की जा रही है। सड़कों की गुणवत्ता और निमार्ण में सुविधा और उत्तम सामग्री प्रयोग का विशेष ध्यान रखा गया है। वाहनों की मरम्मत के लिए कार्यशालाएँ बनाई जा रही है। यातायात के कुशल प्रबन्धन के लिए वाहन चालकों एवं

आम जनता को प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। देश में सड़क क्रांति का आगाज 'राजग' की सरकार के समय हुआ था और इस दिशा में उत्साहपूर्ण प्रयास किये गये थे। सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्ध के काम की गति और लय दिखाई दे रही है प्रतिदिन देश में 11 किमी सड़के बनने लगी है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हमेशा 20 किमी सड़क निर्माण कराने का लक्ष्य अपनी योजना की नीति में सुनिश्चित किया गया था। सड़क सुरक्षा निर्माण और यातायात प्रबन्ध की व्यवस्था एवं निर्माण एवं रख रखाव में कई चुनौतियों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण और इसकी सुरक्षा के विकास का लाभ आमजन के साथ-साथ मंडियों, बाजारों, कृषकों, व्यापारियों, उघोगपतियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों सभी उठा रहे हैं। अत: देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा चहुँमुखी विकास के लिए सड़क क्रांति जरूरी है। इसके लिए सभी को आगे आना होगा ताकि हम भी विकसित राष्ट्रों के विकास की बराबरी कर सकेंगे।

21.6 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद और राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना

14 अप्रेल 2004 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा द्वारा आयोजित अधिवेशन का भारत सहप्रायोजक रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2004 को सड़क सुरक्षा वर्ष के रूप में मनवाने की घोषणा की गई थी। और 'सड़क सुरक्षा दुर्घटना नहीं है' का नारा देकर 7 अप्रेल 2004 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। सड़क सुरक्षा एक बहुआयामिय तथा बहु-खण्डीय मुद्दा है। इसमें सडकों के बुनियादी ढांचे के प्रबन्धन और विकास, सुरक्षित वाहनों के प्रावधान, विधायन, विधि प्रर्वतन, संचालन, आयोजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं सम्बन्धी प्रावधान, बाल-सुरक्षा तथा शहरी भूमि के योजना करने आदि सड़क सुरक्षा में शामिल हैं। सर्वप्रथम भारत सरकार के श्रम ओर रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा , स्वास्थ्य और पर्यावरण के स्वैच्छिक प्रतिस्थापना, विकास संचालन के लिए 4 मार्च 1966 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। इससे पहले सन् 1962 में श्रम मंत्रियों के 22 वें राष्ट्रीय सम्मेलन में 'कारखानों में सुरक्षा' विषय पर हुए सम्मेलन में दुर्घटना निवारण पर शिविर आयोजित कर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया। औद्योगिक सुरक्षा पर राज्य सुरक्षा परिषदों को स्थापित करने की सहमति बनाई गई थी। इसी तर्ज पर भारत में केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन तो अवश्य किया गया, किन्तु यह अभी तक सड़क सुरक्षा से जुड़ी कोई ठोस रणनीति प्रस्तुत नहीं कर सकी है।

केन्द्र सरकार द्वारा ही 'सड़क सुरक्षा यातायात प्रबंधन' पर गठित एस. सुन्दर समिति ने अपनी वर्ष 2007 की रिर्पोट में यह उल्लेख किया है कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के बढते आंकडों का बावजूद ऐसी कोई बड़ी राष्ट्रीय नियंत्रण योजना मौजूद नहीं है। आज भी महानगरो मे क्षैत्रीय परिवहन कार्यालयों द्वारा ड्राइविंग लाइसैन्स जारी करने से पूर्व किसी

भी प्रकार का कोई वैज्ञानिक परिक्षण नहीं किया जाता है। नगर निगमों, परिषदों और पलिकाओं द्वारा तथा अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा सड़कों एवं पैदलपथों के रख रखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे सड़क दुर्घटनाएं बढी है। शहरों में सड़कों पर व्याप्त अतिक्रमण की समस्या पर कोई गौर नहीं किया जाता है नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं की जाती है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद को सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन एवं नियंत्रण पर कारगर उपाय सुनिश्चित करने चाहिए। पर्यावरण पर यातायात के सुरक्षा, शोरगुल, जाम , भीड़-भाड़, वायु प्रदूषण और सौन्दर्य बिगाड़ने जैसे हानिकारक प्रभावों से निजात पाने के उपाय बनाने होते हैं। सड़क पर ड्राइवरों, पदयात्रियों, कमजोर सड़क प्रयोक्ताओं और वाहनों के कारण सड़क दुर्घटनाएं ज्यादातर घटित होती है।

23 जनवरी, 2005 को केन्द्रीय मंत्री मंडल की संरचनात्मक ढॉचे की समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी । इसमें सर्वसम्मति से इस समिति ने भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को निर्देशित किया गया था । समिति ने सचिव स्तरीय सशक्ति समिति का गठन करक यह निर्देश दिए थे कि अविलम्ब ‘सड़क सुरक्षा यातायात प्रंबधन निदेशालय की सृजनस करने पर कंपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें। और जहां भी आवश्यकता पडें, वहां यातायात नियमों में संशोधन कराने की सिफारिश भी करें । इसके लिए एस. सुन्दर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी । सुन्दर समिति ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद को बाद में ‘सड़क सुरक्षा यातायात प्रंबन्धन’ समिति के गठन करने की संस्तुति की थी । उर्जा ओर संसाधन संस्थान (टेरी) एवं भूतल परिवहन मंत्रालय के सचिव ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के कार्यो, शक्तियों, भूमिका और संगढनात्मक संरचना के गठन करने पर बल दिया । राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद देश के विभिन्न यातायात, परिवहन, यातायात, पुलिस विभाग, सड़क परिवहन, राज्य पथ - परिवहन निगमों, एवं निजी यातायात और परिवहन के सरकारी संगठनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करके सड़क सुरक्षा नीतियों, योजनाओं और परियोजनाओं, कार्य बलो द्वारा अपनाए गये उपायों पर समन्वय, प्रबन्धन और नियंत्रण रखती है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना की कार्यप्रणाली और सहायताएँ :

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग् दुर्घटना सहायता सेवा योजना नामक एक योजना आरंभ की है। इस योजना के अन्तर्गत राहत एवं बचाव कार्यो के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों /गैर सरकारी संस्थानों के क्रेनों (भारोतोलन-यंत्रों) तथा एम्बूलेंस (भ्रमणशील बीमारों व घायलों का वाहन) उपलब्ध कराई जाती है ताकि सड़क दुर्घटना के पश्चात दुर्घटना के पीड़ितों को निकटवर्ती चिकित्सा सहायता केन्द्र तक पहुँचाया जा सके तथा दुर्घटना स्थल पर यातायात को सुगम बनाया जा सके । इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ‘ट्रोमा (मानसिक आघात) केन्द्रों के एकीकृत नेटवर्क की स्थापना’ योजना के अन्तर्गत स्वर्णिम चर्तुभुज में स्तरोन्नयित किए जाने वाले चिन्हित अस्पतालों को परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उन्नत जीवन समर्थन भ्रमणशील

चिकित्सा वाहन (एम्बूलेंस) उपलब्ध कराए जायेंगें। सड़क दुर्घटनाओं में मौत को लेकर एक गलत धारणा यह हैं कि अधिकांशत मौतें गम्भीर चोटों और खून बहने के कारण होती है। सच्चाई यह है कि सड़क दुर्घटना में मौत का सबसे सामान्य कारण ऑक्सीजन की पूर्ति रूकना है। अधिकतर मामलों में शरीर पर गहरे प्रभाव और सदमें के कारण वायुमार्ग अवरूद्व हो जाते हैं। आम तौर पर वायुमार्ग होने के चार मिनट से भी कम समय में मौत हो जाती है।

21.7 भारत में सड़क व यातायात दुर्घटनाओं के पनपने के कारण

राष्ट्र संघ वर्ष 2011 से 2020 के दशक को सड़क सुरक्षा के रूप में मना रहा है तथा वर्ष 2004 को सड़क सुरक्षा वर्ष घोषित किया गया था। भारत ने सन् 1949 में यातायात संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सन् 1986 में भारत सड़क सुरक्षा संकेत और चिह्न सम्मेलन सह-प्रायोजक रहा है। जनसंख्या की वृद्वि के साथ - साथ वाहनों की संख्या में भी अभिवृद्वि हुई है। भारत में पंजीकृत वाहनों में से 72 प्रतिशत असुरक्षित दोपहिया वाहन चालक है। सड़क पर होने वाली कुल दुर्घटनाओं में इन दो पहिया वाहन चालकों की संख्या सर्वाधिक 23.7 प्रतिशत है। मानक मापदण्डों के हैलमेट का उपयोग न करके वे स्वयं भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकडों से पता चलता है कि वर्ष 2011 में भारत के तीन राज्यों- तमिलनाडू, महाराष्ट्र व आन्ध्रप्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई है। कोलकाता में भी सड़क दुर्घटनाओं में बढोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2011 में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में वर्ष 2010 की तुलना में 18 प्रतिशत वृद्वि दर्ज की गई। यहां वर्ष 2011 में मारे गये लोगों मे से 244 (58 प्रतिशत) लोग पैदल चलने वाले की सर्वाधिक संख्या 2420 थी। महानगरों कोलकाता, दिल्ली को भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता है वर्ष 2012 के दौरान भारत में लगभग 5.0 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें 1.42 लाख लोगों की मृत्यु हुई और 5.27 लाख लोग घायल हो गये थे। भारत में प्रति एक मिनट में एक सड़क दुर्घटना होती है और सड़क दुर्घटना में प्रति चार मिनट में एक मृत्यु होती है। चालक की गलती सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण होती है। जानकारी तथा लापरवाही वाहनों के चलाने के कारण सड़क पर गलतियां होती है जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएँ होती है। इसमें गलतियां चालकों, राहगीरों, पैदल चलने वालों, साईकिल, मोटर साइकिल चालकों, सड़क की खराब स्थिति, मोटर वाहन की खराब स्थिति, मौसम सम्बन्धी परिस्थितियां, मूल्यवान सड़क प्रयोक्ताओं की लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाएँ बढ रही है। सड़क का कोई भी प्रयोगकर्ता यह नहीं चाहता है कि उसके साथ कभी भी कोई सड़क दुर्घटना हो, फिर भी कई बार दुर्घटनाएँ हो जाती है। हम सड़क पर अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते है। अधिकतर सड़क प्रयोगकर्ता सड़क के इस्तेमाल के बारे में सामान्य नियमों और सुरक्षा उपायों के बारे में अच्छी तरह परिचित होते है। परन्तु प्रयोगकर्ताओं की असावधानी और ड्राइवरों की लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं एवं टक्कर होती है। इन दुर्घटनाओं और टक्कर भीड़न्त का प्रमुख कारण मानवीय भूल है। सड़क दुर्घटनाओं के घटने के प्रमुख निम्नलिखित कारण उत्तरदायी मान जायेंगें।

1. बहुत तेज गति से वाहन चलाना
2. नशे में गाडी चलाना
3. चालक का बरबस ध्यान बंटाने वाली चीजें
4. लाल बत्ती को लांघना
5. सीट बैल्ट व हैलमेट लगाने की उपेक्षा
6. लेन चालन का पालन नहीं करना
7. गलत तरीके से वाहन को आगे ले जाने की होड़ आदि प्रमुख कारक है।

सड़क पर विभिन्न कारणों के आधार पर दुर्घटनाएँ होती है।

1. ड्राइवरों द्वारा की गई गलतियाँ : जैसे बहुत तेज गति से गाडी चलाना, अंधाधुंध चलाना, नियमों का उल्लंघन, चिह्न न समक्ष पाना, थकान व मदिरापान सेवन से गलती हो जाती है।
2. पदयात्रियों द्वारा की गई गलतियाँ जैसे - लापरवाही, अशिक्षा, गलत स्थान से सड़क पार करना, वाहन मार्ग पर चलना, यातायात के नियमों का उल्लघन करते हुए सड़क पार करना व असावधानियां बरती जाती है।
3. सवारियों द्वारा की गई गलतियाँ : शरीर का कोई भाग वाहन के बाहर निकालना, ड्राइवर के साथ बातचीत करना, वाहन के गलत तरफ से उतरना व चढना, पायदान पर रहकर यात्रा करना, दौड़कर वाहन पकडना व हैलमेट व सीट बैल्ट का प्रयोग नहीं करने की प्रवृत्तियां गलतियों का कारण बन जाती है।
4. वाहन सम्बन्धी गलतियाँ: इसमें गतिरोधक या स्टीयरिंग (कलयंत्र) का असफल होना, टायर फटना, अपर्याप्त हैड लाइटें, वाहन पर सीमा से अधिक सामान लादना, लदे हुए सामान का बाहर निकलना, वाहन की समुचित सही समय पर मरम्मत नहीं करवाना आदि गलतियाँ सड़क सुरक्षा के लिए खतरें की प्रतीक होती है।
5. सड़क की स्थितियाँ : इसमें सड़क पर गहरे होना, टूटी - फूटी क्षतिग्रस्त सड़क, कटी हुई सड़क, ग्रामीण सड़कों का राजमार्ग से संगम, मार्ग परिवर्तन, अवैध गति अवरोधक, अनुचित संकेत व चिह्न, खराब प्रकाश व्यवस्था, सड़क पर जानवरों का विचरण, सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण व उपताप समुचित ठहरने हेतु स्थलों की कमी तथा खराब रेखांकन कर देना इत्यादि भी सड़क दुर्घटना को बुलावा देने वाले हो गये हैं।

6. खराब मौसमीय स्थितियाँ : कोहरा गिरना, बर्फ जमना, मूसलाधार वर्षा के कारण बाधा, आंधी - तूफान, ओलावृष्टि एवं बाढ से प्लावित्त होना, भीषण गर्मी और शीत लहरें इत्यादि भी सड़क दुर्घटना के उत्तरदायी कारण बन जाते है।

7. वाहन चालन (ड्राईविंग) में सामान्य गलतियाँ : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 2013 के प्रतिवेदन तथा चिह्न भाषा पुस्तिका के अन्तर्गत ड्राइविंग में नौ निम्नलिखित सामान्य गलतियाँ बतलायी गई है। जिनके कारण भी सड़क यातायात दुर्घटनाएँ संभावी बनती है।

    1. ध्यान खोना और ध्यान बंटाना
    2. अनिद्रा अवस्था में गाड़ी चलाना
    3. कार या वाहन के भीतर सेलफोन, रेडियों व यात्री के कारण ध्यान बंटना
    4. मौसम की प्रतिफल स्थितियों मे चलने में विफलता
    5. उदंडतापूर्वक ड्राइविंग में सामने के वाहन के बहुत नजदीक गाड़ी चलाना, लाल बत्तियां और ठहरने के चिह्न को लांघना
    6. अन्य ड्राइवरों के इरादों का अनुमान न लगाना
    7. आसानी से न दिखाई पड़ने वाले स्थानों की जॉच किए बिना लेन बदलना
    8. दु:खी अवस्था में गाड़ी चलाना तथा
    9. वाहन के आवश्यक रख रखाव की अनदेखी जैसे ब्रेक, लाइट, सीट बैल्ट का अभाव, घिसे टायर्स तथा औजार-बक्से की कमी आदि कमियाँ सड़क सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर सकती है।

सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। यहां प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना में होने वाली विश्वभर की मौतों का 10 प्रतिशत होती है। प्रतिवर्ष 1,25,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं के मारे जाते है। तथा कम से कम 2.2 मिलियन लोग गंभीर चोटों के शिकार होते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2012 में शराब पीकर गाडी चलाने तथा गाडी चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर भारी जुर्माना लगाए जाने पर जोर दिया गया है। भारत में सड़क हादसों के बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। भारत में वाहनों की संख्या में चक्रवृति आधार पर 10 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्वि हो रही है। भारत में वर्ष 1991 में 21.4 मिलियन से बढकर वर्ष 2011 तक यह 141 मिलियन हो गई है। वाहनों के दबाव के अनुरूप सड़कों की क्षमता में बढोतरी नहीं हो पाई है। बढती आबादी में बढते वाहनों के

बोझ से सड़क चरमरा गई है । लंबे समय से राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंसिंग प्रणाली यातायात नियमों के पालन करवाने सम्बन्धी उपकरणों तथा सड़क अभियांत्रिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किसी प्रकार का नया निवेश नहीं किया गया है। यातायात पुलिस के पास आवागमन सम्बन्धी कोई ठोस रणनीति नहीं है और यातायात कर्मियों का अभाव है । दुर्घटनाओं की जाँच केवल एक औपचारिकता रह गई है और भष्ट्राचार चरम सीमा पर व्याप्त है। भूमि के उपयोग में किए जाने वाले परिवर्तन यातायात की सुगमता को ध्यान में रख कर नहीं किए गये है । हमारे देश में यातायात सेंस का भी अभाव है। विदित रहे कि 78 प्रतिशत मार्ग दुर्घटनाएँ ड्राइविंग सम्बन्धी गलतियों, 2.7 प्रतिशत राहगीरों की गलतियों, 1.2 प्रतिशत गलतियां साइकिल चालकों, सड़क की खराब स्थिति 1.2 प्रतिशत मोटर वाहन की खराबियों 1.7 प्रतिशत मौसम सम्बन्धी परिस्थितियों 1.0 प्रतिशत तथा 14.2 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएँ अन्य कारणों से रिकार्ड में दर्ज की गई है। भारत में सड़क दुर्घटनाए रोकने के न तो ऐसे प्रभावी कानून है और न ही सरकारी संस्थान इस दिशा में कारगर भूमिका निभा पाते हैं । सड़क सुरक्षा के संदर्भ में पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो द्वारा देश के 20 राज्यों में एक परियोजना का सूत्रपात किया जा रहा है इसमें देश के प्रमुख शहरों को शामिल किया गया है । ''भारतीय सड़क यातायात शिक्षा संस्थान'' द्वारा इसका संचालन किया जा रहा हैं । यातायात पुलिस इन्सपेक्टर मशीनयान में लगे कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा वाहन चालकों की वाहन चलाने सम्बन्धी गड़बड़ियों तथा कमियों का पता लगाकर वाहन संख्या के साथ चालकों का नामांकन किया जा रहा है ।

21.8 भारत में सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन की समस्याएँ, और चुनौतियाँ

विकासशील देशों में भारत तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है तथा इस विकास में सड़क सुरक्षा एवं परिवहन यातायात प्रबन्धन का सर्वाधिक महत्व बढता जा रहा है क्यों कि विकास के पहियें सड़क सुरक्षा यातायात पर निर्भर करते है । सड़क सुरक्षा यातायात का सम्पूर्ण क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । इस क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सकता है । परन्तु क्षेत्र में काफी सुधार करने के बावजूद भी आज भी यह क्षेत्र अनेक समस्याओं और चुनौतियों से परिपर्ण नजर आ रहा है । इस क्षेत्र में लागत एवं पूँजी निवेश, मूल्य नियंत्रण, पर्यटन ताकि औद्योगिकीकरण इत्यादि यह वह मंत्र है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित्त करते हैं । भारत में परिवहन की आधारभूत संरचना कमजोर जैसे कि सड़कों के स्तर में गिरावट, अन्तर्राज्जीय परिवहन, दुर्घटनाओं की अधिक संभावनाएँ, सरकारी स्तर पर भष्ट्राचार इत्यादि ज्वलंत समस्याओं का बढता आलम है। इस क्षेत्र में जहाँ एक ओर बहुत अधिक संभावनाएँ है वहीं दूसरी ओर अत्यधिक जोखिम और दुर्घटनाएँ भी शामिल है । आज सबसे ज्यादा देश-विदेश में जनसंख्या वृद्धि की समस्या ने परिवहन, यातायात और सड़क सुरक्षा प्रशासन के समक्ष

अनेक नयी-नयी समस्याएँ एवं चुनौतियां उत्पन्न की है। भारत में निर्बाध परिवहन व्यवस्था और उसका प्रभावी नियंत्रण तथा सड़क सुरक्षा की समस्या से सम्बन्धित प्रश्न नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण 1981 की जनगणना के बाद तेजी से उभरा है । वर्तमान में मोटर वाहनों की संख्या भी 30 लाख से बढकर 220 लाख तक पहुँच गई है । परिवहन और यातायात विकास अपने आप में पहुँच गई हैं । परिवहन और यातायात विकास अपने आप में विशुद्ध विज्ञान नहीं है क्योंकि इसके विकास के साथ साथ मनुष्य को जहाँ एक ओर अनेक सुविधाएँ प्राप्त हुई है, वहीं दूसरी तरफ इनके समक्ष अनेक समस्याएँ भी उत्पन्न हुई है । देश में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नीति तैयार करने तथा सड़क दुर्घटनाओं की बढती संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से सन् 1986 में भूतल परिवहन मंत्रालय ने एक 'सड़क सुरक्षा एकक की स्थापना की है ।

सड़कों के निर्माण और उनकी गुणवत्ता के सम्बन्ध में राज्य सरकार की भूमिका भी सही नहीं है। सड़क निर्माण कार्य में शिथिलता होने के साथ ही पारदर्शिता का भी अभाव रहता है। राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण तथा कार्यो में गति लाने के लिए राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार को पर्याप्त सहयोग नहीं देती है । राज्य सरकारों द्वारा समय पर जमीन उपलब्ध न कराने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यक्रम प्रभावित्त होने के कारण निंरतर पिछड़ता जा रहा है। जो अपेक्षाए सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन की, की जा रही थी वे पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जिनका रवैया सहयोगात्मक नहीं है। इनकी सुस्ती व शिथिलता सड़क क्रांति में आडे आ रही है । राज्यों द्वारा बरती जाने वाली इस शिथिलता व उदासीनता के पीछे निहित राजनैतिक कारण राज्यों से वांछित सहयोग नहीं मिल रहा है । शासन की बागड़ोर विपक्षी दलों के हाथों में है । राजनैतिक प्रतिबद्वता सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन में भी मुश्किलें पैदा कर रही है। यदि सड़कों का संजाल और सुरक्षा बेहतर होगी तो हमारे कृषि प्रधान देश के किसान लाभान्वित होंगें । अच्छी सड़के करवाकर हम ईधन की बचत कर सकते है । यातायात प्रबन्धन को गतिशील बना सकते है तथा देश में नित्य - प्रतिदिन हो रही बेतहाशा गति से बढ रही सड़क दुर्घटनाओं की संख्या पर भी अंकुश लगा सकते है अत: देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने चहुँमुखी विकास के लिए सड़क क्रांति जरूरी है । वर्तमान में सड़क सुरक्षा एवं परिवहन प्रबन्धन सम्बन्धी समस्याएँ और चुनोतियां निम्नलिखित प्रमुखत: व्यक्त की जा सकती है ।

1. यातायात प्रदूषण के कारण पर्यावरण पर दुष्प्रभाव 2. निर्बाध एवं सुरक्षित परिवहन के प्रबन्ध एवं नियंत्रण का अभाव 3.दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के तुरंत उपचार की समस्या। 4. यातायात सुरक्षा की समस्या। 5. यातायात परिवहन से उत्पन्न शोरशराबे की समस्या। 6. सड़कों पर मिश्रित यातायात की समस्याएँ। 7. सड़क सुविधाओं और सुरक्षा की समस्या। 8. खराब मौसम, एवं आधारभूत परिवहन की समस्या। 9.पर्याप्त प्रबन्धन एवं नियंत्रण की समस्या। 10. परिवर्तित उपायों और सुझावों को समुचित ढंग से लागू करने की

समस्या। 11. वाहन चालकों, राहगीरों, यात्रियों को यातायात व सड़क सुरक्षा की जानकारी का अभाव। 12. वाहन चालकों धैर्य और अनुशासन प्रियता का अभाव। 13. सड़कों पर अवैध अतिक्रमण और छोटे आकार होने की समस्या। 14. यातायात अवहेलकों की बढ़ती संख्या 15. बिना हैलमेट व सीट बैल्ट से बढ़ती दुर्घटनाएँ 16. यातायात एवं सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना की समस्या 17. परिवहन वाहनों द्वारा अधिक बोझ ढोने की समस्या 18. सार्वजनिक मार्गो पर सुचारू संचालन के अभाव की समस्या परिवहन व यातायात कर्मियों में चौथ वसूली व भष्ट्राचार की समस्या दुर्घटनाओं को रोकने में विफलता 19. यातायात व सड़क सुरक्षा के लिए मूलभूत सुविधाओं व तकनीक उपकरणों के अभाव की समस्या 22.सड़क यातायात के निगरानी तंत्र की अनदेखी 23. सड़क परियोजनाओं के लागू नहीं होने की समस्या 24. सलाहकारों, अभियंताओं और ठेकेदारों की गठजोड़ की समस्या 25. परस्पर केन्द्र व राज्य के यातायात एवं परिवहन विभागों में उचित तालमेल की समस्या 26. सड़क कार्यो में शिथिलता 27.प्रतिरक्षा, वन एवं पर्यावरण, विभागों द्वारा अड़चने 28.राजमार्ग की परिसम्पतियों, सम्पदा प्रबन्धन, सुरक्षित संचालन, प्रबन्धन व अनुसरण में सुरक्षा की समस्या 29. केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच सड़क सुरक्षा एवं निर्माण कार्यों में बेहतर तालमेल के अभाव की समस्या 30.वाहनों की संख्या, वृद्वि की समस्या 31. नगरों - महानगरों में यातायात के अवरूद्व की समस्या 32. राष्ट्रीय राजमार्गो व स्थानीय सड़कों पर जाम लगना।

सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन की चुनौतियाँ, और अपेक्षाएँ :

इसी तरह सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन के लिए हमारे सामने अनेक चुनोतियां अपना विकराल रूप धारण कर रही है । इनमें से प्रमुख चुनौतिया, दुश्वारियां और मुश्किलें निम्नलिखित हो सकती है।

1. आधुनिकतम संचार एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी के नित नये बदलावों के कारण अत्याधुनिक साधनों की कमी हो जाती है
2. आतंकवाद, नक्सलवाद के चरम प्रयोगों के कारण परिवहन तंत्र को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
3. पर्यावरण पर यातायात के कई दुष्प्रभावों जैसे
   - (i) सुरक्षा
   - (ii) शोरगुल
   - (iii) जाम व भीड़ भाड़
   - (iv) वायु प्रदूषण तथा
   - (v) सौन्दर्य तथा जानमाल के खतरों भरी चुनौतियां उभर कर आई है।

4. सूचना - प्रौद्योगिकी के उपकरणों, के कारण युद्ध के समय संकेतकों के माध्यम से वाहन को आसानी से ध्वस्त करने की चुनौती उबरकर आई है।

5. विश्व में जनसंख्या प्रस्फोटन के कारण उचित व पर्याप्त सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन के लिए ओवरब्रिजों, अण्डरब्रिजों, फ्लाईओवरों पुलियाओं, एवं यातायात प्रबन्धन के उपकरणों को बम्बों के विस्फोटों की सहायता से उन्हें और ध्वस्त करने की चुनौती बन सकती है।

6. अन्तर्राष्ट्रीय लाइसैन्स बनवाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को दरकिनार करने की संभावनाओंकी चुनौती बन सकती है।

7. हरित प्राधिकरण द्वारा उदघोषित किए गये फैसलों की पालना करवाना भी भावी चुनौती देखी जा सकेगी।

8. वाहन प्रदूषण व अंकेक्षण से निपटने की मुसीबत चुनौती बन सकती है।

9. सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु, गंभीर चोटें तथा सम्पति की अपार हानि होने पर भी पर्याप्त मुआवजा नहीं देना भी चुनौती का विषय हो सकता है।

10. मानकीकृत सॉफ्टवेयर में वाहन और चालन अनुज्ञप्ति व आज्ञा-पत्र में अपनायी गई अभियान पद्धति परियोजना में राज्य और राष्ट्रीय निर्माण करनें में कम्प्यूटर वायरस आने की चुनौती बन सकती है। तथा

11. वाहनों के प्रयोगकर्ताओं, की असावधानी के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बीमाकरण की मान्यताओं तथा वैधानिकता सम्बन्धी चुनौतियाँ अपना विकराल स्वरूप धारण कर सकती है।

21.9 सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन में सहयोगी संस्थाओं की प्रभावी भूमिका

सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन में बहुत तेज गति से लहलहाते हुए असावधानी और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना सबसे बड़ा जीवन की सुरक्षा को खतरा बन जाती है। अधिकतर घातक दुर्घटनाएँ तीव्रतम (दुतगति) से वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं है। वाहनों की गति में तीव्रता लाने की प्रवृत्ति ज्यादातर युवक-युवतियों में अवलोकित की जा सकती है। भारत में गति में तीव्रता के कारण दुर्घटना का जोखिम और दुर्घटना के दौरान चालक की गंभीरता बढा देती है। सड़क सुरक्षा और परिवहन की समस्याओं के समाधान के लिए हमें सावधानी और सतर्कता रखकर सड़क सुरक्षा के बारे में चालकों, पदयात्रियों, सवारियों, वाहनों, सड़क और मौसम की स्थितियों व यातायात- शिक्षा देकर जागरूक करने की आवश्यकता होगी। हमारे देश के परिवहन यातायात तथा सड़क सुरक्षा सम्बन्धी बनाये गये कानूनों को यातायात पुलिस, यातायात विभाग, राज्य परिवहन व निगमों, निजी तथा सरकारी माल वाहन कम्पनियों, लागोस्टिक निगमों, रेल एवं भूतल परिवहन मंत्रालय,

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद, सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन प्राधिकारियों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरित न्यायाधिकरणों गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात सम्बन्धी सरकारी एवं गैर सरकारी अभिकरणों के बीच में परस्पर सौहार्द्र का माहौल बनाकर सामजस्य/तालमेल बैठाने की महति आवश्यकता है। यातायात विभाग, पथ परिहन निगम, यातायात पुलिस विभाग, रेल्वे सुरक्षा बल, वायु-जल-थल यातायात के साधनों के बीच में भी तालमेल कायम करने की आवश्यकता को ठीक समझ सकते है।

पुलिस विभाग (यातायात प्रकोष्ठ)**:** देश की आंतरिक सुरक्षा: व्यवस्था की पहली जिम्मेदारी पुलिस बल भी होती है। इसमें सड़क सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग पुलिस प्रकोष्ठ की भूमिका सराहनीय कही जा सकती है। भारत की प्रति एक लाख की आबादी पर औसतन 126 पुलिसकर्मी कार्यरत है। जबकि कुवैत में सर्वाधिक। 116 पुलिसकर्मी सुरक्षा एवं संरक्षा एवं लोक व्यवस्था के लिए तैनात किए जाते है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस के निम्न कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का वर्णन किया है। (1) अपराध की जांच और विश्लेषण (2) अपराध निवारण (3) पेट्रोलिंग व गश्त व्यवस्था (4) अपराधों के नियत्रंण (5) अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा 6. समाज में सुरक्षा की भावनाओं को बढ़ाना (7) यातायात व्यवस्था तथा लोगों को इसके प्रति जागरूक करना (8) लड़ाई-झगड़ों को परस्पर परामर्श व बातचीत से समाप्त करना तथा सद्भावना पूर्ण स्थितियों के निर्माण में सहयोग करना (9) संकट की स्थिति में लोगों को सहयोग तथा सेवाएं उपलब्ध करना (10) सामाजिक, आर्थिक तथा राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को प्रभावित्त करने वाले अपराधों के सम्बन्ध में राय एकत्रित कर सम्बन्धित अधिकारी तक पहुँचाने आदि के कार्य व उतरदायित्व बताए गये है। पुलिस प्रशासन है या नहीं इसकी पहचान करने के लिए पुलिस प्रशासन की निम्न विशेषताएँ बताई गई है- 1. पुलिस का कार्य राज्य के कानून को लागू करवाना है। 2. कानून व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय को सुनिश्चित करवाना पुलिस का दायित्व होता है। 3. न्यायिक तंत्र की कुशलता पुलिस प्रशासन पर निर्भर करती है। 4. भारतीय पुलिस आमजन के प्रति विश्वास और अपराधियों में भय उत्पन्न करती है। 5. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित बातों का लागू कराने पुलिस तंत्र पुरी तरह सफल नहीं रहा है। 6. देश के आम आदमी में पुलिस के प्रति एक अविश्वास का भाव व्याप्त है। 7. पुलिस प्रशासन के सम्मुख निंरतर मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरूद्ध मांगे उठ रही है। भारत में अब एक नवीन और जनतांत्रिक पुलिस व्यवस्था की जरूरत है। इस विभाग के सड़क एवं यातायात प्रकोष्ठ में उच्च शिक्षा प्राप्त अच्छी समझ वाले कर्मियों की भर्ती में नियुक्त किये जानी चाहिए। इसी तरह प्रत्येक राज्य पथ परिवहन निगमों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद, रेल्वे यातायात विभाग, गैर सरकारी संगठनों तथा पुलिस, मीडिया और न्यायपालिका की पुलिस सुधार, सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन अनुरक्षण एवं नियंत्रण लाने हेतु प्रभावी भूमिका रही है। इसी तरह राज्य पथ परिवहन निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण रेल यातायात प्रकोष्ठ, सीमा सड़क विकास बोर्ड, गैर- सरकारी संगठनों,

पुलिस विभाग, मीडिया व न्यायपालिका का सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन में सक्रिय सहयोग रहता है।

21.10 सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन में सुधार

सरकार द्वारा पहलें देश के प्रत्येक नागरिक को सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन सम्बन्धी नियमों को भली प्रकार समझ कर जान लेना चाहिए। फिर इनकी पालना पूर्णरूप से की जानी चाहिए। किसी भी लोकस्थल पर मोटर यान चलाने के लिए ड्राईविंग लाइसैन्स (चालन अनुज्ञप्ति) अतिआवश्यक और अनिवार्य दस्तावेज है। यह लाइसैन्स स्थानीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। स्मार्ट कार्ड के रूप में चालक लाइसैन्स 6 माह तक लिए मान्य होता है। स्थायी लाइसैंस अंतिम दस्तावेज जो आपको ड्राइविंग के लिए प्राधिकृत करता है। प्रशिक्षु लाइसैन्स जारी होने की तारीख से एक महीना पूरा होने पर स्थाई लाइसैंस हेतु आवेदन किया जा सकता है।

21.10.1 प्रशिक्षु लाइसैंस हेतु आवेदन हासिल करना:

ड्राइविंग लाइसैंस के आवेदक की उम्र आवेदन के दिवस को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। वाणिज्यिक वाहनों के लिए आवेदक की उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए। 50 सी.सी तक के इंजन क्षमता वाले वाहनों के लिए आवेदक की उम्र उसी तरह 16 वर्ष की होनी चाहिए। प्रशिक्षु लाइसैन्स बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है। 1. आवेदन फार्म (स्थानीय परिवहन प्राधिकरण में उपलब्ध)2. निवास प्रमाण-पत्र 3. आयु प्रमाण-पत्र 4. आवेदक करके नवीनतम 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 5. एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 6. वाणिज्यिक लाइसैंस के मामले में फार्म संख्या -5 7. वाहन की श्रेणी, जिसके लिए आवेदक लाइसैंस चाहता है। दस्तावेजों की जांच करने के बाद आवेदक की वर्णान्धकता की जांच की जाती है। इसके बाद बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ 20 मिनट का एक टेस्ट आयोजित किया जाता है। इस जांच में उतीर्ण होने पर प्रशिक्षु लाइसैंसे जारी कर दिया जाता है।

21.10.2 स्थायी लाइसैन्स प्राप्त करना: स्थायी लाइसैंस पाने के लिए 1. आवेदक के पास एक वैध प्रशिक्षु लाइसैंस होना चाहिए। 2.प्रशिक्षु लाइसैंस जारी होने की तारीख से 30 दिन के बाद और 180 दिनों के भीतर स्थायी लाइसैंस के लिए आवेदन किया जाना चाहिए। 3. आवेदक को ड्राइविंग यातायात के नियमों, विनियम और वाहन प्रणाली के बारे में अवगत होना चाहिए। स्थाई अनुज्ञाप्ति हासिल करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजात की जरूरत वांछनीय होती है। 1. वैद्य मूलप्रशिक्षु लाइसैंस 2. फार्म संख्या-4 में आवेदन 3. अपेक्षित फीस 4. उम्र व निवास प्रमाण-पत्र 5. एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 6. वाणिज्यिक लाईसैंस के मामले में फार्म संख्या-5 7. वाहन की श्रेणी, जिसके लिए आवेदक लाइसैंस चाहता है।।

दस्तावेजों की जांच करने के बाद में यातायात नियमों की जानकारी को लेकर आवेदन की परीक्षा ली जाती है। यदि आवदेक ड्राइविंग परीक्षा पास कर लेता है तो उसे स्थायी लाइसैंस दिया जाता है। यदि आवेदक असफल रहता है तो वह 7 दिवस बाद ड्राईविंग टेस्ट में पुन: भाग ले सकता है।

21.10.3 सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा सुधार करने वाले भारत सरकार के कदम:

1- यह सुनिश्चित किय गया है कि नियोजन स्तर पर ही सड़क सुरक्षा को सड़क अभिकल्प के अभिन्न अंग के रूप में लिया जाए।
2- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाये है जैसे सड़क फर्नीचर सड़क मार्किंग, सड़क चिह्न, उन्नत परिवहन प्रणाली आरंभ करना निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदारों में अनुशासन बनाये रखना चुनिंदा क्षेत्रों पर सड़क सुरक्षा अंकेक्षण आदि।
3- असंगठित क्षेत्रों में भारी मोटर वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
4- राज्यों में ड्राइविंग प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना करना।
5- दृश्य तथा प्रिंट माध्यमों के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता पर प्रचार करना।
6- सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की प्रणाली आरंभ करना।
7- वाहनों में सुरक्षा मानकों को अधिक कड़े बनाना जैसे सीट, बैल्ट, पावर स्टेयरिंग, रियर व्यू मिरर, हैलमेट का प्रयोग करवाना।
8- सड़क सुरक्षा को सामाजिक अभियान बनाने हेतु युवाओं में जागरूकता का प्रचार करना।
9- राष्ट्रीय राजमार्गो को 2 लेन से 4 लेन का तथा 4 लेन को 6 लेन का करके चौड़ा करना व सुद्रढ़ बनाना।
10-राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को क्रेने तथा एम्बूलेंस उपलब्ध करवाना।
11-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी अपने प्रचलन पर पूरे किए गये प्रत्येक खण्ड के लिए 50 कि.मी. की दूरी पर एम्बुलैंस उपलब्ध करवा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्घटना चौकसी के लिए पेट्रोलिंग सुरक्षा दल वाहन में उपलब्ध करवाए गये है।

21.10.5 -सड़क सुरक्षा हेतु छोटे स्तर पर की गई भारत सरकार की पहल: भारत सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु निम्नलिखित पहले शुरू की गई है: (1) ब्लैक स्पॉटों की पहचान करना तथा उनका उपचार करना (2) राज्य सड़क सुरक्षा परिषदों तथा जिला समितियों की स्थापना करना (3) क्षमता से अधिक भार लादने तथा शराब पीकर वाहन

चलाने के विरूद्ध कार्यवाही करना राष्ट्रीय राजमार्गो पर शराब की दुकानों को हटाना (4) चौपहिया वाहनों में सीटबैल्ट के प्रयोग तथा दुपहिया वाहनों के चालकों द्वारा आई.एस.आई मार्ग के हेलमेटों के प्रयोग के नियम को कड़ाई से लागू करना (5) एम्बूलेंस सहित एक समर्पित सामान्य टेलिफोन नंबर वाले 24×7 के कॉल सेंटरों की सहायता से आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं विकसित करना। इस समय टोल फ्री नंबर 102, 108 तथा 1073 के माध्यम से उपलब्ध एम्बूलैंस सेंवा सुविधा को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवा तथा राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना के अन्तर्गत मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही एम्बूलैंस सेवा के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव है। यह नेटवर्क राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक 50 कि.मी पर आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से 8-10 मिनट में प्राथमिक दुर्घटना प्रतिक्रिया उपलब्घ कराएगी। (6) राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा निधि की स्थापना और सड़क नियमों के उल्लंघन पर एकत्र दण्डराशि की 50 प्रतिशत राशि को इस निधि में डाला जाएगा। (7) सड़क सुरक्षा की जांच हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करना (8) वाणिज्यिक वाहनों के लिए स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण की व्यवस्था करना (9) पैतृत्व सम्पत्ति सम्बन्धी आंकड़ों को अपलोड़ करने तथा बार-बार होने वाले सड़क उल्लंघनों को रिकार्ड करने जारली ड्राइविंग लाइसैंसों का पता लगाने के लिए साफ्टवेयर में सुधार करने सहित सभी स्थानीय परिवहन प्राधिकारियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए वाहन तथा सारथ्ज्ञी साफ्टवेयर में सुधार लाने के प्रयास शामिल है।

21.11 सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन में बेहतरी करण के लिए अपेक्षित सावधानियां एवं सुझाव

यह बात सही है कि सावधान हटी और दुर्घटना घटी ''वाहन दुर्घटनाओं के लिए सत्य प्रतीत हो रही हैं। सड़क का कोई भी प्रयोगकर्ता यह नहीं चाहता कि उसके साथ कभी कोई संड़क दुर्घटना हो फिर भी कई बार दुर्घटनाएँ हो जाती है। सभी को पीछे छोड़ देना एक मानव प्रवृत्ति है किन्तु अधिकतर घातक दुर्घटनाएँ बहुत तेज गति के कारण वाहन चलाने से होती है। नशे में गाड़ी चलाने से भी दुर्घटनाएँ बहुत तेज गति के कारण होती है। नशे में गाड़ी चलाना, ड्राइवर का ध्यान बंटा देना, लालबती को लाघंना, सीट बैल्ट व हैलमेट का प्रयोग न करना, लेन ड्राविंग नियमों की पालना नहीं करना। सड़क दुर्घटना होने के सामान्य कारण है। सड़क दुर्घटनाएँ, ज्यादातार ड्राइवर की गलतीसे होती है और राहगीरों, साइकिल-मोटर साईकिल चालकों, यात्रियों, सड़क व मोटर वाहन की खराब स्थिति तथा मौसम सम्बन्धी परिस्थितियों के कारण सड़क दुर्घटनाएँ होती है। सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन में सावधानियां बरतने के फलस्वरूप दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। अत: निम्नलिखित सावधानियाँ सड़क दुर्घटनाओं के रोकने के लिए की जानी चाहिए। (1) जनता में सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षा एवं जागरूकता लाने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए (2) देश में बनाये

गये मोटरवाहन एवं यातायात कानूनों की पालना सख्ती से करवाई जाए। (3) देश में उचित वाहन सुरक्षा के लिए अभियांत्रिकीय संरचना में वाहन की डिजाइन और सड़क के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन लाकर तकनीकी सुधार किया जाए। (4) हमारे नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित की जाए (5) सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने की समुचित व्यवस्था की जाए। (6) देश के राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्यादा से ज्यादा ट्रामा अस्पतालों, एम्बूलेसों तथा पेट्रोलिंग वाहन दलों को स्थापित किया जाए। (7) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर निर्णित फैसलों में वर्णित किए गये दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन हेतु उपयोगी सुझाव निम्नलिखित हो सकते हैं-

(अ.) पदयात्रियों के लिए सुझाव **:** पदयात्री यातायात के सबसे महत्वपूर्ण अंग है लेकिन सड़क पर उनके लिए अधिक जोखिम होता है। पदयात्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 1. सड़क की संरचनात्मक ढांचागत सुविधाओं का पूरा उपयोग करें 2. सड़क पार करने के लिए तलमार्ग (सबवे) जेबरा क्रासिंग, फुअओवर ब्रिज का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। 3. हमेशा राहगीरों को सड़क के बायीं तरफ चलना चाहिए। 4. सड़क को पार जेबरा क्रासिंग से ही करना चाहिए 5. ध्यानपूर्वक चले तथा सामने से आ रहे यातायात को देखें 6. जब आप सड़क पार कर रहे हो तो कभी यह मानकर नहीं चले कि ड्राइवर ने आपको देख लिया है अपने जीवन की रक्षा आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जहां ड्राइवर नहीं देख पाए वहां सड़क पार करने से बचे 7. सड़क पार करने से पहले यातायात और आपके बीच उपयुक्त फासला होने का इंतजार करें 8. डिवाइडर रेलिंग्स के उपर से कभी न कूदें। बच्चों के साथ सड़क पार करते समय उनका हाथ थामकर रखें। 9. पार्क/खड़ी की गई कारों के बीच रास्ता पार न करें।

(ब.) बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा के सुझाव**:** सड़क पर उत्पन्न के खतरों से बच्चे ज्यादा प्रभावित्त होते है। बच्चों की लापरवाही के कारण भी सड़क दुर्घटना हो सकती है। 1. अपने बच्चों को फुटपाथ पर चलना सिखाएं। 2. अपने बच्चे पर अत्यधिक भरोसा न करें। सड़क पार करने से पूर्व बच्चों को रूकने देखने सुनने और सोचने-समझने के बाद ही सड़क पार करें। 3. सड़क पार करने से पूर्व फुटपाथ के किनारे से एक कदम पीछे ही रूकें रहें 4. आते-जाते यातायात की निगाह रखने के लिए सभी दिशाओं की ओर देखें। अपने बच्चों को भी सड़क पार करते समय सभी दिशाओं में दिखने के लिए प्रोत्साहित करें न कि केवल बांये और दायें आने-जाने वाले वाहनों की ध्वनि को सुनें तथा सड़क पार करते समय चेहरा आने वाले वाहन की और ही रखें।

(स.) सुरक्षित साईकिल चलाने के बारे में चालकों को सुझाव**:** साईकिल सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला गैर-मोटरीकृत वाहन होता है। साईकिल चलाने वाले व्यक्ति को यातायात के नियमों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। सड़क पर चोट ग्रस्त सवारों में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे 40 प्रतिशत शिकार होते है। (1) सड़क पर साईकिल चलाना कभी नहीं सीखना चाहिए किसी पार्क या खेल के मैदान में साईकिल

चलाना सीखें (2) साईकिल को सुचारू स्थिति में रखें। उसे चलाने से पूर्व ब्रेक, टायर, हवा, घंटी, लाईट और चैन की जांच कर लीजिए। (3) यातायात नियमों का पालन करें। मुड़ते समय यातायात पर नजर डालें और हाथ से संकेत दें। (4) साईकिल पर क्षमता से अधिक भार न लादें। (5) सड़क के बायीं ओर ही हमेशा साईकिल चलाएं एवं स्वयं चले (6) ओवरट्रेकिंग से बचिए यदि सड़क संकरी है तो एक कतार में रहें। (7) सड़क पर कलाबाजी न करें तथा हैडिंल के दोनो डंडों पर अपने हाथ रखें। सड़क पर हमेशा चौकस रहकर ही साईकिल मार्ग पर चलें रात को चटकीले रंग के कपड़े और चमकती लाइट रखें। (8) स्कूल के बच्चे अपनी बस में चढ.ते समय जल्दबाजी न करें, बस के रूकने का इंतजार करें। एक कतार में रहकर बस में प्रवेश करें। रेलिंग पकड़कर चढ़े और उतरे। सीधे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं। अपने शरीर का कोई भाग बाहर निकालें, सीट पर समुचित ढंग से बैठकर चेहरा सामने रखें। पायदान पर यात्रा न करें। शोरगुल न करें। ड्राइवर का ध्यान नहीं बंटाएँ। ड्राइवर व कण्डक्टर के निर्देशों का पालन करें। बस के अगले दरवाजे से ही बाहर निकले। बस के पीछे न चले जहां ड्राइवर न देख सके।

(द.) वाहन पार्किंग के लिए सड़क सुरक्षा सुझाव**:** सड़क वाहन को समुचित जगह पर खड़ा (पार्किंग) करना। ड्राइविंग शिष्टाचार का अभिन्न अंग है। पार्किंग के दौरान निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। (1) सदैव प्राधिकृत पार्किंग में ही अपना वाहन खड़ा करें। (2) पार्किंग के लिए पार्किंग सहायक की मदद ले सकते है। पार्किंग के दौरान सदैव इंडीकेटर का प्रयोग करें। सामनांतर पार्किंग का प्रयोग करें। पार्क करने के पश्चात अपने वाहन का दरवाजा खोलते समय यह सुनिश्चित कर ले कि वह दूसरे वाहने से न टकराएं। पार्किंग में सदैव कार के हैडब्रेक को लगाकर रखें। पाकिंर्ग सहायक से पार्किंग की रसीद लेना न भूलें। सड़क पर दिए गये चिन्हित् बोर्डो में लिखे निर्देशों का पालन करें। पार्किंग में खड़े वाहन के अंदर मूल्यवान वस्तुएं न छोडे। पार्किंग में खड़े वाहन में बच्चों को छोड़कर तथा वाहन को लॉक करके जाएं। रात्रि के समय वाहन पार्क करते समय पार्किंग लाइट जलाकर रखें। पार्किंग के लिए झगड़े से बचें। अपने मोटरवाहन का रख रखाव/अनुरक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। सभी कल-पूर्जो की देख-रेख रखना जरूरी होता है। बैटरी, तेल, विपुतीय प्रणाली तथा टायरों की जांच करना जरूरी है। वाहन के ईधन, बे्रकों, उत्सर्जन प्रणाली की जांच करवा लेनी चाहिए। विशेष परिस्थितियां जैसे-कोहरा, पहाड़ और रात वर्षा में ड्राइविंग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। कोहरों में हैडलाइट जलाकर, धीमी गति से गाड़ी चलाएं। फॉग लैम्प व पार्किंग लाईटें जलाकर चलें। वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाकर रखिए। मोड़, घुमाव, पुल आदि पर ओवरटेक न करें। मोड़ पर हमेशा हार्न बजाइयें। वाहन के टायर व ब्रेक की जांच करके ही पहाड़ पर यात्रा शुरू करें वर्षा में विड स्क्रीन वाइपरों तथा डैमिस्टरों निंरतर प्रयोग करते रहे। सड़क पर दोहरी सफेद/पीली रेखा, स्टॉप लाइन, चौड़ी या छोर, पार्किंग प्रतिबंधित रेखाओं तथा पैदल-पथ, क्रासिंग रेखाओं की पालना करना चाहिए। कई बार सड़क पर झगड़े ट्रेफिक जाम, भीड़भाड़, खराब मौसम व सड़के, मानसिक स्थिति

एवं शराब पीने के कारण होते है। अत: इनसे हमेशा बचना चाहिए। सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन के इन बहुमूल्य सुझावों की पालना प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ताकि सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षित बचा जा सकें।

21.12 सारांश

देश में तेजी से बढ़ रही मोटरवाहनों की संख्या को देखते हुए सड़क सुरक्षा तीव्र चिंता का विषय बन गया है। इसमें यातायात पुलिस प्रबन्धन सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। वाहनों को सुव्यवस्थित रूप से संचालित कर यातायात नियमों की जानकारी देना, वाहन जाम को खुलवाना मोटरयान कानून व नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन-चालकों के खिलाफ चालान पेश करना, यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित करना, विद्यार्थियों को यातायात परिवहन नीति और नियमों की जानकारी देना इत्यादि यातायात पुलिस प्रकोष्ठ के कार्य होते है। सड़क क्रांति या राष्ट्रीय राजमार्ग क्रांति की सार्थकता तभी है। जब सड़क पर चल रहे वाहनों के लिए यातायात प्रबन्धन का सुव्यवस्थित इंतजाम किया जाए। सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबन्धन के सम्बन्ध में हमें तेजी से कदम उठाने होगें। सड़क सुरक्षा को निश्चित करने के लिए सड़क चिह्न व संरचनात्मक ढांचागत सुधार करना जरूरी होता है। सड़क चिह्न राजमार्गो, सड़कों या अन्य स्थानों पर पाये है, जो वाहनों, साईकिलों, मोटरसाइकिलों, कारों, बसों, ट्रकों, पैदलयात्रियों या अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं का मार्ग प्रदर्शन करते है एवं यातायात को नियत्रित करते हैं। सभी सड़क प्रयोग कर्ताओं को इन सड़क चिन्हों व अंकनों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। सड़क पर दोनो ओर विभिन्न प्रकार के चिह्न देख जा सकते है। वे सड़क व्यवस्था व परिस्थिति की हमें अग्रिम जानकारी देते है जोकि वर्तमान 99 के करीब सड़क चिह्न हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क सुरक्षा के लिए नीतियां तैयार की है। जो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक सिद्व होगी। यह मत्रांलय राज्यों के परिवहन और यातायात विभागों के साथ मिलकर योजनाएं लागू करवाता है। ये योजनाएँ राज्य परिवहन विभाग के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, असंगठित क्षेत्रों में भारी वाणिज्यिक वाहनों के चालकों के लिए पुन:श्चर्या प्रशिक्षण, सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रचार तथा जागरूकता अभियान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सड़क सुरक्षा प्रदूषण जांच उपकरण उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना, सड़क परिवहन के क्षेत्र में राष्ट्रीय डाटा बेस/कम्प्यूटरीकृत, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना। निरीक्षण व प्रभाव केन्द्रों तथा मॉडल ड्राईविंग प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना तथा अन्तर्राष्ट्रीय चालक अनुज्ञप्तियां बनाना इत्यादि प्रमुख कार्य इस परिवहन मंत्रालय द्वारा सम्पन्न किये जा रहे हैं। इस इकाई में हमने सड़क सुरक्षा यातायात व प्रबन्धन की अवधारणा, परिवहन नीति के विकास एवं ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, सड़क सुरक्षा नीति, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा कर चुके है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़क क्रांति की प्रगति की वास्तविक स्थिति एवं चरणों, सड़क दुर्घटना उत्पन्न होने वाले कारणों, सड़क सुरक्षा

यातायात प्रबन्धन की समस्याओं एंव चुनौतियों के बारे में बता चुके है। सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन के लिए पुलिस, मीडिया तथा न्यायपालिका के कायाकल्प भूमिका और अंत में सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन में बरती जाने वाली अपेक्षित सावधानियों और सुझावों की व्याख्या कर चुके हैं। मोटरयान अधिनियम, 1988, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता तथा राज्यों में इत्यादि प्रचलित मोटरयान, नियमावली सभी यातायात प्रबन्धन एवं सड़क सुरक्षा के ही भाग हैं।

21.13 शब्दावली

1- सड़क सुरक्षा से अभिप्रेत सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के सुरक्षा और बचाव करने से है।
2- यातायात प्रबन्ध से अभिप्रेत सड़क पर चल रहे वाहनों की सुव्यवस्था एवं नियत्रंण हेतु किए गये प्रबन्ध से है।
3- राष्ट्रीय राजमार्ग से तात्पर्य राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम वर्णित राजमार्गों के निर्माण से है।
4- दुर्घटना से अभिप्रेत सड़क पर चल रहे वाहनों से परस्पर भीड़त या टक्कर के कारण होने वाली मौतों या चोटों से है।
5- व्यवहारी से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जो मोटरयानों के विनिर्माण, बॉड़ियों के निर्माण व मरम्मत के कार्यों में लगा हो।
6- चालक के अन्तर्गत वह व्यक्ति है जो चलाये जाने वाले यान के रिटायर मैन के रूप में कार्य करता है।
7- चालक अनुज्ञप्ति से अभिप्रेत है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मोटरयान चलाने के लिए प्राधिकरण पत्र से है।
8- भारी माल यान से आशय वाहन का लदान सहित 12.000 किलोग्राम से अधिक है।
9- शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति से तात्पर्य वाहन चलाने के लिए स्थायी लाइसैंस से पहले परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन-प्राधिकार पत्र से है।
10- हल्का मोटर से तात्पर्य जिस वाहन का लदान सहित 6,000 किलोग्राम से ज्यादा वनज नहीं हो से है।
11- परमिट से आशय जो राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा मोटरयान का परिवहन यान के रूप में उपयोग करने के लिए प्राधिकृत अनुमति पत्र से है।
12- यातायात संकेत के अन्तर्गत सभी संकेत, चेतावनी संकेत, स्तंभ दिशा सूचक स्तंक, सड़कों पर पार्किंग, चिन्हों से जो मोटर ड्राइवरों को जानकारी, मार्गदर्शन था निर्देशित करते है।

13- परिवहन यान से कोई सार्वजनिक सेवायान, शिक्षा संस्था बस या निजी सेवा यान से अभिप्रेत है।

14- पर्यटनयान से ऐसा ठेका गाड़ी अभिप्रेत है जो उन विनिदेशों के अनुरूप निर्मित, अनुकुलित, सज्जित की गई है।

15- वजन से यान के पट्टियों द्वारा उस भूतल पर वह यान टिका हुआ है, उस समय संचारित किया जाने वाला हुल वनज से अभिप्रेत है।

16- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद से तात्पर्य से परिवहन और सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित परिषद से है।।

21.14 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन की अवधारणा से आप क्या समझते है ?

2. परिवहन नीति से आप क्या समझते है? परिवहन नीति के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताइए।

3. सड़क-सुरक्षा यातायात प्रबन्धन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपरिमित योगदान की चर्चा कीजिए।

4. सड़क सुरक्षा नीति से क्या तात्पर्य है? हमारे देश और राजस्थान प्रदेश के लिए बनाई गई नीति को स्पष्ट कीजिए।

5. भारत में राजमार्ग या सड़क क्रांति से आप क्या समझते है।? सड़क क्रांति के विकास की वास्तविक स्थिति और सड़क प्रगति-चरणों पर प्रकाश डालिए।

6. भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद और राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना के गठन और कार्य और शक्तियों के बारे में समझाइए।

7. भारत में सड़क सुरक्षा की रफ्तार अभी धीमी है। सड़क दुर्घटनाओं के उत्पन्न होने वाले कारणों की स्पष्ट विवेचना कीजिए।

8. भारत में सड़क सुरक्षा यातायात सुरक्षा पर गठित एस. सुन्दर समिति पर प्रकाश डालिए। इसने अपने प्रतिवेदन में वर्ष 2007 में क्या-क्या सिफारिशें की थी बताइयें।

9. भारत में सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्ध में सहयोगी संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए।

10. भारत में सड़क सुरक्षा यातायात प्रबन्धन सम्बन्धी व्याप्त समस्याओं और चुनौतियों को उजागर कीजिए।

11. भारत में सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्ध सम्बन्धी बरती जाने वाली अपेक्षित सावधानियों और सुझावों की स्पष्ट विवेचना कीजिए।

12. निम्नलिखित के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

(1) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी (2) मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण (3) ट्रोमा अस्पताल योजना (4) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (5) सड़क-सुरक्षा दिवस/वर्ष/दशक (6) अन्तर्राष्ट्रीय चालक अनुज्ञप्ति

21.15 संदर्भ ग्रंथ

1- परिवहन नीति एंव प्रशासन डॉ. पूनम तिवारी 2010 प्रथम, संस्करण, गौतम बुक कम्पनी जी-4 महालक्ष्मी कॉपलेक्स, 26015 राजा पार्क, जयपुर महानगर 302004 राजस्थान

2- ट्रेरफिक मैनेजमेन्ट-पी.एस.बावा

3- ट्रेरफिक एडमिनिस्ट्रेशन-डॉ. अजय सिंह राठौड़

4- राजस्थान वाहन अधिनियम-चैतन्य प्रकाश पंचौली

5- यातायात गाईड, राजस्थान-गणेश सिंह

6- चिह्न भाषा 2013 तृतीय संस्करण, सड़क सुरक्षा केतावली और चिह्न पर पुस्तिका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली

7- वार्षिक प्रतिवेदन 2007-08 परिवहन विभाग राजस्थान जयपुर

8- वार्षिक प्रतिवेदन 2012-13 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, दिल्ली

9- ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एण्ड पॉलिसी इन इंडिया-एम.क्यू.दलवी

10- रोड़ सेफ्टी इन इंडिया इश्यूज एण्ड कनसर्न, ट्रान्सपोर्टेशन रिसर्ज एण्ड इंजरी प्रिवेंशन-प्रोग्राम-डी.मोहन एवं जी. तिवाड़ी।

11- रोड़, डिजाइन्स फॉर इम्पूविंग ट्रेफिंक फॉलोए बाइसिकल मास्टर प्लान फॉर दिल्ली जी. तिवाड़ी।

12- वार्षिक प्रतिवेदन 2012-13 पर्यावरण एवं वन मत्रांलय, भारत सरकार दिल्ली

13- मोटरयान अधिनियम, 1988

14- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम

15- सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950

इकाई – 22

रासायनिक, जीव वैज्ञानिक, रेडियोलोजीकल तथा नाभिकीय अस्त्र

इकाई की रूपरेखा

22.0 उद्देश्य

22.1 प्रस्तावना

22.2 सी.बी.आर.एन. उपकरण

- 22.2.1 रासायनिक अभिकर्मक
- 22.2.2 साइनाइड्स
- 22.2.3 मस्टर्ड गेस
- 22.2.4 तंत्रिका अभिकर्मक
- 22.2.5 विषैले औद्योगिक रसायन

22.3 जीव वैज्ञानिक अभिकर्मक

- 22.3.1 एन्थ्रेक्स
- 22.3.2. बोटुलीनम टाक्सिन
- 22.3.3 राइसिन

22.4 रेडियोलोजीकल तथा नाभिकीय उपकरण

- 22.4.1 रेडियोलोजीकल डिसपर्सल उपकरण (RDD)
- 22.4.2 आशुरचित नाभिकीय उपकरण (IND)
- 22.4.3 नाभिकीय विस्फोट

22.5 सारांश

22.6 अभ्यास प्रश्न

22.7 सन्दर्भ ग्रंथ

22.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई को पढ़ने के बाद छात्र

- सी.बी.आर.एन. के बारे में जान सकेंगे।

- सामूहिक विध्वंस के हथियारों तथा आतंकवाद की आशंका के बारे में जान सकेंगे।
- अस्त्रों को रासायनिक, जीव वैज्ञानिक, रेडियोलोजिकल तथा नाभिकीय आदि संवर्गो में विभेदित कर सकेंगे।
- इन अभिकर्मकों तथा उनके पश्च प्रभावों की विशेषताओं पर चर्चा कर सकेंगे।
- इन अस्त्रों से सुरक्षा की तकनीक जान सकेंगे।

14.1 प्रस्तावना (Introduction)

आज रासायनिक, जीव वैज्ञानिक, रेडियोलोजिकल व नाभिकीय आतंकवाद विश्व में सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरकर सामने आया है। 11 सितम्बर 2001 तक यह व्यापक रूप से मान लिया गया था कि आतंकवादी अधिक से अधिक संख्या में दुर्घटनाएँ करने हेतु प्रतिबद्ध है और इसके लिए CBRN अस्त्र उनके लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करते हैं। अत: यह माना जाता था कि आतंकवादियों तक सामूहिक विध्वंस के अस्त्रों (WMD) की पहुँच को रोका जाना चाहिए।

CBRN आतंकवाद का ताजा साहित्य इस बात पर ध्यान केन्द्रित करता है कि यदि आतंकवादियों को ये अस्त्र मिल जाते हैं, तो वे उनका उपयोग करने में संकोच नहीं करेंगे। ज्यादातर बौद्धिक चर्चाओं में यह सार निकल कर आया कि आतंकवादी इन हथियारों को स्वयं बना सकते हैं, चुरा सकते हैं अथवा खरीद सकते हैं। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि इसके लिए आवश्यक सामान गलत हाथों तक नहीं पहुंचे। कमीशन ऑन प्रीवेन्शन ऑफ वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, टेरेरिज्म एण्ड प्रोलीफरेशन के अनुसार आतंकवादियों द्वारा सामूहिक विध्वंस के अस्त्रों के उपयोग से खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। जब तक विश्व समुदाय निर्णायक रूप से प्राथमिकता देते हुए इस दिशा में प्रयास नहीं करेगा अर्थात आतंकवादियों को सामूहिक विध्वंस के अस्त्र देना बन्द नहीं करेगा- आतंकवाद से नहीं निबटा जा सकता है। आज आतंककारी तैयार ही नहीं वरन CBRN के उपयोग करने के लिए दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं,-इस तथ्य के पीछे छुपे तर्क का विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

अलकायदा और उससे जुड़े अन्य उग्रवादी समूहों के पास व्यापक संख्या में गतिशील माध्यम तथा उपलब्धि के साधन है, जिनके कारण वे CBRN द्वारा आक्रमण के लिए नि निश्चत रहते हैं। अलकायदा का उद्देश्य CBRN का उपयोग सामूहिक दुघटनाओं में करने का है, तथापि इससे सम्बद्ध छोटे-छोटे समूह इन्हें अपरिष्कृत तेल, रासायनिक विषैले एवं रेडियोलोजिकल पदार्थ उपलब्ध कराते है। किसी भी अलकायदा का आक्रमण तथा दुर्घटनाओं की सफलता तकनीकी विशेषता सहित कई घटकों पर निर्भर करती है। लेकिन सम्पूर्ण दृश्य काफी पीड़ादायक एवं विघटनकारी होता है।

- मुजाहिद्दीन के कुछ समूहों ने अलकायदा के साथ मिलकर यूरोप में 'पाइजन प्लाट' आक्रमण करने का प्रयास किया। इसके अन्तर्गत उन्होंने रसायनों और विषैले पदार्थों द्वारा हत्या तथा छोटी-छोटी दुर्घटनाओं को अंजाम दिया। यदि इन अभिकर्मकों का काफी मात्रा में एक साथ एक ही समय में आक्रमण हेतु उपयोग किया जाय तो ये सैकड़ों की संख्या में दुर्घटनाएं एवं व्यापक संत्रास पैदा कर सकते हैं।
- अलकायदा का रूझान रेडियोलोजीकल डिसपर्सल डिवाइस (RDD) (जिसे 'गन्दा बम' भी कहते है) में है। RDD का निर्माण इसकी क्षमता में है क्योंकि रेडियोलोजिकल पदार्थ औद्योगिक अथवा चिकित्सकीय स्त्रोतो से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। ओसामा बिन लादेन के कार्यकर्ता संयुक्त राज्य के नाभिकीय तथा औद्योगिक संरचना के विरोध में पम्परागत आक्रमण का प्रयास विध्वंस, संदूषण तथा आतंक फैलाने के उद्देश्य से कर सकते हैं।
- अफगानिस्तान में अलकायदा सहायता से प्राप्त एक दस्तावेज में एक अपरिष्कृत नाभिकीय उपकरण का चित्र प्राप्त हुआ है।
- छिड़काव-उपकरण वाले युद्ध के जीव वैज्ञानिक अभिकर्मक का प्रभाव काफी शक्तिशाली होता है। 11 सितम्बर को मोहम्मद अता तथा जचेरियस मौसूकी दोनों नेताओं पर आक्रमण प्रदर्शित करते हैं कि अलकायदा ने वायुयानों के माध्यम से जीव वैज्ञानिक युद्ध-अभिकर्मकों का उपयोग प्रारम्भ कर दिया है।
- अफगानिस्तान से ग्रीष्म 2002 में प्राप्त अलकायदा के एक दस्तावेज का विश्लेषण प्रदर्शित करता है इस समूह के पास मस्टर्ड अभिकर्मक, सरीन व VX बनाने के अपरिष्कृत तरीके है।

22.2 सी.बी.आर.एन. उपकरण (CBRN Devices)

विभिन्न रासायनिक, जीव वैज्ञानिक, रेडियोलोजिकल एवं नाभिकीय अभिकर्मक निम्न प्रकार है ये सीबीआरएन-उपकरण कहलाते है। ये बड़ी मात्रा में विध्वंस करते हैं इस लिए इन्हें जन विध्वंस के अस्त्र (Weapons of Mass Destruction WMD) कहते हैं। इसके विभिन्न घटक निम्न प्रकार है-

22.2.1 रासायनिक अभिकर्मक (Chemical Agents)

आतंकवादी आक्रमणों के अन्तर्गत कई प्रकार के विषैले रसायनों का उपयोग करते हैं। उनकी विशेष योजना खाने को विषैला बनाने, अथवा सतह पर अभिकर्मक फैलाने की होती है, ताकि वह त्वचा के सम्पर्क द्वारा शरीर में प्रवेशित हो सके। लेकिन कुछ योजनाओं में व्यापक रूप से विष फैलाने की तकनीक भी सम्मिलित है।

22.2.2 साइनाइड (Cyanides)

आतंकवादी कई प्रकार के विषैले साइनाइड यौगिकों का उपयोग करते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम साइनाइड सफेद से लेकर हल्के पीले रंग के होते हैं। इनके उपयोग से खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों को आसानी से विषाक्त किया जा सकता है। त्वचा में प्रवेश करने वाले रसायनों के साथ सायनाइड लवण मिलाकर विष फैलाया जा सकता है। लेकिन मिश्रण को गीली या चिकनी सतह पर फैलाकर संदूषित करने से लोग पहचान जाएंगे।

हाइड्रोजन साइनाइड (HCN) तथा साइनोजन क्लोराइड्स (Cl CN) रंगहीन से हल्के पीले रंग के द्रव होते हैं, जो सामान्य तापक्रम के लगभग गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। हाइड्रोजन सायनाइड में कड़वे बादाम जैसी विशेष गंध पाई जाती है, जबकि साइनोजन क्लोराइड में दम घोटने वाली गंध तथा आंखों में जलन की पीड़ा उत्पन्न होती है। इन चिन्हों से पर्याप्त चेतावनी मिल जाती है कि आक्रमण की तरफ से जगह छोड़ना तथा हवा प्राप्त करना चाहिए अन्यथा अभिकर्मक का सान्द्रण घातक अवस्था में पहुँच जाने की आशंका बन जाती है।

HCN तथा Cl CN दोनों अत्यधिक सान्द्रण की अवस्था में ही घातक होते हैं, जो व्यावहारिक रूप से बन्द क्षेत्र में ही प्रभावी रूप से संभव है। अत: उस क्षेत्र को छोड़ देना या वायु पहुँचाने से अभिकर्मक की मारक क्षमता कम हो जाती है।

सायनाइड के प्रभाव से उबकाई, उल्टी, धड़कन का बढ़ जाना, मतिभ्रम, वायु अवरोधन, बैचेनी, उत्तेजना, बेहोशी, कोमा तथा मृत्यु तक हो सकती है। साइनाइड की उच्च्व खुराक से तत्काल मौत हो सकती है। यद्यपि चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध है परन्तु घातक बीमार को तत्काल चिकित्सीय उपचार दिए जाने की आवश्यकता है।

22.2.3 मस्टर्ड अभिकर्मक (Mustard Agent)

मस्टर्ड एक फफोला पैदा करने वाला तथा भाप से खतरा पैदा करने वाला अभिकर्मक है। इसका रंग हल्के से गहरा भूरा (इसकी शुद्धता के अनुसार) होता है। इसमें लहसुन जैसी विशेष गन्ध होती है। सामान्य ताप पर मस्टर्ड एक गाढ़ा द्रव होता है।

मस्टर्ड व्यापारिक रूप से उपलब्ध नहीं है, परन्तु इसके संश्लेषण के लिए किसी खास विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि चरणबद्ध विधि काम में ली जावे।

मस्टर्ड के त्वचा के सम्पर्क में आने से प्रारम्भिक तौर पर जलन होती है, जो बाद में पीले द्रव युक्त फफोलों में बदल जाते हैं। मस्टर्ड के श्वांस द्वारा अन्दर जाने से फेफडे खराब होते हैं, सांस लेने में परेशानी और भारी मामलों में फेफड़ों में पानी भरने तथा दम घुटने से मौत तक हो जाती है। सम्पर्क द्वारा अथवा श्वास द्वारा दोनों मामलों में 6 से 24 घंटों में लक्षण नजर आ

जाते हैं। मस्टर्ड अभिकर्मक से पीड़ित व्यक्ति के लिए चिकित्सकीय उपचार की उपलब्धता सीमित ही है।

22.2.4 स्नायु अभिकर्मक (Nerve Agent)

सरीन, तबून तथा वी.एक्स अत्यन्त विषाक्त सैन्य अभिकर्मक है जो पीड़ित के स्नायुतन्त्र को अव्यवस्थित कर देता है तथा संवेदनाओं का संचरण बन्द प्राय: हो जाता है।

ये अभिकर्मक व्यापारिक रूप से उपलब्ध नहीं है तथा इनका संश्लेषण भी बिना विशेषज्ञता के संभव नहीं है। एक स्नायु अभिकर्मक स्नायुतंत्र (Nerrous System) के कार्यो में अवरोध पैदा करता है जिससे सांस लेना मांसपेशियों का नियंत्रण तथा दृष्टि जैसे आवश्यक शारीरिक कार्य अव्यवस्थित हो जाते हैं।

स्नायु अभिकर्मक के प्रभाव से लार बनने व स्त्रावित्त होने की क्रिया प्रभावित्त होती है तथा दौरा पड़ता है यहाँ तक मौत भी हो जाती है। चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध है परन्तु भारी आक्रमण में अत्यन्त शीघ्रता से उपलब्ध कथन की आवश्यकता है।

22.2.5 विषैले औद्योगिक रसायन (Toxic Industrial Chemicals)

कई प्रकार के विषाक्त औद्योगिक रसायन पाए जाते हैं, जो मस्टर्ड गैस तथा सायनाइड जितने विषाक्त नहीं होते, परन्तु इनकी अधिक मात्रा इनकी कम विषाक्तता को पूरा कर सकती है।

क्लोरीन तथा फास्जीन औद्योगिक रसायन है जो टनों की मात्रा में जहाज, सड़क अथवा रेल द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है। इनके पात्रों से रिसाव होने पर ये गैसे आसानी से फैल जाती है। क्लोरीन व फास्जीन का प्रभाव भी मस्टर्ड अभिकर्मक की ही भाँति होता है।

पेराथायॉन (Parathion) नामक आर्गेनोफास्फेट कीटनाशक भी स्नायु अभिकर्मक जैसे रसायन की श्रेणी में आता है। यद्यपि ये कीटनाशक बहुत कम विषाक्त है, परन्तु इनकी चिकित्सा एवं उपचार भी सैन्य श्रेणी के स्नायु अभिकर्मक की भॉति है।

इन रासायनिक अभिकर्मकों के आक्रमण द्वारा 50 कि.मी. क्षेत्र में विध्वंस संभव है। ये आक्रमण मुख्यत: गुब्बारा -बम (Balloon bomb) द्वारा किए जाते हैं। इन अभिकर्मकों के फैलने के 4 से 6 घंटे में इनका प्रभाव दिखाई देने लगता है। प्रभावित्त व्यक्ति अपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को प्रभावित्त करता है। रासायनिक अभिकर्मक आर्द्रता के वातावरण में अपना अधिक प्रभव दिखाते हैं। इन अभिकर्मकों की जांच के लिए पानी व हवा दोनों में अलग-अलग जांच किट उपलब्ध है।

मेक्सिको शहर का द्रवीय गैस विस्फोट तथा ऐतिहासिक भोपाल गैस दुर्घटना अत्यन्त घातक मिथाइल आइसोसाइनेट (मिक) के रिसाव का उदाहरण है। स्थापित संयंत्र, इमारतें तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति विस्फोट के निशाने होते हैं। हथगोलों तथा क्षयकारी द्रव का उपयोग भी यहीं पर होता है। विषाक्त रसायनों के मुक्त होने से आसपास के सभी व्यक्ति चाहे वे काम पर

हो या नहीं हो प्रभावित्त होते हैं। विषाक्त रसायन जल, थल व वायु तीनों के वातावरण को प्रभावित्त करते हैं।

22.3 जीव वैज्ञानिक अभिकर्मक (Biological Agents)

जीव वैज्ञानिक युद्ध के तरीकों में जीवित्त सूक्ष्मजीव अथवा उनसे जीव वैज्ञानिक उत्पाद का उपयोग मानवीय व्यवस्थाओं में गड़बड़ी या मौत के लिए किया जाता है। इसके अन्तर्गत मनुष्य, उसके पालतू जानवर अथवा फसलों को भी नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया जाता है।युद्ध के जीव वैज्ञानिक तरीके में शत्रु ऐसे अभिकर्मक का चयन करता है जो अधिक संक्रमणकारी, आसानी से पैदा होने वाला तथा आसानी से काम में लिया जाने योग्य हो और जो लक्षित जनसंख्या में ऐसी बीमारी फैला सके, जिसके बारे में कम प्रतिरोधकता हो। लक्षित जनसंख्या में जीव वैज्ञानिक अभिकर्मकों की पहचान एक कठिन कार्य है और इन अभिकर्मकों द्वारा फैलाई गई बीमारी का बहुत कम इलाज अथवा इलाज उपलब्ध नहीं है। युद्ध के जीव वैज्ञानिक तरीके मानव जनित आपदाओं में सबसे घातक हथियार है। सेना में जानबूझ कर इस प्रकार के हथियारों का उपयोग किया जाता है। ये अस्त्र सस्ते पड़ते हैं तथा रसायनिक अस्त्रों की तुलना में इनकी कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है तथा दुर्घटना उत्पन्न करने का प्रभाव नाभिकीय अस्त्रों के समान होता है। इस प्रकार के युद्ध में व्यक्ति तथा सम्पूर्ण जनसंख्या ही निशान बनती है। इसमें सेना व सामान्य जनता दोनों ही लक्ष्य बनते हैं। व्यक्ति सूंघने के द्वारा संक्रमण ग्रहण करता है।

जीव वैज्ञानिक रक्षा विकास पूना के एक वैज्ञानिक डॉ. एन.सी. गुप्ता के अनुसार,- ''जैव तकनीकी एवं अनुवांशिकी के क्षेत्र में होने वाली तेज प्रगति से उपयोगकर्ताओं के रूके हुए रास्ते खुलेंगे और इससे अनुवांशिक इन्जीनियरिंग आधारित जीव वैज्ञानिक युद्ध के तरीकों के नए विकासशील आयाम खुलेंगें।'' जन विध्वंस के अस्त्रों के रूप में काम में लिए जाने वाले जीव वैज्ञानिक अभिकर्मक निम्न है।

22.3.1 एन्थ्रेक्स (Anthrax)

एन्थ्रेक्स उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम बेसीलस एन्थ्रेक्स है। यह भारी संख्या में आपदा पैदा करता है। संक्रमण के 1 से 6 दिन में लक्षण प्रगट होते हैं, जिसमें बुखार, मलेरिया, थकान तथा सांस लेने में दिक्कत सम्मिलित है। एन्थ्रेक्स के बीजाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के साथ ही एन्टीबायोटिक औषधियॉं चालू न होने की स्थिति में सामान्यतया बीमारी घातक है, तथापि रोग संक्रामक नहीं है। कुछ लोगों को एन्थ्रेक्स का टीका लगाया गया है।

एन्थ्रेक्स को एअरसोल द्वारा अथवा खाद्य व जल को विषाक्त बनाकर फैलाया जा सकता है।

बेसीलस एन्थ्रेसिस के त्वचा से सम्पर्क में आने से त्वचीय एन्थ्रेक्स पैदा होता है। इस प्रकार की बीमारी कभी-कभी ही घातक होती है। इसका एन्टीबायोटिक्स के माध्यम से इलाज संभव है।

22.3.2 बोटूलीनम टाक्सिन (Botulinum Toxin)

पृथ्वी में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले क्लोस्ट्रिडियम बोटूलीनम नामक जीवाणु से बोटुलीनम टाक्सिन उत्पन्न होता है। इस घातक टॉक्सिन को अल्प मात्रा में बनाने के अपरिष्कृत परन्तु व्यावहारिक तरीके आतंकवादियों के प्रशिक्षण साहित्य में पाए गए है।

कम मात्रा में टाक्सिन की उपस्थिति में बीमारी के लक्षण 24 से 36 घंटों में प्रगट होते हैं जबकि बीमारी का एक दौर कुछ दिनों तक चलता है। इसके लक्षण उल्टी आना, पेट में दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी तथा दृष्टि मन्दता है।

छोटे पैमाने में जहर फैलाने अथवा बन्द क्षेत्र जैसे सिनेमा थियेटर आदि में एअरसोल आक्रमण द्वारा बोटुलीनम टाक्सिन प्रभावकारी होता है। टाक्सिन के अणु बड़े होते हैं, जो साबुत त्वचा में प्रवेश नहीं कर सकते है।

22.3.3 रायसिन (Ricin)

यह स्नायु अभिकर्म VX से भार की दृष्टि से 30 गुना ज्यादा शक्तिशाली वानस्पतिक टाक्सिन है तथा सेम के बीजों से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। रायसिन के जहर के रक्त में प्रवेश करने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है। पीड़ित में कुछ घंटों से दिनों में बीमारी के लक्षण प्रगट हो जाते है। यह अवधि जहर की मात्रा तथा प्रवेश करने के रास्ते पर निर्भर करती है। आतंकवादी रायसिन को भोजन में मिलाने या सम्पर्क-विष के रूप में काम में लेते हैं। यद्यपि अभी तक रायसिन के साबुत त्वचा में प्रवेश की कोई वैज्ञानिक सूचना उपलब्ध नहीं है।

रायसिन भोजन में वैसा ही बना रहेगा, जब तक कि उसे गर्म न किया जावे। उसका तेज स्वाद नहीं होता तथा रंग सफेद होता है।

22.4 रेडियोलोजीकल एवं नाभिकीय उपकरण

22.4.1 रेडियोलोजीकल डिस्पर्सल डिवाइसेज (RDD)

आर.डी.डी. एक पारम्परिक बम है न कि फसल उत्पादक नाभिकीय उपकरण। इनके माध्यम से रेडियोएक्टिव पदार्थ को इस प्रकार बिखेरा जाता है कि उनसे उत्पन्न विकिरण विध्वंस एवं प्रदूषण पैदा कर सके या चोटें पैदा कर सकें। रेडियो एक्टिव पदार्थ तथा विस्फोटक पदार्थ की मात्रा के अनुसार आरडीडी का आकार किसी भी प्रकार का हो सकता है।

एक अक्रियाशील आरडीडी के तंत्र में खुला हुआ रेडियों एक्टिव पदार्थ मनुष्य द्वारा लक्ष्य की ओर रख दिया जाता है।

एक विस्फोटशील आरडीडी जिसे गंदा बम (Dirty bomb) भी कहते है, एक तंत्र है, जिसमें बम का उपयोग रेडियो एक्टिव पदार्थ को बिखेरने के लिए किया जाता है। एक सरल विस्फोटक आरडीडी एक सीसे के आवरण युक्त पात्र जिसे पिग कहते है तथा इसके पीछे सलंग्न कि.ग्रा. विस्फोटक होता है।एक वातावरणीय RDD एक तंत्र है। जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ को इस रूप में रूपान्तरित किया जाता है, जिसे वायु प्रवाह के साथ स्थानान्तरित किया जा सके।

आतंकवादियों द्वारा के उपयोग के फलस्वरूप स्वास्थ्य, पर्यावरणीय, आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक प्रभाव पड़ता है। इससे भय एवं चोट तो पैदा होती ही है, साथ ही विभिन्न प्रकार का सन्दूषण भी होता है, जिसे पूर्वावस्था में लाने के प्रयासों में काफी समय व पैसा खर्च होता है।रेडियो एक्टिव पदार्थ की एक श्रेणी आसानी से उपलब्ध है और उसका उपयोग RDD में किया जा सकता है। वे पदार्थ हैं,-सीजियम-137, स्ट्रॉन्शियम-90 तथा कोबाल्ट -60 अस्पताल, विश्वविद्यालय, कारखाने, कन्शट्रक्शन कम्पनियाँ तथा प्रयोगशालाओं में इन रेडियो एक्टिव पदार्थों के सम्भावित्त स्त्रोत हो सकते हैं।

22.4.2 आशुरचित नाभिकीय उपकरण (Improvised Nuclear Device IND)

आई.एन.डी. एक ऊर्जा उत्पादक नाभिकीय विस्फोट करने वाला उपकरण हैं। यह एक स्वदेशी भूल का रूपान्तरित नाभिकीय अस्त्र है। आई.एन.डी. को दो संवर्गो में विभाजित किया जा सकता है। 1. इम्प्लोजन और गन एसेम्बल्ड। आर.डी.डी. के विपरीतये किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से बनाए जा सकते हैं जबकि आई.एन.डी. के निर्माण के लिए अधिकशक्तिशाली यूरेनियम व प्लूटोनियम जैसे विस्फोटकों की आवश्यकता होती है।

22.4.3 नाभिकीय विस्फोट (Nuclear Explosions)

विभिन्न स्तरों पर नाभिकीय अस्त्रों के उपयोग की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का नैतिक दायित्व हो जाता है कि नाभिकीय विस्फोटों के शक्तिशाली उपयोग तथा उसका मानव जीवन पर प्रभाव के बारे में जनता को जागरूक तथा शिक्षित करें तथा प्रशासनिक सहयोग प्रणाली के बारे में भी बताएँ। क्योंकि बदलते हुए वैश्विक परिवेश में इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। भारत के एक नाभिकीय शक्तिशाली राष्ट्र बनने के बाद इन प्रयासों की आवश्यकता है।

22.5 सारांश

CBRN आतंकवाद का ताजा साहित्य इस बात पर ध्यान केन्द्रित करता है कि यदि आतंकवादियों को ये अस्त्र मिल जाते हैं, तो वे उनका उपयोग करने में संकोच नहीं करेंगे। ज्यादातर बौद्धिक चर्चाओं में यह सार निकल कर आया कि आतंकवादी इन हथियारों को स्वयं बना सकते हैं, चुरा सकते हैं अथवा खरीद सकते हैं। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि इसके लिए आवश्यक सामान गलत हाथों तक नहीं पहुंचे। कमीशन ऑन प्रीवेन्शन ऑफ वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, टेरेरिज्म एण्ड प्रोलीफरेशन के अनुसार

आतंकवादियों द्वारा सामूहिक विध्वंस के अस्त्रों के उपयोग से खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है।

22.6 अभ्यास प्रश्न

1. रासायनिक, जीव वैज्ञानिक, रेडियोलोजिकल तथा नाभिकीय आतंकवाद से आप क्या समझते हैं?
2. कुछ उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, जिसमें आतंकियों द्वारा सामूहिक विध्वंस के अस्त्रों का उपयोग किया जाता है।
3. विध्वंस के लिए काम में लिए जाने वाले विभिन्न रासायनिक अभिकर्मक कौन-कौन से है?
4. इन रासायनिक अभिकर्मकों के पश्च-प्रभाव क्या होते है?
5. रासायनिक आपदा के चक्र को बताइए।
6. जन विध्वंस के अस्त्रों के रूप में काम में आने वाले विभिन्न जीव वैज्ञानिक अभिकर्मक कौन-कौन से हैं?
7. रेडियोलोजीकल डिस्पर्सल डिवासेज क्या है?
8. 'आतंकी धमकी' के लिए नाभिकीय उपकरणों का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

22.7 संदर्भ ग्रंथ

1. Verma, N.M. (2011) 'Dynamics of National Security essential dimensions and perspectives.' Jaico Publishing House, Mumbai
2. Mathur, K.M. (1989) 'Internal security challenges and police in a developing society.' Anuj Printers, Jaipur.
3. Weinberg Leonard, "Global Tervorism, a beginners' guide" Oxford, England,2006
4. Menon, Sudha Human Security : Global Perspectives, The Icfai University, Press Tripura, 2007.
5. Walterreich Origins of Terrorism (Cambridge and New York) Cambridge University Press, 2009.
6. TV Paul, Great equalizer or agents of chaos - International order and future of would be polities.